# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का इकतीसवां दिवस [संख्या : 20

शुक्रवार,

27 मार्च, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)
(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोतर

**श्री अध्यक्ष**: राम राम। नमस्कार। नमस्कार।

प्रश्न काल। डा. किरोड़ी लाल।

### भूमि अवाप्ति के बदले दिए गए अधिक मुआवजे की वसूली

403. **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या भूमि अवाप्ति नियमों में भूमि अवाप्ति के बदले भुगतान की गई मुआवजे की अधिक राशि की वसूली का प्रावधान है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सोड़ाला, तहसील एवं जिला जयपुर के खसरा नम्बर 328 के मुआवजे का गलत भुगतान किया गया है? यदि हां, तो इसकी वसूली के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में महाधिवक्ता राजस्थान से मार्गदर्शन/जानकारी चाही गई थी? यदि हां, तो कब?

(4) क्या यह सही है कि महाधिवक्ता राजस्थान द्वारा अपने पत्र क्रमांक 342 दिनांक 4 जुलाई, 2013 के द्वारा पत्रावली पर अपनी राय नहीं, देकर कुछ विषयों/न्यायालयों के निर्णयों आदि के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा महाधिवक्ता राजस्थान को उक्त जानकारी कब भिजवाई गई? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री** (श्री राजपाल सिंह शेखावत) : (1) जी हां। भूमि आवाप्ति नियमों में भूमि अवाप्ति के बदले भुगतान की गई मुआवजे की अधिक राशि के वसूली का प्रावधान निम्नांकित 2 परिस्थितियों में है:-

1. यदि लिपिकीय एवं गणना में हुई त्रुटिवश अधिक मुआवजा निर्धारित हो जावे [धारा 13-ए (3)]; एवं

2. यदि अर्जेंट अवाप्ति के तहत प्रारम्भ में भुगतान की गई 80 प्रतिशत राशि बाद में अवार्ड में निर्धारित कुल राशि से अधिक पाई जावे (धारा 17 (3-बी) भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894) (वर्णित धाराओं से सम्बन्धित पृष्ठों की प्रतियां परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न हैं।)

(2) इस प्रकरण में अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.03.1995 को अधिसूचना जारी कर माननीय दवे जांच आयोग गठित किया गया था। आयोग ने अपनी निष्कर्षात्मक टिप्पणियों में मुआवजा के भुगतान को गलत माना (परिशिष्ट-3) । इस मुआवजा राशि की ब्याज सहित पुन: वसूली के लिए उपायुक्त जोन-5 द्वारा दिनांक 11.11.2009 (परिशिष्ट-4) को भूमि अवाप्ति अधिकारी को लिखा गया है। इसी क्रम में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा रावल राघवेन्द्र सिंह को मूल मुआवजा राशि 10,95,921.96 रुपये मय 18 प्रतिशत ब्याज राशि जोड़ते हुए कुल 34,88,957 रुपये मांग पत्र दिनांक 27.11.2009 को प्रेषित किया गया (परिशिष्ट-5)। इसके उपरान्त भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जोन-5 को दिनांक 15.12.2011 को पत्र लिखकर यह सूचित किया गया कि ऐसे मामलों में अवाप्त भूमि के मुआवजे की पुन: वसूली के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिनियम मौन है। अत: दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सम्बन्धित कानूनों के तहत विधिक कार्यवाही करें (परिशिष्ट-6)। इसके उपरान्त सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को दिनांक 02.03.2013 को पत्र लिखकर इस प्रकरण में कार्यवाही करने बाबत मार्गदर्शन मांगा गया (परिशिष्ट-7)। इसके उपरान्त पुन: सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.06.2014 को प्रकरण में कार्यवाही बाबत राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया (परिशिष्ट-8)। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में दिनांक 22.8.2014 को पत्र द्वारा मार्गदर्शन देते हुए प्रकरण में न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कहा है। इस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस प्रकरण के विस्तृत तथ्यों का गहनता से अध्ययन करने के

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

पश्चात् कुछ यह तथ्य सामने आये हैं कि दवे जांच रिपोर्ट निष्कर्ष पूर्ण जानकारी के अभाव में दिये गये हैं एवं पूर्ण जानकारी के अभाव में आयोग द्वारा निकाले गये सभी निष्कर्ष पर सीधे कार्यवाही की जाने से पूर्व और विस्तृत परीक्षा किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकरण का विस्तृत एवं गहन परीक्षण करवाकर उचित आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करवा दी जाएगी।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.06.2013 को इस सम्बन्ध में महाधिवक्ता राजस्थान से राय/मार्गदर्शन हेतु पत्रावली प्रेषित की गई थी।

(4) जी हां। महाधिवक्ता राजस्थान द्वारा अपने पत्र क्रमांक 342 दिनांक 04.07.2013 के द्वारा पत्रावली पर अपनी राय नहीं देकर कुछ विषयों/न्यायालयों के निर्णयों आदि के सम्बन्ध में जानकारी चाही थी (परिशिष्ट-9), जिस पर राज्य सरकार के पत्र दिनांक 23.07.2013 से प्राधिकरण को लिखा गया था । पत्र की प्रति परिशिष्ट-10 पर संलग्न है। इसका जवाब प्राधिकरण द्वारा पत्र क्रमांक 1194 दिनांक 20.06.2014 से भिजवाया गया था, जिसकी प्रति परिशिष्ट-11 पर संलग्न है। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 22.08.2014 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रकरण में न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसलिए अब तक महाधिवक्ता राजस्थान को पुन: पत्रावली नहीं भेजी गई।

**(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)**

**श्री अध्यक्ष:** पूरक प्रश्न एक।

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि रावल राघवेन्द्र सिंह ने एक शपथ पत्र के जरिये असत्य तथ्य प्रस्तुत कर जे डी ए से मुआवजा उठाया, जैसा इन्होंने जवाब में भी माना है, तथा मुआवजा लेने के बाद भी जमीन जे डी ए को समर्पित नहीं की, जिसका उल्लेख जे डी ए के निदेशक, लॉ ने अपनी पत्रावली के नोटशीट क्रमांक 73 एवं स्वायत्त शासन विभाग की नोटशीट क्रमांक 47/9 पर किया है? यदि हां, तो क्या सरकार राघवेन्द्र सिंह के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएगी?

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्री महोदय।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न समय-समय पर विधान सभा में भी पूछा जाता रहा है, 1995 के काल अटेंशन मोशन के जरिये एक माननीय सदस्य ने उठाया था, उसके बाद दवे आयोग सरकार ने बनाया था। उसके बाद कई और माननीय सदस्यों ने भी समय-समय पर इस पर जवाब मांगा है, कभी तारांकित, कभी अतारांकित। जब माननीय सदस्य ने यह सवाल लगाया तो मैंने इन कागजों को पूरा देखने की कोशिश की। जितना मैं देख पाया और जितना मेरा विभाग देख पाया, उससे मुझे लगता है कि यह ग्लैयरिंग एग्जाम्पल है, पालिटिकल लीडर्स का बिना सोचे-समझे सवाल पूछने का और सरकार के अधिकारियों का बिना सोचे-समझे फाइलें चलाने का। 1995 में भी विधान सभा के सदस्य....

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): यह क्या...

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपकी बात नहीं कर रहा।

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): नहीं, यह क्या? क्वेश्चन हमने लगाया है तो बिना सोचे-समझे लगा दिया?

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, आप पर नहीं लगाया, डाक्टर साहब।

**श्री अध्यक्ष**: जवाब आने दीजिए।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप पर नहीं लगाया, डा. साहब।

**श्री अध्यक्ष**: जवाब आ रहा है।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैंने आप पर नहीं लगाया। इसीलिए तो बता रहा हूं कि यह 1995 से चल रहा है। मैं आप पर नहीं। 1995 से चल रहा है।

**श्री अध्यक्ष**: ऐसे विद्वान और वरिष्ठ विधायक ने लगाया है, तो अच्छा ही लगाया होगा।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, मैंने डा. साहब पर कोई आक्षेप नहीं लगाया। मैं तो बता रहा हूं कि जिस तरह से 1995 से यह सारा का सारा मामला, 2015 तक; माननीय अध्यक्ष महोदय, 1995 से 2015 तक यह मामला आया है। यह मामला शुरू होता है...

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): आप तो लम्बी पूरी रामायण मत गाओ। आप तो यह बताओ, मुआवजा उठाया, मुआवजा गलत उठाया, एफिडेविट में तथ्य गलत दिये, तो क्या एफ आई आर दर्ज कराओगे?

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। विराजिए।

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): आपने खुद ने माना है कि मुआवजा....

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। जवाव पूरा आने दीजिए ना। फिर आपको दूसरा पूरक प्रश्न...

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे से जो जवाब मांगा है, उसका मैं जवाब दे रहा हूं, उसी की पृष्ठभूमि में, जिससे कि मेरा उत्तर ज्यादा आराम से सभी को समझ आ पाए। इसके लिए यह कहना बहुत जरूरी है।

यह प्रकरण शुरू हुआ सीलिंग से, एक पुराने जागीरदार की जमीन सीलिंग में गई और उसको 30.10.1991 को उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा कृषि भूमि सीलिंग की कार्यवाही प्रारम्भ करके 30 स्टैण्डर्ड एकड़ जमीन छोड़ दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, सोडाला के अन्दर खसरा नंबर 328, जिसका पूरा रकबा है 220 बीघा, उसमें कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई,।जब क्वेश्चन किया गया तो उपखण्ड अधिकारी आमेर ने कहा कि 30 स्टैण्डर्ड एकड सीलिंग में से छोड दी जाए। यह मामला हुआ 30.10.1991 को ।

इसके खिलाफ एग्रीव्ड पार्टी हाईकोर्ट में गई। हाईकोर्ट के स्थगन के कारण कब्जा लम्बित रहा। कब्जा सरकार का नहीं हो पाया। माननीय उच्च न्यायालय में 6.3.1974 को खातेदार की याचिका खारिज होने पर उप खण्ड अधिकारी आमेर द्वारा सीलिंग कार्यवाही पुन: प्रारम्भ कर कब्जा लेने की कवायद, आदेश पारित किये गये 6.3.1974 को। 15.3.1974 को सीलिंग अधिशेष घोषित भूमि का कब्जा-राज तहसीलदार वहां लिया गया एक्सेस सीलिंग के लिए।

उक्त आदेश के विरुद्ध खातेदार द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकरण में अपील की गई, जो 13.6.1975 को खारिज हो गई। खातेदार द्वारा राजस्व मण्डल में रिविजन पिटिशन दायर की गई, रिविजन पिटिशन में प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, आमेर को रिमाण्ड कर दिया गया 6.8.1976 को।

18.10.1976 को उपखण्ड अधिकारी, आमेर के द्वारा खातेदार द्वारा

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

प्रस्तुत विवरण के अनुसार खातेदार की कुछ 72 बीघा भूमि को सीलिंग से मुक्त करने का आदेश पारित किया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय। 1.9.1978 को उपखण्ड अधिकारी, आमेर के आदेश दिनांक 18.10.1976 को रि-ओपन करने बाबत राज्य सरकार द्वारा आदेश कर दिया गया कि सीलिंग के केस को रि-ओपन कर दिया जाए। 26.12.1978 को राज्यादेश की पालना में अतिरिक्त कलक्टर, जयपुर द्वारा सीलिंग प्रकरण खोलकर आदेश पारित किया गया कि पूर्व में छोडी गई 130 बीघा भूमि में से 65.19 बीघा भूमि सीलिंग में अधिकृत की जाए, और कर ली जाए। इस प्रकार आप्शन दे दिया। बची हुई जमीन आप कौनसी रखना चाहते हो, उसके लिए आप्शन दे दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय।

इसी बीच में 10.10.1979 को यू आई टी एक्ट की धारा 52/2 के तहत भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई, जयपुर में; 52/2 के 4767 बीघा की जयपुर में 51/2 के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई, 1979 को। चूंकि यह खसरा रावल के नाम बोल रहा था उस वक्त। सीलिंग की प्रोसेसिंग कम्प्लीट नहीं हुई थी, सीलिंग की प्रोसेसिंग जारी थी, इसलिए 1979 को उसके नाम खसरा बोल रहा था, तो उनके नाम भी यह नोटिस जारी कर दिया गया ।

अतिरिक्त कलक्टर, जयपुर के आदेश दिनांक 26.12.1978 के विरुद्ध, जो उसने आप्शन मांगे थे, राजस्व मण्डल में रिविजन प्रस्तुत कर दिया, एग्रीव्ड पार्टी ने। प्रकरण वापस अतिरिक्त कलक्टर को रिमांड कर दिया गया 21.5.1980 को। राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार सुनवाई कर अतिरिक्त कलक्टर ने आदेश पारित किया 30.4.1982 को, कि जो 65.19 बीघा भूमि सीलिंग में ली गई है, उसके लिए खातेदार को विकल्प प्रस्तुत करने का समय दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी बीच यू आई टी एक्ट की धारा 52/1 के तहत भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जो पहले 52/2 में कर दी थी, उसकी अधिसूचना जारी कर दी 1.12.1983 को, जिसमें केवल रावल की जो जमीन ली गई थी, उसमें से केवल 15 बीघा जमीन, 12 बीघा जमीन ली गई माननीय अध्यक्ष महोदय। कुल जो अवाप्ति का 51(2), 4,767 बीघा के लिए जारी किया था, लेकिन 51(1) केवल 1501 बीघा के लिए जारी किया गया, माननीय

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अवाप्ति की कार्यवाही करते हुए एल.ए.ओ. ने अवाप्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया 28.11.1984 को।

अब सवाल यह उठता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल, कि क्या जिस दिन एक्वीजिशन का 51(1) हुआ और 51(2) हुआ, उस दिन यह लैण्ड-इन-क्वेश्चन किसके पास थी, किसकी थी? जैसा कि मैंने निवेदन किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, सीलिंग की प्रक्रिया जारी थी, मामले लगातार सबजुडिस थे, इसलिए उस दिन यह जमीन रावल के नाम बोल रही थी। इसीलिए पूरी प्रक्रिया के पूरे नहीं होने के कारण, 51(1) और 51(2) के जो नोटिफिकेशंस हुए, उन नोटिफिकेशन में मुझे किसी प्रकार की, मुझे कोई बहुत ज्यादा कानून का ज्ञान नहीं है, लेकिन इन कागजों को देखने के बाद मुझे लगा कि उस वक्त इसमें कोई अनुपयुक्तता मेरी नजर में नहीं है; और यदि है, तो इसको लीगली एक्जामिन कराने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के तहत 80 प्रतिशत भूमि अवाप्त करके उसका मुआवजा एडवांस दे दिया गया, 23.12.1998 को। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड पारित कर दिया गया, 29.04.1989 को, अवार्ड में निर्धारित मुआवजा राशि से संतुष्ट नहीं होकर एग्रीव्ड पार्टी चली गई रेफरेंस के लिए, रेफरेंस में चली गई 1.9.1989 को; और अतिरिक्त कलक्टर, जयपुर के आदेश की पालना में खातेदार ने विकल्प प्रस्तुत कर दिये 15.2.1991 को। अतिरिक्त कलक्टर द्वारा निर्णय पारित कर 65.19 बीघा जमीन सीलिंग में ली गई, माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रस्तुत विकल्प के अनुसार अन्य भूमियों के साथ खसरा नम्बर 328 की 3.12 बीघा भूमि को सीलिंग में अधिग्रहित किया गया; बाकी सारी जमीन रावल के नाम रह गई। जब पूरी, सारी जमीन रावल के पास रह गई, 8.8.1991 को, सीलिंग के अल्टिमेट डिसिजन होते समय, तो फिर 51(1) और 51(2) में जो कार्यवाही हुई वह इल्लीगल कैसे हुई, माननीय अध्यक्ष महोदय? उसके बाद इससे एग्रीव्ड होकर रावल चला गया।

रावल ने, जब ये सारे विकल्प प्रस्तुत किये, तब रावल ने कहा, वह विकल्प प्रस्तुत करते हुए, कि मैं इस जमीन का विकल्प इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि इस जमीन को मैंने बेचान कर दिया है किसी और आदमी को; किसी आदमी को 1972 में मैंने इस जमीन का बेचान कर दिया है। इसलिए जब आप मुझसे विकल्प मांग रहे हो तो बाकी जमीनें, ये वाली और यह जमीन जो मैंने बेच दी है, इस जमीन को विकल्प में शामिल कर लिया जाये, जिससे चीटिंग का नहीं हो।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके खिलाफ रावल गया कोर्ट में कि मुझे एडिक्वेट मुआवजा नहीं मिला। माननीय सिविल न्यायालय इसके अन्दर रेफरेंस में गया। सिविल न्यायालय ने इसमें मुआवजा राशि बढ़ाने का तो खारिज कर दिया लेकिन कहा कि यह स्टेट एक्ट नहीं, यह सेण्ट्रल एक्ट है; केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 के आधार पर इसको पजेशन की डेट से ब्याज दिया जाए, और ब्याज देने के साथ डिक्री कर दी जे.डी.ए. के खिलाफ सिविल कोर्ट ने। डिक्री कर दी 26.11.1992 को। इस डिक्री के तहत पेमेण्ट भी हो गया। जे.डी.ए. इस डिक्री के खिलाफ गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी जे.डी.ए. की अपील 14.7.1995 को खारिज कर दी। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गये। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी एस.एल.पी. खारिज कर दी, जे.डी.ए. वालों की।

अब सवाल केवल दो पैदा होते हैं, रावल ने अपना विकल्प देते समय यह कहा था कि यह पर्टिकुलर 12 बीघा 07 बिस्वा जमीन मैंने एक आदमी को बेच दी है, इसलिए मुझे विकल्प में दी जाए, लेकिन खुद ने ले लिया, लेकिन ले लिया उसने, उसका अवार्ड ले लिया उसने, पेमेंट ले लिया उसने। जे.डी.ए. के पार्ट में तो केवल यह झगड़ा है, वह जमीन जो एक्वायर होने के लायक थी, क्योंकि सीलिंग में तो वैस्ट की नहीं गई थी उस दिन, सीलिंग में जमीन तय ही नहीं हुई थी, कौनसी जमीन सीलिंग में है और कौनसी जमीन सीलिंग में नहीं है; इसलिए 51(1) और 51(2) के तहत जो कार्यवाही जे.डी.ए. ने की, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह वाजिब नजर आती है। अब प्रश्न यह नजर आता है कि मैंने जमीन बेच कर खुद ने अवार्ड उठा लिया, तो लिटिगेशन मेरे और उसके बीच में हुआ। या वह आब्जेक्शन करता जे.डी.ए. को, या वह आब्जेक्शन करता सरकार को।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरा प्रकरण अजीब-सा है, लेकिन फिर भी इसमें कोई शक नहीं है कि यह मामला राजस्थान विधान सभा में उठा और दवे कमीशन बना। दवे कमीशन बनने के बाद में दवे कमीशन ने रिकमंडेशन दी। दवे कमीशन ने खुद ने अपनी रिकमंडेशन में कहा है, हालांकि रिकमंडेशन उन्होंने स्ट्रांग दी है, उस रिकमंडेशन में उन्होंने खुद ने कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, "Though handicapped by the facts that the complete information was lacking.." Despite the fact, he accepted that he was handicapped because he did not have adequate information to reach to conclusions,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

yet he made the conclusions and then said, so I respect the Commission, I respect this conclusion but I respect at same time the comments of the Commission that he did not have adequate information to reach to conclusions.

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): कमीशन की तारीख क्या है?

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कमीशन की तारीख तो मैं लाया नहीं, कब की है, मैंने देखा नहीं। मैं दे दूंगा आपको कमीशन की तारीख। यह 1995, 96, 97, 98 के बाद की है। 1995 में कमीशन बनाया था।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, इस पूरी प्रक्रिया की, इस कमीशन की, लेकिन फिर भी सरकार ने इस कमीशन की रिकमंडेशन के आधार पर कार्यवाही करना शुरू किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही के आधार पर मैं कह सकता हूं, उन्होंने एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई उन कारिन्दों के खिलाफ, जिन्होंने नामान्तरण नहीं किया; एफ.आई.आर. में एफ.आर. लग गई। जे.डी.ए. ने इंक्वायरी कराई, छह लोगों को दोषी माना। जिन छह लोगों को दोषी माना, उनको नोटिसेज दिये गये। वे छह में से चार तो भगवान को प्यारे हो गये, दो आदमी रिटायर हो गये। रिटायर होने वालों पर एक्शन लेने के लिए सर्टेन प्रोविजंस में हम कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन, मैंने कहा, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है, जो माननीय सदस्य ने उठाई है, उसको मैं स्वीकार करता हूं, स्वीकार यह करता हूं कि जब एडवोकेट जनरल को हमने राय के लिए भेजा तो एडवोकेट जनरल ने कुछ क्वेरीज कीं। वे क्वेरीज एडवोकेट जनरल ने 04 जुलाई, 2013 को कीं और 2015 तक भी एडवोकेट जनरल को क्वेरीज की रिप्लाई हमने नहीं भेजी, दो साल बाद; नहीं भेजी, क्योंकि इस बीच में, जे.डी.ए. के बीच में, सरकार के बीच में, कलक्टर के बीच में कोरस्पोंडेंस चलता रहा। वे कन्क्लूड ही नहीं कर पाये कि इन क्वेरीज के अलावा भी ऐसी कौनसी क्वेरीज हैं जिनके बारे में जानकारी ली जाये।

अगर, जैसा माननीय सदस्य ने बताया है कि एफिडेविट झूठा दिया है, डाइरेक्टर, लॉ ने लिखा है कि यह एफिडेविट फाल्स है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच करवा करके, एफिडेविट अगर गलत पाया गया, तो यह प्रकरण बिलकुल दूसरा हो जायेगा। वह सही था या गलत है, अगर उसने एफिडेविट

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

गलत दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो निश्चित रूप से कानूनी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू की जाएंगी, इसमें चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन केवल दवे आयोग के आधार पर, इस चीज को दुबारा पुनरावलोकन नहीं करके, नये तथ्यों की जानकारी में, जो तथ्य जानकारी में आये हैं, उस पर, मैं समझता हूं, इन सारे तथ्यों की जानकारी के आधार पर इसका परीक्षण कराना बहुत ही जरूरी है। कई महत्वपूर्ण सवाल हैं और कई सवालों को लिये हुए हैं; एक साथ, कई सवालों को लिये हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इतना तो आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि अगर वह इल्लीगल, अनलाफुल एफिडेविट दिया है, अगर झूठा एफिडेविट दिया है तो उस झूठे एफिडेविट के आधार पर निश्चित रूप से कानून में जो भी प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

**श्री अध्यक्ष**: दूसरा पूरक प्रश्न।

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने यहां पर कोर्ट का जिक्र भी किया है और यह भी कहा है कि लीगली इसको हम दिखवाएंगे। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि रावल राघवेन्द्रसिंह सम्बन्धी पत्रावली का निस्तारण स्वायत शासन विभाग ने अपने स्तर पर ही कर दिया? जबकि पत्रावली एडवोकेट जनरल को जानी चाहिए थी, और उसको एडवोकेट जनरल के पास अभी तक नहीं भेजा। क्या आप इस पत्रावली को पुन: एडवोकेट जनरल को भिजवाएंगे?

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी मेरे सवाल के लगभग अन्त में कहा था कि महाधिवक्ताजी ने 2013 ने कुछ क्वेरीज, महाधिवक्ताजी को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यू.डी.एच. ने ही भेजा है। महाधिवक्ताजी की सर्टेन पाइंट्स पर राय के लिए किसी और ने नहीं भेजा, यू.डी.एच. डिपार्टमेंट ने ही भेजा था, माननीय अध्यक्ष महोदय। उसके बाद महाधिवक्ताजी ने 04 जुलाई, 2013 को पत्र लिखा कि इन बिन्दुओं पर उनको कोई जानकारी चाहिए। उन्होंने लिखा, उन्होंने 2-3 बिंदुओं पर जानकारी मांगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा- "Regarding question No. 1, it has not been mentioned

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

as to what was the order of the court. It has not been mentioned as to what was the direction of Justice Dave regarding personal possession." वेरियस क्वेरीज पूछीं उन्होंने। ये क्वेरीज जब यू.डी.एच. से पूछीं, तो क्योंकि जे.डी.ए. ने अवाप्ति की थी, तो 23.07.2013 को नगरीय विकास विभाग द्वारा महाधिवक्ता के पत्र पर बिन्दुवार रिपोर्ट भेजने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण को लिखा गया; 13.11.2013 को दुबारा लिखा।

एक हनुमान सहाय नाम का आदमी, जो लगातार इस मामले के अन्दर पी.आई.एल. लेकर हाई कोर्ट में गये तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी; सुप्रीम कोर्ट में गये तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने यहां पर भी शिकायत की। उस शिकायत के साथ में यह स्मरण पत्र दिया कि यह पत्र जो हमने 23.07.2013 को लिखा है, उसके बारे में जवाब दें।

20.06.2014 को जे.डी.ए. ने इस सम्बन्ध में सूचना दी। 22.08.2014 को जयपुर विकास प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट तक के न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने के लिए यू.डी.एच. ने लिखा। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 9.3.2015 को कलक्टर को इस प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु लिखा। जिला कलक्टर ने इस प्रकरण में राज्य सरकार को अभी 11.3.2015 को जवाब लिखा। और अभी दो दिन पहले, आपके सवाल पर, मैंने कहा कि इतने-इतने समय तक ए.जी. की राय के लिए भटकती रहे फाइल, यह ठीक नहीं है। तो अभी 24.3.2015 को राज्य सरकार ने जयपुर विकास प्राधिकरण से जिला कलक्टर के पत्र के संदर्भ में विभिन्न न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव भिजवाने हेतु और उन सब क्वेरीज का जवाब देने के लिए...।

मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि 15 दिन के अन्दर-अन्दर एडवोकेट जनरल ने जो क्वेरीज मांगी हैं, उन क्वेरीज का जवाब और यू.डी.एच. डिपार्टमेंट जो, और मैं देखता हूं, इस मामले में कुछ और तथ्य जो सामने आये हैं, उन तथ्यों की नजर में निश्चित रूप में 15 दिन में एडवोकेट जनरल को पूरी सामग्री, जो उनको चाहिए, और हमको जो राय चाहिए, दोनों हम भिजवा देंगे। इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

**श्री अध्यक्षः** पूरक प्रश्न। श्री संदीप शर्मा। यह इस सवाल से सम्बन्धित होना चाहिए।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): बिलकुल, साहब, इसी सवाल से सम्बन्धित है, भूमि अवाप्ति और मुआवजे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** नहीं, भूमि अवाप्ति नहीं; सोडाला का होना चाहिए।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नगरीय विकास मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि राज्य में भूमि अवाप्ति के बदले मुआवजा दिये जाने के कितने प्रकरण लम्बित हैं? कोटा में जो नार्दर्न बाई-पास का निर्माण है, उसमें अवाप्त किसानों की भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं विचार किया गया था। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** Not allowed. Not allowed. Kota not allowed. जवाब देने की जरूरत नहीं है।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): जिन प्रिंसिपल्स, मैं और कुछ नहीं, मैं स्पेसिफिक न तो सवाल पूछ रहा हूं, आपके माध्यम से इतना ही जानना चाहते हैं कि नया लैंड एक्विजिशन एक्ट लागू होने के बाद, जहां इस विधान सभा में पारित हुआ, दो साल के बाद में एक्विजिशन प्रोसेस लेप्स हो जाता है। जहां पर पैसा नहीं दिया है और ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप भाषण मत दीजिए, सवाल कीजिए।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): सवाल ही कर रहा हूं। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में अब ये क्या कर लेंगे? एडवोकेट राय कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा?

**श्री अध्यक्ष:** विराजिये। हां, माननीय मानिकजी।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): माननीय मंत्रीजी ने सिविल कोर्ट की डिक्री का जिक्र किया है जो 26.11.1992 को पारित हुई और उसके बाद सिविल, यह जो मुआवजा बढ़ाने के लिए जो गये थे, उस डिक्री का जिक्र किया है और उसके बाद हाईकोर्ट की डिक्री का जिक्र किया है, 14.7.1995 का। मेरा यह निवेदन है कि जिन मामलों को सिविल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने न्यायिक निर्णयों से तय कर दिया है, उन सम्बन्ध में भी कहीं दवे आयोग ने कोई बात कही है, तो आप यह तो ध्यान रख ही रहे होंगे कि वह सिविल कोर्ट का निर्णय प्रिवेल करेगा और सिर्फ आब्जर्वेशन कोई कमीशन का भी है तो वह उस सिविल कोर्ट के निर्णय के ऊपर नहीं रहेगा।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपका कहना बिलकुल सही है। इसीलिए मैंने कहा कि इस पूरे मामले में जो क्वेरीज एडवोकेट जनरल ने मांगी हैं, उनके साथ, और जो रेलेवेंट सवाल हैं, उन सारे सवालों के बारे में जानकारी लेकर उनसे राय मांग लेंगे।

**श्री अध्यक्ष:** विराजिये। अगला सवाल। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

## प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा दी जा रही फर्जी डिग्रियों पर कार्यवाही

**404. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में गत दो वर्षों में विश्वविद्यालयों द्वारा फर्जी डिग्रियां जारी करने के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में फर्जी डिग्रियों की रोकथाम हेतु कोई ठोस उपाय लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के क्रिया-कलापों पर सतत निगरानी हेतु कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उच्च शिक्षा मंत्री** (श्री कालीचरण सराफ): (1) जी हां। एस.ओ.जी. ने जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा फर्जी डिग्रियां बांटे जाने का प्रकरण संख्या 15/2014 दर्ज किया है। जांच जारी है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रकरण की जांच हेतु विभाग के आदेश दिनांक 26.02.2015 के माध्यम से जांच समिति गठित की गई है। एस.ओ.जी. यूनिट जोधपुर एवं विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त आगामी आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। विभागीय जांच समिति गठित करने के आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के नाम से फर्जी अंकतालिका एवं डिग्री जारी करने के प्रकरण में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पुलिस थाना शास्त्री नगर, जोधपुर में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। एफ.आई.आर. की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

कुछ अन्य निजी विश्वविद्यालयों द्वारा फर्जी डिग्रियां जारी किये जाने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय,

(श्री कालीचरण सराफ)

जोधपुर के अलावा सनाराइज विश्वविद्यालय, बगड़, राजपूत (अलवर); श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनूं); सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुन्झुनूं); श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला (झुन्झुनूं), पेसिफिक एकेडमी आफ हायर एजुकेशन एवं रिसर्च विश्वविद्यालय, उदयपुर; भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर; निम्स विश्वविद्यालय, जयपुर; माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही); ओ पी जे एस विश्वविद्यालय, चूरू, इत्यादि हैं। शिकायतों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहे जाने पर सम्बन्धित विश्वविद्यालयों ने फर्जी डिग्रियां जारी करने से इंकार किया है एवं कुछ से प्रत्युत्तर अपेक्षित है।

(2) जी हां। समस्त निजी/राजकीय शिक्षण संस्थाओं, जिनमें विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं, पर नियंत्रण हेतु 'राज्य नियामक आयोग' का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। बिन्दु संख्या-2 के अनुसार।

**(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)**

**श्री अध्यक्ष:** पूरक प्रश्न एक।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि काफी विश्वविद्यालय हैं, जो सरकारी भी हैं और निजी भी हैं, जिनमें फर्जी डिग्रियां दिये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मंत्रीजी ने अपने जवाब के खण्ड संख्या-1 में यह कहा है कि निजी विश्वविद्यालय सनाराइज विश्वविद्यालय, बगड़, राजपूत (अलवर); श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनूं); सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुन्झुनूं); श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला (झुन्झुनूं); पेसेफिक एकेडमी आफ हायर एजुकेशन एवं रिसर्च विश्वविद्यालय, उदयपुर; भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर; निम्स विश्वविद्यालय, जयपुर; माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही); और ओ पी जे एस विश्वविद्यालय, चूरू, इनसे तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी हैं; कुछ ने मना कर दिया कि हमने नहीं जारी की और कुछ का जवाब नहीं आया। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या इन निजी विश्वविद्यालय, जो आपने बताये हैं, इनके केवल जवाब से आप संतुष्ट हो जाएंगे या विभाग अपनी तरफ से कोई जांच समिति बैठाकर जांच कराकर कार्यवाही करने का विचार रखता है?

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अगर रखता है तो इसके लिए अभी तक कोई नियम पर्याप्त हैं, तो वह बताने का कष्ट करें।

**श्री अध्यक्ष:** विराजिये।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): यह जो जवाब उन्होंने दिया है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं और इस प्रकार की जितनी भी शिकायतें आई हैं, उनकी जांच करवाने के लिए मैं एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा करता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** दूसरा पूरक प्रश्न। हो गया, वैसे जवाब आ गया आपका।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): नहीं, एक मिनट। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने घोषणा, आपने जवाब में दिया है कि 'राज्य नियामक आयोग' आप बनाने जा रहे हैं, तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के सदस्यों को उसमें शामिल करते हुए, जिस प्रकार से दल से आते हैं उसके प्रतिनिधित्व के हिसाब से, जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय तीन-एक की जो व्यवस्था देते हैं, उस तरह से, कैसे भी हो, लेकिन उसमें करने का भी विचार रखना चाहिए। मेरा यह व्यक्तिगत सुझाव है। क्या आप रखते हैं?

एक विश्वविद्यालय की सिंडीकेट जो प्रणाली है, वह वास्तव में दोषपूर्ण हो गयी है। उसमें भी कोई सुधार करने का, या उसको पुन: रिव्यू करने का कोई विचार रखते हैं, या नहीं रखते हैं? ये दो बातें और हैं।

**श्री अध्यक्ष:** स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्वायत्ता के नाम पर विश्वविद्यालय, चाहे वे सरकारी विश्वविद्यालय हों और चाहे निजी विश्वविद्यालय हों, वे मनमानी करते हैं। इसीलिए हमने यह तय किया है कि एक 'नियामक आयोग' का गठन किया जाए और 'नियामक आयोग' का गठन करने के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है। 'नियामक आयोग' का विधेयक लगभग बनकर तैयार है, पाइपलाइन में है और मेरा प्रयास है कि इसी सत्र में वह 'नियामक आयोग' का बिल लाकर और उसको पारित करवाया जाए।

**श्री अध्यक्ष:** श्री सुखराम। पूरक प्रश्न एक; पूरक प्रश्न एक।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन है कि जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर की फर्जी डिग्रियों की जांच के लिए प्रोफेसर कैलाश सोढ़ानी, कुलपति महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय; प्रोफेसर जे.पी. सिंघल; और श्रवण साहनी, सोढ़ानी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई पिछली 26.2 को। एक महीने में रिपोर्ट आनी थी, महीना पूरा हो गया, यह महीना भी 31 को निकल जाएगा। माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इसकी मीटिंग की, कमेटी की रिपोर्ट आई या नहीं आई? कितनी डिग्रियां फर्जी राष्ट्रीय जोधपुर यूनिवर्सिटी ने दीं?

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी क्योंकि एस.ओ.जी. की जांच चल रही है, सारा जो रिकार्ड है, वह एस.ओ.जी. के पास लम्बित है। वह जैसे ही आ जाएगा, उसके बाद यह सोढ़ानी कमेटी की कार्यवाही चालू होगी। यह बात सही है कि इस कमेटी का एक महीने का कार्यकाल पूरा हो गया। इसलिए हमने दो महीने और इस कमेटी के कार्यकाल को बढ़ाये जाने के निर्देश दे दिये हैं और आर्डर कर दिये हैं।

**श्री अध्यक्ष**: श्री जोगाराम। पूरक प्रश्न नम्बर-दो।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो जोधपुर का नाम आ रहा है, उससे हम लोग काफी आहत हैं। यह जोधपुर का कोई दोष नहीं है, पर फिर भी जोधपुर का नाम बार-बार आ रहा है।

मैं पहला प्रश्न आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रारम्भ में जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर था। वह कालान्तर में हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ और स्वतन्त्रता सेनानी जयनारायणजी के नाम से हो गया, जो वर्तमान में जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर है। तो यह उससे मिलता-जुलता नाम, विद्यार्थियों को भ्रमित करने वाला नाम किस कार्यकाल के दौरान, किसकी सिफारिश पर स्वीकार किया गया? यानी जोधपुर विश्वविद्यालय के नाम से जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर स्वीकृत कर दिया गया। दोनों ही एक ही मिलते हैं। राष्ट्रीय कोई नहीं पढ़े, तो जोधपुर विश्वविद्यालय ही लगता है। आज भी विद्यार्थी भ्रमित हो रहे हैं कि जोधपुर विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, इसमें जाएंगे तो आराम मिलेगा। इसका परिणाम जो मिला, वह आज सदन के सामने है। इसलिए यह कब, किसने स्वीकार किया? जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम किस कार्यकाल के दौरान स्वीकार हुआ?

(श्री जोगाराम पटेल)

दूसरा, अन्य महाविद्यालयों, साथ में एक ही सवाल है, अन्य महाविद्यालयों में भी ऐसी फर्जी डिग्रियां जारी हो रही हैं; नकलें करवाई जा रही हैं उनकी रोकथाम के लिए भी, माननीय मंत्री महोदय, कोई यथोचित और ठोस परिणाम देने वाली कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): देखिये, आपने जो जोधपुर का नाम लिया, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि श्रीनाथजी देने वाले, श्रीनाथजी लेने वाले। इसलिए जितनी भी गड़बड़िया हुईं, चाहे वे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में हुईं, या जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में हुईं, यह बात सही है। इसीलिए हमने जांच की घोषणा, मैंने अभी दो दिन पहले भी विधान सभा में की थी।

आपने पूछा कि यह विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ? तो जैसा मैंने कहा, जब आदरणीय गहलोत साहब मुख्य मंत्री थे और इनका कार्यकाल था, उस समय 2009 में इस विश्वविद्यालय का नामकरण भी हुआ और इसकी स्थापना भी हुई और उसका बिल भी पास हुआ।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये। तीसरा पूरक प्रश्न। (व्यवधान) नहीं, अब नहीं।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है, इस नाम परिवर्तन से और फर्जी डिग्री से क्या मतलब, क्या लेना-देना है?

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठिये। तीसरा पूरक प्रश्न। नहीं, आप बैठिये, आप कर चुके। तीसरा पूरक प्रश्न। घनश्यामजी ने बटन दबाया। आपने दबाया, या आपने?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मैंने तो नहीं दबाया।

**श्री अध्यक्ष**: हां, तो पूछ लूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मुझे दबा रहे हैं सब लोग। मैंने किसी को नहीं दबाया।

**श्री अध्यक्ष**: श्री घनश्याम। तीसरा पूरक प्रश्न। इसमें घनश्याम आया था, तो मैं चकित हो गया कि कौन है।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें, साहब, घनश्याम मेहर का नाम ही एड कर दो।

(श्री घनश्याम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, प्राइवेट विश्वविद्यालय और सरकारी विश्वविद्यालयों में जो डिग्री देने का काम करते हैं, इसमें एक बीच में दलालों की और गैंग पनप गयी है। वह ऐसे ही काम कराती है। क्या उन पर भी सरकार अंकुश लगाने का काम करेगी?

**श्री अध्यक्षः** माननीय मंत्री महोदय।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब नियामक आयोग का गठन हो जाएगा तो सारी शिकायतों का निस्तारण निश्चित रूप से हो जाएगा। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि ये जो शिकायतें आ रही हैं,...

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): नहीं, यह दलालों ने जगह-जगह आफिस बना रखे हैं, पेपर में एडवर्टाइज कर देते हैं। न उनका कालेज है, न उनका विश्वविद्यालय है और वे विद्यार्थियों को लूटते रहते हैं। शिक्षा का स्तर कम होता जा रहा है राजस्थान में।

**श्री अध्यक्षः** जवाब आ रहा है, विराजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): देखिये, ऐसे वेग में क्वेश्चन पूछना कि कोई शिकायत आएगी; आपके पास यदि कोई स्पेसेफिक प्रकरण है तो उसकी जानकारी मुझे दीजिये, निश्चित रूप से उनकी जांच करवाई जाएगी।

**श्री अध्यक्षः** अगला सवाल। श्रीमती अनीता। (व्यवधान) नहीं, तीन पूरक प्रश्न हो गये। नो-नो। तीन से ज्यादा अलाउ नहीं करता। यह तो व्यवस्था है। आप बैठिये। श्रीमती अनीता। (व्यवधान) नो, बैठिये।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): इससे सम्बन्धित ही है, राजस्थान के सारे युवाओं से सम्बन्धित ही है।

**श्री अध्यक्षः** बिलकुल नहीं। सारे राजस्थान से सम्बन्धित हो गया। (व्यवधान)...

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): मनमाना हो गया। राजस्थान का युवा बैठा है, नेट-स्लेट बैठा है, अयोग्य कर दिया गया। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** भिण्डा साहब, आप बैठिये। आप बैठिये। (व्यवधान)

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): नेट-स्लेट...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप बैठिये। अंकित नहीं हो। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): ×××

**श्री अध्यक्ष:** अंकित नहीं हो। मैं कह रहा हूं, आप बैठिये।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): ×××

**श्री अध्यक्ष:** व्यवस्था मत बिगाड़िये। बैठिये। व्यवस्था मत बिगाड़िये। अगला सवाल, श्रीमती अनीता।

## किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने हेतु तहसीलदार के प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता पर रोक

405. **श्रीमती अनीता** (नगर): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बैंकों के द्वारा काश्तकारों को किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय तहसीलदार का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है? यदि हां, तो उक्त प्रमाण-पत्र किन नियमों के अन्तर्गत मांगा जाता है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अधिकार अभिलेखों के रूप में काश्तकारों से उनकी खातेदारी भूमि की जमाबंदी, नक्शा एवं खसरा गिरदावरी नकलें प्राप्त की जाती हैं? यदि हां, तो उक्त प्रमाण-पत्र लेने का क्या औचित्य है?

(3) क्या यह सही है कि काश्तकारों को उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु हलका पटवारी तहसील कार्यालय एवं बैंक के अनावश्यक बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रमाण-पत्र लेने पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**राज्य मंत्री, सहकारिता** (श्री अजय सिंह): (1) जी नहीं। राज्य में किसानों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत 1.50 लाख रुपये तक के फसली ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि भूमि बिना रहन रखे उपलब्ध करवाये जाते हैं। इस योजनान्तर्गत तहसीलदार से किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र नहीं लिया जाता है।

1.50 लाख रुपये से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कृषक मित्र योजनान्तर्गत कृषि भूमि रहन के आधार पर उपलब्ध

(श्री अजय सिंह)

करवाया जाता है। इस योजनान्तर्गत भूमि मूल्यांकन के प्रमाणीकरण हेतु उप पंजीयक/तहसीललदार से प्रमाणित दरों के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है। योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृति के लिए भारमुक्तता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के स्थान पर ऋणी सदस्य से शपथ-पत्र लिये जाने का प्रावधान है। योजना की प्रति परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रमाण-पत्र राजस्व अधिकारी के रूप में उप पंजीयक/तहसीलदार से भूमि मूल्यांकन की दरों के प्रमाणीकरण हेतु प्राप्त किया जाता है।

(3) जी नहीं। किसानों को कृषि भूमि रहन के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाये जाने के लिए उक्त प्रमाण-पत्र बैंकों के हित में आवश्यक है अतः इसे बंद किया जाना बैंकों के हित में नहीं है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

**श्री अध्यक्ष:** पहला पूरक प्रश्न।

**श्रीमती अनीता** (नगर): अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को लगाने के पीछे मंत्रीजी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती थी कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों से बन रहे हैं, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को परेशान करने का और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इन बैंकों के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपके द्वारा मंत्रीजी से पूछना चाहती थी कि आपने जो जवाब दिया है, उस जवाब में आपने कहा है कि आपको तहसीलदार के भी प्रमाण पत्र की जरूरत है। आपको पटवारी का भी चाहिये, गिरदावरी का भी चाहिये, जमाबंदी, नक्शा, खसरा, ये सारी चीजें आपको चाहिये। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, मंत्री महोदय, जब तहसीलदार के द्वारा आप प्रमाण पत्र जारी कराते हों, तो उस प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए आप पटवारी से लें, तहसीलदार, गिरदावर, सब की रिपोर्ट तहसीलदार के पास नहीं आती हैं क्या? उसके बाद दूसरा यह पूछना चाहती हूं कि जब एक जगह तहसीलदार सारी रिपोर्टों को मंगाता है, उसके बाद जमाबंदी, नक्शा, ये अलग-अलग रिपोर्टस अलग-अलग जगह से लाने में किसान को कितनी परेशानी का अनुभव होता है?

यह कृपया मंत्रीजी मुझे बतायें कि क्या सरकार एक टेबल पर, यह किसान क्रेडिट कार्ड की आपको अनिवार्यता जरूरत है, यह सब एक टेबल पर आप करना चाहते हैं; जो भूमि मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, वह या तो जैसे

(श्रीमती अनीता)

डेढ़ लाख से कम आप पटवारी से करा लेते, और डेढ़ लाख से ज्यादा जो रकम है, क्या वह एक टेबल पर भूमि मूल्यांकन का आप विचार रखते हैं?

**श्री अध्यक्ष:** विराजिये।

**श्री अजय सिंह** (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, इसमें मैंने मेरे जवाब में बता दिया स्पष्ट रूप से कि इसमें दो भाग हैं। सहकारी बैंक, अन्य वाणिज्यिक बैंक और ग्रामीण बैंकों के द्वारा यह किसान क्रेडिट कार्ड का जो ऋण वितरित किया जाता है, केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों के क्रेडिट योजना के तहत सदस्य किसानों को जो डेढ़ लाख रुपये तक का फसली ऋण दिया जाता है, वह शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर हम उपलब्ध करवाते हैं और उसके लिए किसी प्रकार का, ना तो मोर्गेज डीड कराते हैं, ना उससे मुख्य रूप से जमाबंदी भी नहीं ली जाती है। कई बार वहीं पर...(व्यवधान)

**श्रीमती अनीता** (नगर): नहीं, आप पटवारी का तो प्रमाण पत्र लेते हैं।

**श्री अध्यक्ष:** आप दूसरा प्रश्न पूछेंगी। अभी जवाब आने दीजिये।

**श्री अजय सिंह** (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय सदस्या, आप मुझे बतायें कि यदि किसी को आप डेढ़ लाख रुपये का ऋण दे रहे हैं तो कम से कम विभाग को यह तो पता करने का हक है कि वह पता तो करे कि उसके भूमि है कि नहीं है, और भूमि है तो कितनी है भूमि। उस तरीके से, और उसको हम रहन भी नहीं रखते; किसी तरह का मोर्गेज डीड नहीं रखते।

जिस प्रमाण पत्र की आपने जो बात की है, मैंने मेरे उत्तर में बताया है कि भूमि मूल्यांकन का प्रमाणीकरण, इसके डी एल सी लेवल पर अलग-अलग उप पंजीयक हैं, उनके द्वारा भूमि की दरें निर्धारित होती हैं। हम वह भूमि की दरें तहसीलदार से या उप पंजीयक, जो भी पंजीयन कार्य करता है, उससे हम वह प्रमाण पत्र लेते हैं कि फलां भूमि की कीमत क्या है। सिंचित की, असिंचित की, रोड पर है, या रोड से दूर है, वह है। इसके बारे में मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि राज्य में अभी भी 75 प्रतिशत से अधिक किसान क्रेडिट योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण वाणिज्यिक बैंकों और ग्रामीण बैंकों के द्वारा किया जाता है।

मैं विश्वास दिलाता हूं माननीय सदस्या को, माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से कि इसके बारे में प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा और मैंने पहले ही इसके बारे में कमेटी गठित कर दी है। मैं आपको विश्वास

(श्री अजय सिंह)

दिलाता हूं कि जो सहकारिता विभाग के माध्यम से हम यह जीरो प्रतिशत वाला और यह कृषक मित्र योजना के तहत, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके अन्दर प्रक्रिया को सरल किया जाएगा और उसके अन्दर भी निश्चित किया जाएगा कि कौन से दस्तावेज ही लिये जाने चाहिये। इसके अलावा मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि इसके लिए 10 से 15 दिन के बीच में हम प्रयास करेंगे कि 15 दिन के भीतर-भीतर उसका डिस्बर्समेंट, जो भी ऋण वितरण का है, वह हो जाये।

लेकिन माननीय सदस्या जो चाहती हैं, मेरे ख्याल से उनका है कि अन्य बैंकों में जो यह किसान क्रेडिट योजना है, उसमें जो समस्या आ रही है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो, माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इन बैंकों के माध्यम से जो ऋण दिया जा रहा है, वह आयोजना विभाग के, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधीन है, उन्हीं के द्वारा निर्देश प्रदान किये जाते हैं। वह सहकारिता विभाग के अधीन नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा किसी तरह के दिशा-निर्देश इस सम्बन्ध में नहीं दिये जा सकते।

फिर भी चूंकि इसको देखा गया कि बार-बार किसानों को इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि सहकारिता विभाग द्वारा जल्दी से इसके बारे में अलग से परिपत्र और दिशा-निर्देश सरलीकरण करके जारी किये जाएंगे। इसके सम्बन्ध में मैं राज्य के मुख्य सचिव को भी लिखूंगा, परिपत्र के साथ में दिशा-निर्देश भेज कर के, और मैं उनको लिखूंगा कि इसके बारे में एस.एल.बी.सी. हमारी स्टेट लेवल बैंकर्स की एक कमेटी बनी हुई है, उसके सामने इसको रखा जाए। इसका और सरलीकरण करके चीफ सेक्रेटरी सभी जिला कलक्टर को इसके बारे में पाबंद करें कि 10-15 दिन के अन्दर किसी भी तरह से किसान क्रेडिट कार्ड का जो भी पैसा वितरण होना है, वह 15 दिन के भीतर-भीतर हो जाए और क्या-क्या डाक्यूमेंट मंगाने हैं, उनका भी हम हवाला दे दें। इसके बारे में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** दूसरा पूरक प्रश्न।

**श्रीमती अनीता** (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा दिया। मेरा तो एक था कि इसका सरलीकरण किया जाए, उसके लिए आप कमेटी बना रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद।

(श्रीमती अनीता)

मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में एक चीज और लाना चाहती थी, आपने मुझे जो यह परिपत्र दिया है, इसमें 8.4 पर आपने लिखा है, ''रिजर्व बैंक, नाबार्ड, शीर्ष बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा इन शर्तों के अलावा कोई भी शर्त लगाने, सूचना मांगने और कृषक की सम्पत्तियों का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार है।''

यह जो बात है, इसकी वजह से बहुत सारे बैंक मनमानीपूर्ण अपना व्यवहार कर रहे हैं। जैसे तहसीलदार उनको दे रहा है सारी, उसके बाद भी वे बैंकों के पास, उसको कहते हैं कि जितने भी बैंक हैं, जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करें तो मेरे यहां अगर 15 बैंक हैं और एक कोआपरेटिव बैंक उनको देना चाह रहा है तो वह 14 बैंकों की एन.ओ.सी. मांगता है कि जाओ, सब बैंकों में जाओ और एन.ओ.सी. लेकर आओ। जब तहसीलदार आपको लिखकर दे रहा है कि भाई, इसके ऊपर कोई रहन है या नहीं है, तहसीलदार के पास रहता ही है, उसके अलावा भी उसको सब बैंकों के चक्कर कटवाते है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार से जिनकी आवश्यकता नहीं है, ऐसी प्रक्रियाओं को निश्चित रूप से खतम करने के लिए सरकार क्या कहेगी?

दूसरा, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूं कि एक शार्ट टाइम लोन होता है, एस.टी. लोन, जिसकी जो ड्यू डेट होती है वह होती है 31 मार्च और, अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर देखने में यह आया है कि किसान की जो फसल है वो फसल 31 मार्च तक मंडी में जाकर बेच कर उसको उसके पैसे नहीं मिल पाते हैं, उसकी कीमत नहीं मिल पाती है, वह जो कीमत है। उसके लिए 31 मार्च आपकी ड्यू डेट है, तो उस ड्यू डेट को क्या आप आगे बढ़ाने का विचार रखते हैं?

**श्री अध्यक्ष:** विराजिये।

**श्री अजय सिंह** (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, मैंने इसके बारे में आपको स्पष्ट बता दिया है कि हम प्रक्रिया का सरलीकरण करेंगे और जो दूसरे वाणिज्यिक बैंक हैं, उनके लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि इसके बारे में मुख्य सचिव को लिखकर के जो इनकी स्टेट लेवल बैंकर्स की कमेटी है, उसके सामने इसको बताएंगे कि दस से पन्द्रह दिन के बीच में, मेरा मानना है, इसका किसान क्रेडिट कार्ड के पैसे का वितरण किसान को हो जाना चाहिए। जब हम इसकी सीमा 15 दिन कर देंगे तो निश्चित रूप से ये जो प्रमाण पत्र हैं, उससे पहले ही वह...(व्यवधान)

**श्रीमती अनीता** (नगर): मैं कुछ और पूछ रही थी। मैं आपसे यह कह रही थी ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: जवाब आने दीजिए। नहीं, आप बैठिये। आप बैठिये। आप बैठिये।

**श्रीमती अनीता** (नगर): पहले तो मैंने आपसे यह पूछा था कि किसान जब बैंक में ऋण लेने जाता है तो उसकी जो प्रक्रिया है उसके सरलीकरण की, उसके बारे में तो आपने जवाब दे दिया। मैंने कहा, अब जब उसको ऋण मिल गया और मिलने पर जब उसको दुबारा एक साल में क्रेडिट कार्ड भरना है, 31 मार्च तक उसको पैसे भरने हैं, और ज्यादातर यह देखने में आता है कि किसान की जो फसल है वह 31 मार्च तक आती नहीं है, वह मई और जून तक वापस आती है। जब मई और जून तक आती है तो उसके पास पैसा होता नहीं है; वह साहूकार से पैसा ऋण पर लेकर आता है, फिर जमा कराता है और स्टेट और सेन्टर दोनों मिलकर, अध्यक्ष महोदय, सात परसेंट का ब्याज लेते हैं और अगर वह दो महीने भी लेट हुआ तो पूरे साल भर का उससे ऋण का ब्याज ले लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे इतना कहना है कि क्या सरकार यह चाहती है, या तो इसकी ऋण अवधि करके इसको 30 जून की जाए, या फिर आपका जो इसके ब्याज का समय है वह साल भर ना करके, जो अगर दो दिन लेट करता है तो दो दिन का ब्याज लें, दो महीने लेट करता है तो दो महीने का ब्याज लें। क्या सरकार ऐसा विचार रखती है?

**श्री अजय सिंह** (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, मैंने पहले जो आपको उत्तर दिया, वह नो-ड्यूज के बारे में था। आपने कहा था कि नो-ड्यूज हर बैंक से नहीं लिया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान क्रेडिट कार्ड के अन्दर जो उसको राहत मिलती है, वह तीन लाख रुपये के ऊपर है। कई बार ऐसा देखा गया है कि वह दूसरी जगह से, दूसरी बैंक से भी ऋण ले लेता है और वह वहां से भी छूट ले लेता है। इसलिए यह जो नो-ड्यूज का है ...

**श्री अध्यक्ष**: जवाब आने दीजिए।

**श्रीमती अनीता** (नगर): मंत्रीजी, मेरा कहना है कि तहसीलदार के पास उसका रिकार्ड होता है, रिकार्ड के अन्दर लिखा रहेगा कि उसने बैंक से लोन लिया है।

**श्री अध्यक्षः** जवाब आने दीजिए।

**श्री अजय सिंह** (राज्य मंत्री, सहकारिता): इसके बाद में जो आपने पूछा कि इसकी डेट बढ़ा दें, 31 मार्च से जमा कराने को उसको आगे कर दें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय अध्यक्षजी, जब से नई सरकार में मैंने मंत्री पद संभाला है, किसी तरह की, कोई भी इस तरह की मांग कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई है। (व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट बात तो सुनो। बात तो सुनो आप।

**श्रीमती अनीता** (नगर): आज मैं सदन में मांग रखना चाहती हूं, मंत्री महोदय।

**श्री अजय सिंह** (राज्य मंत्री, सहकारिता): मेरी बात तो सुनो तो। (व्यवधान)

**श्रीमती अनीता** (नगर): मंत्री महोदय, पूरे प्रदेश के किसानों की ओर से मैं मांग रखना चाहती हूं।

**श्री अजय सिंह** (राज्य मंत्री, सहकारिता): एक मिनट। लेकिन चूंकि आज यह मुद्दा माननीय सदस्या ने उठाया है, और भी सदस्य यह चाहते हैं, इसका परीक्षण करवा लिया जाएगा और मैं आपको, सदन को आश्वस्त करता हूं कि किसानों के हित में ही इसका निर्णय किया जाएगा।

**श्री अध्यक्षः** पूरक प्रश्न एक। श्री सुरेश धाकड़। (व्यवधान) नो, नो, नो। बैठिये। यह नहीं चलेगा। श्री सुरेश धाकड़, पहला पूरक प्रश्न। (व्यवधान) आप बैठिये। बैठिये।

**श्री सुरेश धाकड़** (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से सीधे और सरल शब्दों में यह चाहता हूं कि किसान कभी अतिवृष्टि से, कभी ओलावृष्टि से, कभी अनावृष्टि से हमेशा तकलीफ में रहता है। मूल विषय यह है कि गेहूं, जौ और अफीम, इन सब के पैसे 31 मार्च तक किसान की जेब में नहीं आ पाते हैं।

**श्री अध्यक्षः** जवाब आ गया।

**श्री सुरेश धाकड़** (बेगूं): इसमें वित्तीय वर्ष में थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर के इसको 30 अप्रैल तक किया जाए, या मई तक किया जाए। उसमें कोआपरेटिव वर्ष में दो महीने की तारीख बढ़ायी जाए ताकि किसानों को हर बार ...(व्यवधान) कुल मिलाकर इसमें परिवर्तन होना चाहिए...

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठिये, कृपया बैठिये। आप सवाल करने दीजिए। उनका सवाल समझ में आने दीजिए। (व्यवधान)

**श्री सुरेश धाकड़** (बेगूं): क्योंकि मूल सब्जेक्ट यही है और इसमें हमारे किसानों को तकलीफ है। अभी भी तकलीफ में हैं। मेरा मंत्री महोदय से यही निवेदन है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: यह क्या है बीच में खड़े होकर? नहीं, भिण्डा साहब, यह आपकी आदत ठीक नहीं है। आप जवाब दो। एक माननीय विधायक सवाल कर रहे हैं, पूरा ठीक ढंग से अपना सवाल कर सकें, उसमें आपको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय।

**श्री अजय सिंह** (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, जो अभी माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि हम जो शार्ट टर्म लोन देते हैं, यह खरीफ का अलग देते हैं, रबी का अलग होता है। लेकिन माननीय सदस्यों की जो भी भावना है, मैंने बता दिया, इसका परीक्षण करवा कर ... (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: तारीख बढ़ाने की घोषणा करो। (व्यवधान)

**श्री अजय सिंह** (राज्य मंत्री, सहकारिता): मेरे को, मेरी बात को सुनो तो सही। मैं कहा रहा हूं, माननीय अध्यक्षजी, यह पैसा, वित्तीय संसाधन जो हमें मिलता है, यह हमें नाबार्ड से मिलते हैं। तो नाबार्ड से भी इसका सलाह-मशविरा करके, इसकी एक कमेटी बनाकर के, जल्दी से जल्दी, मैंने आपको बताया कि किसानों के हित में जो भी निर्णय है वह कर दिया जाएगा।

**श्री अध्यक्ष**: श्री शुभकरण चौधरी। दूसरा पूरक प्रश्न।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, तीसरा अब होगा। आपका नाम बाद में आया है। श्री शुभकरण चौधरी।

**श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मात्र एक बात जानना चाहता हूं। माननीया अनीताजी ने एक बात पूछी थी, पर मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं, किसान एक बार आपके बैंक में जाता है, अपनी जमीन आपके यहां रहन रखता है, म्यूटेशन खुल जाता है, जमाबंदी बैंक के नाम हो जाती है। जमाबंदी के आपके नाम पर रहते हुए, किसान जब दोबारा आपके पास पैसा

(श्री शुभकरण चौधरी)

लेने जाता है तो आपकी बैंक पुन: उससे कहती है कि आप दुबारा इस जमाबंदी को चैक करवाकर लाइये, पुन: एक बार मेरे नाम पर दर्ज कराइये।

मंत्री महोदय, जब एक बार मैंने जमीन आपके गिरवी रख दी और मैं दुबारा पैसा लेने जाता हूं, तो, अध्यक्ष महोदय, वह प्रक्रिया कम से कम आठ से दस हजार रुपये पड़ती है। आर्थिक नुकसान होता है, उसका समय खराब होता है और जमीन आपके पास रखी हुई है। क्या आप इस पर कोई विचार करना चाहेंगे कि जमीन गिरवी रखने के बाद किसान को दुबारा जमीन गिरवी रखवाने का चक्कर ना काटना पड़े और दुबारा उसको पैसा मिल जाए?

**श्री अध्यक्ष:** स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री अजय सिंह** (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, मैंने अभी कहा था कि इस प्रक्रिया का सरलीकरण कर रहे हैं और आपने जो प्रश्न किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसान को वापस नहीं आना पड़ेगा, उसी प्रक्रिया को इस तरह से कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं।

**श्री अध्यक्ष:** श्री हीरालाल नागर। तीसरा पूरक प्रश्न, श्री हीरालाल नागर।

**श्री हीरालाल नागर** (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो सहकारिता के ऋण हैं, जो सभी की भावना है, मंत्री महोदय ने उस पर एक सरलता से विचार करने का आश्वासन दिया है, लेकिन इन सहकारिता ऋणों पर जो अभी ओलावृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है, उसके कारण किसानों के पास अभी कुछ भी नहीं बचा है। क्या सरकार उन किसानों के इस ऋण को मुक्त करने का विचार रखती है? जहां 70 परसेंट से अधिक खराबा हो गया हो, वहां पर उन किसानों की जो भावना है, उनके पास कुछ नहीं बचा है, वहां यह ऋण माफ किया जाए। इसके बारे में भी मंत्रीजी अपना स्पष्टीकरण दें।

**श्री अध्यक्ष:** स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री अजय सिंह** (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि ओलावृष्टि से और इससे जो नुकसान हुआ है उसके बारे में बता दूं। माननीया मुख्य मंत्रीजी घोषणा कर चुकी हैं कि गिरदावरी की और पूरी सर्वे रिपोर्ट, पूरे प्रदेश की जब तस्वीर सामने आएगी उसमें मुख्य मंत्रीजी जो भी निर्देश देंगी, विभाग उसको मानेगा और उसी अनुरूप कार्य करेगा।

**श्री अध्यक्षः** अगला प्रश्न। श्री हबीबुर्रहमान अशरफी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): लाम्बा।

## प्रदेश में अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति

**406. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा प्रदेश में मदरसा बोर्ड एवं निजी स्कूल संचालकों को बैंकों के सहयोग से वर्ष 2013, 2014 तथा 2015 में अल्पसंख्यक वर्ग के कितने छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है? उक्त कितने छात्रों को स्वीकृति के उपरांत भी छात्रवृत्ति नहीं दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**अल्पसंख्यक मामलात मंत्री** (श्री अरुण चतुर्वेदी): सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड एवं निजी स्कूल संचालकों को छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जाती है। अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। शिक्षा विभाग के माध्यम से वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को वितरित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (मदरसों एवं अन्य अध्ययनरत संस्थावार) का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से वितरित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब, स एवं द पर क्रमशः उपलब्ध है।

शिक्षा विभाग के माध्यम से वितरित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित छात्र-छात्राओं का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति, स्वीकृति अनुसार पात्र लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्षः** पहला पूरक प्रश्न।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यही पूछना चाहूंगा कि यह भारत सरकार की तरफ से मिलती है, तो क्या राज्य सरकार की और अल्पसंख्यक मामलात की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमारी जो अल्पसंख्यक कमेटी है विधान सभा की, उसको 6 महीने पहले एक शिकायत मिली कि टोंक जिले में बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। हमने उसकी जांच कराई थी, उसका 4.25 करोड़ का घोटाला माना गया। मैं पढ़कर के सुनाता हूं, 'टोंक जिले में मदरसा बोर्ड, निजी स्कूल संचालकों एवं बैंक के

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

सहयोग से एक बड़े अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले को अंजाम दिया गया है और वर्ष 2013-14 में लगभग 4.25 करोड़ रुपयों की गड़बड़ी होना जानकारी में आया है।' अध्यक्ष महोदय, इसके बाद भी आज 8 महीने हो गये हैं, न तो इन संचालकों के खिलाफ, न स्कूलों के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई है। मैंने 131 भी यहां लगाया था। यह प्रश्न भी इसलिए लगाया है। जो भारत सरकार से पैसे आ रहे हैं, यह तो एक जिले का मामला है, पूरे राजस्थान में कितनी गड़बड़ी होगी? यह टोंक जिले में नहीं, खाली टोंक सिटी में है।

माननीय अध्यक्षजी, मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आइंदा बच्चों को छात्रवृत्ति मिले, इसकी आप क्या व्यवस्था करेंगे। क्या भारत सरकार के पैसे यों ही लुटाये जा रहे हैं?

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्री महोदय।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): मेरा यह भी क्वेश्चन है कि 2014-15 में 30 प्रतिशत कम छात्रवृत्ति मिली है अब की बार राजस्थान में...

**श्री अध्यक्ष:** विराजिये।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): इसके लिए भी, मंत्रीजी, आप बतायें।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर से आने वाले सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसमें छात्रवृत्ति की स्थिति यह है कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति जो पहली से छठी क्लास तक की है, वह शिक्षा विभाग के द्वारा देकर के सीधे-सीधे केन्द्रीय मंत्रालय को जाती है और वहां से डिस्बर्स होती है। इसी प्रकार सातवीं से लेकर के दसवीं तक की छात्रवृत्ति, प्री-मैट्रिक, इसको भी इनके माध्यम से देकर के सीधे-सीधे डिस्बर्स केन्द्र सरकार करती है।

पोस्ट-मैट्रिक और जो मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति है, उसमें भी पहले 2012-13, 2013-14 तक व्यवस्था यह थी कि हमारे पास आती थी, डायरेक्टर, माइनोरिटी अफेयर्स, राजस्थान के पास और माइनोरिटी अफेयर्स उसको वेरिफाई करने के बाद केन्द्र सरकार को भेजता था, केन्द्र सरकार उसके बाद पैसे हमें भेजती और हम नीचे संस्थानों को भेजते थे। अब यह व्यवस्था 2014-15 के बाद समाप्त हो गयी है। अब सीधे-सीधे जितनी भी नई छात्रवृत्ति की एप्लिकेशंस हैं, उनकी एप्लिकेशंस को वेरिफिकेशन के बाद जो डिस्ट्रिक्ट

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

माइनोरिटी आफिसर है, वह सीधे केन्द्र सरकार को भेजता है और वहां से डायरेक्टली पैसा शिक्षा विभाग को जाता है और शिक्षा विभाग उसको डिस्बर्स करता है।

आपने जो घोटाले का बताया है, मुझे जो जानकारी शिक्षा विभाग ने जितनी दी है, उसमें उपलब्ध कराया गया है कि सबको अब तक यह स्कालरशिप दे दी गयी है। 2012-13 में तो कोई बाकी नहीं है। 2013-14 में उदयपुर में 101 नवीनीकरण के मामले और झालावाड़ में 44 और 32 नवीनीकरण के मामले पेंडिंग हैं। वे भी प्रक्रियाधीन हैं। उनमें प्रोसीजर लेप्स की कमियां हैं, उसके कारण से रहा है। यह कुल अब तक की जानकारी मुझे दी गयी है।

जिस घोटाले की जानकारी अल्पसंख्यक समिति के द्वारा माननीय सदस्य ने दी है, मैं उसके बारे में एक इन्क्वायरी कंडक्ट करने की घोषणा करता हूं, इन्क्वायरी पूरी कराऊंगा और जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे, उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे।

**श्री अध्यक्ष:** दूसरा पूरक प्रश्न।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जब भारत सरकार के पैसे हैं, तो क्या हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वह इसकी निगरानी नहीं रख सकती? यहां के एजुकेशन सेक्रेटरी ने हमें लैटर लिख दिया कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह क्या बात हुई? सभी पैसा तो भारत सरकार से आता है।

इस घोटाले के लिए आप क्या करोगे? पहले तो यह बताओ। बाद में दूसरा क्वेश्चन।

**श्री अध्यक्ष:** देखो, हो गया दूसरा पूरक प्रश्न आपका।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): अध्यक्ष महोदय, ये तो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** पूछ लीजिये आप। (व्यवधान) दूसरा पूरक प्रश्न है। इसका जवाब आ जाये, फिर।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): दूसरा क्वेश्चन क्या, यही तो मेरा क्वेश्चन है, बच्चों को छात्रवृत्ति मिल नहीं रही है। यह घोटाले वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

**श्री अध्यक्ष**: इसका जवाब आ जायेगा। (व्यवधान)

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): क्या स्कूलों की मान्यता समाप्त करेंगे?

**श्री अध्यक्ष**: विराजो आप। विराजो आप। इसका जवाब आ रहा है, आप बैठिये।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): जवाब नहीं आया है।

**श्री अध्यक्ष**: वे दे रहे हैं जवाब।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): दूसरा सवाल बाद में करूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, दो हो चुके हैं आपके।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): दूसरा सवाल कर लेता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: दो हो चुके हैं।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं है। मैं तो पूछ ही रहा हूं पहले का ही ...(व्यवधान)

दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो हमारे दारूल उलूम चल रहे हैं, जिनमें डिग्री भी मिलती है, क्या उनमें आप छात्रवृत्ति देना चाहेंगे बच्चों को?

**श्री अध्यक्ष**: अब बैठिये।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि हम केवल नोडल एजेंसी हैं...

**श्री रमेश** (सपोटरा): पैसा नहीं दिया।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह पूरा का पूरा पैसा, जो मैं बात कर रहा हूं, वह कांग्रेस के समय का है। सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य महोदय, मैं 2012-13, 2013-14 की बात कर रहा हूं, आपके समय की। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं।

इसका पूरा का पूरा शिक्षा विभाग के द्वारा ही डिस्बर्समेंट होता है, वही एजेंसी है; केन्द्र सरकार के द्वारा पैसा आता है। फिर भी जिस विषय की जानकारी दी है, हालांकि शिक्षा विभाग के आफिसर्स ही इसमें इन्वाल्व्ड हैं, उनके माध्यम से ही होता है। जो भी एप्लिकेशंस डाउनलोड होती हैं, उनकी हार्ड कापी हमारे पास आती है, उनके वेरिफिकेशन के बाद हम केन्द्र सरकार को

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

भेजते हैं। नवीनीकरण के मामले हमारे डायरेक्टरेट के माध्यम से जाते हैं। फिर भी जिस टोंक के घोटाले की जानकारी माननीय सदस्य ने दी है, हम उसकी विस्तृत जांच करा लेंगे।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): विधान सभा में भी आ गया, अध्यक्ष महोदय, 131 के माध्यम से।

**श्री अध्यक्ष**: बैठिये। आप बैठिये। जवाब आने दीजिये आप।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): मैंने कहा, घोटाला तो हुआ ही यह।

**श्री अध्यक्ष**: जवाब आने दीजिये न।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं मान रहा हूं उसको। इसकी विस्तृत जांच कराने की घोषणा करता हूं। जो भी जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: श्री तरुण राय कागा। पहला पूरक प्रश्न।

**श्री तरुण राय कागा** (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा चौहटन विधान सभा क्षेत्र भी इस अकल्लीयत मामलात से वाबस्ता है। वहां भी इस अकल्लीयत में हमारा फंड भी अलाट हुआ है। वहां हमारे मुस्लिम समाज के साथ-साथ जैन समाज भी अकल्लीयत में घोषित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहां अभी एक पी एच सी और आई टी आई का अल्पसंख्यक मामलात के हिसाब से फंड स्वीकृत हुआ है, उसमें इस समाज की भी क्या भागीदारी होगी? जिला लेवल पर जो आपने कहा, जिस तरह से कमेटी बन रही है, उसकी निगरानी के लिए क्या-क्या व्यवस्था है? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: स्थान ग्रहण कीजिये आप। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जैन समाज के विषय में कहा है, जब से उनकी अधिसूचना जारी करके अल्पसंख्यक में शामिल किया है; उसके बाद से जितनी भी स्कालरशिप आयेगी, उसमें उनका भी कोटा तय कर दिया जायेगा; उस कोटे के हिसाब से जितना उनके लिए नियत है, उतना दिया जायेगा। वैसे पुरानी परम्परा यह रही है कि इसमें कोटा तय होता है लेकिन

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

जितनी भी एप्लिकेशंस आई हैं, उनको हम केन्द्र सरकार को भेजते हैं और केन्द्र सरकार उन सबको अब तक डिस्बर्स करती रही है। जैन समाज का भी कोटा उसमें तय कर दिया गया है।

**श्री अध्यक्षः** विराजिये। विराजिये। यह धीरज गुर्जर का बटन किसने दबाया? वे दिख तो रहे नहीं हैं। धीरज गुर्जर हैं क्या?

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): नहीं हैं।

**श्री अध्यक्षः** तो बटन किसने दबाया? यहां नाम आया है।

श्री सुखराम। दूसरा पूरक प्रश्न।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जितने भी जिले हैं, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मेरे जिले जालौर एवं सिरोही में 2013 में मदरसों में अध्ययनरत छात्रों को जालौर में 286 मिलीं और उसके बाद में जैसे ही बी जे पी की सरकार आई, 2014 में 138 मिलीं और उसके बाद में 137 मिलीं। मतलब, अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या घटती गई। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि छात्रवृत्ति कम छात्रों को देना, आपकी जो विचारधारा है यह उससे प्रेरित है।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): पहली बात तो मेरी विचारधारा को समझने में तो माननीय सदस्य को बहुत समय लगेगा। उस विचारधारा को समझ जाएंगे तो शायद यह प्रश्न ही आपका समाप्त हो जाएगा।

मैंने कहा, हम तो सब समाज की बात लेकर के चले हैं। उस विषय को तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आनलाइन एप्लिकेशंस जाती हैं। उसमें सरकार का और किसी का कोई इंटरफीयरेंस नहीं है, और विचारधारा तो बीच में बिलकुल ही नहीं आती है। जिसने भी स्कालरशिप की एप्लिकेशन को आनलाइन एप्लाई किया है, उसको स्कालरशिप देने की व्यवस्था है। केन्द्र सरकार के द्वारा ही पूरा दिया जाता है। इसको शिक्षा विभाग डील करता है। हम केवल नोडल एजेंसी के नाते इनका हिसाब रखने का काम करते हैं।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): आपके अंडर में रखो इसको ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(श्री अध्यक्ष)

(12.00 बजे)

## बधाई एवं आभार

### अटल बिहारी वाजपेयी, श्री, व महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत-रत्न से सम्मानित किये जाने पर बधाई

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आज पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से विभूषित किया जा रहा है। ग्वालियर के एक साधारण परिवार में जन्मे असाधारण व्यक्तित्व के धनी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय राजनीति का वह दैदीप्यमान नक्षत्र है जिसकी स्मृति से जुड़ी अनेक स्मृतियां भारतीय जनमानस के स्मृति-पटल पर झिलमिलाती रहती हैं।

वाजपेयीजी के कवि हृदय, चिन्तन और दूरदृष्टि के सभी कायल रहे हैं। आप जहां भारतीय संसद के गौरव हैं, वहीं राजनीति की आस्था और निष्ठा के अद्वितीय उदाहरण हैं। आप भारतीय संसदीय लोकतंत्र के एक ऐसे पुरोधा हैं जिन पर सम्पूर्ण भारत गर्व करता है। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व की लोक सभा और राज्य सभा में ही नहीं, अपितु राज्य विधान मण्डलों में भी चर्चा होती है। आप चाहे सत्ता पक्ष में रहे हों अथवा विपक्ष में आपके प्रति प्रतिपक्षी सदस्यों के मन में असीम सम्मान और श्रद्धा ही दृष्टिगत हुई है। अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर भी आपने संसदीय शिष्टमण्डलों का नेतृत्व करते हुए भारतीय राजनीति की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है।

साथ ही यह भी सूचित करना है कि महान् शिक्षाविद् पंडित मदन मोहन मालवीय को भी उनकी 153वीं जयन्ती के अवसर पर भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। दिसम्बर, 1861 में इलाहाबाद में जन्मे पंडित मदन मोहन मालवीय पहले व्यक्ति थे जिन्हें महामना की उपाधि से विभूषित किया गया। आपने शिक्षा, पत्रकारिता, वकालत के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। राष्ट्र नेता मालवीयजी के बारे में पंडित नेहरू ने लिखा था, 'अपने नेतृत्व काल में हिन्दू महासभा को राजनीतिक प्रक्रियावादिता से मुक्त रखा और अनेक बार धर्मों के सह-अस्तित्व में अपनी आस्था को अभिव्यक्त किया।'

(श्री अध्यक्ष)

भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे महामना मालवीय ने विचारोत्तेजक भाषणों के लिए भारतीय राजनीति में विशेष स्थान बनाया। यहां एनी बेसेंट का कथन भी प्रासंगिक होगा जिसमें उन्होंने कहा था, 'मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि विभिन्न मतों के बीच, केवल मालवीयजी भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हुए हैं।'

मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्री अटल बिहारीजी वाजपेयी को बधाई देता हूं तथा महामना मदन मोहन मालवीय को इस सम्मान के लिए नमन करता हूं।

मेरा ऐसा ख्याल है, आप सब इससे सहमत होंगे।

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्या की ओर से तहसील बहरोड़ के बहरोड रून्ध में बसाये गये वन क्षेत्र के विस्थापितों को कृषि कनेक्शन अभी तक नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

(2) श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की ग्राम पंचायत सेवर पाली एवं उससे जुड़े गांवों का विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में; एवं

(3) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम के तहत नर्स ग्रेड द्वितीय के 15,773, पब्लिक हैल्थ नर्स के 200, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 12,278 पदों पर नियुक्ति हेतु जारी प्रोविजनल सूची में भर्ती से शेष रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती शकुन्तला रावत, श्री गिर्राज सिंह एवं श्री मनोज कुमार को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

## नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से किशनगढ़-जयपुर मार्ग स्थित बांदरसिंदरी गांव के मुख्य चौराहे पर नवीन ओवरब्रिज का निर्माण कराने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(2) श्री नाना लाल अहारी, सदस्य की ओर से ऋषभदेव उपखण्ड क्षेत्र के भूधर, ऋषभदेव एवं विलख में छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में।

(3) श्री नवनीत लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव कोहला व गांव इसरवाला के बीच चाप नदी पर पुल का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री शंकरसिंह, सदस्य की ओर से शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सेवक से कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गई रिव्यू डी पी सी 1990-91 तथा 1992-93 के आदेश जारी करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री गोतम कुमार, सदस्य की ओर से पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की सभी सुविधाएं सम्बन्धित थाने पर उपलब्ध करवाने एवं 200 रुपये पोस्टल आर्डर की अनिवार्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से बीकानेर के उपनिवेशन विभाग में योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों का पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(7) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से बार्डर विंग होमगार्डस (अर्द्ध सैनिक बल) की मांगों व व्यथाओं के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती सुशील कंवर, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र मसूदा के मगरा क्षेत्रवासियों की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(9) डा. मंजू बाघमार, सदस्या की ओर से राज्य में यू जी सी अधिनियम एवं निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा एवं खेल व्याख्याता के पदों पर भर्ती करने के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती सोनादेवी, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में आवारा पशुओं की समस्या का निराकरण करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से निम्स यूनिवर्सिटी, जयपुर में घटित हुई शर्मनाक घटनाओं के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी की ग्राम पंचायत महादेवपुरा में विधायक कोष से निर्मित सी सी सड़क निर्माण में बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 27 मार्च, 2015 को शून्यकाल में बोलने हेतु 56 पर्चियां प्राप्त हुई जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गईं जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्री रामचन्द्र, कोचिंग सेंटरों द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में;

(2) श्री राजेन्द्र सिंह भादू, सूरतगढ़ राजस्व तहसील के राजस्व सम्बन्धी मामलों के निस्तारण के सम्बन्ध में;

(3) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, कोटा के रामगंजमण्डी में सड़कों की दुर्दशा के सम्बन्ध में; एवं

(4) श्री विश्वनाथ, विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की तहसील छत्तरगढ़ में स्वीकृत 132 केवी जी एस एस चालू नहीं होने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

श्रीमती शकुन्तला रावत। ...(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं, आप विराजिये। ...(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता को मैंने अनुमति दी है।

## सूचना

### खेतड़ी में दिनदहाड़े डकैती व हत्या

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में दिन-दहाड़े साढ़े तीन बजे दिन में एक सुनार की दुकान में डाकुओं के द्वारा घुसा गया और उनकी गला रेत कर हत्या की गई।

**श्री अध्यक्ष**: आप विराजिये।

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): हत्या करके उनका माल लूट लिया गया। साढ़े पांच सौ ग्राम सोना, डेढ़ किलो चांदी...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये। आप विराजिये। मैंने इनको परमिशन दी है। आप गृह मंत्रीजी से मिल लीजिए।

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): ...(व्यवधान) यह रोड पर है और पुलिस अभी तक वहां पहुंच नहीं पाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी मैंने माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन किया था।

**श्री अध्यक्ष**: यह ठीक नहीं है। मैं गृह मंत्रीजी से कहूंगा, आपकी बात सुनें। आप विराजिये।

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था ठीक नहीं है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि वह खेतड़ी की जनता जो रोडों पर बैठी है, पुलिस वहां पर पहुंच कर उसे उठाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप विराजिये। यह तरीका नहीं है। आप विराजिये।

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): खेतड़ी की जनता के हालात खराब हो रहे हैं। हरियाणा की सीमा पर लगता हुआ बार्डर पर यह ग्राम है, कानून-व्यवस्था बिगड़ी हुई है वहां। मैं कहूंगा, सरकार वहां मदद पहुंचाए।

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं हो। यह ठीक नहीं है।

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): ×××

**श्री अध्यक्ष**: आप गुलाबजी से मिल लीजिए, गृह मंत्रीजी से। विराजिये।

प्रतिपक्ष के नेता।

## तकनीकी विश्वविद्यालय की मांग को लेकर बीकानेर बंद

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर आज बन्द है तकनीकी विश्वविद्यालय को लेकर। माननीय राठौड़ साहब भी सरकार-आपके-द्वार थी उस कार्यक्रम में आप थे, कालीचरण सराफ मंत्रीजी भी थे। बीकानेर में सितम्बर, 2013 में जब हमारी सरकार थी, उस समय एक अध्यादेश के जरिये बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की शुरुआत की और उसमें कुलपति लगा दिये गये, आपका स्टाफ लगा दिया गया। तकनीकी विश्वविद्यालय चालू होने के बाद 4 जुलाई, 2014 को सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया, तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से, सचिव की तरफ से, कि यह तकनीकी

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

विश्वविद्यालय अस्तित्व में नहीं है। कुलपति का पद हटा दिया गया और गाड़ी उनको जो दी गई थी, वह मोटर गैराज में जमा करवाने के लिए आदेश दे दिये। उस वक्त में भी, 4 जुलाई, 2014 को भी बीकानेर बन्द रहा था। यह पूरे सम्भाग का मामला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और आज भी बीकानेर बन्द है। तो मैं यह आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि राठौड़ साहब खुद बीकानेर में बोलकर आये थे कि आपके तकनीकी विश्वविद्यालय से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी;

आपका चल रहा है, इसको बहुत ही अच्छा स्वरूप देने का हम काम करेंगे। सराफ साहब भी वहां थे, उन्होंने कहा कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, तकनीकी विश्वविद्यालय चालू है; उसको परिपूर्ण करके अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये। विराजिये।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): अब मैं यह चाहूंगा कि आज सरकार की तरफ से वक्तव्य आए। क्योंकि बहुत गम्भीर मामला है, बीकानेर पूरा बंद है...

**श्री अध्यक्ष**: आपने ध्यान खींच लिया। माननीय प्रद्युम्न सिंहजी।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): चूंकि शिक्षा मंत्रीजी यहां नहीं हैं..

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): मैं यहीं हूं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आ गये आप, बड़ी कृपा की आपने, उच्च शिक्षा के उच्च मंत्री।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है। मेरे पास भी दो-तीन टेलीफोन बीकानेर से आये। आज पूरा बीकानेर शहर बंद है टेक्निकल विश्वविद्यालय बंद करने के विरोध में। जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, उच्च शिक्षा मंत्रीजी बीकानेर में कहकर आये कि यह विश्वविद्यालय बंद नहीं होगा। बजट का एलोकेशन हो गया, जमीन उनको अलाट कर दी गयी। यह उग्र रूप धारण करने वाला है। इसको आप गम्भीरता से लें। (व्यवधान) कृपया बात न करें, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इसको गम्भीरता से लें वरना इसके परिणाम, जनता सड़कों पर उतर आयी है, ला एण्ड आर्डर बिगड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मेरा तो आपसे निवेदन है, इस मामले के ऊपर सरकार की तरफ से एक वक्तव्य आ जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आप सरकार को डाइरेक्शन देने की कृपा करें।

**श्री अध्यक्ष**: स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, यह हमारे पूरे बीकानेर सम्भाग की समस्या है, पूरा सम्भाग इससे पीड़ित हो रखा है और सम्भाग के सभी छात्र, जो तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन सभी का एक साथ उग्र आंदोलन होने जा रहा है।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये। आ गई। आप वही रिपीट कर रहे हैं। रिपीट नहीं।

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): बीकानेर पूर्णत: बंद है। इसलिए हम चाह रहे हैं, शिक्षा मंत्री महोदय इसका जवाब दें और इसकी व्यवस्था करें।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती शकुन्तला रावत। आप बैठिये। नहीं।

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठिये। नहीं। यह वही बात है। ध्यान में आ गया।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): उच्च शिक्षा मंत्रीजी, एक मिनट। आपने इसी सदन में फरमाया था कि इसके लिए कैबिनेट सब-कमेटी बनी हुई है। मेरा निवेदन है कि जब लोग सड़कों पर ही आ गये हैं तो आप कृपा करके कैबिनेट सब-कमेटी की मीटिंग आज ही फरमाकर इस पर विवेकसंगत, गुणात्मक फैसला करने की कृपा करें। मैंने आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित भी किया था कि आपके पिछले बजट में बजट प्रावधान था। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट प्रावधान तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए दो करोड़ से ऊपर का किया हुआ था, इसके बावजूद किसी भी परिस्थिति से आप न खोल पाये, पर अब आप मेरिट के आधार पर, कैबिनेट सब-कमेटी की मीटिंग बुलाकर इस पर निर्णय करने की कृपा करें।

**श्री अध्यक्ष**: स्थान ग्रहण करें। हां, विश्वनाथजी, आप भी बोल लीजिए, आपका भी बीकानेर से सम्बन्धित है।

**श्री विश्वनाथ** (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, कई बार यह मामला विधान सभा में हमने उठाया। पिछली सरकार ने बिना वित्तीय प्रबंधन के इसको चालू तो कर दिया था, लेकिन अब जिस तरीके से बीकानेर सम्भागीय

(श्री विश्वनाथ)
समस्या बहुत गम्भीर रूप ले रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस पर थोड़ा गम्भीरता से विचार करें।

**श्री अध्यक्षः** विराजिये, विषय आ गया। आप भी इस विषय पर दो लाइन बोल दीजिए, एसोसिएट कर लीजिए। और क्या है?

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत): बीकानेर के सारे कालेज पिछले चार दिनों से बंद हैं। बीकानेर सम्भाग के 10 जिलों को इस तकनीकी विश्वविद्यालय के बनने से फायदा होगा।

**श्री अध्यक्षः** आपका विषय आ गया।

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत): कोटा के विश्वविद्यालय में 250 कालेज आते हैं। बीकानेर के लोगों को जाने में बड़ी परेशानी होती है।

**श्री अध्यक्षः** आप बैठो। आप बैठो। ध्यान खींच लिया, बैठिए।

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत): कृपा करके आप गौर फरमाएं। बीकानेर के आम आदमी की समस्या है। राठौड़ साहब खुद बीकानेर से आते हैं।

**श्री अध्यक्षः** आप बैठो। बैठिये। प्रतिपक्ष के नेता ने कह दिया।

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत): मैं आपके माध्यम से इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह तकनीकी विश्वविद्यालय करें।

**श्री अध्यक्षः** माननीय शिक्षा मंत्रीजी। एसोशिएट कर लेना चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता ने बहुत...(व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): अभी बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय को बंद करने का कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। यह अभी कैबिनेट सब-कमेटी के सामने विचाराधीन है। विचार करके गुण-दोष के आधार पर इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा।

**श्री अध्यक्षः** श्रीमती शकुन्तला रावत।

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): समय तो बताओ, कब तक लिया जाएगा? बंद करने का निर्णय लिया है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): यह आदेश वहां पहुंच गया है। यह आदेश किसने निकाला फिर? एक तरफ तो आप कह रहे हैं, निर्णय नहीं हुआ है। यह आदेश किसने निकाला? उस अधिकारी के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे क्या?

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): बंद तो हो ही रखा है। आप समय निर्धारित करें। आप कह रहे हैं, बंद नहीं किया, बंद नहीं किया, तो कैसे बंद करेंगे? कुलपति को वहां से हटा दिया, उसकी गाड़ी मोटर गैराज में खड़ी कर दी। आप कैसे बंद करेंगे?

**श्री अध्यक्ष:** बैठिए। आप भी बैठिए, भंवर सिंहजी। आपके वरिष्ठ सदस्य उठा रहे हैं इस विषय को।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है क्योंकि वह अध्यादेश के जरिये विश्वविद्यालय खुला था, विधेयक विधान सभा में नहीं आया, क्योंकि अभी समीक्षाधीन है। इसलिए वह अध्यादेश लैप्स हो गया, इसलिए बंद हो गया। इसलिए अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

**श्री भंवरलाल** (सरदारशहर): कैबिनेट सब-कमेटी में ले आइये। कौन रोकता है आपको? पास कर देंगे हम।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): कैबिनेट सब-कमेटी के सामने मामला विचाराधीन है, वहां विचार करने के बाद जो निर्णय होगा, उससे आपको अवगत करा देंगे।

**श्री अध्यक्ष:** शकुन्तला रावत। शकुन्तला रावत, तीन मिनट के लिए बोलिए। भंवर सिंहजी, बैठ जाइये। शकुन्तला रावत।

# स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

## बहरोड़ के रूंध में बसाये गये वन क्षेत्र के विस्थापितों को विद्युत कनेक्शन में विलम्ब

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव बिजली कनेक्शन करवाने बाबत है। जो वन क्षेत्र से विस्थापित किये गये थे बहरोड़ जोन में, उन लोगों को आज तक बिजली का थ्री फेज का कनेक्शन नहीं दिया गया है, जबकि उनकी शर्तों में यह था कि उनको मूलभूत आवश्यकताएं हम उपलब्ध कराएंगे। उनके बार-बार रिक्वेस्ट करने पर भी, क्योंकि बहरोड़ डार्क जोन में आता है, लेकिन जब नियमों के तहत उनको विस्थापित किया गया था तो ये शर्तें रखी थीं कि उनको कनेक्शन दिया जाएगा, हर कंडिशन में उन्हें सारी सुविधाएं अवेलेबल करायी जाएंगी, लेकिन आज तक नहीं किया गया है। पिछली बार भी मैंने यह

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

उठाया, कि दो-दो, तीन-तीन, चार-चार का ग्रुप बनाकर हम बिजली का कनेक्शन देने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज तक उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है।

मैं सदन के माध्यम से आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगी कि उन्हें किसी भी तरीके से नियम बनाकर कृषि कनेक्शन दिया जाए क्योंकि आज भी वे मजदूरी करने पर मजबूर हैं। उन्हें मजदूरी नहीं करनी पड़े और कृषि उनको मिली हुई है तो वे अपनी खेती करके फसल कर सकें, मेरा सदन के माध्यम से यह अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं यह कहना चाहूंगी कि आपने आज पूर्व प्रधान मंत्री सम्माननीय अटल बिहारीजी के जन्म दिन पर बधाई दी, सबने मेजें थपथपाकर बधाई दी, लेकिन उसके साथ-साथ मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो भी सरकार के प्रतिनिधि हैं, मंत्रीजी हैं, वे उनकी जीवनशैली से, उनकी कार्यशैली से प्रेरणा लें जिससे इस प्रदेश का विकास हो सके, भला हो सके। यही मेरा आपसे अनुरोध है।

अभी मेरा एक मिनट बाकी है। मैं आपकी मार्फत यह कहना चाहूंगी, यातायात टैक्सी के लिए, कार चालकों पर 15 वर्ष का एकमुश्त टैक्स जमा कराने का जो नियम बनाया है, कृपा करके, वे टैक्सी वाले ड्राइवर एक साथ इतना नहीं जमा करा सकेंगे, 15 वर्ष का।

**श्री अध्यक्ष:** विराजिए।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): उसमें उसको क्वार्टरली टैक्स में जमा करने का करें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** विराजिए। श्री भंवर लाल शर्मा। आप एसोशिएट कर रहे हैं शायद। नहीं बोल रहे।

श्री गिर्राज सिंह मलिंगा।

**श्री अध्यक्ष:** अच्छा, मंत्री जवाब दे रहे हैं। शकुन्तलाजी का जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी। उसके बाद मलिंगाजी।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, बहरोड़ से आने वाली माननीय सदस्या ने जो बात उठायी है कि वन क्षेत्र से विस्थापित जितने भी लोग हैं, जो सरिस्का या रणथम्भौर वन क्षेत्र से विस्थापित थे, उन विस्थापितों को प्राथमिकता से सरकार ने 2.4.2008 को, हमारी जो सरकार थी, उस समय एक फैसला किया कि प्राथमिकता से उनको कनेक्शन दिया जाएगा।

**श्री अध्यक्ष**: वरिष्ठ सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): इसमें राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्य या संरक्षित क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र बसाये गये कृषकों को प्रति परिवार कृषि विद्युत कनेक्शन तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत पत्र के आधार पर यह सुविधा दी जाएगी। 2.4.2008 को हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उन्होंने ये आदेश निकाले। इनके आवेदन 2008 में आये थे। जिस दिन इनके आवेदन आये और जो मांग-पत्र जारी हुआ, उससे पहले इनकी फाइल इसलिए निरस्त हो गई कि उन विस्थापितों के वहां न तो कोई कुआं था, न कोई ट्यूबवेल था। फिर 2011 में इसकी पत्रावलियां खारिज हुई। 3.1.2014 को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा इनको कनेक्शन देने की सिफारिश वापस की गयी।

मैं माननीय सदस्या को विश्वास दिलाता हूं कि आज जितने भी ये कनेक्शन हैं, क्योंकि जो कनेक्शन की फाइलें थीं, जिस दिन उन्होंने फाइल एप्लाई की थी, उस दिन उन आवेदकों का वहां न तो कुआं था, न वहां कोई ट्यूबवेल था और जब हम फाइल लगाते हैं, कृषि कनेक्शन के लिए हम एप्लाई करते हैं तो वहां कुआं या ट्यूबवेल होना आवश्यक है। इसलिए यह पत्रावली 2011 में निरस्त हो गई थी। पर मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, क्योंकि सरकार ने ये आदेश दिए हैं 2.4.2008 को कि ऐसे विस्थापितों को जो सरिस्का या रणथम्भौर में वन क्षेत्र से विस्थापित हैं, उनको प्राथमिकता से कनेक्शन दिया जाए, निश्चित रूप से आप वापस इन एप्लिकेशन को लगाएं तो इनको तुरन्त प्रभाव से कनेक्शन दिलाऊंगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): फाइलें लगाई हुई हैं, अध्यक्ष महोदय, पर वह डार्क जोन है, परेशानी है। इसलिए इसके निर्देश तो दें।

**श्री अध्यक्ष**: श्री मलिंगा। हो जाएगा। विशेष जानकारी देनी हो तो आप मंत्रीजी से मिल लीजिए। श्री मलिंगा।

## बाड़ी की ग्राम पंचायत सेवर पाली व जुड़े गांवों का विद्युतीकरण

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में एक ग्राम पंचायत ऐसी भी है जिसमें आज तक भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। आजादी के 67 वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बिजली

(श्री गिर्राज सिंह)

नहीं पहुंचना बड़ी शर्म की बात है। आज कहीं अगर एक घंटे बिजली चली जाती है तो, अध्यक्ष महोदय, हाहाकार मच जाता है; कोई जे.ईएन. के कार्यालय में फोन लगाता है, कोई ए.ईएन. के कार्यालय में फोन लगाएगा या कोई एस.ई. के कार्यालय में फोन लगाएगा, परन्तु ग्राम पंचायत सेवर पाली के निवासियों को बिजली आज तक नसीब नहीं हुई है। एक ओर सरकार गांव-गांव एवं ढाणी -ढाणी में विद्युतीकरण कराने की घोषणा कर रही है, वहीं ग्राम पंचायत सेवर में आज तक बिजली नहीं पहुंच सकी है। अतः मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत मुख्यालय सेवर एवं इससे जुड़े हुए गांवों को लम्बित बिजली पहुंचाकर यहां की वंचित जनता को मुख्य धारा में लाने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत सेवर पाली जो मेरे स्वयं का गांव है, मैंने पिछली सरकार में भी काफी प्रयास किये, पर कोई न कोई अड़चन आ जाती; कोई कुछ भी कह देता, कोई कुछ भी कह देता। अध्यक्ष महोदय, अभी जब भरतपुर सम्भाग में सरकार-आपके-द्वार आई तो हमारे माननीय मंत्रीजी चतुर्वेदी जी भी उस गांव में गये और देखकर आये चम्बल से बिलकुल सटा हुआ गांव है; उसके एक तरफ एम.पी. लगा हुआ है, एक तरफ राजस्थान लगा हुआ है, अध्यक्ष महोदय।

मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस गांव में आप बिजली पहुंचाएं और आज ही मंत्रीजी घोषणा करें कि मैं कितने पीरियड तक उस गांव में बिजली पहुंचा दूंगा।

**श्री अध्यक्ष:** स्थान ग्रहण करें।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं आधी मिनट और लूंगा आपकी।

**श्री अध्यक्ष:** अच्छा, आधी मिनट और।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार ने 33 के.वी. जी.एस.एस. सैंक्शन किये। अध्यक्ष महोदय, कहीं 40 किलोमीटर, कहीं 50 किलोमीटर दूरी से हमारे यहां पर लाइट आती है। 132 के.वी. की बाड़ी और सैफऊ में बहुत पुरानी मांग है। मेरे यहां पर बाउंडरी वाल भी हो गई, जमीन भी सरकार ने एक्वायर कर ली। तो मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़ी और सैफऊ मुख्यालय पर आप 132 के.वी. की

(श्री गिर्राज सिंह)

व्यवस्था करें, वहां पर 132 के.वी. जी.एस.एस. लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां कुछ ग्रामीण एरिया ज्यादा लगता है।

**श्री अध्यक्षः** अब स्थान ग्रहण कीजिए और कोई विशेष जानकारी है, वह मंत्रीजी को दे देना।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां 4-5 जी.एस.एस. हैं। मंत्री महोदय, एक तो टोटरी ग्राम पंचायत..... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** देखिये, माननीय मलिंगाजी, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): एक सेकण्ड, महोदय। घड़ीसुका, दौनारी, ये पांच जी.एस.एस. ऐसे हैं, मंत्री महोदय, इन पर आप तत्काल प्रभाव से काम कराएं ताकि वहां के किसानों को राहत मिले। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि घोषणा करें।

**श्री अध्यक्षः** श्री मनोज कुमार। आप रेस्पोंड कर रहे हैं?

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात उठाई कि आपके ग्राम पंचायत सेवर में, अभी तक यह गांव विद्युतीकृत नहीं हुआ है। माननीय सदस्य ने पूर्व की सरकार में, यह गांव अभी तक विद्युतीकृत नहीं हुआ और उससे पहले ही इस गांव में आपने 33 के.वी. जी.एस.एस. स्वीकृत करवा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 33 के.वी. जी.एस.एस. तब स्वीकृत होता है कि वहां उस गांव में विद्युत की सप्लाई में कोई कमी रहती है, या उसमें कनेक्शन ज्यादा हैं। तब जाकर वी.आर. लोसेज के आधार पर 33 के.वी. स्वीकृत किया जाता है। परन्तु आपने पूर्ववर्ती सरकार में आनन-फानन में ऐसे 33 के.वी. स्वीकृत किये हैं, जो गांव आज दिन तक विद्युतीकृत भी नहीं, उससे पहले ही आपने वहां 33 के.वी. स्वीकृत कर दिया।

इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो 33 के.वी. है, यह आपके लगभग 30 किलोमीटर दूर सरमथुरा के 132 के.वी. जी.एस.एस. से यह लाइन खड़ी होगी, जिसमें 4-5 करोड़ के लगभग खर्चे का अनुमान है। वह गांव अभी तक विद्युतीकृत भी नहीं है। आज हम 33 के.वी. स्वीकृत करते हैं तो उसके वी.आर. लासेज के अनुसार देखते हैं क्योंकि लगभग सवा करोड़, डेढ़ करोड़ रुपये का एक जी.एस.एस. पर खर्चा आता है। फिर भी माननीय सदस्य का कहना है कि यह ग्राम पंचायत है जिसकी आबादी 1,500 से ऊपर है, और

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

इस क्षेत्र में अगर 33 के.वी. लाइन खड़ी करेंगे तो इसमें वन क्षेत्र भी आता है जिसमें हमें वहां फोरेस्ट विभाग से एन.ओ.सी. नहीं मिल रही है।

इसके अलावा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले तीन महीनों में जो आपकी मूल भावना है कि इस गांव को विद्युतीकृत करना है, तो लगभग 11 के.वी. लाइन 9 किलोमीटर हमको खींचनी पड़ेगी और सदन में विश्वास दिलाता हूं कि तीन महीने में यह गांव विद्युतीकृत करा दूंगा। यह मैं विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि इसकी आबादी 1,500 के लगभग है और यह काम होना वाजिब है, 9 किलोमीटर लाइन खींचकर तुरन्त प्रभाव से आने वाले तीन महीनों में ही यह काम करवा दूंगा।

**श्री अध्यक्ष:** श्री मनोज कुमार।

## नर्स व स्वास्थ्य कार्यकर्ता की प्रोविजनल सूची में भर्ती से शेष रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि नर्स ग्रेड-द्वितीय, पब्लिक हैल्थ नर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों की नियमित नियुक्ति हेतु एक विज्ञप्ति 19.2.2013 को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के तहत जारी की गई। उसमें नर्स ग्रेड-द्वितीय के 15,773, पब्लिक हैल्थ नर्स 200, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 12,278 पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 22.3.2015 को इस विज्ञप्ति के द्वारा नर्स ग्रेड सेकण्ड के 8,641, ए.एन.एम. के 5,559, शेष पद नर्स ग्रेड-द्वितीय 7,132, 6,719, जिनकी विज्ञप्ति इन्होंने, इनकी नियुक्ति के लिए लिस्ट में इनका नाम नहीं आया। विगत सात-आठ वर्षों से कार्यरत एन.आर.एच.एम. संविदाकर्मी, जो चयन से वंचित रह गये, जिनकी संख्या लगभग 2,500-3,000 है, उनके चयन का यह आखिरी मौका है और अंततः इस वर्ष में इनकी नियुक्ति की जा रही थी। वे 7-8 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने इन नौजवान बेरोजगार लोगों के साथ, माननीय चिकित्सा मंत्री को राजस्थान की जनता एक होनहार मिनिस्टर के रूप में देख रही है, इस राजस्थान की सरकार और इनकी बात पर पूर्णतया भरोसा करती है लेकिन इन्होंने भी इस तरीके से नौजवानों के साथ यह घोर अन्याय किया है।

(श्री मनोज कुमार)

मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आज जल्द से जल्द इनकी सूची, जो शेष बचे हुए हैं, इन सब को आप नियुक्ति दें जिससे इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। आप राजस्थान के इन नौजवानों को आश्वस्त करें कि हम जल्द से जल्द जो शेष बचे हुए हैं, उनकी सूची जारी कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मैं एक और निवेदन भी करना चाहता हूं, आपदा प्रबन्धन मंत्री महोदय बैठे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में रात को बहुत भारी बरसात और तूफान आने के कारण फसल बरबाद हो गई। माननीय मंत्री महोदय, आप उनकी भी गिरदावरी कराकर उनकी जांच करायें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्षः** माननीय मंत्री महोदय, रेस्पोंड करेंगे?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर पैरा-मेडिकल के क्षेत्र में लम्बे समय से काफी बड़ी रिक्तियां रही हैं। कुल मिलाकर स्थायी और संविदा, इन दोनों की रिक्तियां जोड़ते हैं तो 58,526 रिक्तियां हैं। हमने रिक्त पदों को भरने के प्रोसेस को प्रारम्भ किया है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि नर्स ग्रेड-सेकण्ड में 15,773 की जगह पर आप 8,641 को भर्ती कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, इसी अप्रैल तक हमारे पास 7,132 पद और आ रहे हैं जिनमें से नर्स ग्रेड-सेकण्ड में पदोन्नति के बाद हमें 3,958 पद और जो मेडिकल कालेजेज हैं उनमें 3,985 पद, कुल मिलाकर अप्रैल तक हम 7,665 पद नर्स ग्रेड-द्वितीय और इसी प्रकार हम 3,405 पद ए एन एम के भरेंगे। एन आर एच एम में कर्मी काम कर रहे हैं।

यह सारा प्रकरण वहां से चालू हुआ, जब 26.2.2013 को भर्ती की विज्ञप्ति तत्कालीन सरकार ने जारी की थी और उसके बाद सरकार ने तय किया था कि प्रति वर्ष के 10 अंक देकर, उनको बोनस दिये जाएं, जो आज संविदा के तौर पर काम कर रहे हैं। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया। हमारी सरकार आने के बाद में हमने सर्वोच्च न्यायालय में 22.8.2014 को यह दरख्वास्त लगाई कि हम एस एल पी को वापस लेना चाहते हैं और 5.1.2015 को एस एल पी वापस हुई। उसके बाद यह भर्ती का प्रोसेस चालू हुआ है।

एन आर एच एम में जितने भी कर्मी काम रहे हैं, उनमें से एक भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ऐसा कर्मी नहीं होगा जिसको हम सरकार की नौकरी से निकालें। हमारी दूसरी विज्ञप्ति में भी हम उनको यह बोनस अंक देंगे, 5 अंक एक वर्ष के, 10 अंक दो वर्ष के और 15 अंक तीन वर्ष के, और शनैः शनैः जो हमने अभियान चला रखा है, इस अभियान के अन्तर्गत 36,599 पदों की भर्ती हम मई के दूसरे सप्ताह तक पूरी करेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा सदन को कि ये रिक्त पद भी भरेंगे और संविदा पर काम करने वाले जो हमारे कर्मी हैं, उनके हितों की सुरक्षा करते हुए 5-10-15 अंक के आधार पर हम उन्हें भर्ती करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। श्री भागीरथ चौधरी।

# नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

## बांदरसिंदरी ग्राम के मुख्य चौराहे पर ओवरब्रिज के निर्माण की आवश्यकता

**श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के जयपुर-किशनगढ़ खण्ड पर स्थित बांदरसिंदरी ग्राम गत 5-7 वर्षों से देश के शिक्षा जगत के नक्शे पर छाया हुआ है। वहां से दो किलोमीटर साइड में उत्तर की तरफ मूंडोती रोड पर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा राजस्थान का एक मात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय संचालित है, जिसमें देश-विदेश एवं राजस्थान राज्य के हजारों छात्र-छात्राओं द्वारा उच्च शिक्षा अध्ययन किया जा रहा है। बांदरसिंदरी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर हाइवे सड़क को पार कर एक-दूसरे छोर पर पैदल आना-जाना ग्रामीणों एवं छात्र-छात्राओं के लिए अत्यन्त खतरनाक होता जा रहा है। अतः भविष्य में यहां के तीव्र आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को ध्यान में रखते हुए यहां पर स्थित प्रमुख चौराहे पर सुलभ आवागमन हेतु एक नवीन ओवरब्रिज की स्थापना की महती आवश्यकता है।

बांदरसिंदरी गांव हाइवे के दक्षिण की तरफ बसा हुआ है, जहां की आबादी लगभग 8,500 है एवं वहां स्थित पशुपालकों एवं ग्रामीणों के पास लगभग इतनी ही संख्या में पशुधन भी उपलब्ध है। वहीं ग्रामवासियों की कृषि

(श्री भागीरथ चौधरी)

योग्य भूमि हाइवे के उत्तर की ओर स्थित होने से उनका प्रति दिन अपने कृषि कार्यों एवं पशुधन को लेकर आवागमन निरन्तर बना रहता है। साथ ही, यहां के ग्रामीणों को हाइवे के दूसरी ओर स्थित मूंडोती, नलू, बहारू, आदि गांवों में सामाजिक, पारिवारिक, आदि कार्यों हेतु भी नियमित आना-जाना रहता है। इन गांवों के बालक-बालिकाओं को 10वीं कक्षा पश्चात् उच्च अध्ययन हेतु यहां स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रति दिन आना जाना पड़ता है। वहीं केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी अपनी जान जोखिम में डालकर प्रति दिन इस चौराहे को पार कर जाना पड़ता है। इससे किशनगढ़-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित उक्त बांदरसिंदरी चौराहे पर आये दिन हादसों की आशंका बनी रहती है। वहां स्थित स्पीड ब्रेकर पर कार एवं जीप जैसे छोटे हलके वाहन तेजी से निकलने के प्रयास में एवं भारी वाहनों की हजारों की संख्या में निरन्तर आवाजाही बनी रहने के कारण प्रति दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें जन हानि होने के कारण यहां पर आये दिन ग्रामीणों एवं विद्यार्थियों द्वारा उक्त हादसों के विरोध में रोष प्रकट करते हुए जाम लगा दिया जाता है। इस चौराहे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नहीं किये जाने के कारण आज यह चौराहा हादसों एवं दुर्घटनाओं का चौराहा बन गया है। ज्ञात रहे कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग वर्तमान में देश का सबसे व्यस्ततम सड़क मार्ग है, जिस पर प्रति दिन लाखों की संख्या में वाहनों का आवागमन बना रहता है।

इस सन्दर्भ में आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप सार्वजनिक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देशित कराकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के किशनगढ़-जयपुर खण्ड मार्ग पर स्थित बांदरसिंदरी गांव के मुख्य चौराहे पर आवागमन हेतु एक नवीन ओवरब्रिज का निर्माण कराने की आवश्यकता पर शीघ्र ही सक्षम विभागीय स्वीकृति की क्रियान्विति कराने का श्रम करायें, ताकि इस ओवरब्रिज के निर्माण के पश्चात् ग्रामीणजन, पशुपालकों, बालक-बालिकाओं एवं पशुधन को आने-जाने का सुलभ एवं सुरक्षित मार्ग उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्षः** श्री नाना लाल अहारी।

## भूधर, ऋषभदेव व विलख (ऋषभदेव उपखण्ड क्षेत्र) में छात्रावास खोला जाना

**श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):** माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री नाना लाल अहारी)

विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि ऋषभदेव उपखण्ड क्षेत्र में 28 ग्राम पंचायतें हैं जो सभी जनजाति क्षेत्र की हैं। ऋषभदेव उपखण्ड में 56 प्राथमिक विद्यालय, 40 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 7 उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा 21 माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें अध्ययनरत लगभग 9,000 छात्र-छात्राएं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की हैं। ऋषभदेव उपखण्ड क्षेत्र की जनसंख्या 1,35,869 है। विद्यालयों की तुलना एवं छात्रों की संख्या के अनुपात में एक भी बालक-बालिका को छात्रावास नहीं है जिसके कारण जनजाति के गरीब, बेसहारा, असहाय, बी पी एल परिवार के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रावास में अध्ययन करने हेतु अन्यत्र खैरवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर तक जाना पड़ता है। ये स्थान उपखण्ड मुख्यालय से काफी दूर पड़ते हैं जिससे अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षा का शत-प्रतिशत लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनजाति क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के अभिभावक अध्ययन का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में गरीब परिवार के बालक-बालिकाओं को या तो मजबूर होकर कहीं न कहीं बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाने के लिए उनके माता-पिता को अपनी जमीन-जायदाद, जो भी हो, उसे बेचना पड़ेगा या उसे गिरवी रखना पड़ेगा। अगर यह भी नहीं हुआ तो इन गरीब मां-बाप के बालक-बालिकाओं को पढ़ने से वंचित होना पड़ेगा। ऋषभदेव उपखण्ड क्षेत्र में छात्र-छात्राओं का अलग-अलग छात्रावास खोलने के आदेश फरमायें, ताकि वहां के बालक-बालिकाएं अपना अध्ययन कर सकें।

उदयपुर जिले के छात्रावासों में वर्तमान में अंशकालीन कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या सरकार इनको स्थायी करने का विचार, पूर्व में दी गई सेवाओं के आधार पर, रखती है? अंशकालीन कर्मचारियों को कब-कब भुगतान किया जा रहा है? विभाग की पालनहार योजना में वर्ष 2014-15 कितने लाभार्थी को किस दर, किस माध्यम से भुगतान किया जा रहा है? क्या इन गरीब लाभार्थियों को समय पर भुगतान किया जा रहा है?

अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि ऋषभदेव उपखण्ड क्षेत्र (भूधर, ऋषभदेव, विलख) में छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास खोले जायें। धन्यवाद।

**(12.38 बजे)**

**(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)**

**श्री सभापति:** श्री नवनीत लाल।

## घाटोल के गांव कोहला व इसरवाला के बीच चाप नदी पर पुल का निर्माण

**श्री नवनीत लाल** (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दक्षिण राजस्थान के जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र घाटोल में जनजाति बहुल क्षेत्र की जनता को रोजमर्रा की आवश्यकता, चिकित्सा सुविधा एवं छात्र अध्ययन तथा किसानों की कृषि पैदावार की बिक्री हेतु दैनिक आना-जाना पड़ता है।

मौके की स्थिति के अनुसार नजरी नक्शा अभावग्रस्त गांवों एवं ग्राम पंचायतें, जो चाप नदी के पूर्व की तरफ 11 हैं, जिनके 34 गांव हैं, जिनकी जनसंख्या 52,810 हैं तथा चाप नदी के पश्चिम में 6 ग्राम पंचायतों के 17 गांव हैं तथा इनकी जनसंख्या 32,224 है, योग 51 गांवों के कुल जनसंख्या 85,034 है, जिनको आवागमन की सुविधा देने हेतु एप्रोच सड़क निर्माण एवं पुल निर्माण का तखमीना कुल लागत 795.00 लाख रुपया अनुमानित विभागीय अधिकारियों द्वारा आंका गया है।

अत: सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से अनुरोध है कि गांव कोहला व गांव इसरवाला के बीच चाप नदी पर आवागमन की दृष्टि से आम जनता की कठिनाइयों को देखते हुए पुल का निर्माण कर विधान सभा क्षेत्र गढ़ी व घाटोल की आम जनता को लाभान्वित करावें।

| क्र.सं. | वर्ष | राशि (लाखों में) | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 1992-93 | 108 | माह जनवरी, 2007 में मैसर्स पैट्रो कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को राशि रुपये 1,42,91,266/- का कार्यादेश दिया गया था। |
| 2 | 2005-06 | 239.43 | |
| 3 | 2007-08 | 263.37 | |

सधन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्री शंकर सिंहजी रावत। मंत्रीजी, नियम 295 में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

## शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सेवक से कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गई रिव्यू डी पी सी 1990-91 तथा 1992-93 के आदेश

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख, शिक्षा विभाग में हुए घोटाले की जांच करने बाबत।

**श्री सभापति**: आपका वह घोटाला-घोटाले का काम नहीं है। यहां पर आपका सिर्फ शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सेवक से रिव्यू डी पी सी के बारे में है। वह बोलिए, जो लिखा हुआ है।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): जी। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि तारांकित प्रश्न संख्या 2238/शिक्षा/13वीं/सत्र-2010-2013 के जवाब में शासन उप सचिव, राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के पत्रांक 13(42) शिक्षा-2/13/सत्र-10/2013 दिनांक... द्वारा बिन्दु संख्या-05 पर यह उल्लेख किया गया था कि श्री राकेश पाटनी एवं श्री भंवरलाल पाटनी से सम्बन्धित प्रयोगशाला सेवक से कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गई डी पी सी सत्र 1990-91 तथा 1992-93 को रिव्यू डी पी सी की स्वीकृति के साथ-साथ दोषी कार्मिकों के विरुद्ध शासन स्तर के पत्र दिनांक 05.03.2013 के द्वारा कार्यवाही हेतु लिखा जा चुका है, लेकिन दो साल बीत जाने पर भी दोषी अधिकारियों पर आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शिक्षा (ग्रुप-2) में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा डी पी सी में भारी लापरवाही की गई है। इसके कारण उक्त कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्रीजी महोदय से निवेदन है कि उक्त कर्मचारियों की रिव्यू डी पी सी के आदेश जारी करावें एवं दोषी कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करावें। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री गोतम कुमार।

## पुलिस सत्यापन की औपचारिकताएं

**श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, वर्तमान में पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए आमजन को बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सर्वप्रथम उसको जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है। वहां उसको एप्लिकेशन के साथ में

(श्री गोतम कुमार)

200 रुपये का पोस्टल आर्डर संलग्न कर डी एस बी शाखा में देना पड़ता है। फिर जिला मुख्यालय से इसकी सूचना सम्बन्धित थाने पर डाक द्वारा जाती है। सम्बन्धित थाना उसकी तस्दीक करता है और उस सूचना को पुनः जिला मुख्यालय को डाक द्वारा भेजा जाता है। उस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र को लेने के लिए प्रार्थी को पुनः जिला मुख्यालय स्थित डी एस बी शाखा में जाकर वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है।

इतनी लम्बी प्रक्रिया पूर्ण करने में लगभग दस दिन का समय एवं प्रार्थी के आने-जाने व पोस्टल आर्डर की राशि सहित लगभग 1,500 से 2,000 रुपये का खर्चा हो जाता है जिसमें आम जन के लिए रुपये एवं समय दोनों का नुकसान होता है, जबकि वेरिफिकेशन की पूर्ण कार्यवाही सम्बन्धित थाने द्वारा ही की जाती है।

अतः आपसे निवेदन है कि यह सभी सुविधा सम्बन्धित थाने पर ही उपलब्ध करा दी जाए एवं 200 रुपये के पोस्टल आर्डर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए तो आम जन को कम समय में एवं बिना किसी ख़र्चे के पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद।

रेस्पोण्ड करा दें, साहब।

**श्री सभापति**: नहीं कराएंगे। विराजिए। 295 में नहीं करते। वह तो कल गुलाबजी, वरिष्ठ हैं, मंत्री हैं, तो उनकी बात अध्यक्ष महोदय ने मान ली। (व्यवधान) नहीं, नहीं, कौन मिलीभगत है? आप तो भक्त हैं, मिलीभगत थोड़े ही है आप।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मिला और भक्त होना, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, पर पता नहीं, किस वक्त में क्या भगत हो जाए। अब, सभापति महोदय, आप घनश्याम हों, अब इस घनश्याम के कितने रूप हैं। मुरलीधर यह हैं, बंशीधर यह हैं, कृष्ण गोपाल यह हैं, और अलग-अलग कलाएं भी हैं और सर्वव्यापी भी हैं...

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): वासुदेव भी हैं और गोपियों के रखवाले भी हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): और 36 हजार रानियों के साथ प्रेम प्रसंग रखने वाले हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसलिए मैं तो एक निवेदन करूंगा, आप आसन पर विराजे हैं, आज सुबह भी नाम पुकारा, आपने कहा, मैं नहीं दबता। उधर से वे खड़े होंगे। तो या तो इस एकरूपता में थोड़ी भिन्नरूपता ला दें। आपके नाम और मेहर साहब के नाम के बीच में कोई ऐसी बात आ जाए ताकि यह नहीं हो। बार-बार, मैं कई बार देखता हूं, आपके चेहरे पर होने वाले उतार-चढ़ाव को भी देखता हूं। जब घनश्याम नाम पुकारते हैं, पुकारते ही, सभापति महोदय, आपके बिलकुल चेहरे का भाव बदल जाता है।

**श्री सभापति**: देखिये, घनश्याम के एक हजार नाम हैं।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, आप थोड़ा ठीक हों तो आपका चेहरा चेंज हो सकता है।

**श्री सभापति**: मुझे तो प्लास्टिक सर्जरी करानी ही नहीं है। मैं यह कह रहा हूं...

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, आपके चेहरे को ज्यादा खुश कर सकते हैं राजेन्द्र सिंहजी। जान-बूझकर के इन्होंने ही आपके चेहरे को ऐसा बनवा रखा है।

**श्री सभापति**: मैं माननीय राजेन्द्र सिंहजी को बताना चाहता हूं कि घनश्याम के बहुत रूप हैं लेकिन जोकर का रूप नहीं है।

माननीय सदस्य, आगे चलें। श्री भंवर सिंह।

## बीकानेर के उपनिवेशन विभाग में योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों का पदस्थापन किए जाने की आवश्यकता

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, महाराजा गंगासिंहजी अपने समय में बीकानेर राज्य में नहर से सिंचित करने का सपना देखा और महाराजा साहब ने गंगनहर निकालकर यह सपना पूरा किया। महाराजा गंगासिंहजी की सोच को मद्देनजर रखते हुए देश व राजस्थान के तत्कालीन राजनेताओं ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सपना देखा और उसे पूरा किया। इसी दौर में नहरी क्षेत्र में काश्तकारों को बसाने एवं जीवनयापन के लिए उनकी भूमि आबंटन का कार्य करने हेतु वर्ष 1961-62 में उपनिवेशन विभाग, बीकानेर की स्थापना की गई।

(श्री भंवरसिंह)

कालांतर में उपनिवेशन विभाग में कार्यरत अधिकारियों ने बहुत ही बढ़िया कार्य किया। तत्कालीन अधिकारियों द्वारा किया गया कार्य आज भी सराहनीय है।

आज उपनिवेशन विभाग, बीकानेर का कार्य क्षेत्र बीकानेर जिले की श्रीकोलायत तहसील व बीकानेर तथा आंशिक पूगल तहसील व जैसलमेर जिले की पोकरण व जैसलमेर तहसील तक ही सीमित है। आज के उपनिवेशन विभाग में कार्यरत अधिकारियों के द्वारा किये जा रहे कार्यों का एक रूप प्रस्तुत कर रहा हूं।

बीकानेर जिले में उपनिवेशन विभाग में 2,358 हैक्टेयर कमाण्ड व 5,839 हैक्टेयर अन-कमाण्ड, कुल 8,197 हैक्टेयर भूमि सामान्य आबंटन हेतु आरक्षित सिवाय चक पड़ी है व इस श्रेणी के 8,784 आवेदन वर्ष 1984 से लम्बित चल रहे हैं। 6,155 हैक्टेयर कमाण्ड व 24,240 हैक्टेयर अनकमाण्ड, कुल 30,395 हैक्टेयर भूमि विशेष आबंटन हेतु आरक्षित सिवाय चक पड़ी है। इस श्रेणी के 5,942 आवेदन वर्ष 2010 से लम्बित चल रहे हैं।

1,472 हैक्टेयर कमाण्ड व 1,666 हैक्टेयर अनकमाण्ड, 3,138 हैक्टेयर भूमि मोहरबंद निविदा की सिवाय चक पड़ी है। वर्ष 2008 के बाद इस श्रेणी का कोई आबंटन विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

2,263 हैक्टेयर कमाण्ड व 6,072 हैक्टेयर अनकमाण्ड, कुल 8,335 हैक्टेयर भूमि लघु व मध्यम भू-पट्टी श्रेणी की सिवाय चक पड़ी है। यह भूमि काश्तकारों की भूमि के निकट पड़ी भूमि है। यह बिना आबंटन सलाहकार समिति के आबंटित की जा सकती है, पर विभाग द्वारा इसमें वर्ष 2010 के बाद से कोई रुचि नहीं दिखाई गयी है।

इसी प्रकार 1,031 हैक्टेयर कमाण्ड, 1,676 हैक्टेयर अनकमाण्ड, कुल 2,707 हैक्टेयर भूमि कारगिल शहीद सैनिकों, शौर्य पदक विजेताओं व अन्तरराष्ट्री खिलाड़ी व MFFR को आबंटन करने हेतु पड़ी है। आवेदन लम्बित पड़े हैं, फिर भी आबंटन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, वर्षों से लम्बित बंदोबस्ती गैर-खातेदारों को खातेदारी देने का कार्य 47 वर्षों से लम्बित था। इसमें राज्य सरकार द्वारा सीलिंग नियमों में शिथिलता प्रदान करने के उपरांत भी तीन वर्षों में खातेदारी देने का कार्य नहीं हुआ।

(श्री भंवरसिंह)

इसी प्रकार नियम 1970 के आबंटियों को व अन्य आबंटियों को नियम 9(1) में खातेदारी देने के कार्य की प्रगति नगण्य है। इसके अलावा, नहर, वन, सड़क, इत्यादि में अवाप्त भूमि के बदले 50 प्रतिशत से अधिक भूमि अनकमाण्ड होने व दोहरे आबंटन के प्रकरण, अस्थायी से स्थायी आबंटन, आदि के लम्बित आवेदनों में आबंटन का कार्य लम्बित है।

पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल व डा. करणीसिंह लिफ्ट कैनाल से सिंचित होने वाले क्षेत्र में 250 नये चक बनेंगे, उसके बाद ही आबंटन व सिंचाई कार्य हो सकेगा, परन्तु राज्य सरकार के इस महान् विभाग, उपनिवेशन विभाग के अधिकारियों द्वारा अभी तक बारानी ग्रामों में तरमीम का कार्य शुरू नहीं करवाया गया है। उसके बिना कैसे चक प्लान तैयार होंगे?

इस नहर के निर्माण में प्रमुख योगदान देने वाली ओड जाति के लोगों को नहरी क्षेत्र में आबंटन हेतु भूमि आरक्षित है लेकिन ओड जाति के हज़ारों लोगों के आवेदन आज भी विभाग में लम्बित चल रहे हैं। ओड जाति के लोगों को आबंटन अतिशीघ्र किया जाए।

पूरे क्षेत्र में बनी नहरों का सर्वे बाकी है व जब तक नहर सर्वे नहीं होगा, किसान की कितनी जमीन अवाप्त हुई, पता नहीं चल सकता। तो फिर किसान को बदले में जमीन या मुआवजा कैसे मिलेगा?

विभाग में वर्तमान में ऐसे अधिकारी पदस्थापित हैं जिनकी जमीन की भूख खुद की ही नहीं मिटती। वे क्या भूमिहीन मज़दूरों व किसानों को आबंटन करेंगे? वर्ष 2012 के बाद आबंटन सलाहकार समिति की बैठक ही नहीं बुलाई गई।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि अगर राज्य सरकार क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करना चाहती है व उनके लम्बित कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करवाना चाहती है, तो ऐसे अधिकारियों को पदस्थापित करें जो कि पहले विभाग में पदस्थापित न रहे हों, तथा इस विभाग में चल रहे पटवारी, निरीक्षक, नायब-तहसीलदार व तहसीलदारों के रिक्त पदों को भरा जावे। धन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्री मानिक चन्द सुराना।

## बार्डर विंग होमगार्डस (अर्द्ध सैनिक बल) की सेवा-शर्तें

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि बार्डर विंग होमगार्डस (अर्द्ध सैनिक बल) जवानों की संख्या 2,464 है। पिछले लम्बे अर्से से इन जवानों से कानून-व्यवस्था, अवैध खनन, थर्मल पावर प्लांटों, जेलों की सुरक्षा एवं उच्च न्यायालयों की सुरक्षा, आर ए सी, पुलिस, बी एस एफ, आर्मी के साथ शत- प्रतिशत सेवाएं दे रहे हैं परंतु इन जवानों से पचास वर्ष पुरानी नीति के अनुसार ही न्यूनतम मानदेय पर ही कार्य लिया जा रहा है।

बार्डर विंग होमगार्डस (अर्द्ध सैनिक बल) पूरे भारत में चुनाव ड्यूटी, अन्य विपदा की स्थिति में अतिसंवेदनशील इलाकों में सेवाएं दे रहे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, यू.पी. जम्मू कश्मीर आदि इलाकों में ड्यूटियां दे रहे हैं। फिर भी बार्डर विंग होमगार्डस को राज्य सरकार ने राजस्थान अरबन होम गार्डस के समान मान रखा है, जबकि अरबन होमगार्ड्स से बार्डर विंग होमगार्डस (अर्द्ध सैनिक बल) आधुनिक हथियार-शुदा हैं, जो अरबन होमगार्डस से भिन्न है। अरबन होमगार्ड्स अपने ही गृह जिलों में ड्यूटियां देते हैं, जबकि बार्डर होमगार्डस (अर्द्ध सैनिक बल) चौबीस घंटे घर से बाहर रहकर, जेब से मैस का खाना खाकर, देश सेवा में न्यूनतम मानदेय/वेतन पर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बार्डर विंग होमगार्डस (अर्द्ध सैनिक बल) को न्यूनतम मानदेय 7,100/- रुपये व डी ए के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। इन्हें पुलिस व आर ए सी के समान निम्नलिखित रूप से राज्य सरकार को देने पर विचार करना चाहिए:-

1. मैस अलाउंस पुलिस व आर ए सी के समान मिलना चाहिए;

2. मेडिकल, छुट्टी, बोनस, वेतन वृद्धि पुलिस व आर ए सी के समान मिलने चाहिए जो बार्डर विंग होमगार्डस (अर्द्ध सैनिक बल) को नहीं मिल रहे हैं;

3. जवानों का प्रति पांच वर्ष बाद नवीनीकरण किया जाता है जो बन्द किया जाना चाहिए तथा सेवानिवृत्ति आयु 55 से 60 वर्ष आर ए सी व पुलिस के समान की जावे; एवं

जवानों को नियुक्ति तिथि से सेवानिवृत्ति तक एक ही वेतन दिया जाता है। 365 दिन सेवाएं देने पर वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाये।

अभी-अभी गृह विभाग की मांगों पर बहस के पश्चात् राज्य सरकार ने पुलिस के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि व मैस अलाउंस हेतु 33 करोड़ रुपये दिये जाने की घोषणा की है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अतः उपरोक्त सुविधाएं बार्डर विंग होमगार्डस (अर्द्ध सैनिक बल) को दिये जाने पर राज्य सरकार को संवेदनशीलता से विचार करने के लिए सदन के माध्यम से विशेष उल्लेख करता हूं। सादर।

**श्री सभापतिः** श्रीमती सुशील कंवर।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी रेस्पोंड कर सकते हैं।

**श्री सभापतिः** मैं अलाउ नहीं करूंगा। विशेष उल्लेख में नहीं। अगर करना भी चाहें तो मैं अलाउ नहीं करूंगा।

## मसूदा के मगरा क्षेत्रवासियों की पेयजल समस्या

**श्रीमती सुशील कंवर** (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत पेयजल समस्या के समाधान के लिए विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मसूदा विधान सभा क्षेत्र का मगरा क्षेत्र, जो कि पूर्ण रूप से पहाड़ी एवं पथरीला है, चारों ओर पहाड़ी होने के कारण कुओं, बावड़ियों तथा हैंडपंपों में पानी कम मात्रा में मिलता है। ग्रामीणों को पेयजल के लिए टैंकरों से पानी मंगाना पड़ता है। इस कारण से ग्रामवासियों पर अनावश्यक भार पड़ रहा है।

इस समस्या को पूर्व भा ज पा की सरकार ने सम्पूर्ण मगरा क्षेत्र की समस्या को गम्भीरता से लेते हुए क्षेत्र के अनेक गांवों में बीसलपुर के शुद्ध पानी के लिए पानी की टंकियां, जी एल आर, एस एल आर एवं पाइप लाइन का कार्य कराया लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस क्षेत्र की पेयजल से त्रस्त ग्रामवासियों के लिए बनी कार्ययोजना को रोक दिया। मुझे सदन में बताते हुए अत्यन्त ही खेद का अनुभव हो रहा है कि क्षेत्र की 26 टंकियां, जी एल आर और एस एल आर एवं पाइप लाइन का कार्य होने के पश्चात् भी आज तक कभी भी ये उपयोग में नहीं लाई गई हैं। इनके निर्माण कार्य में व्यय की गई राशि ग्रामीणों के उपयोग न आने के कारण योजना निष्फल हो रही है। गत वर्षों में पर्यास वर्षा होने के कारण बीसलपुर में पेयजल के लिए पर्याप्त पानी है, जिले में कुछ स्थानों पर विभाग द्वारा रोज पानी दिया जा रहा है, किन्तु मसूदा के मगरा क्षेत्र की जनता पर्याप्त पेयजल के संसाधन होने के बाद भी पीने के पानी के लिए तरस रही है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मसूदा विधान सभा क्षेत्र के

(श्रीमती सुशील कंवर)

मगरा क्षेत्रवासियों की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए पूर्व में बनी पानी की टंकियां और पाइप लाइनों को उपयोग में लाने के लिए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को पाबंद करावें तथा तत्काल राहत पहुंचाने के लिए क्षेत्र के हैंडपंपों की मरम्मत कराने एवं नये हैंडपंप खुदवाने के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान करावें । धन्यवाद।

**श्री सभापति**: डा. मंजू बाघमार।

(13.00 बजे)

## विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा व खेल व्याख्याताओं के पदों पर UGC के दिशा-निर्देशों अनुरूप भर्ती

**डा. मंजू बाघमार** (जायल): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा दिनांक 12.01.2015 को जारी संयुक्त विज्ञापन संख्या 07/भर्ती/2014-15 के माध्यम से विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के पदों की भर्ती हेतु आवेदन मांगे गये थे, किन्तु शारीरिक शिक्षा व्याख्याता के पदों पर आवेदन नहीं मांगे गये।

राजस्थान प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों यथा: राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, एम डी एस विश्वविद्यालय अजमेर, कोटा विश्वविद्यालय कोटा, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, बी एन फिजिकल कालेज उदयपुर में लगभग 300 छात्र-छात्राएं प्रति वर्ष एम पी एड (Master in Physical Education) की डिग्री प्राप्त करते हैं।

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा द्वारा वर्ष 1992 से शारीरिक शिक्षा विषय में कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं की गयी जिससे सैकडों विद्यार्थी शारीरिक शिक्षा में पीएच डी/नेट/सेट-धारक अभ्यर्थी बेरोजगार फिर रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों में निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा एवं खेल); आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, (शारीरिक शिक्षा) तथा प्रशिक्षकों के सभी पद कई वर्षों से रिक्त हैं। इसमें राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में मात्र एक प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा; जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय

(डा. मंजू बाघमार)

जोधपुर में मात्र 2 निदेशक शारीरिक शिक्षा; मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में मात्र 1 प्रशिक्षक, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में मात्र 1 सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा नियुक्त हैं। इसके अतिरिक्त कोटा विश्वविद्यालय कोटा, एम डी एस विश्वविद्यालय अजमेर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के सभी पद रिक्त है तथा खेल एवं शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय झुंझुनूं का तो अस्तित्व ही नहीं है। इससे महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों का स्तर निरन्तर गिरा है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि यू जी सी अधिनियम एवं निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा एवं खेल के पदों की भर्ती हेतु आवश्यक प्रयास करावें। धन्यवाद।

**श्री सभापति:** विराजिए। श्रीमती सोनादेवी।

## रायसिंहनगर में आवारा पशुओं की समस्या का निराकरण

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में आवारा पशुओं की समस्या के सम्बन्ध में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में आये दिन आवारा पशुओं से दुर्घटनाएं हो रही हैं। आवारा पशुओं को नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा हालांकि समय-समय पर पकड़ा जाता है लेकिन कुछ समय उपरान्त ही उन्हें पुनः सड़कों पर विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आवारा पशुओं के कारण गंदगी एवं वाहनों के आवागमन में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। नागरिकों द्वारा समय-समय पर नगरपालिका प्रशासन को शिकायतें भी की गई हैं परन्तु समस्या ज्यों की त्यों है।

आवारा पशुओं में आने वाले गाय आदि पशुओं को गौशालाओं में भी रखा जाता है लेकिन गौशाला वालों द्वारा चारे के अभाव में उन्हें पुनः शहर के आबादी क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है।

अतः मैं प्रक्रिया नियम 295 के तहत निवेदन करती हूं कि रायसिंहनगर शहर की उक्त समस्या के निराकरण हेतु कारगर कदम उठाकर अनुगृहीत करें। धन्यवाद।

**श्री सभापति:** धन्यवाद। श्री हनुमान बेनीवाल। श्री हनुमान बेनीवाल।

(अनुपस्थित)

श्रीमती अंजू देवी धानका।

## महादेवपुरा (बस्सी) में विधायक कोष से निर्मित सीसी सड़क में बरती गईं अनियमितताएं

**श्रीमती अंजू देवी धानका** (बस्सी): सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि...

**श्री सभापति**: आज तो देवियों का ही दिन है, अष्टमी है, तो लगातार आठ बोलती जा रही हैं। लगातार आठ एक जगह बैठ भी गई हैं।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं जानती थी, आप कुछ न कुछ कहेंगे। यहां पूरी नौ दुर्गा हैं हाउस में। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप बोल रही हैं, आप बोल रही हैं; आज महागौरी का ही दिन है, बोलिए, बोलिए।

**श्रीमती अंजू देवी धानका** (बस्सी): ...विधान सभा क्षेत्र बस्सी की ग्राम पंचायत महादेवपुरा में गत वर्ष दस लाख रुपये विधायक कोष से सी सी सड़क हेतु स्वीकृत किये थे।

**श्री सभापति**: लेकिन महागौरी की आयु 8 वर्ष से अधिक नहीं होती है। हां, बोलिए, बोलिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, यह किस की ओर इंगित करके कहा, आठ वर्ष से ज्यादा आयु नहीं है?

**श्री सभापति**: यह शास्त्रों की बात है।

**श्रीमती अंजू देवी धानका** (बस्सी): ...ग्राम पंचायत द्वारा यह कार्य किया गया था लेकिन ग्राम पंचायत ने सी सी सड़क नहीं बनाकर, शुरू में 50 मीटर और अन्त में 50 मीटर सड़क का निर्माण किया, और जो सड़क ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई, उसमें इतनी अनियमितता थी कि सड़क का तो नामों-निशान ही नहीं है। वहां तो सिर्फ कंकरीट ही दिखाई देती है। ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव और पंचायत समिति सहायक अभियन्ता ने मिलकर उक्त सड़क का निर्माण नहीं करवाया, सिर्फ खानापूर्ति कर सड़क निर्माण दिखाकर भुगतान उठाया । उक्त सरपंच और कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत कर विधायक कोष से दी गई राशि का सही तरह से उपयोग नहीं किया गया है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त सी सी सड़क का अपने संरक्षण में पुन: निर्माण कर, दोषी कर्मचारियों और

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

अधिकारियों से रिकवरी की जाये, क्योंकि उपरोक्त अनियमितता में सिर्फ सरपंच ही दोषी नहीं होता बल्कि ग्राम पंचायत सचिव और उसके साथ-साथ एम बी भरने वाला सहायक अभियंता भी होता है। अत: कर्मचारियों से रिकवरी कर पुन: निर्माण करावें। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: विराजिए। पर्ची। श्री रामचन्द्र।

## पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

### कोचिंग सेंटर्स द्वारा छात्रों व अभिभावकों का शोषण

**श्री रामचन्द्र** (डग): सम्माननीय सभापतिजी आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का जो समय दिया ...

**श्री सभापति**: आपकी पर्ची निकली है, इसलिए बोल रहे हैं।

**श्री रामचन्द्र** (डग): जी, लेकिन आप आसन पर बैठे हो, बहुत अच्छी बात है।

**श्री सभापति**: बोलिए।

**श्री रामचन्द्र** (डग): मैं आपके माध्यम से इस सदन में एक बहुत गम्भीर और ज्वलंत विषय उठा रहा हूं और बहुत ही मार्मिक एवं बहुत भावनात्मक है; इतना माकूल विषय जिस पर पूरे सदन को चिंता प्रकट करनी चाहिये, क्योंकि हमारे भारत का शिक्षा के क्षेत्र में दिव्य इतिहास रहा है; गुरुकुल हुआ करते थे, नालन्दा विश्वविद्यालय, रवीन्द्र नाथ टैगोर जैसे शिक्षक यहां रहे हैं। भारत दिशा देने का काम सदियों से करता रहा है लेकिन जिस प्रकार से आज आपा-धापी है और बच्चों में पढ़ने की जो प्रतियोगिता है, उस अंधी प्रतियोगिता में आजकल अभिभावक भी अपने पूरे साजो-सामान, अपनी पूरी जमीन-जायदाद, गरीब घर के गहने, अपनी बहनों की शादियां तक रोक कर जो लड़के पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, उनको हम कोचिंग की ओर प्रेरित करते हैं। वह बच्चा पढ़कर आई आई टीएन बने, डाक्टर बने, सी ए बने, सी एस बने, इस अंधी दौड़ में हर कोई अभिभावक किसी रिश्तेदार से, मिलने वाले से बात करता है कि मेरे बच्चे के इतने नंबर आये हैं, 80 परसेंट से ऊपर है, कोई 90 परसेंट से ऊपर है। तो कोई न कोई रायशुमारी होती है। उसमें कोई सलाहकार बन ही जाता है कि कोटा में भेजो, कोटा में इतने बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर हैं, आपके बच्चे का भविष्य बदल जायेगा, आपका बच्चा इतने बड़े पैकेज का मालिक होगा, उसको अमेरिका, इंग्लैण्ड के सपने दिखाते हैं।

(श्री रामचन्द्र)

महोदय, इस प्रकार पूरे देश से न जाने कितने, एक से डेढ़ लाख छात्र कोटा में आते हैं और वे ठगी का शिकार, जैसे ही बस स्टैण्ड पर उतरते हैं, वहीं से शुरू हो जाते हैं। एक आटो वाला उनको ठगना शुरू करता है और कोचिंग सेंटर पहुंचते हैं तो उस फार्म से उसकी शुरुआत होती है जो 500 से 1,000 रुपये का एक फार्म मिलता है। एक पन्ने का फार्म, जो बच्चा इतना इंटेलीजेंट है, क्योंकि हमारी शिक्षण व्यवस्था में ही कुछ खामियां हैं, उस वजह से वह 1,000 का फार्म खरीदता है और उसके साथ वहां पर इतनी धोखाधड़ी और ठगी होती है कि वह एक कमरे से, दूसरे कमरे से, तीसरे कमरे से, जब तक वह कोचिंग सेंटर के मालिक तक पहुंचता है, तब तक तो वह 5-7 हजार रुपये खर्च कर चुका होता है। उसमें इतनी प्रतियोगिता होती है कि वह किससे मिले कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाये।

वह गांव का किसान, मजदूर, ठेला चलाने वाला, चाय बेचने वाला, नाई की दुकान लगाने वाला, जिसका बच्चा पढ़ने में होशियार है और मध्यम वर्ग परिवार का बच्चा है, वह कैसे अपने लक्ष्य को साध सकता है। वह अपने सारे जीवन की कमाई बटोर कर, उसकी मां, उसके परिवार के लोग, बच्ची की शादी करना, बहन की शादी करना तक रोक देते हैं कि एक बार बच्चा आगे बढ़ जाये, इसका जीवन सुधर जाये, यह अपने परिवार का नाम ऊपर कर देगा। इस स्वप्न को लेकर वह बच्चा कोटा में आता है और वहां आने के बाद उसके साथ जो होता है, उसका वृत्तांत आपके सामने चित्रण करना चाहता हूं।

वह बच्चा आयेगा अपने पिताजी के साथ, पिताजी उसको लेकर आयेंगे, उस कोचिंग सेंटर के मालिक से मिलेंगे। फिर बात शुरू होती है समझौते की। एक लाख रुपये से फीस कम नहीं है; सवा लाख, डेढ़ लाख तक की उसकी फीस होती है। वह जैसे-तैसे उसका धन जो बटोर कर लाया, वह उसको देता है, पूरी कमाई, और मैं बता रहा हूं कि राजस्थान के 60 प्रतिशत लोगों की आय जो है, उसके एक साल के खर्चे, दो साल के खर्चे के बराबर एक साल की आय होती है। एक से डेढ़ लाख रुपये वह फीस देगा; 10 हजार रुपये महीने का उसका कमरे का किराया और एक कमरे में छोटा-सा पलंग, एक पंखे का अलग बिल, एक बल्ब का अलग बिल। कपड़े धोने के लिए, बिस्तर धोने के लिए अगल से सारी व्यवस्था, भोजन की अलग व्यवस्था और उसके अन्य खर्चे। ऐसे करते-करते वह तीन लाख रुपये के आसपास एक बच्चे का खर्चा आता है।

(श्री रामचन्द्र)

और तो और, मैं इतना वीभत्स आपको बताता हूं कि शाम को जो सब्जियां बची हुई होती हैं, जो कोई खरीदता नहीं है, वे सब्जियां उस दिन उन होस्टलों में जाती हैं और होस्टल के सभी बच्चों को वह खाना खिलाया जाता है। सबको तोड़ मरोड़ कर इतना स्पाइसी खाना देते हैं कि तेल ही तेल तैरता है, बच्चा रोटी खा नहीं पाता। बाप जिस भविष्य को लेकर वह सोचता है, उसके बच्चे को देखकर वह तिलमिला जाता है और बच्चे की हड्डियां नजर आने लगती हैं।

उन कोचिंग संस्थानों में उसको अमेरिका, इंग्लैंड और विदेश के जब ख्वाब दिखाये जाते हैं, एक-एक करोड़, पचास-पचास लाख के पैकेज दिखाये जाते हैं। कोचिंग सेंटर वाले ऐसे देशद्रोह का काम करते हैं। राष्ट्र भावना से जिन बच्चों को ओत-प्रोत करना चाहिए, जाते ही उनके मन में यह पैदा किया जाता है कि आप यहां रहोगे तो आपको यह मिलेगा और विदेश में जाओगे तो यह मिलेगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, राजस्थान के अन्दर ही 9 हजार डाक्टरों की कमी है। आज जयपुर में, चाहे वह किसी भी जगह हो, इतने इंजीनियरिंग कालेज हैं, चाय के ठेलों पर इंजीनियरिंग किये हुए लड़के 5-5 हजार की नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, उनकी जो बारगेनिंग होती है, उस बारगेनिंग में उसके दो साल निकल जाते हैं।

इसके साथ-साथ मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इन कोचिंग इंन्स्टिटयूट वालों का स्कूलों से भी नाता है। फीस जमा होती है पर बच्चा स्कूल नहीं जाता। 14-14, 15-15 घंटे पढ़कर वह अपनी आई.आई.टी. और पी.एम.टी. की तैयारी करता है। उन स्कूलों में उनके साथ बारगनिंग होती है। 40-40, 50-50 हजार रुपये एक साल के अलग से लेते हैं। उसके बाद उसमें से 10 परसेंट बच्चे पास होते हैं।

सभापति महोदय, वे 90 परसेंट छात्र कोटा में अपने पूरे जीवन की अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करके वहां जाते हैं। जब वह अपने घर जाता है, पहले दिन उसके पिताजी उस बच्चे को छोड़कर जाते हैं तो उसके हृदय में बच्चे को छोड़कर जाने के बाद उसको जो वेदना होती है, उसको महसूस करना बड़ा कठिन है। एक दक्षिण का छात्र जो भाषा नहीं समझता, उसके पिताजी यहां आकर छोड़कर जाते हैं। यहां की हिन्दी, मारवाड़ी भाषा नहीं समझते। बच्चे से उसका ऐसा सम्बन्ध होता है, जब स्टेशन पर वह उस बच्चे से अलग होता है तो उसका हृदय बाहर निकल जाता है। घर जाने के बाद जब उसकी

(श्री रामचन्द्र)

पत्नी उससे पूछती है कि वहां पर बेटा कैसा है और जब वह उसका बयान करता है तो उसके शरीर में, पूरे परिवार में क्रंदन-सा माहौल होता है, लेकिन इस बात से वे शांत होते हैं कि दो साल बाद जब बच्चा वापस घर आएगा तो एक बहुत बड़े कोचिंग सेंटर से डिग्री लेकर आएगा; क्या पता, क्या करके आएगा।

सभापति महोदय, एक दिन मेरे साथ ट्रेन में दो लड़के चेन्नई के, कोटा से भवानीमण्डी के बीच में, जब मैं जा रहा था तब दो छात्र मेरे पास बैठे थे, दोनों सिगरेट पी रहे थे; दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे नशेड़ी हों। उन्होंने बोला, हम घर पर जाकर क्या जवाब देंगे? हम पास नहीं हुए। ऐसा लगता है, ट्रेन से कूदकर यहीं आत्महत्या कर लें। ऐसा 90 प्रतिशत छात्रों का हाल है।

और तो और कोचिंग सेंटर वाले भू-माफिया वहां इतने पनप गये; भू-माफिया उनको कहते हैं, परश्यूएड करते हैं कि 20 बीघा जमीन है, इस 20 बीघा जमीन में हम आपको एक बीघा जमीन देते हैं, आप यहां मकान बनाओ। 'एलन' नाम की एक संस्था है जो उसमें बोर्ड लगा देती है। 300 रुपये स्क्वायर फीट की जमीन होती है, वह 7 हजार स्क्वायर फीट में बिकती है। एक गरीब आदमी वहां आशियाना नहीं बना सकता, किराये का मकान ले नहीं सकता। ऐसी स्थिति कोटा में है।

और तो और, जो गरीब परिवार की छात्राएं हैं, मेरी बहनें, उनको इस आपा-दापी, इस आधुनिक भौतिकवाद और इस पाश्चात्य संस्कृति में ना जाने अपने जीवन से कितने समझौते करने पड़ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसका सचित्र वर्णन, यह वर्णन मैं कर रहा हूं, कोटा के अन्दर एक बिहार टाइगर फोर्स के नाम से...

**श्री सभापति**: सजीव। सचित्र नहीं, सजीव।

**श्री रामचन्द्र** (डग): सजीव बोला है सर। कोटा के अन्दर बिहार टाइगर फोर्स नाम की एक संस्था लड़कों ने बना ली। वे चेन स्नैचिंग करते हैं, उनके पास अवैध हथियार हैं। वैभव अपहरण कांड में भी अगर आप देखेंगे तो उनकी संदिग्ध भूमिका पाई जाएगी। इस प्रकार के कृत्य कोटा के अन्दर हो रहे हैं।

कोचिंग सेंटर वाले, पूरे के पूरे देश के जितने भी गरीब लोग हैं उनके बच्चों को, मध्यम वर्ग परिवार के बच्चों को, और जो आदमी सशक्त है, पैसे वाला है उसको तो कोई प्रोब्लम नहीं है; बड़े अधिकारियों से, राजनैतिक

(श्री रामचन्द्र)

रसूखात वालों से ये अपना सम्बन्ध स्थापित करके, इस पूरे जाल में इन बच्चों को फंसा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में निश्चित रूप से एक रेग्यूलेटरी एक्ट बनना चाहिए, एक नीति निर्धारण होना चाहिए, एक मापदण्ड होना चाहिए ताकि आम आदमी, जो गरीब अपने परिवार को, अपने बच्चे के भविष्य के रूप में देखना चाहते हैं; प्रधान मंत्रीजी कह रहे थे, ओबामा ने भी एक दिन कहा था, अमेरिका वालों, चेतो, नहीं तो भारत के लड़के यहां आकर राज करने लग जाएंगे; जिस देश की दिव्यता और ऐतिहासिक भव्यता इतनी जोरदार हो, 65 प्रतिशत युवा जिस देश में रहते हों, माननीय प्रधान मंत्रीजी भी कहते हैं कि इस राष्ट्र की युवा पीढ़ी है, उसको आगे आना चाहिए; ये निराशा में डालने का काम करते हैं, हताशा में डालने का काम करते हैं। निराशा में जा रहे हैं सब।

मेरा आपसे निवेदन है सदन के माध्यम से कि ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि कोचिंग सेंटर वाले इन बच्चों से और उनके अभिभावकों से मनमाने तरीके से फीस वसूली बंद करें। इनको संरक्षण दें। वहां के विद्यार्थी जो 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाते हैं, एजुकेशन में आर टी ई है, वैसे उनको प्रावधान करें कि उन बच्चों को पढ़ाएं, उन गरीब बच्चों को संरक्षण देकर जो उनकी मेधाविता है, लक्षण है, उनको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: रेस्पोंड कर रहे हैं?

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह बात, प्रदेश में इंजीनियरिंग, मेडिकल, सी ए और विधि के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, जयपुर, कोटा और अन्य शहरों में, पूरे देश के विभिन्न राज्यों से लाखों की तादाद में यहां कोचिंग सेंटर्स में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इसका उजला पक्ष यह है कि हमारा प्रदेश एजुकेशन हब के रूप में परिवर्तित हो रहा है। उसके साथ-साथ यह बात भी सही है कि इन कोचिंग सेंटर्स पर फिलहाल कोई नियंत्रण नहीं हैं, कोई नियम भी नहीं है और कोई दिशा-निर्देश भी अभी विद्यमान नहीं है। तो मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि एक अधिकारियों की टीम बनाकर, अन्य राज्यों में कोचिंग सेंटर्स के क्या दिशा-निर्देश हैं, क्या-क्या उनके नियम हैं, उनका अध्ययन करके, किस प्रकार से इनको रेग्यूलेट किया जाए; नियम बनाये जाएंगे और उचित कार्यवाही की जाएगी। निश्चित रूप से

(श्री कालीचरण सराफ)

यह ध्यान रखा जाएगा कि अभिभावकों और बच्चों का जो शोषण होता है, वह नहीं हो।

**श्री सभापति**: विराजें।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): सभापति महोदय, एक मिनट मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो।

**श्री सभापति**: हां, आपको कौन रोकता है?

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कहा है कि ये कुछ कार्यवाही करेंगे। जब तक कार्यवाही करेंगे, नियम बनेंगे, सरकार आज चेती है, तब तक तो बहुत सारे लोगों का भविष्य भी खराब हो जाएगा। जिस प्रकार से डग से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थिति का चित्रण किया, यह लैण्ड माफिया, वैसे ही एक एजुकेशन माफिया भी हो गया। एजुकेशन माफिया से लोग सतर्क रहें, उनकी सतर्कता के लिए आप कोटा में, जयपुर में इस प्रकार के विज्ञापन भी दें कि आप सतर्क रहें। एक काउंसलिंग सेंटर बनाएं सहायता केन्द्र बनाएं और उसी के साथ-साथ अगर कोई धोखाधड़ी की शिकायतें पाई जाती हैं तो उस पर पुलिस या अन्य संस्थाओं के माध्यम से वे इस पर कार्यवाही भी करें। इस प्रकार का मेरा आपसे अनुरोध है। कृपया इस ओर ध्यान दें।

**श्री सभापति**: आपके अनुरोध पर कुछ कहना है, आपके अनुरोध पर?

श्री राजेन्द्र सिंहजी भादू।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): एजुकेशन माफिया पर ये लगाम नहीं लगाना चाहते हैं।

**श्री सभापति**: वे आपके अनुरोध पर कोई गीत नहीं सुनाना चाहते। आपके अनुरोध पर कोई भी गीत नहीं सुनाना चाहते हैं वे।

श्री राजेन्द्र सिंहजी भादू।

## सूरतगढ़ के राजस्व सम्बन्धी मामलों का निस्तारण

**श्री राजेन्द्र सिंह भादू** (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के राजस्व सम्बन्धी मामलों की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरी सूरतगढ़ तहसील के अन्दर बहुत-सी ऐसी भूमि है जो सरकार के

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

पास थी और अलाटमेंट आने के बाद, कहीं पुख्ता अलाटमेंट हो गई, कहीं टी सी पर अलाट हुई। टेम्परेरी कल्टिवेशन के नाम से जिन अस्थायी जमीनों का आबंटन किया गया, वे जमीनें आज की तारीख में वैसे की वैसे पड़ी हैं। वहां इतने बड़े-बड़े खसरे हैं, एक-एक खसरे के अन्दर 50-100 बीघा से लेकर 500-1,000 बीघा तक की जमीनें, जिसमें काश्तकारों को जमीन दी गई लेकिन आज की तारीख में भी, इतने साल के अलाटमेंट में भी किसानों को यह पता नहीं है कि हम कौनसी जगह बैठे हैं। उन किसानों को इस बारे में जानकारी नहीं है। जमीन जरूर वे काश्त कर रहे हैं, सभी अपनी भूमि को एक जगह बैठे काश्त कर रहे हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि 12 नम्बर खसरे में मेरी जमीन अलाट हुई है और मैं 117 नम्बर खसरे के अन्दर बैठा काश्त कर रहा हूं। इसकी जमीन की, जो मेरा सीमा ज्ञान है, मेरे आस-पास के पड़ोसी कौन होने चाहिए, इस तरह का आज तक हमारी सूरतगढ़ की राजस्व तहसील में कोई पैमाइश नहीं हुई, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। जो जहां बैठे हैं, वे उन्हीं खसरों के अन्दर बैठे हैं। उनसे ज्यादा परेशानी इस बात की होने लग गई है कि एक तो जमीनें महंगी हो गईं, उसके साथ-साथ लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं, उसके अलावा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से कुछ क्षेत्र के अन्दर पानी लग गया, वह भूमि सिंचित भी हो गयी है। इस करके खसरों की जो पैमाइश है, और खास करके हमारे पीपासर, इन्दोर, उदयपुर, इन गांवों का तो है, और इन गांवों का मैं विशेष रूप से वर्णन चाहूंगा जिनमें हजारों बीघा भूमि ऐसी है, जो किसी को, खुद को ही पता नहीं है कि हमारी भूमि कहां है और हम कहां बैठे हैं। इसलिये खसरों की पैमाइश करवाकर किसानों की सही निशानदेही की जाये। बल्कि मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से, कि उनकी पूरी ठीक ढंग से तरमीम करवाने के लिए एक कमेटी का गठन हो और वे सही जगह पर, जहां किसान बैठा है, उसी के अन्दर; इसमें आवश्यकता हो किसी कानून को बदलने की तो खसरों का, जो आपस में बदलने का सवाल है, अगर मेरा खसरा दूसरा है और मैं कहीं दूसरे खसरे में बैठा हूं, तो उनके तबादला देने की इस तरह की एक नीति सरकार बनाये ताकि जो जहां काश्त कर रहे हैं, जो किसान जिस जगह काश्त कर रहे हैं, जहां उनकी जमीन इतने सालों से लगातार, तीन-तीन पीढ़ियों से चल रही है, तो वहीं उन लोगों को उस भूमि के फिट कर दिया जाए, तरमीम करके उनको वहां स्थापित कर दिया

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

जाये और वह खसरा परिवर्तन करके उनको खातेदारी अधिकार दिये जाएं। इस तरह का मामला मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, 1955 की 15-एएए के अन्दर, या उसके पश्चात की जो जमीनें हैं उनके अन्दर तरह-तरह के 15-एएए के अन्दर, जैसे सरकार खातेदारी देने के लिए किसानों से गिरदावरी की नकल और पुरानी चीजें मांगती है, जबकि सरकार ने खुद ने अलाट की है। आज से जब भी कभी वह 15-एएए की, 1955 के पूर्व की जो जमीनें थीं, वह सरकार की तो अलाट की गई हैं। अत: ऐसी जमीनें, जिनके पास किसानों का लगातार कब्जा चला आ रहा है और वह टी.सी. होल्डर के रूप में, किसी न किसी रूप में जहां भी बैठे हैं, तो वहां राजस्व विभाग के, जिस तरह से माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अभी घोषणा की थी, राजस्व विभाग द्वारा कैम्प लगवाकर उन गांवों के अन्दर, वहीं सारा राजस्व रिकार्ड ले जाकर उनको खातेदारी प्रदान की जावें ताकि लोगों को अनावश्यक तहसील के चक्कर न लगाने पड़ें। क्योंकि तहसील के अन्दर चक्कर लगाने से जब वे पटवारी के पास में जाएंगे, जब गिरदावरी की बात करेंगे, जब तहसीलदार से रिपोर्ट मांगेंगे, तो निश्चित रूप से न जाने कितनी जगह जमींदारों को वहां ठगा जाएगा और उनको जल्दी से देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसलिये मैं सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कैम्प लगाकर वहां लोगों को खातेदारी के अधिकार दिये जाएं।

इसके अलावा, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी एक समस्या है। सूरतगढ़ शहर के आसपास की पेरिफेरी लगभग 8-10 किलोमीटर की है। उसके अन्दर किसानों को आज से बहुत पहले जमीन अलाट कर दी गईं, कुछ लोगों की खातेदारी हो गई, लेकिन वे सारी की सारी जमीनें आज भी खसरों में हैं। चकबंदी नहीं होने की वजह से खुद किसान को पता नहीं है कि मेरी जमीन कहां है और सूरतगढ़ के अन्दर जब पेरिफेरी में वे जमीनें आ गयीं तो उनका वह मामला वैसे के वैसे ही लटक गया। राजस्व विभाग ने, जो नियम हैं, उनके मुताबिक जमीन की खातेदारी का अधिकार तहसीलदार को होता है, उसके बाद में उप खण्ड अधिकारी को और ज्यादा से ज्यादा कलक्टर को, लेकिन पेरिफेरी की जो जमीनें हैं, उसके अन्दर उप खण्ड अधिकारी के माध्यम से कलक्टर से मंजूर होने के बाद में बीकानेर के सम्भागीय आयुक्त के पास में वे जमीनें, उनकी खातेदारी की परमिशन लेने के लिए भेजी जाती हैं। और

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

आज तक कभी भी उस जमीन की किसी तरह की कोई खातेदारी नहीं हुई। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि वे इस तरह की व्यवस्था करें, सूरतगढ़ तहसील की जो पेरिफेरी है, उसके अन्दर जो किसान जहां बैठा है और जिनको बहुत पहले से भूमि अलाट हो चुकी है, उनको खातेदारी प्रदान करें। यह एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। इसके साथ-साथ सूरतगढ़ शहर की नगरपालिका की जो भूमि है, जो हजारों बीघा जमीन नगरपालिका की सूरतगढ़ के चारों तरफ पड़ी है, उसका भी सीमाज्ञान कराना जरूरी है। उसका सीमाज्ञान हो जाये और उसके बाद में किसानों की जो टी.सी. भूमि है उनका अलाटमेंट हो जायेगा। इस तरह की मैं सरकार से उम्मीद करता हूं।

इसके अलावा, सिंचित क्षेत्र जो हो गया है उन सबके अन्दर चकबंदी कराई जाये। सूरतगढ़ की राजस्व तहसील की चकबंदी नहीं करवाई गई तो इससे किसानों को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा।

आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि वन विभाग हो या जोहड़ पायतन की जमीनें हों, एक ऐसा महत्वपूर्ण बहुत बड़ा मुद्दा है, माननीय सभापति महोदय, जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह एक ऐसा मुद्दा है, आज से 20-30-40 साल पहले किसान को रकबा राज मानकर जमीन अलाट कर दी गयी। आज, मान लीजिये, मैं भूमिहीन था और पात्र था जमीन लेने में, मेरे को सरकार ने जमीन दे दी; एक मुरब्बा जमीन या दो मुरब्बा, जो भी सीमा थी जमीन लेने की, उतनी मेरे को जमीन दे दी। उसके बाद में, उसमें या तो अब दुबारा जब, जिस दिन मेरे को जमीन अलाट हुई, उस दिन तो वह रकबा राज था, यह नकल लेकर सरकार ने उसको अलाट की, लेकिन उसके बाद में जब नई कोई जमाबंदी बनी, न जाने कहां से, एक जगह कहीं लिखा हुआ आ गया कि यह प्रस्तावित वन विभाग की भूमि है, जबकि वहां वन विभाग का कोई लेना-देना नहीं है, आज तक वन-विभाग वहां गया नहीं, आज तक मौके पर किसान का कब्जा-काश्त चला आ रहा है; या जोहड़ पायतन की जो जमीनें हैं, उनके अन्दर लिख दिया, यह प्रस्तावित जोहड़ पायतन की जमीनें हैं, जबकि कई-कई मामले तो ऐसे हैं, जो 1960-65 से अलाटमेंट हुई जमीनें हैं। उनको भी आज जोहड़-पायतन की या वन विभाग

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

की बात करके माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार उनके खिलाफ हमारे ए.डी.एम. और एस.डी.एम. कार्यालय में चल रहे हैं। निश्चित रूप से यह बहुत गम्भीर विषय है। इसके पूरे राजस्व रिकार्ड की जांच करवा कर, अगर वह भूमि पहले रकबा राज थी तो फिर वह वन विभाग की या जोहड़ पायतन की कैसे हो गई? अगर वह ऐसी भूमि नहीं है तो ऐसी भूमि को मुक्त करके किसानों को राहत प्रदान की जाये और जिनके पास खातेदारी नहीं है उनको खातेदारी अधिकार दिये जाएं। अगर खातेदारी अधिकार वाली जमीनों के इस तरह के केस ए.डी.एम. या एस.डी.एम. कोर्ट में चल रहे हैं तो उन्हें राजस्थान सरकार अपने स्तर के ऊपर विथड्रा करे, ऐसी मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं।

इसके अलावा, गांव और चक बड़ी संख्या में वन विभाग और जोहड़ पायतन की भूमि पर बन गये हैं। उनके विषय में भी मैं निवेदन करूंगा कि उस पर भी गम्भीरता से सोचा जाये। क्योंकि इतने बड़े गांव, इतनी बड़ी-बड़ी ढाणियां, इतने बड़े-बड़े चक वहां बन गये हैं। इसके अलावा सरकारी इमारतें भी बन गयी हैं, वन विभाग की भूमि के अन्दर आज दसवीं और बारहवीं तक के स्कूल बने हुए हैं, वन विभाग की भूमि के अन्दर पंचायत घर बने हुए हैं। इस तरह की बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स का जहां निर्माण हो चुका है, तो निश्चित रूप से इस पर सरकार क्या फैसला करेगी, यह सरकार खुद सोचे और इस मामले का निस्तारण अति आवश्यक है।

इसके अलावा...

**श्री सभापति**: अब इसके अलावा और क्या बच गया?

**श्री राजेन्द्र सिंह भादू** (सूरतगढ़): एक और बच गया, जी।

सूरतगढ़ तहसील में राजस्व भूमि के पैमाइश कराने का जहां तक मसला था, वह पहले कभी नहीं हुआ। पिछले पांच साल की सरकार के अन्दर एक भी अलाटमेंट कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में विशेष रूप से ध्यान देकर जो पिछले पांच साल के अन्दर लगातार किसान प्रभावित हुए, पांच साल पहले जो काम होना चाहिए था, वह आज तक नहीं हुआ; इसलिए वहां उनके एक खातेदारी कमेटी को, जो उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, एक उसमें अनुसूचित जाति का और बाकी

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

विधायक, जो भी उस कमेटी के मेम्बर, नियमानुसार कमेटी बने; उस कमेटी का बनाकर जल्द से जल्द इसके अलाटमेंट का काम भी शुरू किया जाये। और पैमाइश जितनी सूरतगढ़ तहसील के चकों की है, उन सब चकों की पैमाइश करवाकर, बाकायदा उनके खसरों के अन्दर तरमीम करवाकर, और अगर कोई नहरी क्षेत्र है, जहां सिंचाई हो रही है, जहां चकबंदी हो सकती है, तो उनकी चकबंदी करवाई जाए। उसके अन्दर रास्तों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये। पूरे क्षेत्र के अन्दर रास्तों की बड़ी कमी है। एक खेत से दूसरे खेत के अन्दर जाने के लिये, जिस तरह से आज आबादी बढ़ी है, पहले आपस के अन्दर रास्ते खूब चलते थे, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ नये-नये हिस्सों के अन्दर, एक जमीन चार हिस्सों में बंट गयी तो चार भाइयों के आपस में आने-जाने के लिए भी रास्तों की भी खसरों के अन्दर बड़ी दिक्कत है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा, हमारे जो जमीनों का अलाटमेंट है, बहुत पुराना हो रखा है। बहुत पुराना अलाटमेंट हो रखा है। उनके, कई लोगों की, कई किसानों की, कोई अकाल के चलते और किश्तें भरने, बाकी जो बकाया थीं, वे भरने से वंचित रह गये। मैं एक विनम्र निवेदन करूंगा सरकार से कि उनका ब्याज माफ करके एकमुश्त किश्तें जमा कराई जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने ये सारी बातें आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखी हैं, ...(व्यवधान) निश्चित रूप से सरकार कार्यवाही करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से दो मिनट बात करूंगा। बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है।

**श्री सभापति**: नहीं, पहले मंत्री महोदय।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। मंत्री महोदय रेस्पांड कर रहे हैं, एक छोटा-सा इश्यू है, और पूरे राजस्थान के इंटरेस्ट की बात है।

**श्री सभापति**: नहीं, नहीं, आप बैठिये।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से।

**श्री सभापति**: नहीं, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। आप बैठिये। मैं बताता हूं आपको। ये बोल लें, उसके बाद आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

**श्री अमराराम** (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय सभापति महोदय, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी वहां उनके ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: चार-पांच प्रमुख मुद्दों का बता दें। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (राज्य मंत्री, राजस्व): सूरतगढ़ तहसील में राजस्व के जो तहसीलों में या एस.डी.एम. कोर्ट में या ए.सी.एम. कोर्ट में या अपने डिविजन लेवल पर, वह सम्भाग अधिकारी के पास में रेवेन्यू के मामले जो हैं, उनका निस्तारण तेज गति से नहीं हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, आज जो भी क्राइम बढ़ रहे हैं, चाहे आई.पी.सी. के क्राइम हों, चाहे अन्य प्रकार के क्राइम हों, जमीनों के विवाद के कारण आज अदालतों के अन्दर किसान चक्कर काटता फिर रहा है। एक कारण यही है कि पहले सेटलमेंट हुआ और वह कोई पुख्ता सेटलमेंट नहीं हुआ। एस.ओ. ने, ए.एस.ओ. ने, अमीन ने, गिरदावर ने, जो भी काम किया, वह किसानों को, एक स्थान पर 'ए' आदमी बैठा है तो 'बी' को, 'बी' को 'सी' पर बता दिया, 'सी' को 'डी' पर बता दिया और रिकार्ड के अन्दर हेराफेरी कर दी। इस बात के लिए हम लोग भी बहुत चिंतित हैं, सरकार चिंतित है।

माननीय सभापति महोदय, आपको मालूम है कि 'प्रशासन-आपके-द्वार' कार्यक्रम पर हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री और मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यगण इन जिला-गंगानगर, जिला-हनुमानगढ़, जिला-बीकानेर, इन गांवों का दौरा करके जो हमारे किसानों की मूलभूत समस्याएं थीं, जमीन के सम्बन्ध में, उनसे मौके पर जाकर उन्होंने सुनवाई की और उनमें यह पाया गया कि किसानों के लिए अभी तक वहां की जो स्थिति है, वह बहुत नाजुक है। इसके लिए अभी हाल ही में माननीया मुख्य मंत्रीजी और डाक्टर रामप्रतापजी और हमने अधिकारियों को बुलाकर हमारे कालोनाइजेशन कमिश्नर को बुलाया, हमारे राजस्व विभाग के सचिव को बुलाकर हमने करीब तीन घंटा इस पर मंथन किया है कि ये जो इनकी समस्याएं हैं, इनका निराकरण कैसे किया जाए। पोंग डैम वाली है, उसके लिए भी हमारे माननीय श्री गुलाब चन्दजी, जो कि हमारे अध्यक्ष हैं उस कमेटी के, इन्होंने भी इस बारे में बहुत गम्भीरता से विचार किया है और उसका भी समाधान शीघ्र होने की सम्भावना है।

माननीय सभापति महोदय, सूरतगढ़ तहसील में ग्राम पीपासर और चक गोदारान व चक अमरपुरा की कृषि भूमि संवत् 2038 की पैमाइश को निरस्त कर पुन: पैमाइश किये जाने की पूर्व में मांग की गयी। प्रकरण जो है,

(श्री अमराराम)

प्रक्रियाधीन है। भू-प्रबंध विभाग की इस सम्बन्ध में विस्तृत टिप्पणी चाही गयी है और प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, सूरतगढ़ में कुछ ऐसे क्षेत्रों में राजस्व जमाबंदी में आराजी भूमि पर प्रस्तावित यह वन विभाग के बारे में कह रहे थे। कई जगह पर वन विभाग जो है, जमाबंदी में नोट लग गया। तो इसको किसी प्रकार से, जब काश्तकार कई वर्षों से बैठा है, उसने अपने मकान बना लिये हैं, तो उस काश्तकार को वहां से हटाने में कितनी तकलीफ होती है। इसीलिए इसको भी हम दुरुस्त करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और प्रकरण में जिला कलक्टर से विस्तृत प्रस्ताव पर जानकारी प्राप्त होने पर कार्यवाही सम्भव होगी।

सूरतगढ़ नगरपालिका में इन्होंने पेरिफेरी के बारे में कहा है। मैं यह बताना चाहूंगा कि गैर-खातेदार से खातेदारी लिये जाने के प्रकरण कई वर्षों से लम्बित हैं; कोई आज से नहीं हैं। तो इन प्रकरणों में गैर-खातेदारी से खातेदारी न्यायालय, सम्भागीय आयुक्त द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकार के प्रकरण कितने हैं, इस सम्बन्ध में गंगानगर कलक्टर से मैंने रिपोर्ट मंगवाई है और मंगवाकर इस पर शीघ्र ही कार्यवाही करना सम्भव होगा।

माननीय सभापति महोदय, श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ क्षेत्र को मिलाते हुए लगभग 50-60 गांव ऐसे हैं जिनमें खसरों में तरमीम की मांग की जा रही है। तरमीम गलत है। तो मैंने पहले भी कहा कि 'ए' की जगह 'सी', 'सी' की जगह 'डी', इस प्रकार से; इस हेतु भू-प्रबंध विभाग, सेटलमेंट जो विभाग है हमारा, उनसे हमने प्रस्ताव चाहे हैं।

**श्री सभापति:** यह 'जेड' तक चला गया है। ए, बी, सी, डी तक ही नहीं है, 'जेड' तक हो गये हैं। हां।

**श्री अमराराम** (राज्य मंत्री, राजस्व): अच्छा। प्रस्ताव प्राप्त होने पर यह कार्यवाही की जा सकेगी।

माननीय सदस्य द्वारा जो विभिन्न मुद्दे उठाये गये हैं, उनके सम्बन्ध में जिला कलक्टर और कालोनाइजेशन कमिश्नर से विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई जाकर उस पर मैं अवश्य ही कार्यवाही करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह 50-60 के ये हैं, जिनमें तरमीम सही नहीं है, उनमें पूर्व में यह रकबा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में था, जो वर्ष 1986 में राजस्व विभाग को आया

(श्री अमराराम)

है और इस भूमि में से कुछ भूमि आबंटन किया जाना, उपनिवेशन विभाग द्वारा किया गया है लेकिन इसका अमल दरामद रिकार्ड में नहीं किया गया हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मौके पर आबंटियों के नाम से अमल दरामद नहीं होने के कारण काश्तकारों के मध्य विवाद होते रहते हैं। इस कारण तरमीम कार्य करवाया जाना आवश्यक है। यह कार्य अब भू-प्रबंध विभाग द्वारा, यानी सेटलमेंट विभाग के द्वारा करवाया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, इसके समाधान के लिए भू-प्रबंध विभाग द्वारा सम्बन्धित 55 ग्रामों का तरमीम कार्य सम्पादित करवाये जाने के बाद सम्बन्धित किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। इस सम्बन्ध में उनकी स्वीकृति उपरांत कार्य योजना तैयार की जाएगी।

अब यह टेम्परेरी कल्टिवेशन, मैं निवेदन कर रहा हूं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, इनको पुख्ता आबंटन करना, इसके लिए सलाहकार, जो आबंटन सलाहकार कमेटी है, उसमें शिड्यूल्ड कास्ट का भी वहां सदस्य होता है, उसी के अनुसार कमेटी का शीघ्र ही गठन करके और उनको पुख्ता आबंटन किया जाएगा।

पेरिफेरी में भी जो है, जैसा कि इन्होंने कहा कि सूरतगढ़ नगरपालिका के अन्दर जो पेरिफेरी में आ रहे हैं, इनका मास्टर प्लान क्षेत्र में आ चुका है। इनके खातेदारी अधिकार सम्भागीय आयुक्त महोदय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर भूमि की डी.एल.सी. दर से 10 प्रतिशत राशि वसूल करके प्रदान किये जाते हैं।

इसलिए हम इसमें बहुत गम्भीर हैं और आज भी हमने गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के जो भी हमारे सम्माननीय विधायक हैं, उनकी मीटिंग और सेक्रेटरी, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको बुलाकर जो भी इनकी वहां की भूमि सम्बन्धी कोई भी समस्या है, उसको दूर करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। यही मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं।

**श्री सभापतिः** धन्यवाद। प्रहलाद जी, यह मामला सूरतगढ़ का है। सूरतगढ़ का है।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): गैर-खातेदारी से खातेदारी पूरे राजस्थान का मामला है। दो मिनट में मैं निवेदन करना चाहूंगा।

**श्री सभापतिः** नहीं, नहीं, राजस्थान का नहीं, सूरतगढ़ का है।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): माननीय सभापति महोदय, यह कैनाल एरिया है, मैं भी निवेदन करना चाहूंगा। (व्यवधान)

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): यह विषय सब जगह है। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में अपनी बात कहूंगा।

**श्री सभापति**: एक मिनट। एक मिनट। आप पूछ लीजिए।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): गैर-खातेदारी से खातेदारी लैंड रेवेन्यू एक्ट में, टीनेंसी एक्ट में 3 साल जिसने फसल कर ली, उसको खातेदारी अधिकार देने का, हमारे यहां पर तीन साल है। हमारे यहां पर तीन साल है, साहब।

**श्री सभापति**: पूरी बहस की अनुमति नहीं है। आप एक प्रश्न पूछेंगे।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): मैं यह निवेदन कर रहा हूं, साहब, अभी नगरपालिकाओं की सीमा का विस्तार होने के बाद एक अधिसूचना जारी हो गयी कि गैर-खातेदारी से खातेदारी अगर किसान, 2000 के बाद कोई अलाटमेंट नहीं हुआ, जिसको 20 साल पहले अलाटमेंट हो गया और आज वह खातेदारी लेने के लिए जाता है तो डी.एल.सी. रेट पर कहीं पर 10 परसेंट, कहीं पर 20 परसेंट; आज कोटा में स्थिति यह है कि कोटा की पेरिफेरी में जो गरीब किसान 5-5, 10-10 बीघा में खेती करते थे, गैर-खातेदारी है, आज डी.एल.सी. रेट 40 लाख रुपया बीघा है तो दस बीघा वाले को 40 लाख का या 20 परसेंट है तो 80 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा, तब जाकर उसको खातेदारी अधिकार मिलेंगे। वह अपनी जमीन बेचेगा, तब खातेदारी ले पाएगा। इस कारण से दलाल बढ़ रहे हैं। गरीबों को खातेदारी मिल नहीं रही है। गैर-खातेदारी की जमीन खरीद रहे हैं। हम आपको खातेदारी अधिकार दिलाएंगे, इसकी एवज में सस्ते दामों पर जो शहर की पेरिफेरी के किसान हैं, उनको जमीन बेचनी पड़ रही है। इसलिए गैर-खातेदारी से खातेदारी के अधिकार, बिना किसी प्रकार की डी.एल.सी. रेट का सरचार्ज लगाये, सरकार दे। यह कोई पार्लियामेंट ने या असेम्बली ने कोई एक्ट पारित नहीं किया...

**श्री सभापति**: विराजिए।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): कि आप डी.एल.सी. का 10, 20 परसेंट लो। एक रेवेन्यू विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी और गरीबों का गला काटने का अभियान शुरू हो गया। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: इस पर विस्तृत चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ लीजिए।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): निश्चित रूप से सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। एक छोटा-सा विषय, दस बीघा खातेदारी में, अगर आधा बीघा वह सिवायचक आ रही है तो नगर निगमों की पेरिफेरी में उन किसानों के साथ इतना जुल्म हो रहा है। सारी जमीन, कलक्टर ने एक आदेश से, दस बीघा के बीच की आधा बीघा भी यू.आई.टीज. को और म्यूनिसिपेलिटीज को अलाटमेंट कर दी।

**श्री अमराराम** (राज्य मंत्री, राजस्व): हम किसानों पर जुल्म नहीं होने देंगे और माननीय सदस्य की भावना का आदर करते हुए, आपकी भावनाओं का आदर करते हुए, सही जो भी निर्णय होगा, परीक्षण करवाकर करेंगे। किसानों के साथ किसी प्रकार का जुल्म यह सरकार कभी नहीं करेगी।

**श्री सभापति**: विराजिए। हां, राजवी साहब।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी ने काफी विस्तृत से बताया है, लेकिन कालोनाइजेशन की जो गतिविधि है, वह सेटलमेंट की गतिविधि है और बीकानेर के 34 गांव हैं, सूरतगढ़ के लगभग 16 गांव हैं, पेरिफेरी से सम्बन्धित नहीं हैं। टी.सी. आबंटन या पहले गैर-खातेदारी थे, तो उसके अन्दर फिर रकबा राज लिखा जाता है कालोनाइजेशन गिरदावरी में और जमाबंदी में, और उसके बाद में वापस रिवर्ट वही होना चाहिये जो एंट्री उन्होंने आरम्भ में, कालोनाइजेशन एक्ट जब लागू किया, कॉलोनी एरिया उसको डिक्लेयर किया; लेकिन उन्होंने टी.सी. आबंटन कर दिया और टी.सी. के बाद में, अब जब परमानेंट वह करते हैं तो दो काश्तकारों के बीच में एक टकराव होता है। उसका गैर-खातेदारी अधिकार एज-ए तो सुरक्षित है, उसको तो खातेदार घोषित करेंगे नहीं और टेम्परेरी कल्टिवेशन वाले को दे दें। आधे में ऐसा निर्णय दिया, आधे में वैसा दिया है।

तो 10 परसेंट का प्रश्न नहीं है और यह जांच हुई, हुई है, रिकार्डेड है सब जगह; मैं 34 गांव बता रहा हूं, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, 34 के सवा 34 नहीं हो सकते, लेकिन उसमें जिन अधिकारियों ने यह गड़बड़ की, बाद में टी.सी. आबंटन किया है, गैर-खातेदारी पहले था, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। कमिश्नर काहे के लिये बैठा है वहां पर? कमिश्नर अगर बैठा है तो गैर-खातेदारी पहले दर्ज है या नहीं है, उसकी रिपोर्ट होनी चाहिये, उसके बाद में आबंटन, अगर टी.सी. करें या कैसे भी करें, तब तो इस समस्या का समाधान

(श्री नरपत सिंह राजवी)

होगा; बाकी पेरिफेरी में और 10 परसेंट डी.एल.सी. रेट के लेने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। लोग सुप्रीम कोर्ट तक गये हुए हैं। धन्यवाद।

**श्री सभापति:** रामहेत जी लास्ट प्रश्न पूछेंगे, फिर मंत्रीजी जवाब देंगे।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, अलवर और भरतपुर, जो मेवात का इलाका कहलाता है, इसमें विभाजन के समय जो यहां के निवासी थे, जो पाकिस्तान चले गये थे,...

**श्री सभापति:** यह इससे जुड़ा हुआ नहीं है।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास): इसके बाद उनको कस्टोडियन विलेज माना गया और जो वहां पर पुनर्स्थापित हुए, जो पुरुषार्थी और जो लोग आये, उनको वह भूमि अलाट हुई। आज तक भी ऐसे हजारों-हजारों केस हैं कस्टोडियन लैंड के, जिनको आज तक खातेदारी नहीं मिली, उनको पट्टा नहीं मिला। विशेष रूप से जहां सरकारी योजनाओं में यह एक्वायर हो जाती है, तो उनको मुआवजा नहीं मिलता।

मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, क्या सरकार अलवर, भरतपुर, या यह जो मेवात का क्षेत्र है, जहां कस्टोडियन गैर-खातेदारी है, उन गैर-खातेदारों को कब तक खातेदारी दे देंगे? यह आपसे पूछना चाहता हूं।

**श्री सभापति:** जवाब देना चाहेंगे?

**श्री अमराराम** (राज्य मंत्री, राजस्व): नहीं।

**श्री सभापति:** अगली पर्ची। श्रीमती चन्द्रकांताजी। (व्यवधान) वह चर्चा समाप्त हो गयी, नाम पुकार लिया।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): एक मिनट, बस। राजस्व विभाग की तरफ से सभी जगह कैम्प लग जाएं तो सबकी हो जाए।

**श्री सभापति:** यह नियमों में गलत होगा। श्रीमती चन्द्रकान्ताजी।

## रामगंजमण्डी (कोटा) में सड़कों की दुर्दशा

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से कोटा की जर्जर सड़कों के बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी। जयपुर शहर के अन्दर हम लोग, चाहे हमारे पास संसाधन हैं या नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने मन बना लिया कि मेट्रो चलानी है और हम मेट्रो चलाने के लिए पूरी तैयारी में हैं, लेकिन कोटा का, चाहे कोटा स्टोन विश्वविख्यात हो, चाहे कोटा

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कोचिंग विश्व में ख्याति प्राप्त हो, या कोटा की कचौरी या कोटा की कोटा डोरिया साड़ी देश-विदेश में ख्याति प्राप्त हो, परन्तु उसके बावजूद भी जो कोटा की सड़कों की दुर्दशा बनी है, वह वास्तव में आज भी देखने लायक है। जनता को क्या जवाब दें? किस तरह तीन-तीन वर्ष में 53 मौतें एक सड़क पर हो रही हैं, यह बड़ी चिन्ता का विषय है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी वैसे माननीय मंत्री महोदय को, जिनको, जिस सड़क की मैं चर्चा करना चाहती हूं, बहुत जबरदस्त आपको चिन्ता है लेकिन दु:ख सिर्फ इसी बात का है कि अगर किसी सड़क की रिपेयर के लिए, उसके रिनोवेशन के लिए, हम लोग जनता के ट्रस्टी हैं, जो जनता के खरे पसीने की कमाई है, उस 14 करोड़ 60 लाख रुपये की जो रिपेयर उस सड़क पर की गयी, कोटा से दरा की सड़क, वह मात्र कुछ महीने में बह जाये। इस ओर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, कोटा-झालावाड़ मार्ग की खराब हालत है, जगह-जगह गड्ढे, बिलकुल टूटी-फूटी सड़क, और इस चीज की मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र है और रामगंजमण्डी के लिए इसी मार्ग से आये दिन मुझे रोज निकलना पड़ता है। जो हालात इस सड़क के हैं, ट्रैफिक जाम, जगह-जगह गड्ढे और मैं तो कहूंगी कि जो तीन साल में इसमें मौतें हुई हैं, अगर हम हमारी अंतरात्मा पर हाथ रखकर सोचें तो इन पूरी 53 मौतों के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस सड़क के हालात हमने ऐसे पैदा कर दिये, चाहे वन विभाग का सात किलोमीटर का टुकड़ा हो, चाहे पूरी 24 किलोमीटर की हमारी सड़क हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी कि आपकी जानकारी में आने के बाद आपने चीफ साहब को आदेश दिया कि इन सड़कों की जांच करवाई जायें। आपने, चीफ साहब ने एडिशनल चीफ साहब को इसकी जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने इस सड़क के साथ-साथ हाड़ौती की पांच और सड़कें, जो सुकेत-पीपलिया सड़क है, भवानी मंडी रोड, झालावाड़, रायपुर, झालरापाटन, छत्रपुरा, शीशवाली बारां और कवई-छबड़ा हरनोदा, इन सारी सड़कों की भी जांचे कीं। इस कोटा-दरा मार्ग के 24 किलोमीटर सड़क के रिनोवेशन कार्य के लिए 14 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति हुई परन्तु रिनोवेशन कार्यों में अनियमितताएं बरती गयीं, ठेकेदार द्वारा बिना मापदण्ड के अनुरूप इस पर कार्य किया गया। पी.डब्ल्यू.डी. के जो हमारे एडिशनल चीफ साहब हैं, उन्होंने देखा और देखकर आपके मापदण्डों के अनुरूप

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

इसका कार्य नहीं पाया गया। उसके बावजूद भी, जांच के आदेश भी दे दिये, इतनी भारी अनियमितता, इतनी भारी गड़बड़ी इस सड़क पर पायी गयी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सिर्फ मात्र नोटिस थमा दिया। मैं मानती हूं, यह हमारा कर्तव्य नहीं है। हम यह देखें कि किस इंजीनियर की देखरेख में यह काम हुआ, उस इंजीनियर ने कब-कब जाकर वहां पर सुपरविजन किया, उसने क्या देखा और किस अनुरूप यह काम करवाया। इस बात के लिए हमें उन इंजीनियरों के खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिये और जो ठेकेदार, चाहे कोई भी फर्म हो, जिसने यह कार्य किया हो, उसको भी हमें सज़ा देनी चाहिये। यह मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस सड़क के बीच का सात किलोमीटर का टुकड़ा, जो वन विभाग में आता है, जो हमारा टाइगर रिजर्व घोषित हो चुका, और जिस तरह की हमारी जिद्दी है कि हम इस सात किलोमीटर के टुकड़े में दोनों तरफ नाला बना दें ताकि खेत का किसान अपने खेत तक नहीं जा पाये, और ढाबे भी वहां पर हमारे बरसों से लगे हुए थे। मैं इस बात को मान सकती हूं कि टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद वहां पर ढाबे नहीं चल सकते, लेकिन क्या हमने उन लोगों को मुआवजा दे दिया? क्या हम सड़क के दोनों तरफ नाला खोदकर उन किसानों की जो खातेदारी की जमीन है, क्या हम उनको बंद कर सकते हैं? यह भी मैं आपसे इस माध्यम से पूछना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी एक बात की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि सड़कें हम लोग बना रहे हैं लेकिन रामगंजमण्डी की सारी सड़कें, जिनका मैं आज भी आपको नाम बता सकती हूं, हमने सड़क बना दी, चाहे चेचट से मोडक की सड़क हमने बनाई हो, चाहे चेचट से रामगंजमण्डी की सड़क हमने बनाई हो, लेकिन कहां पानी का निकास देना है, क्यों नहीं हमने नाले का निर्माण किया? जैसे ही आपकी सड़कों का काम पूरा हुआ और बारिश शुरू हुई, तो सारी कालोनियों में पानी भर गया। जहां-जहां हम सड़कें बनाते हैं, क्यों नहीं हम जो नदी-नाले हैं, उन पर पुल का निर्माण करते? आज ये हालात बने हुए हैं। मैं तो पूछ रही हूं कि आपके नीचे के जो कर्मचारी हैं, उनसे आज जानकारी लें कि क्या कारण है, बार-बार वहां पर लोग जाम लगा रहे हैं। आप देखिये, मात्र किस तरह से जे.ईएन., ए.ईएन. की मिलीभगत से, जहां वर्षा का पानी निकल रहा था, नाला बना हुआ था, उस

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सड़क को बनाकर पूरा नाला ब्लाक कर दिया। रातों-रात सड़क का काम कर दिया। आज बच्चे स्कूल जाने में भी उस दो-दो फीट पानी में निकल रहे हैं। ये हालात वहां के बने हुए हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगी कि अगर खनन क्षेत्र कहीं पड़ता है तो क्या हम मान सकते हैं, ये डामर की सड़कें वहां पर चल सकती हैं? ये किसी हालत में नहीं चल सकतीं। रामगंजमण्डी, जो राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा राजस्व देता है, आज वहां की सड़कों की हालत हम देखेंगे, अगर कोई तीन किलोमीटर दूर भी मोटरसाइकिल पर बैठकर कोई महिला चली जाये और उसे किसी सामाजिक प्रोग्राम में भाग लेना हो, तो मुझे लगता है, रास्ते में रुककर उसको अपने हाथ-मुंह धोने पड़ें। इतनी डस्ट उसके ऊपर जमा हो जाती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जो हमारी टूटी-फूटी सड़कें हैं, उनको आज के बाद जब भी हमारी सड़कें सैंक्शन हों, सरकार की तरफ से खनन क्षेत्र में सी.सी. रोड बनाएंगे तो मुझे लगता है, हमारे ये सड़कें चल पायेंगी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, अभी दस दिन पहले पाहवा में इतना जबरदस्त एक्सिडेंट हुआ, पूरी सड़कें टूटी हुई हैं। आप चेचट से कंवरपुरा ले लो, हमारी सम्पर्क सड़क बंदा है उसको ले लें, जो हमारी सम्पर्क सड़क झिलारा है आप उसको देखिये, सुकेत-टू-सलावद खुर्द है वह पूरी सड़क है, वन विभाग चाहे बीच में आता है या नहीं आता है लेकिन वन विभाग ने रोड़ा अटका दिया और दस साल से जहां की जहां गिट्टी पड़ी हुई है।

हमारा पीपल्दा है, हमने रोड बना दी लेकिन बच्चे उस रोड से स्कूल की तरफ कैसे जाएंगे? हमारी पीपल्दा-ईश्वरपुरा की सड़क, जहां पर तीन बच्चों की मौत पिछले दो साल में हो चुकी है और मैं गांव के अन्दर जाती हूं तो गांव की जनता को क्या जवाब दूं? इस बात का भी मुझे बड़ा दु:ख है।

**श्री सभापति:** चिंता है।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): आठ-आठ दिन तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ये सड़कें, जो हमारी भीमपुरा है, ढाबादे से मोडक वाली सड़क है, किशनपुरा-डोल्या खेड़ारुद्दा की सड़क है, इन सारी सड़कों की पुलिया के अभाव में जो हालात हैं, बारिश में आठ-आठ दिन तक हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि इसकी भी चिंता हमें करनी पड़ेगी।

**श्री सभापतिः** मंत्रीजी, आप बोल रहे हैं?

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): साहब, सिर्फ एक मिनट।

**श्री सभापतिः** हां, हां, बोलिये न। मैंने तो रोका ही नहीं आपको।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): मैं एक और निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी ढाबादे से कुदाइला रोड है, मैं तो माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से एक सवाल पूछती हूं कि कोई भी, वन विभाग बीच में आकर यह बोल दे कि हम इस सड़क का निर्माण नहीं करने देंगे, मैं पूछना चाहती हूं कि वन विभाग पहले आया, या रामगंजमण्डी पहले बनी, या वह सड़क पहले बनी? हमारी सौ-सौ साल पुरानी सड़कें हैं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, उन सड़कों की यह हालत है कि मैं जाती हूं, मुझे लगता है, हर तीन महीने में मुझे मेरी कमर की वजह से डाक्टर को दिखाना पड़ता है, तो वहां की जनता कैसे रहती होगी? आपसे मेरा निवेदन है, बिलकुल हकीकत बयां कर रही हूं मैं। उस सड़क पर अगर वन विभाग ने पेट्रोल पम्प चलाने की परमिशन दे दी, वहां पर पेट्रोल पम्प चल रहा है लेकिन सड़क की रिपेयर वहां पर नहीं करने दे रहे। तो यह बड़ी चिंता का विषय है।

**श्री सभापतिः** पर्याप्त समय मिल गया, माननीय सदस्या। पर्याप्त समय हो गया।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): साहब, आधा मिनट।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी कोटा शहर के अन्दर की नान्ता सड़क है, थर्मल से हम उदयपुर रोड पर निकलें, अगर हम इन सड़कों के हालात देख लें तो मुझे लगता है, कोई दुबारा जाने के लिए हिम्मत नहीं कर सकता।

**श्री सभापतिः** चन्द्रकान्ताजी, इतने ज्यादा अगर झटके लगेंगे तो आपकी कमर के बजाय मंत्रीजी की कमर को भी सम्भालना पड़ेगा।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): मंत्रीजी को भी झालावाड़ वहीं से निकलना पड़ता है और माननीया सी.एम. साहिबा ...(व्यवधान)

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, दो-दो बार देखकर आये हैं मंत्रीजी खुद जाकर नान्ता वाली...

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): और उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, साहब।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): उसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं है।

**श्री सभापति**: उनकी कमर सलामत है। विराजिये।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): उस सड़क पर तो अगर आदमी निकल जाय, साहब, दुबारा नहीं जाता। (व्यवधान)

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): कोटा जाने वाला आदमी, जितने समय में कोटा पहुंचना है, नान्ता रोड उतना समय खा जाता है। नान्ता के बारे में जरूर कुछ ...(व्यवधान)

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप सड़कें पास कर रहे हों, आपने ओवरब्रिज बना दिया लेकिन अगर आपने अण्डरब्रिज नहीं बनाया; आपको भी जानकारी होगी कि मोडक के अन्दर आपने ओवरब्रिज बना दिया लेकिन अण्डर-पास सैंक्शन नहीं हुआ।

**श्री सभापति**: आप विराज जाएं। विराज जाएं। मंत्रीजी, आप कुछ कहेंगे?

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी):, दो-दो घंटे तक हमारा रेलवे फाटक बंद रहता है।

**श्री सभापति**: मंत्रीजी, कुछ कहेंगे?

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): आपने छह करोड़ रुपया हमें दिया अण्डर-पास रामगंजमण्डी के लिए, क्या कारण है कि आज तक काम शुरू नहीं हो पा रहा? हमारा पैसा, रेलवे काम कर रहा है लेकिन उसके बावजूद रेलवे की इतनी दादागीरी कि हमारे पैसे को लेकर बैठा है। हमारे मई, जून में ये हालात हो जाएंगे कि गांव के व्यक्ति और पूरी रामगंजमण्डी दो पार्ट में बट जाएगी। तो मेरा निवेदन है इसके लिए भी आप कुछ प्रयास करें।

**श्री सभापति**: धन्यवाद। मंत्रीजी, रेस्पोंड करेंगे? (व्यवधान) नहीं, no, I will not allow. (व्यवधान)

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय,...

**श्री सभापति**: नहीं, नहीं, अलाउ नहीं करूंगा। केवल रामगंजमण्डी का इश्यू है, कोटा के रामगंजमण्डी में सड़कों की दुर्दशा के सम्बन्ध में।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): नान्ता का भी जिक्र आया है।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): नान्ता मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, माननीय सभापति महोदय।

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अभी बोल देना।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): नान्ता का भी जिक्र आया है।

**श्री सभापतिः** आपका जिक्र वे कर सकते हैं।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): नान्ता का पुल, साहब, वर्षों से विचाराधीन पड़ा हुआ है, पूरा रास्ता टूटा हुआ है और लोगबाग एक बार उदयपुर के उस रास्ते पर चले जाते हैं तो दुबारा जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति है।

**श्री सभापतिः** विराजिये। विराजिये।

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इन तीनों का नाम छप जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय मंत्री महोदय, मुझे आपत्ति है। नाम छपाने के लिए नहीं बोल रहे हैं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): लेकिन फिर भी मंत्रीजी सड़कों को ठीक नहीं करायेंगे।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, इस सदन में आप कह दें कि नान्ता की समस्या से आप रूबरू नहीं हैं। मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं। नाम छपाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। नान्ता की समस्या इतनी गम्भीर है कि लोगों ने राज बनने के बाद जा कर बोर्ड लगा दिये कि अच्छे दिन आ गये। हम किस मुंह से जवाब दे लोगों को?

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): साहब, लोग उलाहना हमें देते हैं, वहां हमें सहन करना पड़ता है। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** विराजिये। विराजिये। डोटासराजी, विराजिये। मंत्रीजी।

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अब विषय पर आ जाते हैं।

रामगंजमण्डी से आने वाली माननीय सदस्या ने, कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य ने और कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चर्चा की, यह बात सही है, अभी कोटा उत्तर और दक्षिण के दोनों माननीय सदस्यों ने जो मुद्दा उठाया और रामगंजमण्डी से आने वाली माननीय सदस्या ने उठाया नान्ता का, दरा का और रामगंजमण्डी की टूटी हुई सड़कों का।

माननीय सभापति महोदय, यह एन.एच. 12 जो कोटा से दरा, दरा से झालावाड़ और झालावाड़ से तीन धार और तीन धार से एम.पी. बार्डर तक

(श्री युनुस खान)

जाता है, इसको एन.एच. और एन.एच.ए.आई. दो पार्ट में, पहला जो पोर्शन है उसको एन.एच. मेन्टेन करता है और तीन धार के बाद का जो पोर्शन है उसको एन.एच.ए.आई. डील करता है।

यह सड़क बहुत ही खस्ता हालत में है और चूंकि यह वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी है और सात किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, उसमें बार-बार वन विभाग से और माननीय न्यायालय से अनुमति मांगी गयी लेकिन वन विभाग के द्वारा इसमें अनुमति नहीं देने की वजह से पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो स्वीकृतियां आयी थीं, वे निरस्त हो गयीं। राजनीतिक दृष्टि से भी यह सड़क बहुत चर्चा का विषय पिछले सदन में भी खूब रही, क्योंकि मैंने मेरी मांग के समय जवाब दिया था, तब भी मैंने कोटा का जिक्र किया था कि कोटा के दो दिग्गज मंत्रियों में यह सड़क फंसी हुई थी।

माननीय सभापति महोदय, जिस सड़क की रामगंजमण्डी से आने वाली माननीय सदस्या ने चर्चा की है, मुझे यह बताते हुए खुशी है, पहले तो इनको तकलीफ जरूर हुई होगी लेकिन अब माननीया मुख्य मंत्रीजी के प्रयास से और हम पिछले बारह महीने से इस सड़क को लेकर चिंतित थे। माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी से ...

**श्री सभापतिः** ज्यादा चिंता ठीक नहीं होती। चिंता चिता समान है, ज्यादा चिंता। चिता दैत शरीर को चिंता जीव समेत। हां, इसीलिए आप काम कराओ।

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, थोड़ी बहुत तो चिंता करनी ही पड़ेगी।

अभी माननीय नितिन गड़करीजी जब 13 दिसम्बर को राजस्थान आये थे, उस समय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं मांग की थी और उन्होंने इस पर्टिकुलर टुकड़े के लिए 621 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। हमने सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं और उसका टेण्डर के प्रोसेस में हम आ गये हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है।

**श्री सभापतिः** बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जिन सड़कों की बात की, चाहे वह चेचट से कंवरपुरा हो, बंदा हो, झिलारा हो, सलावद खुर्द हो, बड़ोदिया कला हो, पीपल्दा हो, भीमपुरा हो,

(श्री युनुस खान)

या ढाबादे-मोड़क की सड़कें हों, इन सड़कों के छोटे-छोटे टुकड़े जो खराब हालत में हैं, माननीय सभापति महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में इन सड़कों की रिपेयर

**(13.58 बजे)**

**(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)**

के रूप में ले रखा है। वर्तमान में आपने कुछ सड़कों की और चर्चा की जिनसे खेड़ली से मनोहरपुरा, खणी, राजूखेड़ा, ढाकिया और रावली, इन सड़कों की तो हमने स्वीकृतियां निकाल दी हैं और इसके लिए जो हमारी आर.आई.डी.एफ. है उसमें 11.30 किलोमीटर की सड़कों के टेण्डर हमारे को प्राप्त हो गये हैं और काम अगले माह में शुरू हो जाएगा। जो हमारी टी.एफ.सी. की सड़कें थीं, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, उनका काम चल रहा है।

जहां तक इस क्षेत्र में नान्ता की बात है, माननीय सभापति महोदय, नान्ता की सड़क भी पहले एन.एच.ए.आई. के पास थी और एन.एच.ए.आई. ने यहां पर राजमार्ग संख्या 76 में चित्तौड़ से कोटा निकलते हुए जिस सड़क का निर्माण किया, इसकी जगह उन्होंने बाइपास बना दिया और वह हैंगिंग ब्रिज जो टूट गया, उसकी वजह से यह काम रुक गया। माननीय सभापति महोदय, एन.एच.ए.आई. का यह कहना है कि यह जो नान्ता वाली सड़क है उसके बदले हमने बाइपास बना दिया, इसलिए हम इस पर किसी भी तरह की ...(व्यवधान) हैंगिंग ब्रिज टूट गया। बाकी पोर्शन तो उन्होंने निर्माण कर दिया लेकिन उसके बाद में यू.आई.टी. ...(व्यवधान) मैं आ रहा हूं, माननीय सदस्य, आ रहा हूं मैं आपकी बात पर।

**(14.00 बजे)**

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): यह तय हुआ था कि जब तक हैंगिंग ब्रिज नहीं बनेगा, नान्ता वाला मार्ग जो घंटाघर चौराहा होकर वापस एन एच 76 से जोड़ेगा, यह एन एच 76 का हिस्सा वाला माना जायेगा और एन एच ए आई बनायेगी। जब हैंगिंग ब्रिज टूट गया और एन एच ए आई का काम बंद हो गया तो एन एच ए आई ने उसे बनाने से भी हाथ खड़े कर दिये कि इसको हम नहीं बनायेंगे। शहर के बीच में से निकल रहा है यू आई टी बनाये। जबकि वह हिस्सा एन एच ए आई के हिस्से में ही माना गया था प्रिंसिपली, जब तक हैंगिग ब्रिज नहीं बनेगा। वैकल्पिक रूप से इसको एन एच क्षेत्र माना जायेगा।

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है, आज भी वह एन एच ए आई का ही हिस्सा है लेकिन एन एच ए आई ने जो अपनी दलील दी है, उसके मुताबिक उन्होंने इसके पहले मना कर दिया। लेकिन तीनों माननीय सदस्यों ने जो इस मुद्दे को उठाया और वहां के सांसद ने भी इस मुद्दे को उठाया, उसकी बदौलत अब एन एच ए आई ने इसके दो लेन सी.सी. निर्माण करने का कमिटमेंट किया है। हमको जो अभी प्राप्त सूचना है, उसके अनुसार उसकी स्वीकृति भी मिल गयी है। कुल मिलाकर के ये जो दोनों इश्यू, चाहे वह कोटा-दरा का हो, चाहे नान्ता का हो, यह शीघ्र रिपेयर भी हो जायेगा और नव-निर्माण भी हो जायेगा।

उसके अलावा माननीय सदस्या ने जिन-जिन सड़कों की चर्चा की है, माननीय सभापति महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में उनका पुनर्निर्माण करवा देंगे।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): इसकी जांच, वह 14 करोड़ की?

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि 14.60 करोड़ रुपये की जो आप चर्चा कर रही हैं, जिस संवेदक ने यह काम किया, उसकी अनियमितता तो क्या, उसकी क्वालिटी इतनी कमजोर कि वह सड़क खराब हो गयी, उसके खिलाफ हमने जांच करवायी है। माननीय सभापति महोदय, उसकी जांच रिपोर्ट आ गयी है, नियमानुसार उसको नोटिस भी दे दिया है, निश्चित रूप से वह ब्लैकलिस्ट होगा। बाकी सम्भाग में भी उसने काम किये हैं, उन सड़कों की भी हम जांच करवा रहे हैं। एक एफ आई आर भी दर्ज करवायी है। अभी जांच प्रक्रिया चल रही है। उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे।

**श्री सभापति**: श्री विश्वनाथ।

## छतरगढ़ में स्वीकृत 132 केवी जी एस एस के प्रारम्भ नहीं होने से कारित परेशानी

**श्री विश्वनाथ** (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की तहसील छतरगढ़ में स्वीकृत 132 केवी जी एस एस किसानों की परेशानी को देखते हुए चालू करवाने की बाबत मैं माननीय मंत्री महोदय का आपके माध्यम से ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, पिछले 5 साल में भी मैंने इस बारे में काफी बार सरकार का ध्यानाकर्षित किया था। पिछली सरकार ने जाते-जाते 2013 में 132 केवी जी

(श्री विश्वनाथ)

एस एस बिना वित्तीय प्रबंधन के स्वीकृत तो कर दिया था लेकिन वह चालू नहीं कर पाये। 'सरकार-आपके-द्वार' जब बीकानेर गयी, तो मैंने माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था और राठौड़ साहब ने भी छतरगढ़ में जनता की समस्याओं को सुना, उस समय भी जनता ने यही मांग रखी थी।

बिना वित्तीय प्रबंधन के वह जी एस एस स्वीकृत हुआ था, एक साल तक नहीं चालू हो पाया। सरकार ने, माननीया मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने जनता की परेशानी को और किसानों की परेशानी को देखते हुए 132 केवी जी एस एस वित्तीय प्रावधानों के साथ स्वीकृत किया, लेकिन 6 महीने हो गये हैं, उसमें अभी तक कोई कार्य नहीं चला है।

माननीय सभापति महोदय, जिस विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला से मैं आता हूं, वह बीकानेर जिले में है और जो बिजली की सप्लाई छतरगढ़ में मिल रही है, वह हमें सूरतगढ़ से मिल रही है। सूरतगढ़, घड़साना से हमें आपूर्ति मिल रही है, 180 किलोमीटर की लाइन से हमें बिजली आपूर्ति हो रही है। माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि करीब 10, 33 केवी के जी एस एस हैं और उनकी लोड क्षमता 31.5 एम बी एच है, जबकि हमें जो आपूर्ति हो रही है, जो सप्लाई हो रही है, वह 15 एम बी एच की सप्लाई हो रही है। इतनी लम्बी लाइन होने के कारण, दूसरे जिले से बिजली आ रही है, कर्मचारी भी अलग-अलग जिले के होते हैं, इतनी लम्बी लाइन होने से वोल्टेज भी कम मिलते हैं। गर्मियों में जब मौसम खराब होता है तो आये दिन वहां फाल्ट आते रहते हैं। हम गंगानगर के कर्मचारियों को कहते हैं तो उनको एक दिन तो फाल्ट देखने में ही लग जाता है। उसके बाद में 2 दिन में आपूर्ति ठीक होती है।

मंत्री महोदय को मैं बताना चाहूंगा कि करीब 1,800 कृषि कनेक्शन हैं और 10, 33 केवी के जी एस एस हैं, उनकी क्षमता इतनी नहीं है, वोल्टेज पूरा मिलता नहीं है, आये दिन फाल्ट आता रहता है। किसानों की जो टयूबवेल्स की मोटर्स हैं, वे आये दिन जलती रहती हैं। एक कमजोर किसान आये दिन मोटर को कैसे ठीक कराये? इतनी गम्भीर समस्या है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस मौक़े पर यह कहना चाहूंगा कि करीब साढ़े 4 हजार घरेलू कनेक्शन भी हैं।

इतना लम्बा क्षेत्र और इतनी लम्बी लाइन, इसके बावजूद भी वहां की जो स्थिति है वह आपके सामने है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि

(श्री विश्वनाथ)

घड़साना फीडर से जो लाइन आ रही है, उस लाइन को दुरुस्त कराया जाये। जब तक आपका 132 केवी जी एस एस शुरू नहीं हो, खाजूवाला 132 केवी जी एस एस हमारा नजदीक है, उससे एक लाइन आई हुई है डंडी को जोड़ने के लिए, अगर इस 10, 33 केवी जी एस एस का भार 2 जगह डिवाइड कर दिया जाये डंडी के माध्यम से, तो मैं समझता हूं कि कुछ दिनों के लिए हमें राहत मिलेगी। जब तक यह 132 केवी जी एस एस शुरू नहीं हो जाता, तब तक करीब 4 जी एस एस खाजूवाला से जोड़ देंगे तो इससे राहत मिल जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 132 केवी जी एस एस जितना जल्दी हो, उसको चालू कर दिया जाये। इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यह बहुत बड़ी गम्भीर समस्या क्षेत्र के किसानों की है। उनकी मोटरें आये दिन जलती रहती हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां पर पिछली सरकार ने जाते-जाते यह मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना की करीब 500-700 फाइलें पेंडिंग कर दीं। मैं चाहूंगा कि उनका भी समाधान हो। खाजूवाला विधान सभा की छतरगढ़ तहसील की जो बिजली की समस्या है, उसका जल्दी से जल्दी समाधान हो। मंत्री महोदय कुछ इस पर राहत दें। मैं चाहूंगा कि विदिन सिक्स मंथ वह 132 केवी जी एस एस शुरू हो। यही मैं आपके माध्यम से मांग करते हुए माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि इस पर हमें कुछ राहत प्रदान करें।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय, खाजूवाला से आने वाले माननीय सदस्य ने तहसील छतरगढ़ के 132 केवी जी एस एस के बारे में जिक्र किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह 132 केवी जी एस एस 4 जुलाई, 2013 को स्वीकृत हुआ। 132 जी एस एस जब स्वीकृत होता है तो सबसे पहले हम इसकी निविदा निकालते हैं इसका सब-स्टेशन डवलप करने के लिए। जब सब-स्टेशन का काम शुरू होता है, उसके बाद में हम उसकी जितनी भी लाइनें हैं, उसकी भी हम निविदा निकालते हैं। सब-स्टेशन की स्वीकृति हो गयी, निविदा निकल गयी और जो इसका कांट्रेक्टर है वह काम कर रहा है, लेकिन यह बात सही है कि वह कांट्रेक्टर काफी धीमी गति से काम कर रहा है।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी, इसका जो टाइम है, कार्य समाप्त करने का जो टाइम है वह 31 मार्च, 2016 का है, उससे पहले जो 60 किलोमीटर लाइन है, उसके भी टेंडर हमने लगा दिये, वे भी बहुत जल्दी अप्रैल के महीने में टेंडर खुल जायेंगे और जो भी कांट्रेक्टर है, उसको उसका वर्क आर्डर मिल जायेगा। जो 60 किलोमीटर की लाइन इस पर खड़ी करनी है, 31 मार्च, 2016 के अंत तक मैं जल्दी से जल्दी यह काम पूरा कराऊंगा। माननीय सभापति महोदय, 132 जी एस एस के निर्माण में लगभग डेढ़-दो साल लगता है, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि 31 मार्च, 2016 से पहले-पहले कर देंगे।

मुझे इस बात से आपने पहले भी अवगत कराया है कि यह पूरा जो क्षेत्र है, खाजूवाला और छतरगढ़, यहां कृषि के काफी कनेक्शन हैं, यहां लोड भी काफी है, यहां काफी सब-स्टेशन हैं, इसके कारण से बिजली की पूरी आपूर्ति नहीं मिल पाती है। इससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि 31 मार्च, 2016 से पहले यह काम मैं पूरा करके आपको दे दूं।

**श्री सभापतिः** सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन।

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

# सदन पटल पर रखे गये पत्र

## प्रतिवेदन एवं लेखे

## राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14)

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (4) के अन्तर्गत राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री सभापतिः** याचिकाओं का उपस्थापन। श्री कृष्णा कड़वा, सदस्य विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

# याचिका

## टिब्बी में इंदिरा गांधी नहर की 22 आर.डी. पर पुल का निर्माण

**श्री कृष्णा कड़वा** (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र

(श्री कृष्णा कड़वा)
संगरिया की तहसील टिब्बी में इंदिरा गांधी नहर की 22 आर.डी. पर पुल निर्माण बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

**श्री सभापति:** समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री मोहनलाल गुप्ता, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति।

# समिति प्रतिवेदन

## राजकीय उपक्रम समिति का प्रतिवेदन (क्रम सं. 26)

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (संख्या-4) वर्ष 2010-2011 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति के 26वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

**श्री सभापति:** श्री हीरालाल, सभापति, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्था।

## स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (क्रम सं. 1 व 2)

**श्री हीरालाल** (निवाई): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति 2014-2015 के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

**श्री सभापति:** विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015 । श्री राजपाल सिंह शेखावत।

# विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

## राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री सभापति:** प्रश्न यह है कि राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री सभापति**: श्री गुलाबचन्द कटारिया।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ये दो बिल हैं और दोनों ही उसी सैक्शन में हैं। मैं दोनों को ही साथ रख देता हूं।

**श्री सभापति**: यह कह देते अनुमति के लिए।

## विधेयक पर विचार

### राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं...

**श्री सभापति**: एक मिनट रुकें। आप विराजें। आप दोनों को एक साथ लेने का आसन से आग्रह कर रहे हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): विचारार्थ दोनों एक साथ आ जाएंगे, माननीय सदस्य बोल एक साथ लेंगे। रख तो अलग-अलग देंगे, पारण भी अलग-अलग होगा।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय सदस्य, मेरा सुझाव है, आप मान लें, मेम्बर दोनों पर ही चर्चा करें, मेम्बर्स दोनों पर ही चर्चा कर लें। जो माननीय मंत्रीजी दूसरा कहेंगे, उस पर बहस नहीं होगी, वह तुरन्त पास हो जाएगा। बाकी दोनों की परम्परा एक साथ नहीं है। यह न करें तो बेहतर होगा। इसका वाया मीडिया यह हो सकता है, दोनों का एम्बिट वही है, उस पर चर्चा करके बाद में वह पास हो जाएगा।

**श्री सभापति**: आसन मंत्री महोदय से यह आग्रह करता है कि आप दोनों विधेयक पेश कर दें। चर्चा पृथक-पृथक होगी। संशोधन के ऊपर आसन का जो भी निर्णय होगा, वह पृथक होगा।

### राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री सभापति**: श्री जोगाराम पटेल।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, लगभग जो भी प्रस्ताव है और जिनका भी बोलने का है, विचारार्थ लिया जाए, पहले मैं उन्हीं से, 14 और 15 समान हैं, 4-5 ही अलग हैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि बोलते समय सदन में दोनों ही प्रस्तावों को साथ में जोड़कर अपनी बात कह दें।

**श्री सभापति**: श्री जोगाराम पटेल।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 और राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 के सम्बन्ध में आज इस पवित्र सदन में चर्चा हो रही है। जैसा कि पूर्व में भी इस सम्बन्ध में अनेक बार चर्चाएं हुई हैं और इस आधार पर राजस्थान में गत पंचायती राज के चुनाव भी हुए। सबसे पहले तो मैं जो संशोधन पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 में (पी) और (क्यू) के, (क्यू) और (आर) के रूप में किये जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद दूंगा राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के पंचायती राज मंत्रीजी और राजस्थान के पंचायती राज मंत्रीजी के साथ ही साथ यशस्वी माननीया मुख्य मंत्रीजी को कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय था और इस ऐतिहासिक निर्णय के बहुत सुखद परिणाम भी राजस्थान को मिले हैं।

इस ऐतिहासिक निर्णय से पूर्व सरकार ने इससे भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लिया था। बहुत लम्बे समय से, करीब 20-21 वर्षों से पंचायतों के पुनर्गठन का मामला विचाराधीन था। मेरे जैसे अनेक विधान सभा क्षेत्रों में अनेक व्यक्तियों की मांग रही होगी कि बहुत बड़ी-बड़ी पंचायतें हैं, 20 से 25 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, आठ-आठ, नौ-नौ गांव हैं और उन सबका कंट्रोल किया जाना, उन सबका विकास किया जाना एक साथ सम्भव नहीं है। अगर छोटी भौगोलिक क्षेत्र की, कम जनसंख्या की, ग्राम पंचायत होगी तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और विकास का काम आसान हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार, शायद राजस्थान में कई बड़ी-बड़ी पंचायतें होंगी, लेकिन हमारे जोधपुर में सांगरिया ग्राम पंचायत थी, मेरे विधान सभा क्षेत्र की, जिसकी कुल वोटर संख्या 37 हजार थी। उसकी जनसंख्या का तो हिसाब लग ही नहीं सकता क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद में अनेक व्यक्ति वहां आकर बस गये, क्योंकि वह

(श्री जोगाराम पटेल)

डवलपिंग कालोनी के अन्दर आती है। जब एक ग्राम पंचायत की जनसंख्या 37 हजार हो, उसके पड़ोस की झालामण्ड की 15 हजार थी और उसके बाद डीगाड़ी और फालामण्ड तो कहीं 15 हजार से 30 हजार की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतें थीं। मैं आभारी हूं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का कि उनके निर्देश के अनुसार आदरणीय पंचायती राज मंत्रीजी ने एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत, एक निश्चित समयावधि के तहत, सभी लोगों को, यथासम्भव सभी लोगों को सुनने का अवसर देने के उपरान्त, पंचायतों का पुनर्गठन किया। इस पंचायतों के पुनर्गठन में न केवल ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, बल्कि पंचायत समितियों का भी पुनर्गठन हुआ, जिससे जोधपुर जिले में जहां पहले 9 पंचायत समितियां थीं, उसके स्थान पर 16 हो गयीं; जहां राजस्थान में 237 थीं, वहां जाकर 295 हो गईं। तो इसका लाभ भी राजस्थान की जनता को मिलेगा।

इस स्तर पर मैं इतना निवेदन करने के उपरान्त यह भी निवेदन करूंगा कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में जो मुख्य आधार विकास का है, सड़क से सम्बन्धित हो, पेयजल से सम्बन्धित हो, या अन्य कोई भी विकास हो, उन सबका आधारभूत विकास अगर करना है तो ग्राम पंचायतों को सशक्त करना पड़ेगा। इसी के तहत जो निर्णय लिया गया है एजुकेशन के सम्बन्ध में और जैसा हमारे प्रधान मंत्रीजी ने नारा दिया स्वच्छ भारत का, उसकी एक परिकल्पना भी हुई, उसको साकार करने के लिए, और उसी का परिणाम था कि हमारे इस पंचायती राज अधिनियम में जो पहला संशोधन किया गया, वह संशोधन यह किया गया कि जो भी प्रत्याशी इस पंचायती राज चुनाव में आगामी वाले पंचायती राज चुनाव में प्रत्याशी बनना चाहेगा, उसके लिए फंक्शनर सेनिटरी टायलेट की व्यवस्था करनी आवश्यक है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताउंगा, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में गत पंचायती राज चुनाव में 1,25,071 जन प्रतिनिधि वार्ड पंच से लगाकर जिला परिषद के सदस्य तक निर्वाचित हुए। इन सब लोगों ने अपने घर में फंक्शनल सेनिटरी टायलेट की व्यवस्था की या नहीं, शौचालय की व्यवस्था की या नहीं, जो प्रत्याशी बनने की दौड़ में थे, जिनका नामांकन पत्र किसी कारण से अस्वीकार हो गया, या जो निर्वाचित नहीं हो सके या जिन्होंने विथड्रा कर लिया, ऐसे हिसाब लगाएं, तो एक क्षेत्र में या एक पंचायत वार्ड पंच से लगाकर जिला परिषद तक का लगाएं, तो करीब दस का रेशो आता है। इसी हिसाब से

(श्री जोगाराम पटेल)

करीब राजस्थान में दस लाख टायलेट की व्यवस्था आपके इस संशोधन से हो गई। अगर ऐसे अभियान को चलाते तो शायद कितना टाइम लगता, कितना खर्चा लगता, लेकिन जिन जन-प्रतिनिधियों ने अपने परिवार में एक टायलेट की व्यवस्था कर दी और दस लाख टायलेट राजस्थान में बन गए उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपके एक संशोधन से इतने टायलेट बन गये और प्रधान मंत्रीजी का जो नारा था, या उनका जो बार-बार कहना था कि हमारी माताएं-बहनें खुले में टायलेट के लिए नहीं जाएं, उसकी परिपूर्णता हुई। उसके लिए आपका आभार।

इतना ही नहीं हुआ, उसकी जाग्रति का बहुत बड़ा प्रोग्राम भी चला। ज्यों ही यहां बात आई कि बिना टायलेट के कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता, तो हर घर वालों में यह होड़ लगी कि हमारे घर में एक टायलेट होना चाहिए, उसके बगैर प्रत्याशी नहीं हो सकते। यह जो जाग्रति का कार्यक्रम चला, उससे भी राजस्थान में बहुत बड़ा फायदा मिला।

इसलिए मैं इस मौके पर इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि इस ऐतिहासिक निर्णय के कारण राजस्थान का वह एक कार्यक्रम हो, या वह एक कार्य हो गया जिसको करने में बहुत समय और पैसे की बरबादी होती, लेकिन जनता ने स्वेच्छा से कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा जो एजुकेशन का प्रावधान किया, इसका कितना फायदा हुआ है! संक्षिप्त आंकड़ों में आप देखें। वार्ड पंच में कोई एजुकेशन का प्रावधान नहीं किया था; ग्राम पंचायत का वार्ड पंच होता था उसका प्रावधान नहीं किया था, फिर भी राजस्थान में 1,07,927 वार्ड पंच चुने गये हैं। इन वार्ड पंचों को अगर आप जोड़ दें, सरपंच जो 9,894 चुने गये हैं, सरपंच की कोई सीट खाली नहीं है इस एजुकेशन की वजह से, 9,894 सरपंच और 6,236 पंचायत समिति के सदस्य व 1,014 जिला परिषद के सदस्य चुने गये हैं, इनकी एजुकेशन का अगर आप देखें, एजुकेशन के जो फिगर अभी इलेक्शन के बाद मिले हैं, जिला परिषद के कुल 1,014 सदस्य चुने गये हैं इनमें से 325 तो दसवीं पास हैं, 181 बारहवीं पास हैं, 354 स्नातक हैं, यानी हायर एजुकेशन प्राप्त हैं, बी ए या बी ए से ऊपर हैं; इससे भी अधिक देखेंगे, इससे भी हायर एजुकेशन के 154 हैं। यह जो आर्ग्यूमेंट था, यह कहना कि

(श्री जोगाराम पटेल)

एजुकेटेड आदमी नहीं मिलेंगे, यह इस इलेक्शन के बाद क्लियर हो गया है कि उलटे हायर एजुकेशन के ज्यादा हैं।

आप पंचायत समिति सदस्य लेंगे तो आप देखेंगे, 6,236 जो पंचायत समिति के टोटल सदस्य निर्वाचित हुए हैं, कोई भी सीट खाली नहीं है, उसमें दसवीं पास 2,946 हैं; बारहवीं पास 1,236 हैं; आप देखिए, स्नातक 1,543 हैं, करीब 1,600 हैं; अधिस्नातक, जो इससे हायर एजुकेशन वाले हैं, वे 511 हैं।

जिला परिषद के सरपंच अगर देखें, जिसका सारा विवाद है, यह भी आरोप लगाये जा रहे हैं कि फर्जी मार्कशीट्स आयी हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल 9,875 सरपंच निर्वाचित हुए हैं, टोटल सरपंच 9,894 हैं, उनमें 9,875 निर्वाचित हुए हैं, उनमें पांचवीं पास 399 हैं, आठवीं पास 4,824 हैं, दसवीं पास 2,294 हैं, बारहवीं पास 833 हैं, स्नातक 1,202 है, सरपंच में भी स्नातक 1,202 हैं; अधिस्नातक 311 हैं।

प्रिंट मीडिया की मार्फत हमको यह भी पता लगा कि इस विधान सभा के पूर्व में माननीय सदस्य रहे, पंचायती राज मंत्री रहे, उन्होंने भी इसको बहुत एप्रीशिएट किया और और वार्ड पंच में खड़े हुए। हमारी इस विधान सभा में मंत्री रहे, बहुत मान्यता प्राप्त मंत्री रहे, वे वार्ड पंच में खड़े हुए और अपनी धर्मपत्नी को सरपंच में खड़ा किया। इससे लगता है कि जो संशोधन लाया गया था, उसे उन्होंने एप्रीशिएट किया। उनका जो स्टेटमेंट था, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा है कि हिन्दुस्तान का अगर विकास करना है तो पंचायती राज को सशक्त करना चाहिए और किसी को यह नहीं मानना चाहिए कि वार्ड पंच कोई छोटी पोस्ट है।

मैं दूसरा धन्यवाद, माननीय मंत्रीजी, यह देना चाहता हूं कि हायर एजुकेशन की वजह से आज की तारीख में एक बहुत बड़ा, करीब 1 लाख 25 हजार जन-प्रतिनिधि चुने गये हैं, वे जोड़ते हैं तो करीब 10 हजार के आसपास के आंकड़ा है वह पंचायत राज में पढ़े-लिखे व्यक्तियों का आया है। पढ़े-लिखे व्यक्तियों के आने से अब जो वातावरण बना है युवा पढ़े-लिखे लोगों के आने का, वह वातावरण अगले चुनावों में या राजस्थान के विकास में बहुत बड़ी सहायता करेगा।

अभी थोड़े दिन पहले सर्व शिक्षा अभियान के तहत, पहले कोई भाग ही नहीं लेता था, लेकिन अब सर्व शिक्षा अभियान के तहत ज्यों ही क्लासेज

(श्री जोगाराम पटेल)

शुरू की गयीं थीं तो अनेक माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सब पढ़ाई के लिए जाने लगे कि हम पढ़कर पांचवीं या आठवीं का सर्टिफिकेट लेंगे और आने वाले पंचायती राज में प्रतिनिधि बन सकेंगे। इसका यह फायदा भी हुआ कि पंचायती राज में आपका एजुकेशन का जो सिस्टम किया गया, उससे जन-प्रतिनिधियों में, आम जनता में यह भावना बनी कि हमें अपने घर में टायलेट रखना चाहिए, हमारा जन-प्रतिनिधि, हमारे परिवार के सभी सदस्य पढ़े-लिखे होने चाहिए। इसीलिए इसका फायदा हुआ।

इतना ही नहीं, एक आरोप यह भी लगाया गया कि फर्जी मार्कशीट बहुत बनायी गयीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा, इस इलेक्शन से पहले जो केसेज राजस्थान में इस सम्बन्ध में पेंडिंग थे, 3,500 फर्जी पट्टों के आधार पर केस पेंडिंग थे। वे इसी आधार पर बन गये कि हमारा जन-प्रतिनिधि पढ़ा-लिखा नहीं था। किसी सेक्रेटरी ने या किसी अन्य ने उससे दस्तख्त करा लिये, या हो सकता है, किसी ने जान-बूझकर भी किया हो, या किसी से सद्भावना से गलती भी हुई हो, लेकिन कोई न कोई कारण जरूर रहा। 3,500 केसेज थे वे फर्जी पट्टे के आधार पर पेण्डिंग थे। 105 प्रधानों के खिलाफ, 3,500 सरपंचों के खिलाफ, 105 प्रधानों के खिलाफ गलत एन ओ सी देने के केस थे। उनसे दस्तख्त करा लिये, उनको पता ही नहीं था कि हमसे किस बात के दस्तख्त करा रहे हैं। गलत एन ओ सी देने के केसेज पेण्डिंग हैं, 10 जिला प्रमुखों के खिलाफ केस पेण्डिंग हैं। 48 पंचायत समिति सदस्यों के खिलाफ और 138 वार्ड पंचों के खिलाफ सिर्फ इस वजह से केस पेंण्डिंग हो गये कि हमसे दस्तख्त करा लिये। जब इन सबसे पूछा गया तो कहा कि हम तो पढ़े-लिखे नहीं हैं; हमको पता नहीं, कहां दस्तख्त करा लिये; हमने तो सद्भावना में दस्तख्त कर दिये।

अभी जो करीब 200-250 के आसपास, आज अख़बार में भी खबर है कि इतने केसेज फर्जी मार्कशीट के हुए, वह तो सिर्फ एक वातावरण बन गया। इसकी पब्लिसिटी ज्यादा हुई है, लेकिन इतने फर्जी मार्कशीट के केसेज नहीं हैं। (व्यवधान) हां, होंगे, मैं यह नहीं कहता कि बिलकुल ही नहीं होंगे, लेकिन उसकी वजह से जो कानून लाया गया है वह कानून गलत नहीं हो सकता; उस कानून के पीछे जो भावना है वह गलत नहीं हो सकती। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह किया है तो गुनाह करने वाला व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन वह कानून गलत नहीं हो सकता। कानून के पीछे जो बेसिक उद्देश्य है, जो

(श्री जोगाराम पटेल)

आब्जेक्ट है, वह यह है कि हमारा ग्राम स्तर का जो जन-प्रतिनिधि हो, वह पढ़ा-लिखा हो और जो पंचायत के मार्फत विकास के कार्य हैं, उनको सही करें। यह तो मेरा पहला निवेदन था।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इनका जो एजुकेशन के सम्बन्ध में दोनों लाये हैं, वह ठीक है। मैंने यह भी प्रस्ताव दिया है कि जो पांचवीं व आठवीं की क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा है, कक्षा 5 पास और कक्षा 8 पास, मेरा निवेदन है कि इसको बढ़ाया जाय। अगर आप इसको सभी क्षेत्रों में दसवीं कर लेते हैं, दसवीं मिलना या नहीं मिलना, यह विषय बड़ा नहीं है, सभी स्तर पर मिलेंगे। विशेषकर जो आदिवासी क्षेत्र है, जहां सीटें खाली रही हैं, उस आदिवासी क्षेत्र में बहुत कम रही हैं; जो फिगर मेरे पास हैं, उसमें आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ही कम रही हैं। ज्यादातर तो रिजर्वेशन की वजह से रही हैं, जो फिगर अभी विभाग की ओर से मिले हैं, वे रिजर्वेशन की ज्यादा रही हैं और विशेषकर बूंदी व उस क्षेत्र में रही है। दो-तीन तो चुनावों के बहिष्कार के कारण रही हैं। ऐसी स्थिति में हायर एजुकेशन या एजुकेशन की वजह से कोई सीट खाली रह गयी है, ऐसा आरोप नहीं है। जो अनुभव हुआ है उससे लगता है कि एजुकेटेड प्रत्याशी अवश्य मिलेंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि अगर पांचवीं की जगह दसवीं और आठवीं की जगह दसवीं कर दिया जाय, तो फर्जी मार्कशीट का जो एक सिलसिला है, या आरोप है, या प्रत्यारोप है, वह खतम हो जाएगा, क्योंकि दसवीं की मार्कशीट बोर्ड आफ सेकंडरी एजुकेशन द्वारा जारी की जाती है और वहां फर्जी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। इसलिए मेरा निवेदन यह है, मैंने इसीलिए संशोधन दिया है कि यह पांचवीं व आठवीं की जगह डाइरेक्ट ही दसवीं कर दी जाय तो बोर्ड आफ सेकंडरी एजुकेशन की कोई भी फर्जी मार्कशीट ला नहीं पाएगा और यह आरोप व प्रत्यारोप ही खतम हो जाएगा और हमको एक लेवल, स्टैंडर्ड का एजुकेटेड जन-प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा।

अंत में मैं यह निवेदन भी करूंगा और इस मौके पर आपकी अनुमति से एक निवेदन यह करूंगा कि अब समय आ गया है, और उस समय के आधार पर यह करें कि पंचायत राज में अनिवार्य वोटिंग करें। ऐसा हमारे देश के गुजरात राज्य में हुआ है। उन्होंने कानून बनाया, कानून बनाकर महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया; 2009 में बना दिया था, महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिली; अभी महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति भी

(श्री जोगाराम पटेल)

मिल गयी है, हालांकि वह अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, लेकिन अनिवार्य वोटिंग का जो कानून है, अनिवार्य वोटिंग के कानून का प्रयोग गुजरात में हुआ है। विश्व के अनेक देशों में अनिवार्य वोटिंग का कानून है, अर्जेंटिना में 1912 में आया, आस्ट्रेलिया में 1924 में आया, बेल्जियम में 1919 में आया, उरुग्वे में है, तुर्की में है, सिंगापुर में है, ब्राजील में है। अनिवार्य वोटिंग का कानून आने के बाद हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनेगी और जिस तरह का आज का वातावरण बन गया है, आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं खर्चे के, फर्जीवाड़े के, वे सारे आरोप खतम हो जाएंगे। अभी दो दिन पहले हमने पढ़ा है, कि एक ऐसा सिस्टम डवलप किया जा रहा है, जिसकी वजह से फर्जी वोटिंग नहीं हो पाएगी; डबलिंग जो नाम हो रहे हैं, डी बी सी हो रही है, वह नहीं होगा, और ज्यों ही इन सब का निराकरण हो जाएगा तो सही सिस्टम की मार्फत सही जन-प्रतिनिधि का चुनाव वास्तविकता के आधार पर होगा। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जब यह नोटा आया, उसमें भी बहुत बड़ा आब्जर्वेशन दिया है और उन्होंने कहा है कि वोट देना या नहीं देना, यह नागरिक का स्वतंत्र अधिकार है; उसी तहत उन्होंने यह कहा है कि अगर आपको नहीं देना हो वहां जाकर एन ओ टी ए लिख दो, लेकिन आपको वोटिंग में पार्टिसिपेट तो करना ही करना है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय 27.9.2013 को आया, उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए भी मेरा निवेदन यह है कि अगर अनिवार्य वोटिंग कर दिया जाए तो हमको फायदा मिलेगा।

इसके अलावा जो एक विशेष मेरा निवेदन है, वह यह है कि इन चुनावों में बहुत बड़ा खर्चा होता है और वह खर्चा भी इतना बड़ा होता है, समय की भी बरबादी होती है और हमारे राज्य के अधिकारी जो हैं, सारे के सारे विकास के कार्य रोककर सब इसमें लग जाते हैं। फिर उसमें आचार संहिता, फिर चुनाव, पुलिस की व्यवस्था, वह व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए अगर एक साथ करा दिये जाएं, चाहे वह असेम्बली के साथ हों, अगर सम्भव हो तो पार्लियामेंट के साथ हों, लेकिन उसका शिड्यूल देखकर अगर एक साथ चुनाव करा दिये जाएं तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन साइड में भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और बहुत बड़ा राज का खर्चा बच जाएगा, प्रदेश का खर्चा बच जाएगा, राजस्थान प्रदेश का खर्चा बच जाएगा और अनावश्यक रूप से जो समय, पैसा और मानव कार्य दिवस की बरबादी हो रही है, वह रुक जाएगी।

(श्री जोगाराम पटेल)

माननीय सभापति महोदय, मैं अन्त में यह भी निवेदन अवश्य करूंगा और वह माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पंचायती राज में जो 1996 वाले रूल्स बनाये हैं, उनमें एक चैप्टर है आबादी भूमि, और आबादी भूमि में किस तरह से अलाट किया जाएगा, किस तरह से उसको सेल किया जाएगा, ये सब नियम हैं, लेकिन एक चीज को एग्जामिन नहीं किया जा रहा है। 1964 में एक नोटिफिकेशन आया था जिसके तहत यह कहा गया था कि पंचायती राज की प्रोपर्टी को भी हम सेल मानते हैं। सेल मानने के बाद इसके पट्टे, अगर 100 रुपये से ऊपर की प्रोपर्टी है और उसको सेल मानेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लेकिन उसके बाद यह विषय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में गया और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह कहा कि नहीं, यह जो है वह ग्रांट एक्ट के तहत ग्रांट है, सेल नहीं है। उसमें भी कंडिशनल अगर आप कोई फालो नहीं करते हैं तो पट्टा कैन्सिल भी हो सकता है, अपील में कैन्सिल हो सकता है, रिविजन में कैन्सिल हो सकता है। तो वह ग्रांट है। इसीलिए पंचायती राज एक्ट में ये सारे प्रोविजन्स, नोटिफिकेशन, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय, इनको एग्जामिन करके जो रूल्स हैं, जो आबादी भूमि के ट्रांसफर के रूल्स में Whether it is a grant or whether it is a sale, यह सेल और ग्रांट की एम्बिग्यूटी आज भी अनेक स्थानों पर चल रही है, इसको क्लीयर कर दिया जाए। अगर ग्रांट है तो उसमें न तो कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, न स्टाम्प ड्यूटी की जरूरत है; ग्रांट एक्ट के जो प्रोविजन्स हैं वे उसमें लागू होंगे, लेकिन आज दिन तक इतने विवाद, लिटिगेशन होने के बावजूद भी इसको क्लीयर नहीं किया गया है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसको क्लीयर किया जाए।

साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण विषय जो है, वह यह है कि अनेक क्षेत्रों में, चाहे जयपुर में है, पर जोधपुर की मुझे प्रत्येक जानकारी है कि जे.डी.ए. के कारण जमीन ग्राम पंचायतों से ट्रांसफर होकर जे.डी.ए. में चली गई है, चाहे ओरण है, आगोर है, पायतन है, नदी है, पहाड़ है, सारी की सारी। अब ग्राम पंचायतों के पास किसी तरह का कोई मामला नहीं रहा है। ग्राम पंचायतें जब से एस्टेब्लिश हुई हैं, उसके बाद में उनका आबादी भूमि का विस्तार जिसको कहते हैं, वह बिलकुल ही नहीं है। किसी भी ग्राम का एग्जाम्पल ले लें, या जितने भी जन-प्रतिनिधि यहां बैठे हैं वे अपने गांव को देख लें, तो गांव की जो आबादी है उससे कई गुना वहां लोग भी बस गये हैं लेकिन आबादी

(श्री जोगाराम पटेल)

विस्तार की प्रोब्लम आज दिन तक आ रही है। इसीलिए जहां कहीं भी ऐसा है, तो जे.डी.ए. के साथ बैठकर ऐसा प्रोविजन किया जाए कि ग्राम की जो मौजूदा आबादी है उसके 500 मीटर, 1,000 मीटर, 2,000 मीटर की पेरिफेरी है वह आबादी विस्तार हेतु, गांव के विकास हेतु रिजर्व कर दी जाए ताकि रोज-रोज जे.डी.ए. के पास जाना नहीं पड़े। मेरा गांव जोधपुर से 40-45 किलोमीटर दूर है लेकिन वह कम्प्लीट जे.डी.ए. क्षेत्र में आ गया। अब ग्राम पंचायत के पास कोई काम ही नहीं है। अगर स्कूल का पट्टा देना है तो दे नहीं सकते, अगर कोई ग्राम पंचायत भवन बनाना है तो बना नहीं सकते, आंगनबाड़ी केन्द्र बनाना है तो बना नहीं सकते, जी.एस.एस. को अलाट करना है तो कर नहीं सकते। कोई भी, किसी तरह का काम वे कर ही नहीं सकते। वहां जे.डी.ए. की तरफ से इतने सारे अड़ंगे पड़ जाते हैं कि ग्राम पंचायतों के वास्तविक विकास की मंशा है, जिस आधार पर 1952 में इसकी स्थापना की गई थी, उस पर भी रोक लगी है। इसलिए मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि यू.डी.एच. के साथ बैठकर इसका एक कम्प्लीट प्लान बनाया जाए कि इतनी पेरिफेरी में ग्राम पंचायतों के अधिकार रहेंगे ताकि भविष्य में इसका विकास हो सके।

आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार।

**श्री सभापतिः** श्री प्रताप सिंह। श्री प्रहलाद गुंजल।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 और राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 पर चर्चा हो रही है। ये जो दोनों विधेयक आज सदन में पेश किये गये हैं, राज्य सरकार ने इसकी आवश्यकता महसूस कर, पंचायती राज की व्यवस्था में कुछ आवश्यक परिवर्तन और क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए, जो पिछले दिनों चुनाव हुए, उससे पहले दो आर्डिनेंस जारी किये। वे आर्डिनेंस अदालत में भी चैलेंज हुए लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग कि एक बार चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने के बाद उस पर किसी प्रकार से रोक नहीं लगाई जा सकती, इस लाइट में चुनाव भी सम्पन्न हो गये।

माननीय सभापति महोदय, जिस आर्डिनेंस के आधार पर ये चुनाव सम्पन्न हुए, राजस्थान पंचायती राज कानून का जो विशिष्ट प्रकाशन हुआ है, उन उप-धाराओं को धारा 19 के अधीन उसमें समाहित भी कर दिया गया है। जो संशोधन विधेयक, 2015 है, वह स्वच्छता के सम्बन्ध में है। 1994 के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

राजस्थान अधिनियम संख्या 13 की धारा 19 का संशोधन विद्यमान खण्ड (त) के बाद (थ), और उसमें यह अपेक्षा की गई है कि घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो। परिवार के सदस्य को भी इसमें डिफाइन किया गया है कि कौन-कौन उसके परिवार के सदस्य होंगे।

माननीय सभापति महोदय, अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से कहा कि इसके बाद राजस्थान में लगभग 10 लाख शौचालयों का निर्माण हो गया और यह पहल अगर निश्चित रूप से बहुत पहले होती तो शायद राजस्थान के कितने घरों में शौचालय बन जाते। मैं इस बात का तो समर्थन करता हूं, सभापति महोदय। सभापति महोदय, स्वच्छता का नारा भारत के प्रधान मंत्रीजी ने भी दिया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विमल चौधरी v/s स्टेट आफ राजस्थान, यह 31.5.2012 का जजमेंट है। हम प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, कानून की सीमाओं में लाकर, आपको वार्ड पंच का चुनाव भी लड़ना है तो अपने घर में शौचालय बनाना पड़ेगा। राजस्थान की जनता लोकतंत्र में विश्वास रखती है, कानून का सम्मान करती है और निश्चित रूप से आपके बनाये हुए कानून की अनुपालना में अगर वह चुनाव लड़ना चाहता है तो शौचालय भी बनाएगा, लेकिन जयपुर नगर निगम को इस फैसले में हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, आप व्यक्ति से तो स्वच्छता की अपेक्षा कर रहे हैं, और इस फैसले में हाई कोर्ट ने जयपुर नगर निगम को कहा– राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 धारा 243 से 249, शहर की सफाई व्यवस्था बनाये रखना, जयपुर नगर निगम जयपुर शहर की साफ-सफाई हेतु संवैधानिक रूप से बाध्य है। चूंकि यह सफाई ठीक नहीं हो रही है, निर्देशों की ज्वलंत अवज्ञा करने पर अवमानना याचिका दायर करने हेतु स्वतंत्र है। निर्देशों की अनुपालना व प्रगति की देखरेख करने हेतु प्रत्येक तिमाही में मामला सूचीबद्ध किये जाने के निर्देश दिये और निर्देश दिये कि निगम ठीक तरीके से सफाई की व्यवस्था करे और हर तीन महीने में इसका निरीक्षण होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि व्यक्ति से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वह स्वच्छता रखे, वार्ड पंच का चुनाव लड़ने वाला, सरपंच का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति स्वच्छता रखे; एक तरफ नगर निगम जैसी संस्था स्वच्छता की सामुदायिक सुविधा जो आम आदमी को ठीक

(श्री प्रहलाद गुंजल)

तरीके से नहीं दे पा रही और वार्ड पंच जो घर में शौचालय बनाकर नामांकन भरने जा रहा है, अगर ये चुनाव किसी बरसात के मौसम में हो और उसकी गली के बाहर कीचड़ सड़ रहा हो, नाली नहीं हो, पटान नहीं हो, खरंजा नहीं हो, तो उसके घर की शौचालय की स्वच्छता क्या समाज में स्वच्छता का एक उदाहरण बन सकती है? आज राजस्थान के कितने गांव ऐसे हैं जहां, आज भी आप चले जायें, गांवों में खरंजे नहीं हैं, गांवों में नालियां नहीं हैं। 70-80 प्रतिशत गांव राजस्थान के ऐसे होंगे जहां पर आज भी गांवों में नालियां नहीं हैं, व्यवस्थित पानी के निकास का प्रबन्ध नहीं है और इसके अलावा, वहां पर लोगों को चलने के लिए, बारिश के कीचड़ से बचाव के लिए रास्ते नहीं हैं। अगर जब तक इस विचार को बहुत ईमानदारी से तय नहीं करेंगे, हम आम आदमी को कानून की सीमा में लाकर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं, उसमें अवेयरनेस पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम हमारी जिम्मेदारी को समझें कि हम जरूरी सामुदायिक सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, जो लोगों की हैं, पानी, बिजली, सड़क, नाली, पटान, इन सुविधाओं के बारे में भी निश्चित रूप से, जिस प्रकार से बजट उत्तरदायित्व प्रबन्धन विधेयक हम लेकर आये, एक ऐसा भी विधेयक लेकर आयें कि पंचायती राज संस्था है, स्वायतशासी संस्था है, जो व्यक्ति से अपेक्षा करती है, उस अपेक्षा से प्रेरित होकर अधिक से अधिक व्यक्ति तैयार हों, इसके लिए स्वयं आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें। हाई कोर्ट को डाइरेक्शन देने पड़े जयपुर नगर निगम को कि आप स्वच्छता रखें, हाई कोर्ट तीन महीने में मानिटरिंग करेगी। आपकी नीतियों और आपकी कार्य उदासीनता पर हाई कोर्ट को नियंत्रित करने के निर्देश देने पड़े और आप आम आदमी को कानून के दायरे में लाकर, उससे यह अपेक्षा कर रहे हो। यह दोहरा मापदण्ड है।

यह केवल म्युनिसिपेलिटी का मामला नहीं है, यह मामला पूरे राजस्थान के गांव-गांव का है। इसीलिए हमको यह भी तय करना पड़ेगा कि पंचायती राज संस्थाएं यह तय करेंगी कि गांवों में सम्पूर्ण रूप से स्वच्छता रखेंगे, गांवों में नाली-पटान की समुचित व्यवस्था करेंगे, गांवों के घरों के बाहर कीचड़ में भरा हुआ पानी ठहरा नहीं रहे, इसका भी समुचित इंतजाम करेंगे। यह भी अगर इस प्रकार का एक सेपरेट बिल लायें, या इस दिशा में सरकार एक कोई क्रांतिकारी पहल करें, तो निश्चित रूप से इस बिल को लाने का एक सार्थक प्रयास साबित होगा।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इसके साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, कई बार अमेंडमेंट हुए। अपराधों को लेकर, मुकदमों को लेकर कई फैसले हाई कोर्ट के आये, क्योंकि चुनाव लड़ने को मौलिक अधिकार नहीं माना, संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 21 तक, और इसीलिए जब कभी ऐसे मामले आये, क्योंकि यह मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक राइट है, लीगल राइट है; आर्टिकल 243(च) में संविधान आपको विधान बनाने की शक्ति देता है और आप विधान से किसी की भी योग्यताएं, अयोग्यताएं, निर्हताएं तय कर सकते हैं। इसके अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में गया, यह रिट पिटीशन, दो-तीन, जिनका मैं उदाहरण दे रहा हूं, प्रेम कुमार धांधू बनाम स्टेट आफ राजस्थान, ये कोर्ट में गये कि लोकल बोडी के अध्यक्ष का चुनाव है, पहले उसके वार्ड पार्षद का चुनाव कराओ; हो सकता है, मैं वार्ड पार्षद बन जाऊं। तो मैं अध्यक्ष के लिए एन्टाइटल हूं। तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि प्रतिनिधित्व करने या प्रतिनिधित्व होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और उसका मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। इस आधार पर याचिका खारिज कर दी।

मैं मानता हूं, जो लोग कोर्ट में गये हैं, निश्चित रूप से न्यायालय इस विषय में गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा कि चुनाव लड़ना किसी का संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है; लीगल राइट है, मूलभूत अधिकार नहीं है, और मूलभूत अधिकार जब तक नहीं हो सकता, तब तक कानूनी रूप से उसको क्या प्रिविलेज मिलेगा?

ऐसे कई उदाहरण, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा ही केदारनाथ गुप्ता बनाम स्टेट के मामले में फैसला आया। जयपुर के मेयर के पद का निर्वाचन, चयन करने या चयनित होने या किसी निर्वाचन को चुनौती देने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही कोई सामान्य विधि का अधिकार है, बल्कि एक वैधानिक अधिकार है। ऐसे अधिकार से सम्बन्धित विवादों को उस अधिनियम में निर्धारित शर्त से विनियमित किया जाये जिसमें ऐसे अधिकार का सृजन होता हो। पक्ष में कई फैसले आये। बल्कि एक फैसला, आपराधिक मामलों में जो गवर्नमेंट अच्छी पहल करती है, उसका न्यायालय ने सपोर्ट किया, कि जब निश्चित धाराओं में चार्ज लगेगा तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पायेगा। इसके खिलाफ जब कोर्ट में गये तो कोटा में योगेन्द्र बनाम स्टेट के मामले में कोर्ट ने साफ कहा, उन्होंने

(श्री प्रहलाद गुंजल)

चैलेंज किया कि यह योग्यता लोक सभा के सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों की परिधि में नहीं है; साफ कहा, अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत युक्तियुक्त वर्गीकरण अनुज्ञेय है, प्रावधान अल्ट्रा-वायरस नहीं है तथा वैधता यथावत रखी जायेगी, जो कानून की वैधता है, जिसको चुनौती की है।

लेकिन उसके बाद भी, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली गवर्नमेंट ने भी एक अमेंडमेंट किया कि हम 21 से 35 साल के लोगों के लिए रिजर्वेशन देंगे, कोर्ट ने उसको टर्न-डाउन कर दिया।

हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार सरकार के सुधारवादी कदमों के लिए लाये गये बिल्स थे, उन बिलों पर अपनी व्यवस्था दी कि सुधारवादी कदम होने चाहिये।

ये मौलिक अधिकार नहीं हैं। सरकार संवैधानिक रूप से, लीगल रूप से, जो विधान मण्डल हैं, उसकी योग्यताएं तय कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने यह भी तय किया, सर्वोच्च न्यायालय के डाइरेक्शन हैं, हाई कोर्ट के डाइरेक्शन हैं कि इस प्रकार के फैसले करते समय संविधान की मूलभूत भावना और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, जो पैरेंटल एक्ट है, मूल एक्ट है, उस मूल एक्ट की भावना के विपरीत जाकर संशोधन नहीं करना चाहिये, और अगर उसके विपरीत जाकर संशोधन किये जायें तो निश्चित रूप से संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी समय-समय पर इस प्रकार के परिवर्तन किये जाने चाहिये। यह व्यवस्था भी निश्चित रूप से होनी चाहिये। तभी जाकर धीरे-धीरे इस प्रकार के जो बिल्स हैं, वे एक कानून का रूप ठीक तरीके से ले पायेंगे और न्यायालय में उनको चुनौती नहीं दी जा पायेगी।

मैं इसके साथ ही कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, सरकार का कदम क्रांतिकारी है और इस भावना को उद्धृत करता है। अंग्रेजी में कहावत है, charity begins at home, अच्छे काम की शुरुआत घर से होनी चाहिये। सरकार ने शुरुआत की है, अच्छा काम होना चाहिये लेकिन हमें इन संशोधनों के साथ-साथ यह भी विचार करना चाहिये; माननीय सभापति महोदय, आप इस सदन में लगातार तीसरी बार मेम्बर हैं; ऐसे कई मेम्बर हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता बिलकुल नहीं है, कई बार निर्वाचित होकर आते हैं। लोकतंत्र का असली चेहरा तब देखने को मिलता है जब सामने राजगढ़ से आने

(श्री प्रहलाद गुंजल)

वाली माननीय सदस्या गोलमाजी को देखते हैं। वे न केवल एम एल ए बनीं, इस राजस्थान की सरकार का हिस्सा बनीं, मंत्री बनीं पिछले कार्यकाल में। भारत की पार्लियामेंट में कई मेम्बर ऐसे जीतकर आते हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता शून्य है। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, ऐसे लोग जो शैक्षणिक योग्यता शून्य होने के बाद भी निर्वाचित होकर लगातार आते रहे, जनता का विश्वास जीतते रहे और पार्लियामेंट और असेम्बली की गम्भीर जटिलताओं को समझते हुए ऐसे कानून बनाने में, तर्कसंगत सहायता करने में, सहायक सिद्ध हुए, जिन कानूनों से आज देश चल रहा है, जिन कानूनों से आज प्रदेश चल रहा है। उन कानूनों की जटिलताओं को समझने का काम उन बिना पढ़े-लिखे लोगों ने किया है जो केवल साक्षर हैं, जो पढ़ना नहीं जानते हैं। उन्होंने लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है। जब बिना पढ़े-लिखे लोग कानून की इन जटिलताओं को समझ सकते हैं और ऐसे पार्लियामेंट-असेम्बली की उन व्यावहारिक बातों को समझकर, उन जटिलताओं को समझकर, कानून को फ्रेम करने का काम कर सकते हैं, कानून बनाने का काम कर सकते हैं, तो फिर, माननीय सभापति महोदय, ये जो लोग जिन पर हमने शैक्षणिक योग्यता का प्रतिबन्ध लगाया है, इन लोगों को कानून नहीं बनाना; इन लोगों को कानून बनाने में अपनी भूमिका नहीं निभानी; इन लोगों को केवल काम करना है...।

मैं इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं, सुधारवादी सोच है लेकिन अभी कहा गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति के कई वार्ड पंचों के पद खाली रह गये और खाली रहने के अलावा, इस राजस्थान में रोज अख़बारों में आ रहा है कि आज तक 500 लोग फर्जी मार्कशीट के आधार पर चुनाव लड़ लिये। मैं आज आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, माननीय सभापति महोदय, अगर हम एक-एक जिले की एक-एक पंचायत के चुनाव लड़ने वाले तमाम लोगों की जांच करायेंगे तो हजारों लोग ऐसे होंगे जो या तो बंद स्कूलों से टी सी लेकर आ गये, या गलत तरीके से मार्कशीटें लेकर आ गये। मैं यह कहकर यह नहीं कहना चाहता कि आप राजस्थान के उन तमाम चुनाव लड़ने वाले और निर्वाचित लोगों के पीछे डंडा लेकर पड़ जाओ कि हम आपकी आठवीं पास की मार्कशीट को जांचेंगे, हम आपकी पांचवीं और दसवीं की मार्कशीट को जांचेंगे और उनको कानून के दायरे में लाकर जेल की हवा खिलाने का काम करो, लेकिन हमें इस व्यावहारिक पक्ष में जाना पड़ेगा कि जो व्यक्ति योग्यता रखता है, जनता का भरोसा जीतना जानता है, अपने व्यक्तित्व, कर्म, साधना

(श्री प्रहलाद गुंजल)

और सम्पर्क के आधार पर लोगों में जिसका एक विशिष्ट स्थान है, अगर हम उसको केवल मात्र शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दरकिनार करके, कानून की जंजीरें उसके पैरों में डालकर रोकने का प्रयास करेंगे और उसने गलत तरीका एडाप्ट कर लिया और उसको हम अपराधी घोषित करेंगे...।

बिल वही आना चाहिए जिसका नजरिया सकारात्मक हो, जिसका नजरिया वाइड हो; बिल वही आना चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों तक एप्रोच कर सके, अधिक से अधिक लोगों को कानून-सम्मत तरीके से सहायता कर सके। बिल राइडर बनने के लिए नहीं लाया जाता है; बिल लाया जाता है लोगों को न्याय दिलाने के लिए, बिल लाया जाता है लोगों को राहत दिलाने के लिए, बिल लाया जाता है लोगों को न्याय के रास्ते पर सुविधाजनक तरीके से प्रीविलेज देने के लिए।

इसलिए मैं समझता हूं कि वे लोग जो अनुसूचित जाति, जनजाति के हैं, आज अगर इस राजस्थान में आजादी के 67 साल बाद वार्ड पंच के चुनाव में एस.सी. और एस.टी. में हज़ारों पद वार्ड पंचों के खाली रह जाएं तो हम लोगों के लिए यह आत्मचिंतन का विषय है और हमको संकेत देता है कि लगातार जिन लोगों के पीछे इस लोकतंत्र व्यवस्था को संचालित करके, इस राजस्थान को शैक्षणिक और सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राजस्थान बनाने का जिम्मा जिन लोगों का था, आज हम इस राजस्थान को शैक्षणिक दृष्टि से इतना भी पावरफुल नहीं बना पाये कि आजादी के 67 साल बाद गवर्नमेंट आर्डिनेंस लेकर आए कि आठवीं पास, पांचवीं पास लड़ने की आपकी योग्यता होगी और उस योग्यता को फुलफिल लोग नहीं कर पायें और फुलफिल करने के प्रयास के लिए बैकडोर एंट्री से तरीक़ों का इस्तेमाल करें और फिर हमारा कानून उनको जेल की हवा खिलाए। मैं समझता हूं तमाम व्यावहारिक पक्षों पर नजर डालकर इस प्रकार के बिल को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था।

यह बिल निश्चित रूप से सुधारवादी कदम है लेकिन इसके व्यावहारिक पक्ष में जब हम जाएंगे तो हम यह भी महसूस करेंगे कि राजस्थान को हमने 67 साल में न्याय नहीं दिया; हम राजस्थान के एक-एक व्यक्ति को लिटरेट नहीं बना पाये; लिटरेसी हम उनके दरवाजे पर नहीं पहुंचा पाये; एजुकेशन उनके घरों पर नहीं पहुंचा पाये। अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जो जीवन की चुनौतियों से लड़ते हुए सरकार की उस शैक्षणिक राहत को

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अपने तक एडाप्ट भी नहीं कर पाया, पढ़ भी नहीं पाया सरकार के लाख प्रयासों के बाद; या तो हमारे प्रयासों में कमी थी, या हम उसके अनुकूल वातावरण और संसाधन जुटाने में कहीं-न-कहीं नाकामयाब रहे। इसलिए आज यह चेहरा हमको देखने को मिल रहा है। यह चेहरा हम सबके लिए आत्मचिंतन का विषय है, यह चेहरा हम सबके लिए संकेत है कि हमने कहीं न कहीं राजस्थान के साथ न्याय करने में खामी रखी है, हमने राजस्थान के समग्र शैक्षणिक विकास में कहीं न कहीं कोई कमजोरी छोड़ी है और उसी का परिणाम यह हुआ है कि आज कई पद शिक्षा के आठवीं, पांचवीं पास नहीं होने के कारण रह गये, कई सरपंच फर्जी डिग्रियां लेकर बन गये। 200-300 मुक़दमों का आज अख़बार में समाचार पढ़ा है और अगर ब्यूरोक्रेसी ने सरपंचों के पीछे पड़ने का अभियान चला दिया कि सरपंचों को निपटाना शुरू करो, इनकी जांच शुरू करो, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वार्ड पंच, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य तक ये केस सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में निकल जाएंगे।

हमें इन सारे पक्षों पर विचार करके निश्चित रूप से बिल लाना चाहिए। लेकिन सफाई का नारा, प्रधान मंत्री का, स्वच्छता घर-घर में होनी चाहिए, स्वच्छता गली में भी होनी चाहिए। स्वच्छता का जिम्मा व्यक्ति पर डाल रहे हैं तो सरकार इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। इसको नजर-अंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट डायरेक्शन दें निगम को कि आप सफाई की व्यवस्था सुचारु करो, और अगर हम कानूनी राइडर ला रहे हैं, आठवीं पास करो, दसवीं पास करो, तो फिर इस राजस्थान का एक-एक व्यक्ति आठवीं पढ़े, दसवीं पढ़े और उसके लिए अगर आवश्यक वातावरण और संसाधन जुटाने की भी जरूरत पड़े तो इसका जिम्मा राजस्थान सरकार ले।

अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े तबकों का व्यक्ति जो बिलकुल जीवन की चुनौतियों से लड़ता है, जिसके पास न वातावरण है और न संसाधन है, हम इस प्रकार के बिलों को लाकर, अगर हम उसको जब तक एजुकेशन के दायरे में लाकर खड़ा नहीं कर देते, हम एक तरह से यह कानून उसके लिए राइडर के रूप में खड़ा कर रहे हैं और निश्चित रूप से वह व्यक्ति हमको कोसेगा। इस बिल के बाद, जिसमें योग्यता है; सांसद और एम एल ए की तरह जो जटिल चीजों को समझकर कानून बनाता है, वह समझता है, मेरे पास पंचायत को चलाने की और जनता का विश्वास पाने की योग्यता है, वह इस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कानून को जो हमारे द्वारा राजस्थान में एक अच्छे वातावरण के निर्माण के लिए लाया जा रहा है, हमको कोसेगा। यह राइडर है, यह बाधा है और हम किसी के लिए बाधा लाने के लिए या बाधा पैदा करने के लिए कानून नहीं लाते हैं, कानून अच्छाई के लिए, न्याय के लिए लाते हैं।

इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध तो नहीं करता हूं, लेकिन इसके व्यावहारिक पक्षों पर ईमानदारी से जाना चाहिए था। आर्डिनेंस, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि एक बार इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो उसको रोका नहीं जा सकता, और यह डायरेक्शन दे दिये; चूंकि असेम्बली फॉर्म में हैं, अब विधेयक के फार्म में आ गये हैं असेम्बली में, नये सिरे से याचिका करता है, सरकार को इस पक्ष को भी गम्भीरता से देखना चाहिए कि कहीं यह हमारा पारित किया हुआ बिल टर्न-डाउन नहीं हो जाए। इस पर ठीक तरीके से पैरवी करनी चाहिए।

इतना कहते हुए, दोनों बिलों पर जो मैंने जन मत जानने का प्रस्ताव दिया है, उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री लादूराम जी।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2015 और राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय) संशोधन विधेयक, 2015 पर चर्चा कर रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, राजस्थान का पंचायती राज में गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल जी नेहरू ने राजस्थान से ही पंचायती राज की स्थापना की थी। जो 80 परसेंट के लगभग जनसंख्या, पूरे प्रदेश के लोग गांवों में बसते हैं; प्रत्येक सरकार जब आती है तो गांवों के लोगों के मतों को लेकर के राजस्थान की विधान सभा में पहुंचती है; मेरा भी सौभाग्य रहा है कि मुझे चार साल पंचायत समिति प्रधान के रूप में काम करने का मौका मिला, पंचायती राज से इस राजनीति में आने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से मुझे कुछ सीखने को मिला। समझने को मिला।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जब इस सरकार का गठन हुआ था तो माननीय हमारे वरिष्ठ नेता और मंत्री आदरणीय गुलाब चन्द जी कटारिया साहब को यह दायित्व मिला था। हमें बहुत खुशी हुई थी कि एक बहुत सुलझे हुए और अच्छे एक मंत्री को जिम्मेदारी मिली है। निश्चित रूप से गांव के लोगों में एक आस जगी थी कि पंचायती राज के माध्यम से, सरकार के माध्यम से गांवों का विकास होगा। लेकिन क्या कारण रहे, क्यों नहीं रहे? अब निश्चित रूप से वह तो सरकार ही जाने, किसको दायित्व दे लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह आर्डिनेंस की प्रथा क्यों डाली जा रही है? जब राजस्थान की विधान सभा को, हमारे भारत की पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, उसके अलावा किसी को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, तो इस ब्यूरोक्रेसी की सलाह के ऊपर हम आर्डिनेंस ले आते हैं। पिछले दिनों सुना था हमने भी कि केन्द्र की सरकार जब आर्डिनेंस लेकर के आई, भूमि अधिग्रहण बिल जो किसानों के लिए काला कानून था, तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने क्वेरी भी की मंत्रिमण्डल से और यह कहा कि मैं समझता हूं, आर्डिनेंस से कोई संशोधन करना, कानून बनाना ठीक नहीं है। निश्चित रूप से हमें इस बात के संकेत देता है कि आर्डिनेंस से नहीं, पहले विधान सभा में कानून आये, हम चर्चा करें, आज भी तो हम कर रहे हैं ना। सत्ता पक्ष है, बहुमत में हैं; हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, शाम को करा देंगे, हम हमारे घर चले जाएंगे। गला फाड़कर टौंसिल फुला लेंगे, क्या फायदा हुआ? जब इस तरह का कानून लाना था, आपके पास समय था, तो उस समय का सदुपयोग करना चाहिए था। तीन सत्र निकल गये थे। इसका मतलब, यह अंतिम समय में सोची-समझी चाल थी।

पंचायती राज में बहुत खामियां हैं और उन खामियों की वजह से, चाहे भारत सरकार का बजट हो, चाहे राज्य सरकार का बजट हो, जो गांवों के विकास के लिए आता है, उस गरीब की झोंपड़ी तक पहुंचाने के लिए आता है, वह अभी तक भी, माननीय सभापति महोदय, नहीं पहुंच रहा है। निश्चित रूप से हमें कानून बनाने चाहिए, कानून बना हुआ भी है, पंचायती राज एक्ट है, लेकिन उसकी कितनी पालना होती है?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज में कमेटियां बनी हुई हैं। जिला परिषद की भी हैं, पंचायत समिति की भी हैं, ग्राम पंचायतों की भी है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, चूंकि अब सदन में जो मंत्री महोदय, मौजूद है, वे तो शहरों के मंत्री हैं, गांवों के नहीं हैं,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इनको पंचायती राज एक्ट का, कोई एलएल बी की हो और पढ़ा हो तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मेरी बात सुन रहे होंगे, जहां भी मंत्री महोदय या जो भी सक्षम अधिकारी हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन कमेटियों की बैठकें कितनी होती हैं? एक नहीं। प्रशासन स्थापना समिति के अलावा कोई भी कमेटी की मीटिंग पूरे राजस्थान में, मैं समझता हूं, राज चाहे हमारा रहा, चाहे राज भारतीय जनता पार्टी का आ गया, शून्य के बराबर है; एक परसेंट या दो परसेंट की मैं कह नहीं सकता। जब एक्ट बन गया, आपका कानून है कि आप यह कमेटी है, इसमें यह पांच मेम्बर हैं, यह इसका अध्यक्ष होगा, यह फिर निर्णय करेगा;

(15.00 बजे)

एजुकेशन कमेटी बनी हुई है और एजुकेशन कमेटी अगर निर्णय कर दे और प्रधान उसको बी ई ओ को भेज दे, तो वह बी ई ओ पालना नहीं करता। वह यह कहता है कि मैं तो जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश मानूंगा, शिक्षा विभाग के निर्देश और नियम मानूंगा, आपके पंचायती राज के नियम मुझे नहीं मानने। निश्चित रूप से हमें सोचना पड़ेगा इसको और ठीक करना पड़ेगा।

महिला जन-प्रतिनिधि पचास परसेंट हमने कर दिया, अच्छा कर दिया, बराबर का दर्जा देना चाहिए, लेकिन, सभापति महोदय, कितनी उपस्थिति रहती है महिला जन-प्रतिनिधियों की, इस बात को भी हमें सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जिस दिन प्रधान या जिला प्रमुख का चुनाव होता है उस दिन तो सबको हम खींच-खांच कर ले आते हैं और उसके बाद में एक-दो मीटिंग में तो उनके थोड़ा सा शौक रहता है और उसके बाद में अगर गाड़ी भेज दो तो भी वे महिला जन-प्रतिनिधि नहीं आती हैं। वे इसलिए नहीं आती है, सभापति महोदय, हमारा कानून तो बन गया लेकिन उसके प्रति जो हमें उसकी पालना करानी चाहिए थी, उसकी जो जवाबदेही हमें निश्चित करनी चाहिए थी, वह नहीं हो रही है। जो महिला प्रतिनिधि होती हैं, उनके पति, ससुर, भाई, देवर, पता नहीं, कौन-कौन से रिश्तेदार होते हैं, वे आते हैं, मीटिंग्स में बैठते हैं, भाषण भी देते हैं। अब किस बात की मीटिंग है, आप बताइये।

जब आपने अधिकार दिया है तो निश्चित रूप से उसकी पालना भी होनी चाहिए। फंड और फंक्शनरीज, हमारे गहलोत साहब ने, हमारी सरकार ने इस पंचायतों को मजबूत करने का काम किया था लेकिन ज्यों ही आपकी सरकार आयी, पुनः उसको वापस वह ही नुकसान करने का काम किया।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

पंचायती राज एक्ट में लिखा हुआ है कि ग्राम सेवक का स्थानान्तरण पंचायत समिति की स्थापना समिति करेगी। मैं पूछना चाहता हूं, आदरणीय कटारिया साहब जब मंत्री थे तो उन्होंने किस हैसियत से यह आदेश निकाला कि ग्राम सेवक का ट्रांसफर पंचायत समिति नहीं करेगी, जिला परिषद का सी ई ओ और ए सी ई ओ करेगा? आप पंचायती राज को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, आप कानून लाने की बात कर रहे हैं, जो प्रोविजन हैं पंचायती राज एक्ट में, उसकी आप पालना नहीं कराते।

ये पूरा का पूरा सिस्टम जे ईएन बेस्ड सिस्टम हो गया, इंजीनियर बेस्ड सिस्टम हो गया। सभापति महोदय, इंजीनियर जो चाहता है, पंचायत समिति में वह ही होता है। बी डी ओ के कोई जाये कि नहीं जाये प्रधान से कोई जयराम जी की करे कि नहीं करे, लेकिन जे ईएन और ए ईएन के घर हमारे जन-प्रतिनिधियों की, पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों की लाइन लगी रहती है। और लगे भी क्यों नहीं? जो कानून में प्रोविजन है कि जब कोई काम सैंक्शन होगा तो जे ईएन, ए ईएन उसका डिटेल्ड एस्टिमेट देगा। देता है क्या कोई? पूरे राजस्थान में मेरा दावा है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि एक जगह भी डिटेल एस्टिमेट नहीं देता है। जब आपका सैंक्शन था पांच लाख के मकान का, मकान बन गया तो वे ग्राम सेवक और सरपंच थैले में डालेंगे और वे कहेंगे साहब, बताओ तो सही, ईंटों का कितने का बिल बनाऊं; अगर पांच हजार का ले लिया तो कहेगा कि इसमें तो तीन ही लगेगी। अगर सीमेंट का तीन सौ बोरी का बिल ले लिया तो वह कहेगा कि नहीं इसमें तो ढाई सौ ही लगेंगी। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। आपने सरिया लोहा लगाया; कि नहीं, लगाया; कि नहीं, साहब, मैंने तो नहीं लगाया। तो इसमें तो लोहा लगना चाहिए था। लिण्टल साइज में इसमें तो इतने-इतने सरिये लगने चाहिए थे। वह बेचारा दुबारा जाएगा, वह दुकान वाला बिल देगा। बैक डेट में देगा, तो उसको रिश्वत देनी पड़ेगी और फिर जो जे ईएन साहब हैं उनका पूरा का पूरा कमीशन नहीं मिलेगा, तो उस बेचारे की फाइल पास नहीं होगी। यह एक सिस्टम है, इसको सुधारना पड़ेगा। केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होता। कानून केवल मात्र एक दिशा प्रदान करता है। उसके बाद में, हमें चाहिए, जो भी सरकार आती है, उसको उस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा।

एक और बताना चाहता हूं मैं, एक यू सी, सी सी है, पूरे प्रदेश में एक

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

भी जे ईएन या ए ईएन उसके ऊपर डेट नहीं डालता और वह डेट इसलिए नहीं डालता कि मैंने अगर एक बार इसको मेरी फाइल सब्मिट की तो उसकी यू सी, सी सी जुलाई में बने तो बने, दिसम्बर में बने तो बने, उसके पास में कोई टाइम लिमिट नहीं है क्योंकि वह डेट तो डालता नहीं है।

चार-छह महीने में उसकी जेब पूजा हो जाए तो वह उसकी यू सी, सी सी बना देगा; नहीं होगी, तो उसमें कमियां, मैं मौका देखूंगा मैं ये करूंगा, मैं ये देखूंगा, ये बिल देखूंगा। तो यों करके इस सिस्टम को बिगाड़ने का काम किया। उस पर कंट्रोल करने की हमें आवश्यकता है। जो प्लान बनते हैं, सभापति महोदय, क्या प्लान बनते हैं? किसी भी ग्राम पंचायत के सरपंच को, किसी भी पंचायत समिति के प्रधान को और किसी भी जिला प्रमुख को जो नरेगा में प्लान बनता है, उसकी जानकारी नहीं रहती है। बी डी ओ, जे ईएन, ए ईएन बैठ करके, ग्राम सेवक साथ में बैठते हैं और उसका प्लान बनाते हैं। मैं जब प्रधान था तो यह नरेगा की शुरुआत हुई थी, यह मेरा सौभाग्य था कि भारत की सबसे बड़ी योजना, जो काम करने का अधिकार दिया गया था, वह आई थी। तो हम जब बात करते थे, जब पंचायत समिति में लाते थे, तो सरपंच फिर दो-दो, तीन-तीन महीने बाद में आते थे कि साहब, यह तो प्रस्ताव में लिया लेकिन यह लिया ही नहीं, और यह कहां से लिया, पता ही नहीं। तो मैंने कहा कि प्रस्ताव तो आपने ही पास करके भेजा है; कि नहीं, साहब, वह ग्राम सेवक जी ने पता नहीं, कहां लिख दिया होगा, कैसे लिख दिया, उससे मिल कर लिख दिया। तो ये जो चीजें हैं। उनमें हमें इस कानून के अनुसार काम कराने की दृढ़ इच्छाशक्ति जो सरकार की होनी चाहिए, वह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि होनी चाहिए।

आज हम एक तरफ तो कह रहे हैं, पंचायतों को अधिकार दे रहे हैं, और पंचायतों के आप अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण गौरव पथ सड़क बना रहे हैं, आप गांवों में बना रहे हैं, गांवों का पैसा है, पी डब्ल्यू डी करेगी। क्यों? सरपंच क्यों नहीं करेगा? जब और काम सरपंच कर रहा है, जब पांच-पांच, सात-सात करोड़ रुपये पांच साल में सरपंच खर्च कर रहा है तो क्या वह पांच सौ मीटर सी सी सड़क नहीं बना सकता? क्या उसको राइट नहीं है? लेकिन क्यों, तीस परसेंट इनके ओवरहैड चार्जेज लेंगे पी डब्ल्यू डी वाले, तीन साल की पांच साल से घटा कर, गारंटी कर दी और जय राम जी की। खाया-पिया और चल दिया।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं समझता हूं, स्वास्थ्य विभाग में एन आर एच एम से ठेके देते हैं; पता नहीं, कहां से पैसे लाते हैं, क्या करते हैं और यों मिट्टी लगा करके चले जाते हैं। सरपंच जब पूछता है वहां का, प्रधान जब पूछता है, एम एल ए जब पूछता है, तो कहते हैं कि ये आपके समझ की बात नहीं है, हमारा सिस्टम दिल्ली से सीधा है। हम तो आ गये और हमारा ठेका दे दिया। उसी एन आर एच एम के अधिकारी, वे ही उसकी जांच करेंगे। एक पंचायत का अगर जन-प्रतिनिधि चुना हुआ, सभापति महोदय, काम करेगा तो उसकी सोशियल आडिट उसके सामने लड़ने वाला जो सरपंच होगा, जो उम्मीदवार होगा, वह ही कर देगा। अगर वह घटिया काम कर देगा तो उसकी शिकायत कर देगा। एक जो दोनों कानून लेकर आये हैं...

**श्री हीरालाल** (निवाई): डोटासरा जी, ए.जी. का आडिट शुरू हो गया, उससे मालूम पड़ जाएंगी अनियमितताएं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आपका तो साढ़े तीन साल बाद में, माननीय सदस्य, पता लग जाएगा। दोबारा आ जाओ तो मुझे कह देना।

**श्री हीरालाल** (निवाई): आपको पूरा अनुभव है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्योंकि जिस तरह से चल रही है न सरकार, दुबारा 160 में से 25 ही नहीं आने हैं, हमारे से कम रहने हैं। (व्यवधान)

मैं निवेदन कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, अधिकारी पता नहीं, किस तरीके से इस पंचायती राज के कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए लगे हुए हैं। हमारे समय में हुआ, जो कमी रही, गलती रही, मैं स्वीकार करता हूं। एक जो जनता जल का पी एच ई डी का टी एफ सी की मद में जो पैसा जाता है, उससे भुगतान कर देंगे कुओं के ट्यूबवेल के कनेक्शन के बिजली के बिल का। मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, जब टी एफ सी की गाइडलाइंस हैं, उसमें उसको पन्द्रह अधिकार दिये हुए हैं, आप खुर्रा भी बनाओगे, आप ये भी करोगे, आप लाइट भी लगा सकते हो, आप सफाई भी कर सकते हो, तो वह क्यों बिजली का बिल चुकाएगी? आप मेरे को बताइये। बिजली के बिल चुकाना उसकी अंतिम प्रायोरिटी होगी। इसलिए सारे के सारे गांवों में विद्युत कनेक्शन कुओं के कट रहे हैं। आज त्राहिमाम-त्राहिमाम, यह गर्मियों का मौसम है, इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा कि यह कोई व्यवस्था कीजिये। या तो आप सीधा यहां से पैसा दीजिये, जिला परिषद, पंचायत

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

समिति से सीधा उस पी एच ई डिपार्टमेंट को चला जाए, सरपंच के खाते में अगर किसी योजना को लेकर के पैसा गया तो उस योजना की गाइडलाइंस में जो भी होगा, वह उसकी मर्जी आएगी। ग्राम सभा प्रस्ताव लेगी कि मुझे तो खुर्रा बनाना है, इंटरलाक सड़क बनानी है, मुझे बिल नहीं चुकाना, तो उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई कानून बंद नहीं कर सकता।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो भी कानून आया, शैक्षणिक व शौचालय का कानून आया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या फोर्स से कोई कर सकता है? नहीं कर सकता।

सभापति महोदय, हमने एक कानून बनाया था पंचायती राज एक्ट में कि 1995 के बाद में अगर आपके दो बच्चों के बाद कोई बच्चा हो गया तो आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है हमारे देश की, उसमें कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको जनसंख्या रोकने के लिए कानून से, बाई फोर्स उसको लागू करना पड़ेगा। यह मैं लेकर के आया हूं। हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी लगी रहती हैं सरकारें। पंचायती राज में भी कर दिया।

अब जो कानून ला रहे हैं शौचालय का, अभी कह रहे थे, हमारे जोगाराम जी पटेल साहब भी कह रहे थे, और सब कह रहे थे, हमारे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य हैं, गुंजल साहब भी,

मोदी जी आये और स्वच्छता आ गई। स्वच्छता मोदी जी नहीं लाये, सभापति महोदय, यह हमारे पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की देन है जो 'निर्मल भारत' की योजना लेकर आये थे। गांव-गांव में, गली-गली में लोक जाग्रति आई थी, निर्मल भारत बन रहा था, स्वच्छता आई थी और उसी का परिणाम है कि आज चल रहा है। (व्यवधान) मेरे से बात कर लो आप। विराज जाओ। 'निर्मल भारत' नहीं आया था। निर्मलता में मनमोहन सिंह जी ने राजस्थान के प्रदेश की सैकड़ों पंचायतों को ...(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, उनको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है, वह क्या मोदी जी के आने के बाद मिला है? मोदी जी ने तो केवल एक काम किया है कि हमारे जो जन-प्रतिनिधि जीते हैं, उनके लिए शपथ का प्रोफोर्मा...

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): माननीय सभापति जी, इनको पता नहीं। इनके शासन के सारे सर्कुलर पढ़ लें। इनके ही सर्कुलर कराये हुए हैं जिनको कोट कर रहे हैं। किसको कह रहे हैं यह बात?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, जो शपथ हमारे जन-प्रतिनिधियों से भराई गई स्वच्छता के लिए, 100 घंटे हर सप्ताह, दो घंटे 100 व्यक्तियों को प्रोत्साहित करूंगा, स्वच्छता के लिए 100 घंटे दूंगा, क्या मानिटरिंग है? शपथ ले ली। शपथ तो वह होती है जिसकी अक्षरशः पालना होती है। इसकी पालना कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हैं? केवल थोथी पापुलेरिटी लेने के लिए हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ने, मुझे माफ करना, इस तरह की +++ करने का काम किया है। इन +++ से भारत स्वच्छ नहीं होगा। हमें जनता को जाग्रत करना पड़ेगा और जाग्रत करोगे, तब जाकर स्वच्छता आयेगी। आज कचरा उठाने का आप शहरों से पैसा ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? कानून से उठ ही जायेगा। स्वच्छता का कानून तो हो ही गया, सबको स्वच्छ रहना पड़ेगा, सबको स्वच्छता करनी पड़ेगी, गलियों को साफ करना पड़ेगा, दो घंटे, 100 घंटे, पता नहीं, कितने दिन काम करें। आप दो घंटे की बात कर रहे हों, ये महिलाएं तो 6 घंटे काम करती हैं स्वच्छता का। घर का झाड़ू, पोंछा, बाहर का, सारा काम करती हैं। आप किसको बेवकूफ बना रहे हों? सभापति महोदय, इसलिए कोई फोर्स से कानून नहीं होना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शैक्षणिक योग्यता का जो आर्डिनेंस सरकार लेकर आई, बड़े विचित्र ढंग से, एकदम छुपा हुआ एजेंडा, हमने सुना था स्काईलैब पड़ेगा, वैसे स्काईलैब डाला। सभापति महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब थोडे दिन पहले निकायों के चुनाव थे, तब ये कहां चले गये थे? एक पार्षद शहर का सभापति बनता है, मेयर बनता है, वह तो पढ़ा-लिखा होना जरूरी नहीं है और ग्राम पंचायत का सरपंच पढ़ा हुआ होना जरूरी है। यह इसलिए लाया गया कि जो ग्रामीण परिवेश में कांग्रेस का जनाधार था, उसको छिन्न-भिन्न कैसे किया जाये। इनको कोई परवाह नहीं थी, सभापति महोदय। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारा सिर...(व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सोची-समझी चाल थी और आज हमारा सिर शर्म से नीचे झुक रहा है। हम जब राजस्थान के बाहर जाते हैं, तो कहते हैं कि वही राजस्थान है क्या जो फर्जी जन-प्रतिनिधियों वाला राजस्थान है? हमारे प्रदेश की स्थिति बिगाड़ने का काम किया है।

**श्री हीरालाल नागर** (सांगोद): 67 साल में आप अपने वोटर को वहीं रखना चाहते हैं, यह आपकी नीति है। सभापति महोदय, यह इनकी नीतियां बता रही हैं कि 67 साल में इन्होंने देश को कहां पहुंचाया है। यह इनकी नीतियां बता रही हैं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) मेरे में इतनी ताकत है कि आपको मैं कभी नहीं बोलने दूंगा। अगर आपने ...(व्यवधान) तो मैं आपको कभी नहीं बोलने दूंगा, यह देख लेना। दोस्ती खतम हो जायेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज 300-400 लोग फर्जी जन-प्रतिनिधि। इन्होंने कहा, गबन होते थे; गबन करता कौन है? आई ए एस, आर ए एस, आई पी एस, इंजीनियर, डाक्टर। कल-परसों हनुमानगढ़ में पकड़ा गया, वह अनपढ सरपंच था क्या? 40-40, 50-50 लाख रुपये उसके घर में मिले। यह मंशा से होता है, उसकी सोच से होता है। मेरे को भ्रष्टाचार करना है तो मैं अनपढ़ हूं तो भी कर लूंगा और मैं पढ़ा-लिखा हूं तो मैं अनपढ़ से हजार गुणा ज्यादा करूंगा। अनपढ़ फिर भी डरता है, पढ़ा-लिखा आदमी कभी नहीं डरता। जहां भी साइबर क्राइम हुए हैं, जहां भी सबसे ज्यादा अपराधी हैं, वे पढ़े-लिखे लोग ज्यादा मिलेंगे।

इसलिए केवल यह आधार देना, और सर्कुलर निकालते रहे मनमाफिक। भारतीय जनता पार्टी का एम एल ए आ गया कि मेरे थोड़ी अडचन आ रही है कमला है नाम, विमला होना चाहिये, तो कमला-विमला का सर्कुलर निकाल देते हैं। चुनाव आयोग को भेज दिया। हमने चुनाव आयोग से बात की, कि यह पंचायती राज के निर्देश आते हैं, हमारा उनकी पालना कराने का काम है, हमारा दूसरा काम नहीं है।

जिस प्रकार से इन्होंने गड़बड़ियां करने का एक सोचे-समझे षड्यंत्र के साथ, अब फिर नगर निकायों के चुनाव आ रहे हैं अगर आपकी मंशा ठीक है तो 8 तारीख तक असेम्बली चल रही है, ले आइए, लेकिन लायेंगे नहीं, अंतिम समय में लायेंगे, जिससे हमारे एस सी, एस टी, माइनोरिटी, जिनकी कांग्रेस मदद करती है, जो कांग्रेस को चाहते हैं, उनको वापस वंचित करें और इनके पूंजीपति इस सिस्टम पर वापस हावी हों। यह इनकी सोच है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पुनर्गठन किया, वाहवाही लूट रहे थे, क्या पुनर्गठन किया आपने? कोई पुनर्गठन नहीं किया। राजनीतिक भेदभाव से जिस प्रकार से किया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज मेरे यहां नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र है उसमें दो पंचायत समितियां बनानी थीं। हमारे जन-प्रतिनिधि की इच्छा थी कि मेरे को तो दो बनानी हैं, इससे मेरा नाम ऊंचा होगा। एक पंचायत समिति, एक ग्राम पंचायत दयालका नांगल, जो 25 किलो मीटर पड़ेगा, उसको पाटन में मिला दिया। वहां के लोगों ने बहिष्कार किया। न

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सरपंच चुना गया, न पंच चुना गया, न पंचायत समिति के मैम्बर के वोट डाले, न जिला परिषद मेम्बर के वोट डाले। अब क्या होगा? बताइए। वह कह रहे हैं, हम 3 किलोमीटर जाते थे नीमकाथाना, अब हम 25 किलोमीटर क्यों जाएं?

सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कम से कम प्रशासनिक नियंत्रण तो उन पंचायतों का उसमें कर दीजिए जिससे उनको सुविधा मिले और वे वहां काम करें।

आज प्रदेश में ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहां शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता के कारण से सरपंच नहीं बने। पंचायत समिति मेम्बर नहीं बने, जिला परिषद मेम्बर नहीं बने। अभी जोगाराम जी कह रहे थे, 8,000 समथिंग ही हुए। तो 9,900 थे, फिर क्यों नहीं हुआ, चुनाव क्यों नहीं हुए? सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह जिस तरह से इन्होंने शैक्षणिक योग्यता में...

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): ...(व्यवधान) सिर्फ 13 के सिवाय कुछ भी नहीं हुआ है। सारे के सारे सरपंच चुने गये। नगर निगम के चुनाव 2014 में थे, 2012 में जोधपुर के नगर निगम का डिलिमिटेशन बिना कुछ बताये, बिना पब्लिश किये, एक वार्ड में 5 हजार वोट, एक वार्ड में 45 हजार वोट करने वाले व्यक्ति इस विधान सभा के पवित्र सदन में कहने के अधिकारी नहीं हैं। मान तो रहे हो ना?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): इसका मतलब, आप भी यही कर रहे हो ना?

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): हम यह नहीं कर रहे हैं। पूरी सुनवाई का अवसर दिया है, पूरी पब्लिक को अवसर दिया, उसके बाद किया है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, विराजिए। विराज जाओ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक जो फर्जी एफ आई आर दर्ज की जा रही है, जांच की जा रही है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। जो कांग्रेस समर्थित एक-दो लोग हैं, उनको तो आओ, लूटो, खोसो, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके लिए यहां से सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन हैं कि इनकी फाइलें सम्बन्धित लाकर में रख दें, अपनी तिजोरी में रख दें और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करनी है। उसका कारण, कि

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कहीं इन सबका फर्जीवाड़ा खुल गया, 300-400 लोगों का, तो प्रदेश की इमेज फर्जीवाड़े जन-प्रतिनिधियों के प्रदेश की बन जायेगी। सभापति महोदय, यह बहुत ही शोचनीय प्रश्न है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं...

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय सभापति महोदय, मेरी रिक्वेस्ट है, जो आरोप लगाये गये हैं...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल सही लगा रहा हूं, आप विराज जाएं।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): नहीं, सही कुछ नहीं लगा रहे हैं। मैं अभी जवाब दे दूं आपको?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आप सदन में जवाब देने के लिये नहीं हैं, बाहर आ जाइए।

सवाल यह है कि कितने सरपंचों को आपने अन्दर धरा, कितनों को हटाया? हटा सकते ही नहीं; यह कानून में है कि कोर्ट में जाना पड़ेगा। इनको पता था कि हटाने हमें हैं नहीं, इसलिए अपने लोगों को सुनियोजित तरीके से फर्जी डिग्रियां उपलब्ध कराई गई और फर्जी जन-प्रतिनिधि बनने का अवसर प्रदान किया और अब पांच साल उनको बचाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको कोई कानून लाना था तो आपको पहले विधान सभा में चर्चा करनी चाहिये थी। आज तो बहुमत है, सभापति महोदय, हम कर भी क्या लेंगे, आप बताइए, हम तो 24 लोग, 46 लोग, लेकिन इससे सीख लेने की जरूरत है कि अगर आपको कोई कानून लाना है तो आप कानून लाइए, इस पंचायती राज को ठीक करेंगे, हम और आप अगर इसको ठीक करेंगे तो जनता यह महसूस करेगी कि आपने हमारे विकास के लिए कानून में कोई अच्छा संशोधन किया है, तो निश्चित रूप से उसकी दुआएं लगेंगी।

अभी लम्बे-चौड़े भाषण दे रहे थे कि सी ए जी रिपोर्ट आ गई, 1,000 रुपये सामाजिक अधिकारिता विभाग में ज्यादा खर्चा कर दिया गया। हम किसलिए बने हैं? किसके वोटों से बने हैं? हम गांव के उन बूढ़े, गरीब, ढाणियों में रहने वाले लोगों के वोट से बने हैं, उनके विकास के लिए हम आये हैं। हम पी पी पी मोड पर सरकार चलाने के लिए नहीं आये हैं। यह गलतफहमी है। सभापति महोदय, यह गलतफहमी तीन-साढ़े तीन साल बाद इनकी टूट जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। इनको कहीं छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): पंचायत के चुनाव से पहले यह-का-यह कहा था आपने। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): अगर उस बूढ़े को मदद दे दी, अगर उसका बेटा नहीं पूछ रहा था, बेटे की बहू नहीं पूछ रही थी, अगर उसको हमने मदद दे दी तो कोई अन्याय कर दिया क्या? आप तो, पता नहीं, टाटा, अम्बानी, अडानी के घर जाकर, उनको बुलाकर हमारे अरबों, खरबों दे रहे हों, करोड़ों-करोड़ों रुपये के खनन घोटाले कर रहे हों। आपको सोचना पड़ेगा कि जिन गांव के लोगों को हमें ये सुविधाएं देनी हैं, जिनकी वैलफेयर के लिए हम आये हैं, उन लोगों के लिए काम करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं, एम एल ए और एम पी की है क्या? हां, नान मैट्रिक भी बैठे हैं; आठवीं फेल भी बैठे हैं; अंगूठा छाप भी बैठे हैं। तो फिर आप अपने लिए कानून क्यों नहीं बनाते? केन्द्र में आपकी सरकार है, आप हमारे प्रधान मंत्रीजी, मोदी जी से बात कीजिए, एम एल ए और एम पी की भी आप क्वालिफिकेशन कीजिए। निश्चित रूप से आज एक आई ए एस, एक मंत्री है, अगर वह मंत्री नान मैट्रिक है, उसका आर ए एस अफसर है, तो क्या वह समझा पाएगा क्या?

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): आपका वोटर तो पढ़ा-लिखा आया ही नहीं। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आप विराज जाओ। हम हैं ना पढ़े-लिखे आपसे ज्यादा।

सभापति महोदय, एक आर ए एस अधिकारी उसका पी एस होता है, वह कहता है, साहब, ऐसा है और इसमें ऐसा-ऐसा कर लो। अब कालूलाल जी चाहे पढ़े-लिखे हों लेकिन मुख्य सचेतक महोदय को अगर यह कह दें कि साहब, यह-यह कानून है और अंग्रेजी में परिपत्र आ गया, तो वे कहेंगे कि इसका हिन्दी अनुवाद कर दो, मेरे को पता नहीं।

**श्री हीरालाल** (निवाई): एम ए, एलएल बी हैं। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): हैं, लेकिन समझते नहीं ना अंग्रेजी। यही तो मैं कह रहा हूं ना।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): कालूलाल जी हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू भी जानते हैं। आपको पता नहीं है। गुजराती भी जानते हैं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, हमें सोचना पड़ेगा कि हम जो कानून बना रहे हैं, उस कानून के पीछे मंशा क्या है। आप फोर्स से कुछ भी नहीं कर सकते। फोर्स से अंकित नहीं, माननीय सभापति महोदय, आप करो तो यह काम तो हो सकता है फोर्स से, अंकित नहीं; तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, मैं जो बोल रहा हूं वह आगे लिखा नहीं जाएगा इसमें और न छपेगा सुबह। इसलिए यह तो फिर भी हो सकता है लेकिन जो कानून है, उसके लिए हमें जाग्रति करनी पड़ेगी।

पंचायती राज का सिस्टम है, माननीय मंत्री महोदय, माफ करना, आपसे ले लिया, दूसरे मंत्रीजी हैं, लेकिन आपका राजस्थान की राजनीति में आज इतना प्रभाव है; आप वरिष्ठ मंत्री हैं, आपकी राय के बिना सरकार में कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस जे ईएन बेस्ड सिस्टम को तोड़िए। मीटिंग समय पर हों। मीटिंग्स समय पर नहीं होती हैं, न ग्राम पंचायतों की होती हैं, न पंचायत समिति की होती हैं। हमारे आदरणीय मंत्रीजी, भरत सिंह जी ने किया था कि हर शुक्रवार को होगी, मैं समझता हूं कि वह सर्कुलर ठीक नहीं था। जब कानून में यह है कि प्रधान बुलाएगा, तो निश्चित रूप से एक अधिकारी यह कह दें कि साहब, नहीं, आपको शुक्रवार को ही बुलानी पड़ेगी, तो मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं है। (व्यवधान) माननीय पंचायती राज मंत्री रहे हैं, कितना शानदार काम किया था कालूलाल जी गुर्जर साहब ने।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, अभी प्रतिपक्ष के माननीय चीफ व्हिप ने यह कहा कि कालूलाल जी गुर्जर गांव के हैं और अनपढ़ हैं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): नहीं, अनपढ़ नहीं कहा।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): ठहरिए। आपने यह कहा कि अंग्रेजी का कोई कागज दे दें तो कहेंगे कि पहले हिन्दी करके लाओ। आपको मालूम है, मैं कितना पढ़ा-लिखा हूं?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): हैं ना।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): फिर भी मुझे अंग्रेजी नहीं आती, यह भी मालूम है?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मैं भी नहीं पढ़ सकता अंग्रेजी। (व्यवधान) मेरे पास इलाज क्या है?

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): आप नहीं पढ़ सकते होंगे। आप जैसा दूसरो को समझते हो....

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के, दोनों नेता कितने पढ़े लिखे हैं, यह तो बता दो सदन को।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैंने बी ए किया, जियोग्राफी में आनर्स किया, मैंने एलएल बी की और 15 साल तक वकालत की। सारी अंग्रेजी की किताबें होती हैं लॉ की, सारे कानून-कायदे में इंग्लिश में लिखे जाते थे। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय सचेतक महोदय, आपकी काबिलीयत के प्रति कोई शक नहीं है। (व्यवधान)

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो मैं आपको पढ़ा सकता हूं, लिखना सिखा सकता हूं, बोलना सिखा सकता हूं। आप चाहें तो आज से ही एक घण्टा रोज मेरे घर पर आएंगे, मैं आपको बढ़िया इग्लिश सिखा दूंगा।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य सचेतक महोदय की काबिलीयत पर कोई शक नहीं है,... (व्यवधान) मैं इनकी योग्यता पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगा रहा हूं।

**श्री सभापति**: आदरणीय प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, शंका तो आपको होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो सचेतक हों और वे मुख्य सचेतक हैं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मुख्य सचेतक हैं, यही तो गुनाह हो गया ना।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): इनको यही तो ध्यान नहीं है।

**श्री सभापति**: मुख्य सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए ही लगता है, या तो मुख्य सचेतक को लगता है या मुख्य मंत्री को लगता है। यह भी आप ध्यान में रखें।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): यह भी प्रोविजन है कि मुख्य सचेतक चाहे पार्लियामेंट का हो, चाहे प्रदेश की सरकार का हो, प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रीजी से जब चाहें तब मिल सकता है, जो प्रोविजन है। इसलिए इनकी महानता को तो कोई नकार ही नहीं सकता, लेकिन यह अंग्रेजी का ज्ञान है, किसी को कम आये, किसी को ज्यादा आये। इसलिए मैंने मेरी बात रखी है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि नियमित बैठकें हों। जो अधिकार आप देना चाहते हैं, उनको दीजिए। पंचायती राज के, हमने तो पहले, चाहे हमारी हो, चाहे आपकी हो; चाहे पहले वसुन्धराजी मुख्य मंत्री थीं, आप भी मंत्री थे; आपकी सरकार हो, पंचायती राज मंत्री और शिक्षा मंत्री में झगड़े ही होते देखा है। कभी प्रेम होते हमने तो सुना ही नहीं। इसकी वजह यह है कि हमारा कानून अलग-अलग है। आज शिक्षा मंत्री कहेगा, मैं बोस हूं, मैं ट्रांसफर करूंगा; पंचायती राज मंत्री कहेगा कि जब पंचायती राज मंत्रालय को दे दिया, प्राइमरी एजुकेशन जब दे दी, तो उसको ट्रांसफर का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन सही मायने में आज भी...

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): सभापति जी, ये बिल पर नहीं बोल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आज भी पंचायती राज में स्थानान्तरण के लिए जो उसका मूल कर्मचारी है ग्राम सेवक, उसका भी अधिकार छीनने का काम आदरणीय बड़े भाई साहब गुलाब जी कटारिया साहब ने कर लिया। मैं आसन के माध्यम से चाहूंगा कि अब तो आपके ज्यादा आ गये, हमारे कम आ गये; पहले तो आपके यह था कि यह पंचायत समिति के प्रधान और जिला प्रमुख हैं, वे कांग्रेस के ज्यादा हैं और बी जे पी के कम हैं, इसलिए आपने वे अधिकार छीन लिये, लेकिन कम से कम अब तो वापस दे दीजिए। एक प्रधान, एम एल ए अगर वहां उसी पार्टी का हो तो वह एक डमी है, एक तरह से डमी है। इस डमी की अवधारणा को तोड़ने के लिए, माननीय मंत्री महोदय, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपकी सरकार को करना पड़ेगा। जो गांव में बजट जाता है, उसका सदुपयोग हो, ज्यादा से ज्यादा उन जन-प्रतिनिधि को काम करने का मौका मिले।

सभापति महोदय, एक विचित्र विडम्बना हो जाएगी। अगर कोई जन-प्रतिनिधि फर्जी डिग्री लाकर बन गया और पांच साल रह गया, उसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि यह तो बिलकुल फर्जी डिग्री थी, फर्जी जन-प्रतिनिधि था। तो उसने पांच साल जो पैसा अपने साइनों से खर्च किया, राजकीय कोष से जो पैसा निकलवाया, उसका क्या होगा? यह मैं पूछना चाहता हूं। इसीलिए ऐसा मत कीजिए। अगर किसी का फर्जी है तो कानून में संशोधन लाना पड़े तो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

लाइये, जांच कराइये कलक्टर से, सम्भागीय आयुक्त से, जो आपकी प्रक्रिया है; उसको हटाकर बाहर कीजिए, दुबारा चुनाव कीजिए। इस बात से मत डरिए कि हमारी बदनामी हो जाएगी कि हम आनन-फानन में आर्डिनेंस से कानून लेकर आये, उसकी वजह से हमारा यह हो गया, लेकिन जनता आपको धन्यवाद देगी कि नहीं, चलो, जैसा भी कानून किया था लेकिन सही जन-प्रतिनिधियों ने हम पर राज किया है। यह होना चाहिए। अगर यह नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वे लोग जो सही थे, फर्जी लोगों से हार गये और पांच साल...। अब हमें सुनने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई सरपंच पक्ष ले रहा है, मंत्रियों की मीटिंग करा रहा है, एम एल एज की मीटिंग करा रहा है, तो उसको कोई नहीं हटाएगा। हमारे दौसा में एक-दो कोई कांग्रेस समर्थित आ गया, तो उसके लिए...

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): माननीय डोटासरा जी, आपके भी 50 परसेंट लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, आपके लोगों ने भी फर्जी डिग्रियां ली हैं। बी जे पी वालों के तो कम हैं, आपके ज्यादा हैं। इसका भीलवाड़ा के अन्दर मैं उदाहरण बता सकता हूं। आपके यहां पर...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): बिराजिए आप।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): 60 परसेंट, आपके कांग्रेस के जीते हुए हैं, उनमें से 60 परसेंट, फर्जी डिग्रियों के मुकदमे उन पर लगे हैं। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आप विराजो।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): आप किसकी बात कर रहे हो? आपके गिरीबान में तो झांककर देखो। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): बिराजो। (व्यवधान)

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): खुद को भी देखो।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): सीकर जिले में एक ही व्यक्ति नहीं, 26 फर्जी सर्टिफिकेट दिये। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): यही तो आपकी सरकार के कारनामे बता रहा हूं। यही नहीं, आपके पाली का जिला प्रमुख फर्जी डिग्री लेकर जिला प्रमुख बना। (व्यवधान)

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): फर्जी डिग्री भी आप लाये,... (व्यवधान) कांग्रेस पार्टी के लोग लाये। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मैं कह रहा हूं ...(व्यवधान)

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): यह फर्जी डिग्री ला- लाकर आपने...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): मैं बता दूं, पाली वाले की फर्जी नहीं है। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मैं भी नहीं बोलने दूंगा। दोस्ती टूट जाएगी।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): सभापति महोदय, आप प्लीज एक्सपंज कराएं। जो व्यक्ति यहां मौजूद नहीं है, उसके लिए यह कैसे बोल सकते हैं? (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): पाली में फर्जी डिग्री नहीं है। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): बिना आधार के ये आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: मैं सदन से यह पूछना चाहता हूं कि आसन एक है, या अनेक है?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): परमात्मा एक, आसन एक।

**श्री सभापति**: तो शायद नियम, कायदे, कानून की और प्रक्रिया की आप सब बात कर रहे हैं, तो मैं यह तो आशा करता हूं कि डेढ़ वर्ष के बाद में इस सदन के सम्माननीय सदस्यों को यहां के नियम, कायदे, कानून और प्रक्रिया के बारे में जानकारी तो होगी। कृपया आप यह बटन दबाना बंद करें, वरना आसन को कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी। और आप अपने वक्तव्य की समीक्षा कर दें अब।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): थैंक यू।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): लेकिन, सभापति महोदय, हमारा निवेदन है...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): यह कोई बात नहीं होती, बीच में आप...। राठौड़ साहब, बैठ जाइये।

**श्री सभापतिः** आप जो बात फरमाना चाह रहे हैं, आसन आपसे इतना-सा निवेदन करता है कि जब किसी भी विभाग का, या किसी भी विषय पर कोई विधेयक आता है, तो उसका दायरा सीमित नहीं होता, उसका दायरा व्यापक होता है। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां न होकर, उस दायरे में रहकर, मर्यादित भाषा का उपयोग करके आप अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्वच्छता के लिए आप जन जाग्रति अभियान चलाइये और जो शैक्षणिक योग्यता का कानून है, उसको, अब आपने ले लिया और जन प्रतिनिधि भी बन गये, हम क्या कहें और क्या नहीं कहें, हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है; आप बहुमत के बल पर, जोर से कर दोगे, लेकिन भविष्य में इस प्रकार का कानून लाने से पहले राजस्थान की विधान सभा में चर्चा कराई जाये और चर्चा के बाद में जो निष्कर्ष निकले, उसके ऊपर कानून बनना चाहिये।

सभापति महोदय, एक कानून और बना रखा है, आपने सर्कुलर निकाल रखा है, मैं कानून तो नहीं कह सकता, कि कोई कर्मचारी अगर दो बच्चे से तीसरा बच्चा हो गया तो उसका प्रमोशन रुक जायेगा, उसकी पत्नी को नौकरी नहीं मिलेगी, उसको जेल में डाल दिया जायेगा; पता नहीं, उसको उलटा फांसी पर लटका दिया जायेगा। यह इस तरह के कानून किसी भी सरकार ने बनाये हों, मैं समझता हूं, उनको ठीक करने की आवश्यकता है। आज हम विश्व के पहले 4-5 देशों की गिनती में आने लग गये हैं, अगर हम फोर्स से यह कहें कि तेरे को नौकरी करनी है तो तू तीसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकता; अगर तेरे को चुनाव लड़ना है तो तू तीसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकता; इन कानूनों की समीक्षा करने की जरूरत है। सरकार के इन निर्देशों की समीक्षा करने के पश्चात इनको विथड्रा किया जाना चाहिये।

जो कानून बने, कोई सा भी कानून बने, चाहे पंचायती राज का बने, चाहे और किसी का बने, वह सोच-समझ कर सदन की सहमति से, सदन में चर्चा के बाद बने; बनने के बाद, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कानून इम्प्लीमेंट हो। यह नहीं हो कि बन गया तो बन गया। यह जो सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान वाला है, पशु को प्रताड़ना देने वाला है, आज गधा-गाड़ी में, पता नहीं, कितनी-कितनी बोरियां भर कर लोग ले जाते हैं; धूम्रपान, पता नहीं, बस स्टैण्ड के ऊपर कितने लोग करते हैं;

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

पोलीथीन की थैलियां बंद की थीं, पोलीथीन की थैलियां कितने लोग यूज करते हैं। इन कानूनों को केवल बनाने से क्या हुआ? इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करवाइये।

इसलिए प्रदेश की जो स्थिति इस शैक्षणिक योग्यता को ले करके पूरे भारत में फैली हुई है, उसको ठीक करने के लिए जल्दी से जल्दी, चाहे कानून में आपको संशोधन लाना पड़े, आप जांच कराइये, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिये। निश्चित रूप से हम सब लोग और वह जनता, जिन्होंने यह सोच करके दिया था कि मैं सही आदमी को वोट दे रहा हूं, उसके बाद में उसके जन-प्रतिनिधि को पुलिस के अन्दर जेल में डाल दिया गया है कि तू फर्जी डिग्री कहां से लाया; इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जब आगे से चुनाव हों, अगर यह कानून लागू रह जावे, तो पहले, जैसे हम नो-ड्यूज लाते हैं पंचायत समिति से, जिला परिषद से, विभागों से, उसी प्रकार से वह एक नो-ड्यूज लाये कि मैं दसवीं पास हूं और यहां से मैंने किया है। यह जिला शिक्षा अधिकारी, अगर नो-ड्यूज, जिसको चुनाव लड़ना होगा, जब रणभेरी बजेगी चुनाव की तो वह अपने आप नो-ड्यूज ले करके आयेगा; जब नो-ड्यूज ले करके आयेगा, तो जिला शिक्षा अधिकारी और डी.ई.ओ. के पास में वह कानून पेश करेगा, वह मान्यता प्राप्त संस्था का जो सर्टिफिकेट उसके पास में है, वह पेश करेगा, उसको संतुष्ट करेगा और एक प्रमाण-पत्र ले करके बैठ जायेगा कि दो दिन, पांच दिन बाद में चुनाव आने वाला है, मुझे इस प्रमाण-पत्र के साथ में आर.ओ. के पास में जाना है। मैं समझता हूं, अगर इस तरह से हो जायेगी तो फिर भी बचने के तरीके हैं। उसके काउण्टर सिग्नेचर, आज चाहे तहसीलदार से, एस.डी.एम. से या जिला शिक्षा अधिकारी से, कैसे करायें, यह व्यवस्था कर लीजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह अगर दूसरे की है तो वह दूसरे से लेकर आयें कि मैंने यहां से किया था और यह मेरा मान्यता प्राप्त है।

इसलिए इस चीज में संशोधन करने की जरूरत है, इस चीज को सोचने की जरूरत है कि हम भविष्य में, यह जो फर्जी जन-प्रतिनिधियों वाली हम पर राजस्थान में जो छाप लग चुकी है, आपके आनन-फानन में लाये आर्डिनेंस और कानून के कारण से, उससे हमें निजात मिल सके और पूरे प्रदेशों, जो भारत में बहुत अच्छे प्रदेशों की गिनती में है, उसमें हम पुन: शुमार होने की ओर चलें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इन्हीं शब्दों के साथ में, मैं आपको धन्यवाद देते हुए केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो गरीब, जो शौचालय नरेगा में करके बनाये गये थे, उनका पेमेण्ट नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, आधे से ज्यादा लोगों का पेमेण्ट नहीं हो रहा है; इन्दिरा आवास के जो मकान हैं, उनका पेमेण्ट नहीं हो रहा है; जो और कोई योजनाएं गांव के गरीब लोगों के लिए हैं, उनका पेमेण्ट नहीं हो रहा है। इसलिए जो कानून आप ला रहे हैं, जो चीज कानून में दी हुई है पंचायती राज एक्ट में, उसकी पालना कराइये और प्रदेश की सरकार कोई भी हो, उसका धर्म बनता है कि गांव में, ढाणी में, खेत में, खलिहान में बैठे उस प्रत्येक व्यक्ति को सुविधा प्रदान करे, जिसका वह हकदार है, जिसके वोट से हम चुनकर आये हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री सभापतिः** श्री प्रद्युम्न सिंह।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, ये दोनों आर्डिनेंस जो सदन में लाये गये हैं बिल के रूप में, स्वच्छता वाले, टायलेट वाले के ऊपर तो मुझे कहना नहीं है, अच्छी बात है, अच्छा कानून आया है; 'निर्मल भारत' से बदला हुआ, आगे बढ़ा हुआ रूप मान लीजिये आप; यह पहले चल रहा था 'निर्मल भारत', उसे नये नाम से शुरू किया गया है; सरकार को हक है, कर सकती है, लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा, अभी काफी टायलेट्स बने चुनाव के लिए, अब उनके पेमेण्ट की आप व्यवस्था करवा दें, कटारियाजी, तो बेहतर रहेगा। पेमेण्ट नहीं हो रहे हैं, इंस्टालमेंट नहीं मिल रहे हैं लोगों को। यह आप देख लेवें।

माननीय सभापति महोदय, मुझे शिक्षा के बारे में कुछ निवेदन करना है, दो-तीन चीजें हैं। मैं इसको डिस्क्रिमिनेटरी लॉ मानता हूं। नगरपालिका के चुनाव हुए। (व्यवधान) माननीय शिक्षा मंत्रीजी, जरा धीरे बात करें तो कृपा हो। यह डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, सभापति महोदय। आपने लोकल बाडीज के, शहर की, नगरपालिकाओं के, नगर परिषदों के और कारपोरेशंस के चुनाव करवाये। उस वक्त तो आपने कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी। पंचायत चुनावों के लिए आपने शैक्षणिक योग्यता रख दी। तो यह डिस्क्रिमिनेटरी है। वे शहर में रहते हैं, तो हैं तो राजस्थान के ही नागरिक, भारत के नागरिक हैं, जो गांव में रहते हैं।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

फिर आपको एक चीज और, मुझे समझ में नहीं आता है, आप जैसे अनुभवी, निष्पक्ष मंत्री जहां हों, आप तीन दिन पहले आर्डिनेंस ला रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया होने से पहले। आप पलीता लगाना चाहते थे। कोर्ट में कोई चला नहीं जाये। आपको मालूम था, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, इसलिए आप लाये। शायद दो-तीन दिन पहले ही आया था, जहां तक मेरा ख्याल है, मैं गलत सोच सकता हूं, लेकिन यह तीन-चार दिन से ज्यादा समय नहीं था, कि लोग कोर्ट में नहीं जा सकेंगे।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): सर्कुलर से आया था।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): लोग कोर्ट में नहीं जा सकेंगे। गये, उन्होंने कहा कि यह प्रोसेस शुरू हो गया है, इसलिए कार्यवाही नहीं होगी। मेरा निश्चित मानना है, यह तो स्ट्रक डाउन होगा। आपकी पार्लियामेंट के मेम्बर्स की, असेम्बली के मेम्बर्स की कोई क्वालिफिकेशन नहीं हैं। मैं अपने सदन के बारे में नहीं, हिन्दुस्तान की बात कर रहा हूं, श्रीमान्। बहुत से मुख्य मंत्री, एक मुख्य मंत्री आज दुनिया में नहीं हैं, उनके समय में, के. कामराज साहब, कांग्रेस के मुख्य मंत्री थे, मद्रास के अन्दर, तमिलनाडु के अन्दर। कितना विकास हुआ मद्रास का।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): कामराज नाडार।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): हां, कामराज की ही बात कर रहा हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): कामराज नाडार तमिलनाडु के मुख्य मंत्री रहे 15 सालों तक, और कुछ पढ़े-लिखे नहीं थे। फिर वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मैं उसी बात पर आ रहा हूं, तिवाड़ीजी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): फिर कामराज योजना भी चली, जिस पर आप जैसे लोगों को बाहर निकाला था उस समय।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): क्या कहा? मैं कोई जवाब, क्या कहा आपने? आखिर में क्या कह गये, वह बता दीजिये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): फिर मैंने कहा कि कामराज नाडार की कामराज योजना पंडित जवाहर लालजी नेहरू लेकर आये थे, उसमें बहुत से लोगों को बाहर निकाला गया था।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): हां, गये थे ना। कामराज योजना थी। कम से कम त्याग तो किया था लोगों ने।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): एक बिना पढ़ा आदमी इतना बड़ा काम कर सकता है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मैं आपसे वही कह रहा हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आप जैसे पढ़े हुओं को बाहर निकाल सकता है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): हां, हां। सभापति महोदय, मैं के. कामराज का उदाहरण दे रहा हूं। गुणी तो थे। अनुभव का क्या करोगे आप? अनुभव का कोई विकल्प नहीं है, माननीय मंत्रीजी। दुनिया में आप सब चीजें खरीद सकते हो, अनुभव नहीं खरीद सकते किसी से।

**(15.40 बजे)**

**(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)**

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, मेरे सामने ऐसे-ऐसे किस्से हैं, श्रीमान् गृह मंत्रीजी, तीन दफा सरपंच रह लिये, चार दफे सरपंच रह लिये, दो दफे सरपंच रह लिये, चुनाव नहीं लड़ पाये। एक सरपंच ने तो मुझे बताया कि साहब, मुझसे अकाउंट्स बुक भरवा लो आप, अकाउंट्स बुक भर दूंगा।

आपने जो यह तर्क दिया कि करप्शन था पंचायती राज के अन्दर, अशिक्षित होने के कारण करप्शन बढ़ रहा था, आपकी राय से कम से कम मैं सहमत नहीं हूं। करप्शन, बेईमानी दिल से है। गरीब आदमी बहुत ईमानदार हो सकता है और पैसे वाला, पढ़ा-लिखा बहुत बड़ा बेईमान हो सकता है। यह जो आपने तर्क दिया, माननीय तत्कालीन पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य अख़बार में पढ़ा था मैंने कि भ्रष्टाचार बढ़ा है पंचायत में, लाखों रुपये खर्च होते हैं और उनको पता ही नहीं रहता, वे क्या कर रहे हैं। आप एक सर्वे करवा लीजिए कि कितने पढ़े-लिखों ने बेईमानी की और कितने गैर-पढ़े-लिखों ने बेईमानी की, तो आपके सामने तथ्य आ जाएंगे। मेरा निश्चित मानना है कि बेईमानी सब मन से होती है, या मिलीभगत से होती है। जहां पर बेईमानी होती है, वहां बिना सेक्रेटरी की मिली-भगत के बेईमानी हो नहीं सकती है। यह मेरा निश्चित

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मानना है। क्योंकि मैं भी थोड़े वक्त के लिए जिला प्रमुख रहा हूं; धौलपुर, जिला परिषद का जिला प्रमुख था मैं।

खैर, अब कानून तो ले आए, आपका राज है, आपका बहुमत है। गुंजल साहब ने कहा यहां पर, बहुत अच्छे तर्क दिये। आज बहुत प्रभावित हुआ मैं आपकी बात से। मैं आपकी कोई झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूं। अब इसकी स्थिति क्या बनने वाली है इस क्वालिफिकेशन की? मैं फंडामेंटल राइट्स पर तो बाद में आऊंगा। मेरा आज भी यह मानना है कि यह मौलिक अधिकारों का हनन है। आर्टिकल-14 संविधान का आपने हनन किया है।

सवाल यह आएगा, गुंजल साहब कह रहे थे, किसी की रूलिंग पढ़ रहे थे, किन्हीं रूलिंग्स का उन्होंने हवाला दिया। बहस नहीं कर रहे हैं हम आपस में। आपके अपने तर्क हैं और मेरा अपना सोच है। सबका यहां पर अलग-अलग सोच हो सकता है। चुनाव लड़ने को उन्होंने मौलिक अधिकार नहीं माना है। मैं आपके सामने ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: संविधान सभा में भी इस पर बहस हुई थी।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): जी।

**श्री सभापति**: अगर आपको याद हो तो बताएं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): नहीं, मुझे याद नहीं है।

**श्री सभापति**: मैं चेयर पर हूं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): संविधान सभा में बहस हुई थी, जब संविधान का निर्माण हो रहा था। संविधान का निर्माण कर दिया संविधान सभा ने; संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कर दिया और उस वक्त की यह प्रोसीडिंग्स, इतनी मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है।

मैं आज भी मानता हूं कि यह आर्टिकल-14 में लॉ आफ इक्वेलिटी का उल्लंघन हुआ है। एक ही प्रांत के अन्दर, आप ही की नगरपालिका है, वहां आपका नियम कुछ और यहां कुछ और। और आप तीन दिन पहले, चाहे किसी को मौका ही नहीं दिया आपने। आप पहले से प्रचार करते, तब भी बात चल जाती। आपकी सरकार आई थी कि हम शिक्षा का ला रहे हैं, आप कह देते। पोलिटिकल पार्टियों को पंचायत समिति, जिला परिषद के कैंडिडेट ढूंढने में, श्रीमान्, दिक्कत आई है; कोई स्वीकार करें या न करें, बाहर जाकर स्वीकार

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

करेंगे। जो आपके कार्यकर्ता थे, पता लगा कि किसी की पत्नी पढ़ी नहीं थी, या वह खुद पढ़ा नहीं था। मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं कि यह समस्या सब जगह पर आई। All of a sudden. हमारे पास तो यू.पी. है, कहीं एम.पी. है। खास तौर से महिला सीट्स पर अगर बहू, लड़की वहां पर ब्याह कर आई राजस्थान के अन्दर, यू.पी. की है, मध्य प्रदेश की है, दोनों बगल में ही लगे हुए हैं, लाये लोग वहां से जा-जाकर। बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा लोगों को।

मैं आपको पढ़कर कुछ सुनाना चाहता हूं।

**श्री सभापति**: वे जो सर्टिफिकेट लायीं, उनका कोई टैस्ट थोड़े ही हुआ था वहां?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): जी?

**श्री सभापति**: जो सर्टिफिकेट...

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): अब मैं तो लाया नहीं, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। जो कुछ जानकारी जितनी है उसके आधार पर कह रहा हूं। मुझे तो लाने की नौबत ही नहीं पड़ी। मैं चुनाव लड़ नहीं रहा था। मेरे तो मेरे पास दसवीं का सर्टिफिकेट है, श्रीमान्। मेरे पास लॉ का सर्टिफिकेट भी है। बी.ए. का गायब है, बी.ए. का खो गया मेरा।

**श्री सभापति**: जोधपुर में किसी से सम्पर्क कर लें।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): क्या?

**श्री सभापति**: जोधपुर में किसी से सम्पर्क कर लें।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय सभापति महोदय, जोधपुर में नहीं, वे जयपुर के हैं। नाम जोधपुर का आ रहा है, हैं वे जयपुर के।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, डाक्यूमेंट्स खो जाते हैं। तकदीर से लॉ की है मेरे पास, बी.ए. की है नहीं; इंटरमिडिएट की और बी.ए. की खो गई।

**श्री हीरालाल** (निवाई): दोबारा बन जाएगी, साहब।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): क्या? अब काहे के लिए इस उम्र में माथा-फोड़ी करूं? अब काहे के लिए जरूरत है?

**श्री हीरालाल** (निवाई): जरूरी हो तो आप ले लो। है तो फिर क्या दिक्कत है?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): जीवन के आखरी पड़ाव पर हैं, हीरालालजी। अब किसी की नौकरी करनी नहीं है। अब क्या करेंगे? जनता की कृपा से 40 साल इस सदन में रह लिया, अब मुझे क्या जरूरत है, तिवाड़ीजी?

खैर, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): "Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights." यह मैंने आपको 13 लिया और 14 के अन्दर राइट आफ इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, यह है- "The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India." अब आप यह आर्टिकल-13 का सब क्लाज-2 देख लें, "The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent, of the contravention be void." यह है। साफ है, इसके अन्दर लिखा है। आप लोगों ने नहीं माना होगा। आपके एडवोकेट जनरल से आपने सलाह ली होगी क्योंकि आपकी इच्छा थी बनाने की। आपने सारी सलाह ली होगी एडवोकेट जनरल से, कानूनी विशेषज्ञों से ली होगी। यह तो मैं निश्चित मानता हूं कि आपके लॉ सेक्रेटरी भी हायर जुडिशियल सर्विस के अधिकारी हैं, जब आप आर्डिनेंस लाए होंगे तो आपने राय जरूर ली होगी। विचारार्थ है, अभी तो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब कुछ भी फैसला आये, जो होना है वह तो हो चुका है, अन-डन तो हो नहीं सकता। उस सूरत में क्या होगा? चलिए, यह मेरा सोच है। आपका अपना तर्क हो सकता है।

कई फैसले आये हैं, चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं है। चुनाव लड़ने की कुछ पात्रताएं पहले से संविधान के अन्दर तय कर दी हैं। अन-साउंड माइंड का हो, अबके कंविक्शन का लगा दिया है, लेकिन आपने यह अच्छा कानून नहीं बनाया। आपकी भावना हो सकती है, शिक्षा के प्रति किसी का वह नहीं है, आप शिक्षा का प्रचार करें, प्रसार करें, अभियान चलायें; ड्राप आउट्स की संख्या कम हो, ड्राप आउट्स की संख्या गरीबी के कारण है, या और किन्हीं कारणों से है; वह सब कुछ होने के बावजूद भी यह चार दिन पहले, तीन दिन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पहले, यह जो आप आर्डिनेंस ले आए, मैं इसको उचित मानता नहीं हूं। इसके पीछे आपकी, हमारे साथी जैसा कह रहे थे कि आपकी राजनीतिक दुर्भावना थी, हो सकता है, मैं इसके बारे में कुछ भी टिप्पणी करने के अन्दर असमर्थ हूं, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि इस कानून के बनने के बाद दबाये नहीं दबेंगे मामले आपके। यह जो अभी 400 आये हैं, भगवान जाने, कितने आदमी जेल जाएंगे।

आप इतना, आप गृह मंत्री हैं राज्य के, इन चुने हुए जन-प्रतिनिधियों की टोपी मत उछलवाइए अब आप। जिन्होंने पिटिशन फाइल कर दी है, कोर्ट तय करेगा। पुलिस के हाथ में मत छुड़वाइए आप। चाहे आपकी पार्टी से एफिलिएटेड हों, चाहे हमारी पार्टी से एफिलिएटेड हों, मैं निश्चित कह रहा हूं, मैं बहुत फेयर बात कह रहा हूं कि मत करिए। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य गुंजल साहब भी यही कह रहे थे। अब तौहीन मत करवाइए। जीत कर आ गये हैं लोग। अगर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन आपने तय कर दी तो पिटिशन करें जाकर डी.जे. के यहां और उनकी फर्जी डिग्री है तो अपने आप सेट-असाइड हो जाएगा इलेक्शन।

**श्री सभापति:** सरकार क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैसे रोक सकती है?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): यह तो इनके निर्देश पर हुई है जांच शुरू, श्रीमान्, सरकार के निर्देश पर। मैं आपसे कह रहा हूं कि यह तो वहां पर जिला कलक्टर्स के निर्देश के ऊपर हर जिले के, जोगारामजी...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): वह एफ.आई.आर. प्राइवेट कम्प्लेंट पर हुई हैं सारी और सिर्फ राजस्थान में आज दिन तक, मैं आपको फिगर बता रहा हूं, आज अभी तक राजस्थान में सिर्फ 206 केस दर्ज हुए हैं, और कोई केस दर्ज नहीं हुआ है और 206 में कोई गारण्टी नहीं कि कितने सच्चे हैं और कितने गलत हैं। मीयरली एफ.आई.आर. दर्ज होना कोई आफेंस नहीं है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मेरी बात आप सुन लीजिये।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): इसीलिए यह हव्वा ज्यादा खड़ा किया गया है कि एफ आई आर हो रही है, एफ आई आर हो रही है। कहीं एफ आई आर नहीं हो रही हैं। जितने 9 हजार के करीब सरपंच चुने हैं, उनमें सिर्फ 206 ही एफ आई आर हुई हैं।

**श्री सभापति:** विराजें, विराजें, माननीय। Not yielding.

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): अब आप मेरी बात सुन लीजिये। कलक्टर के यहां शिकायत हुईं, कलक्टर ने कई जगह एस.पी. को भेज दीं, कई जगह एस.डी.ओ. को भेज दीं, जांच करिये। अब नेचुरली कलक्टर को कागज का डिस्पोजल तो करना पड़ेगा; कागज का डिस्पोजल तो कलक्टर को करना पड़ेगा। कहीं उन्होंने एस.पी. को भेज दी, एस.पी. ने थानेदार को भेज दी; थानेदार को भेज दी। अब वह कह रहा है कि डिस्पोजल करना है तो लाओ कागज, लाओ कागज। अब अगल-बगल झांक रहे हैं बहुत-से। और फिर धंधे हो रहे हैं। मोटी रकमें ली जा रही हैं।

तो आपने कहां धकेल दिया शिक्षा के चक्कर में लोगों को? आपने धकेल कहां दिया, श्रीमान्? यह गृह मंत्रीजी चले गये हैं यहां से; मैं आपके माध्यम से दूसरे मंत्रीजी, आप यहां बैठे हुए हैं, कहना चाहता हूं, अधिकारी भी बैठे हैं, इस पर पुनर्विचार करें। लॉ का कोर्स है पिटिशन, पिटिशन में बहुत-से लोग गये हैं, नहीं गये हैं, लेकिन लोग अब हैरेस करने के लिए यह तरीका भी अपना रहे हैं, हारे हुए लोग, कि शिकायत कर दो, पुलिस में चली जाएगी, वह भागता तो फिरेगा कम से कम।

सभापति महोदय, फिर और मैंने पहले भी कहा आपसे कि पुराने सरपंच तीन-तीन दफे, चार-चार दफे के घर बैठ गये। चलिये।

सभापति महोदय, एक मेरा और सुझाव है, इस अवसर का लाभ उठाते हुए; इस चुनाव में, माननीय सभापति महोदय, इस प्रक्रिया में, इस चुनाव की, कुछ व्यवस्था बदलिये। पैसे का खुला खेल हुआ है। आपके कान में भी बात आ गयी होगी, यहां कोई कहे और नहीं कहे। जो नगरपालिका के डायरेक्ट चुनाव हुए थे, उसमें एक ही कमी थी कि मेयर और सभापति किसी पार्टी का चुन गया, बहुमत किसी का आ गया। बाकी खेल, हर जगह बेइमानी की पराकाष्ठा है, मेम्बरों के सौदे होते हैं। पार्टी कमिटमेंट भी कुछ नहीं है। मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, चार अलग हो गये। एंटी-डिफेक्शन लॉ आपका है नहीं। श्रीमान्, एंटी-डिफेक्शन लॉ इसमें लागू कर दीजिये; एंटी-डिफेक्शन लॉ करिये। आप जब इतने क्रांतिकारी कदम ला रहे हैं तो एंटी-डिफेक्शन लॉ लाइये पंचायती राज के अन्दर। खूब अदला-बदली हो रही है; पैसे का भयंकर खेल हो रहा है। यह काहे का पंचायती राज है? आप इसको जितना वाइड करा सकें।

पहले मैं जब जिला प्रमुख बना था, तब वहां सरपंच थे। सारे सरपंचों ने, जब प्रधान उस वक्त चुने जाते थे, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर चुनाव करते थे। जितना बड़ा चुनाव होगा, उतना ही पैसे का आदान-प्रदान कम होगा।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कम, I am using the word, 'कम'। आज यहां पंचायत समिति का प्रधान चुना जाएगा, 400-500 वार्ड पंच और सरपंच होंगे तो करप्शन की कम उम्मीद रहेगी। जिला प्रमुख के अन्दर आपके जिले के अन्दर 200-250 सरपंच हैं, वे चुनेंगे जिला प्रमुख को। मैं कोई संस्थाओं को समाप्त करने की बात नहीं कह रहा हूं।

इसलिए मेरा आपको सुझाव है, जब आप इतने रिफार्म्स कर रहे हैं तो कृपया इन रिफार्म्स की तरफ भी ध्यान दीजिये। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, शांत रहें। माननीय सदस्य पुराने चुनाव की बात बता रहे हैं, आज के चुनाव की नहीं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मुझे लग रहा है कुछ लोगों को तो ध्यान होगा हमारे सरदारशहर वाले हमारे मंत्रीजी बैठे हैं, पुराने आदमी हैं। रतनगढ़ वाले।

**श्री सभापति:** पुराने कहां? ये तो नये आदमी हैं। सरदारशहर वाले तो पुराने आपके पीछे बैठते हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): हां, तो बहुत-से लोगों को ध्यान होगा। चतुर्वेदी जी, आपको स्वयं ध्यान होगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको स्वयं को ध्यान होगा। तो मेरा तो आपको सुझाव है। यह चीज शायद 1989 या 1990 तक लागू थी।

**श्री सभापति:** यह संविधान संशोधन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद में त्रि-स्तरीय पंचायत बनने का आया था। उसके बाद हुआ है यह।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मतलब 1994; हां, सेवंटी-फोर्थ अमेंडमेंट बिल। क्योंकि मुझे ध्यान है, जब मैं बना था, तब यह समस्या नहीं थी। सभापति महोदय, फिर पुराने पंचायती राज मंत्रीजी से कह रहा हूं, क्योंकि आप बिल पायलट कर रहे हैं।

**श्री सभापति:** वे मंत्रीजी अस्वस्थ हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): हां, वे अस्वस्थ हैं, मुझे मालूम है। मेरी पूरी सहानुभूति है, वे जल्दी स्वस्थ हो जाएं। अस्वस्थ हैं।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आपने स्वयं ने सर्कुलर निकाल दिया, जब आपके पास पंचायत राज था। एक तरफ आप डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

की बात कर रहे हैं, अब आज कोई पंचायत समिति का सेक्रेटरी पंचायत में काम नहीं करता है तो बी.डी.ओ. उसको हटा नहीं सकता। आपने कहा, सी.ई.ओ. जिला परिषद हटायेगा। हां-हां, है। है, कालूलाल जी, कृपया मेरी बात मान लीजिये। नहीं है तो मंत्रीजी खड़े होकर कह देंगे, नहीं है। बात खतम हो गयी। इसमें कोई बहस है, या बात का सवाल है, बात बिगड़ जाएगी। नहीं है, तो आप मना कर दीजिये। नहीं है तो किस्सा खतम। बहुत अच्छी बात है। कालूलाल जी, आपके पानी बहुत बह गया। जब आप पंचायत राज मंत्री थे, उसके बाद नये-नये नियम बहुत बन गये। हां-हां, सही बात है।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर्स की बात करते हैं और आपके स्वयं के कार्यकाल के अन्दर, कि सी.ई.ओ. करेगा। अब बी.डी.ओ. को काम लेना है, नोटिस बी.डी.ओ. को मिलना है, काम नहीं हो रहा है तुम्हारे यहां। वह कहता है, यह मेरे आदेशों की पालना नहीं करता है। आप सोचें; बाकी निर्णय तो आपको करना है। मेरा आपको सुझाव है।

अब ग्राम सभा की मीटिंग, बहुत सारी चीजों के प्रस्ताव ग्राम सभा से लेने पड़ते हैं। हालत यह है कि 70-80 परसेंट ग्राम सभा में लोगों की हाजिरी ही नहीं होती है। रजिस्टर लेकर सरपंच घूमता है और लोगों के दस्तखत करवाकर लाता है। देखिये, वे हंस रहे हैं हमारे मंत्रीजी। जो हकीकत बयान कर रहा हूं, जो होता है, वह उनको मालूम है। वे कहेंगे नहीं यहां पर। खतम करो इसको। यह ढकोसला है ग्राम सभा। आप ग्राम पंचायत का प्रस्ताव करा लीजिये; लोगों के घर जाते हैं, भैया, दस्तखत कर दो। दस्तखत करा लिये, ग्राम सभा का प्रस्ताव हो गया। अंगूठा लगवा लाये, हो गया। तो मेरा यह सुझाव है कि इन सब चीजों के अन्दर आप कुछ सुधार करिये और इस पर पुनर्विचार करिये।

अब आपकी सरकार का फिर परीक्षा का समय आ रहा है, अगस्त में बहुत सारी नगरपालिकाओं के, नगर परिषदों के चुनाव हैं। क्या आप हिम्मत करेंगे श्रीमान्? क्योंकि आपको डर है यह कि वह कानून आपके विरुद्ध जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लगा नहीं सकते हैं। मेरा निश्चित मत है, सभापति महोदय, यह स्ट्रक-डाउन होगा। क्योंकि जिस प्रकार की बहस के दौरान जो टिप्पणियां हुई हैं, जो कोर्ट के आब्जर्वेशन आये हैं, जो अखबारों में रिपोर्ट हुए थे, उनसे हालात मुझे लग रहे हैं। यह आनन-फानन में क्यों हुआ,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

किसलिए हुआ, यह मंत्रिमण्डल के सदस्य जानें, हमको तो पता है नहीं लेकिन हमारे साथी डोटासरा जी ने कुछ आंशकाएं जताई थीं, वे सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं।

तो मेरा आपसे अनुरोध है। चूंकि आपका बहुमत है, अब तो आपको पास कराना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं है; कोई चारा नहीं है; फेट अकम्पली जिसे कहते हैं आपके पास कोई चारा नहीं है, अब आपको पास तो कराना ही पड़ेगा। जो मेरे सुझाव थे, जो मेरी शंकाएं थीं, वे मैंने बता दी हैं। बाकी आपको पास तो कराना ही पड़ेगा। बाकी फेट क्या होगा; चुनाव हो गये, उसका फेट क्या होगा?

इसलिए आप आगे से कोई भी कानून, नियम, इस प्रकार के ओर्डिनेंस न लाएं, क्योंकि आज हिन्दुस्तान के अख़बार भी लिख रहे हैं कि दिल्ली की सरकार ओर्डिनेंस की सरकार आई है और राजस्थान की सरकार भी ओर्डिनेंस की सरकार है। ना जाने, आप भी कितने ओर्डिनेंस जारी करके कानून बना रहे हैं। आपकी मेजोरिटी है, रोड-रोलर मेजोरिटी है; आप सबको कूटते हुए चले जाते हैं, बात नहीं सुनते। आपने अभी वह कानून बनाया न, झील संरक्षण, ऐसा कानून तो 40 साल के जीवन में मैंने विधान सभा में बनते नहीं देखा है, अध्यक्ष महोदय।

**(16.00 बजे)**

**एक माननीय सदस्य:** सभापति महोदय ...(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): सभापति महोदय।

**श्री सभापति:** कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या है? पति शब्द तो आगे लगा हुआ ही है न। (व्यवधान) मेरे से लगा हुआ है न। अध्यक्ष कुंवारे हैं, मैं थोड़ी हूं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): श्रीमान्, बस दो बात कहकर खतम करता हूं। ऐसा कानून जिसमें आप किसी रेवेन्यू रिकार्ड को नहीं मानेंगे, किसी कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानेंगे आप; कोर्ट का जजमेंट भी है, उसमें शब्द है; कोर्ट का जजमेंट नहीं मानेंगे, रेवेन्यू रिकार्ड को नहीं मानेंगे, तो फिर तो यह है कि मनमर्जी से करो। हिटलर ने भी ऐसे ही लोकतंत्र की सत्ता प्राप्त की थी जर्मनी में, श्रीमान्।

**श्री सभापति:** हिटलर आज कहां से याद आ गया आपको?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): कभी-कभी कुछ पुरानी बातें मुझे याद आ जाती हैं। (व्यवधान) हां, हां।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): लोकतंत्र और प्रजातंत्र में हिटलर का कहां से काम?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): हां, हां। हुआ न। जर्मनी का इतिहास पढ़ लीजिएगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। हिटलर ने भी, थ्रू इलेक्शंस उसकी पार्टी जीती और सत्ता प्राप्त की और फिर क्या हुआ, दुनिया के सामने है। द्वितीय विश्व युद्ध की परिणति, लाखों-लाखों यहूदियों का वध और लाखों आदमी युद्ध में मारे गये।

लोकतंत्र के ये जो अधिकार प्राप्त होते हैं, उनका सदुपयोग करना चाहिए। उसका इस प्रकार से आर्डिनेंस ला-लाकर आप जो कानून बना रहे हैं, मैं उसका विरोध कर सकता हूं, उसका घोर विरोध करता हूं। That's all, Sir.

**श्री सभापति**: धन्यवाद।

श्री धीरज गुर्जर।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित। जन मत जानने के लिए भेजना चाहते हैं?

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): जी, वह अब आगे कहूंगा।

**श्री सभापति**: हैं? जन मत जानने के लिए भेजना चाहते हैं?

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): वह अब आगे कहूंगा।

**श्री सभापति**: नहीं, ऐसा है कि दोनों विधेयक पर साथ-साथ चर्चा हो रही है और दोनों विधेयकों के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा, तो आपका प्रस्ताव भी आयेगा। बोलिये।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज, ये जो दोनों विधेयक हैं, इनमें अपनी बात प्रारम्भ करते हुए निवेदन करना चाहता हूं। यह बात बिलकुल सही है कि पंचायती राज के इस कालखण्ड में आने वाली पीढ़ी एक तो भैरोंसिंह जी शेखावत के उस निर्णय को याद करेगी कि वर्षों से सरपंच जो बहुत बड़े व्यक्ति हैं गांव के, लेकिन गांव का वह छोटा-सा तबका, चाहे वह एस.सी. है, एस.टी. है, कभी सरपंच बनने का या वार्ड पंच बनने का सपना नहीं देख पाता था, उसमें एक रिजर्वेशन लाकर यह बहुत बड़ा उपकार इस पंचायती राज के माध्यम से उस ग्रामीण जनता के ऊपर जो किया, एक तो वह दिन याद रहेगा।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

दूसरा निर्णय, समय बदलता गया और जब ऐसा लगा कि ग्राम पंचायत के अन्दर कोई सरपंच या वार्ड पंच बिलकुल अनपढ़ है, माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के चरली गांव में 2003-04 में एक जोजु देवी मीणा बिलकुल अनपढ़ और ग्राम सेवक ने दस जगह अंगूठे करवा लिये, बाद में नोटिस आया, रिकवरी आयी। एकदम ग्रामीण बुजुर्ग महिला, उनको जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भई, मनै तो कोई ठा कोनी, ग्राम सेवक जी आया था न, म्हारे कनै अंगूठो लेन गिया परा। अब पांच लाख की रिकवरी निकली।

ये सारी बातें आते-आते सामने आया कि गांव की सरकार भी पढ़ी-लिखी होनी चाहिए।

**श्री सभापति:** अंगूठे का तो नहीं था, हस्ताक्षर का तो इसके पहले भी था। मैं समझता हूं, अंगूठा वाला तो नहीं था, हस्ताक्षर पहले भी कराते थे। हां।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): नहीं, नहीं, अंगूठे भी हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, ये सारी चीजें जब आयीं, अब प्रतिपक्ष के लोग कहते हैं कि एकदम कैसे आया; भई, चुनाव आये तो यह बात ध्यान में आयी। आपके कभी नहीं आयी। मैं धन्यवाद दूंगा पंचायती राज मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी को कि यह बात दिमाग में लाकर, यह गांव की सरकार को पढ़ी-लिखी होने का, इस देश के मानचित्र पर एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया और उसका नतीजा आज यह है कि ग्राम पंचायत पंचायती राज के स्तर पर दस हजार लोग पढ़े-लिखे लोग आये। आज क्या सही हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, इसका कहीं न कहीं माप-तौल करने का उसका एक नजरिया तो है। किस कागज पर दस्तखत करने हैं और किस पर नहीं करने हैं, इस पर उसकी निर्णय शक्ति तो है। इन बातों को लाकर जो यह शिक्षा वाला विषय आया, इसका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। अब प्रतिपक्ष के बंधुओं ने जैसा कहा, यह तो खाली दुर्भाग्य है कि आपके दिमाग में नहीं आयी, यह सोच हमारी सरकार के दिमाग में आयी और इन्होंने निर्णय कर लिया।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा विषय स्वच्छता वाला है। अब 'निर्मल भारत', आपने कहा 'निर्मल भारत', 'निर्मल भारत' तो आपने सिर्फ विज्ञापन का जरिया बनाया था और विज्ञापन के जरिये, अब वे मौनी बाबा खुद

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

बोल ही नहीं पाते थे, करें क्या? खाली विज्ञापन का जरिया। धरातल पर स्वच्छता का संदेश लाने वाले, ऐसे नरेन्द्र भाई मोदी का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने दिल्ली से लगाकर गांव तक स्वच्छता का संदेश देकर हर व्यक्ति के मन में एक कल्पना भर दी कि अगर स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। यह भाव पैदा किया। आज चाहे वह शौचालय के माध्यम से हो, चाहे गांव में सफाई के माध्यम से हो, गांव में एक जाग्रति आयी है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इस नियम के माध्यम से, इस संशोधन के माध्यम से, आपने उसमें स्वच्छता वाला, शौचालय-युक्त हमारा गांव होगा, शौचालय-युक्त हमारा प्रदेश होगा, यह संदेश जब हम हिन्दुस्तान के इस मानचित्र पर देंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का सीना गौरव से ऊपर होगा।

माननीय सभापति महोदय, यह जो किया है, अब हमें इसके पीछे यह भी विचार करना पड़ेगा, आज शौचालय के लिए तो हमने बाधित कर लिया, लेकिन उस गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो सफाई के लिए पानी कहां से आएगा? उस शौचालय के लिए स्वच्छता के लिए पानी कहां से आएगा? इसका भी हमें कहीं न कहीं विषय ध्यान में लाना चाहिए कि भई, स्वच्छ शौचालय-युक्त करना है तो वहां पानी की भी बराबर व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाकर वह स्वच्छ होगा।

**श्री सभापति:** ड्राई, सूखे शौचालय, 400 चीन के बड़े शहरों में सूखे शौचालय बन गये हैं। पानी का आजकल काम बंद हो गया।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): माननीय सभापति महोदय, आपका तर्क हर जगह पर फिट बैठता है।

**श्री सभापति:** नहीं, नहीं, मैं तो सुझाव वैसे ही दे रहा हूं।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, आपका तर्क हमेशा हर जगह पर फिट बैठता है।

माननीय सभापति महोदय, एक कानून पर और विचार करना चाहिए। यह देश में और राजस्थान में हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है और उस अभिशाप को धोने के लिए, या उस पर नियंत्रण करने के लिए, जब-जब विवाह का माहौल होता है, विवाह का मुहूर्त का समय होता है, और कानून कड़ा बनता है। एस.डी.एम., पुलिस, प्रशासन और कलक्टर, कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, विज्ञापन दिये जाते हैं। यह भी एक कानून इस पंचायती राज के कानून

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

में आना चाहिए कि किसी भी सरपंच या वार्ड पंच के परिवार में अगर बाल विवाह होगा तो वह दोषी होगा, वह चुनाव नहीं लड़ पायेगा। यह भी एक भाग आ जाए जिससे यह बाल विवाह का भी उन्मूलन, जो आज हम नियम और कठोरता के माध्यम से करते हैं, वह भी इस नियम में आ जाए, तो मुझे यह लगता है कि हम इस अभिशाप से भी बाहर निकलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अब कुछ बातें ऐसी हैं जो सामाजिक परम्परा में, एक अच्छा गांव हो; गांव की सरकार बनाते हैं, गांव की सरकार एक स्वच्छ सरकार हो, अच्छी सरकार हो, एक-दूसरे का भला सोचने वाली हो, अब गांव के अन्दर हम ऐसे भाव जब पैदा करेंगे तब वास्तव में ऊपर से लेकर नीचे तक माहौल ठीक होगा। अभी बताया आपने कि ग्राम सेवक के ट्रांसफर के आदेश निकाल दिये। ट्रांसफर के आदेश क्या निकाले, 15-15, 20-20 वर्षों से ग्राम सेवक वहां करोड़ों रुपयों की प्रोपर्टी लेकर के बैठे थे। आपके राज में 5 साल के पीरियड में जितना ग्राम सेवकों के माध्यम से भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए यह निर्णय पंचायती राज मंत्री को तुरन्त करना पड़ा कि जो भी 3 वर्ष से पुराने हैं, उनका तुरन्त वहां से स्थानांतरण हो।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, अफसर तो सारे ईमानदार हैं क्या? एक भी भ्रष्ट नहीं है न अफसर, जो ट्रांसफर कर रहे हैं? अगर पंचायत समिति का प्रधान या जिला प्रमुख ट्रांसफर करता है, वह तो भ्रष्टाचारी है और आपके जो अधिकारियों के माध्यम से जो करा रहे हों, वे ईमानदार हैं? यह सर्टिफिकेट दे रहे हो क्या, माननीय सदस्य?

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह कह रहा हूं कि आपने एक आरोप लगाया था कि मंत्री महोदय ने यह निर्णय किया। वह निर्णय इसलिए निकाला कि 15-15, 20-20 वर्षों से वे जमे हुए थे और उसमें भ्रष्टाचार काफी हो रहा था।

माननीय सभापति महोदय, इसमें एक और सुधार, पहले क्या था कि निराश्रित चाहे गौ वंश हो या पशु धन हो, उसके लिए कांजी हाउस बनता था। अब हम शब्दों का अच्छा सुधार करके, क्यों नहीं हर दूसरे-तीसरे गांव में छोटी-मोटी गौ-शाला, गांव के लोग, कुछ सामाजिक संस्थाएं मिलकर, प्रवासी भी बहुत रहते हैं इस पश्चिमी राजस्थान के लोग, वे बना देते हैं। निराश्रित गौ-वंश के लिए, चाहे तो गौ-शाला के नाम से एक ग्राम पंचायत स्तर पर जमीन का

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

रिजर्वेशन तय होना चाहिए पापुलेशन के हिसाब से कि 5 बीघा, 10 बीघा यह गौ-शाला के लिए जमीन रहेगी। उस जमीन का दूसरा कोई काम नहीं होगा। यह भी एक नियम में आ जाए तो मैं यह सोचता हूं कि जो आगे समस्या आती है, कोई सामाजिक संस्था या गांव के लोग इकट्ठे होकर के कि चलो, निराश्रित गौ-वंश को पालने के लिए हम आपस में कांट्रिब्यूशन करके गौ-शाला बनाते हैं। इससे गांव को भी शांति मिलेगी। उसके लिए जमीन, कलेक्टर के पास, कलक्टर के पास से वापस गांव, मतलब घूमना पड़ता है। इसलिए गांव के अन्दर ही जनसंख्या के आधार पर पशु धन कितना होगा और निराश्रित गौ-वंश के नाम से गौ-शाला की जमीन का रिजर्वेशन तय कर दिया जाए कि यह 5 बीघा, 10 बीघा इसके लिए हो जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दूसरी एक और बात कि अभी स्कूलों का एकीकरण हुआ, थोड़ी-सी बात इससे हटकर होगी, एकीकरण के कारण कुछ ग्राम पंचायतों के स्तर पर स्कूल के भवन जो नाकारा हो गये या बिना काम के हैं, मेरा एक निवेदन है कि वह ग्राम पंचायत केन्द्र पर जो शिक्षा भवन काम के नहीं हैं, अब आप किसान भवन बना रहे हों, पटवार भवन बना रहे हों, फालतू का पैसा लगा रहे हों, आंगनबाड़ी केन्द्र बना रहे हों, वह उपयोग में लो न। आखिर है तो सरकार की प्रोपर्टी। ऐसा कोई विचार कर लीजिये जिससे वे सरकारी भवन सरकारी उपयोग में आ सकें। नहीं तो वे खाली पड़े रहेंगे और असामाजिक तत्व उनमें कुछ न कुछ काले धंधे करेंगे, उनके ऊपर कब्जा करेंगे, अतिक्रमण करेंगे। इससे अच्छा तो कोई सरकारी योजना में उस भवन का उपयोग हो जाये। जब भी शिक्षा विभाग को जरूरत पड़ेगी, वापस शिक्षा विभाग को दे दिया जायेगा। जैसे वह महिला बाल विकास मंत्री महोदया ने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नये भवन खड़े करने के लिए 500 करोड़ की घोषणा की, यह पैसा बचेगा न। वहां पर भवन बने हुए हैं। उनका भी कहीं न कहीं उपयोग करने का विचार ग्राम पंचायत केन्द्र पर करने का सोचें तो वह भी ठीक रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कानून आया है, उसमें स्वच्छता और शिक्षा, यह अच्छा भाव पैदा होकर, पूरे राजस्थान का माहौल निश्चित रूप से आने वाले 5 साल के बाद बदलेगा। मैं यह कह रहा हूं कि इसमें भले ही पांचवीं, आठवीं की जगह दसवीं

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

भी कर दिया जाये तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है लेकिन एक अच्छा माहौल राजस्थान का आने वाले समय में हमें मिलेगा।

आज मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम ग्राम पंचायत के लेवल पर, इतने वर्षों के प्रतिपक्ष के राज के बाद, आज भी गांवों की स्थिति यह है कि आप तो गांवों की स्वच्छता बढ़ा रहे हों, कई पंचायत भवन ऐसे भी हैं कि जहां टायलेट, बाथरूम नहीं हैं। इनका भी आकलन करवाकर तुरन्त क्रियान्वित करना चाहिए। इससे एक अच्छा गांव, आदर्श गांव बनेगा।

दूसरा नगरपालिका में तो ड्रेनेज के और सीवरेज लाइन के लिए फंड की व्यवस्था है, लोकल बाडी से हो जाती है, लेकिन एक बड़ी ग्राम पंचायत है, उसमें पानी निकासी का, सीवरेज लाइन का कोई न कोई ऐसा भाग बन जाये और उनको फंड दे दिया जाये पानी निकासी का, तो इससे ग्राम का स्वच्छ माहौल बनेगा।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत लेवल पर जैसा गुजरात के अन्दर है, मैं वहां 5-10 गांवों में गया हूं, देखा है; ग्राम पंचायत के लेवल पर पंचायती राज के माध्यम से एक सोसायटी का निर्माण किया जाता है। उस सोसायटी के माध्यम से, चाहे वह मार्केटिंग हो, चाहे वह दुग्ध बाजार हो, एक सेंट्रलाइज्ड ऐसा हो गया है कि आपस में गांव का, 'एक गांव के लिए और गांव एक के लिए', ऐसा माहौल हमें गांवों में तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद में एक अच्छे राजस्थान की कल्पना जो हमारे महापुरुषों ने ली है, उसे हम पूरी कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दोनों नियमों का स्वागत करता हूं। मैंने जो जन मत जानने के लिए कहा है, वह मैं वापस लेता हूं।

**श्री सभापति:** आप ले सकते हैं क्या वापस?

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): जी, आपकी अनुमति से।

**श्री सभापति:** मेरी अनुमति से भी नहीं ले सकते।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): तो?

**श्री सभापति:** सदन अनुमति देता है इसकी। बाद में व्यवस्था करेंगे। विराजिये।

(श्री सभापति)

श्री शुभकरण चौधरी।

(अनुपस्थित)

डा. फूलचन्दजी भिण्डा।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या बात है। एक घंटा बोलना।

**श्री सभापति:** जितना समय इनके पास में होगा, जो बात होगी, उतना ही कहेंगे। आपके कहने से घंटे भर नहीं बोलेंगे।

**एक माननीय सदस्य:** समझदार ज्यादा हैं, इसलिए काम की बात ही कहेंगे।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, कुछ तो हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने ऐसी टिप्पणी की है, जो नहीं करनी चाहिए थी।

सबसे पहले मैं स्वच्छता पर आता हूं। सारे विश्व में 200 से ज्यादा देश हैं और उनमें से स्वच्छता में भारत का स्थान 181वां है। 53 साल तक इन्होंने राज किया, उसका परिणाम है कि 200 देशों में भी 181वां सफाई में नंबर है। 180 तक हमारा नंबर ही नहीं है। कितना स्वच्छ बनाया है इन्होंने भारत को!

माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने यह कहा 2 अक्टूबर को कि आज नहीं, इनकी तरह घोषणा नहीं, उन्होंने कहा कि जब गांधी जी 150 वर्ष के होंगे, तब तक मैं इस देश को स्वच्छता में लाना चाहता हूं। कितना बढ़िया प्रयास है।

यह हकीकत है, आप लोग तो जानते हैं, गांवों में रहे हैं, गांव की महिलाएं सुबह उठकर के चाकी पीसती थीं, इसलिए शौच चली जाती थीं और आज इतनी दुर्गति है कि उनको जगह नहीं मिलती है। सारे तो जोहड़ इन्होंने बेच दिये, सारी सार्वजनिक जमीनें इन्होंने अलाट कर दीं। बचा क्या गांव में? सारे रास्ते सकड़े कर दिये 53 साल में।

इस कारण से यह बहुत आवश्यकता थी। उसको एक व्यवस्था से बांधा। पंच-सरपंच बनेगा, वही तो आदर्श बनेगा उस वार्ड में। कौन आदर्श बनेगा? एम एल ए तो बनेगा नहीं। इस कारण से स्वच्छता की जो टिप्पणी की गई, मेरा यह है कि यह बहुत अच्छा कदम है राजस्थान सरकार का। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

स्वच्छता जैसी चीजें तो होनी चाहिए। हम उस देश में रहते हैं जहां सदाचार और संस्कार महत्वपूर्ण थे। इस स्वच्छता में सदाचार और संस्कार भी जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, माननीय प्रधान मंत्रीजी ने पैसा भी दिया है। वातावरण भी बनाया है, खुद ने झाड़ू लगाई है। यह आदर्शवादी देश है, अनुकरण का देश है। भगवान राम का अवतार इसी नाते था। आज कह देते हैं कि वहां वनवासियों को किया। वे जन सामान्य को इकट्ठा करके रावण को परास्त किया। वह आदर्श हैं उनके सामने। इस कारण से उन्होंने खुद ने झाड़ू लगाकर के कहा कि यह प्रत्येक आदमी की सामान्य आवश्यकता है। क्या बीमारी बढ़ाते जायेंगे और गंदगी फैलाते जायेंगे?

नगरपालिकाओं में जितना टैक्स लगाया है, जितनी यह ठेके की बात की है, यह इन्होंने ही तो प्रारम्भ की। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। होती थी न सफाई वार्डों की।

इस कारण से स्वच्छता इस देश की आवश्यकता है। निरोगी काया के लिए भी आवश्यकता है। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में इसका समर्थन करता हूं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): प्रधान मंत्रीजी ने दिल्ली के आपके नेताओं पर झाड़ू चला दी और सफाई कर दी उनकी।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): हमारे नेताओं पर नहीं...(व्यवधान) मैं ही दे दूंगा जवाब। हम पर नहीं चलाई। आप बी जे पी को जब सीधा परास्त नहीं कर सके तो झाड़ू के पास चले गये, चोरी-छिपे चले गये।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): आपके नेता तो झाड़ू लगाते-लगाते गायब हो गये, जो पता ही नहीं लग रहा है। उसका तो पता करो पहले। पूरे हिन्दुस्तान के नेता कहां हैं आपके? कहां छुट्टियां लेकर गये हैं? कहां पहाड़ों में गये और कहां नरेन्द्र मोदी की तरह ऋषि-मुनियों से मिलने हिमालय में गये? कहां गये, पता तो करो। आपके नेता का तो पता ही नहीं है।

**श्री हरिसिंह रावत** (भीम): मोदीजी ने पूरे देश में झाड़ू लगा दिया।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): दूसरा विषय, शिक्षा के बारे में कहा गया...

**श्री सभापति**: पंचायत राज पर आ जाइए, बाकी पंचायती छोड़िए।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): इसमें मैं एक चीज आवश्यक मानता हूं कि बड़े-बड़े गांव हैं, पंचायतें हैं, वहां उनको सफाई कर्मचारी रखने के

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

लिए न बजट है और न व्यवस्था है। यह व्यवस्था की जानी चाहिए और गांव के जो पंचायत है, वह भी आदर्श बनेगी एक दिन। मैंने देखा है, अब तो नहीं हैं, वे स्वर्ग में हैं, नानाजी देखमुख, उन्होंने जयप्रकाश जी के नाम से एक गांव बनाया, जयप्रभाकर। उसकी व्यवस्था मैं देखकर आया हूं, दीनदयाल जी के गांव की व्यवस्था देखकर आया हूं। वहां के युवा, सुबह बंटा रहता है कार्यक्रम, वह चालीस-पैंतालीस युवकों की लिस्ट है, उसमें से सुबह जब पानी एक घण्टे के लिए आता है तो वे झाड़ू लेकर नालियां साफ करते हैं। यह बीस साल पुरानी बात कह रहा हूं, दोनों जगहों की।

**श्री सभापति**: जयप्रभाकर नाम, केवल जयप्रकाश जी के नाम पर नहीं है, जयप्रकाश और प्रभावती जी, उनकी धर्म पत्नी के नाम पर है।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): मैं कह रहा हूं, दोनों के ही नाम पर है। मैं कह रहा हूं, दोनों के नाम पर है। उसका नाम जयप्रभा ग्राम है।

इस कारण से ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इतने कर्मचारी रख नहीं सकते। इस कारण से एक तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से सरकार से है कि एक-एक कर्मचारी, चाहे आकेजनली दें, दे सकते हैं, नरेगा है न, लेकिन कोई प्रावधान नहीं किया इन्होंने। इन्होंने प्रावधान किया, अभी वह जो कागज पढ़ रहे थे कि यह कर दिया, वह कर दिया, बनाया किसने प्रावधान? 18 हजार करोड़ रुपये वापस चले गये पांच साल में और गांवों का विकास नहीं हुआ। ये कहते हैं सरपंच, सरपंच कुछ जानता ही नहीं। इनको यह भी मालूम नहीं है कि बी डी ओ और सी ई ओ, जिला प्रमुख और प्रधान, इन दोनों में तो हैड आफ डिपार्टमेंट बी डी ओ और सी ई ओ होता है, लेकिन पंचायत में हैड आफ डिपार्टमेंट सरपंच होता है। इसकी आवश्यकता थी, उसका योग्य होना आवश्यक है।

मैं उनकी, जो राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उनकी बात में दम है कि अनुभव का भी महत्व है।

**श्री सभापति**: लेकिन आपको तो, माननीय सदस्य, राजनीति आपकी धर्मपत्नी ने सिखाई है। आपके पहले वे जिला परिषद की मेम्बर बनीं।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): आपके आशीर्वाद से। आपने जबरन टिकट दिया था। टिकट आपने ही दिया था जबरन।

इस कारण से मैं शिक्षा पर निवेदन करना चाहता हूं, एक बार सुन लें

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

विपक्ष के लोग, ऐसा नहीं है, आज हम भैरोंसिंहजी के अनुयायी हैं, उनकी पार्टी के फोलोअर्स हैं, लेकिन 37 साल पहले भी भैरोंसिंह जी ने एक ही आदेश से कि प्रत्येक 3,000 की आबादी पर सेकण्डरी स्कूल होगा; क्या वे 37 साल में पढ़ नहीं पाए? उसके बाद जो पैदा हुए, वह भी 21 साल का हो गया होगा; आयु तो रोज बढ़ती है। तो 37 साल पहले जो व्यवस्था की सैकण्डरी स्कूल की, तो क्या गांव में पढ़े-लिखे लोग नहीं होंगे? लेकिन जिनकी बपौती थी गांव में, उनके यहां दिक्कत आ गई। उसके कारण से उनको परेशानी खड़ी हो गई। कांग्रेस की जो बपौती थी कि गांव में यही सरपंच बने, इसी परिवार का बने, वहां दिक्कत आई है। वरना, यही नहीं, आप तो उसमें खुद मंत्री थे।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): उस बपौती को तोड़ने के लिए ही काला कानून लाई सरकार आनन-फानन में।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): हां, पंचायत राज। इतना ही नहीं, आप तो प्रधान बहुत बाद में बने हैं, यह एक्ट आने के बाद बने हैं। आपके जो पूर्वज थे कांग्रेस के नेता मंत्री, उन्होंने 18 साल तक प्रधानों के चुनाव नहीं कराये थे। ध्यान है कि नहीं आपको? 18 वर्ष तक। जो सरकार बदली 1977 में, तब फिर हमने चुनाव कराये। आपने तो बिलकुल समाप्त ही कर दिया था। आप तो वकालत करते हो।

इतना ही नहीं, 1995-96 में माननीय सभापति महोदय इस सदन के सदस्य थे, उस समय हर पंचायत में मिडल स्कूल, आठवीं पास ही तो की है हमने सरपंच की, पांचवीं और आठवीं, तो यह तो कितने वर्ष पहले व्यवस्था कर दी हमने, 20 वर्ष पहले। तो उस समय जो पैदा हुआ, उसको तो 21 साल का ही तो चाहिए मेम्बरशिप के लिए, तो जो 5 साल का पढ़ता था, वह 26 साल का हो गया। इतनी व्यवस्था हमने कर दी। उसके बाद फिर वसुन्धराजी आईं शासन में, तो हमने हर पंचायत में सैकण्डरी स्कूल कर दी है और अब सीनियर हायर सैकण्डरी कर दी है। फिर भी आप कहते हैं कि व्यवस्था नहीं की, शिक्षा की व्यवस्था नहीं की, कैसे पढ़े-लिखे मिलेंगे। मिलते हैं पढ़े-लिखे। लेकिन एक गिरोहबन्दी थी, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा यह ही बनना चाहिए। यह जो परम्परा है इसको तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और वास्तव में हकीकत रूप से पंचायती राज का उसमें है।

अभी मौलिक अधिकार की बात कही, मौलिक अधिकार नहीं, नीति-निर्देशक-तत्वों में लिखा हुआ है, स्थानीय सुशासन। उसमें नहीं है। उसमें कई

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

बातें हैं। आप तो खुद लॉ के आदमी हैं। उसमें मौलिक अधिकार अगर है तो जिसको वोटिंग राइट है उसको चुनाव लड़ने का राइट है। यह बात कहते तो अच्छा लगता है, लेकिन आप ऐसे कह रहे हों कि फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब हो गया, कैसे डिस्टर्ब हो गया? जो काम हम दे रहे हैं उसको, और पंच की बात बार-बार कह रहे हो, पंच तो है ही नहीं उसमें योग्यता में, पंच तो अनपढ़ भी हो सकता है। यह कहा गया कि पंचों के पद खाली रह गये; योग्यता थी ही नहीं इसमें, एक्ट में तो है नहीं। पढ़ो एक्ट, आपके हाथ में एक्ट है, पंच है ही नहीं, सरपंच शब्द है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): दो बच्चों वाले कानून पर आ जाओ, आपका प्रिय विषय है।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): आ रहा हूं, आ रहा हूं, बिलकुल आ रहा हूं; आपकी वकालत करूंगा लेकिन आपने ढंग से वकालत नहीं की।

**श्री सभापति**: आप इनको देखकर, डोटासराजी, इतने क्यों व्यग्र हो जाते हैं? आप सुनिए इनको।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): इनको देखकर हर कोई व्यग्र हो जाता है।

**श्री सभापति**: आप हर कोई नहीं हैं, सचेतक प्रतिपक्ष हैं।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): राजीव गांधीजी ने जो एक्ट बनाया था पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए, आप सुदृढ़ता की बात करेंगे, कितनी मदों में पैसा मिला था सरपंचों को? पंचायतों को पिछले छह-सात साल में पैसा मिला, उसमें उन्होंने आखिरी वर्षों में छूट दे दी कि पैसा खर्च कर दो। बिजली के बिल बचे हुए हैं और सैकड़ों, करोड़ों रुपये पंचायतों में बाकी हैं, और पानी के कनेक्शन कट रहे हैं। (व्यवधान) वे सुनना नहीं चाहते, चले गये।

हां, दो-तीन बातें इससे सम्बन्धित हैं। बीस वर्ष तक, माननीय सभापति महोदय, पुनर्गठन नहीं हुआ। उस 1993-94 के एक्ट में साफ लिखा हुआ है, दस वर्ष में पुनर्गठन होगा। वर्तमान सरकार से, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पुनर्गठन अधूरा है। जिन पंचायतों से नई पंचायतें बन गई, उनके वार्डों का तो पुनर्गठन हो गया, लेकिन नई पंचायत नहीं बनी, उनका वही है। 200 से लेकर 1,300 तक के एक-एक पंच हैं और नई में 400 के आसपास, ज्यादा अन्तर नहीं है, 400-450-350

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

के पंच बने हैं। ऐसे ही जिला परिषद में 40-40, 50-50 गांव हैं, सभापतिजी, और उनमें वही वार्ड चल रहे हैं। उनके वार्डों का पुनर्गठन भी आवश्यक लगता है। इम्बैलेंस हो गया है। पंचायत समितियों में ऐसा हो गया है, मेरे बराबर में शाहपुरा से आने वाले राव साहब का क्षेत्र है, उनके यहां 23 पंचायत मेम्बर चुने जाते हैं और मेरे यहां अब हो गये 45 । मेरे नई पंचायत समिति बन गई, यह भी इम्बैलेंस हो गया। इस पुनर्गठन को दुबारा देखना चाहिए।

इसी प्रकार से पंचायतों के भी वार्ड, बीस साल में ही पुनर्गठन नहीं हुआ। तो अधूरा हो गया वह तो। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि जिनका पुनर्गठन हो, उनके चुनाव तत्काल हों; उसके चुनाव 2020 में ही हों, कोई बात नहीं। अपने भी तो 2008 में विधायक क्षेत्र बने, उनका पुनर्गठन 2005 में हुआ था। तो पुनर्गठन कोई एक साल का आयोग या समिति बनाकर पुनर्गठन का करना चाहिए।

इसके साथ-साथ एक और विसंगति है जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। 2000 की आबादी पर मेरे नगरपालिका का वार्ड है, उसको अभी 1,000 रुपये मिलते थे, अब 1,500 मिलेंगे और जब पंचायत समिति का वार्ड है, जिनमें दो पंचायतें हैं, आठ-दस गांव हैं, उनको एक नया पैसा नहीं मिलता। उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे ही जिला परिषद वाले को 40 गांवों में चक्कर लगाना पड़ता है। नगर निगम में 20,000 की आबादी पर है, वह 60,000 की आबादी पर वार्ड है। इस कारण से मानदेय की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसकी आवश्यकता लगती है।

इसी प्रकार से आरक्षण के जो प्रावधान हैं उनमें दो-एक विसंगतियां लगती हैं, उनको भी ठीक किया जाना चाहिए। एस सी, एस टी, ओ बी सी के वार्ड हैं, उनमें अगर एस सी, एस टी का वार्ड अगर 46 परसेंट हो जाता है तो 3 परसेंट ही ओ बी सी को मिलता है चाहे 70 परसेंट आबादी हो। इसका कोई न कोई रास्ता खोजा जाना चाहिए।

इसी प्रकार से एक विसंगति यह पैदा हुई कि 4 राउंड निकल गये, महिलाओं के वार्ड कई बार तो तीन बार महिलाओं के वार्ड हो गये। 50 परसेंट आरक्षण हो गया, तो आइदर-आर होना चाहिए; इस बार पुरुष का, अगली बार महिला का हो। उसके साथ-साथ जो वर्टिकल आरक्षण है ओ बी सी, एस टी,

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

एस सी का, इस पर कोई विसंगति नहीं है, लेकिन इसको भी ठीक किया जाना चाहिए। लगातार दो बार जब 50 परसेंट आरक्षण हो गया तो एक बार यह 50 और दूसरी बार यह 50 । इसको भी कहीं न कहीं रास्ता खोजकर ठीक करना चाहिए। कई जगह इस प्रकार की भी स्थिति है।

इसी प्रकार से दो बच्चों का प्रावधान है, यह निश्चित तौर पर देश भर में कहीं नहीं बचा। 8 स्टेटों में था, 7 स्टेटों ने वापस ले लिया। हरियाणा के तो उसमें यह और कहा, अलग प्रकार से कहा उसने इसके बारे में कि मैं केवल इसलिए नहीं हटा रहा कि जन-प्रतिनिधियों को अड़चन है, उन्होंने कहा कि मुझे इसकी भी चिन्ता हो गई कि बिहार की लड़कियां आने लग गईं। इसलिए 6 फीट के जवान पैदा करने के लिए भी आवश्यकता है कि इस प्रावधान को मैं हटाऊं। ऐसा कहकर हटाया उन्होंने। यहां भी आवश्यकता है। पुरुष नौकरी करता है और उसकी पत्नी को जो कोख का राइट दिया है भगवान ने, उस पर आपको रोकने का अधिकार नहीं है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह जो बोल रहे हैं माननीय सदस्य, यह रिकार्ड में अंकित हो रहा है। आप कोई खेत-खलिहान में खड़े-खड़े थोड़े भाषण दे रहे हैं?

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): क्या गलत बोल रहा हूं? प्राकृतिक राइट है एक महिला को, उसका पति नौकरी करता है।

इतना ही नहीं, मैं तो आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं, अब ये यहीं बैठे हैं खाद्य मंत्रीजी, ये पांच करोड़ तीस लाख लोगों को गेहूं दे रहे हैं दो रुपये किलो में। सोलह रुपये में किसान पैदा करता है, उसका तो गला काट रहे हैं, उसको तो बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उस गेहूं को दो रुपये में दे रहे हैं। क्या पांच करोड़ तीस लाख लोगों को यह कहा गया कि तुम्हारे दो ही बच्चे पैदा करो और दोनों के दोनों को पढ़ने के लिए भेजो? तो क्या किया आज तक? क्या इस सदन ने भी किया या सरकारों ने भी किया? लेकिन उन पर कर दिया। एक परसेंट भी नहीं हैं वे चुनाव लड़ने वाले जिन पर यह डाला है। उसके दो दुष्परिणाम हैं, आपके माध्यम से वर्तमान सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, एक तो भ्रूण हत्या। जिस युवक व युवती की शादी हुई, उनके पहले बच्ची हो गई तो वे निश्चित तौर पर भ्रूण हत्या करते हैं; आप चाहे जितनी सी आई डी कर लीजिए, चाहे जिसको दे दीजिए, निश्चित तौर पर करते हैं। भ्रूण हत्या के

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

कारण से लड़कियां कम हो गईं। उसका दुष्परिणाम दिखा, अभी यह रिपोर्ट आई, ज्यादा अंतर नहीं पड़ा, लेकिन उसके नीचे लिख दिया कि एक से छह वर्ष तक के लड़के-लड़कियों का अनुपात है, वह और एकदम नीचे आ गया।

इतना ही नहीं, सभापति जी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, जब से यह मोटरसाइकिल चली हैं पिछले 20 साल में, हीरो होण्डा की, जवानों की मौतें हुई हैं, लेकिन टोटल में तो वे महिलाएं भी आ गयीं जो विडो हो गईं, जिनके बाल-बच्चे हो गये, वे भी आ गयीं इसमें, लेकिन लड़का नहीं है, इसका आतंक फैलेगा। वह कौनसा कहते थे, लड़की उठाकर ले गये, शादी कर लेते थे, गन्धर्व विवाह शुरू हो जाएगा, समाज में अव्यवस्था होगी।

**श्री सभापति:** गन्धर्व विवाह उड़ाने को नहीं कहते हैं, प्रेम को कहते हैं।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): जो भी हो। मैं तो आपके माध्यम से मेरी बात कहना चाहता हूं कि इस प्रावधान को हटाना चाहिए। इससे जनसंख्या असंतुलन और बढ़ जाएगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): दो विद्वानों के बीच की बात है।

**श्री सभापति:** मैं विद्वान नहीं हूं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): दो विद्वानों की इस व्याख्या को सदन भी जानना चाहता है, इसकी क्या व्याख्या है?

**श्री सभापति:** 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उनमें एक गन्धर्व विवाह है, जो शकुन्तला और दुष्यंत का हुआ था। (व्यवधान) मुझे कैसे मालूम? अभिज्ञान शाकुन्तलम् तो नाटक ही लिखा हुआ है इतना बड़ा।

**एक माननीय सदस्य:** गांधारी का भी हुआ था।

**श्री सभापति:** गांधारी का नहीं। गन्धर्व नहीं था। चलिए।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा): इन आठ में से आपका कौनसी रीति से हुआ है?

**श्री सभापति:** ब्रह्म विवाह हुआ है।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, आपने 8 में से 2 ही बताये, 8 ही बता दो ना।

**श्री सभापति:** अब आपके बच्चों को जब...(व्यवधान) यह सब काम बिना दक्षिणा के नहीं बताता हूं मैं।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): दक्षिणा दिला देंगे, साहब, बता दो।

**श्री सभापति**: तब बता दूंगा।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): सभापति जी, वास्तव में यह प्रावधान हटना चाहिए।

उसका एक कारण और है। जो आदेश निकाला गहलोत साहब के टाइम में...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: यह बच्चों वाला जरा संक्षिप्त कर दें।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): यह दुराचार में आता है। एक्ट की धारा में लिखा हुआ है, यह दुराचार में आता है। इतना ही नहीं, एक जो कत्ल करता है, गबन में पकड़ा जाता है, सस्पेंड होता है, किसी कारण से बहाल होता है तो उसे तो चेतावनी देकर छोड़ देते हैं, एक इंक्रीमेंट रोक देते हैं, लेकिन इस प्रकार के लोगों को, जो सर्विस में हैं, उनके पांच इंक्रीमेंट डी पी सी वाले, पांच डी पी सी बैठती ही नहीं है। आपके टाइम में ही प्रावधान हुआ था 9, 18, 27 का, वह दिया गया। जब डी पी सी ही नहीं होती तो ये अत्याचारी प्रावधान हैं, इनको हटाया जाय।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। यदि फिर भी कोई कम्प्लशन है तो राष्ट्रीय नीति जो बनी हुई है, उसमें ऐसा प्रावधान नहीं है। एक बात। दूसरा और है। अभी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ,' यह आंदोलन है। इसको अगर करना है तो मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि फिर लड़की को एक ही यूनिट माना जाय, चाहे तीन लड़कियां हों- एक यूनिट, दो लड़कियां हों तो एक यूनिट, फिर यह भ्रूण हत्या बंद हो जाएगी और लड़कियों का बैलेंस भी ठीक हो जाएगा।

**श्री सभापति**: आपका यह सुझाव ठीक है, यह सुझाव ठीक है कि दो लड़की हों तो भी एक यूनिट मानी जाएंगी, तीन हों तो भी एक यूनिट मानी जाएंगी।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): लड़कियां बढ़ जाएंगी।

**श्री सभापति**: यह ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं सदन में माननीय सदस्यों को कि जो भी माननीय सदस्य बोलते हैं तो कोई न कोई ऐसी बात निकलती है जो सबको नहीं लगती, और समझ में आती है।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): अब मैं दो-तीन बातें पंचायत राज की और बताना चाहूंगा।

**श्री सभापति**: अब इसको समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): संक्षिप्त कर रहा हूं।

एक तो पंचायतों के सहायक सचिव हैं ये नरेगा के माध्यम से आ गये, उनको पिछली सरकार ने परमानेंट कर दिया, आधों को किया, आधों को नहीं किया, लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं दी गयी। उनको कैश बुक बनाना नहीं आता। कैश बुक आवश्यक हो गयी। ये कह तो रहे थे कि ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, लेकिन हकीकत है, कई जगह मैं पंचायतों में गया हूं, मेरा खुद का दिया हुआ पैसा इसलिए खर्च नहीं हुआ कि वह रिकार्ड पर ही नहीं है कि मैंने दो लाख दिये हैं या पांच लाख दिये हैं। ऐसा सरपंच कह रहे हैं, अब कह रहे हैं। क्योंकि जो सचिव था, तीन-तीन सचिव दे रखे हैं...

**श्री सभापति**: समय कम है अब, माननीय सदस्य।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): इस कारण से जो सचिव, ग्राम सचिव हैं, उनकी व्यवस्था पूरी की जायं और इसके अलावा जो स्टाफ है, जैसे कम्प्यूटर का स्टाफ है, यह पर्याप्त किया जाय।

इसी प्रकार से जो पंचायतों की इफेक्टिविटी है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पंचायत समिति का जो मेम्बर है उसको कोई पूछता नहीं है; मतदान के बाद, प्रधान बनाने के बाद कोई पूछता नहीं। इसलिए वह निराश रहता है, मीटिंग्स में नहीं आता। यह हकीकत है। पंच को तो फिर भी राशन कार्ड तस्दीक करने का अधिकार है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पंचायत समिति का जो मेम्बर है, इसके स्थान पर सरपंच, प्रत्येक सरपंच को उसका बना दिया जाय। सरपंच का सीधा चुनाव होता है, प्रधान का भी सीधा चुनाव हो जाय और पंचायत की साधारण सभा का इफेक्टिव मेम्बर हो जाय, ऐसी व्यवस्था करने पर जो निष्क्रियता आयी है वह भी दूर होगी।

मैंने जो जन मत जानने के लिए प्रस्ताव दिया था, उसको मैं विथड्रा करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं, दोनों जो प्रावधान हैं उनका समर्थन करता हूं।

**श्री सभापति**: आप विराजें। एक बार बीच में मैं हीरालाल जी नागर को 5 मिनट के लिए समय दे रहा हूं, आपको बहुत अर्जेंट काम है, इसलिए।

**श्री हीरालाल नागर** (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने क्रम से पहले बोलने का समय दिया।

पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 और पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) पर मैं सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो प्रावधान इन दोनों बिलों के माध्यम से और अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने किये हैं, चाहे वह स्वच्छता का हो, निश्चित रूप से आज जो पंचायत राज के माध्यम से जन-प्रतिनिधि हमारे चुनकर आते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे गांव स्वच्छ हों, वहां के जो चुने हुए जन-प्रतिनिधि हैं वे हमारी जनता के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें। तो निश्चित है कि इसमें जो हमारे जन-प्रतिनिधियों के लिए शौचालय का प्रावधान किया गया है, उसके माध्यम से सरकार ने हर गांव में जो यह स्वच्छता का मिशन है उसको साकार करने के लिए, पहले जन-प्रतिनिधि अपने स्वयं से इसको लागू करें, तब जाकर वह जनता में किसी प्रकार का कोई जागरण अभियान चला सकते हैं, जन-जागरण का एक माध्यम बन सकते हैं। स्वयं से शुरू करने का अभियान हमारी इस सरकार के द्वारा किया गया है। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा अभियान है। सरकार के कई माध्यमों के द्वारा कई वर्षों के प्रयास में जितने शौचालय नहीं बनते, एक मात्र इस प्रावधान से उस समय जन-प्रतिनिधि जिन्होंने फार्म भरा, जो जीतकर आये, उन्होंने भी शौचालय का प्रावधान किया और जो चुनाव में जीत नहीं सके और उसके अलावा भी, जिन्होंने भी कई पार्टियों के माध्यम से आवेदन किये, उन सबने अपने यहां शौचालय बनाने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से इसकी संख्या कई गुणा बढ़ी है और लोगों में एक जागरूकता आयी है।

हमारे प्रतिपक्ष के भाई कह रहे हैं कि इसको हम डण्डे के माध्यम से करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक जाग्रति पैदा करने के लिए, कोई जनता में आदर्श प्रस्तुत करें और उसके लिए आवश्यक है कि किसी भी प्रकार से उसका निर्माण होकर उपयोग हो और जनता अपने जन-प्रतिनिधियों को इसके लिए देखती है तो निश्चित रूप से वह इसका अनुसरण करती है। आज इसके द्वारा शौचालय तो गांवों में निश्चित रूप से बने हैं।

हमारे प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र जी भाई मोदी हैं, उन्होंने एक बड़ी योजना के द्वारा, इस स्वच्छता मिशन के द्वारा, जहां पहले शौचालयों में कभी 1,200 रुपये दिये जाते थे, कभी 2,500 रुपये दिये जाते थे, कभी 4,500 रुपये

(श्री हीरालाल नागर)

का प्रावधान था, फिर उसमें नरेगा के द्वारा श्रमिक लगाने का था; उन्होंने इसका एक विस्तृत आकलन किया, इसकी पूरी रिपोर्ट बनायी कि वास्तव में शौचालय की लागत कितनी आती है और गांवों में जो व्यक्तिगत शौचालय बनते हैं, जो इसके पात्र हैं, उनके शौचालय सही बनें और उनका सही मात्रा में उपयोग हो; 12,500 का इन्होंने प्रावधान किया है और जो बजट जारी किया है निश्चित रूप से उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूं कि सही मायने में गांवों में एक लागत के अनुसार मूल्य तय करके जो शौचालय का प्रावधान किया है, उससे आने वाले समय में गांवों में शौचालयों के प्रति जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वह भी पूरी होगी और स्वच्छता के प्रति लोगों में जाग्रति भी आएगी।

लेकिन इसके बाद भी जो हमारे गांवों की दशा है,

उसमें शौचालय बनने के बाद में पानी का उपयोग भी अधिक होगा और हमारे गांवों की आज स्थिति ऐसी है कि चाहे वहां की नालियां हों, चाहे वहां सी.सी. के गलियारे हों, या खरंजे हों, वहां पर नालियों का निर्माण जिस रूप में होना चाहिए, वह नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि जहां पर अच्छी-भली सड़क है, या अच्छा खरंजा लगा हुआ है, सी.सी. लगी हुई है, इंटरलाकिंग लगी हुई है, लेकिन उस पर मात्र नाली नहीं बनी हुई है। उसके कारण वहां पानी का निकास सही नहीं होने से और गांवों में पानी का उपयोग बढ़ने से वहां पर कीचड़ रहने लग गया। मैं इसके द्वारा माननीय पंचायती राज मंत्रीजी को सुझाव देना चाहता हूं कि जो पंचायती राज में यहां से पैसा देते हैं, चाहे वह एस.एफ.सी. का, टी.एफ.सी. का हो, उसमें यह प्रावधान किया जाए, यह राइडर लगाया जाए कि गांवों में सी.सी., इंटरलाकिंग या खरंजा बनाने के पहले पूरे गांव में निकास के लिए नालियों का प्रावधान हो, तो निश्चित रूप से गांवों में जो कीचड़ रहता है उससे मुक्ति मिलेगी और गांवों में जो आज लोगों की दशा है, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और वहां पर होने वाली कई तरह की बीमारियां भी मिटेंगी। इसलिए इसके द्वारा एक या दो साल तक निश्चित किया जाए कि पहले गांवों में नाली बने और उसके बाद सी.सी. का निर्माण हो, चाहे उन पर इंटरलाकिंग लगे, तो निश्चित रूप से गांवों में कीचड़ से, कई तरह की मुक्ति से लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, हो यह रहा है कि गांवों में जिस पर कीचड़ हो रहा है वहां एक अच्छा खरंजा लगा हुआ है, अच्छी इंटरलाकिंग लगी हुई है, लेकिन गांवों की डिमांड होती है कि सी.सी. बनाओ और उसके पीछे मात्र एक ही कारण होता है कि उस पर नाली नहीं बनी हुई,

(श्री हीरालाल नागर)

जिससे वहां पर कीचड़ है। अगर नाली की समस्या का समाधान कर दिया जाए, इसका आवश्यक रूप से प्रावधान करते हुए, संशोधन करते हुए, यह निश्चित कर दिया जाए तो वहां पर जो करोड़ों-अरबों रुपया सरकार का बरबाद हो रहा है उसको बचाने में भी सहयोग होगा और इन नालियों के बनने से गांवों में सूखा रहने लगेगा, जिससे वह गांव स्वस्थ और स्वच्छ होगा।

इसी के साथ, गांवों में जो पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है, वर्षों बाद पंचायतों का पुनर्गठन का काम हमारी सरकार ने किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी इस काम को हाथ में लिया था पर उसके द्वारा भी यह पूरा नहीं किया गया और उसको अधूरा छोड़ दिया गया। हमारी माननीया मुख्य मंत्री जी ने प्रयास किया और इस पंचायती राज के पुनर्गठन के काम को करके, गांव के लोगों को जो कई दूर जाना पड़ता था, कइयों को अपने मुख्यालय से, पंचायत से जो सुविधा मिली है, निश्चित रूप से उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, इन संशोधन के माध्यम से आज जो हमने यह शिक्षा का प्रावधान किया है, निश्चित रूप से आज चुने हुए जन-प्रतिनिधि, चाहे वे ग्राम पंचायतों में हों....

**श्री सभापतिः** संक्षिप्त में, माननीय सदस्य।

**श्री हीरालाल नागर** (सांगोद): मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

**श्री सभापतिः** जो बात चर्चा में नहीं आई, वह कहें।

**श्री हीरालाल नागर** (सांगोद): शिक्षा के माध्यम से आज जो गांवों में चुने हुए माध्यम से जन-प्रतिनिधि चुनकर आये हैं, उसके पहले की भी पंचायतें देखी हैं और उसके पहले की पंचायत समितियों में आने वाले जन-प्रतिनिधि भी देखे हैं। कई हमारी सरपंच हों, चाहे वे महिला जन-प्रतिनिधि हों, वे घूंघट लेकर पंचायत की मीटिंग में, पंचायत समिति की मीटिंग में आती थीं। माननीय सभापति महोदय, इस प्रावधान के लागू होने के बाद आज पढ़े-लिखे वर्ग से और पढ़ी-लिखी महिलाएं और पढ़े-लिखे लोग इससे आये हैं। आज पंचायत समिति की बैठकों में घूंघट लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी जन-प्रतिनिधि हमारी महिलाएं आई हैं। तो निश्चित रूप से इससे लोगों में जागरूकता भी आई है और पढ़े-लिखे जन-प्रतिनिधि आने से जो पंचायती राज में वे क्या प्रावधान लागू करना चाहते हैं, उसको पढ़कर, उसका मनन करके,

(श्री हीरालाल नागर)

उस पर विचार करके सही निर्णय लेने की क्षमता में हैं। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में पंचायती राज इसके माध्यम से सुदृढ़ होगा। शिक्षा के माध्यम से जो यह पंचायती राज में प्रावधान लागू किया गया है, हम जहां भी गये हैं, वहां इसकी बहुत बड़ी प्रशंसा की गई है और अच्छे जन-प्रतिनिधि चुनकर आज आये हैं।

तो निश्चित रूप से यह इस सरकार का जो कदम है और हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो यह कदम उठाया है, इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि यह एक प्रगतिशील कदम है और राजस्थान को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से सहयोगी साबित होगा।

माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ाया जाय।

**श्री सभापति:** प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाय?

**(स्वीकृत)**

समय दो घंटे बढ़ाया गया।

माननीय सदस्यगण से मैं निवेदन करूंगा कि बोलने का सबको अवसर मिलेगा लेकिन बार-बार किसी एक विषय को रिपीट नहीं करें।

श्री केसाराम चौधरी।

## विधेयक पर विचार

### राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015

### राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 और राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार हो रहा है। माननीय सभापित महोदय, पंचायती राज की नींव जब से पड़ी है, उस

(श्री केसाराम चौधरी)

समय से पंचायती राज की भिन्न-भिन्न परिस्थितियां रही हैं और समय के अनुरूप कानूनों में परिवर्तन करना भी जरूरी होता है। मैंने वे दिन भी देखे हैं जब पंचायती राज में केवल अख़बार पढ़कर सरपंच को चुना जाता था। अख़बार पढ़ाया जाता था, वह पढ़ता था और पढ़ लिया, मतलब सरपंच के लिए एलिजिबल। उस जमाने में पंचायतों के चुनाव में दोनों कैंडिडेट को खड़ा करते थे, एक इधर हो जाओ, एक इधर हो जाओ; एक रस्सा बांधा, इसके पक्ष वाले इधर चले जाओ, इसके पक्ष वालों उधर चले जाओ, ऐसा होता था और यह व्यवस्था भी मैंने आंखों से देखी है। जैसा समय है और मैंने मेरा राजनीतिक जीवन इसी पंचायती राज से शुरू किया है। मैं सबसे पहले वार्ड पंच बना, उसके बाद में सरपंच और उप-प्रधान, उसके बाद में प्रधान भी रहा और उसी पंचायती राज की बदौलत एम.एल.ए. बनकर इस मुकाम तक पहुंचा हूं।

**श्री सभापति**: अब आप आगे और बढ़ें। आगे बहुत दूरी है तय करने के लिए।

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): यह तो आपका आशीर्वाद है, पण्डित जी, अगर आशीर्वाद देते हैं तो आगे बढ़ेंगे ही।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायती राज में जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था, मैं तो इसको मानता हूं कि सबसे अच्छा अगर कोई राजनीतिक जीवन में पद है तो सरपंच का है। सरपंच को इतना मजबूत करना चाहिए, ग्राम सचिवालय स्तर पर उसको डवलप करना है; हम चाहते हैं कि गांव में एक सचिवालय की तरह हो। हमारी पंचायती राज की सोच है कि हम उसको डवलप करें और गांवों में पंचायती राज किस तरह से मजबूत हो, उसके लिए हमें सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। कानून बनता है, कोई भी बनता है, विरोध करना या पक्ष करना, मगर हम सब का ध्येय यह है कि हम गांवों का विकास किस तरीके से कर सकें।

हमने एक कल्पना की है कि गांव में ग्राम सचिवालय हो, कम्प्यूटर का अटल सेवा केन्द्र खोल दिया, उसमें ये जो जन-प्रतिनिधि हैं, उसका नाम अटल है, कोई चीज इस धरती पर अटल है, अटल रहेगी। आज उनका दिन है, उनको देश में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है और उनके नाम से अगर होता है तो आपको एलर्जी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अटल सेवा केन्द्र में...

**श्री सभापति:** उन्होंने आज की राजनीति के बारे में लिखा है, कविता में बोला है-

कौन कौरव, कौन पाण्डव, टेढ़ा सवाल है,
चारों तरफ फैला शकुनि का कूट जाल है।
बिना कृष्ण के महाभारत होना है,
कोई राजा बने, रंक को तो रोना है।
इस व्यवस्था को हमको बदलना है।
यह अटल जी ने लिखा है।

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): अटल जी जो कवि हृदय हैं, उनकी कविताओं के बारे में आप जैसे विद्वान व्यक्ति के सामने हमें इतना ज्ञान नहीं, मगर....

**श्री सभापति:** आपने चर्चा की, इसलिए बताया है मैंने।

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): मगर मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से हमने गांवों में ग्राम सचिवालय चलाने की कल्पना की है और उसमें पढ़े-लिखे सरपंच नहीं होंगे तो निश्चित रूप से गांव का सचिवालय अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। इसलिए यह जो बिल में शिक्षा का राइडर लगाया है, उसकी वास्तव में आवश्यकता थी। यह हमारे पंचायती राज मंत्रीजी की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचायक है कि उन्होंने विधेयक लाकर इसको इम्प्लीमेंट किया। पंचायतों के चुनाव जिस तरह से हुए और जिस तरह से पढ़े-लिखे व्यक्तियों की होड़ लगी, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेरे यहां पर प्रधान के लिए एम.काम., एम.ए., बी.ए., बी.एड., मतलब, महिलाएं हैं गांवों में। बहुत खुशी हुई कि यह अध्यादेश के जरिये लागू करके चुनाव करवाये हैं जिससे पढ़े-लिखों में जाग्रति आई है। कोई भी बिल आता है, कानून बनता है, उसमें अपवाद हर चीज में होगा मगर उन अपवादों को देखते हुए क्या अच्छाई को नकारा जा सकता है? इसलिए शिक्षा का जो बिल आया है, उसकी मैं सराहना करता हूं।

इसके साथ ही, शिक्षा के साथ-साथ पंचायती राज में सबसे बड़ी दुविधा में अगर कोई है तो पंचायत समिति के वार्ड से जीता हुआ व्यक्ति। प्रधान का चुनाव होने के बाद में उसमें कोई रास्ता नहीं बचता है उसके पास और दूसरा जिला परिषद का सदस्य। उसके पास 8-9 पंचायतें होती हैं जिला

(श्री केसाराम चौधरी)

परिषद में। उसको सरपंच की तरह कोई न कोई अधिकार दिये जायें ताकि वह भी उन नौ पंचायतों का संचालन करने में सफल हो सके। पंचायत समिति के सदस्य को दो या तीन पंचायतें, कहीं ढाई हैं, कहीं तीन हैं, तो उन पंचायतों का उसको संचालन करने का कोई न कोई जिम्मा या कानून में ऐसा सुधार करना चाहिये ताकि उन पंचायत समिति के और जिला परिषद के सदस्यों को भी काम मिल सके।

इसके साथ ही, यह विधेयक संख्या-4, जो शौचालय की व्यवस्था की है, वह बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। गांवों के अन्दर जिस तरीके की लोगों में इच्छाशक्ति जाग्रत हुई है, इससे एक माध्यम बना है। गांवों में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, हरेक सदस्य गांव से आते हैं और गांव में अपन जाते हैं तो गांवों में महिलाओं और लोगों के निबटने की जो व्यवस्था थी, उसको देखकर अपने को भी कुछ लज्जा-सी महसूस होती थी। मगर इस तरह का बिल लाकर, यह जो इच्छाशक्ति जाहिर की है, इससे आने वाले समय में प्रत्येक घर में यह सुविधा हो जायेगी जिससे गांवों की सफाई व्यवस्था भी होगी और हमारा नरेन्द्र जी मोदी का स्वच्छ भारत का जो संकल्प है, उसको परिपूर्ण करने में यह बिल सहायक होगा।

इसी के साथ आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: बहुत धन्यवाद, केसारामजी। श्री मदन राठौड़ जी।

**श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)**: सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 और राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015, इनको जन मत जानने के लिए परिचालित करने का मैंने प्रस्ताव रखा था। वैसे स्वच्छता को लेकर शौचालय का निर्माण, यह होना चाहिये, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यों ही मैंने यह विधेयक का अंग्रेजी प्रारूप देखा तो देखकर मैंने जन मत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव रखा।

सभापति महोदय, इसमें पता नहीं, क्यों नकारात्मकता लोगों के दिमाग में आई हुई है। हिन्दी में दिया है कि ''घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो'', लेकिन अंग्रेजी में जो लिखा है, ''...does not have a functional sanitary toilet in the house and any of his family members defecate in

(श्री मदन राठौड़)

the open." मेरे दिमाग में आया कि यह सब क्या हो रहा है? यह ऐसा कैसे दिया? हिन्दी में तो ठीक बात है और अंग्रेजी में 'does not' कैसे आया? तो मैंने यह विषय पढ़ने का थोड़ा प्रयास किया, तो इसमें इन्होंने जो आगे दे रखा है, Extracts taken from the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

**श्री सभापति:** Extracts.

**श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):** हां, Extracts. "Qualifications for election as a Panch or a Member: Every person registered as a voter in the list of voters of a Panchayati Raj Institution shall be qualified for election as a Panch or, as the case may be, a member of such Panchayati Raj Institution unless such a person." अब यहां पर इस प्रकार का देकर के...

**श्री सभापति:** आप एक बार इस पर ज्यादा जोर नहीं दें। यह अथोराइज्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन है, मूल बिल हिन्दी में ही है।

**श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):** सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहता था, यह इस प्रकार की इन्होंने, सारी की सारी बातें इसमें नकारात्मक हैं, इसमें जो भी कुछ भी लिखा है। अब क्यों नहीं इसका हिन्दी रूपान्तरण ही सही कर दिया?

**श्री सभापति:** हिन्दी रूपान्तरण नहीं है, मूल बिल हिन्दी में है और इंग्लिश वाला अथोराइज्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसलिए आप मूल बिल पर ही जाओ।

**श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):** मैं वही कर रहा हूं लेकिन... नहीं, हिन्दी में तो सही है लेकिन इसका जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं है और वह अथोराइज्ड इंग्लिश आप जो बोल रहे हैं, लेकिन यह एक बार थोड़ा-सा भ्रमित करने वाला है। इसमें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, सभापति महोदय, (a) से लेकर (q) तक जो लिखी हुई हैं, वे सबकी सब नकारात्मक हैं और हिन्दी में सबकी सब सकारात्मक हैं। तो थोड़ा-सा विचार करना चाहिये। एक तो यह है।

दूसरा, जो शब्द प्रयोग किये गये हैं, मैं सोचता हूं कि ये शब्द प्रयोग भी, इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिये था कि कैसे इसमें शब्द रखे गये हैं। क्या इनका हिन्दी शब्द मिलता नहीं? हिन्दी में शब्द इनको मिलते नहीं?

इसलिए मैंने सोचा, यह एक माह के लिए जन मत जानने के लिए परिचालित करने का जो सुझाव रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सीधा पूछेंगे कि जब बिल की अच्छाइयां बता रहे हो तो फिर जन मत जानने के

(श्री मदन राठौड़)

लिए आपने प्रस्ताव क्यों रखा? इसके लिए सबसे पहले मैंने यह बात आपके समक्ष रखना जरूरी समझा।

सभापति महोदय, शौचालय का निर्माण, यह बहुत अच्छी बात है। यह बिल तो अब आया है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, वे बिना फुटबाल के ही खेल रहे थे। ऐसी-ऐसी बातें बोल रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आया उनके, और बात को कहां से कहां ले रहे थे। जैसे बाकी सब माननीय सदस्यों से कहा कि आप केवल बिल पर बोलो, और वे पता नहीं, कहां-कहां चले गये। इसमें बिल को छोड़कर बाकी सब कुछ बोला। बिल पर उन्होंने कोई विशेष बात नहीं कही। अब वे यहां हैं नहीं।

अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे शौचालय की बात है, यह बात बिलकुल सही है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यह बात कही थी और वर्तमान प्रधान मंत्रीजी ने भी यह बात रखी है और उन्होंने तो इसको इतने चरम तक पहुंचा दिया कि हिन्दुस्तान के सबसे बड़े धन्ना सेठ की पुत्रवधू के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी। आजकल यह गर्व का महसूस करते हैं सभी लोग। हाथ में झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाना, एक गौरव और गर्व महसूस करके यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि फोटो अख़बार में छपे। पहले तो यह होता था कि जो सफाई का काम करते थे, उनसे मिलने-जुलने में और हाथ मिलाने में भी दूरी रखना चाहते थे कि नहीं मिलायें और आजकल इसको गौरव और गर्व महसूस करते हैं। वे कहते थे कि 100 दिन की, 100 घंटे की बात करते हैं, तो, सभापति महोदय, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि...

**श्री सभापति**: क्या कह रहे हैं?

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): झाड़ू के साथ फोटो ले रहे हैं, वह तो झाड़ू की सरकार दिल्ली में बन गई, इसलिए भी सम्मानजनक लेते हैं।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): नहीं, नहीं, यह तो आपके दिमाग में इस प्रकार की बात घुसी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो आप केवल अपने घर का देख लो। डूंगर की देख रहे हो, अपने घर में देखो कि कांग्रेस में किस प्रकार की झाड़ू लग गयी, एकदम सफाया हो गया और यदि एक-दो मेम्बर यदि हट गये तो आपका नेता प्रतिपक्ष भी रहेगा कि नहीं?

इसलिए मैं इतर जाना नहीं चाहता, मैं विषय पर ही आना चाहता हूं। सभापित महोदय, मैं आपके सामने यह बात रखना चाहूंगा...

**श्री सभापति**: माननीय सदस्या, कृपया यहां नहीं बैठें।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आपको ध्यान में है ना, आपकी मुख्य मंत्रीजी को दिल्ली तलब कर लिया है? ध्यान है ना? कुछ भी हो सकता है।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): आप चिंता मत करो, आप तो अपने घर को संभालो। मैंने यही बात कही है। आपके युवा नेता कहां हैं, यह पता है कि नहीं? उनका कुछ भी पता नहीं है। दुनिया उनको खोज रही है। इन विषयों पर फिर अन्यथा बातें हो जायेंगी।

सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमने पहले से यह तय किया...

**श्री सभापति**: आप इनकी तरफ क्यों देख रहे हो? आप मेरी तरफ देखिये ना।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): इनके नेता की चिंता मैं नहीं कर रहा हूं, साहब, ये खुद ही कर रहे हैं।

सभापति महोदय, हमने पहले तय किया कि हर घर-परिवार में शौचालय का निर्माण होना चाहिये और मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 80 प्रतिशत गांवों में, 80 प्रतिशत घरों में

**(17.00 बजे)**

शौचालय का निर्माण हो चुका है और उपयोग में आ रहे हैं। यही नहीं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग आठ-नौ ऐसे गांव हैं शत-प्रतिशत जिनके घरों में शौचालय का निर्माण हो गया। ये छोटे-छोटे गांव हैं, खैरवा, बाकली, जिन्होंने इनाम भी लिया, हंड्रेड परसेंट शौचालय का निर्माण हो गया। यह एक बूसी, ऐसे कई गांव हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात मैं करता हूं। तो यह प्रेरणा मिली नरेन्द्र भाई मोदी की तरफ से।

हमारी वर्तमान सरकार की तरफ से कि हमको शुद्ध यदि स्वच्छता चाहिए तो इसके लिए हमको ये व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। कांग्रेस ने देखिए, ऐसी मजाक की थी उस गरीब के साथ में कि उसको कितना रुपया देते थे, 1,200 रुपया। अब आप कल्पना करें, सभापति महोदय, 1,200 रुपये में क्या होता है। 1,200 रुपये में कोई व्यक्ति अपने घर में शौचालय का निर्माण कर सकता है क्या? यह उस गरीब के साथ मजाक करते थे, उसकी मजाक उड़ाते थे। और फिर बाद में बढ़ाकर के कितना किया, 2,000 रुपया। अब 2,000 में

(श्री मदन राठौड़)

क्या बनेगा? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वर्तमान सरकार को जिन्होंने 12,000 रुपया प्रति परिवार को देने का निर्णय लिया। मैं सोचता हूं कि उसको एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है, बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है उस परिवार को कि वह अपने घर में शौचालय का निर्माण करे और यही कारण है कि आज इतने लोगों को ताकत मिली है, इतने लोगों ने निर्माण किया। बाकी वह खुद अपनी व्यवस्था से भी कर लेता है। कुछ प्रेरणा हमने इस प्रकार की भी देने का प्रयास किया कि वे खुद भी यह समझने लग गये कि हमें सहायता मिले या नहीं मिले लेकिन हमको शौचालय का निर्माण करना है।

सभापति महोदय, हम लोग बाहर निकलते थे, गांवों में रात हो जाती थी, तो मैं सड़कों पर देखता था कि ज्यों ही हमारी बहनें, क्योंकि वे जंगल में दूर नहीं जा सकती थीं, क्योंकि जंगल में जानवर का डर भी रहता है, कुत्तों, बिच्छू, सांप, उनका भी भय रहता है, तो वे सड़क पर बैठ जाती थीं। वे कार की लाइट देखकर के बीच में खड़ी होती थीं और जब हमारी कार निकल जाती थी तो वे वापस बैठती थीं। अब आप सोचिए, कभी इन लोगों के दिमाग में यह बात नहीं आई। क्यों? ये लोग रात को गाड़ी लेकर के जाते नहीं हैं क्या? कभी भी इन्होंने यह नहीं सोचा। यह हमने सोचा और हमने यहां पर सदन में भी रखा और इसके कारण से यहां से यह तय हुआ कि यह हमारी बहनों के साथ में इस प्रकार का मजाक करना, उनका अपमान करना, यह ठीक बात नहीं है। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने की।

सभापति महोदय, मैं यह बात भी मानता हूं कि पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए। यह आपने अभी बात बता दी, बहुत अच्छी बात है वह कि कई घरों में सूखे शौचालय भी बने हैं। यह बहुत अच्छी बात है। मैंने इसमें भी एक प्रस्ताव रखा है, मैं सोचता हूं कि वह बाद में लेंगे शायद आप। जो मैंने इसमें संशोधन दिये हैं, वे शायद आप हमारे ये सारे सभी माननीय सदस्य बोल देंगे, उसके बाद में लेंगे शायद उन संशोधनों के बारे में। तो मैंने उसी बात को ध्यान रखकर के एक इसमें संशोधन भी दिया था। तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन पर-कैपिटा पानी बढ़ाना पड़ेगा, यह व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी और इसके लिए वर्तमान सरकार भी कटिबद्ध है। और भी व्यवस्थाएं हमको करनी हैं।

सभापति महोदय, एक बात मैं आपके सामने रखूंगा कि शिक्षा की जो अनिवार्यता की है, यह बात बहुत अच्छी बात है। शिक्षित लोग आएंगे तो

(श्री मदन राठौड़)

निश्चित रूप से विकास की जो-जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर क्रियान्विति बढ़ेगी। पहले मठाधीश बैठे थे, अब इनको बहुत दर्द हो रहा है कि अचानक आप क्यों लेकर के आ गये? अब ये कह रहे थे कि हमको हटाने के लिए, हमको मैदान से साफ करने के लिए, आप अचानक यह ले आये। अब पता नहीं, इनके दिमाग में है कि इनके लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं। ये इतने वर्षों तक नहीं पढ़ पाये क्या? क्या आपके सारे ही लोग, आपके कार्यकर्ता अनपढ़ ही हैं क्या? ये क्यों ऐसी चिंता करने लगे? इन्होंने यह बात अभी जो यहां हाउस में रखी, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, डोटासरा जी ने यह बात कही कि साहब, आप तो कांग्रेस का सफ़ाया करने के लिए यह अचानक लेकर के आये हैं। इसका मतलब कि कांग्रेस के लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं; वे अनपढ़ ही रहकर के और मठाधीश बनकर के बैठे हुए थे।

**श्री सभापति**: डोटासरा जी, जिस क्षेत्र से आते हैं वहां सब पढ़े-लिखे हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे लोग हैं।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): पता नहीं, ये ही ज्यादा चिंता कर रहे थे। पता नहीं, इनके मन में क्यों भय आया।

देखिए, जैसे एक नाम इन्होंने लिया, मैं नाम ले सकता हूं; सभापति महोदय, मैं ऐसे-ऐसे नाम ले सकता हूं जो सदन में बैठे हैं, उनके क्षेत्र के उदाहरण मेरे सामने हैं और मैं चाहूंगा, वे यदि टोकना चाहें तो टोक सकते हैं, उनके यहां पर किस प्रकार की गलतियां हुई हैं, किस प्रकार के गलत लोग चुनकर के आये हैं, किस प्रकार के फर्जी सर्टिफिकेट्स लेकर के आये हैं, मेरे पास में पूरी जानकारी है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): जो चुनकर के आया है वह फर्जी कैसे हुआ? आपके पाली में तो फर्जी सर्टिफ़िकेट से चुनकर आया है; चूरू में जिला प्रमुख है वह फर्जी सर्टिफ़िकेट लेकर के आया है। उनकी बात कीजिए।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): आप माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वह तो जब यहां आपको बोलने का मौका आया, तब मैदान छोड़कर के चले गये थे आप। आप यहां पर टिक करके भी नहीं रहे। मैं यहां बता सकता हूं आपको, आपका अभी मुंह बंद हो जाएगा, आप बोल नहीं पाएंगे, लेकिन मैं उन विषयों को परदे में ही रहने देता हूं। आगे आपके नेता से पूछकर के फिर बोलिये।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): कराओ ना जांच। किसने मना किया? जांच कराओ और हटाओ सबको। जो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के आये हैं उनको सबको हटाया जाए।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): मैं इसलिए कह रहा हूं कि जरा अपने नेता जी से पूछकर के फिर बात करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन यह बात बिलकुल सही है, सभापति महोदय, इनकी जांच होनी चाहिए। मैंने इसमें एक और संशोधन भी दिया है, मैंने तो यह भी लिखा है कि क्या अपन यह तय कर सकते हैं कि राजस्थान की...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आप कृषि मंत्रीजी की तरफ इशारा करके, इनकी जांच होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए इनकी जांच? क्या गड़बड़ कर दी इन्होंने?

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): अब आप ऐसी फालतू की बातें तो मत करो। आप तो विराजो। आप केवल सुन लो ताकि आपके भी काम आएगा।

सभापति महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि जितने भी ऐसे फर्जीवाड़े हैं इनकी उचित माध्यम से, जो जिन-जिन की एफ आई आर दर्ज हैं, उनकी निष्पक्ष रूप से जांच होगी, यह बात पक्की है। ये पता नहीं, क्यों संदेह कर रहे हैं विपक्ष के लोग। वास्तव में निष्पक्ष रूप से जांच होगी और जांच होने के बाद में जो भी इसमें फर्जी पाया जाएगा, वह सज़ा पाये। हम यह भी चाहते हैं कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। केवल वह पदच्युत हो जाए, यह पर्याप्त नहीं है। पदच्युत हो जाना पर्याप्त नहीं है। यदि फर्जी तरीका अपनाया है तो जिसने फर्जी सर्टिफ़िकेट जारी किया है, वह भी सज़ा पाये और जिसने इसका लाभ लिया है, वह भी इसमें सज़ा पाना चाहिए। इसके लिए फौजदारी मुकदमा दायर होना चाहिए। यह मेरा ऐसा प्रस्ताव है। इसमें कोई चिंता की बात भी नहीं है; मैं सोचता हूं कि इसमें किसी को डरने की भी जरूरत नहीं है; जो स्थिति होगी, वह सबके सामने आ जाएगी।

मैं तो यह भी चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यह सम्भव है कि हम इसमें जैसे बोर्ड जो लिखते हैं, तो राजस्थान के ही और राजस्थान के ही समकक्ष बोर्ड, मान्यता प्राप्त जो हों, उन्हीं को हम और अलाउ करें? क्या यह सम्भव है? यदि सम्भव हो तो, क्योंकि बाहर से हमको जांच करने में बहुत तकलीफ होती है।

**श्री सभापति**: अब तो चुनाव हो चुके, माननीय सदस्य।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): वह नहीं, आगे के लिए काम आएगी।

**श्री सभापति**: हां, आगे के लिए ठीक है।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): वह तो हो गये, सो तो हो गये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय...

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): राठौड़ साहब, एक मिनट। आप कह रहे हों कि फौजदारी मुकदमा होना चाहिए...

**श्री सभापति**: डूडी साहब, इधर देखें।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, इन्होंने जो बात कही, ठीक है, जिसने गलती की है उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, लेकिन उसका क्या दोष था जो अपने बेटे की बहू के लिए सर्टिफिकेट लेकर के आया और उसको चुनाव लड़ाया? अब उस बेचारी बींदणी का क्या दोष था? उसके खिलाफ मुकदमा होगा, वह जेल जाएगी। तो उसमें जो है, माननीय हमारे प्रद्युम्न सिंह जी ने यह कहा था कि इसके बारे में सब, सदन का यह दायित्व बनता है। उसमें उस औरत का कहीं दोष नहीं है, चाहे वह पंचायत समिति डायरेक्टर बनी हो, चाहे सरपंच बनी हो।

**श्री सभापति**: माननीय नेता प्रतिपक्ष, कानून बींद-बींदणी का फर्क नहीं करता है।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): वह तो नहीं करता है लेकिन इसके बारे में सोचना चाहिए। अब आपने जो कहा, उसमें आपके यहां भी होंगे।

**(17.08 बजे)**

**(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)**

पूरे राजस्थान में, सभापति जी, इसके बारे में मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में कहीं न कहीं सोचकर के हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, वास्तव में यह ठीक है, जो भी सदन तय करे, लेकिन मेरी तो यह राय थी कि जैसे जिसने लाभ लिया है, जिसने उस फर्जी सर्टिफिकेट का फायदा उठाया है, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। यह केवल पदच्युत कर देना पर्याप्त नहीं है। यह बात मैंने रखी थी।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता था, जैसे कोई नामांकन आया, या जैसे मैं पार्टी का कोई जवाबदार कार्यकर्ता हूं, तो नामांकन कोई भी

(श्री मदन राठौड़)

प्रस्तुत करना चाहे, तो हम उससे सर्टिफिकेट्स मंगवाते हैं। अब सर्टिफिकेट्स में हम क्या देखते हैं, कि क्या जो उसने सर्टिफ़िकेट पेश किया है, वह कोई मान्यता प्राप्त बोर्ड का है कि नहीं। हम देख लेते हैं, लिस्टेड है वह और उसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड का है, तो हम उसको पार्टी से टिकट दिलवाने के लिए निवेदन कर देते हैं। फिर इसी प्रकार से जो निर्वाचन अधिकारी है, आर.ओ. है, आर.ओ. भी तो यही करेगा कि जो उसने पेश किये हैं डाबयूमेंट्स, वे डाक्यूमेंट्स आथोराइज्ड या मान्यता प्राप्त बोर्ड के हैं कि नहीं हैं। अब वे लिस्टेड है उसमें, वह भी उसको मान लेता है और उसका असेप्ट कर लेता है। असेप्ट करने के बाद में यदि जांच की जाए तो अब क्या होगा? असेप्ट करने के बाद तो, असप्ट हो गया, उसके बाद तो लिटिगेशंस बढ़ेंगे, इसके बाद तो कोर्टस में जाएंगे। वह आर ओ तो रहा नहीं; जो निर्वाचन अधिकारी था, वह अब तो निर्वाचन अधिकारी रहा नहीं, वह या तो एस डी ओ है या कलक्टर है। तो कलक्टर को यह अधिकार नहीं है; कि अब वह इस विषय पर कोई जांच कराये। ये जांच या तो सरकार करवा सकती है या फिर कोई फौजदारी मुकदमा, आर टी आई के जरिये जो उसने डाक्यूमेंट्स पेश किये हैं वे प्राप्त करके और आर टी आई के जरिये प्राप्त करने के बाद में कोई फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन जो राजस्थान के बाहर का बोर्ड है वह क्या सहयोग करेगा? आपको वह सहयोग करेगा नहीं, वहां से पूरी पर्याप्त जानकारी मिलेगी नहीं।

इसलिए मेरा यह सुझाव था कि इसमें केवल राजस्थान के बोर्ड या राजस्थान के ही सरकारी या उसके समकक्ष कोई बोर्ड हो, उनसे प्राप्त प्रमाण पत्र या वहां से जो उसने डिग्री प्राप्त की है, उसी व्यक्ति को यह चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यह जो बीत गई बात, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आगे के लिए विचार करने की बात है। यह सुझाव मैं देना चाहता था।

सभापति महोदय, 467 आई पी सी, 467, 468, 469 में भी ये मुक़दमे दर्ज किये जा सकते हैं; 406 में भी मुक़दमे दायर किये जा सकते हैं, और निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और इसका निस्तारण भी होना चाहिए।

सभापति महोदय, जैसे एक परिवार के साथ, यह जो परिभाषा दी गई है, यह इसमें दिया है कि 'स्वच्छ' शौचालय से तीन दीवारों, एक दरवाजे और

(श्री मदन राठौड़)

छत से घिरी हुई कोई जलबंध वाटरशील्ड शौचालय प्रणाली या व्यवस्था अभिप्रेत है।'' अब 'व्यवस्था' से क्या मतलब है? मतलब इसको थोड़ा-सा क्लीयर करने की कोशिश करें। यह बताना चाहिए कि 'व्यवस्था' का मतलब क्या है। सूखे शौचालय की व्यवस्था, सकिंग सिस्टम वाली व्यवस्था, या वह होता है न, जैसे अपन प्लेन में जाते हैं तो वहां वह सकिंग सिस्टम होता है उसके अन्दर, फ्लश करते ही वह सक होता है। तो यह थोड़ा-सा एक... (व्यवधान) हां, पानी की कमी है और जब पानी की कमी रहेगी तो फिर क्या करेंगे? इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। जो सम्पन्न, जो कोई माइनिंग के और बड़े-बड़े उद्यमी हैं...(व्यवधान) चलो, खैर, अब।

इसी प्रकार से, इसमें ऐसे शब्द प्रयोग किये गये हैं, सभापति महोदय, जैसे इसमें आप पढ़ेंगे, निरसन और व्यावृतियां, उसमें एक लास्ट जो पैरा (2) है इसमें उसमें एक कार्रवाइयां पता नहीं यह कार्यवाहियां है, कार्रवाइयां है। यह क्या है? यह थोड़ा-सा आप देख लें। मैं यह जो बोल रहा हूं, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015, उसके पेज नंबर 2 पर निरसन और व्यावृतियां दी हुई हैं, उसमें दो उपबंध जो हैं, उसमें उसकी जो दूसरी लाइन है, उसका अंतिम वाक्य जो लिखा हुआ है, 'कार्रवाइयां' यह मेरे थोड़ा समझ में नहीं आया है। या तो इसमें कोई अशुद्धि है तो इसको ठीक करवा लें और यदि नहीं, मेरे समझ में नहीं आया तो मुझे आप समझा देंगे तो शायद मैं इसको समझ भी लूंगा।

इस प्रकार से, सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो वार्डों का आरक्षण होता है। वार्डों का आरक्षण हो गया कि ये इस बार हो गया शिड्यूल्ड कास्ट का, तो वह अगली बार में शिड्यूल्ड कास्ट का नहीं होगा। तो जो जन प्रतिनिधि चुनकर के आया है वह पूरी जवाबदेही नहीं निभाता है क्योंकि वो सोचता है कि अगली बार मुझे तो यहां से मौका मिलने वाला नहीं है, अगली बार तो यह वार्ड बदल जाएगा, इसका आरक्षण बदल जाएगा। ठीक जो अभी जनरल वार्ड है और जनरल वार्ड से जो चुनकर आया है, यह वह सोचेगा कि अब मेरे को क्या करना है, मेरे को तो अगली बार यहां से मौका मिलने वाला नहीं है; यह महिला हो जाएगा, या कोई रिजर्व हो जाएगा, ओ बी सी का हो जाएगा, और किसी का हो जाएगा। तो मैं सोचता हूं कि इसमें थोड़ा-सा कोई संशोधन करने की जरूरत है। क्या हम ऐसा कर

(श्री मदन राठौड़)

सकते हैं, लगातार दो टेन्योर या तीन टेन्योर तक इसको बढ़ा सकते हैं क्या? यदि ऐसा कर सकें तो वह जवाबदारी निभायेगा, वह उस जनता के प्रति पूरी जवाबदेही निभायेगा। तब जाकर के वह सेवा करेगा। इसके बारे में थोड़ा-सा विचार करने की जरूरत है।

ये कुछ सुझाव मुझे देने थे, लेकिन ये बात बिलकुल सही है कि ये विधेयक जन हित में है। बहुत अच्छी बात है। दोनों ही विधेयक, शिक्षा को लेकर भी है तो निश्चित रूप से शिक्षित व्यक्ति यदि जन-प्रतिनिधि बनकर के, चुन कर के आयेगा, तो राजस्थान सरकार की भी कई योजनाएं हैं, हिन्दुस्तान सरकार की भी कई योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ हम जनता को पहुंचा सकते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। अपने क्षेत्र का किस प्रकार से विकास हम कर सकें, इसके लिए उन योजनाओं का लाभ वह ले सकेगा। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि शिक्षित व्यक्ति वहां आ रहा है, शिक्षित व्यक्ति चुन करके आ रहा है, तो निश्चित रूप से विकास के कई आयाम स्थापित होंगे।

अब जैसे बहुत हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य ने जो बात कही, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने, मैं उनकी बात को काटने की हिम्मत कर ही नहीं सकता, बहुत विद्वान हैं वे, मैं उनको गुरु मानता हूं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिल रहा है। जैसे आपने एक कहा कि मौलिक अधिकार उसका हम छीन रहे हैं, यह जो आपने शिक्षा का राइडर लगाया, इससे; देखिये, मौलिक अधिकार की आप बात करें तो जैसे 18 वर्ष के मतदाता को तो मताधिकार है, उसको वोट देने का अधिकार है, लेकिन 21 वर्ष से कम का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो क्या हम 18 वर्ष वाले का यह कहेंगे कि वह उसका मौलिक अधिकार है और हम छीन रहे हैं? तो कहीं राइडर तो लगाने पड़ेंगे। अपने यहां जैसे 25 वर्ष का है, जबकि हमको वोट 18 वर्ष वाला भी देता है। तो यह मौलिक अधिकार की बात नहीं है। कुछ ऐसी जरूरतें हैं जो समय-समय पर लगानी पड़ती हैं। तो यह एक विषय था।

दूसरा दल-बदल वाला। यह बहुत अच्छी बात है, सभापति महोदय, यह यदि लागू किया जा सके तो मैं सोचता हूं कि होर्स ट्रेडिंग वाला मामला नहीं होगा। इस पर भी कोई न कोई हम यदि सकारात्मक प्रयास कर सकें तो निश्चित रूप से करना चाहिए कि जो पार्टी सिम्बल देती है तो सिम्बल के

(श्री मदन राठौड)

आधार पर जो व्यक्ति जीत कर के आता है, वह उसी सिम्बल, उसी पार्टी का रहे। यदि वह दल-बदल करता है तो निश्चित रूप से वह अयोग्य माना जाना चाहिए और वह सीट रिक्त मानी जानी चाहिए। इस प्रकार का यदि प्रावधान हो सके तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है।

सभापति महोदय, एक बात जो लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि कांग्रेस के लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं उनको तो आप ताकत दे रहे हो कि इनकी जल्दी से जल्दी करो और बी जे पी के जो लोग हैं उनको आप डम्प करना चाहते हो, ठंडे बस्ते में डालना चाहते हो। मैं सोचता हूं कि आप भी सरकार में रहे हैं, अभी बी जे पी का राज है, यह कभी आपकी प्रैक्टिस होती होगी। मुझे नहीं मालूम, ये ऐसा करते होंगे, लेकिन अपनी प्रक्रिया में ऐसा सम्भव नहीं है। अपन जब फौजदारी मुकदमा कोई दायर करता है तो जांच पर यह प्रश्न चिह्न लगाना ठीक नहीं है। यह उन्होंने ऐसी बात कही, पता नहीं, क्यों यह बात कह दी? वे यह भी कह रहे थे, नरेन्द्र भाई मोदी और मनमोहन सिंह जी। देखिये, ये बातें यहां का विषय तो हैं नहीं, हम केवल अपने यहां तक की बात करें तो ही ठीक रहेगा।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो मैंने जन मत जानने के लिए प्रस्ताव रखा, मैं इसको वापस लेना चाहता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री हनुमान बेनीवाल।

(अनुपस्थित)

श्रीमती अलका सिंह।

**श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई): सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 व पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 की चर्चा में आपने शामिल होने का मौका दिया, इसके लिए आपकी आभारी हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान वह भाग्यशाली राज्य है जहां से पंचायती राज की शुरुआत 1952 में हुई थी और पंचायत राज को स्ट्रोंग करने के लिए हमारी अभी माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने बहुत सारे प्रोविजन्स किये हैं। जहां तक स्वच्छता का सवाल है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नारा था स्वच्छता का। उसके बाद हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी जी ने इसको आगे बढ़ाया। बाद में कांग्रेस ने उसका नाम चेंज करके

(श्रीमती अलका सिंह)

'निर्मल भारत' कर दिया। लेकिन वास्तव में इसकी शुरुआत माननीय अटल जी ने की थी। हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने इस स्वच्छता को व्यापक रूप से पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई है और उसके लिए बहुत बड़ा बजट हमारी जो देश की सरकार हैं, उसमें रखा गया है। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने भी स्वच्छता का बजट बहुत रखा है। इसका मेन कारण यह है कि हमारा यह मानना है कि अगर स्वच्छता रहेगी तो बीमारियां कम होंगी। आप देखिये, जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की इम्यूनिटी कम होती जा रही है। स्वच्छता एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है आजकल।

हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने हमारी सरकार में पंचायत चुनाव में कैंडिडेचर के लिए यह एक आवश्यक कर दिया था कि जो कैंडिडेट होना चाहता है, उसके यहां शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। यह बहुत अच्छी पहल है और इसी एक राइडर की वजह से गांव में जगह-जगह शौचालयों का निर्माण हो गया। मैं एक सुझाव इसमें देना चाहती हूं कि वह जो एक शुरूआत हम लोगों ने की है, उस शुरुआत को चालू रखा जाये, सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं रखा जाय। इसके लिए अवेकनिंग कैम्प लगाये जायें, लोगों को समझाया जाय कि क्यों यह आज के जमाने की महती आवश्यकता है। क्योंकि अभी आदत नहीं पड़ी है, एक बार लोगों को आदत पड़ जायेगी तो अपने आप यह व्यवस्था गांवों में होने लग जायेगी।

गांवों में अब जमीन भी छोटी पड़ने लग गई है। जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है।

एक चीज और कहना चाहूंगी कि गांव में अतिक्रमण काफी ज्यादा होते हैं। आज के पशुधन के लिए गोचर भूमि बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम लोगों ने एक और विधेयक रखा है ऊंट वध को रोकने का, उसमें यह है कि गांव में जमीन ही इतनी नहीं बची है कि वहां पर चरागाह रह सकें और जो हमारा पशुधन है उसके लिए व्यवस्था हो सके। मैं एक सुझाव देना चाहूंगी कि गांव की गोचर भूमि के अतिक्रमण के लिए अगर ग्राम पंचायत प्रस्ताव बनाकर भेजती है तो उस पर त्वरित कार्यवाही की जाय।

टायलेट का जहां तक सवाल है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगी, पानी की व्यवस्था, जैसे माननीय सदस्यों ने पहले भी उठाया है, पानी एक बहुत महती आवश्यकता है। जल और बिजली, दो बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं ग्रामीण जीवन के लिए भी। आजकल देखें तो गांव-गांव में जनता जल योजना

(श्रीमती अलका सिंह)

के अन्तर्गत जितने भी सिंगल पाइंट लगे हुए थे, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। सभापति महोदय, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पी एच ई डी ने ये सिंगल पाइंट बना दिये और इनको पंचायतों को हैंडओवर कर दिया। सरपंचों के पास इस मद में बिल भरने का कोई पैसा नहीं आता है और यही कारण है कि सरपंचों ने ज्यादातर के बिल नहीं भरे हैं। इस वजह से वे कनेक्शन काटे जा रहे हैं। सरकार का पैसा लग गया है इन्फ्रास्ट्रक्चर में और जो सिंगल पाइंट बनना है उसमें जो भी जरूरी चीजें होती हैं वे सब लग चुकी हैं, लेकिन बिलों का पुनर्भरण नहीं होने के कारण इनके कनेक्शन कट हो रहे हैं और इसका सीधा-सीधा नुकसान आम जनता को हो रहा है। मैं सुझाव देना चाहूंगी कि इसके पुनर्भरण की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा की जाय।

एक और कहना चाहूंगी, हमारी ग्राम पंचायतों की जो मीटिंग होती है, या पंचायत समितियों की मीटिंग होती है, उसमें तहसील स्तर के अधिकारी बहुत लाइटली लेते हैं। तो एक यह व्यवस्था जरूर की जाय कि उसमें तहसील स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित हों ताकि जो जनता से जुडी हुई समस्याएं हैं उनका समाधान त्वरित रूप से हो सके।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगी कि यह गांव की सरकार है और लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार यह ग्रामीण भारत ही है। हमारी सरकार ने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया है इसमें शिक्षा की अनिवार्यता करके। क्योंकि अगर शिक्षित व्यक्ति होगा तो वह योजनाओं को ज्यादा अच्छी तरह से समझेगा, योजनाओं का फायदा जनता को पहुंचा पायेगा और योजनाओं को गति दे सकेगा। बड़े दु:ख का विषय है कि कांग्रेस 65 साल के शासन में भी ग्रामीण जनता को शिक्षित नहीं कर पाई है। पहले क्या होता था, रिजर्व सीट होती थी, तो कोई न कोई बाहुबली कब्जा कर लेता था। महिलाएं होती थीं, एजुकेशन नहीं होती थी। बहू, या जो भी महिला होती थी, वह परदा लगाकर पंचायतों में या पंचायत समिति की मीटिंग में आ जाती थी और परिवार के जो सदस्य होते थे, वे ही सारे निर्णय करते थे। लेकिन अब शिक्षा का राइडर लगने से वे स्वयं उन मीटिंग में जा सकती हैं और अपने स्तर पर निर्णय ले सकती हैं। अभी एक और सर्कुलर पंचायती राज डिपार्टमेंट का आया है कि परिवार के सदस्य अगर मीटिंगों में जायेंगे, या उन मेम्बर्स के साथ बैठेंगे, तो मेम्बर को डिस्क्वालिफाई कर दिया जायेगा। यह एक बहुत अच्छी पहल है।

(श्रीमती अलका सिंह)

एक सुझाव और देना चाहूंगी, पढ़ाई के या एजुकेशन के राइडर के बाद काफी केसेज फर्जी डिग्री के दर्ज हुए हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक सुझाव सरकार को देना चाहूंगी कि जैसे टीचर्स के सलेक्शन करते हैं, उसमें हम लोगों ने डिग्रीज की एक लिस्ट बना रखी है, उसी तरह की एक लिस्ट अवेलेबल करा दी जाये कि यही मान्य डिग्रियां हैं, इनके अलावा अगर कोई डिग्री होगी तो वह मान्य नहीं होगी।

इसके अलावा फर्जी डिग्री का एक रीजन और है। जब आर ओ के पास इन सरपंचों ने या पंचायत समिति सदस्यों ने नोमिनेशन फाइल किया था तो उनकी जो अटेस्टेड कापीज थीं, वे भी मान्य मान ली गई थीं। अगर उस वक्त इनके ओरिजिनल देख लिये होते तो शायद इतने ज्यादा केसेज फर्जी डिग्री के नहीं आते।

यही मैं आपको सुझाव देना चाहती हूं और जन मत जानने के लिए जो मैंने प्रस्ताव दिया है, उसको विथड्रा करने की परमिशन आपसे चाहती हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापतिः** श्री सुरेश सिंह रावत।

**श्री सुरेश सिंह रावत** (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक-4 और द्वितीय संशोधन (संख्या-5) पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं सुबह से यहां बैठा-बैठा पंचायती राज अधिनियम पर बहस सुन रहा था; हमारे प्रतिपक्ष के नेता बिल का विरोध कर रहे थे, कमियां बता रहे थे और मेरे सत्ता पक्ष के साथी इसमें कुछ कमियों का सुझाव दे रहे थे और बाद में जन मत जानने के लिए दिया हुआ प्रस्ताव वापस ले रहे थे। मैं भी यही करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपके अलावा सदन में हमारे बहुत सारे वरिष्ठ सदस्य हैं जो कई वर्षों से इस सदन की कार्यवाही को देख रहे हैं और हम हर बार कोई बिल आता है, उसकी कुछ कमियां बताते हैं, कुछ सुझाव देते हैं।

पंचायती राज की स्थापना, आप और हम सभी जानते हैं, पूरे देश में इसकी शुरुआत राजस्थान से ही हुई और हमारे सभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि गांव का सरपंच वहां का एक तरह का प्रधान मंत्री होता है। इतने सालों में भी पंचायती राज की जो समस्या है, चाहे उनकी बी एस आर रेटों में

(श्री सुरेश सिंह रावत)

डिफरेंस हो, आज पी डब्ल्यू डी की रेट देख लीजिए, ग्राम पंचायत की देख लीजिए, रात-दिन का फर्क है। आप और हम सभी जानते हैं कि सरपंच अगर भ्रष्टाचार करता है तो भ्रष्टाचार करने के लिए हमारे ये आधे-अधूरे बने हुए नियम-कायदे करते हैं। एक-एक ग्राम सेवक के पास तीन-तीन, चार-चार ग्राम पंचायतों का भार है। ऐसी बहुत सारी इसमें खामियां हैं। भले ही पूरे राजस्थान प्रदेश में एक पंचायत समिति को लेकर उसकी ए से लेकर जेड तक जो भी समस्या है, क्या प्रयोग करके नहीं देख सकते? आज हमारे देश को आजाद हुए इतने साल हो गये, क्या एक गांव भी सभी सुविधाओं से युक्त है? क्या एक गांव भी, उदाहरण के लिए, हम ऐसा नहीं बता सकते जिसमें कोई समस्या नहीं है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि हमें ऐसा प्रयोग करना चाहिये। साथ ही, हमारी जो मानसिकता है उसमें हमें परिवर्तन लाना होगा। आज सफाई, शौचालय का बिल है, अगर हमें हमारे गांवों को साफ-सुथरा रखना है तो एक जन क्रांति लानी होगी और हमारी जनमानस की सोच में परिवर्तन करना होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे देश का बजट प्रति वर्ष कई वर्षों तक 28 फरवरी को शाम को 5 बजे रखा जाता था, बजट तो 11 बजे भी रख सकते थे लेकिन 5 बजे ही रखते थे क्योंकि 5 बजे ब्रिटेन में 12 बजते थे, तब हमारे यहां 5 बजते थे। हम 5 बजे ऐसे रखते थे कि हमें ब्रिटेन की पार्लियामेंट को रिपोर्ट करनी हो। हम भूल गये कि हम आजाद हो गये। यह हमारी जो गुलामी वाली मानसिकता है, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सामने जो माननीय सदस्य बैठे हैं, इन्होंने गुलामी की मानसिकता से ही देश के नियम-कानून बनाये। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जब वे पहली बार प्रधान मंत्री बने तो हमारे देश का बिल तब से संसद में 11 बजे ही रखा गया।

माननीय सभापति महोदय, हमारी यह जो मानसिकता है, आज हमारे जो जन-प्रतिनिधि हैं वे यह सब सोचते हैं कि हम सीखेंगे। पुरानी सांस्कृतिक धरोधर है। आज हम शौचालय की बात करते है, शौचालय कोई नई चीज नहीं है। यह कोई 100-200 वर्षों में आई हुई पद्धति नहीं है। 4 हजार वर्ष पूर्व में अगर हम जाएं तो मोहन जोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति थी, उसके अवशेष हमें आज भी मिलते हैं। उन अवशेषों के अन्दर हमें यह देखने को मिलता है कि विशाल स्नानघर, शौचालय की व्यवस्था उस समय भी थी। उस समय

(श्री सुरेश सिंह रावत)

शौचालय बनाये जाते थे, साथ में नालियां भी बनती थीं। घर बनने से पहले नालियों का निर्माण होता था। रोड का झुकाव भी नालियों की तरफ ही होता था। माननीय सभापति महोदय, अगर इसका किसी को प्रमाण देखना है तो हमारे कालीबंगा में इसके प्रमाण मिल जाएंगे। पाकिस्तान से लेकर गुजरात तक हमें अवशेष मिले, उसके अन्दर यह आश्चर्य की बात है कि चार हजार वर्ष पूर्व भी जिन ईंटों से शौचालय का निर्माण होता था, उसकी लम्बाई-चौड़ाई और उसका आकार एक था।

माननीय सभापति महोदय, हमारा जनमानस है उनकी सोच में परिवर्तन लाना होगा। हमें हमारे यहां की जो भौतिक समस्या है, हमारे अनुरूप ही करना होगा। आज हम बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसके अन्दर कांच की बड़ी सारी खिड़की लगाते हैं। पहले यह कांच की खिड़की यूरोप में लगती थी, अब भी लगती है, क्योंकि यूरोप के अन्दर ठण्ड अधिक पड़ती है। तो कांच की खिड़की इसलिए लगाते थे कि धूप आएगी तो घर में थोड़ी गर्मी आ जाए। आज हमारा जो गर्म प्रदेश है उसके अन्दर भी बड़ी सारी कांच की खिड़की लगाते हैं, फिर तीन, चार, पांच परदे टांग देंगे। फिर भी ठण्डा नहीं होता है तो उसमें ए सी लगा देंगे। पुराने घर देखने को मिलते हैं, उनके अन्दर लकड़ी की खिड़कियां होती थीं। उनके अन्दर अगर आज भी गर्मी में जाओगे तो ठण्डा वातावरण होगा। कुल मिलाकर, हमारे यहां का जो भौगोलिक वातावरण है उसके अनुसार ही हमें हमारी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा।

जहां तक शिक्षा की बात है, तो शिक्षा कोई नई व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी बातें हमारे सम्माननीय सदस्यों ने कहीं, वे मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने शौचालय का जो प्रावधान किया, निश्चित रूप से मेरे से पूर्व भी माननीय सदस्यों ने कहा कि पूरे राजस्थान प्रदेश के अन्दर लगभग दस लाख शौचालय एक साथ बन गये। एक बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रधान मंत्रीजी खुद इसके उदाहरण बने। उन्होंने खुद ने साफ-सफाई के लिए झाड़ू पकड़ी। उन्होंने हमारे जनमानस की सोच को परिवर्तित करने का प्रयास किया कि सफाई

(श्री सुरेश सिंह रावत)

करना, झाड़ू पकड़ना कोई छोटी बात नहीं है। हमें ऐसी ही छोटी-छोटी चीजों को लेकर जो हमारा जन मानस है उसको तैयार करना होगा।

हमारा प्रदेश है इसके अन्दर लगभग 1 लाख 7 हजार 777 वार्ड पंचों के पद हैं; 17,125 सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य हैं। माननीय सभापति महोदय, जो पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य हैं उनकी ग्राम पंचायत में कैसे भागीदारी बने, उसकी भी सुनिश्चिता हो, ताकि पंचायती राज की संस्था है उसमें सुधार के लिए ये भी अपना सहयोग दे सकें।

साथ ही, शिक्षा का जो नियम लागू हुआ, उसके बाद वर्ष 2000 में 8वीं पास से अधिक योग्यता रखने वाले जिला परिषद सदस्यों की संख्या 33 प्रतिशत थी, पंचायत समितियों की 18 प्रतिशत थी, जिला परिषद की 22 प्रतिशत थी, लेकिन आज अगर हम आंकड़े उठाते हैं तो यह तीन गुणा, चार गुणा तक पहुंच गई।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही विधेयक संख्या 4 और 5 जो मैंने जन मत के लिए पेश किया, उसको वापस लेता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्री हरिसिंह रावत।

**श्री हरिसिंह रावत** (भीम): सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 और राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 पर आज जन मत जानने के माध्यम से मुझे जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पंचायती राज का श्री-गणेश हुआ, वह राजस्थान में 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर के अन्दर हुआ। श्री-गणेश करने वाले स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने नींव रखी थी, सन् 1959 में रखी गयी थी, यह कांग्रेस द्वारा रखी गयी थी। उनकी सोच, उनका सपना था कि हमारा भारतवर्ष जो गांव में बसता है, गांव में बसने वाला व्यक्ति कैसे स्वावलंबी बने, अपना समाज कैसे विकसित हो, उसकी संरचना बनी थी। अफसोस है कि 65 साल में से कम से कम 55-60 साल तक इस कांग्रेस सरकार ने राज किया, लेकिन कभी स्वच्छता या शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने केवल अपना वोट बैंक समझकर, कि कैसे लोग अनपढ़ रहे, कैसे मैले-कुचैले रहें, ताकि वे हम लोगों के हमेशा अधीन रहें।

(श्री हरिसिंह रावत)

जब हमारे नरेन्द्र भाई मोदी प्रधान मंत्री बने तो उनके दिल में ललक थी कि मेरा राष्ट्र स्वच्छ हो, सभी शिक्षित हों। उसी के अनुरूप हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने यह निर्णय लिया और संशोधन बिल लेकर आयीं। आज यह जानकर बड़ी खुशी है कि स्वच्छता के अन्दर हम बात करें तो हमने एक श्रीगणेश किया है। उसी श्रीगणेश के आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि पहले हम अपना घर देखें, हमारे घर की सफाई करें; हमारे घर को देखें, फिर गांव की, फिर देश की, फिर राष्ट्र की बात करें। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि विधान सभा में बैठने वाले हम सभी माननीय सदस्य यह प्रण करें कि श्रीगणेश तो हमारे प्रधान मंत्रीजी ने, मुख्य मंत्रीजी ने कर दिया लेकिन क्रियान्विति करने का काम हम करें। तभी हमारा सोच और सपना, जो हमने देखा है, वह साकार हो सकेगा।

इसी के अनुरूप मैं चाहता हूं कि स्वच्छता के लिए हम पहले खुद सक्षम हों, हम खुद एक निर्णायक भूमिका निभाएं। इसी के अन्तर्गत मैं चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों में एक मास्टर प्लान बनाया जाए; मास्टर प्लान के माध्यम से हर घर में शौचालय हो; शौचालय के साथ-साथ नाली का निर्माण भी हो। इसके लिए मैं समझता हूं कि नरेगा सबसे उपयुक्त साधन हो सकता है। नरेगा में पहले पूर्ववर्ती सरकार मिट्टी खोदने का काम करती थी मैं समझता हूं कि नरेगा के अन्तर्गत इसको जोड़ा जाए तो जो गरीब एस टी, एस सी के लोग हैं उनको आर्थिक सहायता मिलेगी और हमारा यह सपना साकार हो सकेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वच्छता पर कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शौचालय के साथ-साथ प्रत्येक नगर में सामूहिक रूप से भी शौचालय बने। आज किसी बड़े नगर में हम जाते हैं तो हम लोग कई जगह बोल देते हैं कि पेशाब कर रहा है यह आदमी, तो कितनी बड़ी शर्म की बात होती है। हम केवल बात करते हैं लेकिन बात को हम क्रियान्वित नहीं करते। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि नगर के अन्दर हर आधा किलोमीटर या एक फर्लांग के अन्दर लेट्रिन-लेडीज बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यक्ति तो कहीं भी जाकर शौचालय कर सकता है, लेकिन महिला बेचारी कहां जाएगी? मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हर नगर में यह व्यवस्था हो। अगर जयपुर की बात करूं, तो जयपुर में भी हर जगह यह व्यवस्था नहीं है। आधा-आधा किलोमीटर आप घूमोगे-फिरोगे तो भी आपको

(श्री हरिसिंह रावत)

शौचालय की व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि क्रियान्वित करने के लिए नगरपालिका, ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था की जाए ताकि यह व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके।

विशेषकर हमें चिंतन की भी जरूरत है। हम अगर विदेश जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि कितनी साफ-सफाई होती है। अगर कोई सिगरेट भी पीते हैं तो सार्वजनिक रूप से नहीं पी सकते। आप कोई ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं तो डस्टबिन में ही जाकर डालेंगे। ऐसा नहीं कि आप रास्ते चलते फेंक देंगे। लेकिन हमारी प्रवृति वही है। हम विदेश में होते हैं तो वैसे रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे देश में आते हैं, हम उसी लिंक पर चले जाते हैं; चलते हुए सिगरेट पी रहे हैं, जाते हुए टिन, जो भी कोई ड्रिंक कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पहले हम लोग सजग हों। जो आचरण हम, मान लो, विदेशों में जाकर करते हैं, वह आचरण अगर हम यहां निभाएंगे तो मैं समझता हूं कि जो सपने हमने देखे हैं, वे हमारे सपने साकार हो सकते हैं।

सभापति महोदय, स्वच्छता को लागू करने से पहले, मैं चाहता हूं कि नरेगा के अन्तर्गत और वैसे सरकार ने जो 12 हजार रुपये फिक्स किये हैं, एस.सी., एस.टी. के लिए, बी.पी.एल. के लिए, मैं समझता हूं कि वह पर्याप्त नहीं है। माननीय सदस्य मदनजी बता रहे थे कि हम सोकिंग सिस्टम वाली लैट्रिन कराएं। वह सक्षम नहीं हो सकता। कम से कम, इसके लिए 12 हजार की जगह अगर 25 हजार रुपये मानदेय रखा जाये तो मैं समझता हूं कि हर घर में एक अच्छा स्वच्छ शौचालय बन सकता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसमें भी कुछ पैसा बढ़ायें तो अच्छी बात होगी।

साथ-साथ ही मैं शिक्षा की बात पर आना चाहूंगा। शिक्षा की दृष्टि से भी जो हमारी सरकार ने कदम उठाया है, बहुत ही एक अहम् कदम है। हम सब इसकी प्रशंसा करते हैं। हम ही नहीं, बल्कि पूरा राजस्थान इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहा है कि प्रथम बार, जो कांग्रेस की नीति थी कि अनपढ़ों को रखो साथ, ताकि अनपढ़ हमारे बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहें, लेकिन हमारी सोच वह नहीं है। हमारी सोच यह थी कि हम पढ़े-लिखे लोगों को आगे लाएंगे तो शायद अच्छी उनकी सोच होगी जिससे हमारा विकास अच्छा होगा। इसी के अनुरूप आज हमारे जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच, सभी पढ़े-लिखे आने से, मैं समझता हूं, कि आने वाले समय में हमें

(श्री हरिसिंह रावत)

इसका काफी लाभ मिलेगा। लेकिन साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, हम चुनते हैं लेकिन एक तो उनका मानदेय कम होता है, एक तो उनका मानदेय बढ़ाया जाये। दूसरा, उसको एम.पी., एम.एल.ए. लैंड की तरह कुछ राशि दी जाये। ताकि वे भी अपने क्षेत्र में जायें तो उनकी पूछ होगी। आज इनकी हालत यह होती है, कोई जिला प्रमुख बना, जिला परिषद सदस्य फ्री हो जाते हैं; प्रधान बना, उस पंचायत समिति के सदस्य फ्री हो जाते हैं; उनको कोई पूछता नहीं है। आने वाले समय में बड़ी दिक्कत होती है। जब हम चाहते हैं, तो जिला परिषद सदस्य ढूंढो, पंचायत समिति सदस्यों को ढूंढने में काफी तकलीफ होती है। क्योंकि उनका कोई सम्मान नहीं होता, कोई सत्कार नहीं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इनको भी अधिकार दिये जाएं। अधिकार देने से वे भी कुछ मजबूत होंगे। वे समाज में जाएंगे तो उनकी कुछ प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो मैं समझता हूं कि इसमें मानदेय बढ़ाया जाये। इससे इन लोगों को फायदा मिलेगा।

दूसरा, हमारे लूणी से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि चुनाव में एक निश्चय करना चाहिये कि हर व्यक्ति वोट डाले। हर व्यक्ति वोट डालेगा तो मैं समझता हूं कि वास्तव में हमारी निर्णायक भूमिका होगी, कि कौन अच्छा है; समाज में किसको आगे लाना है; किसको नहीं लाना है। मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि वोटिंग को नेसेसरी कर दिया जाए। गुजरात में यह ट्रेण्ड चल रहा है लेकिन अगर ट्रेण्ड राजस्थान ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में यह हो जाए तो हमारे लिए यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय होगा।

साथ-साथ ही, नरेगा के अन्तर्गत, किसानों को हमेशा एक समस्या का सामना करना पड़ता है; सभापति महोदय, नरेगा के अन्तर्गत, मैं चाहता हूं, किसानों की जो खेती होती है वह खेती रोजड़ों की वजह से पूरी खतम हो जाती है; रोजड़ों से निजात पाने के लिए, नरेगा के अन्तर्गत भी, अगर बाड़बंदी की सब्सिडी, या तो पूर्ण रूप से दिया जाये, या सब्सिडी देकर बाड़बंदी की योजना भी इसमें जोड़ी जाये, तो किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा निर्णय होगा।

साथ ही दूसरा, अभी आने वाले माह में कुछ समस्या हो रही है; मैं

(श्री हरिसिंह रावत)

समझता हूं कि मेरे जिले की बात नहीं, सभी पूरे राजस्थान की बात होगी कि रोजड़ों को भगाने के लिए, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए हर ग्रामीण के पास में टोपीदार बंदूक, बारूद वाली बंदूक होती है, उन बंदूकों के लाइसेंस अभी एस.डी.एम. और कलक्टर्स के पास विचाराधीन हैं, वे रिन्यू नहीं हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको रिन्यू कराया जाए ताकि रोजड़ों से निजात पाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, जो खेतों में जाते हैं किसान लोग, उसमें इसकी समस्या आ रही है। तो इसको भी इसमें जोड़ा है। इसमें विशेष ध्यान दिया जाये।

सभापति महोदय, साथ-साथ ही एक स्वच्छता की बात करूं। स्वच्छता के अन्तर्गत हमारे गांवों में या नगर के अन्दर गायों का प्रकोप होता है। लोग क्या करते हैं कि घर में गाय दूध देती है, तब तक वे घर में रखते हैं। जब वह दूध देना बंद करती है, रोड पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे गंदगी भी होती है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उस गंदगी से निजात पाने के लिए हर नगर में एक काजीयोद या एक गौशाला की व्यवस्था की जाये ताकि वे सुरक्षित हो सकें। उसकी वजह से, कितना पोल्यूशन होता है, वह कोई प्लास्टिक खा लेती है, जिसकी वजह से असमय मौत के कगार पर चली जाती हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि नरेगा के अन्तर्गत हर पंचायत हैडक्वार्टर पर एक काजीयोद या ऐसी गौशाला की व्यवस्था करें ताकि उन लोगों को अपनी गाय का भी संग हो सकेगा और गंदगी से भी हमको निजात मिल सकेगी।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, मेरे यहां एक...

**(17.45 बजे)**

**(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री अध्यक्ष:** अध्यक्ष महोदय।

**श्री हरिसिंह रावत** (भीम): हां, अध्यक्ष महोदय, स्वागत है आपका।

अध्यक्ष महोदय, मेरे देवगढ़ में जैन गौशाला भूमि आबंटन का एक प्रकरण चल रहा है। उसके लिए गौशाला ताल, तहसील देवगढ़ के द्वारा गौशाला हेतु तहसील देवगढ़ में ग्राम सियोला स्थित आराजी नम्बर 70/1, रकबा 12.4 बीघा, बिलानाम भूमि में से 10.12 बीघा भूमि के आबंटन हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त आबंटित भूमि के सम्बन्ध में उप खण्ड अधिकारी, देवगढ़ के

(श्री हरिसिंह रावत)

जरिये, क्रमांक प.6 राज/2013/772 दिनांक 4.6.2013 में यह तथ्य अंकित किया गया कि इस भूमि पर श्री नैनालाल पिता रामा बलाई, निवासी ताल की खातेदारी जमीन थी जिसे खातेदार ने वर्ष 1999 में राज्य सरकार के समक्ष समर्पण कर दी थी, जिस पर उक्त भूमि जरिये नामान्तरण संख्या 18015 दिनांक 5.10.1999 को बिलानाम सरकार दर्ज हो गई। वर्तमान में वह बिलानाम दर्ज रिकार्ड है। उसी भूमि को जय जैन गौशाला में आबंटन करना चाहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण को पुनः, मेरा अनुरोध है कि कृपया सरकारी स्तर पर परीक्षण करवाकर इस जमीन को गौशाला के नाम पर दर्ज करावें।

साथ-साथ ही, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर कोई सरपंच गोचर भूमि पर अतिक्रमण का आपको निवेदन करता है, सरकार उसको तत्काल खाली कराने की व्यवस्था करावे।

साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम में पिछड़ी और बिखरी आबादी है। ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए मैं चाहता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में मास्टर प्लान बनायें ताकि उसके आधार पर अच्छा विकास हो सकेगा, अच्छा काम हो सकेगा।

मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री अध्यक्ष**: श्री संदीप शर्मा।

**एक माननीय सदस्य**: बोल चुके।

**श्री अध्यक्ष**: बोल चुके?

श्री सुखराम विश्नोई।

**श्री नन्दलाल मीणा** (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): बोल चुके।

**श्री अध्यक्ष**: बोल चुके, तो फिर क्या है? विराजो आप।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): नहीं, साहब, पहला ही नम्बर लगा है। कहां बोल चुके? दृष्टि भ्रम हुआ होगा उनको।

**श्री अध्यक्ष**: अच्छा, किसी का भ्रम हुआ था। तो जल्दी अपना, सूत्रों में सब बातें होती हैं।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): आपकी विशेष अनुकम्पा है, इसलिए आपका इंतजार कर रहा था मैं।

**श्री अध्यक्ष**: अच्छा, यह ठीक है, पर सब चीजें आ चुकी हैं। मैं सुन रहा था। संक्षेप में, जो नहीं आई हों, वह बोल लीजिये।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): हां, ठीक है।

माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक; माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पहले राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक लाया गया। इसमें कोई प्रथम नहीं लिखा हुआ है। यह जब लाया गया, तब सरकार की भावना ठीक थी, स्वच्छता के लिए लाया गया, परन्तु चंद दिनों के बाद में राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक लाया गया। द्वितीय संशोधन इस बात को लेकर लाया गया कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, आठवीं पास सरपंच और दसवीं पास पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि गांवों में पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य का बाकायदा पार्टियां टिकट देती हैं परन्तु गांव का जो सरपंच होता है, वह सरपंच पंचायत चुनाव के महीने-दो महीने भर पहले ही, गांव के लोग मीटिंग करके तय कर लेते हैं कि अपना यह सरपंच होना चाहिए। सरपंच, जैसा कि हाई कोर्ट में रिट लगी, तो माननीय जजों ने अपनी राय प्रकट की कि सरपंच का मतलब होता है सयाना; गांव में सबसे ज्यादा समझदार, बुद्धिमान और गांव को साथ में लेकर चलने वाला गांव का सरपंच होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो द्वितीय संशोधन विधेयक लाया गया, इस संशोधन विधेयक लाने की भावना सही नहीं थी क्योंकि पंचायत चुनाव में, 1994 में पंचायत एक्ट बना और उसमें भी संशोधन संतान को लेकर लाया गया। उसमें एक प्रोविजन किया गया था कि 1997 के बाद के अन्दर, 1995, 27 नवम्बर, नवम्बर के बाद में बाकायदा एक साल की छूट दी गयी कि इस तारीख तक दूसरी, तीसरी, चौथी संतान होती है तो कानून सम्मत है। परन्तु यह जो कानून लाया गया, इस कानून के अन्दर अधिसूचना जारी होने के पहले छुट्टियों को देखा गया, कोर्ट खुला नहीं हो, छुट्टियों का पूरा आकलन करके इस अधिसूचना को जारी किया गया ताकि लोग कोर्ट में नहीं जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब गांव के लोगों ने सरपंच तय कर दिया तो सरपंच गांव का इज्जतदार आदमी था और गांव की

(श्री सुखराम विश्नोई)

पूरी पंचायत के लोगों को विश्वास था, कम से कम इस परिवार के घर में, उस परिवार की बींदणी या लड़का पढ़ा-लिखा होना चाहिए। शुरू से अपने आगे बांध रहा है। जब उस परिवार में पढ़ा-लिखा लड़का या लड़की नहीं थे, तब जाकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह एक लज्जावश, एक गांव में 'ना' कैसे करें, मना कैसे करें कि मेरे परिवार में कोई पढ़ा-लिखा नहीं है, तब जाकर उन्होंने मतलब फर्जी टी.सी. हासिल की। राजस्थान के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय...

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): क्या बात है! क्या बात है!

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): अब गलत बात हो तो आप कह दो। गलत है तो आप कह दो इसमें। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: वह कह चुके अपनी बात, आप तो अपनी बात कहो।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): नहीं, साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो...(व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): यह कह रहे हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट लाए। (व्यवधान)

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): आपका तो प्रमुख ले आया। काहे की बात कर रहे हो? पाली का तो जिला प्रमुख ले आया। मैं तो सब तरह की बात कर रहा हूं। पाली का तो जिला प्रमुख ले आया। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): फिर यह दूसरी बात बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी गलत बात है यह। (व्यवधान)

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): नहीं, नहीं, बात कर रहे हो; पाली का प्रमुख ले आया। मैं तो एक सामान्य सरपंच की बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): बिना जानकारी के नहीं कहना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): आपको तो शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: व्यवधान मत डालिए।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): एक प्रमुख होकर आप ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: व्यवधान मत डालिए, मदनजी।

**श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)**: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्या बोल रहे हैं?

**श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर)**: आपको शर्म आनी चाहिए इस बात की। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: यह बोल रहे हैं (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)**: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात बोल रहे हैं?

**श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर)**: जिला प्रमुख, जिसकी आप पैरोकारी कर रहे हों, उनकी फर्जी डिग्री...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठिए।

**श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)**: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं- 'आपको शर्म आनी चाहिए', यह शर्म इनको आनी चाहिए कि मुझे आनी चाहिए? गलत बात आप बोल रहे हों और मेरे को बोल रहे हों कि शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान)

**श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर)**: वहां टेलीफोन किया, वह संस्था ही फर्जी थी।

**श्री अध्यक्ष**: बैठिए। माननीय मदनजी राठौड़, आप बैठिए।

**श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर)**: आपको आनी चाहिए शर्म तो जिसको आपने सीट दिलाई बी.जे.पी. की। आपने बी.जे.पी. की सीट दिलाई है, उस जिला प्रमुख को आपने टिकट दिलाई है बी.जे.पी. की। आपको शर्म आनी चाहिए।

**श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)**: हमको क्यों शर्म आनी चाहिए? इतनी शर्मनाक बात ये कर रहे हैं और यह मुझे कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए।

**श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर)**: मैं तो सरपंच की बात कर रहा हूं।

**श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)**: यह आप कैसी बातें कर रहे हों? किसके लिए बोल रहे हों, कुछ पता है आपको? कोई हो जानकारी तो लाकर देओ न। (व्यवधान)

**श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर)**: आपकी पैरोकारी, आपके कहने से... (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): बिना आधार के बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): आपके कहने से टिकट दी है। आपके कहने से टिकट दी है उस पाली सरपंच को। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): बिना आधार के बात मत करो आप। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप संक्षेप में करें। आप संक्षेप में बोलिए।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ...(व्यवधान) मुझे तो मौका ही अभी मिला है, साहब। जैसे ही मेरा नम्बर आया, जैसे ही आप आ गये।

**श्री अध्यक्ष**: अच्छा, तो दो मिनट बोल दो।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): मेरा आपसे निवेदन है कि जहां तक पढ़े-लिखे और अनपढ़ का मामला है, आप यह सरपंचों के बारे में, या कहीं भी फौजदारी आंकड़े उठाकर देख लें कि जो भी चीटिंग के मामले में हैं, फोर्जरी के मामले में हैं, वह पढ़े-लिखों ने ज्यादा की है बनिस्बत अनपढ़ों के। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जो कानून लाया गया है, इस कानून से प्रत्येक पंचायत समिति में नौ-दस तो सरपंचों की शिकायतें हुई हैं, फर्जी टी.सी. की; डेली पंचायत समिति सदस्यों की हुई हैं, जिला परिषद की हुई हैं, प्रधान की हुई हैं और जिला प्रमुख की शिकायतें हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, क्योंकि इसी सरकार ने इस कानून को आनन-फानन में पास करवाया है, यह आनन-फानन की बात हम इनके मुंह से पिछले सवा साल से सुन रहे हैं कि आनन-फानन में जाते-जाते यह कानून पास कर दिया, जाते-जाते इन्होंने यह दे दिया, जाते-जाते यह दिये। मेरा यह मानना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कानून पास किया है, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि आपने आनन-फानन में पास कर दिया।

**श्री अध्यक्ष**: आसन से कहिए।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): वे, साहब, ज्यादा बोलते हैं, इसलिए कह रहा हूं। ये बोल रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जो आनन-फानन में कानून पास किया गया है, इसका रिजल्ट यह हो रहा है कि पूरे प्रदेश के

(श्री सुखराम विश्नोई)

अन्दर कम से कम दो-ढाई हजार शिकायतें आई हैं और माननीय मंत्रीजी, जो सामने बैठे हैं, गृह मंत्रीजी, उनके ऊपर रोज दबाव आता है कि हमारी सिफारिश करो; हमारे खिलाफ फर्जी मामला है, हमारी सिफारिश करो। रोज हम जब बाहर देखते हैं वेटिंग रूम में, किसलिए पधारे हो? तो कहते हैं कि साहब, हमारा फर्जी मामला हो गया, कटारिया साहब से मिलना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस तरह का जो यह माहौल बनाया है, इस माहौल से बचने के लिए केवल मात्र एक मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया था कि हम इन शिकायतों के आधार पर किसी को नहीं हटाएंगे। क्योंकि गांव के लोगों को जानकारी नहीं थी कि जो सिविल रिट लगाएगा, जो मुंसिफ कोर्ट में, ए.डी.जे. कोर्ट के अन्दर जो पंचायत एक्ट के मार्फत रिट लगाएगा, सरपंच या डेलीगेट लगाएगा, वही उस सरपंच, डेलीगेट को हटा सकता है। इसलिए सरकार इस मामले में पूरी शांत हो गयी। शांति इसलिए हुई कि शिकायतें ज्यादा आई और शिकायतें ज्यादा आने से लोग, उनकी बदनामी हो रही थी, इसलिए जान-बूझकर इस बात को कहा जा रहा है कि हम शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, केवल मात्र कोर्ट करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि अगर इनको कानून ही लाना था तो कम से कम इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था, जिस तरह से पहले भैरोंसिंहजी के टाइम लाये थे, संतान के मामले में तो यह प्रावधान करना चाहिए था इनको कि जिनकी 30 साल की उम्र राशन कार्ड में या परिचय-पत्र में है, 30 साल के पहले वाले को खड़ा होना है तो आठवीं पास होना जरूरी है, दसवीं पास जरूरी है और जैसे मान लीजिए, 60 साल का, 70 साल का खड़ा हो रहा है तो इसके लिए यह कानून लागू नहीं होगा और अगले जब चुनाव आएंगे तो उन चुनाव में इस चीज को कम्पलसरी किया जाएगा। तब तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मानता कि वाकई में यह एक शिक्षा में सुधार लाने के लिए, मतलब, इसको बढ़ावा देने के लिए यह कानून लाया गया है। परन्तु यह जो आनन-फानन में कानून लाया गया है, केवल-केवल मात्र यह दिमाग में...(व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): अब 30 साल के बाद पढ़ना शुरू करोगे?

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): माननीया मुख्य मंत्रीजी के दिमाग में यह बात डाल दी गई कि गांव के अन्दर अभी तक कांग्रेस वालों का होल्ड है,

(श्री सुखराम विश्नोई)

वे पूरी तरह से जमे हुए बैठे हैं, इसलिए ऐसा कानून बना दो आप, यह कानून पास कर दो, तब वे आएंगे नहीं; इसलिए हमारे लोग आएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, जहां तक इस कानून की मंशा है, जिस नीयत को लेकर बनाया गया था और जो परिणाम घोषित हुए; माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, सत्ता पक्ष के सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुपात के अन्दर, हम तो केवल मात्र 23-24 हैं, ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप स्थान ग्रहण कीजिए। हो गया सारा।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): 200 में से 24 हैं। मैं बात को जल्दी पूरी करता हूं।

**श्री हरिसिंह रावत** (भीम): कहां 21वीं सदी की बात कर रहे थे और अब आप कहां पीछे जा रहे हो!

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): 24 सदस्य हैं, परन्तु 24 के अनुपात में जो हमारे प्रधान जीते हैं, 295 के अगेंस्ट में 116 जीते हैं; जो हमारे डेलीगेट, पंचायत समिति के और जिला परिषद के सदस्य जीते हैं, अनुपात, माननीय सदस्य, बढ़ा है। आप जिस बात की बात करते हैं, जिस भावना को लेकर आपने यह कानून बनाया था, उस कानून को रिजल्ट आने के बाद में केवल-केवल मात्र आपके हाथ में पछतावा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम जब गांव में जाते हैं, यह जब कानून बना, हम जब मीटिंग में गये, या गांव में गये, तो लोग हमें कहते हैं कि काहे का कानून बनाया है, आप खुद कानून बनाने वाले, आप तो पांचवीं फेल हो; आप तो मतलब, अंगूठा-छाप हो और हमारे लिए दसवीं पास कम्पलसरी कर दिया। एम.पी. कुछ जानता नहीं है, एम.एल.ए. कुछ जानता नहीं है, बिलकुल अनपढ़ है और बाकायदा आंकड़े आये थे राजस्थान विधान सभा के; आंकड़े आये थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के भी आंकड़े आये थे कि माननीय सदस्य इतने अनपढ़ हैं, इतने खाली साक्षर हैं, इतने खाली पांचवीं पास हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो कानून बनाया गया है, उस कानून में बाकायदा हाई कोर्ट की मंशा में यह नहीं था। यह कानून बिलकुल ही... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** अब आप विराजें।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): मेरा आपसे निवेदन है कि जो अनपढ़ लोग थे समाज में, गांवों के अन्दर, बाकायदा तीन-चौथाई पब्लिक, तीन-चौथाई लोग जो खड़ा होना चाहते थे, सरपंच डेलीगेट बनना चाहते थे, उस रात को, जिस रात रेडियो में सुना या टी.वी. में देखा, यह कानून पास हो गया, बिलकुल उन्होंने यह काला कानून माना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): इनको अगर कानून ही पास करना था...(व्यवधान) दो मिनट में। इनको अगर कानून ही पास करना था तो पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, जो वोट डालकर जाते हैं, कभी वापस नहीं आते हैं; क्यों नहीं आते हैं, केवल, केवल मात्र, प्रधान और प्रमुख के वोट के अलावा, उनके पास कोई राइट्स नहीं हैं, न उनके मतलब कोई मानदेय है, तो यह कानून पास करना चाहिए था कि हम जिला परिषद के सदस्यों का, हम पंचायत समिति के सदस्यों का इतना मानदेय भी बढ़ाएंगे, इतना इनको अधिकार देंगे, तब तो वह बात जायज होती। बाकी, अगर मान लीजिए कि कानून बनाना ही था तो पिछली सरकार ने जो चार विभाग थे, शिक्षा का मामला है, चाहे पी.एच.ई.डी. का मामला था, पंचायती राज को स्थानांतरित किये थे, उस कानून को कठोरता से लागू करते, तब तो जाकर बनता। आज ग्राम सेवक की बदली मंत्रीजी करते हैं, पटवारी की बदली गृह मंत्रीजी करते हैं। पूरा, मतलब, एक केन्द्रीकरण सत्ता का किया हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात को पूरा करूंगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री अध्यक्ष:** श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

(अनुपस्थित)

माननीय प्रभारी मंत्रीजी, अब आप बहस का उत्तर दीजिए।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान बहुत गौरवशाली है। पंचायती राज का अगर शुभारंभ कहीं पर हुआ तो राजस्थान से हुआ और मैं यह कह सकता हूं कि पिछली बार जब भैरोंसिंहजी थे, यह देश में पहला कानून है, दो से अधिक बच्चे वालों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य किया तो ऐसा ऐतिहासिक कदम जो उस समय, आज से

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

20 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, हिन्दुस्तान में कोई राज्य नहीं सोच सकता था, उस ऐतिहासिक कानून को बनाने का श्रेय भी राजस्थान को प्राप्त हुआ है।

(18.00 बजे)

आज केवल डिबेट करने के लिए डिबेट करना, मेरी प्रार्थना है आपसे, विधेयक पर पक्ष और विपक्ष के रूप में डिबेट कभी भी लाभकारी नहीं होगी। उसकी कमियां क्या हैं, उसको सुधारने का क्या करना चाहिये, उस पर अगर डिबेट हो, तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम कानून बनाते समय भी अपनी अपनी पार्टी का चोला पहनकर और +++ जैसे शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं, जो कभी शोभा नहीं देता है। आपका शब्द इस रिकार्ड में अंकित होगा और जब कभी भी अगली पीढ़ियां आयेंगी न, जब वे पढ़ेंगी कि हमारी विधान सभा में एक प्रमुख व्यक्ति, एक दल का व्हिप देश के प्रधान मंत्री को +++ कहकर पुकारता है; मैं सोचता हूं, यह शब्द अगर मैं भी देश के किसी प्रधान मंत्री को कहूं तो यह मेरा छोटापन लगेगा। किसी व्यक्ति को शब्दों के आधार पर कुछ कहना, कोई शोभा देने वाली बात नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस मंच का उपयोग हम सब अपने-अपने हिसाब से करते हैं। यह लोकतंत्र को ताकत नहीं देगा, यह लोकतंत्र को कमजोर करेगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आलोचना करें, जरूर करें; कानून में जहां खामियां हैं, कमियां हैं, उनको आप दिखायें, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान आज भी हिन्दुस्तान का पहला राज्य है, और मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिये कि इस स्वच्छ भारत के अभियान को, देश के प्रधान मंत्री ने तो महात्मा गांधी के 150 वर्ष के कारण से 2019 को रखा और उन्होंने उसके पहले ही, बजट की जो घोषणा की थी, उस समय राजस्थान में हम इसको 2018 में ही पूरा कर लेंगे, इस बात की घोषणा उस घोषणा के भी बहुत पहले करके हमने इस बात को साबित करने का प्रयास किया कि वास्तव में अगर प्रदेश को आगे ले जाना है तो स्वच्छता की तरफ भी हमें ले जाना चाहिये।

मैं सोचता हूं कि कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं कर दिया, हमने केवल एक छोटा-सा अमेंडमेंट किया था, उसके कारण से जन-प्रतिनिधियों के इस आवश्यक शर्त के कारण से राजस्थान में शौचालय बनाने का जो अभियान

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

है, उसको गति मिले। इसको गति देने की दृष्टि से ही, अब आपने देखा होगा कि प्रयत्न तो पहले आपके समय 2012 में भी यह शुरू हुआ था। देश के प्रधान मंत्री ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। हम लोगों ने उसको और गति देने का प्रयास किया। पर दुर्भाग्य यह है हम लोगों का, जो पिछली आपकी सरकार थी, तब 2013-14 तक 2012 की इस घोषणा में केवल आप 1,73,966 शौचालय ही बना पाये। पैसा आपके हंड्रेड परसेंट मिल गया, लेकिन न तो आप उसका प्लान बना सके, कुछ नहीं बना सके। राजस्थान में शौचालयों की जो जरूरत है, वह 86 लाख की जरूरत है। 86 लाख हमारी आज की आवश्यकता है और उसको ध्यान में रखकर 1,73,966 बनाकर हम जैसे लोग तो शायद भगवान के घर चले जाएंगे, उसके बाद राजस्थान इस बीमारी से मुक्त होगा। लेकिन हमने इसके लिए प्रयास किया और आज आपको और सदन को सुनकर यह संतोष होगा कि हमने इस कानून को बनाने के बाद, यह हमने 8 दिसम्बर के दिन...।

आप कहते हों, आर्डिनेंस क्यों लाये? अब पंचायत राज का चुनाव आपके सामने दिख रहा है, अगर आर्डिनेंस नहीं लायेंगे तो क्या विधान सभा बुलाकर पास करेंगे? आर्डिनेंस तब लाया जाता है जब विधान सभा की कोई सम्भावना नहीं थी और हमारे यहां पंचायत चुनाव ड्यू थे। पंचायत चुनाव को हम आगे तो नहीं खिसका सकते थे। हमने इस कारण से, आर्डिनेंस के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और आर्डिनेंस कोई एक दिन में गुलाबचन्द कटारिया के मन में आ जाये, कोई जादू हो जाता है? उसके जितने चरण होते हैं, उन चरणों से वह गुजरता है और लास्ट में जाकर राज्यपाल के जब दस्तखत होते हैं, उसके बाद आर्डिनेंस जारी होता है। इसके कारण ला-डिपार्टमेंट इसको एग्जामिन करता है, उसकी ओ.के. होती है; मुख्य मंत्रीजी की उसमें राय मिलती है; उसके बाद कैबिनेट में जाता है; कैबिनेट में जाने के बाद फिर राज्यपाल को जाता है, तब जाकर आर्डिनेंस जारी होता है। पर आपको तो कुछ भी बात कहनी है कि हमको तो कोई सनक चढ़ी हुई थी। सनक कोई बुरी है क्या, अगर राजस्थान 'स्वच्छ राजस्थान' बने, हर घर में शौचालय बने?

सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह आपका, मेरा, सबका अनुभव है; जब कभी भी रात्रि के समय में निकलते हैं न, जब खेतों में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

फसल बो दी जाती है, तब केवल, और केवल, सड़क के अलावा कोई जगह नहीं रहती है, जहां हमारी मां-बहनें शौच के लिये जायें। वह दृश्य आपने अपनी आंखों से देखा होगा, मैंने भी पचासों बार देखा होगा, लज्जा महसूस होती थी। लेकिन किसी ने इस बारे में सोचने का भी प्रयत्न नहीं किया। कम से कम सब प्रकार से मदद करके इसको, और केवल एक छोटे-से अभियान के कारण से आपने देखा होगा कि हम 4 लाख 73 हजार, केवल, और केवल, इस आर्डिनेंस के जारी होने के बाद राजस्थान में शौचालय बने हैं। अब तक हम 10 लाख 78 हजार 985 शौचालय बना चुके हैं और हमने 28 लाख की स्वीकृति जारी की हुई है, जबकि हमारा जो लक्ष्य था इस साल का, वह मात्र केवल 10 लाख का था। वह 10 लाख तो हमने अचीव कर लिया और उससे भी आगे जाकर हमने इन शौचालयों को बनाने के लिए, यह सारा मिलाकर मैं सोचता हूं कि जो प्रगतिशील हम आर्डिनेंस के थ्रू आज की तारीख में आपसे यह विधेयक पास करा रहे हैं, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं। पता नहीं, किस-किस ढंग की भाषाओं का प्रयोग हम करते हैं।

आपने देखा होगा कि इसमें राजस्थान में जो हमारी राशि पहले थी, वह शुरू हुई 1,200 से। बढ़ाते-बढ़ाते हमारे टाइम पर, जब हम आये थे, तो अधिक से अधिक 4,500 रुपया उसको देते थे। फिर लगता था कि 4,500 रुपयों में शौचालय नहीं बन सकता, फिर उसको नरेगा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। अब तो केन्द्र सरकार का धन्यवाद करना चाहिये कि इस शौचालय के लिये 12 हजार रुपये की स्वीकृति उन्होंने देकर, एक तरह से 75 परसेंट केन्द्र की सहायता है, 25 परसेंट पैसा हमारा है और इसमें राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति कवर होता है। बी.पी.एल. परिवार इसमें कवर हैं; गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उनको है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति हैं, लघु और सीमांत किसान हैं, ये जो भूमि पर केवल मजदूरी करते हैं, भूमिहीन लोग जो मजदूरी करते हैं, श्रमिक हैं, वे इसमें कवर हैं; शारीरिक रूप से जो विकलांग हैं, वे हैं; महिला, जो मुखिया परिवार की है, उसको भी देते हैं। यह सारी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार की सहायता के आधार पर, यह जो हमने 82 लाख का तय किया, उसमें से हम अभी तक 10 लाख बना पाये हैं। जो बचे हुए 72 लाख हैं, वे हम 2019 का भी नहीं, और पता नहीं, आपको क्या नाराजगी है महात्मा गांधी से, कम से कम हम लोग

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

महात्मा गांधी के उस सपने को, जिस व्यक्ति ने देश में बहुत प्रारम्भ से इस स्वच्छता के अभियान के बारे में जिस प्रकार के विचार और जिस प्रकार का काम किया है, देश का प्रधान मंत्री यह सोचता है कि उनका 150वां जन्म दिन आ रहा है 2019 के अन्दर, उस 2019 के अन्दर हम सम्पूर्ण देश को एक तरह से जो बुराई है, या जो अभिशाप है, इससे मुक्ति कैसे मिल जाये, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, यह अभियान और ये तारीखें तो सब बाद में आई हैं, राजस्थान ने पिछला बजट जो पेश किया था 2014-15 का, उसी में यह घोषणा कर दी थी कि हम सम्पूर्ण राजस्थान के लोगों को यह शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा देंगे 2018 तक ही। इसमें कोई ऐसा हमने गुनाह नहीं किया जिसके कारण से आपने लगा दिया। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): विराजो, विराजो।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): यह जो उद्योग मैदान है न अपने सदन की नाक के नीचे, वहां सैकड़ों लोग खुले में शौच जाते हैं। सरकार को, यह तो ध्यान में रखकर, इसकी तो सफाई कराओ और उसको तो रोको।

**श्री अध्यक्ष**: करा देंगे। आप विराजो।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): ऐसा है कि यह पहली बार जा रहे होंगे। अभी दो-चार दिन पहले ही जाना हो रहा है। यहां शौचालय जाना दो-चार दिन पहले ही शुरू किया ना? हम अपने पापों को ढकने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करके अपने ऊपर ही पत्थर फेंक रहे हैं।

यही नहीं, आपने देखा कि सामुदायिक शौचालय बनाने की भी योजना इस योजना के तहत है। इसमें भी अधिकतम 2 लाख रुपया है। इसमें केन्द्र का अंश 60 प्रतिशत है, राज्य का अंश 30 प्रतिशत है और 10 प्रतिशत अंश समुदाय का है, अर्थात् उस ग्राम पंचायत का है, या जहां ये बनने वाले हैं, वह जन सहयोग के माध्यम से इकट्ठा करेंगे। ऐसे सामुदायिक केन्द्र बनाने की दृष्टि से भी हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं।

मैं सोचता हूं कि जिन शब्दों से आप इसको बार-बार, इसकी आवश्यकता के बारे में किसी को कोई दो-राय हो सकती है क्या? मैं सोचता हूं, इसमें तो कोई विवाद नहीं है। उसके बाद भी इसकी इतनी छिछालेदर कर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

डाली कि जैसे कोई शौचालय बनाने का हमने आर्डिनेंस जारी करके बहुत बड़ा पाप कर लिया है।

मुझे इस बात का, और राजस्थान की 771 पंचायतें आज की तारीख में ओ.डी.एफ. हो चुकी हैं और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सेंट-परसेंट पंचायतें ओ.डी.एफ. हों और जो पंचायत ओ.डी.एफ. होती है, उसको हम स्पेशल ग्रांट देकर के भी उसका मान-सम्मान बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं।

जिस शिक्षा के बारे में, लेकर के तरह-तरह की बातें आपने खड़ी कर दीं, जैसे कोई बहुत बड़ा पाप हमने किया। मैं सोचता हूं, आप में से कइयों की उम्र ऐसी होगी जिन्होंने शायद आपके जमाने में बना हुआ 1953 का जो कानून था पंचायत राज एक्ट, उसको भी आप लोगों ने देखा होगा। उस समय जो सरपंच बनता था न, यह राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 13, सरपंच और उप-सरपंच, यह आज मैंने नहीं बनाया है या कोई बी.जे.पी. वालों ने नहीं बनाया; "सरपंच और उप-सरपंच- प्रत्येक पंचायत में एक सरपंच होगा जो ऐसा व्यक्ति होगा जो पंच के रूप में चुने जाने और हिन्दी पढ़ने-लिखने के योग्य अवश्य हो।" पहले जब सरपंच का चुनाव होता था न, तो सरपंच साहब को किताब हाथ में देते थे और पढ़ाते थे, अगर सरपंच किताब पढ़ सकता था तो ही सरपंच बन सकता था, अगर वह पढ़ना नहीं जानता तो शायद उसको सरपंच भी नहीं बनाते। यह नियम आज का नहीं है, यह नियम प्रारम्भ से, जब से यह एक्ट बना। इसी तरह से उप-सरपंच के लिए भी, उप-सरंपच भी होता तो पंच में से ही था लेकिन उसके लिए भी, "प्रत्येक पंचायत में एक उप-सरपंच होगा जो हिन्दी पढ़ने-लिखने के योग्य अवश्य हो और वह सरपंच और सब पंचों से भिन्न...", मतलब उसके लिए भी यह अनिवार्य। आज नहीं कल, मान लो, किसी कारण से अगर वह अयोग्य हो गया तो उसके बाद उप-सरपंच जो सरपंच का काम करेगा, उसे भी बात यह...।

यही नहीं, आपको तो अपने द्वारा किये हुए कामों पर भरोसा नहीं है। यह मेरे पास मंत्रिमण्डल ज्ञापन है 15.07.2009 का जब आपके ही मंत्रीजी ने, इस कानून को लाने के लिए यह मंत्रिमण्डल ज्ञापन मंत्रिमण्डल तक गया, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 26(1) में यह प्रावधान है कि "प्रत्येक पंचायत में एक सरपंच होगा जो पंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए आयद व्यक्ति होना चाहिए।" सरपंच पद के लिए इससे अतिरिक्त कोई

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

शैक्षणिक योग्यता, आदि निर्धारित नहीं की गयी है। ''गत वर्षों में पंचायत के कार्यों एवं उत्तरदायित्व में असाधारण वृद्धि हुई है...।'' यह 2009 का है। ''योजनाओं की राशि आबंटन की दृष्टि से देखा जाए तो एक ग्राम पंचायत को लगभग एक करोड़ रुपया प्रति वर्ष आबंटित होता है। क्योंकि सरपंच पंचायत का कार्याध्यक्ष है इसलिए उसके वैधानिक दायित्व भी महत्वपूर्ण हैं। इस पद पर अनपढ़ व्यक्ति के होने की स्थिति में वह योजनाओं के उद्देश्यों और दिशा-निर्देशों को समझने में, लेखों के संधारण कार्य, आदि के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहता है। ऐसी स्थिति में गलत लोगों के लिए अनुचित लाभ उठाने का अवसर बना रहता है। अतः यह आवश्यक है कि इस पद के निर्वाचित व्यक्ति को अपने दायित्व को समझने के लिए कुछ शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। सरपंच के विरुद्ध अधिकांश मामलों की सुनवाई में यह तथ्य...'' यह मेरा नहीं है, ''...मूल रूप से सामने आया है, यदि सरपंच थोड़ा शिक्षित होता तो अधिकांश गलतियां नहीं होतीं। अतः पंचायत राज के प्रथम सोपान में ग्रामीण भारत के सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास की योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, का कार्याध्यक्ष कम से कम आठवीं पास होना चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जन चेतना का विकास हो सके।'' आपने भी सोचा था लेकिन हिम्मत नहीं होती है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): हां, यही तो मैं कह रहा हूं न। फिर आर्डिनेंस क्यों लाये? तीन सत्र चल गये थे। सदन में लाते। आर्डिनेंस क्यों लाये?

**श्री अध्यक्ष:** प्लीज, बैठिये। डोटासराजी, बैठिये, बैठिये।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): जब आपको 2009 से ही पता था कि यह कानून आना है तो फिर आर्डिनेंस क्यों लाये?

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): आपके यह तर्क से कोई नहीं समझेगा। मतलब यह है कि आपके मंत्री ने भी बात का प्रयास किया कि सरपंच के जिस पद की जिम्मेदारी पर आदमी आता है, वह अच्छी तरह से काम कर सके, उसके लिए उसकी कोई न कोई योग्यता होनी चाहिए। यह ठीक है कि आपकी कैबिनेट हिम्मत नहीं जुटा पायी और आप बैक हो गये बनाने के बाद भी।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आपको अब समझ में आएगा, क्या होता है। अब आपको लगता है कि सरपंच का पढ़ा-लिखा होना क्यों आवश्यक है। इसको कभी गहराई से सोचो। अपन जो एम.एल.ए. पढ़े-लिखे हैं, नहीं हैं, अपने को कोई दस्तखत नहीं करने पड़ते हैं। कोई आर्डर निकालना पड़ता है क्या? किसी कार्यालय के अध्यक्ष हैं क्या? हमारे को पावर है क्या? हम यहां वोट दे दो; पास कर दो; ना पास कर दो; उठ जाओ, बैठ जाओ। यह निर्णायक है, काम करता है। आपको और मुझे एक करोड़ रुपये की सैंक्शन निकालने की ताकत नहीं है, सिफारिश करने की ताकत है; उसके हाथ में विभिन्न योजनाओं का पैसा स्वीकृत करने की ताकत दी हुई है और गांवों की दशा सुधारने के लिए इस पंचायत राज को जितनी ताकत मिली है न, उसको समझने के लिए उस व्यक्ति की योग्यता भी चाहिए। वो कार्यालय अध्यक्ष है और कार्यालय अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश में पंचायती संस्थाओं के तीनों स्तर पर सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख द्वारा न सिर्फ संस्था के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में, अपितु कार्यालय अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया जाता है। नम्बर एक। कार्यालय अध्यक्ष द्वारा आबंटित राशि का बेहतर उपयोग हो, वही जो मैंने आपको बताया, प्रत्येक पंचायत को एवरेज एक करोड़ रुपया जाता है, किसी को 80 लाख जाता होगा, किसी को एक करोड़, किसी को सवा करोड़ जाता होगा; जो पंचायत समिति है, वह सारी पंचायत समिति का जो प्रधान होता है, उसको एवरेज 30 करोड़ से अधिक, यह जो पंचायतों का काम होता है उसका उसे सुपरविजन करना है; जो जिला प्रमुख होगा, उस पर एवरेज 300 करोड़ से लेकर 500 करोड़ रुपया सालाना जो बजट पंचायत राज के विभिन्न कामों के लिए जाता है, उसका वह सुपरविजन करता है। क्या एक अनपढ़ व्यक्ति से हम यह उम्मीद करें? वह मन से कितना ही बड़ा हो।

आपने उदाहरण दिया कामराजजी का, सब कामराज नहीं हो सकते। कोई एक कामराज हो गया, तो उसके कारण से उसको लेकर के दुनिया में यह बताते रहो कि अंगूठा छाप ही होशियार होता है। और यह कहकर के आप क्या शिक्षा का भट्ठा बैठाना चाहते हो? कौनसा पाप हो गया? कोई हमने कहा कि केवल बी.जे.पी. के लिए है आठवीं पास होना, कांग्रेस के लिए नहीं है; या केवल कांग्रेस के लिए है, हमारे लिए नहीं है? जो कानून बनता है, वह सारी जनता के लिए बनता है न। कौन आदमी योग्य है, कौन योग्य नहीं है, आपने हमारा बंटाढार कर दिया, काहे का बंटाढार कर दिया? इतने सालों से पार्टी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

चलाते हो और आप अपने कार्यकर्ताओं को इतना शिक्षित भी नहीं कर सके, तो आपसे इससे ज्यादा कौन अपराधी होगा? कौन बड़ा अपराधी होगा? आपने केवल वंशवाद चलाकर के, उसके पिताजी सरपंच हैं तो फिर पत्नी, पत्नी तो बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद दोहिता, यह दिल्ली से चल रहा है अब तक और इस कारण से आपने...(व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्रीजी, वह फिर भी नहीं टूटेगा। इस पढ़ाई से नहीं टूटेगा।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): टूट गया, टूट गया, तब ही तो। तब ही तो आप विरोध कर रहे हो। टूट गया, इसीलिए विरोध कर रहे हो आप। विरोध ही इस बात का है। बाकी किस बात का?

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): आप यह देखो कि उस सरपंच के काम की कितनी महत्ता है। जितना योग्य व्यक्ति उस पर लगेगा, उतना ही पंचायत राज ताकतवर बनेगा।

आपने देखा, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वह अपील अधिकारी है। अपील अधिकारी है वह सूचना के अधिकार के नियम के तहत। लोक सेवाओं में प्रदान गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत सरपंच, वह आपका डेजिग्नेशन आफिसर है, यह काम उसको करना है। ए.सी.आर. भरता है; सरपंच नहीं भरता है लेकिन प्रधान आपके बी.डी.ओ. की ए.सी.आर. भरता है; आपका जिला प्रमुख सी.ई.ओ. की ए.सी.आर. भरता है। अगर अनपढ़ होगा तो लगा यहां अंगूठा, जहां वह कहेगा वहां लगायेगा। कम से कम पढ़ेगा तो सही, इसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। इसके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता आप महसूस नहीं करते हों?

हम लोगों ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहिए। यह भी हमने अपनी मनमर्जी से नहीं, इसको हमने ला से वैट कराने के बाद, ला की राय आने के बाद, इस फाइल को आगे बढ़ाकर के, आर्डिनेंस इसलिए जारी किया क्योंकि सामने चुनाव था। पंचायत राज का पुनर्गठन चल रहा था और पुनर्गठन करने के बाद हमने इस काम को आगे किया है।

यही नहीं, चैक पर हस्ताक्षर करता है। आप और मैं कितने चैक पर हस्ताक्षर करते हैं? यहां से खाली एक एप्लिकेशन लिखते हैं, मेरे खाते से दो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लाख रुपये की यह बिल्डिंग बना दी जाए, यह कर ली जाए, पर आपके कोई चैक पर दस्तखत होते हैं क्या? चैक पर दस्तखत करने का काम सरपंच का और इनका होता है। अनपढ़ होने पर अन्य पढ़े-लिखे रिश्तेदार व कार्मिकों पर निर्भर रहता है। नहीं जानते है, एस पी कौन होता है। सरपंच पति होता है न, रोज यहां आपकी मीटिंग में आते हैं तब भी वह साथ आता है; वहां कार्यालय में जाते हैं तब भी वह साथ जाता है; जिला परिषद में जाते हैं तो भी उसके साथ जाता है और छाप भी वह अपनी जेब में रखता है। पत्नी तो केवल साथ-साथ चलती है, लगा ठप्पा यहां। यह ठप्पा कब तक चलाओगे? लाखों-करोड़ों रुपया गांवों के विकास के लिए राज के खजाने का, गरीब जनता के टैक्स का पैसा लग रहा है, उसका सदुपयोग हो। इसके पीछे मंशा यही थी। मंशा यह नहीं थी कि आपके चार लोग बाहर निकल जाएं और हमारे चार लोग बन जाएं। ऐसा बेईमान दृष्टिकोण नहीं था।

कैसे भी हो, इस पंचायत राज को कैसे सशक्त करें। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आज की तारीख में राजस्थान के पंचायत राज को एक साल का 15 हजार करोड़ रुपया आता है। अगर इसको राम धरम से खर्च कर दो न, जमीन पर पहुंचा दो, तो मेरी गारंटी है कि पांच साल में गांव का कोई आदमी एक भी काम नहीं मांग सकता; न नाली मांग सकता है, न सड़क मांग सकता, न खरंजा मांग सकता, न पानी का मांग सकता है लेकिन हम इधर से डालते हैं उधर गड़-गप्प, इधर से डालें गड़-गप्प। पैसा इतना है, जा कहां रहा है?

जितनी जांच करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सरकारी पैसा है तो लूटने के लिए है। सरपंच का मतलब समझ में आता है, सरपंच का मतलब, बोलेरो। राजस्थान के सरपंचों को देखा है? इस हालत को कैसे सुधारोगे?

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): यह इसलिए हो रहा है, मंत्री महोदय, इनके खिलाफ अपने डिपार्टमेंट के फौजदारी मुक़दमे दर्ज नहीं होते। सिर्फ जांच में पेंडिंग रहते हैं। इनसे रिकवरी नहीं हो पाती। दस-दस साल तक जांच पेंडिंग पड़ी हैं। इसलिए करते हैं यह।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): मैं इसको भी आपको बताऊंगा। जितना आप कह रहे हों न, उतना कुछ है नहीं। मैं आज की तारीख तक का, 27.03.2015 तक का हिसाब दे रहा हूं, जो मुक़दमे दर्ज हुए हैं, एक भी बदला हुआ नहीं, एक भी गलत नहीं। अभी जो मैंने रिकार्ड मंगाया है, उसमें कुल 657

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुई है, केवल 3 सरपंच के खिलाफ कार्यवाही हुई है। कितने! केवल तीन! मैंने 9 संस्थाओं के जो अधिकारी हैं उनको अन्दर किया है; 164 संस्थाओं के अधिकारी ऐसे हैं जिनको मैं और अन्दर करूंगा। सरपंच के पहले, सरपंच के पहले उन संस्थाओं को आइडेंटिफाई कर रहा हूं जिन्होंने यह फर्जी काम करके इस लोकतंत्र का मजाक बनाया है।

जहां 17 हजार लोग इलेक्ट होते हैं सर्टिफिकेट के आधार पर, उस 17 हजार में से केवल 657 केस दर्ज हुए। वे भी सारे के सारे सही होंगे कि नहीं होंगे, वह तो जांच के बाद पता लगेगा लेकिन मैंने जो रिपोर्ट दर्ज की, वह मैं कह रहा हूं, केवल, और केवल, 3 सरपंचों को गिरफ्तार किया है। बाकी कोई आसमान नहीं पड़ गया है। अगर इतनी भी कार्यवाही नहीं करें तो फिर कानून की पालना कौन करेगा? यह किसने सौगंध दिलाई कि आप फर्जी सर्टिफिकेट देकर के प्रधान बन जाओ। कोई बुलाने आया था क्या? इतना बड़ा पाप करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं। यह दया से कभी देश नहीं चलता है। देश कानून से चलेगा। कानून से अगर चलाना है तो उसमें देखने की आंख में बी जे पी और कांग्रेस नहीं चाहिए, कानून चाहिए। कानून अगर अपना काम करेगा तो करने दीजिए। इसमें क्या दिक्कत है? उसके बाद भी जल्दी नहीं किया कुछ भी। जब तक पूरे एविडेंस और पूरे डाक्यूमेंट ठीक तरह से नहीं आ जाएं, तब तक किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं करोगे; सही सबूत आने के बाद करोगे।

यह अनपढ़ होने का जो नुकसान था न, उसको हमने दूर करने का प्रयत्न किया। यह जो विभागीय जांच और मुकदमे आते हैं, उन मुकदमों में जब मैंने सबको देखा तो 4,044 मुकदमे हैं। मैंने कुछ समय तक यह देखा था। मेरे पास वह बूढ़ी मां, वह 55 साल की तो होगी, जब उसको मैंने सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ वसूली निकाल दी, तो वह मेरे पास अपील करने के लिए आयी। वह मुझे यह नहीं जानती थी कि मैं मंत्री हूं कि क्या हूं, उसने कहा, 'भाया मैं काई नहीं कीदो, मैं काई नहीं कीदो, मने खाली 2 हजार रुपया दीदा। बाकी सेक्रेटरी साहब ने जठे-जठे अंगूठा लगवाया, वहां मैंने लगा दिया'। मैं उसको देखकर तरस खा गया कि वह इतनी बात कह रही है। एक सेक्रेटरी घुमा रहा है। आज की तारीख में अगर ईमानदारी से आप इनको ठकोरो न

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सेक्रेटरियों को तो करोड़ों रुपया झरता है। सारे लोकतंत्र को खोखला कर दिया। उसके बाद भी हम कुछ कार्यवाही करने को तैयार नहीं हैं।

आपने देखा, कोई बहुत बड़ी समस्या है? शैक्षणिक योग्यता के कारण से आपने देखा होगा, आपने कहा, संशोधन कर दिया; क्या संशोधन कर दिया? ऐसी क्या आफत हो गयी? संशोधन किया, मैंने धारा खण्ड (द) में यह जोड़ी है, 'उसमें जिला परिषद सदस्य या पंचायत समिति सदस्य दसवीं पास हो'। उसमें चाहे ट्राइब्ल एरिया हो, चाहे जनरल एरिया हो, सबके लिए एक ही है। धारा 19 के (घ) में संशोधन किया है, जो शिड्यूल्ड एरिया है, वहां हमारे दिमाग में भी यह था कि शिक्षा की कमी के कारण से शायद हमको सरपंच नहीं मिलेंगे, वहां हमने पांचवीं किया है। जो अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, उसमें हमने धारा के (ण) में आठवीं पास तक के लिए किया है।

यह शिक्षा प्रोफाइल आपने देखा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने एक आश्चर्यजनक परिवर्तन देखा होगा, खुश होना चाहिए, कोई कमी-खामी है तो सुधारने के लिए कहना चाहिए, उसमें और सुधार किया जा सकता है; ऐसी कोई हठधर्मिता नहीं है कि सुधार नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिये, 2015 में जो 33 आपके जिला प्रमुख हैं, उसमें दसवीं पास के 10 लोग हैं, बारहवीं के 5 हैं, स्नातक 9 हैं, अधिस्नातक 8 हैं, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन में 1 है। इतने लोग इसमें से आये हैं।

आप अगर प्रधान में देखो न, तो आपको लगेगा। ऐसा थोड़े ही है कि लोग नहीं हैं; लोग हैं, लेकिन हमारे तो वही के वही देखते हैं, जो हमारी गाड़ी को हमेशा खींचते रहते हैं। कोई समाज में दूसरा योग्य दिखता ही नहीं है। हमारे देखने का दृष्टिकोण, नजरिया ही ऐसा हो गया कि मैं और मेरा भाई, भाई तो मेरी पोती, पोती तो दोहती। इससे आगे कभी लोकतंत्र जाता ही नहीं है। इसके कारण से लोगों को थोड़ी-सी पहली बार चोट लग गयी है। जिन लोगों ने पहले से ही नये-नये साफे और धोतियां सिला रखी थीं, इसके आने के बाद सबकी-सब गईं अन्दर।

अब आप देखो, 295 कुल प्रधान के सदस्य हैं, कुल 295 जो सदस्य हैं प्रधान के, उनमें से 132 दसवीं पास हैं, बारहवीं पास 36 हैं, स्नातक 78 हैं, अधिस्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट 35 हैं, प्रोफेशनल डिग्री लिए हुए 8 बच्चे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिग्री के 6 लोग हैं, यह कोई अच्छी उपलब्धि नहीं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

है? अब वह बी जे पी के साथ रहेगा या कांग्रेस के साथ रहेगा, यह तो अपने-अपने काम से और कर्मों से होगा। केवल इसके कारण से रिजेक्ट कर दो कि ये पढ़े-लिखे हैं, इसलिए बेकार हैं। यह कोई बात हुई क्या?

यह निर्वाचित प्रतिनिधियों की शैक्षणिक योग्यता, मैं आपको दोनों की तुलना कर रहा हूं, 2010 में क्या था और अब क्या है। क्या यह अच्छा नहीं लगता है? 2010 में हमारे जिला परिषद के कुल सदस्य 1,013 थे, उसमें से 93 निरक्षर थे। केवल 93, आप समझें। आठवीं पास 2010 में भी, जो आपके जिला परिषद के थे, वे 465 लोग थे; उसके बाद दसवीं पास 108 थे; उसके बाद बारहवीं पास 90 थे; स्नातक 139 थे; अधिस्नातक 83 थे; प्रोफेशनल डिग्री लिये हुये 8 बच्चे थे। यह 2010 में थे। ऐसा नहीं है कि तब शिक्षित नहीं आते थे, लेकिन इसको भी बदलने के लिए हमने प्रयास किया है।

अभी 2015 में आप देखोगे तो हमारे दसवीं पास 288 हैं 1,014 सदस्यों में से; 198, मतलब 200 लोग, वन-फिफ्थ, टवेंटी परसेंट लोग बारहवीं पास हैं; इतने ही 281 स्नातक हैं; 141 अधिस्नातक हैं; प्रोफेशनल कोर्स में 43 हैं। कमी क्या लग रही है? आपको यह डर लगता था कि पढ़े-लिखे मिलेंगे ही नहीं। सब मिल गये। केवल आप भ्रम पाल रहे थे। आप यह सोच रहे थे कि हमारे हाथ से नहीं खिसक जायें। बाकी तो इस राजस्थान में पढ़ा-लिखा व्यक्ति है।

इसी तरह से आप पंचायत समिति सदस्य को देखिये, 2010 में 726 निरक्षर थे, जो अनपढ़ की तरह से हैं। उस समय भी 2,991 लोग आठवीं पास थे, 565 लोग दसवीं पास थे, 298 लोग बारहवीं पास थे, 384 लोग उस समय भी स्नातक थे और 187 अधि-स्नातक थे, 41 प्रोफेशनल कोर्स किये हुए थे। यह 2010 का बता रहा हूं। अब आज की तारीख में दसवीं पास 2,764, बारहवीं पास 1,223, स्नातक 1,337, अधि स्नातक 479, प्रोफेशनल कोर्स 229 और मास्टर डिग्री प्रोफेशनल कोर्स में 45 हैं। आज दिन तक यह खाना खाली जाता था। कम से कम इतने लोग इलेक्ट होकर के आये हैं।

निश्चित रूप से, आप सरपंचों में देखिये, 2010 में आपके 841 सरपंच अंगूठा छाप थे। उस समय भी पढ़े-लिखे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन करने का प्रयास किया ताकि लोगों की इसमें रुचि बढ़े। आठवीं पास उस समय में भी 5,944 थे। उस समय लगभग 9 हजार सरपंच

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

होते थे, उनमें से भी 5,944 तो आठवीं पास थे। जबरदस्ती का हल्ला है। पढ़े-लिखे से क्या हो गया? पहले से ही हैं। दसवीं पास 889, बारहवीं पास 360, स्नातक 538, अधि-स्नातक 185 और प्रोफेशनल कोर्स 34 थे। अब कितना हो गया? अब आप देखें, पांचवीं पास, केवल ट्राइब्ल शिड्यूल्ड एरिया है, उसमें 406, उसके बाद आठवीं पास 4,675, दसवीं पास 2,358।

ये मैं आंकड़े इसलिए बता रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन आपको और सदन को इस बात पर कम्पेरिजन करना चाहिए। राजस्थान में ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं है, या पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन हम पढ़े-लिखे लोगों को आगे लाने का प्रयत्न नहीं करते हैं।

अब यही नहीं, आपको बड़ा आश्चर्यजनक फिगर लगेगा, आपकी और मेरी भी कल्पना यह थी कि शायद हो सकता है कि शिड्यूल्ड एरिये में हमें पढ़े-लिखे बच्चे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यह दिमाग में कई लोगों को भ्रम था। लेकिन आपने देखा होगा, 2013 का भी है, 2015 का भी है, 2010 का मैं छोड़ देता हूं, आज की तारीख में जिला परिषद के सदस्य हैं, कुल सदस्य हैं 139, ट्राइब्ल एरिये में, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि अनपढ़ है।

इसमें पांचवीं पास कोई भी बचा नहीं, आठवीं पास कोई इसमें संख्या नहीं, दसवीं में जिला परिषद सदस्य 39, फिर उसके बाद स्नातक में 42, अधिस्नातक 17, उस ट्राइबल एरिया में, और पंचायत समिति सदस्य में भी सारे पद भरे हुए हैं; कोई पद खाली नहीं है। एक यह भ्रम है कि इतनी पोस्टें खाली रह गईं, इतनी खाली रह गईं, कोई भी खाली नहीं रही है। केवल एक प्रचार और दुष्प्रचार का...।

यह जो केस के बारे में था, मेरे पास जिलेवार, यह सवेरे तक का था, मेरे पास 600 था। लेटेस्ट मैंने अभी मंगवा लिया है। अनियमितता का मैंने बता दिया।

अब आप देखिए, आपको, मेरे को कितना सुखद अनुभव होता है, अगर आयु के अनुसार इन चुनावों में जो जीते हुए लोग हैं उनका वर्णन करें, तो 2010 में 35 वर्ष की आयु तक कुल 25 प्रतिशत लोग थे; 35 वर्ष की आयु तक 2010 में जो चुनाव हुआ वह केवल 25 परसेंट था और अब 68 परसेंट लोग, 68 परसेंट लोग इस एज ग्रुप के आये हैं। 35 साल की उम्र तक राजस्थान में जो भी इलेक्टेड हुए हैं 17 हजार लोग, उनमें से 68 परसेंट लोग ये हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अभी आपने देखा होगा, जीरो से मैंने बता दिया, 36 से लेकर 50 आयु वर्ग में 2010 में 39 परसेंट लोग थे; कितने, 36 से लेकर 50 तक 39 परसेंट, अब हैं केवल 21 परसेंट; 51 से 60 तक आपके टाइम पर थे 21 परसेंट लोग, आज की तारीख में 6.35 । यह आपको लगता है, ये सारे जिस प्रकार के लोग हटे हैं और उनकी जगह जो नई पीढ़ी आई है, आप और हम भी नहीं चाहते कि नई पीढ़ी विधान सभा के लिए तैयार हो जाए; हो जाए, उसके पहले ही उसके पैर काट दो, ताकि कम से कम मैं सुरक्षित बचा रहूं। इस राजनीति ने ही देश को आगे बढ़ने में रोका है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग 2010 में 14 प्रतिशत थे, इस समय केवल 9.4 हैं। क्या आपको एज ग्रुप के आधार पर यह नहीं लगता है, मैं आपको बताता हूं, यह सारे राजस्थान को पंचायती राज में लगभग 12 हजार करोड़ रुपया जाता है, विभिन्न योजनाओं के तहत, जिस पर ठीक प्रकार से काम हो, तो उसमें पढ़े-लिखे की आवश्यकता है या नहीं?

मैं आपको ज्यादा विश्लेषण नहीं करता लेकिन जो बजट आपको 2009 से लेकर 2013-14 तक मिला, आपको मिला था 9,845 करोड़ रुपया, उसमें से आपने खर्च किया 7,115 करोड़ रुपया, 72 परसेंट, और हमको जो पैसा मिला, इसी साल, आप देखो, आपका पूरा का पूरा 5 साल का 9,845 करोड़, हमने उठाया 6,829 करोड़, उसमें से 4,743 करोड़ रुपया जनवरी के एंड तक खर्च कर दिया। तो कुछ काम करते हैं। केवल इसलिए नहीं कि आप चाहे जो बोलो, आपको यह आजादी हो, यह ऐसा नहीं है।

मैं आपको यह विश्वास दिला रहा हूं कि हमने हर बात की कोशिश की है कि हम इसको कैसे सुधारें और कैसे इसको अच्छा करें। मैं आपसे सहयोग यही चाहता हूं, अगर वास्तव में आप जन-प्रतिनिधि हैं और देश की जनता की, उसकी चिन्ता करते हैं, जो अन्त में बैठा हुआ है...। कई विषय मेरे पास और हैं लेकिन समय की अपनी खुद की सीमा होती है।

हमने बहुत प्रयोग किये हैं। ऐसा नहीं है, हमने 12 महीने में इस पंचायती राज को हर प्रकार से ठीक करने का प्रयत्न किया। नवाचार की दृष्टि से पंचायत राज का पुनर्गठन, पहले भी भैरोंसिंहजी के टाइम पर हुआ, आप लोगों की हिम्मत ही नहीं होती। बनाना शुरू करते हो, बैक हो जाते हो, बनाना क्योंकि उस बवाल में पड़े कौन, कौन लोगों की नाराजगी मोल ले, कौनसी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पंचायत बनी और कौनसी नहीं बनी। हर आदमी चाहता है, मेरी पंचायत में इधर घुसेड़ दो, या मेरी यहां जात है, यहां उसकी है; उसको इधर काटो, इसको उधर काटो। पर हमने हिम्मत से इस काम को पूरा किया है।

मैं आपको बहुत आत्मविश्वास से बता सकता हूं कि अगर आपका और मेरा ध्यान पंचायत राज पर ठीक तरीके से चला जाए तो गांव की हालत बदली जा सकती है। पैसे की कमी नहीं है, काम करने वाले आदमी की कमी है। अगर मेरे को कोई ठेके में दे दे न कि इस पंचायत को 5 करोड़ रुपये मैं 5 साल में देता हूं, गुलाबचन्द, ये-ये तकलीफें हैं, इसकी निकाल दो; मैं गारंटी लेता हूं, एक भी गांव का काम बाकी नहीं रह सकता। पर दुर्भाग्य है हमारे देश के लोकतंत्र का कि इस पैसे का जो लीकेज है उस लीकेज को हम नहीं रोक पा रहे। इस लीकेज ने ही हमको सब तरह से बरबाद कर रखा है।

इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने सारा प्रयत्न किया, पंचायत राज पुनर्गठन का, कितने समय में, 3 महीने में। 3 महीने में इस काम को किया जिसको आपको कई वर्ष लग गये और आपके खाते में नहीं, मेरा 37 साल का अनुभव है, मैं कह रहा हूं, मुझे तो कभी नहीं लगा कि आपने पंचायतों का पुनर्गठन किया। कभी आपने एक आर्डर निकालकर एक पंचायत समिति बना दी होगी, कभी दो पंचायत समितियां बना दी होगी लेकिन पंचायतों का पुनर्गठन करने की हिम्मत आप कभी नहीं जुटा पाए। हमने कोशिश की और 47 पंचायत समितियां नई बनाई, 64 पंचायत समितियों का पुनर्गठन हुआ, 723 हमने नई पंचायतें बनाई और 1,423 पंचायतों का पुनर्गठन हुआ। यह सारा काम हमने इस छोटे से पीरियड में किया।

न्यायालय में गये हमारे खिलाफ कि ये पंचायतें गलत बनाई हैं, पंचायत पुनर्गठन की अधिसूचना... माननीय उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में 94 याचिकाएं लगीं और जोधपुर में 254 लगीं, चुनौती दी गई। राज्य सरकार द्वारा विधि-सम्मत तर्क माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये और माननीय न्यायालय ने सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर इन समस्त याचिकाओं को खारिज कर सरकार द्वारा किए गए पुनर्गठन को उचित माना, क्योंकि हमने अपनी मनमर्जी से नहीं किया, हमने पुनर्गठन के लिए जो भी कानून के तहत हमको अधिकार था, उसका उपयोग करके किया। इसीलिए आप देखो कि हमने सबसे पहले अपने कलक्टर को 30 दिन के लिए यह

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दिया था कि 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त, 2014 तक वह अपना काम करेगा, फिर उसके बाद 30 दिवस यानी 13 अगस्त से लेकर 11 सितम्बर, 2014 तक जितनी भी आपत्तियां आई हैं, उन आपत्तियों को लेने का समय दिया। हर व्यक्ति जाकर के अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता था। उसके बाद 10 दिन दिये कि उसकी जन सुनवाई हो और आपत्तियों का निस्तारण हो। उसके बाद सम्भागीय आयुक्त को फिर 10 दिन दिये कि वह इनकी सुनवाई करे और कोई कमी रह गई हो, किसी को इससे नाराजगी हो, तो उसको दिया। उसके बाद 14 दिन तक हम कैबिनेट सब-कमेटी के जो लोग हैं, वह मंत्री सहित हम लोगों ने बैठकर सारी सुनवाई की; सम्भागीय आयुक्त जो वहां से ड्राफ्ट लेकर आया, उसके बाद हमने इसको पूरा किया। हमने ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी से बना दिया और मनमर्जी से तोड़ दिया। कानून की पूर्ति हो और जब इसमें से लगा कि कुछ लोगों का आया कि नहीं, अभी भी हमारी कुछ पंचायतें रह गई हैं जो नोटिफाई नहीं हुई हैं, तो हमने दुबारा, पहली बार इस राजस्थान में हुआ होगा कि दुबारा नोटिफिकेशन निकाला 27 सितम्बर को। उसके बाद 30 दिन का फिर भी सुनवाई का दिया, 28 सितम्बर से लेकर 28 अक्टूबर तक; उसके बाद केवल हमने 3 दिन की सुनवाई का, उसको डिस्पोज आफ करने के लिए कलक्टर को दिया। उसके बाद 3 दिन सम्भागीय आयुक्त को दिया और उसके बाद 2 दिन यहां कैबिनेट बैठ करके, जो ये बचे हुए नये प्रस्ताव आये थे, जो कमियां रह गईं, उनको भी हमने पूरा करने की कोशिश की।

मैं आज भी आपको बहुत आत्मविश्वास से कहता हूं कि यह जो 'श्री योजना' हमने बनाई, अगर इस 'श्री योजना' को आप और हम सब जन-प्रतिनिधि मिलकर, फिर अपने कामों में अपनी प्रायोरिटी देकर पूरी कराएं तो, शब्द तो हमने अंग्रेजी से लिया जरूर लेकिन 'श्री' का मतलब है, हमने 'एस' जो लिया है वह हमने उसका लिया है, इन्फ्रास्ट्रक्चर, आपने देखा होगा, यह जो उसके बाद 'एच' का मतलब है हैल्थ, पानी और यह करना है; उसके बाद 'आर' है, मतलब रोड, नाली और रोड कनेक्टिविटी। उसके बाद है 'ई' ई का मतलब है एजूकेशन और 'ई' का मतलब है इलेक्टिसिटी। मेरी गारण्टी है कि अगर ठीक प्रकार से काम हो तो एक भी पंचायत हैडक्वाटर ऐसा नहीं रह सकता जिसमें आपके जैसे लाइट लगी हुई है वैसी लाइट रात में लाइट नहीं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लग सकती। पैसे की कमी नहीं है लेकिन हमने इस श्री योजना के माध्यम से, हमने इस 'श्री योजना' का निर्णय कहां किया, हमारा पहला जन सुनवाई का काम भरतपुर में था, उस समय हमने इस काम को पूरा किया। उसके बाद हमने पंचायत दिवस कार्यक्रम लिया। हर शुक्रवार को, सारी टीम को मैंने, पंचायत समिति का जितना स्टाफ है और जिला परिषद का जो स्टाफ है, उनको कहा कि दो-दो पंचायत समितियों में 28 पंचायतें हैं तो हर शुक्रवार को कैम्प लगाइए और कैम्प लगाकर जनता को भी बुलाइए और बुलाने के बाद जो रिकार्ड और जो पैसा हमने दिया है, उसका वेरिफिकेशन कीजिए। जाकर टीम देखे कि वास्तव में है कि नहीं। कैश बुक तैयार कराई, उसका लेजर तैयार कराया, स्टाक रजिस्टर तैयार कराया। आज मैं यह कह सकता हूं, इस अभियान के तहत राजस्थान की 9,177 पंचायतों का आडिट करके रिकार्ड बना दिया, जो आज दिन तक कभी नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है। हमारा सेकंड चरण शुरू हो रहा है, क्योंकि उसके बाद चुनाव आ गये, गैप हो गया, अभी 15 अप्रैल से हमने वापस द्वितीय चरण वापस शुरू करेंगे और हर शुक्रवार को हर पंचायत समिति की दो पंचायतों का निरीक्षण होगा और निरीक्षण के आधार पर...। यही नहीं, कई लोगों ने आलोचना की लेकिन मेरी आज भी यह मान्यता है कि जब लगातार एक ही सचिव अपने एक ही जगह बैठ जाता है, सरपंच को तो जेब में रखकर जाता है। उसके कारण से जितनी गड़बड़ियां पंचायती राज में हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वह लम्बे समय से टिके रहना। मैंने किसी का पक्ष और किसी का विपक्ष नहीं देखा, एक ही कलम से तीन साल से जो हुआ हो, मेरा भाई हो, मेरा रिश्तेदार हो, उसको कह दिया कि तेरी चोइस दे दे कौनसी पंचायत में जाना चाहता है। वह कौनसी पंचायत में जाना चाहता है, मुझे खाली मिलेगी, तुम्हें वहीं भेजूंगा, लेकिन एक बार यहां से हट, ताकि मुझे नीचे की हालत दिखे कि वास्तव में यहां क्या है और किस तरह के हालात हैं। देखने का प्रयास किया है, ऐसा नहीं है, वह भी ट्रांसफर पालिसी बनाकर किया। किसी की मनमर्जी से नहीं किया। आप जो कह रहे हो कि जिला परिषद को अधिकार दे दिया। वहां आपकी समिति बनी हुई है, वह अधिकृत समिति है, चुनाव के द्वारा बनी हुई समिति है। जो ट्रांसफर करते हैं, उसके द्वारा पूछकर, जिला परिषद का जो सी ई ओ होता है वह करता है। हमने नहीं, हमने तो एक नीति बनाकर दे दी कि इस नीति को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रांसफर करना है। हमने नहीं कहा कि रामलाल को करो या मोहन लाल को करो। मैंने कहा कि यह आपकी बुद्धि है, और पहले ही उससे तीन-तीन आप्शन ले लो।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आवास योजना है, जिसके बारे में आप कह रहे हों, इंदिरा आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना, आपने देखा होगा कि 2014-15 में, मैं थोड़ा-सा आपको पढ़ रहा हूं, ''गत सरकार ने सम्पूर्ण कार्यकाल में 6,07,379 आवास निर्माण कर 4,678 करोड़ रुपये व्यय के लिए दिये गये। गत सरकार के कार्यकाल में, औसत एक वर्ष में 1,21,476 आवास बने। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक वर्ष में 2,44,035 आवास बनाकर दिये हैं।'' ऐसा नहीं है कि हमने इस पर मानिटरिंग नहीं की है। ''उपरोक्त गत सरकार की तुलना में 155 परसेंट ज्यादा आवास बनाकर दिये हैं।'' लोगों के मकान बने पड़े हैं, सेकण्ड किश्त नहीं जा रही है, थर्ड किश्त नहीं जा रही है। जब उसकी सेवा-पूजा नहीं हो, तब तक किश्त नहीं मिलती है। मानिटरिंग करके, सबके ऊपर चढ़कर, यह पैसा उसको पहुंचाया है। हमने कहा, जिसको भी कोई शिकायत लगे तो सीधा पोस्टकार्ड लिखो आपके सी ई ओ और आपके प्रधान को, ताकि यह पता लगे। नीचे तो पता ही नहीं लगता कि कब बना दिया। जब मैं गोगुन्दा गया, तब मेरे सामने आया कि लोग तो चिल्ला रहे हैं, बनाकर मकान खड़े हैं और उनका पैसा कोई दूसरा ही हजम कर गया। पैसा कहां गया, पता ही नहीं लगा।

सोलर लाइटों का एक प्रश्न पूछा था मोहन लाल जी गुप्ता ने; मुझे एक प्रश्न पूछा था कि राजस्थान में जो सोलर लाइटें लगी हैं वे आपके नियमों के अनुसार लगीं या कैसे लगीं? इन्होंने तो खाली विराटनगर का पूछा। जब मैंने उसको देखा, तो सरकार की जो कीमत है वह तो 22 हजार, 23 हजार है। उसने 48 हजार में खरीदा, 53 हजार में खरीदा, किसी ने किस मार्क का खरीदा। मैंने सारे का पता लगाया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। हमें जो कुछ भी अब तक सूचना मिली, 43,64,07,550 रुपये की वसूली निकली है। 43 करोड़। उसमें से हम 2 करोड़ 19 लाख रुपया ही इकट्ठा कर पाये हैं। कारण क्या है, वास्तव में जिसकी जो मर्जी हुई, जो कीमत बनायी और जिस मर्जी से लगा दिया।

मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए, दोनों जो हम विधेयक लेकर आये हैं, इसका श्रेय मुख्य मंत्रीजी को जाता है। हमने उनको जरूर प्रपोज किया, लेकिन उनकी पूरी इसमें, जैसे ही हमारा प्रस्ताव गया तो उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, हर घर का एक जन-प्रतिनिधि। मैं तो आगे के लिए कहता हूं कि जिसको राजकीय नौकरी में आना है, उसको नौकरी में आने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

से पहले यह भी देना पड़ेगा कि मेरे घर में शौचालय है और मेरे घर के लोग उसमें जाते हैं। क्यों नहीं दे सकता? नया सलेक्शन होकर आ रहा है, तो इतना-सा राइडर नहीं लगा सकते?

एक विषय को आपने बहुत हाइलाइट करने का प्रयास किया, यह दो बच्चों वाला क्या है, दो बच्चों का क्या है। मैं सोचता हूं, भैरोंसिंह शेखावत ने उस जमाने में जो किया है, जिसके कारण से इस ऐतिहासिक कानून को राजस्थान पास कर सका है। आप इसको एक तरफ तो कहते हो, जनसंख्या घटाओ; दूसरी तरफ कहते हो, आप किसी पर कोई राइडर मत लगाओ। फिर भी भिण्डा जी ने जो बात कही है, प्रमोशन में कोई कर दिया; सरकार फिर देखेगी, अगर उसमें कहीं आवश्यकता पड़ेगी, जरूर विचार करेंगे। ऐसी कोई हठधर्मी नहीं है।

मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं, जब कभी भी कोई ऐसा कानून बनने की स्थिति में आये, तो पार्टी के घेरे में मत बंधो। कानून की पेचीदगी में कहां-कहां कमी है, जैसा प्रद्युम्नसिंहजी ने कहा, समझ में आता है; कोई कानून में शब्दों के कारण से उनको ठीक नहीं लगता, उसकी आलोचना करना हमारा धर्म है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम लोकतंत्र में जब यहां बैठते हैं तो हम कानून की पेचीदगी को रखने का प्रयास नहीं करते हैं और हम केवल 'हां' में 'हां' करते हैं और वह कानून आगे चलकर गले की घण्टी बन जाता है। मैं सोचता हूं, विश्लेषण जरूर करो, पर ऐसा एक प्रोग्रेसिव लेकर आये, उसकी भी छिछालेदर करने पर आप तुल गये। इससे क्या मेसेज जाएगा? जनता के बीच में यही जाएगा कि अनपढ़ रहो तो भी चलेगा। बार-बार यही, एम पी तो अनपढ़ है, एम एल ए अनपढ़ है। उसको यह काम करना पड़ता है क्या? इस काम के लिए है क्या? आपने जिस गोलमा देवीजी का उदाहरण दिया, उनके पास कोई फाइल गयी? कभी दस्तख्त किये उस पर? केवल आपको कोटे में बनाना था। मैं क्या कर सकता हूं इसमें?

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, इस प्रोग्रेसिव कानून को सभी माननीय सदस्य पास करें और राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान को यह मेसेज दें कि जिस पंचायती राज की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान से की, राजस्थान इस प्रकार के परिवर्तन करने में भी अग्रणी है, सबसे आगे है। धन्यवाद।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 को जन मत जानने का प्रस्ताव और राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 का संशोधन का प्रस्ताव वापस लेने की प्रार्थना करता हूं, इजाजत मांगता हूं।

**श्री अध्यक्षः** पहले करीब-करीब कर चुके हैं संशोधन को वापस लेने की प्रार्थना। इसलिए एक जनरल...(व्यवधान)

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पास करने के लिए प्रस्ताव।

**श्री अध्यक्षः** वह तो पहले कर दिया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री शंकर सिंह राजपुरोहित, डा. फूलचन्द भिण्डा, श्री हीरालाल नागर, श्री केसाराम चौधरी, श्री मदन राठौड़, श्रीमती अलका सिंह, श्री सुरेश सिंह रावत एवं श्री हरिसिंह रावत ने राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 एवं राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन रखा और उसको वापस लिया, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय?

**(स्वीकृत)**

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाय? इसको जरा ध्यान से सुनना आप। यह हां-ना ऊपर नीचे है, कहीं पहले 'हां' की आदत पड़ी है।...परिचालित किया जाय? इसमें सामान्यतः वाद-विवाद में जो आया है, तो आप ध्यान में रखना कि परिचालित करने के पक्ष में वोट देंगे या नहीं में। यह ध्यान रखना।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

**(अस्वीकृत)**

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(श्री अध्यक्ष)

**(अस्वीकृत)**

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाय?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाय?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015। खण्डशः विचार।

खण्ड 2 । श्री मदन राठौड़ संशोधन प्रस्तुत करेंगे। कर रहे हैं क्या आप? आपने तो वापस ले लिया।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, यह संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** पहले ही ले लिया था। मूव ही नहीं हुआ। विराजिए।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

**(स्वीकृत)**

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 1 – अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

अब द्वितीय संशोधन के बारे में रख रहा हूं।

खण्डशः विचार। खण्ड 2 । संशोधन वापस ले लिया इन्होंने। वह तो वापस ले लिया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया। पहले एक प्रस्ताव पास करने का करेंगे और फिर दूसरा।

## विधेयक का पारण

### राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाय।

**श्री अध्यक्ष:** दूसरा भी रख दीजिये।

### राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाय?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाय?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया गया।

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूरी होने और राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 के पारित होने तक बढ़ाया जाय।

**श्री अध्यक्ष:** क्या समय बढ़ाने की सदन की अनुमति है?

**(स्वीकृत)**

समय बढ़ाया गया।

राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 । श्री प्रभू लाल सैनी।

# विधेयक पर विचार

## राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री अध्यक्ष:** श्री केसाराम चौधरी। क्या है इसमें? इसमें दो-दो मिनट बोल लीजिये। बिलकुल छोटा-सा तो है।

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, जितना बड़ा है, उतना ही उसका काम है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 पर विचार हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51(क)(छ) समस्त प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे जाने के लिए आदिष्ट करता है। भारत जैसे देश में हर जीव और प्राणी के लिए जो दया का भाव है, उस भाव के अनुरूप हमारी राजस्थान सरकार द्वारा यह जो ऊंट वध के लिए, राजस्थान प्रदेश में इस ऊंट की हत्या होने, उनको मारने और उनके मांस का उपयोग करने की जो घटनाएं बढ़ रही थीं और इस ऊंट की प्रजाति दिनों-दिन, प्रतिदिन घटती जा रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है। यह ऊंट हमारे रेगिस्तान का जहाज है और रेगिस्तान की मरुस्थलीय परिस्थिति के तंत्र का एक आवश्यक भाग है। इस ऊंट के कारण से रेगिस्तान में आबादी बसी हुई है, नहीं तो रेगिस्तान पूरा खाली हो जाता। अगर कोई रेगिस्तान में खेती के उपयोग की कोई चीज है, वहां पर बैलों से खेती नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर ऐसी बालू रेत है, उस बालू रेत में ऊंट ही ऐसा प्राणी है जो रेत गर्म होने के बावजूद भी उस पर चल सकता है। उसको बचाने के लिए यह जो बिल लाया गया है, उसकी मैं सराहना करता हूं। ऊंट के ऊपर जो संकट है, उस संकट से उबारने के लिए आप यह बिल लाये हैं।

इसमें प्रव्रजन या निर्यात का है, उसे राजस्थान से बाहर ले जाने पर जो रोक लगा रखी है, उसे राजस्थान से बाहर ले जाने के लिए कलक्टर जैसे अधिकारी से इजाजत लेनी पड़ेगी। ऊंट कोई एक जगह नहीं चरता, ऊंट हमारे राजस्थान में आजीविका का मुख्य साधन है और जब यहां पर अकाल रहता है तो उसको एम.पी., हरियाणा, पंजाब और यू.पी. तक चराने के लिए ले जाते हैं। उसकी परमिशन हमें कलक्टर जैसे अधिकारी से लेनी पड़ेगी और जब वह ऊंट वापस आएगा तो कलक्टर को इत्तिला देनी पड़ेगी कि मैं इतने ऊंट ले गया था और इतने ऊंट वापस लाया हूं। इसमें थोड़ा परिवर्तन किया जाए, इस परमिशन को एस.डी.एम. हैडक्वार्टर तक किया जाए ताकि लोगों को इतना ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े। जो ऊंट पालक हैं, वे लोग अनपढ़ हैं, पढ़े-लिखे कम हैं और वे ही लोग, देवासी लोग इन ऊंटों को पाल रहे हैं, तो उनको सुविधा रहेगी अगर एस.डी.एम. हैडक्वार्टर पर ही उनकी स्वीकृति मिल जाए और वापस भी वहीं पर इत्तिला करनी पड़े।

(श्री केसाराम चौधरी)

यह बिल जिस भावना और जिस उद्देश्य से लाया गया है, यह ऊंट इतना समझदार प्राणी है कि रेगिस्तानी बोर्डर पर बी.एस.एफ. के पास, फौजों के पास भी कम से कम 500-600 ऊंट हैं और उससे वे रात को ऊंट के ऊपर बैठकर पूरी गश्त करते हैं और ऊंट उनको सही रास्ते पर ले जाते हैं। रात की गश्त में इस ऊंट का उपयोग लिया जाता है।

इसलिए अगर ऐसे ऊंट का वध होना शुरू हो गया और उसके मांस का उपयोग करने लग गये, तो हमारी यह ऊंट प्रजाति खतम हो जाएगी।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इन देवासी भाइयों को भी, जो इन ऊंट का पालन करते हैं, उनके लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि उनको वन क्षेत्र में चराने के लिए जाने नहीं दिया जाता। ये पेड़-पौधों के पत्तों को खाता है। इसलिए वन क्षेत्र में परमिशन दी जानी चाहिए। मेरे क्षेत्र में जोजावर के आस-पास तीन-चार गांवों में जो ऊंट हैं, उन ऊंटों के लिए जब बरसात होती है तो वन क्षेत्र बन्द हो जाता है और अन्दर नहीं जाने देते हैं। यह समतल जमीन पर चारा वगैरह तो खा नहीं सकता, इसके खाने के लिए मात्र पेड़-पौधों की टहनियां और पत्ते वगैरह हैं। इसलिए वन विभाग से भी निवेदन करूंगा कि ऊंटों के लिए वन क्षेत्र में चराई करने के लिए परमिशन दी जाए और जो नियमानुसार आपकी फीस है वह ली जाए ताकि यह प्रजाति खतम नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, ऊंट के दूध से टीबी और शुगर जैसी बीमारियों का इलाज होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका दूध इतना महत्वपूर्ण है कि इसे साबुन बनाने के काम में लिया जा रहा है। इससे नहाने का इतना अच्छा साबुन बनता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने ऊंट के दूध के साबुन का यूज किया है और वह शरीर के लिए बहुत अच्छा है। उससे बाल इतने मुलायम हो जाते हैं कि तारीफ के काबिल है।

इसलिए इस ऊंट को बचाने के लिए हमें और दूसरी सुविधाएं भी देखनी पड़ेंगी कि यह जीवित रह सके। इसके अलावा, ऊंट पालकों को भी रोजी-रोटी की दिक्कत नहीं आए, उसके सम्बन्ध में भी हमें सोचना चाहिए। ऊंट के मींगणे खाद के लिए काम में आते हैं। इसके मींगणे और दूध को मिलाकर साबुन बनाया हुआ है जो मेरे घर पर पड़ा है, मैंने काम में लिया है। इसका उपयोग जिस तरह से किया जाए ताकि ऊंट को बचाया जा सके।

(श्री केसाराम चौधरी)

मैं माननीय अध्यक्षजी से अनुरोध करता हूं कि मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको मैं वापस लेता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्षः** श्री मदन राठौड़।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 को जन मत के लिए परिचालित करने के लिए मैंने प्रस्ताव किया था। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह अध्यादेश बहुत अच्छा है और ऊंट का वध निषेध होना चाहिए।

ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, रेगिस्तान में घोड़ा नहीं चल सकता क्योंकि उसके पैर मिट्टी में दब जाते हैं लेकिन ऊंट का पैर चौड़ा होता है और वह रेगिस्तान में आराम से चल सकता है। यह भी कहते हैं कि ऊंट को 5-6 दिन तक यदि पानी नहीं मिले तब भी वह चल सकता है। उसमें स्टोर करने

**(19.00 बजे)**

की कैपेसिटी भी है। इसका जो दूध है, वह बहुत उपयोगी है। मैं सोचता हूं कि इस पर शोध करवाना चाहिये। जैसे डाइबिटिक पेशेंट होते हैं, वे यदि ऊंटनी का दूध, मादा ऊंट का दूध काम में लें तो डाइबिटीज का भी सफल इलाज है। इस शोध में कई चीजें सामने आयेंगी तो निश्चित रूप से कई इलाज भी होंगे, कई लाभ भी इसके होंगे।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ज्यादातर ऊंट रेगिस्तान में ही मिलते हैं। पहले 7.5 लाख के करीब ऊंट थे और विगत दो वर्षों में यह संख्या घटकर लगभग 3.5 लाख हो गई है। इसलिए राजस्थान की वर्तमान सरकार यह बिल लेकर आई है कि ऊंट का वध निषेध किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जन मत जानने का इसलिए लिखा कि इसमें देखिये, कई शब्द ऐसे लिये गये हैं, जैसे बुकिंग और बुकिंगें कर दिया। यानी, पता नहीं, ये हमारे अधिकारी लोग क्या यह नहीं समझ पाये कि इसका कैसे, more than one booking को बुकिंग्स लिख सकते थे। यदि कोई शब्द नहीं मिला तो अब बुकिंगें कर दिया। मैं समझता हूं, यह मजाक बनेगी। इसमें निश्चित रूप से सुधार करने की जरूरत है। यह पेज नम्बर-3 का चौथा, "जब

(श्री मदन राठौड़)

बुकिंग उसके अनुदेश के अधीन या उसकी जानकारी से की जाये'', यानी ऐसे कैसे ये शब्द प्रयोग किये गये हैं? मैं सोचता हूं, इसमें निश्चित रूप से सुधार किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, देखिये, मेनका गांधीजी ने भी इस प्रकार का प्रयास किया था, पशु क्रूरता निवारण, उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। PFA (People for Animals) ये 1992 में किया था। अध्यक्ष महोदय, कई ऊंटों का निर्यात होता है और बाहर वहां पर ऊंटों की दौड़ करवाते हैं और उसमें बच्चे बांधकर दौड़ाते हैं। कई अरब कंट्रीज के लोगों के लिए तो यह एक कौतूहल, मजाक, मजा लेने के लिए होता है। मैं सोचता हूं, इससे ज्यादा क्रूरता की कोई पराकाष्ठा नहीं हो सकती। इस प्रकार की वहां पर स्थिति है। The camel were last to be loaded after thousands of ... यानी इस प्रकार की वहां की स्थिति है।

अब चूंकि कई माननीय सदस्यों का मूड कम है, वे ज्यादा सुनने के मूड में नहीं हैं, मैं सोचता हूं कि इस विधेयक पर बहुत कुछ कहने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत त्रुटियां हैं और ऐसी त्रुटियां हैं जैसे ऊंट के वध पर मान लिया कि एक से पांच वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान रखा है और 20,000 रुपये का जुर्माना भी है, यह बात भी ठीक है लेकिन वध के प्रयोजन के लिए ऊंट के निर्यात का प्रतिषेध, अन्य प्रयोजनों के लिए अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन, उसमें भी यही सज़ा का प्रावधान रखा है। कोई यह कहे, अब यह जानकारी होते हुए भी कि उसका वध किया जा सकता है, प्रव्रजन करता है; अब यह कैसे उसको जानकारी होगी? यह कैसे पहले कहा जा सकता है कि उसका वध ही हो जायेगा और उसके लिए भी यही सज़ा का प्रावधान रखा गया है। मैं सोचता हूं कि इसमें यह ठीक नहीं है, इसमें विचार किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, ''प्रव्रजन की कालावधि परमिट की मंजूरी की तारीख से ठीक अगले अगस्त मास से परे की नहीं होगी।'' अगस्त का क्या मतलब है, या किस कारण से अगस्त मास लिखा गया, यह भी मेरी समझ से परे है। मैं सोचता हूं, जब ये जवाब देंगे तो इसके बारे में बतायेंगे। उसमें भी छह माह से तीन वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है, 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

(श्री मदन राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो यह अध्याय-5 में लिखा है ''फेरफारों के'', अब फेरफारों का क्या मतलब है? फेरफार का मतलब कोई, यानी कोई शब्द सही प्रयोग करो तो कुछ समझ में भी आये, और यदि उसमें भी कहीं त्रुटि हो गई तो छह माह से तीन वर्ष तक की सज़ा।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी देखिये, ''यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे ऊंट राज्य में, और परमिट में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर, वापस नहीं लाता है तो यह समझा जायेगा कि उसने उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।'' वह भी वध की श्रेणी में माना जायेगा। अब यह वध की श्रेणी में कैसे माना जायेगा? उस कालावधि में नहीं आया, कुछ समय बाद में आ जायेगा, आपसे परमिशन ले लेगा। परमिशन देने का प्रावधान भी इसमें होना चाहिये। यह इसमें थोड़ा-सा विचार करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें एक दिया है, ''वास्तविक आवश्यकता के स्तर'', अब वास्तविक आवश्यकता का मतलब क्या है? वास्तविक आवश्यकता कितनी है आपको? कितने ऊंट रखने हैं? कितने ऊंट रखने की आपकी वास्तविक आवश्यकता मानी जायेगी?

अध्यक्ष महोदय, इसमें अध्याय-5 का पैरा-8 दिया है, ''ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह न्यायसंगत और उचित समझे''; यानी उसने जो कर दिया, वह फाइनल है। अब इसमें आगे दिया है, ''और ऐसा आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा'' अब यह तो बांध दिया ना पूरा का पूरा। यानी, यह क्या बात हो गई कि कहीं न्यायालय में भी वह प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा? इसमें थोड़ा-सा विचार करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें 6 में जो दिया है, ''परिवाहक का दुष्प्रेरक होना'', उसमें ''परिवहन के किसी भी साधन से ऊंटों का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा...'' कमाल हो गया! ''....और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा-8 के अधीन होगा।'' यानी, वही पांच वर्ष तक की सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना। थोड़ा इसमें विचार तो करना ही चाहिये, अध्यक्ष महोदय।

अब इसमें मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा, इसके पैरा 7 के

(श्री मदन राठौड़)

(5) में जो लिखा है, "किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, किसी भी अन्य न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण को अधिकारिता नहीं होगी।" अब आप कैसे बांध रहे हैं? थोड़ा इसमें विचार करने की जरूरत है। यह तो देखिये कि वह कैसा पशुपालक है, वह कहां ले रहा है, क्या कर रहा है। उसमें परमिट आप दे रहे हैं लेकिन उसकी समयावधि बढ़ाने का भी प्रावधान आप रखें। सीधा उसको यह मान लिया, यह ठीक बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें "शास्ति" लिखी है, इसके 8 के (1) में दिया है, "और ऐसे जुर्माने से...," यानी एक वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी, पांच वर्ष तक हो सकती है" थोड़ा इसमें विचार करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, देखिये, इसमें पैरा 9 में दिया है, "उपहति कारित करने के लिए दण्ड", "ऊंट को शारीरिक पीड़ा" शारीरिक पीड़ा का मतलब है, एक चाबुक मार दिया, वह शारीरिक पीड़ा हो गई! होती है ना पीड़ा तो। अपन चिकौटी काटते हैं, तब भी पीड़ा होती है। इसमें लिखा है, यह मैं बिलकुल सही बता रहा हूं, "जो कोई किसी भी ऊंट को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-शैथिल्य..." बाकी समझ में आता है, अंग-शैथिल्य समझ में आता है, लेकिन शारीरिक पीड़ा इसमें लिखा गया है और उसको भी कितना दण्ड मिलेगा, दो वर्ष की सज़ा और 3,000 रुपये का जुर्माना हो सकेगा। अब आप क्या कर रहे हैं कैसा ये एक्ट बना रहे हैं। थोड़ा इसमें विचार तो करना पड़ेगा। यह जल्दबाजी का काम नहीं है। यदि अपना मन नहीं हो तो आज नहीं रखते, कोई बात नहीं, इसको आगे रख लेते, लेकिन इसमें थोड़ा विचार करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें देखिये, यह जो दिया है "साशय क्षति", यह तो समझ में आता है लेकिन किसी भी ऊंट को जैसे कोई हड्डी टूट गई तो एक वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी। अब ऊंट पीछे लात नहीं मारता है, वह साइड में लात मारता है और इतनी पतली-पतली उसकी टांगें होती हैं कि उसकी लात मारने से ही, लात तो मेरे लगी और टांग उसकी टूट गई। अब मैं क्या करूं, अध्यक्ष महोदय? सज़ा तो मुझे हो ही जायेगी। अध्यक्ष महोदय, कई कारें जाती हैं, कार चल रही है और ऊंट भड़क गया और कार के लात मार दी, उसकी टांग टूट गई। तो मुझे तो सज़ा हो ही जायेगी। यह आप थोड़ा विचार करें।

(श्री मदन राठौड़)

मैं सोचता हूं कि इसमें "दांत भंग", अब ऊंट का दांत टूट गया। दांत टूट गया, वह भी दुष्प्रेरण का दोषी माना जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसमें सबूत का भार किस पर दिया है? आप आश्चर्य करेंगे, "जहां किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन के किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाये, वहां वह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराध नहीं किया था।" अब कोई भी आरोप लगा दे, अब यह मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैंने तो उसके दांत नहीं तोड़े, मैंने उसकी टांग नहीं तोड़ी। अब यह मुझे ही साबित करना है। अब यह कैसी बातें हो गईं। थोड़ा इस पर विचार तो करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसमें 12(1) में दिया है, "प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे किसी भी स्थान में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की शक्ति होगी जहां सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जाना सम्भाव्य है।" अब किया जाना सम्भाव्य की बात क्या हो गई? यानी, वह पहले ही कल्पना कर लेगा, जिसको प्राधिकृत आपने कर दिया वह यह मान लेगा कि यह तो अपराध किया जा सकेगा। सम्भाव्य है, यह करके उसको दोषी मान लेगा और उसमें वह सज़ा दे देगा। यह क्या बात हो गई, अध्यक्ष महोदय?

तो ये कुछ बातें थीं जो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता था। देखिये, इसमें बहुत क्लियर-कट लिखा है, "Punishment for causing hurt: (1) Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any camel is said to cause hurt." इसमें थोड़ा-सा संशोधन करने की जरूरत है। इसलिए मैंने यह जन मत जानने के लिए परिचालित करने का सुझाव रखा है। अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि ऊंट को बचाना बहुत जरूरी है; ऊंट का वध निषेध होना चाहिए। आपने ने भी कई बार देखा होगा, अध्यक्ष महोदय, ऊंट मचलता भी है; ऊंट पागल भी होता है और ऊंट वह भी होता है, क्या बोलते आप, ऐसा पागल, जैसे मारवाड़ी में कहावत है, हड़किया। (व्यवधान) मदमस्त नहीं। एक बीमारी होती है कि यदि उसकी लार भी किसी के लग जाए, उसके मुंह की लार भी किसी के टच हो जाए, तो उस व्यक्ति को भी वही रोग हो जाएगा। अब ऐसे ऊंट को क्या मारना नहीं चाहिए? अध्यक्ष महोदय, यह

(श्री मदन राठौड़)

प्रावधान तो इसमें जुड़वाओ। कम से कम यह तो देखना ही पड़ेगा। मतलब, कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे कुत्ते होते हैं और वह कुत्ता ऐसा हो जाए और उसकी लार भी किसी को लग जाए, तो उस व्यक्ति को भी वही रोग हो जाता है। तो यहां पर भी कम से कम ऐसे प्रावधान इसमें जोड़ने का, इसमें थोड़ा-सा विचार करने की बात है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने जन मत जानने के लिए एक माह का रखा था, लेकिन अब एक माह में फिर से कोई विधान सभा आने वाली नहीं है। क्योंकि उद्देश्य अच्छा है, राजस्थान सरकार जो यह बिल ला रही है इसकी भावना शुद्ध है, ऊंट की रक्षा करने की भावना है, इसलिए मैंने जो प्रस्ताव किया था, मैं उसको वापस लेने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष:** श्री जोगाराम पटेल।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय सभापति महोदय, आज ऊंट किस करवट बैठेगा, यह भी पता नहीं...

**श्री अध्यक्ष:** यह बात भी सही है, यह कहावत भी सही है।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): और यह भी है कि आज...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ऊंट ऐसा प्राणी है जो बरसों तक याद रखता है, वह वैर-भाव उसके मन में पड़ा रहता है। किसी ऊंट को किसी मालिक ने अगर साल भर पहले पीटा हो तो वह उसको याद रखता है। खेत में अकेला देखकर के ऊंट उसको ऐसा काटता है और ऐसा मसलता है। यह मैं व्यावहारिक बात कह रहा हूं।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): मेरा निवेदन है कि आज यह कानून भी उतना ही याद रखेगा मंत्रीजी को।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आपने भी तो कइयों को सताया है। तो वे भी कई वर्षों तक याद रखेंगे।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): ये अकेले रहेंगे ही नहीं, तो क्या कर लोगे?

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि ऊंट कितनी बार बैठता है, यह आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। पांच बार बैठता है, दो बार बैठता है, तीन बार बैठता है, अलग-अलग

(श्री जोगाराम पटेल)

तर्क आएंगे, लेकिन वे सारी बातें, मैं थोड़ा टाइम लूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि लेजिस्लेशन का जब भी काम आता है तो हम इस पर गम्भीर नहीं होते हैं और आज वाकई गम्भीर होने की आवश्यकता है। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि समय हो गया है।

यह जिस भावना से कानून लाया गया है, वे सारी भावनाएं जो माननीय सदस्यों ने बताईं, उसकी मैं सहमति जताकर यह कहूंगा कि यह कानून जिस भावना से लाया गया है, यह बहुत जरूरी है। ऊंट की उपयोगिता के बारे में जो बात कही गई है, वह भी बहुत जरूरी है। ऊंटनी का दूध जो है वह सबसे ज्यादा पौष्टिक है, वह कई दवाइयों में काम आता है, यह बात भी जरूरी है। ऊंट की हर चीज काम आती है, इसमें भी कोई दो-राय नहीं है। ऊंट की जो ऊन होती है, उसके कई तरह के कशीदा, वगैरह बनते हैं, वे बहुत काम आते हैं। ऊंट की खाल है, यह सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। पुराने जमाने में जो पानी सींचते थे वह ऊंट की खाल के ज्यादा बनाते थे। आज भी कई जगह उपयोग आती है। ऊंट की मेंगनी है वह गाय के खाद की तरह उपयोग में काम आती है। ऊंट के ओर्गन काम आते हैं, मैं इस विवाद में नहीं जाऊंगा।

मैं जो पहला निवेदन करूंगा, वह यह कि राजस्थान सरकार जिस भावना से इस कानून को लायी है वह स्वागत योग्य है, वह लायी जाना चाहिए। ऊंट और ऊंटनी की और उसकी प्रजनन की जितनी भी शक्ति है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन ला डिपार्टमेंट ने कैसा कानून बनाया है वह मैं आज आपके सामने निवेदन करूंगा। मेरा जो निवेदन रहेगा वह यह है कि माननीय मंत्री महोदय मेरी बात का कम से कम जवाब जरूर दें और यह भी निवेदन अवश्य करूंगा कि राजस्थान सरकार की भावना, जिस भावना से लाया गया, माननीय मंत्री महोदय की जो भावना है और सदन की जो भावना है, वह सब इस बात पर एकमत होगी कि ऊंट का बचाव होना चाहिए, उसका वध नहीं होना चाहिए, उसके साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए और दिनोंदिन ऊंट की जो संख्या घट रही है, उसको रोका जाना चाहिए। यही कुल मिलाकर के उद्देश्य होगा। इससे ज्यादा उद्देश्य नहीं हो सकता है। मैं उन सारे उद्देश्यों को अलग रखने के बाद सीधा डायरेक्ट ही कानून पर आऊंगा।

(श्री जोगाराम पटेल)

पहला जो इन्होंने बनाया है और जो अभी मदनजी ने आपके सामने बताया था, ऊंट के साथ क्रूरता और उन्होंने चुटिया भरना, वह भरना, सारी बातें बताईं; पहले ला डिपार्टमेंट को यह देखना चाहिए था कि इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान में आज की तारीख में कितने ला हैं। उसके देखने के बाद मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि ये एक्ट आप साथ-साथ रखें। आज की तारीख में आई पी सी या इंडियन पीनल कोड है, इंडियन पीनल कोड में प्रोविजन बना हुआ है सेक्शन-429 और वह सेक्शन-429 क्या कहता है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा-"Mischief by killing or maiming cattle, etc. of any value or any animal of the value of fifty rupees." यह 200 साल पहले इंडियन पीनल कोड बनाया और 200 साल पहले 50 रुपये का जो जानवर होता था, उसकी वे वेल्यू मानते थे। आज वह 50 रुपये का 50 लाख की हो सकती है वह वेल्यू लेकिन उसकी मान्यता क्या है, उसका ला क्या बनाया था, "Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless, any elephant, camel….." We are concerned with camel. "….horse, mule, buffalo, bull, cow or ox, whatever may be the value thereof, or any other animal of the value of fifty rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of either of fifty rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both." 200 साल पहले किसी पशु के साथ क्रूरता करने पर पांच साल की सज़ा थी और फिर उन्होंने क्रूरता को डिफाइन किया।

आज की तारीख में हम इस कानून को बनाने जा रहे हैं। आपने क्रूरता के जो प्रोविजन बनाये, वे ध्यान से देखें। वह है सेक्शन-9, "जो कोई किसी भी ऊंट को शारीरिक पीड़ा...", कोई डिफाइन नहीं कर सकता, शारीरिक पीड़ा कई तरह से हो सकती है। मौसम खराब होने से भी शारीरिक पीड़ा होती है, ऊपर बैठने से भी हो सकती है, नीचे बैठने से भी हो सकती है। ऊंट के साथ अगर, जैसा अभी संसदीय कार्य मंत्री महोदय बता रहे थे, वैसा व्यवहार किया जाए तो भी उसको पीड़ा हो सकती है। तो इस पीड़ा को आप कैसे डिफाइन करेंगे? "जो कोई किसी ऊंट को शारीरिक पीड़ा, रोग..," सर, रोग कैसे पहुंचाएंगे व्यक्ति? कोई रोग भी कभी पहुंचा सकता है क्या? या तो वह इंजेक्शन लगाएगा, रोग पैदा हो, या कोई रोग हो जाएगा, तो किसी व्यक्ति के ऊपर डाला जाएगा कि तुमने इस ऊंट को रोग पैदा कर दिया। "कोई रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति कारित करता माना जाएगा।" वह उसकी mischief मानी जाएगी।

(श्री जोगाराम पटेल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिए, आप यह कानून हाथ में लें, ''जो कोई किसी ऊंट को साशय उपहति कारित करता है वह, दोषसिद्धी पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।'' अगर इसको mischief मानूं तो इंडियन पीनल कोड में जाऊंगा तो पांच साल की सज़ा होगी और इस कानून में जाऊंगा तो दो साल की सज़ा होगी। तो हिन्दुस्तान के एक ही स्टेट में दो तरह के कानून हो गये। तो किस कानून को माना जाएगा? एक आदमी जाएगा, वह कम्प्लेंट करेगा, वह कहेगा कि नहीं, साहब, पांच साल की सज़ा करो, ऊंट के साथ है, आई पी सी की 429 में लिखा है, "...rendering useless, any elephant, camel, horse.....may extend to five years, or with fine, or with both." तो पहला माननीय मंत्री महोदय इस बात का जवाब दें कि क्या इस कानून को मानेंगे, या 200 साल पहले जो सेन्ट्रल का एक्ट है उसको मानेंगे? और फिर इसमें mischief को, सबको डिफाइन किया है, किलिंग, मेमिंग फलां-फलां, और आपने इसमें कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है।

इससे भी अधिक इसके सब-क्लाज (3) को देखें, ''जो कोई भी उप धारा (2) के अधीन किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, वह उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उस अपराध के लिए होगा'', और 120-बी लगा दिया। अब किसी को रोग फैल गया ऊंट को और मुझे उस आदमी को फंसाना है तो यह कहेगा कि तूने दुष्प्रेरण कर दिया, इसलिए उसको रोग आया, उसको खुजली हो गई। हम सब जानते हैं, हम सब इस विधान सभा में रहने वालों का कभी न कभी काम पड़ा है ऊंट को देखने का, रखने का नहीं पड़ा होगा। किसी के परिवार में जाने का, मिलना, हम सबको पता है; इतने अंजान हम नहीं हैं, अमेरिका से हम नहीं आये हैं; अगर रोग हो गया और 120 लगाकर के मुझे कोर्ट में फंसा दिया और अभी सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बताया, burden of proof किसका रखा, वह मेरे ऊपर है कि मैं यह साबित करूं कि मैंने यह रोग नहीं फैलाया है।

मैं निवेदन भी करना चाहता हूं, हमारे सेक्रेटरी जो यहां बैठे हैं, ला के हमारे एक्सपर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के हैं; आप कभी इसको देखें। इतना तो

(श्री जोगाराम पटेल)

उनको देखना पड़ेगा, हम यह मानते हैं। अभी माननीय गृह मंत्रीजी ने बताया कि कानून बनाते वक्त हम किसी सीमाओं में नहीं बंधने चाहिए। मैं सीमाओं में बंधे रहते हुए भी मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार की भावना से, मंत्रीजी की भावना से, यह जो कानून ला रहे हो, वह बिलकुल सही है, लेकिन कानून को फ्रेम करते वक्त तो हमारी ड्यूटी बन जाती है, सभी माननीय सदस्यों की ड्यूटी बन जाती है कि हम ऐसा कानून नहीं बनने दें जो आने वाली पीढ़ी हमको दोष देवे। अगर ऐसा कानून बनेगा कि साहब, मुझे सिर्फ रोग उस ऊंट को हो गया, इसलिए मैं 120 में उसी सज़ा का लायबल हूं जिस सज़ा के लिए रोग फैलाना वाला है, रोग मैं कैसे फैला सकता हूं?

इसके अलावा देखें, माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में एक और कानून बना हुआ है प्रिवेन्शन आफ क्रूअल्टी टू द एनिमल्स एक्ट, 1960 । कैसी भी क्रूअल्टी अगर किसी जानवर के साथ होती है, उसमें ऊंट भी शामिल है तो वह क्रूअल्टी इस प्रिवेन्शन आफ क्रूअल्टी एक्ट के अन्दर आएगा। प्रिवेन्शन आफ क्रूअल्टी आन द एनिमल्स एक्ट, 1960 एंड इंडियन पीनल कोड, 1860, इनका कोई भी बचाव इस एक्ट में नहीं किया गया। उसका क्या होगा? ओवरराइड कर रहे हैं, ओवर प्रिविलेज कर दें, उसको मानें, नहीं मानें। बिना किसी तरह कोई रेफर किये, इसमें कोई इसका वर्णन भी नहीं है और सिम्पल यह लिख दिया। कल की तारीख में जाकर के जहां कहीं भी डेरोगेटरी यह ला होगा, वह डेरोगेटरी ला चैलेंज होगा, कांस्टिट्यूशन के खिलाफ है और वह आर्टिकल 13 "Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights." और ज्यों ही इस कानून को लेकर के आप जाएंगे तो जो फंडामेंटल राइट हैं, केवल मैं एक मिनट के लिए आऊंगा, उसके बाद जो आर्टिकल 301 है, उसके पहले आर्टिकल 301, "Freedom of Trade, Commerce and Inter-course." इन सबके आधार पर जाएंगे तो जो वर्तमान में हिन्दुस्तान के राजस्थान में जो प्रिवेलिंग कानून है, चाहे प्रिवेन्शन आफ क्रूअल्टी टू द एनिमल्स एक्ट, 1960 है, या इंडियन पीनल कोड है, इनको जब तक आप, आपने यह तो कह दिया कि वे हमारे यहां लागू नहीं होंगे और अगर वे लागू होंगे तो यह लागू होगा, कि वह लागू होगा, यह सब आपको बताना था। एक तो मेरा यह।

इससे भी अधिक, माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा लें आप, इस कानून का पहला भाग जो दिया है, जिसको हम खंड बोलते हैं, सेक्शन दिया है

(श्री जोगाराम पटेल)

2 और सेक्शन-2 में इन्होंने, मैं अंग्रेजी वाला थोड़ा-सा निवेदन करूंगा, सुविधा के लिए 'एक्सपोर्ट' को डिफाइन किया है (एफ) में और वह जो हिन्दी वाले वर्शन में है 'निर्यात', वह (च) में। "निर्यात से राजस्थान राज्य के बाहर के किसी भी अन्य स्थान को ले जाया जाना अभिप्रेत है।" तो मैं यह माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, अपने जवाब में, कि क्या इस कानून की मार्फत जो माइग्रेशन होता है ऊंटों का, वह माइग्रेशन रोकने का भी उद्देश्य है, या ऊंटों की संख्या कम नहीं हो, और उनका वध नहीं हो यह रोकने का उद्देश्य है? क्योंकि जो आपने अपना ऐम्स एंड आब्जेक्ट्स बताया है, उसमें माइग्रेशन को रोकने का कोई आब्जेक्ट हो ही नहीं सकता और माइग्रेशन अगर आप रोकोगे तो आपका फंडामेंटल, ज्योंहि जाएगा, वह आपका आर्टिकल 13 भी हिट करेगा और आर्टिकल 300ए और 301 भी हिट करेगा। "Persons not to be deprived of property save by authority of law. No person shall be deprived of his property save by authority of law." और ये 300ए कहता है "Freedom of Trade, Commerce and Intercourse- Subject to the other provisions of this Part, trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free." मैं इंडिया में जाकर के, किसी भी स्टेट में जाकर के, अपना ट्रेड कर सकता हूं और हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड, अगर ऊंट का जो ट्रेड है, वे मेलों में ले जाते हैं, कोई शादी में ले जाते हैं, कोई किसी कैमल सफारी में ले जाते हैं और पता नहीं, नाना प्रकार के कामों में, ट्रेड में ऊंट को काम में लिया जा रहा है, आज की तारीख में लिया जा रहा है, और ये हमारे जो ट्यूरिस्ट आते हैं इसको सबसे ज्यादा इस काम में लिया जाता है। कैमल सफारी निकलती है। मैं अभी आपसे निवेदन करूंगा कि बी एस एफ वालों के पास कम से कम आज की तारीख में हजार ऊंट होंगे, उससे भी ज्यादा होंगे और जब वे बोर्डर पर निकलते हैं तो वह सारा बोर्डर, चाहे वह गुजरात का बोर्डर है, चाहे वह राजस्थान का बोर्डर है, चाहे पंजाब का बोर्डर है, वे आराम से लेकर जाते हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन-सा प्रोविजन आपने इसके अन्दर बनाया है जिसकी वजह से बी एस एफ वाले अपने ऊंट को लेकर के नहीं जा सकेंगे? क्या बी एस एफ द्वारा ऊंट को लेकर के रात-दिन फिरना उनके साथ क्रुअल्टी है या वे आपसे परमिशन लेंगे और बिना परमिशन वे जा भी नहीं सकेंगे, ऊंट को लेकर के, कहीं। तो पहला मेरा निवेदन यह था कि सरकार का कतई यह मंतव्य नहीं था कि ऊंट के माइग्रेशन को कहीं रोका जाए, या ऊंट का जो माइग्रेशन होगा उसको रोका जाए। इसलिए पहला निवेदन तो यह।

(श्री जोगाराम पटेल)

दूसरा मेरा निवेदन यह था कि जो ला बनाया है निर्यात का, वह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने को रोकने का है। एक राज्य के अन्दर, राजस्थान के अन्दर, जैसलमेर से भरतपुर में ले जाऊं, उसमें इनको कोई एतराज नहीं है, चाहे मैं उसके साथ कुछ भी करूं। अगर आप यह बता दें कि आपका सेक्शन-3, जो इसका मेन सेक्शन है, सैक्शन 3 में सब-सेक्शन (1) तक तो ठीक है कि आप ऊंट के वध को रोकना चाहते हैं यहां तक हम सब सहमत हैं, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन हम उसके बाद आएं, सब-सेक्शन (2) है, वहां तक भी ठीक है कि ऊंट या ऊंटनी का मांस न ले जाएगा, न रखेगा, न खायेगा, यहां तक भी हम सहमत हैं, लेकिन आप सब-सेक्शन (5) में आएं और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे साथ देखें इसको, ''वध के प्रयोजन के लिए ऊंट के निर्यात का प्रतिषेध और अन्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन।'' अगर मैं एक ऊंट को, फोर एग्जाम्पल, आपका संसदीय क्षेत्र रहा है जालौर, सिरोही और सांचौर और बनासकांठा एक ही बोर्डर पर हैं, आधे खेत इधर हैं, आधे खेत इधर हैं; कभी लोग इधर रहते हैं, कभी लोग इधर रहते हैं। आप पिण्डवाड़ा के बार्डर पर जाएंगे, प्रतापगढ़ के बार्डर पर जाओगे, तो सुबह लोग इधर जाते हैं, शाम को लोग इधर आ जाते हैं। आधा बिजनेस उनका इधर है, आधा बिजनेस इधर है। अगर वे एक साथ रहते हैं तो उनको कभी पता ही नहीं लगता कि हम इधर आते हैं। ऊंट सुबह उठते हैं, चरने के लिए छोड़ते हैं, तो सांचौर क्रोस करके गुजरात में चले जाते हैं और दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच-पांच दिन में वापस लाते हैं। ऐसा सारे बोर्डर पर होता है।

अब जो कानून बनाया गया है वह देखें आप- ''कोई भी व्यक्ति किसी भी ऊंट का स्वयं या अपने एजेन्ट, नौकर या अपने निमित्त कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के जरिये, वध के प्रयोजनों के लिए या यह जानकारी होते हुए कि उसका वध किया जा सकता है...'' यह कैसे इमेजिन कर सकते हैं आप? मैं मेरे आदमी को कहूं कि तू ये पचास ऊंट हैं, जिसको हमारी भाषा में टोला कहते हैं, टोला लेकर जा, तीन दिन चराने के बाद वापस ले आना। अब उनमें से अगर कहीं दो ऊंट जाकर किसी कारण से खतम हो गये, एक्सिडेंट से हो गये, नैचुरल बीमारी से हो गये या और किसी कारण से हो गये, कोई मेरा विरोधी है उसने आकर के मार दिया, तो मेरे ऊपर तो मुकदमा हो गया। एक्सिडेंट से हो गया; कोई भी कारण से हो सकता है। तो ये कैसे माना

(श्री जोगाराम पटेल)

जाएगा? प्रिजम्प्शन आफ ला का कभी-भी ला नहीं बन सकता। it must be presumed that you committed an offence. प्रिजम्प्शन का ला सिर्फ उन परिस्थितियों में बताया है जो सेटल्ड ला है, या ला आफ लेंड है अदरवाइज कभी प्रिजम्प्शन का ला नहीं बताया है। We presume it कि आपकी इंटेंशन यही है, "या किया जाना सम्भाव्य है।

राज्य के भीतर के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को निर्यात नहीं करेगा" अब इसमें यह लिखा है कि राज्य के भीतर के स्थान से राज्य के बाहर के स्थान को निर्यात नहीं करेगा,तो फिर आपकी डेफिनेशन के सब-क्लाज (च) की कहां आवश्यकता है? आपने खुद ने डिफाइन ही कर दिया इसमें।

इसका अगला देखो, अब सरप्राइजिंग देखें आप, "उप धारा 1 में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होने पर भी, राजस्थान के दुर्भिक्ष और अभाव..." इनका कहना है फेमिन, जिसको जनरली हम समझ पाये फेमिन, '...से ग्रस्त क्षेत्रों से ऊंट का किसी विधिमान्य परमिट के अधीन चराई के प्रयोजनों के लिए भारत में, के अन्य राज्यों में अस्थायी प्रव्रजन, विहित..." और उसमें आगे "...अधिकथित रीति से, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा।" अगर मुझे अपने ऊंट को चराने के लिए सांचोर में चीतलवाना के रहने वाले; चीतलवाना, आप अच्छी तरह से जानते हैं, चीतलवाना से आधा किलोमीटर पर गुजरात बोर्डर शुरू होता है, अगर मुझे चराने के लिए ऊंट को उससे आधा किलोमीटर उधर जाना है, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा एस डी ओ के पास, कहूंगा, मुझे ऊंट चराने के लिए परमिशन दो। तो तब वह क्या करेगा, आप देखें, वह करेगा क्या; वह परमिशन नहीं देगा मेरे को, वह किसी बात की जांच करेगा, सक्षम प्राधिकारी। सब-क्लाज (3), "वह किसी भी दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्र में निवास करने वाला और किसी ऊंट का प्रव्रजन चाहने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले सक्षम अधिकारी को, ऊंटों की संख्या और उस राज्य या उन राज्यों का नाम, जिसमें या जिनमें प्रव्रजन प्रस्तावित है और ऐसी कालावधि..." कितने टाइम के लिए ले जा रहे हो, "...जिसके लिए परमिट अपेक्षित है, के सहित, प्रस्तावित प्रव्रजन की आवश्यक होने की परिस्थितियों का कथन करते हुए..." Reason must be explained कि आप क्यों ले जा रहे हो; रीजन देगा वह कि इसलिए ले जा रहा हूं, वह ले जाएगा और परिस्थितियों का कथन करते हुए आवेदन करेगा। अब

(श्री जोगाराम पटेल)

वह आवेदन करेगा, उसके बाद वह देगा नहीं। एस डी ओ क्या करेगा, एस डी ओ कैसे कहेगा, "सक्षम प्राधिकारी, उप धारा (3) में निर्दिष्ट आवेदक के अनुरोध की वास्तविकता के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात..." Then he is first to satisfiy that the reason is available for migration of the camel. अब वो एस डी ओ कहेगा कि नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, आपका कारण सही नहीं है। तो मैं तो नहीं ले जा सकता।

अब ऐसे कानून की किस तरह से आवश्यकता हुई और क्यों आवश्यकता हुई, यह आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं अपने ऊंट चराने के लिए आधा किलोमीटर इधर ले जा रहा हूं, तो मैं परमिशन लेने के लिये जाऊं, फिर मैं रीजन दूं, मैं उसकी क्वांटिटी दूं, मैं उसकी क्वालिटी दूं, मैं उसका पीरियड दूं, फिर उसके बाद प्राधिकृत अधिकारी है, उसका अपना सेटिस्फेक्शन होगा तो वह मुझे परमिट देगा।

इससे आगे देखें। परमिट दे दिया, मैं ले गया। मैंने एप्लाई किया 28 जुलाई को, उन्होंने मुझे परमिट दे दिया, अब मुझे करना क्या है? सब-क्लाज (4) जो मैं अभी पढ़ रहा था, "सक्षम प्राधिकारी, उप धारा (3) में निर्दिष्ट आवेदक के अनुरोध की वास्तविकता के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात्, विहित प्रारूप में और रीति से उसे कोई परमिट मंजूर कर सकेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऊंट के राज्य से बाहर ऐसा अस्थायी प्रव्रजन अनुज्ञात किये जाने के पूर्व पहचान चिन्ह लगाये जाने के लिए उपबंध किया जा सकेगा।" उसके वह आइडेंटिफिकेशन मार्क करेगा कि इतने-इतने ऊंट मेरे यहां से गये। ज्यादा आ जायें तो कहे कि यह ज्यादा कहां से लेकर आ गया। मान लो कोई ऊंटनी प्रेग्नेंट है, 10-15 दिन में अगर ब्या जायेगी, मैं उसको साथ लाऊंगा, तो मंत्रीजी कहेंगे कि यह ज्यादा कहां से लेकर आ गये? इस पर हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क है ही नहीं। मान लो, किसी कारण से भगवान न करे, कोई ऊंट एक्सिडेंट से, नेचुरल बीमारी से मर गया तो क्या होगा?

वह अगला देखें, "किसी भी मामले में उक्त प्रव्रजन की कालावधि परमिट की मंजूरी की तारीख..." मैंने तारीख बताई है 28 जुलाई,..." मंजूरी की तारीख से ठीक अगले अगस्त मास से परे की नहीं होगी।" 28 जुलाई को ली तो 31 अगस्त के आने के बाद परमिट आटोमेटिक खतम। फिर मैं कैसे चराऊंगा? यह अगस्त की तारीख लिखने का कोई न कोई आब्जेक्ट तो होगा कि अगस्त तक ही आप रख सकते हो। मैंने सितम्बर में एप्लाई किया तो मैं

(श्री जोगाराम पटेल)

फिर वापस अगस्त तक इंतजार करूं? या इससे पहले ले आऊं? मैंने 28 जुलाई को एप्लाई किया, तो मैं दो महीने रखना चाहता हूं; अगस्त से ज्यादा आप मुझे दे ही नहीं सकते, इसमें आपको पावर ही नहीं है। यह अगस्त की जो डैडलाइन दी है, मंत्रीजी, आपके विभाग के दिमाग में कोई न कोई बात होगी और विभाग यह एक्सप्लेन करेगा कि अगस्त हमारे लिये सूटेबल है। अगस्त क्यों आपको पसंद आ गया? बाकी के ग्यारह महीने आपको पसंद क्यों नहीं आये?

इसके अलावा, अगर मैं ऊंट को वापस लेकर आता हूं, जो इन्होंने टाइम दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस जाकर रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि मैं ऊंट को लेकर आया हूं, अब गिनो, इसके आइडेंटिफिकेशन मार्क देखो। कमी-फेरी हो गई तो क्या होगा? यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे ऊंट राज्य में, और परमिट में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर भीतर-वापस नहीं लाता है तो यह समझा जायेगा कि उसने उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है। मेरा आफेंस हो गया। उपबन्ध (1) यह है कि मैंने ऊंट को मार दिया। अब इस कानून को भी आपकी कांशियस अलाऊ कर देती है? एक कृषक होने के नाते, रात-दिन किसानों के बीच में रहने के नाते, हमको तो आपका समर्थन करना ही है। यह कैसे प्रिज्यूम कर लोगे? यदि कोई व्यक्ति ऐसे ऊंट राज्य में और परमिट में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर वापस नहीं लाता है तो यह समझा जायेगा कि उसने उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है, और मुझे पांच साल की सज़ा हो जायेगी। वह मर गया, उसका मेरे को एग्जम्पशन नहीं दिया है कि अगर कोई मर गया है और आप सैटिस्फेक्शन बताओगे तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। या आपने, मान लो, बेच दिया है, या किसी कारण से वहीं और काम आ रहे हैं अभी भी; मान लो, मैं पालनपुर चला गया, पालनपुर में ऊंट गाड़ी वालों ने मुझे बहुत अच्छे पैसे दिये और मैंने ऊंट गाड़ी के लिए उनको बेच दिया; या पालनपुर में किसी मैरिज पार्टी वालों ने कहा कि 10 ऊंट मुझे दे दो, मेरी मैरिज पार्टी में आगे-आगे घोड़े भी चलते हैं, हाथी भी चलते हैं, मेरे दस ऊंट भी सही। आप रात-दिन सब लोग देखते हैं कि ऊंटों को आगे आगे लेकर चलते हैं और वह ऊंट उसकी कमाई का बेस्ट जरिया है। उस ऊंट के साथ उस दौरान कोई गलत व्यवहार नहीं हो रहा। ऊंट का श्रृंगार करके आगे- आगे चलाते हैं, बड़ी शान से चलते हैं। कोई बड़े-बड़े फंक्शन होते हैं तब भी चलते हैं। हमारे यहां तो कई बड़े-बड़े राजनेता भी ऊंट के साथ अपनी सवारी निकालते हैं और हमारे यहां तो विशेषकर कैमिल सफारी का तो

(श्री जोगाराम पटेल)

बहुत बड़ा काम होता है। ऐसी परिस्थिति में जब वह ऊंट एक-दो-पांच कम हो गया तो वह मेरा आफेंस कैसे हो गया? ऊंट मैं ले गया और वापस नहीं लाया, इसकी वजह से आफेंस हो गया? अगर यह आफेंस होगा तो ऐसा कानून मेरी निगाह में तो सही नहीं होगा। उसके बाद मंत्रीजी ठीक समझें।

सब-सेंक्शन (5) में बताया, ''ऐसे अस्थायी प्रव्रजन से लौटने पर उप धारा (3) में निर्दिष्ट आवेदक सक्षम प्राधिकारी को अपने द्वारा वापस लाये गये ऊंटों की संख्या के बारे में लिखित सूचना देगा, फेरफारों के, यदि कोई हों, स्पष्टीकरण देगा।'' कि कम ज्यादा हो गये तो स्पष्टीकरण दो कि क्यों हो गये। ऊंट चराने वाला जो मेरा देवासी भाई है, या कोई भी भाई है, वह तो रात -दिन एस पी साहब के आफिस में फिरता रहेगा। अब मैं ले जा रहा हूं, अब मैं ला रहा हूं, अब मेरे इतने कम हो गये, अब इतने ज्यादा हो गये, अब मुझे बचाओ। एक ऊंट चराने वाले से आप यह अपेक्षा कर रहे हो कि वह रात-दिन आपसे परमिट ले, लावे, ले जावे। इसी काम के लिए बैठा रहे वह रात-दिन। वह जैसलमेर में बैठा व्यक्ति चराने के लिये जा रहा है, भरतपुर में बैठा व्यक्ति यू पी में चराने के लिए ले जा रहा है; हमारे यहां एक सिस्टम है कि ज्यों ही दिसम्बर, नवम्बर आता है उसके बाद सारे लोग अपनी भेड़-बकरियां लेकर ज्यादातर लोग पंजाब में जाते हैं, कोई हरियाणा में जाता है, कई लोग यू पी में जाते हैं, कई लोग भरतपुर साइड में भी जाते हैं, और वह महीना, दो महीना बाद, जब भी हमारे यहां सीजन होता है, वापस आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में, माननीय मंत्री महोदय, आप अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे तो मैं यह मान लूंगा कि यह कानून सही है।

इतनी बातें है। फिर भी एक मिनट के लिए मान लें, आप में से अनेक व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने देखा होगा कि ऊंट खेती के काम आता है, डेयरी के काम आता है। अगर ऊंट को मैं खेती के काम में लूंगा तो भी, मंत्रीजी मुझे आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी। आप सब-क्लाज (7) देखें, ''सक्षम प्राधिकारी कृषि या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए या किसी पशु मेले में भाग लेने के लिए राजस्थान से ऊंट के निर्यात के लिये विहित रीति से विशेष परमिट जारी कर सकेगा और ऐसी अनुज्ञा मंजूर करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निर्यात से ऐसे ऊंटों की संख्या किसी भी रीति से स्थानीय क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता के स्तर से कम न हो जाये।'' ''राजस्थान में कितना मापदंड निर्धारित किया है, राजस्थान स्तर पर,

(श्री जोगाराम पटेल)

या जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, कि कम से कम इतने ऊंट तो हमको चाहिये ही चाहिये; इससे कम होगा, तो हम मानेंगे कि वास्तविक आवश्यकता के स्तर से कम हो गये? मैं खेती के लिए अपना ऊंट ले जा रहा हूं, मेरे खुद का खेत है, मेरा ऊंट है, खेती में काम लेना क्रूरता नहीं है, मैं अपने ऊंट को काम में ले रहा हूं, आप कहां मेरे पर रोक लगा सकते हो? फिर मेरी फ्रीडम आफ ट्रेड का क्या होगा? मेरे फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा? मेरे राइट टू प्रोपर्टी का क्या होगा?

ऐसी स्थिति में यह जो धारा 6 बनाई गई है, धारा 3, 4 और 5, यह जो 5 में बताया है, मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद भी देखेंगे, इन प्रावधानों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो लगेगा कि कानून गलत है। सब-क्लाज (8) में अपील के प्रोविजन बनाये हैं, अगर मैं प्राधिकृत अधिकारी से सेटिस्फाई नहीं हूं तो अपील करूं। फिर परिवाहक का दुष्प्रेरक होना, यह धारा 6 है जिसका अंग्रेजी मीनिंग है। ''Transporter to be abettor'' अगर कोई ट्रांसपोर्ट में ले जाता है, उसको माना जायेगा, उसके खिलाफ 120-बी...।

अभिगृहीत ऊंट की अभिरक्षा और निपटारा "Custody and disposal of camel seized." सभी माननीय सदस्य जरा ध्यान से देखें, आप सभी वाकिफ हैं, ऊंट संख्या में कितने होते हैं, कहां पर रह सकते हैं। अगर किसी ने कोई गलती की तो वे क्या करेंगे और वे ऊंट किसको देंगे और वे कहां रखेंगे प्रेक्टिकली? ''जब कभी तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा ऊंट अभिगृहीत किये जाये तो अभिगृहीत किये गये ऊंटों की अभिरक्षा, मामले का अंतिम निपटारा होने तक, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिये कार्य कर रही किसी भी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक एजेंसी को सौंपी जा सकेगी।'' राजस्थान में कौनसी ऐसी एजेंसी है जो कि ऊंटों को गौशाला की तरह रखती है? मिलेगी कोई? उतना भी नहीं, अगर वह नहीं मिली तो क्या होगा, मंत्रीजी? ''...परन्तु जहां किसी भी स्थानीय क्षेत्र में कोई भी ऐसी स्वैच्छिक एजेंसी नहीं हो, वहां सक्षम प्राधिकारी ऊंटों की अभिरक्षा क्षेत्र के बाहर की किसी भी ऐसी एजेंसी या किसी भी ऐसे अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंप सकेगा जो ऐसे पशुओं को स्वेच्छा से रखना चाहे।'' उससे कस्टडी ली और दूसरे दिन ऊंट मर गया, नेचुरल मर गया; एक पैदा हो गया, तो वह तो मारा जायेगा। (व्यवधान) हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य पूछ रहे हैं कि ऊंट नाक से बांधा जाता है, या गले से बांधा जाता है?

(श्री जोगाराम पटेल)

वह ऊंट को अभिरक्षा में कहां रखेगा? ऊंट को अभिरक्षा में लोगे तो रखोगे कहां? "परन्तु जहां किसी भी स्थानीय क्षेत्र में कोई भी ऐसी स्वैच्छिक एजेंसी नहीं हो, जब कभी कोई मामला अंतिम रूप से निपटा दिया जाये तो ऊंटों की अभिरक्षा या स्थायी रूप से सौंपे जाने के बारे में आगे के आदेश सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जारी किये जायेंगे जो उचित समझी जायें।" पता नहीं, साल भर में ऊंट बढ गये, घट गये। इससे ज्यादा और भी है, "उप धारा (1) या उप धारा (2) के अधीन किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से अपील कर सकेगा।"

उसके बाद बर्डन आफ प्रूफ का है। पेनल्टी का मंत्रीजी ने आपके सामने रखा है कि कब-कब कितनी पेनल्टी होगी।

फिर इसका बता दिया 120-बी का। फिर पेनल्टी का, सबूत भार, बर्डन आफ प्रूफ कैसे रख सकते हैं?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, आप क्या बताना चाह रहे हो कि सरकार इतना गलत कानून लेकर आई है?

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): सरकार की मंशा सही है; सौ बार कहा है, सरकार सही कानून लेकर आई है, लेकिन ला डिपार्टमेंट ने जो ड्राफ्ट किया है वह गलत किया है। सरकार सही है, मंत्रीजी सही हैं, मंत्रीजी का उद्देश्य सही है, आत्मा सही है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): इसी कानून को पास करोगे अभी पांच मिनट बाद में।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): उद्देश्य सही है, आत्मा सही है। अब सबूत भार, बर्डन आफ प्रूफ रखा है, वह टोटली गलत है। बर्डन आफ प्रूफ कभी भी एक्यूज्ड पर नहीं रखा जाता है। हिन्दुस्तान में सिर्फ एक कानून जिसमें बर्डन आफ प्रूफ है, आजकल जो रेप के केसेज होते हैं, सब-क्लाज (जी) डाली है, उस पर उसके ऊपर बर्डन आफ प्रूफ रखा है, जहां माइनर बच्ची हो; बाकी किसी पर नहीं है। बच्ची अगर माइनर हो तो यह बर्डन आफ प्रूफ उस एक्यूज्ड पर रखा गया है बाकी किसी मामले में नहीं रखा गया है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष जी, अधिकारों का इस्तेमाल करो ना।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): "स्थान प्रवेश के निरीक्षण की शक्तियां।" अब कहीं भी जाकर आपका इंस्पेक्टर चैक कर सकता है, अन्दर घुस सकता है। अब आपने जो अधिनियम बनाये, उसको थोड़ा-सा ध्यान से देखें। "इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित कराने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी स्थान में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने में यावत्शक्य, किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी स्थान की तलाशी या निरीक्षण सम्बन्धित संहिता की धारा 100 के उपबंधों का अनुसरण करेगा।" आपने सीजर के पावर भी दे दिये, इन्सपेक्शन के पावर भी दे दिये पुलिस को और इंस्पेक्टर को। अब बाकी जो प्रोविजन हैं, ना तो किसी को प्रिवेल किया; न नियम बनाने की शक्ति है, न किसी और कानून को लिखा।

इन सबके आधार पर मेरा निवेदन है कि आप एक बार विचार करें। आप कानून ला रहे हो, बहुत सही ला रहे हो, आपकी भावना बहुत सही है। again I repeat myselft कि यह ड्राफ्ट जिसने भी किया है वह गलत किया है। सरकार की मंशा सही है, जिस भावना से लाये, हम सब, पूरा सदन इस बात से सहमत है कि ऊंटों का वध नहीं होना चाहिए, ऊंटों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, फालतू में ऊंट माइग्रेट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम गलत कानून को अलाऊ कर दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, लास्ट में, मेरा निवेदन है, इन प्रोविजंस में कहीं भी, इसमें यह शब्द, किसलिए पालता है ऊंट, अपनी कमाई के लिए। आज तक का सारा इतिहास यही है, ऊंट किसलिए पालता है, ऊंट पालक है, उसको थोड़ी-बहुत कमाई मिल जाए। इसमें ऊंटों की संख्या में वृद्धि कैसे हो, उसके कल्याण के क्या प्रोविजन हों, ये प्रोविजन हैं क्या? उसको बार-बार आप इस तरह से बांध रहे हों, ऊंट क्यों पालेगा? अगर ऊंट पालक ही ऊंट नहीं पालेगा, तो आपका ऊंट कौन बढ़ाएगा, संख्या कौन बढ़ाएंगा? जब तक आप ऊंट पालक को इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे कि ऊंटों को रखना जरूरी है, ऊंट उपयोगी हैं, जब तक ऊंट उसको बेनिफिट नहीं देंगे तो वह पालेगा क्यों? आज यूं ही ऊंट कम हो रहे हैं, बहुत मुश्किल है रखना; कहां चराये, कहां रखें। कितना कोस्टली पड़ता है वह। ऐसा जानवर है कि रख भी नहीं सकते।

(श्री जोगाराम पटेल)

इसलिए ऊंटों को पालने, ऊंटों का संवर्धन करने, ऊंटों का प्रजनन बढ़ाने, ऊंटों का संरक्षण करने के सम्बन्ध में कोई प्रोविजन नहीं है; ऊंट पालकों के सम्बन्ध में कोई प्रोविजन नहीं है कि इस तरह से आप ऊंट बेचो मत, माइग्रेट मत करो, यह मत करो, वह मत करो; आपको इसका नुकसान होगा तो हम भरपाई करेंगे। भरपाई मत भी करो, उसको प्रोत्साहित तो करो। उसका भी कोई प्रोविजन नहीं है। इस कानून की वजह से ऊंट पालकों को जो नुकसान होगा, उसका क्या होगा? वह कुछ कर भी नहीं सकता; वह हाथ ठेला भी नहीं चला सकता; ऊंट टाडे भी नहीं चला सकता, वह खेती के काम में नहीं ले सकता। पहले चड़स चलाते थे गांव में, वह चड़स भी नहीं चला सकता। वह किसी काम में ऊंट को नहीं ले सकता। अगर वह किसी काम में ऊंट को नहीं ले सकता तो ऊंट क्यों पालेगा? ऊंटों की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हो गया, ऊंट के साथ ऊंट पालकों का भी आप भविष्य सुरक्षित करो, उसकी आमदनी को सुरक्षित करो। इसमें मेरा निवेदन यह भी है।

साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि ऊंटों की संख्या की गिनती किसने की, कब की? और उसका राइट टू प्रोपर्टी है ऊंट पालक का, उसको आप कैसे रोक सकते हो?

इन सब बातों के लिए मेरा निवेदन है कि इस कानून पर एक बार विचार किया जाए। विचार करने के उपरान्त, जिस भावना से सरकार लाई है उसकी मैं पुनः कद्र करता हूं। सरकार की भावना सही है; सरकार जो काम करना चाहती है वह बिलकुल सही है; सरकार जिस उद्देश्य से यह ला रही है वह उद्देश्य भी सही है; मंत्रीजी जो प्रयास कर रहे हैं वह भी सही है, लेकिन ड्राफ्ट करने वालों ने गलती की है। ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्षः** संशोधन वापस ले रहे हैं?

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): अभी ले लेंगे, सेकंड स्टेज पर ले लेंगे।

**श्री अध्यक्षः** वह सेकंड स्टेज...

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): मेरे द्वारा जन मत जानने का जो प्रस्ताव दिया गया है, उसको मैं वापस लेने की अनुमति के लिए निवेदन करता हूं।

**श्री अध्यक्षः** प्रहलाद गुंजल।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 सदन में विचारार्थ लिया गया है। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने एक-एक खण्ड का उल्लेख करके जो कुछ कानूनी खामियां इसमें थीं, उनको उजागर किया है।

**श्री अध्यक्ष:** आप एसोशिएट कर लीजिए।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): मैं समझता हूं कि बहुत अधिक बात अभी इसमें, जो उन्होंने उल्लेख किया, उसके बाद नहीं बचतीं।

**श्री अध्यक्ष:** असली बात यह है।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानून आया है, पिछले दिनों बीकानेर में गवर्नमेंट गई और मंत्रिमण्डल की बैठक में ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दिया। इसके पीछे कारण जो भी रहे, ऊंट की घटती संख्या, ऊंट की महिमा के बारे में, जो कुछ भी राजस्थान में अब तक कहा गया, पढ़ाया जाता रहा, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, बार्डर सिक्योरिटी फोर्स भी ऊंट का इस्तेमाल करती है, कई प्रकार की बातें हैं, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा ऊंट का संरक्षण, ऊंट को बचाने की रही और राज्य पशु घोषित करने के बाद अधिकारियों ने पुरस्कार पाने की होड़ में यह कानून ड्राफ्ट कर दिया।

अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, इसका मकसद, माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल ऊंट की हत्या न हो और ऊंट के मांस का निर्यात न हो, इससे बड़ा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। इन दोनों के बारे में पशु क्रूरता अधिनियिम बना हुआ है; जिस आई पी सी, इंडियन पीनल कोड का जिक्र किया, उसमें 200 रुपये की कीमत के पशु की वध की सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। जब आलरेडी सज़ा का प्रावधान 5 साल का है, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य हाई कोर्ट में पेशे से वकील रहे हैं, उन्होंने जो सवाल उठाया कि जब आपके पास पशु क्रूरता अधिनियम मौजूद है, आई पी सी में सज़ा के प्रावधान है; आप नया अधिनियम लाकर, पहले 5 साल की सज़ा का प्रावधान है, अब आप 1 साल से 5 साल की सज़ा का प्रावधान तय कर रहे हैं। अब प्रदेश में कोई इस प्रकार की घटना होगी तो मामला किस आफेंस के तहत तय किया जाएगा? कौनसा एक्ट उस पर एप्लाई किया जाएगा?

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रक्रिया यह है, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं, जब कोई कामन ला दस-पांच अलग-अलग विषय पर, जब किसी एक विषय पर सेपरेट ला कायम कर दिया जाता है तो उसके बाद की जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स होंगी, वह सेपरेट ला के आधार पर तय होगी। उसमें कामन ला एप्लाई नहीं किया जाएगा। जब कामन ला में पांच साल की सज़ा का प्रावधान है और आप सेपरेट ला लाकर एक साल से पांच साल तक की सज़ा, यह जुडिशियरी के प्रिवलेज पर छोड़ रहे हो कि वह न्यूनतम एक साल होगी और अधिकतम पांच साल होगी। तो आप ऊंट के वध पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति कायम करना चाहते हैं, या उसमें ढिलाई बरतना चाहते हैं? आपकी मंशा है, ऊंट का वध रुके, इसके लिए बहुत अधिक सज़ा के प्रावधान तय किये जाय। 200 साल पुराने कानून में सज़ा पांच साल की है, आज आप सेपरेट ला ला रहे हैं। हमारे समाज कल्याण के मंत्री महोदय हैं, वे भी राजस्थान हाई कोर्ट में वकील हैं। कोई कामन ला मौजूद है और उसके बाद सेपरेट ला आ जाता है तो फर्दर प्रोसीडिंग्स सेपरेट ला के आधार पर होंगी।

हम क्या संदेश देना चाहते हैं? केवल अधिकारियों ने तय कर दिया, राज्य पशु घोषित कर दिया, सरकार की एक बड़ी उद्‌घोषणा है; मारवाड़, बीकानेर और इस इलाके के लोगों में एक संदेश चला गया। हमें पुरस्कार पाने के लिए सरकार के सामने एक बिल को ड्राफ्ट करके ले जाना है। उस बिल में क्या–क्या जरूरी चीजें हैं, इनको समाहित नहीं किया।

एक-एक खण्ड का जो उल्लेख किया, मैं बहुत ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करना चाहता; माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-एक, नाम परिभाषाएं। परिभाषा में 'निर्यात' की परिभाषा दे दी, लेकिन 'अस्थाई प्रव्रजन' की परिभाषा नहीं। अस्थाई प्रव्रजन का धारा 5 में उल्लेख है, उस अस्थाई प्रव्रजन में कोई भी व्यक्ति अपने ऊंट को अगर राज्य की सीमा के बाहर ले जाएगा तो उसको परमिट लेना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान में ऊंट ज्यादा पाया जाता है लेकिन हाडौती अंचल है उसमें कस्बा थाना में ऊंट पलता है, अगर वह भैंसरोडगढ़ का ऊंट प्रतापगढ़ में जाता है, राजस्थान के दूसरे हिस्से में, तो उसको मध्य प्रदेश के सिंगोली में होकर जाना पड़ेगा। अगर बेगूं में कोई व्यक्ति ऊंट का व्यवसाय करता है, ऊंट पालता है और उसको अगर भैंसरोडगढ़, रावतभाटा जाना है तो उसको राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा में से होकर गुजरना पड़ेगा। कस्बा थाना का व्यक्ति जो जंगल में ऊंट चराता

(श्री प्रहलाद गुंजल)

है, वह रोज मध्य प्रदेश की सीमा में जाकर ऊंट चराता है। आपने कह दिया, उसके लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट भी जब आपको पूरी तरह से कलक्टर, सक्षम अधिकारी को, एस.डी.एम. नहीं, कलक्टर उल्लिखित किया गया है, वह संतुष्ट हो जायेंगे, उसके आधार पर देंगे और तय कर दिया कि आप 31 अगस्त से पहले-पहले वापस आयेंगे और वापस आकर यह बतायेंगे आप, इसका फेरफारों, फेरफारों का यदि कोई हो तो स्पष्टीकरण करेंगे। यानी, संख्या में कोई अन्तर आया हो, तो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से, गौ हत्या, वध का कानून भी देश के कई राज्यों में बना हुआ है, पशु क्रूरता का सेंट्रल एक्ट है, उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति पशु पालता है तो उसको पशु को, बड़े-बड़े मेले होते हैं, पशु मेले, पशुओं को बेचने का प्रावधान है। पशु का बेचान भी किसानों के लिए आजीविका का साधन बनता है। गायों को किसान बेचता है। भैंसों के मेले में भैंसे बिकती हैं; ऊंटों के मेले में ऊंट बिकते हैं। आप उसके विक्रय के अधिकार को किस प्रकार से खतम कर सकते हैं? किसी के पास पचास ऊंट हैं और अगर वह मेले में उन ऊंटों को बेचना चाहता है तो आप कहीं दूसरे स्टेट में जाकर उसके विक्रय के अधिकार को, उसके प्रिविलेज को, उसके देश के कोनों में घूमने की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं कर सकते। इससे तो ऐसा लगता है कि आपने ऊंटों के संरक्षण के बजाय, एक अपराधी के लिए कोर्ट का जुडिशियल आदेश जारी हो जाता है कि वह राज्य की परमिशन के बिना, न्यायालय के आदेश के बिना राज्य की सीमा को, देश की सीमा को छोड़कर नहीं जा सकता। आपका यह एक्ट ऊंट के विचरण पर एक जुडिशियल आर्डर की तरह हो गया कि आप कलक्टर के आदेश के बिना नहीं जा सकते।

आपने ये सारी चीजें तो तय कर दीं कि किस-किस बात को आप अपराध मानेंगे, किसके लिए आप सज़ा का प्रावधान तय कर रहे हो, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से उसको राज्य का पशु घोषित किया है, राज्य पशु, तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बीकानेर की मंत्रिमण्डल की बैठक को आज कितना समय हो गया; ऊंट को राज्य पशु घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी किये हुए कितने दिन हो गये। आज यह बतायें माननीय मंत्री महोदय कि राज्य पशु घोषित होने के बाद इस राजस्थान का ऊंट, रेगिस्तान का जहाज, किसी जंगल में चरने के लिए जाता

(श्री प्रहलाद गुंजल)

है तो वन विभाग के लोग उसको जब्त करके जुर्माना करते हैं। यह रामगंजमण्डी से आने वाली माननीय सदस्या बैठी हैं...

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): जुर्माने के दस हजार रुपये लेते हैं। (व्यवधान)

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): दर्रा के जंगलों में ऊंट पालते हैं लोग। जब फोरेस्ट का व्यक्ति जंगल में विचरण करते हुए एक ऊंट को पकड़ता है तो दस हजार रुपये का जुर्माना तय करता है। आप तय करें कि राज्य पशु है, तो टाइगर कोरिडोर को छोड़कर, इस राजस्थान के तमाम जंगलों में ऊंट के विचरण पर वन विभाग किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगायेगा, न जब्त करेगा, न जुर्माना लगायेगा। आप उसके अधिकार का, उसके जीवन का संरक्षण करें और आप तय करें कि अगर राज्य पशु है, उसको हमें बचाना है। आज पशुपालन बहुत बड़ी चुनौती है। ऊंट पालना बहुत बड़ा संकट का विषय है। साधारण परिस्थिति नहीं है। आप पशुपालन मंत्री के नाते तय करें कि राज्य पशु को अगर आप संरक्षण देना चाहते हैं, अच्छा होता, इस कानून में क्लाज डालते कि इस पशु को बचाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, इस ऊंट का निःशुल्क बीमा राज्य सरकार करेगी। सारा सदन एक राय होकर इसका समर्थन करता।

आगे ऊंट की अभिरक्षा के बारे में बहुत कुछ लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने बता दिया, पुलिस को अधिकार दे दिये, अधिकारी जायेगा, ढूंढेगा, और फिर आपने ऊंटशालाएं खोली नहीं। ऊंटों के लिए आपने तय कर दिया कि कलक्टर और एस.डी.एम. चाहेंगे, गलत तरीके से किसी ने ऊंटों को रख रखा है, गलत तरीके से; ऊंट तो आफत है अपने आप में, ऊंट को पालना चुनौती है; अब आप किसी को गलत कहेंगे, किस को सही कहेंगे और उसके बाद किसी व्यक्ति को आप सौंप देंगे। लेकिन राजस्थान में आज तक गौशाला की तरह कोई ऐसी ऊंटशाला नहीं है। अधिकारियों ने दिमाग लगा दिया, जिस प्रकार से गाय को जब्त करके, लदान के लिए ट्रक को जब्त करके और गौशालाओं को सौंप दिया जाता है, ठीक इसी तरीके से ऊंटशाला को सौंप देंगे। लेकिन राजस्थान में आपको अगर राज्य पशु को संरक्षित करना है और सरकार इस दिशा में सार्थक कदम बढ़ाना चाहती है तो निश्चित रूप से ऊंट-शालाओं का भी प्रोविजन करना चाहिए कि अगर इस स्थिति में, ऊंट लावारिस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

स्थिति में बरामद होगा तो निश्चित रूप से सरकार इसमें ऊंटशालाओं का प्रोविजन करेगी।

आपने तय कर दिया कि उसको ले जाने वाले को हम सज़ा देंगे, सैक्शन छह में, नहीं, सेपरेट धारा 6 में, "परिवाहक का दुष्प्रेरक होना", इसमें आप सज़ा देंगे। आप इसमें सज़ा देने की बात तो कर रहे हैं और उल्लिखित कर रहे हैं कि "धारा 8 के उपबन्धों के अधीन..", और धारा 8 में आपने केवल सज़ा का जो प्रोविजन किया है, वह केवल धारा 3-ऊंट का वध, 4 और 5-ऊंट के मांस का निर्यात, ऊंट के वध के प्रयोजन के लिए ऊंट के निर्यात का प्रतिषिद्ध और अन्य प्रयोजन के लिए स्थाई प्रयोजन; यह जो 3, 4, 5 धारा का आपने धारा 8 में उल्लेख किया है, 6 का आपने कहीं किसी प्रकार से उल्लेख नहीं किया कि जो परिवहन कर रहा है, उसके लिए आप क्या प्रावधान करेंगे, धारा 8 में कहीं भी उल्लेख नहीं है। आपने सेक्शन 6 में कर दिया कि धारा 8 के उपबन्धों के अधीन सज़ा देंगे लेकिन धारा 8 में आपने उल्लिखित नहीं किया, कहीं भी कि हम परिवहन करने वाले के लिए सज़ा का प्रावधान रखेंगे और कितनी सज़ा होगी। कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

आपने तय कर दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई व्यक्ति 31 अगस्त तक की परमिशन लेकर चला गया। आप ऐसा कानून ला कैसे सकते हैं? आप उसके प्रिविलेज को, उसके मौलिक अधिकारों को कैसे खतम कर सकते हैं? अगर वह निर्धारित समय में लेकर नहीं आया तो कौन से सैक्शन लागू होंगे उस पर, तो यह माना जायेगा कि उसने सेक्शन 3, 4, 5 का अपराध किया है। यानी, मैं मेरे ऊंट को लेकर मध्य प्रदेश में चला गया और मध्य प्रदेश से अगर, कलक्टर ने जो मुझे निश्चित तारीख दी है, उससे पहले मैं लौटकर नहीं आया, तो फिर मेरे को सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जो इस अधिनियम में उल्लिखित धारा हैं, 4, 5, 6 का अपराध मुझ पर कारित माना जायेगा। आप बताइये, आप ऊंट को संरक्षण दे रहे हैं, या ऊंट को पालने वालों के पैरों में कानून की जंजीरें डाल रहे हैं? ऐसा अव्यावहारिक कानून!

आपने कह दिया, ऊंट को प्रताड़ना, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की परिस्थितियों से आप वाकिफ हैं। अभी हाल ही में मल्लीनाथजी का मेला चल रहा है, ऊंट दौड़ होती है, लोग बैठते हैं। क्या ऊंट के ऊपर बैठना उसके लिए प्रताड़ना नहीं? डण्डा मारना, दांत तोड़ देना, माननीय अध्यक्ष

(श्री प्रहलाद गुंजल)

महोदय, नाक फोड़कर नकेल डालकर ऊंट को चलाया जाता है। यह अनिवार्य है। कल आप कह देंगे, ऊंट का नाक क्यों फोड़ दिया आपने? ऊंट का नाक फोड़ना अपराध है। ऊंट को घर में बांधने के लिए मालिक नाक फोड़ता है। कल पुलिस जायेगी और अगर नाक फूटा हुआ, खूंटे से बंधा हुआ ऊंट मिलेगा; इलाके का सी.आई. कहेगा, आपने राजस्थान ऊंट वध का प्रतिषेद्ध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन के इस विधेयक का वायलेशन किया है, सैक्शन 9, सैक्शन 3, नहीं, यह तो डण्डों का है ना।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): सैक्शन 9 है।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): सैक्शन 9, उपहति कारित करने का। आपने सैक्शन 9 का उल्लंघन किया है, आप सैक्शन 9 का उल्लंघन कर रहे हैं, आपने ऊंट का नाक फोड़ करके अपने खूंटे से बांध रखा है और इसीलिए हम आपको गिरफ्तार करेंगे। आप इस ऊंट को, तब तक चूंकि बहुत अजीब परिस्थिति में आपने बांध कर रख रखा है, हम ऊंट शाला में इस ऊंट को पहुंचा देंगे।

मैं समझता हूं कि इस प्रकार का जो कानून लाये हैं, मुझे लगता है कि जिसने भी इसकी फ्रेमिंग की है, ड्राफ्ट किया है, उस अधिकारी महोदय ने केवल, और केवल, मंत्रिमण्डल के उस निर्णय के बाद कि ऊंट राज्य पशु है, अपना पुरस्कार पाने की मंशा से किया है। सरकार की मंशा ठीक है, सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहते, लेकिन ऐसे अव्यावहारिक कानून, जो मौजूदा कानूनों को सुपरसीड करे और मौजूदा कानूनों में दण्ड के अगर बड़े प्रावधान हैं और आप दण्ड के कमजोर प्रावधान लेकर आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि सेपरेट ला जो आप ऊंट का लेकर आये हैं, कामन ला के बाद यह सेपरेट ला ही काम करेगा। इस सेपरेट ला में अपराध कारित करने वाले को प्रिविलेज है, अधिक दण्ड नहीं है। इसलिए इसमें आपकी मंशा के अनुसार ड्राफ्टिंग नहीं है, इसकी ड्राफ्टिंग को जांचें।

मैं समझता हूं, मैंने जन मत जानने का प्रस्ताव दिया है, अध्यक्ष महोदय, मैं वापस लेने की अनुमति मांग लूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इस पर एक बार विचार करें और सलेक्ट कमेटी को रेफर करें। कोई जल्दबाजी नहीं है, कानून मौजूद है, इससे भी सख्त कानून मौजूद है। किसी ने

(20.00 बजे)

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हत्या की तो उस पर पांच साल की सज़ा के प्रावधान हैं, किसी भी प्रकार से अंग-भंग किया, तो उसकी भी सज़ा के प्रावधान हैं। मैं इतना निवेदन आपके माध्यम से मंत्रीजी से करते हुए, मैंने जो जन मत जानने का प्रस्ताव दिया है, मैं उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** श्री फूलचन्द भिण्डा।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहले तय करो कि कब कौन बैठाएगा इनको।

**श्री अध्यक्ष:** आज तो आखिरी दिन है, तीन दिन की छुट्टियां हैं इसके बाद। इसलिए थक भी जाओगे तो कोई बात नहीं।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस परिवार से आता हूं जिसमें ऊंट रहता है, ऊंट से खेती करते हैं और ऊंट गाड़ी भी चलाते हैं। मैं तो क्रूरता पर ही बोलूंगा। जब नया ऊंट होता है, उसको जब ऊंट गाड़ी में जोतते हैं, तो उसके कंधे पर छोटा-मोटा दाग होता है। पड़ोसी फोटो खींच कर केस दर्ज करवा देगा तो तीन साल तक अन्दर चला जाऊंगा। बैल, जब उसको हल जोतते हैं, तब भी उसके दाग होते हैं, दोनों साइड में, क्योंकि वह रस्सा डालना पड़ता है। तब भी कोई कर देगा, निश्चित कर देगा।

ऊंट रोजगार का साधन भी है और ये 15 जो जिले हैं, यहीं से चले जाएं, जयपुर जिले से आगे तक चले जाइए, हर गांव में ऊंट मिलेंगे, बैल-गाड़ी मिलेगी और अब तो ये मशीनें आ गयीं, मैं जब पढ़ता था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो यह टोंक की जो पुलिया बनी हुई है, टोंक फाटक पर, इसमें पचास-एक ऊंट तीन साल तक चले थे, जब मिट्टी आई थी। पूरे चौड़े टायर वाले, ऊंट वे मारवाड़ के ही आते थे।

इतना ही नहीं, हमारे वे माननीय सदस्य बेगूं वाले कहां गये? क्या रोज परमिट लेंगे, मध्य प्रदेश होकर उस अपने विधान सभा क्षेत्र में जाएंगे तब? रोज ही परमिट लेना पड़ेगा? सबसे ज्यादा राजस्थान में, किसी में, सीमावर्ती अगले गांव में बैल-गाड़ी से चारा भी लाते हैं, ले जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो बकरी और भेड़ वाले जाएंगे, जब अकाल पड़ता है तो वहां पर जाना ही पड़ता है, पानी के नजदीक। तो वे अपना सामान ऊंट पर ही लाद कर ले जाते हैं। तो वे ले जाना बंद करेंगे। या तो बकरियों को नहीं ले जाएंगे, बकरियों के रेवड़ को नहीं ले जाएंगे, या फिर ऊंट को नहीं ले जाएंगे।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

वास्तव में, यहां पर दो-तीन बहनें भी बैठी हैं, पशु की क्रूअल्टी में तो, जब वह हीट में होता है और उसकी व्यवस्था नहीं होती है, वह है क्रूअल्टी। बाकी जो चीजें लिखी गई हैं, वे गलत हैं, बिलकुल भी। ऊंट के मोरी डालते हैं, जब वह सर्दी आती है तब वह मस्ती करता है तो मोरी डालनी पड़ती है। मोरी का फोटो खींच कर मेरा पड़ोसी कह देगा तो मुझे तो जेल में जाना पड़ेगा। मोरी डालते हैं, अनिवार्य होता है मोरी डालना; हां, छीकी जिसको बोलते हैं। नाक में बालियां भी डालनी पड़ती हैं। केवल नाक फोड़नी ही नहीं पड़ती, बालियां भी डालनी पड़ती हैं, तब कंट्रोल होता है वह।

इतना ही नहीं, ऊंट, और अब आधुनिक युग में कार और स्कूटर, ये चोर को ले जाने वाले साधन हैं; पहले ऊंट ऐसा था जो चोर को ले जाता था। पीछे ऊंट होता था तो पकड़ पाते थे, नहीं हो तो नहीं पकड़ पाते थे। अब अगर ऊंट चला गया तो कहां से गिनती चुकाएंगे?

यह रोजगार का साधन है, कमाई का साधन है और आप इसको पास करके देख लीजिए, अभी तो तीन साल अपन हैं, तीन साल बाद गिनती करवा लेना, अगर वन-थर्ड ऊंट कम नहीं हो जाएं, तो। कौन पालेगा? इस दुविधा से, प्रशासनिक जटिलता से कौन पालेगा?

काउंटिंग साल भर में, अगस्त की बात शायद इसीलिए लिखी है कि अगस्त महीने में शायद हर महीने काउंट करवा लेंगे। हम इस प्रकार का उलटा, वध को अगर बचाना चाहते हैं, हमने राज्य पशु घोषित कर दिया, पर्याप्त है यह तो। उसके जो मापदंड हैं, उसके हिसाब से ही प्रोटेक्ट कर देंगे।

इसके साथ-साथ, जो पशु सम्पदा है, उस पशु सम्पदा में साढ़े चार लाख से तीन लाख तक हम आ गये और अब रुचि भी नहीं है। मैं तो यह कहता हूं, कई बार मजाक भी तो नहीं, वास्तविकता है वह, दो धोती वाला जब गांव का आदमी मौजूद है, तब तक है। यह शिक्षा बढ़ रही है, पैंट वाले। ये तो वैसे ही कम हो जाने वाले हैं। आप कानून क्यों बना रहे हो? ये तो वैसे ही कम होने वाले हैं। कानून बनाने से और जल्दी कम करना चाहते हैं, ऊंट को और खतम करना चाहते हैं। यह हकीकत है।

ऊंट साधन इसलिए लाया गया कि वह सस्ता साधन था पहले। अब तो यह महंगा हो गया। ईजी, वह अपनी बैल-गाड़ी, ऊंट गाड़ी को खड़ी करके हल जोत लेता है और फिर उसमें जोत लेता है। इस प्रकार की स्थिति है।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इस कारण से मैंने जन मत जानने की बात कही है। वह तो मैं वापस ले रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल के सदस्य भी यहां पर बैठे हैं, इसलिए इसको ...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आगे तो बोलो, माननीय सदस्य, भारी, दु:खी मन से वापस ले रहा हूं।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): क्या?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): भारी, दु:खी मन से वापस ले रहा हूं, यह तो बोलो कम से कम। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): यह आप बोल देना। आप बोलना, अच्छा लगेगा हमें।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): दम तो सीकर वालों को लगाना चाहिए क्योंकि बालू मिट्टी है और उसमें ज्यादा आसानी से रहता है।

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको यह-यह चीजें ठीक करने के लिए सलेक्ट कमेटी में, और मैं तो कह रहा हूं कि मारवाड़ वालों को सबको रखा जाए उसमें। यह कैसा कानून लाते हैं? इस कारण से, वरना हमें तो दोष देंगे। मैं तो अर्द्ध-मरुस्थलीय क्षेत्र में रहता हूं, जयपुर जिला अर्द्ध-मरुस्थल है। इस कारण से इनको, इन मरुस्थल वालों को सबको बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा।

**श्री अध्यक्ष**: वह प्रस्ताव नहीं है। वह प्रस्ताव नहीं है। अभी तो वापस लिया जाए।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): मैं मेरे प्रस्ताव को वापस लेता हूं जो जन मत जानने का है।

**श्री अध्यक्ष**: हां।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): लेकिन सलेक्ट कमेटी को इसको भेजे जाने का आग्रह करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: कहां? वह भी प्रस्ताव नहीं है यहां।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): क्या?

**श्री अध्यक्ष**: सलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव ही नहीं है।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): मेरा तो नहीं है लेकिन सुझाव दे रहा हूं न, सलेक्ट कमेटी के लिए सुझाव दे रहा हूं मैं। मेरा प्रस्ताव तो वापस ले रहा हूं मैं।

**श्री अध्यक्ष**: बस तो ठीक है।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): लेकिन मेरे सुझावों में तो बोल ही सकता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी माननीय सदस्यों की सारगर्भित बहस सुनने को मिली और मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 पर जो बहस हुई, माननीय सदस्यों ने रखी, वह बहुत ही सारगर्भित थी और इस कानून में जो-जो आपत्तियां थीं, जो-जो दिक्कतें हैं, उनके ऊपर, एक-एक के ऊपर, चाहे माननीय राठौड़ साहब हों, चाहे माननीय जोगारामजी पटेल साहब हों, चाहे गुंजल साहब हों, चाहे भिण्डा साहब हों, सबने जो बातें रखीं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा भी इसकी धारा-5, 9, इनमें विशेष रूप से आपत्ति है।

**श्री अध्यक्ष**: बड़ी वह दिखा रहे हो आज तो।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, 81 साल की उम्र, 8 बजकर 7 मिनट, तो फिर ध्यान तो रखना ही पड़ता है।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, नहीं, वह विषय अलग है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आप हमारा रखते हैं तो फिर हम आसन का नहीं रखेंगे, तो फिर काम कैसे चलेगा?

लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जरूरत कहां पड़ गयी? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मुख्य मंत्रीजी अगर भ्रमण के लिए बीकानेर नहीं जातीं तो यह आफत पशु-पालक के गले में नहीं आती। माननीया मुख्य मंत्रीजी को ऊंट पसंद आ गया, आनन-फानन में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, राज्य पशु का दर्जा दे दिया। जब दर्जा दे दिया तो मीडिया के माध्यम से आलोचना होने लगी कि साहब, आपने राज्य पशु का दर्जा दे दिया और इसके ऊपर सवारी होती है, बोझा ढोते हैं, यह है, वह है, कई कारण गिनाए, तो कानून के आदेश हो गये कि कानून इसके ऊपर लाया जाए।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अब हमारे राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की यह स्थिति है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसी दूसरे प्रदेश में पहले किसी बात का कानून बन गया तो उसकी नकल करने में तो बड़े माहिर हैं। उसमें मध्य प्रदेश का नाम हटाया राजस्थान का डाला; गुजरात का हटाया और राजस्थान का डाला, और कानून तैयार हो गया। लेकिन इसमें चूंकि जिन अधिकारियों ने बनाया यह कानून, न तो उन्होंने ऊंट को पाला, न ऊंट के पशु-पालकों की, किसान की चिंता से वे वाकिफ थे। सीधे डाइरेक्ट आई.ए.एस. आये, बनाया कानून और रख दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक इसमें जो उद्देश्य बताये गये हैं उन उद्देश्यों में इन्होंने साफ लिखा है कि- ''..उपयोगिता के अलावा, अतिरिक्त महत्व हो गया है। उपरोक्त कारकों को दृष्टिगत रखते हुए बूढ़े ऊंटों को भी, यहां तक कि जब वे दूध देने या भारवाही पशु के रूप में कार्य करने में समर्थ नहीं रह जाएं, अनुपयोगी या अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता।' यानी, ऊंट अगर बूढ़ा हो गया तो आप बेच नहीं सकते, उसका वध नहीं कर सकते। उसको आपको पालना पड़ेगा, उसको चारा खिलाना पड़ेगा। आज हमारे प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की यह स्थिति है, माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे कितना बड़ा कलक्टर बन जाए, कितना ही बड़ा नेता बन जाए, कितना ही बड़ा व्यापारी बन जाए, लेकिन उसके जो बूढ़े मां-बाप हैं, वे उसके लिए भार साबित हो रहे हैं और उसको यह कह रहे हों, वह पशुपालक जो गरीब है, मजदूरी करता है, अपना पशु पालकर, उसको बेचकर अपना घर चलाता था, अपने बच्चों का पालन-पोषण करता था, उसके ऊपर एक भार देने का काम किया। वह भार न तो वह सहन कर सकता है, न वह पशु बचा पायेगा। आपके इस कानून से, मैं मंत्रीजी से, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी यह कानून पारित होने से पहले वह निजात पाना चाहेगा कि ऊंट से कैसे पिण्डा छुड़ाऊं, इसको बेचूं, या कुछ भी करूं।

परमिट की व्यवस्था, मुझे सुनकर तो यह लग रहा है कि एक कलक्टर या एस.डी.ओ., जो भी प्राधिकृत अधिकारी आप बना रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय, वह तो एक तो इन ऊंटों के लिए अलग से ही लगाना पड़ेगा। वह और काम तो कर नहीं पायेगा। ऊंट गिनो, ऊंट कब गये, ऊंट कितने कम आये, ऊंट कितने ज्यादा गये। क्या है यह? किसलिये?

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

एक मोटर चलाने वाला ड्राइवर अगर गलती से एक्सीडेंट कर दे और अगर किसी मानव की हत्या हो जाये, वह एक्सिडेंट में, दुर्घटना में मारा जावे, तो उस ड्राइवर को दो साल की सज़ा और अगर आपने ऊंट को छेड़ दिया, तो तीन साल की, और मार दिया तो पांच साल की सज़ा। बड़ा विचित्र कानून बनाया है।

एकदम पुख्ता कर दिया मुख्य मंत्रीजी को राज़ी करने के लिए, कि देखो, आपको ऊंट पसंद आ गया, इसका हम संरक्षण करेंगे और पांच साल की सज़ा का प्रावधान करेंगे।

इतनी भारी कमियां और खामियां इस कानून में हैं और उसके बावजूद भी अफसोस है, वापस लेते हैं, हम हमारे जन मत का वापस लेते हैं। क्यों लेते हों, आप जन-मत को वापस क्यों लेते हों? फिर कानून बनाने के लिए आये हों, कि इन अधिकारियों के लिए मेजें थपथपाने आये हों? कानून ऐसे नहीं बनता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल अधिकारियों से कानून नहीं बनता है। इस कानून को, इस अधिनियम को कैबिनेट ने अप्रूव किया है, उसके बाद में यह सदन में आया है। इसका मतलब तो यह हो गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट हमारी सक्षम नहीं है कानून बनाने के लिए, उसको जानकारी नहीं है। अगर सरकार ही सक्षम नहीं है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना।

**श्री अध्यक्षः** विराजिये।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मेरी बात को थोड़ा-सा तो करने दो, माननीय अध्यक्ष महोदय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बहुत ही विचित्र इंस्पेक्टर राज, जो एक तरह से किसान के लिए पहले अफीम की कोई खेती कर लेता था, वह तम्बाकू की कर लेता था, तो उसके लिए...(व्यवधान)

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): आप हमारा हवाला देते हों, कम बोलने की बात कर रहे थे, अब आप खुद ही नहीं बैठ रहे।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): नहीं, आप आदेश दें, तो मैं तो बिलकुल बैठ जाऊं।

**श्री अध्यक्षः** नहीं, बोलिये-बोलिये।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): जो किसान इंस्पैक्टर राज से निजात पा चुका था, उस किसान को वापस इंस्पैक्टर राज से तंग करने के लिए आपने यह कानून बनाने का काम किया है। चाहे जब घुसेगा, चाहे जब मूल्यांकन करेगा।

एक बहुत ही शानदार इन्होंने कहा है कि रोगी कर दिया, या इसको उसने शारीरिक प्रताड़ना दे दी, और इसका भार जो है, सबूत, कि साहब, साबित कौन करेगा; उसी के ऊपर डाल दिया है। अब यह कैसा विचित्र कानून, कैसा क्या सैक्शन लगाया, मेरी तो समझ में खुद के नहीं आया। मैं दो टैबलेट लेकर आया हूं सेरिडोन की, सिर दुखने लग गया पढ़ते-पढ़ते।

मैं एक दफा तो जब, माननीय अध्यक्ष महोदय, राठौड़ साहब उठे और हलचल पैदा हुई तो मैंने सोचा यह जन मत जानने के लिए तो पक्का जाएगा, लेकिन पता नहीं, गैलेरी की तरफ गये, और वापस आ गये। इससे यह लगता है कि एक किसान के लिए, पशुपालक के लिए जो काला कानून है, यह अभी चंद ही मिनटों में पास होने वाला है, बहुमत के जोर पर।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून मौजूद है; अगर किसी ऊंट के साथ में आपने कोई गड़बड़ की तो कानून पहले से मौजूद है, लेकिन इस तरह का यह कानून लाइसेंस, अभी आदरणीय कटारिया साहब लम्बे-चौड़े भाषण दे रहे थे और जब वे बोलने के लिए खड़े होते हैं तो हम सब स्तब्ध रहते हैं, क्योंकि धारा-प्रवाह बोलना और इतने शब्दों में प्यारे-मोहित हो जाते हैं हम सब, कि खड़े ही नहीं हो पाते। उन्होंने कहा, हमारा जन -प्रतिनिधि, प्रमुख सक्षम, सरपंच सक्षम, सारे जन-प्रतिनिधि, 1,300 करोड़ का पता नहीं, कितना काम करने के लिये सक्षम हैं, और पढ़े-लिखे आ गये। तो फिर कम से कम इस कानून को ला रहे हों, तो यह तो कर दो, उस ग्राम पंचायत के सरपंच से ही वह परमिट ले लें, तो उसके लिए यह आफत तो नहीं आयेगी। वह पशुपालक कहां कलक्टर के, एस.डी.एम. के पास दरवाजे पर घूमता रहेगा। उस पंचायत में तो कर दो जिससे जाकर सरपंच को कहे कि साहब, पांच दिन मैं चराने जा रहा हूं, कम से कम आप इसकी मेरी एंट्री तो कर लो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह चाहिये था, अगर इन ऊंटों का संरक्षण करना था, तो उनको इनके ऊपर किसान को, पशुपालक को, ऊंट पालक को अनुदान देना चाहिये था, उसको

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सहायता देनी चाहिये थी कि अगर कोई एक ऊंट पालेगा तो उसको साल के 20 हजार, 30 हजार रुपये मिलेंगे; अगर वह 100 पालेगा तो इतने मिलेंगे।

आप और हम देखते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो काफी वरिष्ठ हैं और आपने तो जमाना देखा है, आप जैसे ईमानदार राजनेता बहुत कम, बिरले होते हैं, ऊंटों के टोले के टोले जाते हैं, चराने के लिए जाते हैं और वापस आते हैं। कहीं ऊंट खतम भी हो जाता है; कहीं कोई के बीच में जंच गयी, किसी के अच्छा है, तो वह अपने आगे का आने-जाने के खर्चे के लिए उसको बेच भी देता है। वह तो बंध गया। उसको लिये ही घूमो चारों तरफ, परमिट लेते रहो और ऊंट को घुमाते रहो। मतलब, ऐसा जिम्मा दे दिया, जैसे सरकार का पूरा का पूरा भार ऊंट चराने का उस पशुपालक को दे दिया कि तू हाथ लगायेगा, तो तेरी सज़ा; अगर तू ऊंट को खो देगा, तो तेरी सज़ा; अगर तूने कहीं इसके कामड़ी या लाठी मार दी, तो तेरी सज़ा; अगर तूने इसको चराया नहीं, रोगी कर दिया, तो तेरी सज़ा। अरे, वाह रे काले कानून और यह किसानों की हितैषी सरकार, किस तरह कानून ला रही है!

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। मंत्रीजी, आप अगर समझेंगे तो मुझे बताने का कष्ट करें कि यह जो कानून आप ला रहे हैं, उसके बाद में ऊंट पालक को, जो किसान हैं, आप किसान के बेटे हैं, उसको कैसे फायदा इस कानून से मिलेगा? यह कम से कम, दो मिनट आपका समय लगेगा, आप बताने का कष्ट करेंगे कि आप उसको क्या सहायता दे रहे हैं? सरकार क्या सहायता दे रही है? अगर वह ऊंट पालेगा और परमिट लेता रहेगा, उसका ध्यान रखेगा, रोगी नहीं होने का भी ध्यान रखेगा, उसको मारने भी नहीं देगा, वह बूढ़ा होगा, काम का नहीं रहेगा तो भी उसको आखिरी दम तक पालेगा, खड़ा रहेगा उसके साथ में श्रवण बेटा बनकर के उसका, उसको फायदा क्या दे रही है सरकार? यह तो बताओ।

केवल मुख्य मंत्रीजी को राज़ी करना है कि ऊंटों का संरक्षण, मैंने ऊंट देखा, ऊंट मुझे पसन्द आ गया, अब इसके लिए क्या करना चाहिये? तो जो कैबिनेट मंत्री साथ में थे, अब राजेन्द्र राठौड़ साहब ही जानते हैं, चूरू के हैं, हमारे रेगिस्तान के हैं, ऊंट को भली-भांति जानते हैं; इन्होंने कह दिया, मैडम, इसका संरक्षण कर दो और इसके लिए कानून ला दो। अब देखो, साहब, जब राठौड़ साहब कहें तो मैडम कैसे मना करें? मुख्य मंत्रीजी कैसे मना करें? मुझे

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

तो यह समझ में आ रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल, और केवल, एक व्यक्ति विशेष को राज़ी करने के लिए यह किसान को मारने वाला काला कानून लाया जा रहा है। इसलिये मैं...(व्यवधान)

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): आप ज्यादा जानते हों। ये साथ ही पढ़ें, बतायें।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं, ये तो मेरे से वरिष्ठ हैं। इनकी तो मैं नख की ही होड़ भी नहीं कर सकता। ये बराबर छह दफे जीते हैं। जो आदमी राजनीति में छह दफे एक साथ लगातार जीत जाये, उसको राजनीतिक गुरु तो मानना ही चाहिये। इसमें तो कोई दो-राय नहीं है। पार्टियां अपनी जगह हैं, लेकिन बिलकुल हंड्रेड-वन परसेंट मैं इनको पक्का पालिटिशियन मानता हूं। अगर ऐसी इनकी दुआएं ऐसी की ऐसी हम पर लग जाएं, तो देखो न, फिर जलवा क्या होता है।

**श्री अध्यक्ष**: अब स्थान ग्रहण कीजिये।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): इसलिए निश्चित रूप से, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस इंस्पैक्टर राज पर, जो किसान के लिए लाया जा रहा है, पशुपालक के लिए लाया जा रहा है, उसका भी विरोध करता हूं और माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी से आग्रह करता हूं, क्योंकि कृषि मंत्रीजी अकेले नहीं ले सकते, या तो मुख्य मंत्रीजी निर्देश प्रदान करें, या संसदीय कार्य मंत्री अगर सक्षम हों और दृढ़ विचारों के हों, तो किसानों के हित में इसको जन मत जानने के लिए परिचालित करने के लिए भेजना चाहिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

समय काफी हो गया है, बोलना बहुत कुछ था, एक-एक पाइंट पर हम भी बोल सकते थे लेकिन चूंकि आदरणीय जोगारामजी ने, राठौड़ साहब ने, गुंजल साहब ने जो बातें कहीं, वास्तव में वे बातें अक्षरशः सही थीं। इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री सुरेश सिंह रावत।

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह रावत।

(अनुपस्थित)

श्रीमती अनिता कटारा।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

श्री सुखराम विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल नागर।

(अनुपस्थित)

श्री संदीप शर्मा।

(अनुपस्थित)।

बस, बस। तो अब यह...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, इनको सब को ऊंटों का विरोधी करार दे दिया जाए, जो ऊंटों के हित के लिए ... (व्यवधान)

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि अगर ऊंट के पालन-पोषण के लिए कोई व्यवस्था करनी है, उसको बढ़ावा देना है, तो उन किसानों को प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए, ऊंट पालक को प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए और इस कानून में तब्दीली होनी चाहिए।

साहब, हम तो सुन-सुन कर ही अचरज में रह गये। कम से कम मंत्री महोदय को यह लिखे हुए और दिये हुए कानून को एक बार चैक कर लेते, तो शायद यह नौबत नहीं आती। विशेष परिस्थिति में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कानून में परिवर्तन किया जा सकता है।

तो, अध्यक्ष महोदय, आपसे यही अनुरोध है कि किसानों का और ऊंट पालक का ध्यान रखा जाए, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाए।

**श्री अध्यक्षः** स्थान ग्रहण कीजिए। प्रभारी मंत्री।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ऊंट पालने के ही पक्षधर हों सिर्फ; ऊंटनी के लिए नहीं हों न? ऊंट पालकों के लिए आप सहायता चाहती हों, उन्हीं की पक्षधर हों? ऊंटनी की नहीं हो न?

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): आपका नाम लिया जाए तो उसमें आप परिवार को शामिल नहीं मानते क्या? (व्यवधान) आप उनको परिवार में शामिल नहीं मानते क्या?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): यह तो, मंत्री महोदय, आपका है न ऊंटनी वाला विषय तो।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): मैं तो होम मिनिस्टर हूं। मैं ही मानती हूं आपकी पत्नी को कि वे होम मिनिस्टर हैं। आप यहां संसदीय कार्य मंत्री हैं।

**श्री अध्यक्ष**: प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 पर आज सदन में चर्चा हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आदरणीय हमारे गुरुजी, सभी ने बहुत अच्छे सारगर्भित नियमों की व्याख्या की है और जिस प्रकार नियमों के बारे में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उनके संदर्भ में निश्चित रूप से उचित समय पर, जब मैं कानून पर चर्चा करूंगा, तब मैं, प्रत्येक का जवाब दूंगा।

इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी ने यह कहा है कि इस अधिनियम की राजस्थान में आवश्यकता क्यों है? अच्छा होता, इस पर ऊंटों को संरक्षण, संवर्धन की कोई व्यवस्था की जाती और इस संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, Constitution of India, Article 51-A, "It shall be the duty of every citizen of India - … (g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures; …" माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब हुआ कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अन्तर्गत वन, नदी और वन्य जीव रक्षा और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। यह मूल अवधारणा इस अधिनियम की, इसकी प्रस्तावना में हमने इसको अंकित किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी ऊंट के बारे में कई प्रकार के विषय हुए, तीन बिन्दुओं पर मुख्यतः यह एक्ट बनाया गया है, विधेयक बना

(श्री प्रभू लाल सैनी)

है। सबसे पहला 'वध का प्रतिषेध' शब्द की इसमें व्याख्या की गयी है; दूसरा, इसमें 'अस्थाई प्रव्रजन' की डेफिनेशन की गयी है और तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 'निर्यात का विनियमन' की बात की गयी है।

लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आई.पी.सी. की धारा 429 में पहले से ही यह प्रोविजन है और निश्चित रूप से, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकारता हूं, यह प्रोविजन है। आपने यह भी कहा है कि जब पहले ही आलरैडी प्रोविजन है तो नया कानून बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? यह लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा, अन्य माननीय सदस्य ने भी इस बात को उठाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आई.पी.सी. की धारा 429 की बात कहना चाहूंगा। आई.पी.सी. की धारा 429 के जो एक साल से लेकर पांच साल तक की सज़ा के प्रोविजन उस एक्ट में बने हुए हैं और उसमें यह भी प्रावधान है कि किसी गाय के साथ, किसी घोड़े के साथ या कैमल के साथ या कोई भी, किसी प्रकार की रिष्टि करेगा, रिष्टि करने के बाद यदि उसका वध करेगा, उसको अस्थायी या स्थायी रूप से विकलांग करेगा या उसको ऐसी उपहति कारित करेगा जो उसको परमानेंट डिस्एबल करे या उसके अंग को अलग करे..। यह इस एक्ट में प्रोविजन है।

विद्वान साथी अधिवक्ता के रूप में मेरे साथी भी हैं, विद्वान भी हैं, आप हाई कोर्ट में वकालत भी करते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आज इस पूरे प्रदेश में यदि देखें तो 6,400 से अधिक नियम, उप-नियम, अधिनियम बने हुए हैं और, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह भी याद दिलाना चाहूंगा, जब भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 332 बना हुआ है, तो पिछले दिनों में जो कानून बना, मेडिकल परिचर्या अधिनियम बना, उसकी क्या आवश्यकता थी? मेडिकल में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ यदि किसी प्रकार की अभद्रता होती है, मारपीट होती है, या नुकसान होता है, तो उस अधिनियम की, मैं समझता हूं, कतिपय आवश्यकता नहीं होती। जब थ्री-पी.डी. एक्ट बना हुआ है तो ऐसे कानून की आवश्यकता क्यों हुई? माननीय अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता इसलिए हुई कि प्रति दिन एक ही विषय को लेकर बार-बार से वहां पर वे अपराध कारित होते हैं और सरकार की यह मंशा होती है कि उस पर स्पेसिफिक उसका कानून ही बना दिया जाए। 353, 332 का आशय भी,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, वही है जो मेडिकल परिचर्या अधिनियम बना और थ्री-पी.डी. का जो मकसद है, वह ही सेम है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सर्टेन एनिमल क्रुअल्टी एक्ट, एक सेंटर का एक्ट बना हुआ है, लगभग 1960-62 के आसपास बना होगा, उस कानून में भी यही प्रावधान था। कोई भी सर्टेन एनिमल, जिसमें गाय भी है, शेर भी है, अन्य कोई जानवर, यदि उनको किसी प्रकार की चोट, उपहति या कोई किया जाए, तो दस साल तक की सज़ा के प्रोविजन उसमें भी दिये हुए हैं, लेकिन फिर भी कानून की आवश्यकता होती है और एक कानून और बना, पशु निर्दयता अधिनियम, 1960 बना।

मेरा तात्पर्य यह हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यों-ज्यों परिस्थितियां बदलती हैं, कानून बदलते हैं, सरकार आती है स्पेसिफिक प्रोविजन करके। अब तक के जितने भी कानून बने हुए हैं, किसी भी कानून में यह प्रावधान नहीं है कि ऊंट के वध का प्रतिषेध किया जाए, अस्थायी उसको कैसे हम परमिट दें कि वह बाहर जाकर अपना काम करके वापस आ जाए और यहां तक कि कोई निर्यात भी करें तो स्पेसिफिक रीजन्स के आधार पर उसको निर्यात का परमिट कैसे दिया जाए। इसलिए राजस्थान में इसकी बहुत जरूरत पड़ी और यह कानून लेकर आये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कानून के पीछे सरकार की मंशा बिलकुल स्पष्ट है। हिन्दुस्तान में यदि हम देखें तो 81 परसेंट ऊंटों की संख्या हमारे राजस्थान में है। यदि इस परिदृश्य में हम बात करते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2003 की पशु गणना की हम बात करें तो पूरे हिन्दुस्तान में ऊंटों की संख्या 6 लाख 35 हजार थी। हम राजस्थान की बात करते हैं, 4 लाख 98 हजार थी; यदि हम गुजरात की बात करते हैं तो मात्र 53 हजार थी; और हरियाणा की बात करें तो सिर्फ 50 हजार थी। इसके बाद फिर 2007 में पशु गणना हुई और फिर पशु गणना में देखा गया कि पूरे देश की कैमल की पापुलेशन 5.17 लाख थी। उसके बाद राजस्थान की 4.21 लाख, इतनी गिरावट हुई और यहां तक कि गुजरात में 38 और हरियाणा में 39 हजार मात्र ऊंट अब शेष बचे। 2012 में अभी हाल ही में, माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर सेंसस हुई और सेंसस में जो आया, सारे देश में मात्र 4 लाख ऊंट वंश बचा और यदि राजस्थान की बात करें तो सिर्फ 3 लाख 26 हजार ऊंट बचे। यदि हम बात

(श्री प्रभू लाल सैनी)

करें गुजरात की तो 30 हजार और हरियाणा में मात्र 19 हजार ऊंट ही बचे। यानी कि ऊंटों की गिरती हुई पापुलेशन चिंता का विषय है, चूंकि इसको शिप आफ दी डेजर्ट, राजस्थान के ऊंट को सबने कहा है, हेरिटेज के रूप में भी यह काफी लोकप्रिय रहा है, इसके अलावा मिल्क के लिए भी इसका काफी प्रयोग हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि बी एस एफ की बात करते हैं तो सेना में भी उन दुर्गम स्थानों पर जहां कोई ट्रांसपोर्ट, व्हिकल नहीं जा सकता, रात्रि को गश्त करने की जरूरत हो, तो भी हमारा कैमल वहां काम आता है।

यदि हम इसकी बात करें तो जीनस कैमुलस की एक जाति है, जो राजस्थान में मिलती है। इस स्पेसीज की बात करें तो ड्रामडेरिअस ऊंट के नाम से पूरे विश्व में राजस्थान का ऊंट जाना जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान ही ऐसा प्रदेश नहीं है कि जहां पर ऊंटों के बारे में चिंतन हो रहा हो। बाकी पूरे विश्व में अगर हम देखें, भारत के अतिरिक्त, तो अफ्रीका, इजिप्ट, अलजीरिया, इथोपिया, केन्या, सूडान, सोमालिया, सऊदी अरब, चीन और पाकिस्तान में भी इस पर चिन्ता होने लगी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सऊदी अरब पहला ऐसा कंट्री है, जहां पर विश्व में बेबी क्लोन तैयार करने का काम किया गया है, कैमल रिसर्च स्टेशन ने किया है। उसका नाम 'एंजाज' रखा है। 'एंजाज' का अर्थ होता है, अरबी भाषा में, 'उपलब्धि'। 'उपलब्धि' को 'एंजाज' कहा गया है। जो कंट्री ऊंट का वध करते हैं। जहां परमिसिबल है, आज वे कंट्री इस बात पर चिन्ता कर रहे हैं। ऊंट की उपयोगिता और आवश्यकता, उसके दूध को ध्यान में रखते हुए, दूध में मिलने वाले गुणों को ध्यान में रखते हुए, रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करने के बाद में बेबी क्लोन को तैयार करने का काम कोई कर रहा है तो यू.ए.ई. में किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें इस विषय पर भी चिंता करनी पड़ेगी। मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया है। जब किसी पशु को राज्य पशु का दर्जा दिया जाता है, पूरे देश में दर्जा हमारे गौ वंश को भी दिया हुआ है, लेकिन जैसे कि माननीय सदस्यों की शंकाएं हैं कि ऐसा नहीं होगा, नकेल नहीं होगी, बोझ भी कैसे डलेगा, इनके बारे में मैं अभी आपसे निवेदन करूंगा, अभी बताऊंगा,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

लेकिन इससे पहले मैं एक ऐसे यू एस ए के वैज्ञानिक की बात कहना चाहूंगा, 'यूरो वारने' की बात मैं कहना चाहूंगा, "The camel is a multipurpose animal with a huge productive potential. To western societies and even scientists it is unfortunately an alien animal. Only a few people have realized that the camel is the most suitable domestic animal for use in climatic extremes. In time of global warming, growing deserts and increasing scarcity of food and water, the camel can be part of a solution to these problems."

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा। ऊंट पालक किसान को क्या दे रहे हो, वह बताओ।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): आप इतनी बार बोल रहे थे तो मैंने कुछ नहीं कहा। आपको कितना झेलते हैं दिन भर। थोड़ा मुझे भी झेलो। यह मैं सब पर आ रहा हूं, सारे विषय पर आ रहा हूं।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): वास्तव में आपको अंग्रेजी नहीं आती, यह तय हो गया। इसलिए मुझे सिखाना पड़ेगा।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): प्लीज, प्लीज। मैं उस पर आ रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि "ऊंट एक बहुउद्देश्यीय अद्भुत उत्पादन क्षमता वाला पालतू पशु है। पश्चिमी देशों एवं वैज्ञानिकों के लिए अभी भी यह एक पहेली बना हुआ है। बहुत अधिक व्यक्तियों ने इसकी पहचान एक अत्यधिक सहनशील पशु के रूप में की है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के दौर में जहां अत्यधिक गर्मी, सर्दी, बढ़ता हुआ तापमान और रेगिस्तान में चारे-पानी के अभाव की स्थिति में, ऊंट पालन इन समस्याओं का एक मात्र समाधान है।" यह एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कहा है। अब उन वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आ रहा है।

अब लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह क्या हो रहा है, मैं यह कह रहा हूं कि इस पर बहुत अधिक रिसर्च की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में भारत सरकार के आई सी ए आर के द्वारा राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर में स्थापित हुआ। इसमें नस्ल सुधार के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश 1976 के आधार पर काम हुआ। जुलाई, 1984 में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना के पश्चात् आज दिन तक भी कृत्रिम गर्भाधान पर अनुसंधान चल रहा है। इसमें हमें सफलता नहीं मिली। दूसरा, यदि हम एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात करते हैं, तो इतने वर्षों के बाद भी हमें सफलता नहीं

(श्री प्रभू लाल सैनी)

मिली है। इसलिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इसको चुनौती माना और इस विषय में यह देखा कि हम ब्रीडिंग के क्षेत्र में भी ब्रीडिंग स्टेशन बनायेंगे; किसानों के लिए भी किसान टोलों का गठन हम करेंगे; उनको यदि लोन देने की आवश्यकता होगी तो वह भी हम लोग देंगे। उसके अलावा, बीमा का जो विषय था, उस पर भी हम लोगों की प्रक्रिया चल रही है। एक्ट बनने के बाद उस पर भी हम लोग आयेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को हम यह बताना चाहेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है। अन्तरराष्ट्रीय अनुसंधान इसमें कई प्रकार के हो रहे हैं। ऊंट के दूध की औषधीय गुणों के बारे में भी काफी बात हुई है। हम किसानों को यह बताना चाहेंगे, हमारा यह प्रयास होगा, हमारी सरकार का प्रयास होगा, ऊंट के दूध में क्या विशेषताएं हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 16 माह तक एक ऊंटनी दूध देती है, वह 6 से 7 लीटर दूध प्रति दिन देती है। उसमें 2.5 प्रतिशत फैट की मात्रा होती है। लेकिन माननीय सदस्य जो किसान हैं, वे यह जानते हैं कि उस दूध की ज्यादा टाइम तक रुकने की क्षमता नहीं होती है; वह बहुत जल्दी खराब हो जाता है। जब तक चिलिंग व्यवस्था नहीं होगी, जब तक उसको यह नहीं कर पायेंगे, तब तक वह खराब हो जाता है। इसकी व्यवस्था भी अब सरकार करने जा रही है। हमारे आर सी डी एफ के माध्यम से चाहे बीकानेर डेयरी हो, चाहे जो भी हो, हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर इस प्रकार के कूलिंग चैम्बर स्थापित करें, या उसको प्रिजर्व करने के लिए कैसे उसका प्रयास करें।

ऊंटनी के दूध के औषधीय गुणों के बारे में आप देखेंगे कि इसमें विटामिन-सी की प्रचुर मात्रा मिलती है, विटामिन-बी की प्रचुर मात्रा मिलती है; इंसुलिन की मात्रा है; नायसिन की मात्रा है और अनसेच्यूरेटेड फैटी एसिड भी इसमें पाये जाते हैं; दूध के साथ-साथ बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी है। इसको इसलिए कह रहा हूं, क्यों जरूरत है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): इससे कौन मना कर रहा है कि ऊंट काम की चीज नहीं है? कोई मना कर रहा है क्या इस बात को?

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): कानून क्यों ला रहे हैं?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ऊंट का दूध काम का नहीं है, इसको मना कर रहा है कि कोई अपने में से?

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): इसका वध क्यों रोकना चाह रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं।

पूरे हिन्दुस्तान में और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय परिस्थितियों में भी, अगर हम कई बीमारियों की बात करते हैं तो चाहे ड्रोप्सी हो, चाहे जाइंडिस हो, चाहे इस्पिलीन हो, चाहे टीबी हो, चाहे अस्थमा हो, एलर्जिक हो, एनीमिया हो, डायबिटिक हो, स्ट्रोमक, अलसर हो, इन सारी बीमारियों में भी निश्चित रूप से इसका दूध काम आता है। इसलिए हम लोग एक जन-जाग्रति करना चाहते हैं, ऊंट को बचाना चाहते हैं; ऊंट को बचाकर उसके उपयोग के बारे में ये सारी जानकारियां हम लोग देना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में कहा है कि परिवाहक की परिभाषा नहीं की गयी है। परिवाहक का जहां तक विषय था, इसकी यदि हम डेफिनेशन को देखें, डेफिनेशन में यह आया कि मोटर यान अधिनियम 1988 के जो नार्म्स बने हुए हैं, मोटर व्हिकल एक्ट जो बना, उसके आधार पर यदि उसका स्वामी है, जैसे गौ वंश की तस्करी कोई करता है, असली मालिक घर बैठा रहता है और किसी न किसी नौकर को, सर्वेंट को या किसी एजेंट को भेजकर, उसके माध्यम से तस्करी वे लोग कराते हैं। हमने इसमें व्यवस्था की है कि यदि वह स्वामी है, या प्रभारी व्यक्ति है, या बुकिंग सम्बन्धी कोई प्रभारी या प्रबंधक या कोई भी कार्यपालक है, या भागीदार फर्म का कोई भी व्यक्ति है, ऐसे लोगों को इस दायरे में लिया जायेगा। अभी तक जो सजाएं होती हैं, राजस्थान गौ वंश वध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रव्रजन का और निर्यात का नियमन जो हमारा कानून बना हुआ है, 1995 में जो कानून बना था, आज उसमें वही ट्रक बार-बार पकड़े जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार पकड़ो तो किसी नौकर का नाम आ जाता है, फिर खलासी का नाम आ जाता है, कभी ड्राइवर का नाम आ जाता है। इसको सख्त बनाने की व्यवस्था के तहत हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है।

मैं इतना निवेदन आपसे करना चाहूंगा, जिस कानून की बात कही गयी है, धारा-2 की विशेष व्याख्या की है लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने। उन्होंने कहा था। इसमें ऊंट का निर्यात, निर्यात से तात्पर्य कृषि के लिए, रिसर्च के लिए यदि कोई भी व्यक्ति चाहे वह परचेजर हो चाहे सेलर हो, चाहे राज्य के बाहर हो, चाहे अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हो, यदि उसको वह ले जाना

(श्री प्रभू लाल सैनी)

चाहता है तो निर्यात की परमिशन सरकार उसको देगी। यह प्रोविजन हमने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निर्यात का प्रोविजन इसलिए किया है कि ऊंट जब यहां पर पैदा होता है, यदि ऊंटों का आदान-प्रदान नहीं होगा, तो उसके लिए हमने रखा है।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि कानून के द्वारा इसमें वैटिंग नहीं हुआ। यह भी कहा कि जल्दबाजी में बना कानून है। मैं सभी माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस ला का वैटिंग भी हुआ है। यहां तक कि कांस्टिट्यूशन के आर्टिकल 304 के अन्तर्गत हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी से भी इसका अनुमोदन लिया और उसके बाद ही सदन में इसको पुर:स्थापित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 3 के विषय में भी कई माननीय सदस्यों ने इस पर प्रश्न उठाया है। "ऊंट के प्रतिषेध... तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के किसी भी प्रथा के रूढ़ि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल... यानी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा टोंक के पूर्व नवाब को, 160 साल पुरानी परम्परा थी, टोंक में सार्वजनिक स्थान पर ईदुलजुहा पर सार्वजनिक रूप से उसका वध होता था और वध होने के बाद ऐसा दृश्य होता था, माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल हिल जाता था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नवाब साहब को, आफताब वली खानजी को, जिन्होंने माननीया मुख्य मंत्रीजी के कहने पर और राज्य पशु घोषित करने पर, उसका सम्मान करते हुए, गत ईद से ही उस पर अपने आप ही सुओमोटो रोक लगा दी है। कानून तो अब बन रहा है।

इससे यह सबकी मंशा है, राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति की यह मंशा है कि जब हमारे राज्य पशु के रूप में इसको घोषित किया है, तो इसके वध पर भी रोक लगनी चाहिए और निश्चित रूप से धारा-4 में जो प्रोविजन हैं, ऊंट का मांस या ऊंट के किसी भी अवशेष, कोई मिलेगा, उसके खिलाफ भी कार्यवाही करने की इसमें बात की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा-5 के बारे में माननीय सदस्यों ने कई प्रश्न उठाये हैं। धारा-5 का मुख्य रूप से स्पष्टीकरण, जो इसमें था, एक्ट की हमारी जो मंशा थी, उसके अन्तर्गत 'निर्यात का प्रतिषेध' शब्द यूज था; इसकी व्याख्या इसलिए की कि उसको बताया कि किस प्रकार से राजस्थान के ऊंट को निर्यात किया जा सकता है।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

धारा-5(2) के बारे में माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया और यह कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों को आप कैसे रोक सकते हैं? हम कहीं भी जाएं, कैसे भी जाएं, बोर्डर पर जाएं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी वीजा लेकर राजस्थान में आएगा पाकिस्तानी, पाकिस्तानी आने के बाद यह कहे कि मेरे जंचे तब जाऊंगा, How is it possible? आप यह कैसे कह सकते हैं? इसके पीछे मैं कहना चाहूंगा ...(व्यवधान) किसी भी अपराध के गठित होने से पहले विद्वान वकील साहब को कहना चाहूंगा, सी आर पी सी में और आई पी सी में प्रोविजन है, अध्यक्ष महोदय, Mens rea must be necessary to any offence. यदि उसकी बदनीयती है, यदि उसका मेन्स रिया है, यदि वह आपराधिक सोच के साथ कोई काम करता है, तो मैं सोचता हूं कि वह अपराध की श्रेणी में आता है, और यदि गुड फेथ में कोई काम किये जाते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो अपराध की परिभाषा में वह नहीं आता है। सद्भावना से किया गया कोई भी कार्य कानून की परिधि में क्षमा-योग्य होता है। इसीलिए ऊंट को जिस प्रकार से राज्य पशु का दर्जा देने की जो बात कही गई है, उसमें सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं।

परम्परागत रूप से अभी जो भी वर्तमान में काम हो रहा है, चाहे वह बी एस एफ, सेना का काम हो रहा है, या किसान के द्वारा अपने लड्ढों में उसको जोतने का काम हो रहा है, उसके नकेल डालने की जो प्रथा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, नकेल तो, हमारी महिलाएं भी नाक छिदवा लेती हैं, तो क्या यह क्रुएल्टी में नहीं आता है? यह परम्परा है, व्यवस्था है, हमारी सामाजिक परम्पराएं हैं, होती हैं, हुई हैं, होती रहेंगी। तो इन पर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने एक्ट में...।

आपने कहा कि इसमें सुधार कैसे करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, आई पी सी में कभी सुधार करने की बात आती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वकील हैं। इसके अलग से नियम बनते हैं, सारे इसके नियम बनेंगे, सारा इसका पूरा अधिनियम बनेगा। उस प्रोसीजर में हम ये सारी बातें लिखेंगे, कौन कैसे जाएगा, कौन कैसे परमिट लेगा, परमिट ले जाने के बाद में उसको कब रिलीज करेंगे।

आपने, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा, माननीय सदस्यों को,...

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय मंत्रीजी, आई पी सी में भी अमेंडमेंट होते हैं समय-समय पर।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): नहीं होता उसमें, यह नहीं आता उसमें, अपराधियों को सुधारने के वास्ते क्या करेंगे। आप दण्ड देने के बाद उसमें नहीं लिखते हैं नीचे। ये अलग एक्ट बने हुए हैं, बाल सुधार अधिनियम बना हुआ है। अलग-अलग प्रोविजन हैं...

**श्री अध्यक्ष**: आप ऊंटों तक सीमित रहें।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो विद्वान साथी के लिए था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कहा गया, अगस्त के महीने में ही, इसका राइडर क्यों लगा दिया? माननीय सदस्यों को मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह राइडर इसलिए लगा दिया, चूंकि मई-जून में बारिश नहीं होती है और ऐसी परिस्थिति में एक राज्य से दूसरे राज्य में, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, या गुजरात हो, हमारे पशुपालक अपने माइग्रेशन के रूप में जाकर अपने पशुओं को चराते हैं, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो वे लौटकर फिर वापस आ जाते हैं। यह इसलिए रखा कि कहीं ऐसा न हो जाय कि माइग्रेशन के रूप में अस्थायी प्रव्रजन का लाइसेंस तो ले जाए लेकिन वहां जाने के बाद वापस ही नहीं आयें और वहां जाकर उन ऊंटों को कहीं कत्ल-खाने पर न ले जाएं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल चराने के लिए जाए, तो यह जरूरी नहीं है। वह काम करने के लिए, मजदूरी के लिए भी तो जा सकता है। मजदूरी करने के लिए जाएगा तो क्या करोगे आप?

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): वह मेले में भी जा सकता है, रिसर्च के लिए भी जा सकता है, कृषि के लिए भी जा सकता है। आप सही कह रहे हैं...

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): वह जहां जा रहा है वहां धारा 370 थोड़े लग रही है। कहीं भी जाकर रह सकता है अपने जानवरों के साथ।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): इसीलिए सरकार की सीधी-सीधी मंशा यही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊंट का संरक्षण हो, ऊंट का संवर्द्धन हो, ऊंट का उन्नयन हो, ऊंट की ब्रीडिंग हो। इन सारे क्षेत्रों में राजस्थान की सरकार काम करेगी।

मैं तो सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसा जो कानून बन रहा है, आपने देखा होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई कानून

(श्री प्रभू लाल सैनी)

हिन्दुस्तान में नहीं है। मेरे विद्वान साथी बता दें। कानून बनाने के बाद जब-जब नई बातें सामने आती हैं, तो उसमें अमेंडमेंट भी होते हैं, उसमें संशोधन भी होते हैं, उसके रूल्स भी बनते हैं, नियम भी बनते हैं। सारी बातों को समय रहते हुए देखेंगे।

मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप इसको पास करें।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, ऊंट पालक को क्या फायदा दे रहे हो? उसको बांध ही बांध रहे हो। उसके लिए सज़ा का प्रावधान कर रहे हैं।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): उसको खाकळा देंगे, तूड़ी देंगे।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि श्री केसाराम चौधरी, श्री मदन राठौड़, श्री जोगाराम पटेल, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री फूलचन्द भिण्डा, सदस्यगण ने राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु परिचालित किए जाने का जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति दी जाए?

**(स्वीकृत)**

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 को जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

**(अस्वीकृत)**

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 15 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 15 स्वीकार किये जाएं?

(श्री अध्यक्ष)

**(स्वीकृत)**

खण्ड 2 से 15 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

## विधेयक का पारण

श्री प्रभू लाल सैनी, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 को पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2015 के प्रात: 11 बजे के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 20.49 बजे मंगलवार, दिनांक 31 मार्च, 2015 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)**

# सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

## बारां-अटरू में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने की योजना

407. **श्री रामपाल** (बारां-अटरू) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? श्रेणीवार व विषयवार विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या सरकार द्वारा प्रतिनियुक्तियों पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है? यदि हां, तो उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखे।

(4) क्या सरकार प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट ''क-1'' तथा ''क-2'' पर संलग्न है।

(2) विभाग की विभिन्न परियोजनाओं व अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति राजस्थान सेवा नियमों के नियम 141 से 144 के तहत की जाती है जिसकी प्रति परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है । विभाग द्वारा गैर-शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाये जाने हेतु समय-समय पर आदेश जारी किये गये हैं जिनकी प्रति परिशिष्ट ''ग''-1 से ''ग''-5 पर संलग्न हैं।

(3) बारां-अटरू से प्रतिनियुक्ति पर लगाये गये कार्मिकों की सूची परिशिष्ट ''घ-1'' तथा ''घ-2'' पर संलग्न है।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

(4) राजस्थान सेवा नियमों के नियम 144-ए के अनुसार विहित अवधि पूर्ण होने पर कार्मिकों को पैतृक विभाग के लिए कार्यमुक्त किये जाने के प्रावधान हैं।

**(विवरण, प्रतियां व सूचियां पुस्तकालय में रखे गये)**

## अलवर जिले में बनाये गये नवीन राशन कार्डों की जांच

**408. श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में वर्तमान में कुल कितने परिवार राशन कार्ड धारक हैं?

(2) उक्त जिले में कुल कितने परिवारों द्वारा नवीन कम्प्यूटराइज्ड राशन कार्डों हेतु आवेदन किया गया है?

(3) उक्त जिले में कितने परिवारों को नवीन राशन कार्डों का वितरण कर दिया गया है? विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अलवर जिले में भारी संख्या में गैर जरूरती एवं फर्जी राशन कार्ड बनवाये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि बिना पृथक परिवार के भी पृथक से नवीन राशन कार्ड बनवाये जाने से सरकार पर अतिरिक्त खाद्यान्न का भार पड़ेगा? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में वर्तमान में कुल 6,21,983 परिवार राशनकार्ड धारक हैं।

(2) उक्त जिले में कुल 8,64,786 परिवारों द्वारा नवीन कम्प्यूटराइज्ड राशनकार्डों हेतु आवेदन किया गया है।

(3) उक्त जिले में 8,53,134 (98 प्रतिशत) परिवारों को नवीन राशनकार्डों का वितरण कर दिया गया है।

(4) अलवर जिले में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र/गैर जरूरती लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

पटवारी/ग्राम सेवक एवं इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में सहायक अभियन्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता, सैनिटरी निरीक्षक, कनिष्ठ लिपिक के जांच दल का गठन किया जाकर कार्य किया जा रहा है।

(5) जी नहीं। प्रदेश में खाद्यान्न वितरण केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित खाद्य सुरक्षा परिवारों को ही किया जा रहा है। पृथक परिवार के कार्ड जारी होने पर सरकार पर अतिरिक्त खाद्यान्न का भार वर्तमान में नहीं पड़ेगा, जब तक कि वह खाद्य सुरक्षा पात्रता की श्रेणी में शामिल नहीं हो जाता है।

## जैसलमेर जिले के नहरी क्षेत्र में मोगों पर पक्के ढक्कन की व्यवस्था

409. **श्री छोटू सिंह** (जैसलमेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैसलमेर जिले में वर्तमान में कितने नहरी सी.ए.डी. खालों में ए.पी.एम. की व्यवस्था संचालित है एवं कितने शेष हैं? क्या सरकार शेष खालों में ए.पी.एम. व्यवस्था संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले के नहरी क्षेत्र में कई नहरों के मोगों में पक्के ढक्कन की व्यवस्था नहीं होने के कारण कई सी ए डी खालों से अनावश्यक जल की निकासी होकर पानी व्यर्थ चला जाता है? क्या सरकार सभी मोगों पर पक्के ढक्कन रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों पर कुल 1,991 खाले निर्मित हैं, जिनमें से वर्तमान में 1,046 सी.ए.डी. खालों के मोघों (आउटलेट) पर ए.पी.एम. लगे हुए हैं व शेष 945 खालों के मोघों (आउटलेट) पर ए.पी.एम. आगामी वर्षों में बजट उपलब्धता अनुसार लगाये जायेंगे।

(2) नहर के मोघों (आउटलेट) में पक्के ढक्कन लगाये जाने का प्रावधान नहीं है व ढक्कन न होने के कारण जल की अनावश्यक निकासी

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

अथवा अपव्ययता नहीं होती है। मोघों/ए.पी.एम. की संरचना में ढक्कन लगाए जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण इन पर ढक्कन लगाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## प्रदेश में अवैध खनन रोकने के उपाय

410. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को प्रदेश में अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? यदि हां, तो दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2015 तक प्रदेश में अवैध खनन के कितने प्रकरण दर्ज हुए? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 01.04.2014 से 31.01.2015 तक प्रदेश में अवैध खनन के कुल 470 प्रकरण दर्ज हुए, जिनका जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर क्षेत्र का निरीक्षण कर अवैध खनन की रोकथाम की जाती है। संवेदनशील स्थानों पर बोर्डर होम गार्ड तैनात किये हुए हैं। अवैध खनन की मानिटरिंग हेतु राज्य स्तर पर टास्क फोर्स मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी हुई है एवं जिला स्तर पर भी एक टास्क फोर्स बनी हुई है, जिसमें अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही की समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार विभिन्न विभागों के समन्वय से विशेष अभियान चलाये जाते हैं। इस वित्तीय वर्ष में माह जनवरी, 2015 तक की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

## करौली के पांचना बांध को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना

411. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री दर्शन सिंह)

(1) क्या सरकार करौली में पांचना बांध को विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार महुवा से कैलादेवी मंदिर के बीच विभिन्न स्थानों पर मिड-वे खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) पांचना बांध जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत है। पर्यटन विभाग में वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। विभाग में पर्यटन विकास कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता अनुसार कराये जाते हैं।

(2) जी नहीं। महुवा से कैलादेवी मंदिर के बीच मिडवे खोलने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

## कोटा में आवासन मण्डल की कालोनियों में रिक्त भू-खण्ड

**412. श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा) व **संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर में आवासन मण्डल द्वारा आवासीय योजनाएं बनाई गई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कौन-कौनसी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय कालोनियों में कई भू-खण्ड खाली छोड़ दिये गये हैं, जिन पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं हुआ है? यदि हां, तो किस-किस कालोनी में कहां-कहां पर? पूर्ण विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। आमजन को आवास उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कोटा शहर में विभिन्न आवासीय योजनाएं संचालित की गई हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त आवासीय कालोनियों में खाली भूखण्ड जिन पर निर्माण नहीं हुआ है, का कालोनीवार विवरण निम्नानुसार है :-

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

| क्र. सं. | आवासीय योजना का नाम | आय-वर्ग | भूखण्ड संख्या | कुल भूखण्ड | माप (वर्ग मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रंगबाडी, कोटा | मध्यम आय वर्ग-ब | 2-टी-8 से 11 | 4 | 8 X 5 |
| 2. | रंगबाडी, कोटा | उच्च आय वर्ग | 6-बी-4, 6-बी-7, 6-बी-11, 2-टी-6, 2-टी-7 | 5 | 10.5 X 18 |
| 3. | स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा | उच्च आय वर्ग | 11/199 | 1 | 10.5 X 18 |
| | | कुल | | 10 | |

परिशिष्ट-अ

**कोटा शहर में मण्डल द्वारा संचालित आवासीय योजनाओं का विवरण**

| क्र.सं. | कालोनी का नाम | लोकेशन |
|---|---|---|
| 1. | साबरमती | गढ़ पैलेस के परकोटे के निकट, कैथूनीपोल पुलिस थाने के पास |
| 2. | दादाबाड़ी | चम्बल नदी के निकट |
| 3. | विज्ञान नगर | इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के पास |
| 4. | तलवण्डी | कामर्स कालेज के निकट |
| 5. | केशवपुरा टीचर्स कालोनी | रंगबाडी रोड पर, महावीर नगर द्वितीय के सामने |
| 6. | सकतपुरा | थर्मल कालोनी के पास |
| 7. | रामचन्द्रपुरा | छावनी चौराहे के निकट |
| 8. | कुन्हाड़ी | राष्ट्रीय राजमार्ग 12 बून्दी रोड के निकट |
| 9. | महावीर नगर पारिजात | ओम सिनेप्लेक्स के सामने |
| 10. | महावीर नगर तृतीय | घटोत्कच चौराहा के पास |
| 11. | महावीर नगर विस्तार योजना सेक्टर 1 से 7 | महावीर नगर थाने के पीछे से लेकर तीन बत्ती सर्किल तक |

| क्र.सं. | कालोनी का नाम | लोकेशन |
|---|---|---|
| 12. | महावीर नगर कम्पीटीशन पेरिफेरियल (एम.एन.सी.पी.) | महावीर नगर थाने के पास, रंगबाड़ी रोड पर |
| 13. | महावीर नगर पेरिफेरियल ''ए'' व महावीर नगर पेरिफिरियल ''बी'' (एम.पी.ए.) व (एम.पी.बी.) | इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड कालोनी की बाउण्ड्री एवं महावीर नगर द्वितीय कालोनी से लगते हुए |
| 14. | रंगबाड़ी | रंगबाडी बालाजी मन्दिर के निकट |
| 15. | स्वामी विवेकानन्द नगर | वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के पास |
| 16. | गणेश तालाब सेकटर 1 से 3 | मोदी कालेज के पास, ध्यानचन्द स्टेडियम के निकट |
| 17. | वल्लभबाड़ी | किशोर सागर तालाब के पाल पर |

## गुढागौडजी के राजकीय महाविद्यालय हेतु भूमि का आबंटन

413. **श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के गुढागौडजी में राजकीय महाविद्यालय कब खोला गया? महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि कहां आबंटित की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त महाविद्यालय हेतु विभिन्न श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत किये गये? श्रेणीवार कितने पदों पर पदस्थापन किया जा चुका है व कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर पदस्थापन कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त महाविद्यालय में किस-किस संकाय में शिक्षण व्यवस्था प्रारम्भ की गई है? क्या सरकार भविष्य में अन्य संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या नगरपालिका क्षेत्र उदयपुरवाटी में सरकार राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में गुढागौडजी में राजकीय महाविद्यालय 2013-14 में खोला गया। महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु ग्राम टोडी, तहसील गुढागौडजी, जिला झुन्झुनूं में 11250 व.मी. भूमि का आबंटन किया गया है।

(2) उक्त महाविद्यालय हेतु विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदों का (परिशिष्ट-1) विवरण निम्न प्रकार है:-

1. राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) 08
2. मंत्रालयिक सेवा 05
3. अधीनस्थ सेवा 04
4. चतुर्थ श्रेणी सेवा 04
5. अधीनस्थ लेखा सेवा 01

**योग- 22**

राजकीय महाविद्यालय, गुढागौडजी, उदयपुरवाटी में स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | पद | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्राचार्य | 01 | 01 | 00 |
| 2 | व्याख्याता | 07 | 05 | 02 |
| 3 | पी.टी.आई. | 01 | 01 | 00 |
| 4 | पुस्तकालयध्यक्ष | 01 | 00 | 01 |
| 5 | कार्यालय अधीक्षक | 01 | 00 | 01 |
| 6 | सहायक लेखाधिकारी | 01 | 00 | 01 |
| 7 | वरिष्ठ लिपिक | 01 | 00 | 01 |
| 8 | कनिष्ठ लिपिक | 02 | 02 | 00 |
| 9 | प्रयोगशाला सहायक | 01 | 01 | 00 |
| 10 | च.श्रे. कर्मचारी | 02 | 01 | 01 |
| 11 | प्रयोगशाला वाहक | 01 | 00 | 01 |
| 12 | स्टेनोग्राफर | 01 | 00 | 01 |
| 13 | सूचना सहायक | 01 | 00 | 01 |
| 14 | बुक लिफ्टर | 01 | 01 | 00 |
| | **योग** | 22 | 12 | 10 |

(उच्च शिक्षा मंत्री)

व्याख्याताओं के 1,118 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी गई अभ्यर्थना के क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 12.01.15 को विज्ञप्ति जारी की गई है। कनिष्ठ लिपिक एवं शीघ्रलिपिक के पदों को भरने हेतु राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक चयन बोर्ड को निर्दिष्ट प्रपत्र में अभ्यर्थना प्रेषित करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, सीधी भर्ती/पदोन्नति/नियमित स्थानान्तरण से भी रिक्त पदों को भरना प्रस्तावित है।

(3) महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संकाय में शिक्षण की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

(4) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने व वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर, उपखण्ड मुख्यालय में राजकीय महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

**परिशिष्ट-1**

**राजस्थान सरकार**

**शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग**

क्रमांक 1(23)शिक्षा/ग्रुप-3/2013 जयपुर, दिनांक 4 सितम्बर, 2013

**आदेश**

निम्नानुसार स्थानों पर खोले गये नवीन राजकीय महाविद्यालयों हेतु निम्न बजट मद के अन्तर्गत निम्नानुसार पदों का सृजन एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

1. राजकीय महाविद्यालय, गुढामालानी, बाड़मेर
2. राजकीय महाविद्यालय, सांगोद, कोटा
3. राजकीय महाविद्यालय, गुढा, झुन्झुनूं
4. राजकीय महाविद्यालय, जहाजपुर, भीलवाड़ा
5. राजकीय महाविद्यालय, रायपुर, भीलवाड़ा

बजट मद 2202- सामान्य शिक्षा

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

103-राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान

02-राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिये) आयोजना

| क्र.सं. | पदनाम | संख्या | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | प्राचार्य | 05 | प्रति महाविद्यालय हेतु 01 पद |
| 2 | व्याख्याता | 35 | प्रति महाविद्यालय हेतु 07 पद |
| 3 | पुस्तकालयाध्यक्ष | 05 | प्रति महाविद्यालय हेतु 01 पद |
| 4 | शारीरिक शिक्षक | 05 | प्रति महाविद्यालय हेतु 01 पद |
| 5 | कार्यालय अधीक्षक | 05 | प्रति महाविद्यालय हेतु 01 पद |
| 6 | सहायक लेखाधिकारी | 05 | प्रति महाविद्यालय हेतु 01 पद |
| 7 | स्टेनो (शीघ्र लिपिक) | 05 | प्रति महाविद्यालय हेतु 01 पद |
| 8 | सूचना सहायक | 05 | प्रति महाविद्यालय हेतु 01 पद |
| 9 | वरिष्ठ लिपिक | 05 | प्रति महाविद्यालय हेतु 01 पद |
| 10 | कनिष्ठ लिपिक | 10 | प्रति महाविद्यालय हेतु 02 पद |
| 11 | प्रयोगशाला सहायक | 05 | प्रति महाविद्यालय हेतु 01 पद |
| 12 | प्रयोगशाला वाहक | 05 | प्रति महाविद्यालय हेतु 01 पद |
| 13 | बुक लिफ्टर | 05 | प्रति महाविद्यालय हेतु 01 पद |
| 14 | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 10 | प्रति महाविद्यालय हेतु 02 पद (होमगार्ड के माध्यम से) |
| | **कुल योग** | **110** | |

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101303966 दिनांक 03.09.2013 एवं आयोजना विभाग की आई.डी. संख्या 267 दिनांक 04.09.2013 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रचलित किये जाते हैं।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

**बी. एल. कन्दोई**

**संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा**

## बाड़मेर/जैसलमेर जिलों में क्राप कटिंग के आधार पर फसलों का बीमा/ऋण

**414. श्री कैलाश चौधरी** (बायतू) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कैलाश चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस वर्ष क्राप कटिंग के आधार पर किसानों की फसलों का बीमा करने के साथ-साथ किसानों को बिना ब्याज के ऋण प्रदान की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार के द्वारा किसानों से किसी प्रकार का ब्याज नहीं लेने के निर्णय के बावजूद राज्य की सहकारी समितियां, विशेष तौर से बाड़मेर और जैसलमेर जिलों की सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों द्वारा निरन्तर किसानों से ऋण के साथ-साथ ब्याज राशि भी वसूली जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सहकारी समितियों द्वारा सरकारी आदेशों की पालना नहीं करने पर सरकार किसानों के हित में उन सहकारी समितियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) विधान सभा क्षेत्र बायतू की सहकारी समितियों द्वारा गत वर्ष कितनी राशि ब्याज के पेटे वसूल की गई है? उक्त राशि का उपयोग कहां किया जायेगा? पंचायतवार वसूल की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खरीफ फसल 2014 तथा रबी फसल 2014-15 में राज्य के 12 जिलों यथा बाड़मेर, चित्तौड़गढ, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, राजसमन्द, भीलवाड़ा, झुन्झुनूं, टोंक, अजमेर, जैसलमेर, जालौर, पाली में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत वास्तविक फसल उपज का अनुमान फसल कटाई प्रयोगों (Crop cutting Experiments) के आधार पर किया जाता है। ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना वर्ष 2012-13 में प्रारम्भ की गई जिसे वर्ष 2014-15 में पूर्ववत चालू रखे जाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.12.2014 को की गई जिसके क्रम में ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋण हेतु जारी है।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक 20.12.2014 को आदेश जारी किये जा चुके हैं कि काश्तकारों से ब्याज की वसूली नहीं की जानी है, कतिपय ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा ब्याज की राशि वसूल

(सहकारिता राज्य मंत्री)

किये जाने पर सभी कृषकों के खातों में ब्याज वापिस किये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

(3) जैसलमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा ब्याजमुक्त फसली ऋण योजना पूर्ववत जारी रहने एवं ब्याज प्राप्त नहीं करने के निर्देश पत्र दिनांक 20.12.2014 के द्वारा जारी किये गये हैं जिसके प्रसारित होने के उपरान्त योजनान्तर्गत पात्र किसानों से ब्याज की वसूली नहीं की गई है। बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा दिनांक 27.12.2014 को बैंक शाखाओं को निर्देश जारी किये गये। तद्‌नुसार बायतू विधान सभा क्षेत्र को छोड़ कर अन्य किसी बैंक शाखा में दिनांक 31.12.2014 के बाद ब्याज की वसूली नहीं की गई है। जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों द्वारा विभाग एवं बैंक के निर्देश जारी होने के बाद ब्याज की वसूली की है, उन समितियों के अध्यक्षगण को बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के पत्र दिनांक 16.03.2015 द्वारा उन व्यवस्थापकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

(4) विधान सभा क्षेत्र बायतू में सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2014-15 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों के विरुद्ध ब्याज की राशि 50 लाख रुपये प्राप्त की गई है। योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत देय तिथि तक या देय तिथि से पूर्व ऋण चुकाने वाले कृषकों के खाते में उक्त ब्याज राशि ऋण खातों में समायोजन, नकद भुगतान अथवा बचत खातों में जमा किये जाने की कार्यवाही जारी है। पंचायतवार वसूल की गई ब्याज राशि एवं काश्तकारों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

**(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

## पेंशनरों को पेंशन प्राप्ति हेतु जीवित प्रमाण-पत्र देने से छूट

**415. श्री अजीत सिंह (टोंक) :** क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि टोंक विधान सभा क्षेत्र में गरीब, विधवा, बुजुर्ग व विकलांग पेंशनर्स को विभिन्न बैंकिंग संस्थानों या अन्य विभागों से हर माह मिलने वाली पेंशन प्राप्ति हेतु प्रति वर्ष स्वयं के जिन्दा होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रोफार्मा में पेश करना पड़ता है, जिसके लिये उक्त बुजुर्गों व विकलांगों को कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं तथा इसके अभाव में कई महीनों तक पेंशन रुकी रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके समाधान हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के नियम 12 के तहत प्रत्येक वर्ष मार्च माह में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पेंशनरों का ग्राम सचिवालय व्यवस्था के तहत आयोजित होने वाले कैम्पों में सरपंच एवं पटवारी पंचायतवार/ग्रामवार भौतिक सत्यापन कर हस्ताक्षरयुक्त जीवन प्रमाण पत्र (अन्य प्रमाण पत्र के साथ) सूची के रूप में तैयार कर विकास अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित जिला कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को भिजवायेंगे। पेंशनर उसके निवास क्षेत्र में पटवारी और सरपंच द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनर उसके निवास क्षेत्र की नगरपालिका/नगर परिषद/ नगर निगम में पदस्थापित अधिशासी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों का नियमानुसार भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण उनको पेंशन राशि के भुगतान में विलम्ब नहीं हो, को दृष्टिगत रखते हुए माह फरवरी, 15 (जो माह मार्च 2015 में देय है) तक देय पेंशन का भुगतान बिना भौतिक सत्यापन के किये जाने की शिथिलता प्रदान की गई है।

## खींवसर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव

**416. श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर में वर्तमान में कहां-कहां उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? उक्त विद्यालयों में वर्तमान में किस-किस विषय एवं वर्ग के कितने-कितने पद सृजित हैं तथा कितने-कितने पद किस-किस विषय के कब से रिक्त हैं? विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नियमानुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्या-क्या सुविधाएं होना आवश्यक हैं एवं उक्त क्षेत्र के किन-किन विद्यालयों में उक्त सुविधाएं

(श्री हनुमान बेनीवाल)

उपलब्ध नहीं हैं? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर के अधीन संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं विद्यालयों में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विषयवार विवरण परिशिष्ट-"क" एवं "ख" पर संलग्न है।

(2) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गतिविधियों एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने सम्बन्धी मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-"ग" पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र खींवसर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सुविधाओं की उपलब्धता के सम्बन्ध में विद्यालयवार विवरण सूची परिशिष्ट "ख" में सम्मिलित है।

जी हां। माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत यू-डाइस के अनुसार प्राथमिकता से सुविधाएं भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा स्वीकृत की जाती हैं। तदनुसार तथा राज्य में बजट उपलब्ध होने पर ही अनुपलब्ध सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी हां। विभाग में इस वर्ष निम्नानुसार पदों को भरने की कार्यवाही की गई:-

- प्रधानाचार्य के वर्ष 2014-15 तक की डी पी सी आयोजित कर 1,604 पदों को भरा गया।
- प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष के 1,007 रिक्त पदों को डी पी सी से एवं 535 पदों को आर.पी.एस.सी. से चयनित आशार्थियों से भरा गया।
- व्याख्याता के वर्ष 2014-15 तक की डी पी सी आयोजित की जाकर 8,203 रिक्त पदों को भरा गया। इनके अतिरिक्त 4,010 व्याख्याता विभिन्न विषय की अर्थना आयोग द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं। आयोग द्वारा परिणाम घोषित किये जाने पर चयनित आशार्थी उपलब्ध होते ही व्याख्याताओं के 4,010 रिक्त पदों को भरा जायेगा। उक्त पदों में 221 व्याख्याता -उर्दू के पदों पर भी भर्ती की जा रही है।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

- विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापक की वर्ष 2014-15 तक की डी पी सी आयोजित की जाकर 13,016 रिक्त पदों को भरा गया एवं 8,857 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरा गया है। सीधी भर्ती के उक्त पदों में वरिष्ठ अध्यापक- उर्दू के 409, पंजाबी के 8 एवं गुजराती के 2 पदों को भरा जा चुका है।
- शारीरिक शिक्षक- ग्रेड-II के 595 पदों को डी पी सी से भरा गया है तथा 1,041 रिक्त पदों की भर्ती की अर्थना आयोग को भेजे जाने पर आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है।
- शारीरिक शिक्षक- ग्रेड-III के 2,858 माध्यमिक शिक्षा के 1,199+ प्रारम्भिक शिक्षा हेतु 1,659 रिक्त पदों की भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भिजवाये जाने पर आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है।

शेष रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से, विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने तथा पंचायती राज विभाग से तृतीय श्रेणी अध्यापक उपलब्ध होने पर ही भरा जा सकेगा।

**(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)**

## बड़ी सादड़ी में नवीन राशन कार्डों का वितरण

417. **श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कुल कितने नवीन राशन कार्ड बनाये गये हैं? उनमें से कितने राशन कार्ड वितरित किये गये एवं वर्तमान में कितने राशन कार्ड वितरित किये जाने शेष हैं?

(2) अब कब तक शेष राशन कार्डों का वितरित किया जाना प्रस्तावित है? नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कुल 51,173 नवीन राशन कार्ड बनाये गये हैं तथा 51,173 राशन कार्ड वितरित किये गये एवं वर्तमान में 25,907 राशन कार्ड बनाकर वितरित किये जाने शेष हैं।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कुल 77080 राशन कार्ड बनाये जाने हैं, जिनमें से 51,173 राशन कार्ड बनाये जाकर वितरित किये जा चुके हैं। शेष 25,907 राशन कार्ड तैयार करने का कार्य दिनांक 31 मार्च, 2015 तक सम्बन्धित विभागीय प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जावेगा तथा 01 अप्रैल, 2015 से नवीन/डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, घटाने, परिवर्तन तथा शुद्धिकरण का कार्य ई-मित्र/सी एस सी कियोस्क के माध्यम से सशुल्क किये जाने की व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र दिनांक 02.02.2015 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जमवारामगढ़ बांध के विकास एवं संरक्षण की योजना

**418. श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में विभिन्न प्रकार की झीलों/बांधों के संरक्षण की नीति बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित जमवारामगढ़ बांध के संरक्षण व विकास हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य सरकार द्वारा झीलों के संरक्षण हेतु राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अध्यादेश, 2015 द्वारा नीति बनाई गई है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बांधों के संरक्षण हेतु कोई नीति नहीं बनाई गई है।

(2) जी हां। जमवारामगढ़ बांध के संरक्षण के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में सुमोटो सिविल पिटीशन संख्या 1153/2011 वर्तमान में लम्बित है, के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2012 को दिये गये निर्देशों के तहत की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जायल में जिप्सम का खनन

**419. डा. मंजू बाघमार** (जायल) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जायल में जिप्सम (खड़ी) के खनन का कार्य होता है? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर तथा कितनी-कितनी मात्रा में?

(2) गत आठ वर्षों से किन-किन ठेकेदारों द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) खनन का कार्य ठेके पर देने के क्या मानदण्ड हैं? नियम/मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त खनन कार्य से गत पांच वर्षों में सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ?

**उत्तर**

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जायल के ग्राम गोठ मांगलोद में आर.एस.एम.एम. लिमिटेड के पक्ष में खनिज जिप्सम का एक खनन पट्टा स्वीकृत है, जिसका क्षेत्रफल 870.74 हेक्टेयर है। उक्त खनन पट्टे से वर्ष 2013-14 में 3,49,520.120 मैट्रिक टन खनिज का उत्पादन हुआ है।

(2) पिछले 8 वर्षों में मैसर्स आर.एस.एम.एम.लि. द्वारा निम्नलिखित ठेकेदारों से खनन कार्य कराया जा रहा है:-

1. मैसर्स माताजी श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड, जायल;
2. मैसर्स रोहित अर्थ-मूर्व, उदयपुर;
3. मैसर्स प्रोग्रेसिव माइन्स एण्ड मिनरल्स श्रमिक ठेका सहकारी समिति, बीकानेर;
4. मैसर्स रोहिनी श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड, भदवासी, नागौर;
5. मैसर्स एच. जैन एण्ड कम्पनी, बीकानेर; एवं
6. मैसर्स दुगस्ताउ श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड, दुगस्ताउ, नागौर।

(3) खनन के कार्य को ठेके पर देने की पद्धति मैसर्स आर.एस.एम.एम. लि. के टेण्डर मेन्यूअल पर आधारित शर्तों के आधार पर है

(खान राज्य मंत्री)

जिसके लिए आर.एस.एम.एम. लि. द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत खुली निविदा आमंत्रित की जाती है । टेंडर मेन्यूअल के प्रावधान की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(4) उक्त खनन कार्य से विभाग को विगत 5 वर्षों में प्राप्त राजस्व निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | वर्ष | प्राप्त राजस्व |
|---|---|---|
| 1 | 2009-10 | 189.37 लाख |
| 2 | 2010-11 | 221.57 लाख |
| 3 | 2011-12 | 244.93 लाख |
| 4 | 2012-13 | 43.56 लाख |
| 5 | 2013-14 | 350.24 लाख |
| 6 | 2014-15 | 174.85 लाख |

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

## ब्यावर के उपखण्ड टाटगढ़ में आर.टी.डी.सी. की होटल खोलने की योजना

**420. श्री शंकर सिंह** (ब्यावर) : क्या पर्यटन राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड टाटगढ़ में प्रज्ञा शिखर, दुधालेश्वर महादेव, रावली अभयारण्य पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान हैं?

(2) क्या सरकार उपखण्ड टाटगढ़ को पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन स्थल घोषित करने एवं यहां पर आर.टी.डी.सी. का होटल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पर्यटन विभाग में किसी स्थल विशेष को पर्यटन स्थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है।

उपखण्ड टाड़गढ़ में आर.टी.डी.सी. होटल खोलने की योजना वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम में विचाराधीन नहीं है।

(पर्यटन राज्य मंत्री)

किसी भी स्थान पर होटल/मिडवे की स्थापना के लिए उस स्थान पर पर्यटकों के आवागमन/ठहराव/दर्शनीय स्थलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए फीजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

## पुष्कर विकास बोर्ड के गठन हेतु कार्य योजना

421. **श्री सुरेश सिंह रावत** (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2003 से 2008 के मध्य के दौरान पुष्कर विकास बोर्ड (मंडल) को वापस वजूद में लाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार की पुनः पुष्कर विकास बोर्ड के गठन की योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर नियोजन विभाग की अधिसूचना दिनांक 08 अगस्त, 1972 के द्वारा पुष्कर विकास बोर्ड का गठन किया गया था, जो वर्तमान तक अस्तित्व में है, परन्तु जनवरी 1991 के पश्चात पुष्कर विकास बोर्ड की कोई बैठक आहूत नही की गयी।

(2) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 1 के उत्तर में निहित है।

## राजकीय महाविद्यालय, बाड़ी (धौलपुर) में मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पद

422. **श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाड़ी, जिला धौलपुर में संचालित राजकीय महाविद्यालय में वर्तमान में कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक एवं व्याख्याताओं के कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों पर पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, बाड़ी, जिला धौलपुर में कनिष्ठ लिपिक के 03 पद, वरिष्ठ लिपिक का 01 पद तथा व्याख्याताओं के 04 पद रिक्त हैं।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग को व्याख्याताओं के 1,118 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्थना भिजवा दी गई है। अर्थना के क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 12.01.2015 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। कनिष्ठ लिपिक के पदों को भरने हेतु राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक चयन बोर्ड को निर्दिष्ट प्रपत्र में अभ्यर्थना प्रेषित करना प्रक्रियाधीन है। वरिष्ठ लिपिकों के पदों को पदोन्नति से भरना प्रस्तावित है।

चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर व्याख्याताओं एवं कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

## किशनगढ़ (जहाजपुर) के जी.एस.एस. के गोदाम निर्माण में अनियमितता

423. **श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला भीलवाड़ा की तहसील जहाजपुर के किशनगढ़ में ग्राम सेवा सहकारी समिति के द्वारा गोदाम का निर्माण किया गया था? यदि हां, तो कब? क्या यह भी सही है कि उक्त गोदाम के विरुद्ध जन-प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई है? यदि हां, तो शिकायत पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त गोदाम का निर्माण बिलानाम भूमि पर बिना पट्टा जारी किये ही कर दिये जाने के साथ-साथ भारी अनियमितताएं भी की गई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा कुछ कार्मिकों को ए.पी.ओ. किया गया था? यदि हां, तो किन-किनको? क्या यह भी सही है कि उक्त सभी कार्मिकों को जांच पूरी हुए बिना ही पुनः उसी स्थान पर वापस लगा दिया गया है? यदि हां, तो किस आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विभागीय त्रुटि का दोषी निलम्बित कार्मिक पुनः उसी स्थान पर लग सकता है? यदि नहीं, तो उक्त ए.पी.ओ. किये गये कार्मिकों को पुनः

(श्री धीरज गुर्जर)

जहाजपुर किस आदेश से किसके द्वारा लगाया गया? क्या सरकार उक्त कार्मिक को जहाजपुर से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। जिला भीलवाड़ा की तहसील जहाजपुर की किशनगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा गोदाम निर्माण दिनांक 04.01.2014 को प्रारम्भ किया गया था।

जी हां। गोदाम निर्माण के सम्बन्ध में ग्रामवासियों की शिकायत माननीय विधायक महोदय को की गई। (परिशिष्ट-एक) शिकायत उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के मार्फत सहायक अधिशासी अधिकारी, जहाजपुर को प्राप्त हुई। बैंक के सहायक अधिशासी अधिकारी द्वारा शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् समिति के व्यवस्थापक को गोदाम निर्माण कार्य रोकने के निर्देश तामील करवाये गये (परिशिष्ट-दो)।

(2) जी हां। अनियमितताओं के सम्बन्ध में धारा 55 के तहत जांच करवाई गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार किसी को दोषी नहीं माना गया है। (परिशिष्ट-तीन)

(3) जी नहीं। प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. भीलवाड़ा द्वारा शाखा जहाजपुर में पदस्थापित श्री गुलाब शंकर पटवा, सहायक अधिशासी अधिकारी एवं श्री कल्याणमल मीना, ऋण पर्यवेक्षक को ए पी ओ किया गया था (परिशिष्ट-चार)। भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक में स्टाफ की कमी एवं रबी ऋण वितरण व खरीफ मांग की वसूली आवश्यक होने से शाखा जहाजपुर में श्री कल्याणमल मीना को ऋण पर्यवेक्षक के पद पर लगाया गया है। (परिशिष्ट-पांच)

(4) उक्त प्रकरण में किसी कार्मिक को निलम्बित नहीं किया गया। भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक में स्टाफ की कमी एवं रबी ऋण वितरण एवं खरीफ ऋण वसूली का सीजन होने से भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक द्वारा जहाजपुर शाखा में श्री कल्याणमल मीना को ऋण पर्यवेक्षक के पद पर लगाया गया।

जी नहीं। अनियमितताओं के सम्बन्ध में धारा 55 के तहत जांच करवाई गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार किसी को दोषी नहीं माना गया है।

**(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## कपासन में वृद्धाश्रम की स्थापना

**424. श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन के धार्मिक स्थल शक्तिपीठ मरमी माताजी, मरमी में वृद्धाश्रम बनाने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो सरकार उक्त वृद्धाश्रम भवन निर्माण के लिए कितनी धनराशि कब तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में और भी वृद्धाश्रम संचालित हैं? यदि हां, तो संचालित करने वाली संस्थाओं सहित वृद्धाश्रमों की सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र कपासन के धार्मिक स्थल शक्तिपीठ मरमी माताजी, मरमी में वृद्धाश्रम निर्माण किये जाने हेतु ''राजस्थान वृद्धाश्रम योजना-2013'' के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बजट घोषणा वर्ष 2013-14 में जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों पर वृद्धाश्रम संचालन की घोषणा की गई थी, परन्तु मरमी ग्राम पंचायत तहसील मुख्यालय नहीं होने एवं वृद्धाश्रम भवन निर्माण के लिए बजट प्रावधान नहीं होने के कारण अभी तक उक्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।

बजट घोषणा वर्ष 2013-14 की क्रियान्विति के तहत जिला एवं तहसील स्तर पर निजी सहभागिता आधारित वृद्धाश्रम चलाये जाने के लिए ''राजस्थान वृद्धाश्रम योजना-2013'' के दिशा-निर्देश जारी किये गये। उक्त दिशा निर्देशों में वृद्धाश्रमों का निर्माण होने तक ''वृद्धाश्रम संचालन नियम-2006'' के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जिला एवं तहसील मुख्यालय पर वृद्धाश्रमों का संचालन किये जाने के निर्देश जारी किये गये। ''राजस्थान वृद्धाश्रम योजना-2013'' के दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-"अ'' पर संलग्न है।

जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 के आदेश से मरमी मातेश्वरी विकास समिति, मरमी को तहसील मुख्यालय राशमी में वृद्धाश्रम संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई, किन्तु समिति द्वारा आदिनांक तक राशमी तहसील मुख्यालय पर वृद्धाश्रम को संचालित नहीं किया गया है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में आने वाली किसी भी तहसील मुख्यालय पर स्वयंसेवी संस्था द्वारा कोई भी वृद्धाश्रम संचालित नहीं किया जा रहा है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## प्रदेश में हटाये गये विद्यार्थी मित्रों को पुनः नियुक्ति देने की योजना

425. **श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में विद्यार्थी मित्रों को नौकरी से हटाया गया है? यदि हां, तो क्यों? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार हटाये गये विद्यार्थी मित्रों को पुनः नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस श्रेणी में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 21.10.2013 के द्वारा विद्यार्थी मित्र योजना को अवैधानिक व असंवैधानिक करार दिये जाने के कारण शैक्षणिक सत्र 2014-15 में किसी भी विद्यार्थी मित्र को नहीं लगाया गया है। न्यायालय निर्णय की प्रति परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## उदयपुर ग्रामीण में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवार

426. **श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवारों को उक्त योजना में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की सूचियों में पात्र लाभार्थियों के समावेशन एवं अपात्र लाभार्थियों के निष्कासन तथा शुद्धिकरण की कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में विभागीय संशोधित आदेश दिनांक 19.08.2014 की प्रति परिशिष्ट-1 पर तथा परिपत्र दिनांक 02.02.2015 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र उदयपुर गामीण में भी पात्रता रखने वाले सभी परिवारों को उक्त योजनान्तर्गत शामिल किया जायेगा।

**(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## डूंगरपुर में सिंचाई की योजनाएं

427. **श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में ज्यादातार लोगों की आजीविका कृषि पर आधारित है तथा उक्त जिले में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा खेतों तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कोई योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो कौन-कौनसी योजना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर का अधिकांश भाग पहाड़ी एवं ढलान वाला है? यदि हां, तो पहाडी एवं ढलान क्षेत्र में सिंचाई हेतु सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। डूंगरपूर जिले में सिंचाई सुविधा हेतु 25 विभागीय एवं पंचायती राज को स्थानान्तरित 61 बांध/तालाब निर्मित हैं जिनसे 38,608 हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, विवरण परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है एवं अप्रत्यक्ष लाभ हेतु 18 एनिकट निर्माण कार्य स्वीकृत हैं। उपलब्ध जल के उपयोग हेतु तीन लघु सिंचाई परियोजनाएं विचाराधीन हैं। विवरण परिशिष्ट-'2' पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डूंगरपूर के पहाडी एवं ढलान क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाये जाने हेतु तीन लघु सिंचाई परियोजनाऐं

(जल संसाधन मंत्री)

प्रस्तावित की गई हैं। विवरण परिशिष्ट-'2' पर संलग्न है। पहाड़ी क्षेत्र में अप्रत्यक्ष लाभ हेतु 18 एनिकट निर्माण कार्य स्वीकृत हैं। विवरण परिशिष्ट-'3' पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## पचपदरा (बाड़मेर) में रिफाइनरी की स्थापना हेतु कार्य योजना

**428. श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाड़मेर के पचपदरा में प्रस्तावित रिफाइनरी हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार ने पचपदरा में रिफाइनरी कार्य शुरू करने हेतु कोई धनराशि स्वीकृत की है? यदि हां, तो कितनी एवं उससे कौन-कौन से कार्य करवाये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार पचपदरा में रिफाइनरी के कार्य को प्राथमिकता से शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा पचपदरा में प्रस्तावित रिफाइनरी की स्थापना हेतु सकारात्मक प्रयास किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा रिफाइनरी स्थापना हेतु आयोजना बजट मद में वर्ष 2014-15 के दौरान रुपये 402.10 करोड़ तथा संशोधित बजट अनुमान 102.10 करोड़ एवं परिवर्तित अनुमान रुपये 52 लाख का प्रावधान किया गया है । यह प्रावधान राज्य सरकार की परियोजना में अंश पूंजी (26 प्रतिशत) एवं कंसलटेंसी फर्म को मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त भुगतान करने हेतु किया गया है । इसी प्रकार वर्ष 2015-16 के लिये रुपये 80.10 करोड़ राज्य सरकार की परियोजना में अंश पूंजी (26 प्रतिशत) हेतु प्रस्तावित किये गये हैं ।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा रिफाइनरी परियोजना के इन्सेन्टिव एवं अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन एवं परीक्षण करने हेतु ToR (Terms of Reference) के आधार पर सलाहकार मैसर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को नियुक्त कर दिनांक 05.02.2015 को लैटर आफ अवार्ड जारी किया गया ।

(खान राज्य मंत्री)

सलाहकार से तीन माह में अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिफाइनरी स्थापित करने सम्बन्धी अग्रिम रूपरेखा तैयार की जायेगी ।

**परिशिष्ट 'क'**

- पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एचवीसीएल के साथ किये गये एमओयू दिनांक 14.03.2014 की समीक्षा करने पर पाया गया कि एचपीसीएल को 15 वर्षों तक दिये जाने वाले Interest Free Loan के रूप में रुपये 56 हजार करोड का incentive परियोजना की कुल लागत 37 हजार करोड़ से अधिक है। इससे राज्य पर वित्तीय भार पडेगा।
- इस सम्बन्ध में खान एवं पेट्रोलियम विभाग की ओर से मुख्य सचिव को दिनांक 17.07.2014 को विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (Infrastructure) प्रमुख शासन सचिव, वित्त, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं सचिव, वन उपस्थित थे।
- उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में राज्य सरकार कन्सलटेन्ट या कन्सलटेनसी फर्म जिसे आयल एवं गैस सेक्टर तथा रिफायनिंग से सम्बन्धति प्रोजेक्ट फण्डिंग में दक्षता हो, की नियुक्ति कर परियोजना एवं दिये गये Incentive का परीक्षण, मूल्यांकन एवं पुनरावलोकन करने के उपरान्त सकारात्मक रूप से एचपीसीएल से वार्ता करेगी।
- इस सम्बन्ध में दिनांक 03.11.2014 एवं 29.12.2014 को कन्सलटेन्ट/कन्सलटेन्सी फर्म की नियुक्ति हेतु खुली निविदा प्रक्रिया से Expresion of Interest जारी किया गया, जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा रिफाइनरी परियोजना के इन्सेन्टिव एवं अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन एवं परीक्षण करने हेतु सलाहकर मैसर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को नियुक्त कर दिनांक 05.02.2015 को लैटर आफ अवार्ड जारी किया गया।
- पेट्रोलियम सचिव केन्द्र सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 11.12.2014 को बैठक आयोजित की गई जिसमें मुख्य सचिव राजस्थान प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम प्रमुख शासन सचिव वित्त CMD HPCL एवं महानिदेशक हाइड्रोकार्बन उपस्थिति थे। बैठक के दौरान केन्द्रीय पेट्रोलियम सचिव द्वारा राजस्थान रिफायनरी परियोजना हेतु एक कमेटी का गठन करने हेतु निर्देशित किया। जिसमें HPCL की ओर से निदेशक वित्त एवं निदेशक रिफाइनरी तथा राज्य सरकार की ओर से प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम व प्रमुख शासन सचिव वित्त को सदस्य बनाया गया।

- मुख्य सचिव राजस्थान द्वारा सुझाये गये निम्नांकित बिन्दुओं पर कमेटी अग्रिम कार्यवाही करेगी :
    - घरेलू खनिज तेल की उपलब्धता
    - Project IRR के स्थान पर Equity IRR की गणना
    - SBI Cabs की गणना में त्रुटियों एवं Surplus का समाधान
- वांछित भूमि की आवश्यकता एवं अन्य राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकर की परियोजनओं हेतु प्रदत्त रियायतें।
- उक्त कमेटी की प्रथम बैठक दिनांक 22.12.2014 तथा द्वितीय बैठक दिनांक 20.02.2015 को की जा चुकी है। प्रथम बैठक में महानिदेशक हाइड्रोकार्बन एवं कैयर्न इण्डिया के प्रतिनिधियों तथा द्वितीय बैठक में SBI caps एवं PWC के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- सलाहकार PWC द्वारा अध्ययन कर 2 माह में अन्तरिम रिपोर्ट (Interim Report) तथा राज्य सरकार से विचार विमर्श कर अगले एक माह में अन्तिम रिपोर्ट (Final Report) प्रस्तुत की जायेगी जिसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूपरेखा तैयार की जायेगी।

## राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा संचालित वेद विद्यालयों में अप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन

429. **श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा)** : क्य कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में प्रदेश में राजस्थान संस्कृत अकादमी के निर्देशन में संचालित वेद विद्यालयों में कम वेतन देकर अप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा छात्र-छात्राओं को अध्ययन करवाने के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो प्रकरणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक पदस्थापित कर दिया जाएगा?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। गत तीन वर्षों में राजस्थान संस्कृत अकादमी के समक्ष ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। इन विद्यालयों में सस्वर वेद पाठ करवाने वेदाध्यापक अकादमी द्वारा निर्धारित अर्हता रखते हैं।

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

(2) चूंकि इस प्रकार का कोई प्रकरण अकादमी के समक्ष नहीं आया है, इसलिए इसका उत्तर शून्य है।

(3) वेद विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक ही पदस्थापित हैं। वेदाध्यापक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा न की जाकर नियमानुसार वेदविद्यालय संचालक संस्था द्वारा की जाती है। नियुक्ति प्रक्रिया में अकादमी द्वारा विषय-विशेषज्ञ प्रतिनिधि परीक्षक के रूप में उपस्थित रहते हैं।

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## आई.टी.आई. के परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन

**616. श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया** (बागीदौरा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार निजी क्षेत्र में संचालित संस्थानों के शैक्षणिक स्टाफ को परीक्षक नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) वर्तमान में प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर द्वारा निबंधात्मक रूप से ही परीक्षा पेपर परीक्षार्थियों को उपलब्ध करवाने से अधिकांशत: परीक्षार्थी परीक्षा में अपने बौद्धिक विकास के अनुकूल प्राप्तांक लाने में असफल रहते हैं? क्या बोर्ड 50 प्रतिशत आब्जेक्टिव एवं 50 प्रतिशत सब्जेक्टिव रूप से परीक्षा पेपर तैयार करवाने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि आई.टी.आई. के पेपर पैटर्न को गत दो सत्रों से भारत सरकार ने सब्जेक्टिव से बदलकर केवल आब्जेक्टिव इस उद्देश्य से रखा है कि परीक्षार्थी का अधिक से अधिक शैक्षणिक मूल्यांकन हो सके? क्या बोर्ड अपने परीक्षा पैटर्न को बदलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो किन-किन कारणों से? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या प्रदेश में भी विभिन्न शैक्षणिक बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा भी परीक्षार्थी के शैक्षणिक मूल्यांकन हेतु आब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव (दोनों में) पेपर तैयार किये जाते हैं? यदि हां, तो प्राविधिक शिक्षा मण्डल के द्वारा इसे अब तक लागू न करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

### उत्तर

(1) विभाग के अधीन प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर द्वारा निजी क्षेत्र में संचालित संस्थानों के ऐसे शैक्षणिक स्टाफ जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, उन्हें आवश्यकतानुसार परीक्षक नियुक्त किया जाता है।

(2) जी नहीं। डिप्लोमा एवं डिग्री स्तर के अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में परीक्षार्थी का समग्र शैक्षणिक मूल्यांकन सब्जेक्टिव परीक्षा द्वारा ही किया जा सकता है।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(3) आई टी आई के पेपर पैटर्न को सब्जेक्टिव रखना DGE&T का निर्णय था तथा सब्जेक्टिव से बदलकर केवल आब्जेक्टिव करना ही DGE&T का निर्णय है। परीक्षा सम्बन्धी समस्त निर्णय/निर्देश DGE&T द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

डिप्लोमा एवं डिग्री स्तर के अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में परीक्षार्थी का समग्र शैक्षणिक मूल्यांकन सब्जेक्टिव परीक्षा द्वारा ही किया जा सकता है।

(4) जी नहीं। डिप्लोमा एवं डिग्री स्तर के अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में परीक्षार्थी का समग्र शैक्षणिक मूल्यांकन सब्जेक्टिव परीक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा भी परीक्षार्थी के शैक्षणिक मूल्यांकन हेतु केवल सब्जेक्टिव पेपर तैयार किया जाता है।

## भिवाड़ी (अलवर) में नवीन महाविद्यालय की स्थापना

**617. मास्टर मामन सिंह यादव** (तिजारा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा में भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र में एक बड़ी औद्योगिक नगरी एवं एक लाख से अधिक आबादी होने के कारण महाविद्यालय अति आवश्यक है? क्या सरकार भिवाड़ी जिले में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के तिजारा शहर में सरकार द्वारा महाविद्यालय तो खोल दिया गया है लेकिन स्टाफ व बजट का प्रावधान नहीं किया गया है? क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में पूर्ण स्टाफ व भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भिवाड़ी में राजकीय महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

(2) राजकीय महाविद्यालय, तिजारा खोला जाकर संवेतन व अन्य मदों में रुपये 33.20 लाख के बजट का आबंटन किया गया है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

भवन निर्माण हेतु राशि 3.00 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसके विरुद्ध 2014-15 में रुपये 50.00 लाख का बजट आबंटन किया जा चुका है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजकीय महाविद्यालय, तिजारा में स्टाफ का प्रावधान निम्नानुसार है:-

| क्रं. सं. | पदनाम | स्वीकृत पद | कार्यरत | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्राचार्य | 1 | 1 | 0 |
| 2 | व्याख्याता | 7 | 3 | 4 |
| 3 | पुस्तकालयाध्यक्ष | 1 | 0 | 1 |
| 4 | पी.टी.आई. | 1 | 0 | 1 |
| 5 | कार्यालय अधीक्षक | 1 | 0 | 1 |
| 6 | सहायक लेखाधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 7 | सूचना सहायक | 1 | 1 | 0 |
| 8 | वरिष्ठ लिपिक | 1 | 0 | 1 |
| 9 | कनिष्ठ लिपिक | 3 | 1 | 2 |
| 10 | प्रयोगशाला सहायक | 1 | 0 | 1 |
| 11 | प्रयोगशाला वाहक | 1 | 0 | 1 |
| 12 | बुकलिफ्टर | 1 | 0 | 1 |
| 13 | च.श्रे. कर्मचारी | 3 | 2 (एक च.श्रे. कर्मचारी रा. महा. अलवर से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत) | 1 |

इसके अतिरिक्त सीधी भर्ती/पदोन्नति एवं नियमित स्थानान्तरण के माध्यम से भी रिक्त पदों को भरना प्रस्तावित है।

## विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं की गोपनीयता के लिए नवीन दिशा-निर्देश

**618. श्री सुरेन्द्र पारीक** (हवामहल) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में होने वाली विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के पेपर रख-रखाव, वीक्षण ड्यूटी लगाने, परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था, वीक्षण इत्यादि कार्य करने वाले व्याख्याताओं, कर्मचारियों अथवा बाहरी वीक्षकों से परीक्षा की गोपनीयता को दृष्टिगत रखते हुए उनके निकट रिश्तेदारों को उसी महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्र पर प्रविष्ट न होने सम्बन्धी अंडरटेकिंग लेने के पश्चात् ही परीक्षा में ड्यूटी किये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में कोई नवीन दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। महाविद्यालयों में होने वाली विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में अनुदेश विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी किये जाते हैं। सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा सम्बन्धित कार्य सम्पादित करवाया जाता है एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा की जाती है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर में विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने की योजना

**619. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नागौर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय विधि महाविद्यालय में गत तीन वर्षों से विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। बार कौंसिल आफ इण्डिया ने वर्ष 2009-10 से नागौर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय विधि महाविद्यालय को मान्यता प्रदान नहीं की है, जिसके कारण पिछले तीन वर्षों से विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

बार कौंसिल आफ इंडिया

**BAR COUNCIL OF INDIA**

21, राउज ऐवन्यू इन्सटीट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली- 110 002
21, Rouse Avenue Institutional Area
New Delhi – 110 002

BCI : D : 174/2010(LE) Date : 8.11.2010

**The Principal**
**Govt. Law College**
**S.B.R.M. College Premises**
**Nagaur**
**Rajasthan**

**Sub :** Re : Inspection fee Receipt.

**Ref :** Your letter No. GLCN/Acctt.t/2010/126 dated 5.10.2010

Sir,

Please find herewith a receipt No. 1309 dated 27.10.2010 for Rs. 1,05,000/- (ONE LAKH FIVE THOUSAND ONLY) towards the payment of Inspection fee for 3 year law course received from you by way of Demand Draft bearing No. 062282 dated 1.10.2010 for your records.

We would like to invite your attention to Rule 12(i) of the Rules of the Bar Council of India in Part IV that your should not admit the students unless your department/college gets approval of affiliation by the Bar Council of India.

You are requested to furnish the following details which the marked as ( ) for further consideration of your application.

1. Compliance report to be submitted as per earlier decision.
2. Show Cause reply to be sent to the Bar Council of India as per earlier decision.
3. Inspection fee to be paid for 3 year/5 year course separately.
4. Two more copies of your application with supporting documents to be sent to the Bar Council of India.
5. Rs. 5000/- by way of DD towards application from fee.
6. Copy of afliation of the university and NOC of the state Govt. for the current year to be sent to Bar Counsil of India.
7. All information will be sent in CD Format.
8. All details regarding faculty with qualification, salary and experience, building, library and if any lease deed.

Yours faithfully
J. R. Sharma
Officiating Secretary

## कोटा नगर सुधार न्यास द्वारा नियमन की गई कालोनियों में विकास कार्य

**620. श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर सुधार न्यास, कोटा द्वारा विगत पांच वर्षों में गैर योजना क्षेत्र व कृषि भूमि पर बसी नियमनशुदा कालोनियों में सड़क, नाली, नाला आदि निर्माण के क्या-क्या विकास कार्य कराये गये तथा उन पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार, क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) कोटा शहर में ऐसी कौन-कौन सी कालोनी क्षेत्र हैं, जहां स्थित भूखण्डों के नियमन नगर सुधार न्यास द्वारा नियमानुसार विकास व अन्य शुल्क वसूल कर किये गये हैं तथा उन क्षेत्रों में विकास कार्यों पर न्यास द्वारा कभी कोई राशि खर्च नहीं की गयी है? क्षेत्र, कालोनीवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार नगर सुधार न्यास के माध्यम से ऐसे क्षेत्र, कालोनियों में भी विकास कार्य कराये जाने का विचार रखती है जहां से न्यास ने नियमन शुल्क वसूल किया है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा विगत पांच वर्षों में गैर-योजना क्षेत्र एवं कृषि भूमि पर बसी नियमनशुदा कालोनियों में किये गये विकास कार्यों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा नियमन की गई कालोनियों की, जिनमें बाह्य विकास शुल्क जमा करवाया गया है, की सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है। आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी विकासकर्ता की है। कालोनियों में विकास कार्य किये गये हैं, से सम्बन्धित सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। जहां से न्यास नियमन शुल्क वसूल करती है, उन कालोनियों में विकास करने का विचार रखती है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार न्यास द्वारा कार्य करवाया जाता है।

**(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## जयपुर शहर के विस्तार हेतु प्रस्तावित योजनाएं

**621. श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती अलका सिंह)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के विस्तार के लिए कुछ योजनाएं प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी?

(2) गत 6 वर्ष में कौन-कौनसी योजनाएं प्रस्तावित की गईं व कौन-कौनसी पूर्ण की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त शहर में आगामी वर्षों के लिये कुछ योजनाएं प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी व कहां-कहां? उक्त योजनाओं पर कुल कितनी राशि व्यय होगी व इस हेतु कितनी भूमि कहां-कहां अवाप्त की जानी प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) गत 6 वर्षों में सृजित की गई योजनाओं की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इन योजनाओं में भूखण्डों का आबंटन/नीलामी नियमानुसार की जा रही है तथा साथ ही इन योजनाओं में विभिन्न विकास कार्य जैसे सड़क निर्माण, विद्युतीकरण, पार्क विकास, इत्यादि के कार्य भी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, फीजिबिलिटी, इत्यादि पर किये जाते हैं। इन योजनाओं में अभी भी कुछ भूखण्डों का निष्पादन तथा कुछ विकास कार्य बाकी रहने के कारण इन योजनाओं में से किसी को भी पूर्ण नहीं माना जा सकता है।

(3) वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। आने वाले समय/वर्षों में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हमेशा की तरह योजनाएं लाई जायेंगी परन्तु कहां लाई जायेंगी व व्यय होने वाली राशि तथा भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।

**परिशिष्ट-1**

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

**जविपि की जनवरी 2009 से 20 मार्च, 2015 तक सृजित की गयी योजनाओं की सूची :-**

| क्र. सं. | योजना का नाम | वर्ष | जोन |
|---|---|---|---|
| 1. | आवासीय/संस्थानिक स्कीम चक गैटोर ख.नं. 100, 101 | 2012 | 4 |
| 2. | आवासीय स्कीम पिंक एनक्लेव, ग्राम खातीपुरा ख. नं. 396 | 2011 | 5 |

| क्र. सं. | योजना का नाम | वर्ष | जोन |
|---|---|---|---|
| 3. | आवासीय स्कीम स्वर्ण विहार मुहाना | 2010 | 8 |
| 4. | आवासीय स्कीम शिव एनक्लेव गणपतपुरा | 2014 | 8 |
| 5. | ग्रुप आवासीय स्कीम शिव विहार मांग्यावास | 2014 | 8 |
| 6. | आवासीय स्कीम निलय कुंज सिरोली मुरलीपुरा | 2010 | 9 |
| 7. | आवासीय स्कीम महल ए ब्लाक विस्तार | 2012 | 9 |
| 8. | आवासीय स्कीम खसरा नं. 118 खुसर | 2014 | 9 |
| 9. | आवासीय स्कीम लखेसरा | 2009 | 10 |
| 10. | ग्रुप हाउसिंग योजना ग्राम गोविन्दपुरा रोपड़ा | 2015 | 10 |
| 11. | आवासीय स्कीम अनुपम विहार हरचन्दपुरा | 2013 | 11 |
| 12. | आवासीय स्कीम अनुपम विहार डी ब्लाक पालडी परसा | 2014 | 11 |
| 13. | आवासीय स्कीम आदित्य विहार अचरावाला फागी | 2014 | 11 |
| 14. | बगरू ग्रीन्स ग्राम बगरू रेवान | 2015 | 11 |
| 15. | रामचन्द्र विहार, ग्राम बड रामचन्द्रपुरा फागी | 2015 | 11 |
| 16. | आवासीय स्कीम हरि एनक्लेव हरगुन की नागल | 2014 | 11 |
| 17. | रघुनाथ विहार, ग्राम रामसिंहपुरा, सांगानेर | 2015 | 11 |
| 18. | यश विहार, ग्राम जयजसपुरा | 2015 | 11 |
| 19. | आवासीय स्कीम नटलालपुरा | 2013 | 12 |
| 20. | आवासीय स्कीम संकल्प नगर सांझरिया | 2014 | 12 |
| 21. | अवन्तिका, ग्राम अवानिया सांगानेर | 2015 | 12 |
| 22. | केदार विहार, ग्राम कोदर, सांगानेर | 2015 | 12 |
| 23. | आवासीय स्कीम शौर्य नगर हिम्मतपुरा | 2014 | 12 |
| 24. | आवासीय स्कीम दीनदयाल नगर भम्भोरी | 2014 | 12 |
| 25. | आवासीय स्कीम आनन्द विहार पृथ्वीसिंह जयसिंहपुरा | 2014 | 12 |
| 26. | आवासीय स्कीम अमृत कुंज ग्राम कालवाड़ | 2013 | 12ए |
| 27. | आवासीय स्कीम सेवापुरा | 2011 | 13 |
| 28. | आवासीय स्कीम पत्रकार कालोनी ।। उदयपुरिया चाकसू | 2011 | 13ए |
| 29. | पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव आवासीय स्कीम नायला | 2011 | 13ए |

| क्र. सं. | योजना का नाम | वर्ष | जोन |
|---|---|---|---|
| 30. | आवासीय स्कीम हरित विहार | 2010 | 14 |
| 31. | आवासीय स्कीम खेडा जगन्नाथपुरा | 2014 | 14 |
| 32. | आवासीय स्कीम उदय विहार, उदयपुरिया | 2014 | 14 |
| 33. | आवासीय स्कीम एनक्लेव/रोहिणी ग्रिन्स | 2014 | 14 |
| 34. | आवासीय स्कीम अभिनव विहार विस्तार, तितरिया | 2014 | 14 |
| 35. | आवासीय स्कीम बीलवा | 2014 | 14 |
| 36. | आवासीय स्कीम ग्वार ब्राम्हणान | 2014 | 14 |
| 37. | आवासीय स्कीम सूर्य नगर ए बी टूटोली चाकसू | 2014 | 14 |
| 38. | आवासीय स्कीम मूर्तिकला विहार राजदा | 2014 | 14 |
| 39. | आवासीय स्कीम दयालपुरा, (रिंग रोड पुनर्वास की योजना) | 2015 | 14 |
| 40. | आवासीय योजना सेज | 2010 | 15 |
| 41. | आवासीय स्कीम गोकुलनगर, ग्राम गोकुलपुरा | 2014 | 16 |
| 42. | आवासीय स्कीम ख.नं. 85, 86 ग्राम गिरधारीपुरा | 2014 | 17 |
| 43. | आवासीय स्कीम ख.नं. 73, 74 ग्राम गिरधारीपुरा | 2014 | 17 |

## जयपुर नगर निगम के विद्युत शाखा के कर्मचारियों का स्थायीकरण

**622. श्री अशोक परनामी** (आदर्श नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम की विद्युत शाखा में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति वर्ष 1992 व 1997 में सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर की गई थी?

(2) क्या यह सही है कि पदोन्नति के 21 वर्ष बाद भी सरकार से नवीन पद सृजित नहीं होने के कारण उक्त कर्मचारियों को आज तक स्थायी नहीं किया गया है तथा पूर्ववत वेतन ही दिया जा रहा है?

(3) क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री अशोक परनामी)

(4) क्या सरकार जयपुर नगर निगम की सीमा को देखते हुए रोड लाइट सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु नये पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर निगम जयपुर द्वारा विद्युत शाखा में कार्यरत कर्मचारियों की वर्ष 1992 व 1997 में सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर तदर्थ पदोन्नतियां की गई थीं।

(2) नगर निगम जयपुर द्वारा वर्ष 1992 में की गई पदोन्नतियों के सम्बन्ध में नवीन पद सृजन का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है एवं वर्ष 1997 में नियम विरुद्ध की गयी पदोन्नतियों को विभागीय आदेश दिनांक 29.11.97 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अतः नवीन पद सृजन का कोई औचित्य नहीं है। किन्तु उक्त कार्मिकों को मूल पदों का चयनित वेतनमान यथासमय दिया जा रहा है।

(3) दिनांक 07.10.1992 को 17 हेल्परों को लाइनमैन के पदों पर एवं दिनांक 16.11.1992 को इनमें से श्री सरस्वती नारायण मिश्रा, श्री रामकिशोर मीणा, श्री हरफूल मीणा एवं श्री कन्हैया लाल वर्मा को लाइनमैन से सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नत किया गया था। राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम 1963 की संलग्नक अनुसूची के अनुसार सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये वायरमैन के पद का 05 वर्ष का कार्यानुभव व वांछित योग्यता आवश्यक हैं। अतः इस प्रकार ऐसे पदोन्नत कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्यानुभव व वांछित योग्यता पूर्ण नहीं करने के कारण तदर्थ पदोन्नतियों को स्थायी नहीं किया गया है। इन कर्मचारियों को इनके मूल पद पर पूर्व में ही स्थायी किया जा चुका है।

(4) वर्तमान मे ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## बाड़ी (धौलपुर) की सब्जी मण्डी को अन्यत्र स्थापित करने की योजना

623. **श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गिर्राज सिंह)

क्या सरकार बाड़ी विधान सभा क्षेत्र के घनी आबादी वाले क्षेत्र में चल रही सब्जी मण्डी को बाड़ी के खाली पड़े कृषि उपज मण्डी प्रांगण में स्थापित कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

कृषि उपज मण्डी समिति, धौलपुर के गौणमण्डी यार्ड बाड़ी में फल सब्जी व्यवसायियों हेतु चिन्हित रिक्त निर्मित 9 दुकानों एवं 25 भूखण्डों के आबंटन के लिये कृषि उपज मण्डी, धौलपुर द्वारा दिनांक 13.02.15 को विज्ञप्ति जारी की गई है। कस्बे के घनी आबादी वाले क्षेत्र में चल रही सब्जी मण्डी के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों द्वारा दुकान/भूखण्ड के आबंटन हेतु आवेदन करने पर कृषि विपणन अचल सम्पत्ति आबंटन नीति 2005 के तहत नियमानुसार दुकान/भूखण्ड आबंटन की कार्यवाही की जावेगी।

## राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आबंटित मकानों में आदिवासियों का आरक्षण

**624. श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा डूंगरपुर में अब तक मकान बनाने हेतु कितनी भूमि कौन-कौन से खसरा नम्बर की कहां-कहां, व कितने-कितने क्षेत्रफल की अधिग्रहित की गयी तथा अधिग्रहित भूमि पर कितने मकान बना कर जनता को उपलब्ध कराये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या आवासन मण्डल द्वारा आबंटित मकानों तक बिजली एवं पानी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उच्च जलाशय एवं जी.एस.एस. निर्माण हेतु भूमि आरक्षित रखी है एवं उस पर उच्च जलाशय व जी.एस.एस. निर्माण कराकर सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है? यदि हां, तो कितने जी. एस. एस. व उच्च जलाशय कहां-कहां निर्मित किये गये? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिला ट्राइबल सब-प्लान एरिया के अधीन आता है एवं क्षेत्र के आदिवासियों को राजकीय नौकरी एवं सुविधाओं में 45 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार आवासन मण्डल के मकानों के आबंटन में आदिवासियों के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण

(श्री देवेन्द्र कटारा)

का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल, डूंगरपुर में अब तक मकान बनाने हेतु दो चरणों में भूमि अवाप्त की गई है। प्रथम चरण में 60 बीघा 11 बिस्वा एवं द्वितीय चरण में 80 बीघा 01 बिस्वा, कुल 140 बीघा 12 बिस्वा भूमि मौजा डूंगरपुर में अवाप्त की गई। अवाप्त की गई भूमि के खसरा नम्बरों की सूची परिशिष्ट-1 पर एवं ले-आउट प्लान की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं। फरवरी, 2015 तक कुल 2,127 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है, जिनमें से 2,075 आवासों का हस्तान्तरण आबंटियों को किया जा चुका है।

(2) जी हां। मण्डल द्वारा आवासीय योजना डूंगरपुर में आरक्षित भूमि पर चार उच्च जलाशय (SWR) का निर्माण किया गया है, जो कि ले-आउट प्लान में 1, 2, 3, 4 अंकित हैं। इसके अतिरिक्त एक CWR का निर्माण किया गया है, जो कि ले-आउट प्लान में 5 पर अंकित है।

जी.एस.एस. हेतु मण्डल की आवासीय योजना में भूमि आरक्षित नहीं है। मण्डल की भूमि से लगती नगर परिषद की भूमि पर जी.एस.एस. हेतु भूमि आरक्षित है।

(3) डूंगरपुर जिला अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 16.06.2013 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से भरे जाने का प्रावधान है।

मण्डल के आवासों के आबंटन में आदिवासियों हेतु आरक्षण का प्रावधान नहीं है और न ही इस तरह का कोई प्रस्ताव मण्डल स्तर पर विचाराधीन है।

**(सूची व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)**

**प्रश्न संख्या-625**

**(स्थगित)**

## जामडोली (जयपुर) के प्रस्तावित सेक्टर रोड के अलाइनमेंट में परिवर्तन

**626. डा. मंजू बाघमार** (जायल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर, जयपुर के आगरा रोड के जामडोली एरिया में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर प्लान तैयार किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सेक्टर सड़कों के सम्बन्ध में आपत्तियां मांगी गई हैं? यदि हां, तो प्राप्त आपत्तियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सेक्टर रोड निर्माण के लिये आगरा रोड के जामडोली क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा बसाई गई आवासीय योजनाओं में तोड़फोड़ की आवश्यकता पड़ेगी? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये गये सेक्टर रोड में आने वाले मकानों को तोड़फोड़ से बचाने के लिये सेक्टर रोडों की चौड़ाई और अलाइनमेंट में मामूली परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहा-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। जामडोली क्षेत्र में प्रारूप सेक्टर प्लान 62 व सेक्टर प्लान 77 बनाये गये हैं, जिनकी सीमाएं निम्नानुसार हैं :-

<u>सेक्टर-62</u>

उत्तर-सेक्टर 77

दक्षिण-आगरा रोड

पूर्व-सेक्टर 77

पश्चिम-किलनगढ़ की पहाड़ियां

<u>सेक्टर-77</u>

उत्तर-जमवारामगढ़ रोड

दक्षिणी-आगरा रोड

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

पूर्व-ढूंढ नदी

पश्चिम-किलनगढ़ की पहाड़ियां

(2) जी हां। प्रारूप सेक्टर प्लान 62 पर प्रकाशन दिनांक 04.12.2014 के बाद निर्धारित समयावधि में कुल 118 व समयावधि पश्चात् 1 आपत्तियां प्राप्त हुईं।

प्रारूप सेक्टर प्लान 77 पर निर्धारित अवधि में कुल 4 आपत्तियां प्राप्त हुईं। उपरोक्त दोनों सेक्टर प्लानों पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) प्रारूप सेक्टर प्लान 62 व 77 का अंतिम अनुमोदन होना शेष है। सेक्टर प्लान के अंतिम अनुमोदन के पश्चात् ही आवासीय योजनाओं में तोड़फोड़ के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(4) चूंकि प्रारूप सेक्टर प्लान 62 व 77 का अंतिम अनुमोदन होना शेष है। सेक्टर प्लान के अंतिम अनुमोदन के पश्चात् ही सड़कों की चौड़ाई व अलाइनमेंट में परिवर्तन बाबत स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## देवाली ग्राम (उदयपुर) की भूमि का 90-बी का प्रकरण

627. **श्री शत्रुघ्न गौतम** (केकड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की गिर्वा तहसील के राजस्व ग्राम देवाली के खसरा संख्या आराजी नम्बर 2107 से 2110, 2111 मी. 2839/2112, 2013 से 2118, 2121, 2122 कुल रकबा 1.1644 की 90-बी का आदेश जारी किया गया है, इसमें से खातेदारी स्वामित्व की 1855 वर्ग फीट व राजकीय भूमि 4031 वर्ग फीट सम्मिलित करते हुए भूखण्ड सं. 1 के कुल क्षेत्रफल 5,886.5 वर्ग फीट के आबंटन में क्या सरकार द्वारा विधिक परीक्षण/जांच करा ली गई है? यदि हां, तो परिणाम क्या रहा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त आराजियात का 90-बी में किस्म परिवर्तन की अर्जी किसने लगाई और क्या यह अर्जी मूल खातेदार द्वारा या Power of Attorney Holder द्वारा पेश की गई थी? क्या उक्त प्रकरण की सरकार द्वारा विधिक परीक्षण/

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

जांच करवा ली गई है? यदि हां, तो कब व इसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अराजियात जिस जोन में स्थित थी, उसकी आरक्षित दर एवं डी.एल.सी. दर क्या थी और क्या उस समय लागू परिपत्र क्रमांक पं.(5)8 नविवि 3/99 दिनांक 26 मई, 2000 की शर्तों की पूरी तरह पालना की गई थी?

(4) क्या Strip of Land को कहीं परिभाषित किया गया है और Strip Of Land जिस जमीन से सटी होने के कारण विनियमित की जाती है, वह मूल भूमि के क्षेत्रफल से ढाई गुना अधिक क्षेत्रफल की जमीन Strip of Land का विनियमित किये जाने का क्या औचित्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त प्रकरण में Strip of Land मानी गई राजकीय भूमि 4031.50 वर्ग फीट के स्वतंत्र प्लाट के रूप में नीलामी नहीं की जा सकती थी, जिससे राजकोष/न्यास कोष को करोड़ों रुपयों की आमद होती?

(6) उक्त आराजियात का 90-बी हो जाने पर किन-किन व्यक्तियों को कब-कब हस्तान्तरण किया गया और वर्तमान में यह किसके स्वामित्व में है और इसमें निर्माण करने का प्रार्थना-पत्र किसके द्वारा पेश किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रकरण में जांच करने हेतु जिला कलक्टर, उदयपुर को पत्र दिनांक 13.08.2014 एवं स्मरण पत्र दिनांक 18.11.2014, 29.01.2015 व 02.03.2015 से लिखा गया था। पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-1, 2, 3 व 4 पर संलग्न हैं। जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 26.09.2014 को उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच रिपोर्ट अपूर्ण होने से उन्हें पुनः स्पष्ट जांच हेतु लिखा गया है। प्रतियां परिशिष्ट-5 6 व 7 पर संलग्न हैं।

(2) प्रश्नगत भूमि का मूल खातेदार श्री सुन्दरलाल पिता श्री रघुनाथ ब्राह्मण जमाबन्दी संवत् 2052-2055 के अनुसार था।

अपंजीकृत फैमिली सेटलमेंट डीड दिनांक 25.01.1996 के अनुसार भी यह भूमि प्लाट नं. 1, 2 श्री सुन्दरलाल ब्राह्मण के ही हक में रही। उसके बाद

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

पुनर्ग्रहण आदेश भी दिनांक 12.03.2001 को श्री सुन्दरलाल के हक में जारी हुआ था।

अपंजीकृत विक्रय करार (Agreement to Sale) दिनांक 25.01.2002 से भूखण्ड संख्या-1 श्री सुन्दरलाल ब्राह्मण ने श्रीमती चन्द्रकला पत्नी श्री नेमीचन्द जैन तथा सुश्री तृप्ता शर्मा पुत्री श्री महेशचन्द्र शर्मा को विक्रय कर दिया गया।

इस अपंजीकृत विक्रय इकरार के आधार पर भूखण्ड संख्या-1 के आबंटन हेतु श्रीमती चन्द्रकला जैन पत्नी श्री नेमीचन्द जैन तथा तृप्ता शर्मा पुत्री श्री महेश चन्द्र शर्मा द्वारा आवेदन किया गया। इस भूखण्ड संख्या-1 में 2,152 वर्ग फीट खातेदारी तथा 4,050 वर्ग फीट राजकीय भूमि कुल क्षेत्रफल 6,202 वर्ग फीट के आबंटन हेतु आवेदन किया गया। आबंटन पत्र दिनांक 26.02.2008 को एवं पट्टा दिनांक 31.03.2008 को श्रीमती चन्द्रकला जैन पत्नी श्री नेमीचन्द जैन तथा तृप्ता शर्मा पुत्री श्री महेशचन्द्र शर्मा के नाम जारी किया गया। जांच सम्बन्धी तथ्यों का उल्लेख बिन्दु संख्या-1 में कर दिया गया है।

(3) उक्त आराजीयात प्रथम जोन में स्थित थी। उसकी आवासीय आरक्षित दर 99/- रुपये प्रति वर्ग फीट एवं तत्समय डी.एल.सी. दर कृषि भूमि की 350/- रुपये प्रति वर्ग फीट थी।

उस समय लागू परिपत्र क्रमांक : प.5(8)नविवि/3/99 दिनांक 26.05.2000 के अनुसार राजकीय भूमि की कीमत आरक्षित दर की 25 प्रतिशत लेते हुए नियमन की कार्यवाही की गई थी। इस सम्बन्ध में जांच विचाराधीन है।

(4) भूमि निस्तारण नियम, 1974 अनुसार भू-पट्टी का आबंटन (नियम-23) न्यास की योजना में 100 वर्ग गज तक की भूमि जिसका स्वतंत्र उपयोग नहीं हो सकता हो, को भू-पट्टी के रूप में उसके समीप वाले भूखण्डधारी को आरक्षित दर की दुगुनी दर से आबंटित की जा सकती है, किन्तु एक से अधिक व्यक्ति उसके दावेदार हों तो नीलामी द्वारा विक्रय की जावेगी।

यह विनियमन Strip of Land के तहत नहीं किया जाकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02.11.2007 के अनुसरण में न्यास को 5 बीघा तक

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

राजकीय भूमि का नियमन करने हेतु दी गई शक्तियों के तहत प्रार्थी की 1855 वर्ग फीट खातेदारी भूमि तथा इससे लगी हुई राजकीय भूमि 4031.50 वर्ग फीट, कुल क्षेत्रफल 5886.50 वर्ग फीट का नियमन किया गया।

(5) उक्त वर्णित प्लान में खसरा नम्बर 2108 की न्यास भूमि भी सम्मिलित होकर अनुमोदित प्लान के भूखण्ड संख्या-1 क्षेत्रफल 5886.50 वर्गफीट में 4030.50 वर्ग फीट न्यास भूमि सम्मिलित है।

भूमि के भौतिक स्वरूप एवं मानचित्र अनुसार स्वामित्व 1855 वर्ग फीट भूमि के दक्षिण दिशा से सीमा जोड खसरा नम्बर 2108 के कुल रकबा 0.0950 हैक्टेयर में से आबंटित 4031.50 वर्ग फीट का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता था, किन्तु तत्समय राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02.11.2007 से राजकीय भूमि के 5 बीघा भूमि तक के नियमन सम्बन्धी परिपत्र के आधार पर आरक्षित दर का 25 प्रतिशत की दर पर नियमन किया गया था।

(6) उक्त आराजी की 90-बी खातेदारों के नाम दिनांक 12.03.2001 एवं 25.02.2008 को होकर प्लान अनुमोदन पश्चात् बंटवारा अनुसार भूखण्ड संख्या-1 का आबंटन श्रीमती चन्द्रकला पत्नी श्री नेमीचन्द जैन, निवासी 100, प्राज्ञ नगर, विजयनगर, अजमेर (राज.), सुश्री तृप्ता शर्मा पुत्री श्री महेशचन्द्र शर्मा, 123, खारोल कालोनी, फतहपुरा, उदयपुर (राज.) के नाम दिनांक 26.02.2008 से किया जाकर लीज डीड दिनांक 31.03.2008 से जारी की गई। उक्त भूखण्ड पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.02.2009 के आधार पर वर्तमान में श्री इम्तियाज अली पिता श्री इमदाद हुसैन एवं हकीमुद्दीन पिता श्री इमदाद हुसैन निवासी 19, खारोल कालोनी, फतहपुरा, उदयपुर (राज.) के नाम नामान्तरण दिनांक 23.03.2009 से वर्तमान में न्यास आलेखों में दर्ज है।

उक्त भूखण्ड के निर्माण स्वीकृति का आवेदन श्री इम्तियाज अली पिता श्री इमदाद हुसैन एवं हकीमुद्दीन पिता श्री इमदाद हुसैन निवासी 19, खारोल कालोनी, फतहपुरा, उदयपुर (राज.) द्वारा पेश किया गया तथा उक्त भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति दिनांक 28.01.2010 को जारी की गई।

**(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## जल संसाधन विभाग की शक्तियों का राज-पत्र में प्रकाशन

**628. श्री गुरजण्ट सिंह** (सादुलशहर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गुरजण्ट सिंह)

(1) क्या 7 जून, 2010 में जल संसाधन विभाग की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा लेने बाबत राजपत्र से कोई संशोधन जारी किया गया था? यदि हां, तो इस संशोधन से किसानों से सम्बन्धित कौन-कौन से कार्यों को सिंचाई अधिकारियों द्वारा सरकार के आदेश के बिना नहीं किया जा सकता है?

(2) क्या सरकार इस संशोधन के परिणामस्वरूप किसानों को आने वाली परेशानियों से वाकिफ है? यदि हां, तो क्या सरकार जून, 2010 के संशोधन को वापस लेकर पूर्व की तरह व्यवस्था बनाये रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07 जून, 2010 को जारी अधिसूचना द्वारा राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास नियम, 1955 के नियम 11 में विद्यमान उप नियम (2) में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार निकासों या जलीय संरचना की आकृति, आकार और अवस्थिति में या नहर के माध्यम से जल वितरण के लिये स्थापित प्रक्रिया में राज्य सरकार के आदेश के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(2) दिनांक 07 जून, 2010 को जारी अधिसूचना में किये गये संशोधन से सिंचित क्षेत्र के काश्तकारों को राहत मिलने से, संशोधन को वापस लेकर पूर्व की तरह व्यवस्था बनाये रखना विचाराधीन नही है। जारी संशोधन के क्रम में काश्तकारों को होने वाली सुविधा/असुविधा की समीक्षा हेतु गठित समिति ने संशोधनों को जारी रखे जाने हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भविष्य में किसानों को परेशानी होने के सम्बन्ध में यदि कोई जानकारी प्राप्त होती है तो इसकी समीक्षा किये जाने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

## भीमसागर (खानपुर) की नहरों का सुदृढ़ीकरण

**629. श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में कितनी हैक्टेयर भूमि भीमसागर डैम से सिंचित होती है?

(2) डैम से निकली नहरों की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या सरकार नहरों का सुदृढ़ीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री नरेन्द्र नागर)

(3) भीमसागर डैम की नहरों में गत पांच वर्षों में किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) हाड़ौती क्षेत्र के बारां, झालावाड़ व कोटा जिले को लाभान्वित करने वाली वृहद् परवन सिंचाई योजना की वर्तमान में क्या स्थिति है एवं इसका कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में भीमसागर डैम से 9,986 हैक्टेयर भूमि सिंचित होती है।

(2) भीमसागर बांध की दायीं एवं बायीं मुख्य नहर के मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होने से इस कार्य हेतु राशि रुपये 674.04 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 11.11.2014 को जारी की गयी है। कार्य करवाये जाने हेतु निविदा कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नहरों से सिंचाई हेतु पानी दिया जाना पूर्ण होने पर कार्य प्रारम्भ कर वर्ष 2015-16 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) भीमसागर डैम की नहरों में पिछले पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं में वर्षवार किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(4) परवन वृहद् परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन एवं अन्य भूमि तथा गांवों के मध्यनजर परियोजना की समीक्षा की जा रही है, जिस पर निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।

**परिशिष्ट–अ**

**भीमसागर परियोजना के अन्तर्गत गत 5 वर्षों में निम्न मदों में व्यय की राशि का विवरण**

| क्र.सं. | कार्य (राशि लाखों में) | वर्ष | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
| 1 | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना | 0 | 18.04 | 61.71 | 51.75 | 19.61 | 42.97 |
| 2 | मरम्मत एवं रखरखाव मद में कार्य | 2.64 | 3.00 | 2.00 | 8.99 | 13.04 | 29.67 |
| 3 | बाढ़ ग्रस्त मद | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.32 | 0 |

## बंध बारेठा (बयाना) की नहरों की मरम्मत एवं सफाई

**630. श्री बच्चू सिंह** (बयाना) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में बंध बारेठा से निकलने वाली नहरों एवं माइनरों की सफाई एवं मरम्मत हेतु वर्ष 2011 से 2015 तक कितनी राशि आबंटित की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के अन्तर्गत आने वाले उक्त बांध की नहरों की मरम्मत हेतु अन्य विधान सभा क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम राशि दी गई है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त नहरों एवं माइनरों की सफाई करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में बंध बारेठा से निकलने वाली नहरों एवं माइनरों की सफाई एवं मरम्मत हेतु वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान आबंटित बजट का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। बयाना की नहरों की मरम्मत हेतु आवश्यकता एवं बजट उपलब्धतानुसार बजट दिया गया है। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्ष 2014-15 के दौरान उक्त नहरों एवं माइनरों की सफाई एवं मरम्मत हेतु आबंटित बजट राशि रुपये 16.00 लाख का आवश्यकतानुसार उपयोग कर टेल तक पानी पहुंचाया गया।

**परिशिष्ट-अ**

**बंध बारेठा पर किया गया वर्ष वार व्यय**

**(राशि लाखों में)**

| वर्ष | प्राप्त बजट | व्यय |
|---|---|---|
| 2011-12 | - | - |
| 2012-13 | 7.05 | 7.05 |
| 2013-14 | 3.00 | 3.00 |
| 2014-15 | 16.00 | 16.00 |

## बीसलपुर बांध की नहरों के क्षतिग्रस्त धोरे

631. **श्री राजेन्द्र गुर्जर** (देवली-उनियारा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा में बीसलपुर बांध की नहरों से कृषकों की भूमि सिंचाई करने हेतु बनाये गये धोरे जगह-जगह से टूट जाने के कारण सिंचाई के पानी का दुरुपयोग हो रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब कब तक क्षतिग्रस्त धोरों के स्थान पर नये धोरे बना दिये जायेंगे व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि धोरों के टूट जाने के कारण काश्तकारों को सिंचाई का पानी नहीं मिलने के बाद भी सिंचाई शुल्क वसूला जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब कब तक सिंचाई सुविधा से वंचित कृषकों को सिंचाई शुल्क से छूट दे दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा में बीसलपुर बांध की नहरों से कृषकों की भूमि सिंचाई करने हेतु निर्मित धोरे पूर्ण निर्माण उपरान्त लाभान्वित कृषकों की चक समितियों को सम्भलवा दिये गये थे । उसके पश्चात् विभाग द्वारा धोरों के रख-रखाव एवं मरम्मत का प्रावधान नियमों में नहीं होने के कारण इनका रख-रखाव/मरम्मत का कार्य चक समितियों द्वारा ही किये जाने का प्रावधान है। इसलिए इनके टूट जाने की जानकारी विभाग द्वारा संग्रहित नहीं की जा रही है। नियमों में प्रावधान नही होने के कारण, क्षतिग्रस्त धोरों के स्थान पर नये धोरे बनाने की योजना वर्तमान में विचाराधीननहीं है।

(2) काश्तकारों द्वारा वास्तविक रूप से सिंचाई की गई भूमि के क्षेत्र पर ही सिंचाई कर वसूल किया जाता है। सिंचाई धोरे टूटने पर भी वास्तव में की गई सिंचाई के लिए वसूल किये जाने वाले कर में छूट देने की योजना विचाराधीन नहीं है।

## कोटा जिला परिषद में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई के पद को समाप्त करने की योजना

632. **श्री विद्याशंकर नन्दवाना** (पीपल्दा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

(1) क्या सरकार द्वारा विभाग के अधीन तालाबों को पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये गये हैं? यदि हां, तो कोटा जिले में कौन-कौन से तालाब पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इन तालाबों की मानिटरिंग व सुपरविजन हेतु जिला परिषद् कोटा में विभाग के कार्मिकों का भी पदस्थापन किया हुआ है? यदि हां, तो किन-किन का? पदवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) जल संसाधन विभाग के इन कार्मिकों द्वारा जिला परिषद् कोटा में इनके पद-स्थापन से अब तक क्या-क्या कार्य किये गये हैं? सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा जिन कार्यों के लिये इनका पदस्थापन जिला परिषद् कोटा में किया गया है, उतना कार्य नहीं होने के कारण इनसे जिला परिषद् द्वारा अन्य कार्य भी करवाया जा रहा है? यदि हां, तो जिला परिषद् कोटा द्वारा इन्हें क्या-क्या कार्य आबंटित किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) उक्त स्थिति को देखते हुये क्या सरकार पुनः इन पदों की समीक्षा कर जिला परिषद् कोटा में स्वीकृत अधिशासी अभियन्ता सिंचाई के पद को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) जी हां। कोटा जिले में पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरित तालाबों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। जल संसाधन विभाग द्वारा जिला परिषद् कोटा में पदस्थपित कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार है :-

I श्री घनश्याम मीणा, अधिशासी अभियन्ता;

II श्री सीताराम, वरिष्ठ लिपिक;

III श्री रिफाकत अली, कनिष्ठ लिपिक; एवं

IV श्री हनुमान, सहायक कर्मचारी।

(3) जल संसाधन विभाग कोटा जिला परिषद् में पदस्थापित कार्मिकों को आबंटित कार्य का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(जल संसाधन मंत्री)

(4) जी हां। जल संसाधन विभाग के कोटा जिला परिषद् में पदस्थापित कार्मिकों से जल संसाधन कार्यों से सम्बन्धित आबंटित कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी करवाया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। वर्तमान में जिला परिषद कोटा में जल संसाधन विभाग में स्वीकृत पदों की समीक्षा विचाराधीन नहीं होने से अधिशासी अभियन्ता सिंचाई के पद को समाप्त किया जाना विचाराधीन नही है।

**परिशिष्ट-अ**

**वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में हस्तान्तरित तालाबों की सूची निम्नानुसार है:-**

| क्र. सं. | हस्तान्तरण की दिनांक व वर्ष | तालाब/बांध का नाम | तालाब/बांध की सिंचाई क्षमता (एम.सी.एफ.टी.) | सिंचित क्षेत्र (है.) | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.09.03 (2003-04) | रानपुर (पं.स. लाडपुरा) | 36.00 | 133.00 | नगर निगम को हस्तांतरित |
| 2. | 15.09.03 (2003-04) | बोराबास (पं.स. लाडपुरा) | 16.66 | 88.00 | पंचायती राज विभाग |
| 3. | 15.09.03 (2003-04) | गिरधरपुरा (पं.स. लाडपुरा) | 34.97 | 117.00 | पंचायती राज विभाग |
| 4. | 12.09.03 (2003-04) | चौमा, (पं.स. सुल्तानपुर) | 27.75 | 171.00 | पंचायती राज विभाग |
| 5. | 07.08.02 (2002-03) | लखावा (पं.स. लाडपुरा) | 23.00 | 73.00 | नगर निगम को हस्तांतरित |
| 6. | 11.09.03 (2003-04) | खातीखेडा (पं.स. सांगोद) | 38.87 | 170.44 | पंचायती राज विभाग |

**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

**जिला परिषद, कोटा**

परिशिष्ट–ब

| क्र. सं. | नाम कार्मिक | पदनाम | आबंटित कार्य |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री घनश्याम मीणा | अधिशासी अभियंता | 1. हस्तांतरित तालाबों सम्बन्धी समस्त क्रियाकलाप, मरम्मत/रखरखाव/समस्त आय प्राप्ति व उपयोग इत्यादि कार्यों का कार्य किया जाता है।<br>नरेगा योजना के तालाबों के सुदृढ़ीकरण की अभिनव योजना अधिकारी के रूप में कार्य एवं क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व एवं नरेगा योजना के तहत पंचायत समिति सांगोद व सुल्तानपुर के दायित्वों का निर्वहन (यथा इन पंचायत समिति की तकनीकी स्वीकृति व पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना आदि)<br>3. विभाग के निर्देशानुसार पंचायती राज योजनाओं के अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु प्रभारी बनाया गया। |
| 2. | श्री सीताराम | वरिष्ठ लिपिक | 1. विभागीय निर्देशों के तहत सिंचाई विभाग से सम्बन्धी कार्य करवाये गये।<br>2. पंचायती राज विभाग के निर्देश दि. 20.06.14 के द्वारा नरेगा के तहत अभिनव योजना में तालाबों, पौधारोपण एवं कृषि सम्बन्धी पत्रावलियों का संधारण किया जा रहा है।<br>3. इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं में माडा/लेखा/एस.बी.एम. में सहयोग के लिये भी लगाया जाकर कार्य करवाया गया। |
| 3. | श्री रिफाकत अली | कनिष्ठ लिपिक | हां, जिला परिषद् द्वारा पंचायत राज विभाग से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों की शिकायतों की जांच पत्रावली का कार्य/बिल शाखा का कार्य करवाये हैं। |
| 4. | श्री हनुमान | सहायक कर्मचारी | वर्तमान में जिला परिषद् में वाहन चालक का पद रिक्त होने के कारण श्री हनुमान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसके पास भारी वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होने से जिला परिषद् का वाहन चलवाया जा रहा है। |

**परिशिष्ट-स**

| क्र. सं. | नाम कार्मिक | पदनाम | आबंटित कार्य |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री सीताराम | वरिष्ठ लिपिक | 1. पंचायती राज विभाग के निर्देश दि. 20.6.14 के द्वारा नरेगा के तहत अभिनव योजना में तालाबों, पौधारोपण एवं कृषि संबंधी पत्रावलियों का संधारण किया जा रहा है।<br>2. इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं माडा/लेखा/एस.बी.एम. में सहयोग के लिये भी लगाया जाकर कार्य करवाया गया। |
| 2. | श्री रिफाकत अली | कनिष्ठ लिपिक | हां, पंचायती राज संस्था में कार्य की अधिकता के कारण जिला परिषद् द्वारा पंचायत राज विभाग से सम्बन्धति जन-प्रतिनिधियों की शिकायतों की जांच पत्रावली का कार्य/बिल शाखा के कार्य करवाये हैं। |
| 3. | श्री हनुमान | सहायक कर्मचारी | वर्तमान में जिला परिषद् में वाहन चालक का पद रिक्त होने के कारण श्री हनुमान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसके पास भारी वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होने से जिला परिषद् का वाहन चलवाया जा रहा है। |

## गेटोलाव बांध (दौसा) को पेयजल हेतु विकसित करने की योजना

**633. श्री शंकर लाल शर्मा** (दौसा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा में वर्तमान में कितने बांध स्थित हैं? उक्त बांधों का रख-रखाव कौन-कौनसा विभाग कर रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि रामगढ़ बांध की मुख्य नहर की टेल जो कि गेटोलाव बांध के कैचमेंट तक स्थित थी, वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? क्या सरकार उक्त मुख्य नहर का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री शंकर लाल शर्मा)

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थित गेटोलाव बांध को दौसा शहरवासियों के पेयजल के मुख्य स्रोत के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से डि-कमाण्ड घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा में वर्तमान में 12 बांध संधारित हैं। इनमें से 5 बांध जल संसाधन विभाग द्वारा संधारित किये जा रहे हैं एवं 7 बांध पूर्व में पंचायत राज विभाग को हस्तांतरित किये जा चुके हैं। इन 7 बांधों का संधारण पंचायत समिति दौसा द्वारा किया जा रहा है। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। रामगढ़ बांध की मुख्य नहर की टेल जो कि गेटोलाव बांध के कैचमेंट तक स्थित है, इसके जीर्णोद्धार हेतु विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

(3) वर्तमान में विभाग के पास इस तरह के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

**परिशिष्ट 'अ'**

जल संसाधन खण्ड दौसा के बांधों की सूची :-

1. सैथल सागर बांध
2. सिण्डोली बांध
3. गेटोलाव बांध
4. झिलमिली बांध
5. चांदराना बांध

पंचायत समिति को हस्तांतरित बांधों की सूची :-

1. रामपुरा बांध
2. हरीपुरा बांध
3. भाखरी बांध
4. नामालाव बांध
5. महेश्वरा बांध

6. पापडदा बांध

7. चूड़ारा बांध

## नर्मदा नहर की बालेरा वितरिका में घटिया निर्माण

**634. श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नर्मदा नहर मुख्य कैनाल से निकलने वाली बालेरा वितरिका के घटिया निर्माण के कारण वितरिका बार-बार टूट जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वितरिका का कार्य करने वाली फर्म को ब्लैक-लिस्ट करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नर्मदा नहर परियोजना में ठेकेदारी फर्म रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है? क्या नई फर्मों के रजिस्ट्रेशन सीधे ही सी-श्रेणी में किये जा सकते हैं? यदि हां, तो जनवरी, 2014 से जनवरी, 2015 तक कुल कितने रजिस्ट्रेशन किस-किस श्रेणी में किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। बालेरा वितरिका के निर्माण में कमियां रहने एवं कार्य अधूरा छोडा जाने से इसमें पानी प्रवाहित किये जाने के बाद से आज दिन तक यह दो बार क्षतिग्रस्त हुई है।

जी हां। उक्त वितरिका का कार्य करने वाली फर्म के विरुद्ध कार्य अधूरा छोड़ने के कारण अनुबन्ध की धारा 2 व 3 के तहत प्रक्रियाधीन प्रकरण के निस्तारण पश्चात संवेदक के विरुद्ध पंजीयन नियमों के तहत कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) नर्मदा नहर परियोजना में ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन लोक निर्माण एवं वित्तीय लेखा नियमों के नियम 334 के अपेन्डिक्स XVI के सेक्शन II, सिविल ठेकेदार, के तहत दी गई प्रक्रिया के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन किया जाता है।

जी हां,।'सी' श्रेणी में पंजीयन हेतु उक्त नियम के बिन्दु संख्या II.5, सूचीबद्धकरण के लिये पिछला अनुभव, तीन वर्षों के दौरान दो निर्माण कार्य संतोषप्रद रूप से किये हैं, जिनमें प्रत्येक कार्य की लागत दो लाख से कम न हो, की शर्त पूर्ण करने एवं उक्त नियम में उल्लिखित अन्य मानदण्डों को पूर्ण करने पर किया जाता है। जनवरी, 2014 से जनवरी, 2015 तक नर्मदा नहर

(जल संसाधन मंत्री)

अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों में किये गये रजिस्ट्रेशन की श्रेणीवार सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

**(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)**

## भीलवाड़ा में स्वतंत्रता सेनानियों को रियायती दर पर भू-खण्डों का आबंटन

**635. श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) व **श्री बंशीधर** (खण्डेला) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को रियायती दर पर भूखण्ड आबंटित किये जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा में स्वतंत्रता सेनानियों से रियायती दर पर भूखण्ड हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो जनवरी, 2011 से जनवरी, 2015 तक कब-कब किनके प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए? स्वतंत्रता सेनानी के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रार्थना पत्रों पर सरकार द्वारा कब-कब क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को रियायती दर पर भूखण्ड आबंटित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब और किन-किन को? यदि नहीं, तो किनको और क्यों? किये गये आबंटनों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार जान-बूझकर कार्यवाही में देरी कर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को रियायती दर पर भूखण्ड आबंटन का प्रावधान किया हुआ है। नगरीय भूमि निस्तारण नियम, 1974 के नियम 17(ए) के तहत 220 वर्ग मीटर आकार तक का भूखण्ड आरक्षित दर के 50 प्रतिशत दर पर आबंटन किये जाने का प्रावधान किया गया है। नियमों की प्रति संलग्न है।

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(2) जी हां। उक्त अवधि के दौरान नगर विकास न्यास, भीलवाडा में श्री सुन्दरलाल देवपुरा निवासी कांकरोली, जिला राजसमन्द द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भूखण्ड आबंटन हेतु दिनांक 16.01.2014 को आवेदन किया है।

(3) ट्रस्ट की बैठक सम्पन्न न होने के कारण प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही सम्पादित नहीं की जा सकी है। आगामी ट्रस्ट बैठक में श्री सुन्दरलाल देवपुरा का प्रकरण विचारार्थ रखा जावेगा।

(4) जी नहीं। श्री सुन्दरलाल देवपुरा निवासी कांकरोली का आवेदन पत्र वर्तमान में लम्बित है। जिसकी जांच की जाकर आगामी ट्रस्ट बैठक में रखा जाएगा।

(5) जी नहीं, अधिकारियों/कर्मचारियो द्वारा जानबूझकर देरी नहीं की गई है।

**संलग्नक**

[XX]

[17-A. Notwithstanding anyting contained in rule 17, the plots may be allotted to freedom fighters, gallantry award holders, national/international playes, Arjun award holders and President awardee teachers [who are born in Rajasthan or bonafide residents of Rajasthan] on the following concessional rates :-

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1. | Freedom Fighters | Upto 220 Sqr Mtrs. | 50% of the reserve price. |
| 2. | Gallantry Award Holders :<br>(i) Parameveer Chakra<br>(ii) Mahaveer Chakra<br>(iii) Veer Chakra, Ashok Chakra, Shaurya Chakra, Kirti Chaka | <br>220 Sqr. Mts. Maximum<br>220 Sqr. Mts. Maximum<br>220 Sqr. Mts. Maximum | <br>[50%] of the reserve price.<br>[50%] of the reserve price.<br>[50%] of the reserve price. |
| 3. | Medal Winners : | | |
| | (i) [Player who gets medal in Olympics or in para Olympics]<br>(iii) [Player who gets medal in Asiad or Commonwealth or Arjun Award holders. | 220 Sqr. Mts. Maximum<br>220 Sqr. Mts. Maximum | [50%] of the reserve price.<br>[50%] of the reserve price. |
| 4. | President Awardee Teachers | Upto 200 Sqr. Mtrs. | Reserve Price |

In case of posthumous gallantry award, widow or in the absence of widow one dependent of deceased awardee shall be entitled to get land at concessional rate.

[Provided that under this rule allotment shall be made only once at any one place in the State.]

## समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत आयोजित कार्यशालाओं पर व्यय राशि

636. **श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल** (खण्डार) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) के तहत जिला स्तर पर गठित जिला बाल संरक्षण इकाई जयपुर, अजमेर एवं कोटा को विगत 4 वर्षों में किस-किस मद में तथा कार्यक्रमों/बैठकों/प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिये कितनी-कितनी राशि कब-कब आबंटित की गई? स्वीकृत राशि व आबंटित राशि का मदवार तथा वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त तीनों जिलों में गत 4 वर्षों में आबंटित राशि में से कब-कब किस-किस मद में तथा कार्यक्रमों/बैठकों/प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिये आबंटित राशि में से कितनी राशि व्यय की गई? मदवार तथा वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त तीनों जिलों में कितनी संस्थाओं ने ओपन शेल्टरों/बाल गृहों को संचालित करने के लिये समेकित बाल संरक्षण योजना से वित्तीय सहयोग के लिये पंजीकरण के आवेदन किया तथा कितनों को पंजीकृत किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) गत 4 वर्षों में कब-कब उक्त संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा संस्थावार तथा वर्षवार किस दिनांक को कितनी-कितनी राशि कब-कब आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

### उत्तर

(1) समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) के तहत जिला स्तर पर गठित जिला बाल संरक्षण इकाई, जयपुर, अजमेर एवं कोटा को आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक तक कार्यक्रमों/बैठकों/प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं आयोजित करने हेतु कोई बजट आबंटित नहीं किया गया है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) के तहत जिला स्तर पर गठित जिला बाल संरक्षण इकाई, जयपुर, अजमेर एवं कोटा को आबंटित राशि में से कार्यक्रमों/बैठकों/प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं को आयोजित करने हेतु कोई व्यय नहीं किया गया है।

(3) उक्त तीनों जिलों में समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) हेतु विभाग को प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थाओं के अनुदानों के प्रस्ताव का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(4) विगत 4 वर्षों के दौरान स्वीकृत राशि एवं आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट.स पर उपलब्ध है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## भीलवाड़ा जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति

637. **श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन एवं प्रशिक्षण के समय विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति के भुगतान पुनर्भरण के सम्बन्ध में क्या प्रावधान किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भीलवाड़ा जिले में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को वर्ष 2008 से अब तक कितनी-कितनी छात्रवृत्ति राशि का भुगतान कब-कब किया गया तथा कितने प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना शेष है? वर्षवार भुगतान एवं बकाया राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बकाया छात्रवृत्ति राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक योजनान्तर्गत राजकीय एवं मान्यता प्राप्त

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिये जाने के नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रवृत्ति वितरण का कार्य तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर के माध्यम से किया जाता है। तकनीकी शिक्षा निदेशालय से प्राप्त सूचना के आधार पर भीलवाड़ा जिले में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 से 2014-15 (फरवरी, 2015) तक प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन, लम्बित आवेदन पत्र एवं स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का वर्गवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु तकनीकी शिक्षा निदेशालय को बजट आबंटित किया जा चुका है। लम्बित आवेदन पत्रों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत गत वर्ष के लम्बित आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किये जाते हैं।

**(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

## राजकीय सेवा में विशेष योग्यजन के आरक्षण के मानदण्ड

**638. श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजकीय सेवा में विशेष योग्यजन के लिये आरक्षण के कोई मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विशेष योग्यजनों को उनके द्वारा परीक्षा देने के दौरान कोई विशेष सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रावधान हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं व विशेषकर प्रशासनिक सेवाओं में विशेष योग्यजनों के लिये कोई पद आरक्षित हैं? यदि हां, तो कितने पद किस-किस सेवा में आरक्षित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जोगाराम पटेल)

(4) वर्तमान में राजस्थान में आई. ए. एस., आर. ए. एस. व अधीनस्थ सेवाओं सहित प्रशासनिक सेवाओं के पदों में कितने पदों पर विशेष योग्यजन कार्यरत हैं और नियमानुसार कितने अधिकारी कार्यरत होने चाहिए? क्या सरकार इनके रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 36 के अन्तर्गत राजकीय सेवाओं में विशेष योग्यजनों को 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है तथा नियम 37 में नियमानुसार रोस्टर के प्रावधान है। नियमों की प्रति संलग्न परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। यह सही है कि विशेष योग्यजनों को उनके द्वारा परीक्षा देने के दौरान नियमानुसार विशेष सुविधा उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान हैं। पात्र विशेष योग्यजनों को परीक्षा के दौरान गाइडलाइंस के मुताबिक श्रुति लेखक/रीडर/लैब असिस्टेन्ट तथा परीक्षा में नियमानुसार अतिरिक्त समय दिया जाता है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नि:शक्तता कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा आफिस मेमोरेण्डम एफ नं. 16-110/2003-डीडी-III दिनांक 26.02.2013 व न्यायालय मुख्य आयुक्त, नि:शक्तजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा गाइडलाइन केस नं. 10413929/ 2007, 65/1041/2012-13 दिनांक 18.02.2013 जारी किये हुये हैं, जिनकी प्रतियां संलग्न परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध हैं।

(3) जी हां। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में विशेष योग्यजनों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.07.2011 के नियम 36 के अनुसार विशेष योग्यजनों हेतु 3 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। सिविल सेवा परीक्षा वर्ष 2007 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में विशेष योग्यजनों के आरक्षण का प्रावधान किये जाने के पश्चात् ही राजस्थान प्रशासनिक सेवा की रिक्तियों में विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया। वर्ष 2007-08 से आगामी रिक्तियां निम्नानुसार है :

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

| वर्ष | कुल प्रेषित रिक्तियां | विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षित |
|---|---|---|
| 2007-08 | 19 | शून्य |
| 2008-09 | 40 | 1 (बी.एल.) |
| 2009-10 | 40 | 1 (एच.आई.) |
| 2010-11 (भर्ती प्रक्रियाधीन) | 75 | 1 (बी.एल.)<br>1 (एच.आई.)<br>1 (एल.डी.) |
| 2011-12 एवं 2012-13 (भर्ती प्रक्रियाधीन) | 49 | 1 (बी.एल.) |
| 2013-14 एवं 2014-15 | - | रिक्तियों के निर्धारण हेतु पत्रावली प्रक्रियाधीन |

(4) राजस्थान प्रशासनिक सेवा में निम्नांकित विशेष योग्यजन अधिकारी कार्यरत हैं :

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम | चयन वर्ष |
|---|---|---|
| 1. | श्री आकाशदीप अरोड़ा | 2011-I |
| 2. | श्री अशोक कुमार मीणा | 2011-II |

वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक कुल 223 रिक्तियां प्रेषित की गईं, जिसमें वर्तमान रोस्टर पाइंट के अनुसार 7 पद विशेष योग्यजनों के बनते हैं। रोस्टर पाइंट बदले जाने से 6 पद ही प्रेषित किये गये।

जी हां। प्रत्येक भर्ती वर्ष में रोस्टर पाइंट के अनुसार पद सम्मिलित किये जायेंगे।

**(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## चाकसू में आवासीय विद्यालय खोलने की योजना

**639. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा** (चाकसू) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में आवासीय विद्यालय संचालित हैं? यदि हां, तो संचालित विद्यालयों का जिलेवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

(2) क्या सरकार अनुसूचित जाति बाहुल्य विधान सभा क्षेत्र चाकसू में आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन राइस द्वारा 17 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। संचालित आवासीय विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। नये आवासीय विद्यालय राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के आधार पर खोले जाते हैं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

**परिशिष्ट-अ**

**राजस्थान सरकार**

**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**

राजस्थान रेजीडेन्सियल ऐज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)

कमरा संख्या 411, अम्बेडकर भवन, सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर

0141-2220278

**राईस द्वारा संचालित 17 आवासीय विद्यालयों की जिलेवार सूची**

| जिले का नाम | | आवासीय विद्यालय का नाम |
|---|---|---|
| जोधपुर | 1. | डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आवासीय विद्यालय, मण्डोर |
| पाली | 2. | डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आवासीय विद्यालय, केनपुरा |
| दौसा | 3. | डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आवासीय विद्यालय, बगड़ी |
| डूंगरपुर | 4. | डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आवासीय विद्यालय, खेडाआसपुर |
| | 5. | निष्क्रमणीय पशुपालकों के बालकों हेतु राजकीय आवासीय विद्यालय, सागवाड़ा |
| भीलवाड़ा | 6. | डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, आटूण |
| | 7. | देवनारायण राजकीय आवासीय विद्यालय (छात्रा) ग्राम तेलीखेडा, सुवाणा |
| बांसवाड़ा | 8. | डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, खोडन |

| जिले का नाम | | आवासीय विद्यालय का नाम |
|---|---|---|
| जालौर | 9. | डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आवासीय विद्यालय, भैंसवाड़ा |
| | 10. | निष्क्रमणीय पशुपालकों के बालकों हेतु राजकीय आवासीय विद्यालय, हरियाली |
| कोटा | 11. | डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, हिंगी |
| | 12. | भिक्षावृत्ति एवं अन्य अवांछित गतिविधियों में लिप्त परिवारों के बालकों हेतु राजकीय आवासीय विद्यालय, मण्डाना |
| नागौर | 13. | डा. भीमराव अम्बेड्कर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, पावटा |
| सवाई माधोपुर | 14. | डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, छाण |
| टोंक | 15. | पन्नाधाय राजकीय आवासीय विद्यालय, वजीरपुरा |
| बारां | 16. | महाराणा प्रताप राजकीय आवासीय विद्यालय, अटरू |
| झालावाड़ | 17. | निष्क्रमणीय पशुपालकों के बालकों हेतु राजकीय आवासीय विद्यालय, धनवाडा |

## दौसा जिले में राशन सामग्री वितरण हेतु रोस्टर प्रणाली की पालना

**640. श्री ओमप्रकाश** (महुवा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा राशन डीलरों को राशन सामग्री वितरण हेतु कोई मानदण्ड तय किये गये हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या राशन डीलरों को सामग्री वितरण हेतु कोई रोस्टर प्रणाली निर्धारित है? यदि हां, तो रोस्टर प्रणाली निर्धारण के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या जिला दौसा में डीलरों को राशन सामग्री का वितरण रोस्टर प्रणाली के आधार पर किया जाता है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों का तहसीलवार एवं डीलरवार जारी किया रोस्टर का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। सरकार द्वारा राशन डीलरों को राशन सामग्री वितरण हेतु मानदण्ड तय किये गये हैं, जिनके अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

अन्त्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार, बी.पी.एल. एवं स्टेट बी.पी.एल. परिवारों को 05 किलोग्राम प्रति यूनिट एवं अन्य पात्र चयनित लाभार्थियों को 05 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूं) देने का प्रावधान है।

चीनी बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों को प्रति माह 500 ग्राम प्रति यूनिट देने का प्रावधान है एवं बिना गैस कनेक्शनधारी समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रति माह 04 लीटर प्रति राशन कार्ड केरोसीन देने का प्रावधान है।

मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राशन डीलरों (उचित मूल्य दुकानदारों) को सामग्री वितरण हेतु कोई रोस्टर प्रणाली निर्धारित नहीं है।

(3) जी नहीं। जिला दौसा में डीलरों (उचित मूल्य दुकानदारों) को राशन सामग्री का वितरण रोस्टर प्रणाली के आधार पर नहीं किया जाता है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## डूंगला (चित्तौड़गढ़) में गैस एजेन्सी खोलने की योजना

**641. श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप खंड मुख्यालय पर गैस एजेन्सी स्वीकृत करने हेतु क्या नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित हैं?

(2) क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय डूंगला में गैस एजेन्सी स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

**उत्तर**

(1) राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग) राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार, नई गैस एजेन्सी स्वीकृत करने हेतु स्थान (location), उस Sale Potential के बिना पर चिन्हित किया जाता है, जो कि नई गैस एजेन्सी के आपरेशन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य (Economic Viability) बना सके। Sale Potential, विभिन्न कारकों (factors) जैसे जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि दर, स्थान की आर्थिक स्मृद्धि एवं निकटतम गैस एजेन्सी से दूरी के बिना पर मापा जाता है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) नई गैस एजेन्सी के लिए विज्ञप्ति निकालने के सन्दर्भ में, का मामला (DB (Writ) 9049 of 2014) फिलहाल राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित है। इस मामले के निस्तारण के पश्चात उपखण्ड मुख्यालय डूंगला की साध्यता (Feasibility) के आधार पर गैस एजेन्सी स्वीकृत करने का विचार किया जाएगा।

## प्रदेश के गोदामों में पड़े अनाज को गरीबों में बांटने की योजना

**642. श्री ललित कुमार** (किशनगंज) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के गोदामों में गेहूं और चावल रखा हुआ है? यदि हां, तो कहां-कहां और कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अनाजों में से कितना अनाज खराब हो गया और कितना सही स्थिति में है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार के पास गेहूं व चावल के भण्डारण के लिए सुरक्षित व्यवस्था है? यदि हां, तो कहां-कहां? जिलेवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश के गोदामों में पड़े अनाजों को गरीबों को मुफ्त या नाम मात्र के दाम पर बांटने के उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब-तक? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के गोदामों एवं उसमें रखे हुए गेहूं और चावलों के स्टाक की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना अनुसार गोदामों में वर्ष 2014-15 के दौरान किसी भी प्रकार का अनाज खराब नहीं हुआ है। अनाज का भण्डारण भारत सरकार के मानक/मानदण्ड के अनुसार किया जाता है।

(3) गेहूं एवं चावल का भण्डारण भारतीय खाद्य निगम के कवर्ड गोदामों में किया जाता है। गोदामों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 में सम्मिलित है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न का आबंटन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार खाद्यान्न का उठाव कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करती है।

**(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)**

## भीलवाड़ा जिले में राशन डीलरों को उपलब्ध कराई गई सामग्री

643. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन डीलरों द्वारा स्वचालित दुकानों (Fair Price Shops) पर खाद्य सामग्री, केरोसीन, फोर्टीफाइड आटा, आदि का बेचान/वितरण किया जाता है? यदि हां, तो किस-किस स्तर के मान्य/परिभाषित पात्र व्यक्तियों को किस-किस सामग्री को किस-किस मात्रा में देने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा, बनेड़ा एवं फूलिया कलां तहसीलों में कितने राशन डीलरों की दुकानें कहां-कहां पर स्वीकृत होकर कार्यरत हैं? उनके प्रत्येक के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 28 फरवरी, 2015 तक प्रत्येक राशन डीलर को कितनी-कितनी सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में कब-कब उपलब्ध कराई गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त वितरण प्रणाली द्वारा सभी पात्र व्यक्तियों व लाभान्वितों को ठीक समय पर वितरण हो, की चैकिंग की कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या? दिनांक 01 जनवरी, 2014 से 28 फरवरी, 2015 तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन डीलरों द्वारा संचालित दुकानों (Fair Price Shops) पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार, बी.पी.एल. एवं स्टेट बी.पी.एल. परिवारों को 05 किलोग्राम प्रति यूनिट एवं अन्य पात्र चयनित लाभार्थियों को 05 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूं) देने का प्रावधान है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

चीनी बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों को प्रति माह 500 ग्राम प्रति यूनिट देने का प्रावधान है एवं बिना गैस कनेक्शनधारी समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रति माह 04 लीटर प्रति राशन कार्ड केरोसीन देने का प्रावधान है।

(2) भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा उपखण्ड में 43 एवं शाहपुरा उपखण्ड (फूलियाकलां सहित) में 68 राशन डीलरों की दुकानें कार्यरत हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) दिनांक 01 जनवरी, 2014 से 28 फरवरी, 2015 तक प्रत्येक राशन डीलर को कितनी-कितनी सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में कब-कब उपलब्ध कराई गई, का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी हां। भीलवाड़ा जिले में दिनांक 01 जनवरी, 2014 से 28 फरवरी, 2015 के दौरान उचित मूल्य दुकानों की जांच/निरीक्षण में 105 डीलरों के विरुद्ध प्राप्त अनियमितताओं में प्रकरण दर्ज किये जाकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

**(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)**

## केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं से प्रदेश को प्राप्त अनाज

**644. श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में केन्द्र प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के प्राप्त अनाज उचित रखरखाव व समय पर वितरण नहीं करने के कारण सड़ने के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किस-किस दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? तथ्यात्मक विवरण सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा राज्य भण्डारण निगम के वेयरहाउसों के निरीक्षण के सम्बन्ध में क्या-क्या निर्देश जारी किये गये हैं और अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों की पालना में गत पांच वर्षों में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम एवं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम से प्राप्त सूचना अनुसार गत दो वर्षो में केन्द्र प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के प्राप्त अनाज उचित रखरखाव व समय पर वितरण नहीं करने के कारण सड़ने का प्रकरण सामने नहीं आया है।

(2) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के भण्डार गृहों पर प्रत्येक माह में दो बार भण्डार प्रबंधक द्वारा निरीक्षण एवं एक बार निगम के प्रधान कार्यालय द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करने की स्थायी व्यवस्था है, जिससे जमा खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाये रखना सुनिश्चित किया जाता है।

(3) सरकार द्वारा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के वेयर हाउसों के निरीक्षण के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी नहीं किये हुए हैं। निगम द्वारा स्वयं के स्तर पर अनाज के उचित रख-रखाव के लिए समस्त भण्डार गृहों पर प्रशिक्षित भण्डार प्रबंधकों/कर्मचारियों को पदस्थापित किया हुआ है। समस्त भण्डार गृहों का सम्बन्धित भण्डार प्रबंधक द्वारा प्रत्येक माह में पाक्षिक आधार पर पर्यवेक्षण के साथ-साथ वर्ष में एक बार शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन भी करवाया जाता है।

## स्पिनफैड मिल, गंगापुर (भीलवाड़ा) में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण

645. **श्री बालू राम चौधरी** (सहाड़ा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाडा के गंगापुर शहर में स्थित सहकारी क्षेत्र की स्पिनफैड मिल लि. में अनुकम्पा नियुक्ति नहीं की जाती है? यदि हां, तो क्यों? क्या पूर्व में इस प्रकार का प्रावधान था? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी हां। गंगापुर शहर में स्थित सहकारी क्षेत्र की स्पिनिंग मिल स्पिनफैड की इकाई के रूप में कार्यरत है, अत: इस इकाई में फैडरेशन में लागू नियम ही लागू होते हैं। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के गंगापुर शहर में स्थित सहकारी क्षेत्र की स्पिनफैड मिल लि. में अनुकम्पा नियुक्ति नहीं की जाती हैं।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 39 के तहत कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान द्वारा आदेश दिनांक 2.2.2006 द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्तियों के नियम जारी किये गये, जिसे स्पिनफैड संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 14.6.2006 द्वारा अंगीकार किया गया। इस प्रकार इस फैडरेशन में अनुकम्पात्मक नियुक्तियों के नियम दिनांक 14.6.2006 से प्रभावी हुए।

इस सम्बन्ध में विभाग के आदेश दिनांक 25.2.2006 (परिशिष्ट-'अ') के द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 2.2.2006 (परिशिष्ट-'ब') में संशोधन कर पूल का गठन किया गया है, जिसमें स्पिनफैड को संचित हानि में रहने के कारण शामिल नहीं किया गया है। विभाग के आदेश दिनांक 16.7.2010 (परिशिष्ट-'स') द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिलंघित किया गया है, जिसके अनुसार स्पिनफैड के संचित हानि में होने के कारण स्पिनफैड की इकाइयों के मृतक श्रमिकों/कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

एक विशेष वाद में स्पिनफैड, जयपुर की गंगापुर इकाई के सुरक्षाकर्मी श्री दुर्गालाल कीर की दिनांक 8.7.2011 की रात्रि को डयूटी के दौरान हत्या होने पर माननीय मुख्य मंत्री महोदया के निर्देशानुसार मृतक के आश्रित को स्पिनफैड में दिनांक 6.1.2012 को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी गई है। निर्देशानुसार यह प्रकरण अन्य प्रकरण के लिये उद्धरण नहीं होगा।

मिल में अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान विभाग के आदेश दिनांक 25.2.2006 से पूर्व था।

**(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## राजफैड द्वारा कृषि उत्पादों की खरीद के मानदण्ड

**646. श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि ''राजफैड'' उसी कृषि उत्पाद की उचित मूल्य पर खरीद करता है, जो ''नैफेड'' द्वारा निर्धारित ''गुणवत्ता-मानदण्ड'' के अनुरूप है? यदि हां, तो प्रत्येक जिन्स की ''गुणवत्ता-मानदण्ड'' का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य के तहत गुणवत्ता मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं, जिनके आधार पर नैफेड के निर्देशानुसार राजफैड द्वारा खरीद की जाती है। विभिन्न फसलों के लिए निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों की प्रतियां संलग्न हैं।

**(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## आसीन्द में सहकारी समितियों के भवनों का निर्माण

647. **श्री राम लाल गुर्जर** (आसींद) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसींद के ग्रामों में सहकारी समितियां निजी भवनों में संचालित हो रही हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके लिये भवनों का निर्माण कर उनको कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आसींद में 63 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनमें से 47 समितियों के पास स्वयं के गोदाम व कार्यालय भवन हैं। शेष 16 समितियां राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में संचालित हैं। इनमें से 9 समितियों के गोदाम एवं कार्यालय निर्माणाधीन हैं; कार्य पूर्ण होते ही स्वयं के भवन में स्थानान्तरित कर दी जावेंगी। शेष 7 समितियों में से दांतड़ा समिति का कार्यालय एवं गोदाम निर्माण का प्रस्ताव दिनांक 14.3.2015 को स्वीकृत किया जा चुका है। बराठिया समिति का प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया हुआ है। जिन्दरास समिति का गठन 24-2-14 को होने के कारण बजट घोषणा वर्ष 2014-15 के अनुसार पात्र समिति नही है। जालरिया व रतनपुरा (भादसी) समिति के पास भूमि उपलब्ध नहीं होने से भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। बड़ला व संग्रामगढ़ समिति में भूमि का विवाद होने से गोदाम निर्माण का कार्य बन्द है । इस हेतु विभाग द्वारा समिति को स्थानीय स्तर पर समस्या का निस्तारण करवाकर निर्माण कार्य पूर्ण करवाने हेतु पाबन्द किया हुआ है ।

## जयपुर जिले में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा काटी जा रही अवैध कालोनियां

**648. श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहकारी अधिनियम 2001 एवं नियम 2003 के अनुसार प्रत्येक सहकारी समिति का प्रति वर्ष अंकेक्षक से अंकेक्षण करवाया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो अंकेक्षण करवाने के सम्बन्ध में जारी आदेश/निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिला जयपुर में वर्तमान में कितनी सहकारी समितियां पंजीकृत हैं एवं उक्त गृह निर्माण सहकारी समितियों का कब-कब अंकेक्षण करवाया गया व किस-किस सहकारी समिति का कब से अंकेक्षण करवाया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला जयपुर में ऐसी कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं, जिनका पंजीयन रद्द कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या उक्त सहकारी समितियों द्वारा कितनी कॉलोनियां जिला जयपुर में काटी गईं, की जानकारी सरकार को है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त समितियों द्वारा जिला जयपुर में अवैध रूप से कालोनियां काटी जा रही हैं? क्या सरकार द्वारा इनका नियंत्रण किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो अब तक सरकार द्वारा उक्त समितियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

**उत्तर**

(1) जी हां। राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 एवं नियम 2003 के अनुसार प्रत्येक सहकारी समिति को प्रति वर्ष अंकेक्षण करवाना आवश्यक है। अंकेक्षण करवाने के सम्बन्ध में जारी आदेश निर्देश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला जयपुर में वर्तमान में 3,510 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। इनमें से 208 गृह निर्माण सहकारी समितियों के अंकेक्षण का समितिवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

(3) जिला जयपुर में 140 गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन रद्द किया जा चुका है, जिनकी सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) सहकारी समितियों द्वारा कालोनियों से सम्बन्धित रिकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जाता है एवं उसकी सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण स्तर पर संधारित की जाती है। जयपुर विकास प्राधिकरण से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिनांक 30.11.2014 तक गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा 3,658 योजनाओं के काटे जाने की जानकारी जयपुर विकास प्राधिकरण में उपलब्ध है।

(5) जी नहीं। कालोनियों के नक्शे अथवा प्लाट का लेनदेन सहकारिता विभाग द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है फिर भी सहकारिता विभाग द्वारा दैनिक सामाचार पत्रों में अमानीशाह नाले के बहाव क्षेत्र में अवैध योजनाएं सृजित कर भूखण्ड आबंटित करने के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचारों के आधार पर सम्बन्धित समितियों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**(प्रति, विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)**

## प्रदेश में लोक कलाओं को संरक्षित करने की योजना

**649. श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश की विभिन्न लोक कला संस्कृति को संरक्षित करने एवं इसके उत्थान के लिए गत 5 वर्षों में सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा कठपुतली नृत्य, राजस्थानी लोक गीत, लोक गायन व लोक नृत्य जैसी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए इससे जुडे लोगों के कल्याण एवं आर्थिक उत्थान के लिए कोई विशेष प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश की अनूठी लोक कलाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) लोक कला संस्कृति के संरक्षण एवं उत्थान के लिये इस विभाग की तीन संस्थाएं यथा जवाहरकला केन्द्र, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी एवं भारतीय लोक कला मण्डल निरन्तर प्रयासरत हैं। गत 5 वर्षो में जवाहर कला केन्द्र द्वारा सभी अंचलों के सभी आयु वर्ग के लोक कलाकारों को आमन्त्रित किया जाकर यथासम्भव मंचीय अवसर प्रदान किये जाते रहे हैं एवं प्रोत्साहन राशि के रूप में मानदेय का भुगतान भी किया जाता रहा है, जिससे कलाकारों को आर्थिक सहायता के साथ प्रदेश के विभिन्न वृहद् मंचों पर कला के प्रदर्शन के व्यापक अवसर प्राप्त होते हैं।

जवाहर कला केन्द्र द्वारा लगभग सभी कला-रूपों का आडियों-विडियो रिकाडिंग के माध्यम से प्रलेखन का कार्य भी किया जाता है, जो भावी पीढ़ी एवं शोधार्थियों, कला प्रेमियों के लिये निकट भविष्य में बहुत उपयोगी होगा।

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा गत 5 वर्षो में प्रदेश के विभिन्न अंचलों में लोक कलाकारों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। भारतीय लोक कला मण्डल द्वारा भी लोक कला मेले आयोजित किये गये है।

(2) लोक कलाकारों को उनकी प्रस्तुतियों हेतु समय-समय पर मंच उपलब्ध करवाया जाता है तथा पारिश्रमिक भी दिया जाता है । वर्तमान में देय पारिश्रमिक में अभिवृद्धि किये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लोक कलाकारों एवं उनके संस्थानों को नियमानुसार अनुदान भी दिया जाता है।

(3) भारतीय लोक कला मण्डल द्वारा राजस्थानी लोक नृत्यों, लोक गीतों, कठपुतली एवं अन्य कलाओं के दल देश-विदेश में भेजकर प्रस्तुतियां दी जाती हैं। इस संस्था ने स्वामी विवेकानन्द कठपुतली नाटिका तैयार कर इसके 217 प्रदर्शन देश में व अमेरिका व कनाडा में 11 प्रदर्शन कर इस कला से विश्व को परिचित कराया है। राज्य सरकार प्रदेश की लोक कलाओं को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु निरन्तर प्रयासरत है।

## सवाई माधोपुर में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना

**650. राजकुमारी दियाकुमारी** (सवाई माधोपुर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(राजकुमारी दियाकुमारी)

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर स्थित शहरी क्षेत्र में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में शिल्प ग्राम को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर में विभिन्न दर्शनीय स्थल व रणथम्भौर अभयारण्य होने के कारण पर्यटकों की आवक अधिक रहती है? क्या सरकार पर्यटकों के स्वास्थ्य, स्वच्छता, खान-पान, सुरक्षा, आवागमन तथा ठहरने की व्यवस्थाओं व साधनों को लेकर कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(4) सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में उक्त विधान सभा क्षेत्र के लिये क्या-क्या योजनाएं प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष दिनांक 03.03.2015 को वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्राथमिकता निर्धारण के लिए आयोजित बैठक में सवाई माधोपुर में राज्य होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोलने हेतु प्रस्ताव रखा गया है। पर्यटन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) शिल्प ग्राम के संचालन एवं संधारण हेतु एजेंसी के चयन हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) की विज्ञप्ति जारी की गयी थी, किन्तु उचित प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण जवाहर कला केन्द्र, जयपुर एवं पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर से शिल्प ग्राम संचालन एवं संधारण हेतु सहमति चाही गयी थी, किन्तु दोनों संस्थाओं ने संचालन एवं संधारण में असमर्थता व्यक्त की है। दस्तकार संस्थान, सवाई माधोपुर को भी शिल्प ग्राम सवाई माधोपुर के संचालन व संधारण के सम्बन्ध में शीघ्र अपनी सहमति एवं कार्य योजना विभाग को भिजवाने का अनुरोध किया गया है। शिल्प ग्राम शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु सरकार निरन्तर प्रयासरत है।

(3) जी हां। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.03.2014 को रणथम्भौर टाइगर रिजर्व, सवाई माधोपुर में बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्य हेतु राशि रु. 434.86 लाख की परियोजना स्वीकृत की गयी है।

(पर्यटन राज्य मंत्री)

(4) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.03.2014 को रणथम्भौर टाइगर रिजर्व, सवाई माधोपुर में बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्य हेतु राशि रु. 434.86 लाख की परियोजना स्वीकृत कर प्रथम किश्त राशि रु. 86.97 लाख निर्मुक्त की गयी है। उक्त परियोजना के अन्तर्गत कार्यकारी एजेंसी वन विभाग द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 की प्राथमिकता में करौली-सवाई माधोपुर के विकास कार्यों की परियोजना रखी गयी है। उक्त योजना की प्रोजेक्ट राशि रु. 8.00 करोड़ स्वीकृति हेतु पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित की जा चुकी है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त वर्ष 2015-16 में पर्यटन विकास कार्य कराये जा सकेंगे।

## पुरातत्व विभाग में अधिक ठहराव वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण

651. **श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि लम्बे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में किन-किन अधिकारी व कर्मचारियों के कहां से कहां स्थानान्तरण किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारियों ने स्थानान्तरित स्थान पर कब-कब जोइनिंग की एवं जोइनिंग के बाद किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अवकाश लिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा किस-किस प्रयोजन से कब-कब राजकीय यात्राएं की गयीं एवं यात्राएं पूरी कर कब-कब मुख्यालय में जोइनिंग की गई? जोइनिंग की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) निदेशालय जयपुर में किस-किस श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी कब-कब से कार्यरत हैं? गत पांच वर्षों में किन-किन की पदोन्नति हुई एवं पदोन्नति उपरान्त किस-किस को कहां-कहां लगाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

(5) निदेशालय हेतु किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1). जी हां। गत 5 वर्षों के दौरान विभाग द्वारा किये गये अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानान्तरण का विवरण परिशिष्ट-1 पर है।

(2) विभाग में स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर जोइनिंग एवं जोइनिंग के बाद लिये गये अवकाशों का विवरण परिशिष्ट-2 पर है।

(3) राज-कार्य सम्पादित करने हेतु अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा की गई यात्राओं का विवरण परिशिष्ट-3 पर है। राजकीय यात्रा पूरी कर लौटने पर मुख्यालय में लिखित जोइनिंग देने का प्रावधान नहीं है।

(4) निदेशालय जयपुर में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट-4 पर है।

निदेशालय में गत पांच वर्ष में पदोन्नति एवं पदोन्नति उपरान्त लगाये गये अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट-5 पर है।

(5) निदेशालय हेतु अधिकारी वर्ग के 21, अधीनस्थ सेवा के 22, मंत्रालयिक व अन्य सहायक कर्मचारी सेवा के 35 (कुल 78) पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में 13 अधिकारी, 11 अधीनस्थ तथा मंत्रालयिक व अन्य सहायक कर्मचारी 27 कार्यरत हैं। विवरण परिशिष्ट-6 पर है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बीकानेर में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने की योजना

**652. सुश्री सिद्धी कुमारी** (बीकानेर पूर्व) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है? यदि हां, तो वर्ष 2013-2014 में कितने पर्यटक आये?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2013 एवं 2014 में बीकानेर में आये देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्नानुसार हैं :-

| वर्ष | देशी | विदेशी | योग |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3,25,653 | 74,539 | 4,00,192 |
| 2014 | 3,47,294 | 67,098 | 4,14,392 |

(2) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 की प्राथमिकता में रखी गयी मेगा डेजर्ट सर्किट परियोजना में बीकानेर जिले हेतु राशि रु. 883.88 लाख के कार्य प्रस्तावित हैं। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जा सकेंगे।

राज्य बजट घोषणा 2015-16 के अन्तर्गत बीकानेर में राजकीय संग्रहालय का विकास कराया जायेगा।

## टोंक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में मंत्रालयिक कार्मिकों के रिक्त पद

**653. श्री अजीत सिंह** (टोंक) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों, ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों तथा जिले के विद्यालयों में मानदण्डानुसार मंत्रालयिक कार्मिकों के पद स्वीकृत हैं? यदि नहीं, तो किस-किस में स्वीकृत नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यालयों एवं विद्यालयों में मंत्रालयिक कार्मिकों के पदों के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(3) क्या उक्त जिले के जिन कार्यालयों में मानदण्डानुसार मंत्रालयिक कार्मिकों के पद स्वीकृत नहीं हैं, उन कार्यालयों में सरकार पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। टोंक जिले के परिशिष्ट-'क' में वर्णित विद्यालयों के अतिरिक्त मानदण्डानुसार मंत्रालयिक संवर्ग के पद स्वीकृत हैं।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

(2) विभाग के कार्यालयों एवं विद्यालयों में मंत्रालयिक कार्मिकों के पदों के लिए निर्धारित मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(3) जी हां। मंत्रालयिक संवर्ग के पद सृजन हेतु पूर्व में जारी मानदण्डों में संशोधन हेतु मानदण्ड निर्धारण समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके अनुसार कार्रवाई की जावेगी।

**(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)**

## संविदा पर कार्यरत प्रेरकों के मानदेय में वृद्धि

**654. श्री अशोक डोगरा** (बूंदी) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय केन्द्रों पर वर्ष 2003 से संविदा पर कार्यरत प्रेरकों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार प्रेरकों का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक लोक शिक्षा केन्द्र संचालित है, जिसमें दो प्रेरक (एक महिला एवं एक पुरुष) अंशकालीन आधार पर अनुबंध पर 2,500/- रुपये मासिक मानदेय पर कार्यरत हैं। लोक शिक्षा केन्द्रों पर महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करने के लिए बजट घोषणा वर्ष 2013-14 की गई थी, जिसकी पालना में लोक शिक्षा केन्द्रों में महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय संचालित हैं। जिन लोक शिक्षा केन्द्रों में महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालयों का संचालन किया जा रहा है, उन लोक शिक्षा केन्द्रों के प्रेरकों को 500/- रुपये प्रति माह अतिरिक्त मानदेय दिया जा रहा है। इन प्रेरकों को नियमित करने का कोई प्रकरण विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(2) साक्षर भारत कार्यक्रम केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें मानदेय बढ़ाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा ही लिया जाता है।

## नवचयनित वरिष्ठ अध्यापकों के पदस्थापन पर प्राप्त परिवेदनाएं

**655. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि सरकार के आदेश क्रमांक प.17 (16) शिक्षा-2 2014 दिनांक 13 जनवरी, 2015 के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2013 के पदस्थापन के सम्बन्ध में परिवेदनाएं मांगी गई थीं? यदि हां, तो प्रदेश में कुल कितनी परिवेदनाएं प्राप्त हुईं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि परिवेदनाएं लेने का उद्देश्य अध्यापक/अध्यापिकाओं को राहत देना था?

(3) क्या यह भी सही है कि परिवेदनाएं लेने के बाद सरकार ने उसमें संशोधन कर सूची जारी कर दी है? यदि हां, तो कुल कितनी विधवा अध्यापिकाओं ने परिवेदनाएं दीं और कितनी विधवा अध्यापिकाओं के स्थान में संशोधन किया गया? शेष की परिवेदनाओं पर सुनवाई कर सरकार कब तक संशोधन कर देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि परिवेदनाएं लेकर भी विधवा अध्यापिकाओं को राहत नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व में कार्यग्रहण करने वाली विधवा महिलाओं को भी परिवेदनाओं में चाहे गये स्थान पर पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

**उत्तर**

(1) जी हां । प्रदेश में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, 2013 के पदस्थापन के सम्बन्ध में 1,475 परिवेदनाएं प्राप्त हुई हैं। प्राप्त परिवेदनाओं का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, 2013 के पदस्थापन के सम्बन्ध में 106 विधवा अध्यापिकाओं द्वारा परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई थीं, जिनमें से किसी के भी पदस्थापन स्थान में संशोधन नहीं किया गया है।

(4) जी हां। वर्तमान में स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध होने के कारण परिवेदनाओं में चाहे गये स्थान पर पदस्थापन नहीं किया जा सकता।

**परिशिष्ट-क**

| निदेशालय में प्राप्त परिवेदना सूची जिलावार | | |
|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **जिला** | **संख्या** |
| 1 | धौलपुर | 5 |
| 2 | झालावाड़ | 6 |

| क्र.सं. | जिला | संख्या |
|---|---|---|
| 3 | झुंझुनूं | 60 |
| 4 | कोटा | 66 |
| 5 | बून्दी | 5 |
| 6 | बीकानेर | 267 |
| 7 | बारां | 4 |
| 8 | बाड़मेर | 2 |
| 9 | करौली | 15 |
| 10 | भरतपुर | 63 |
| 11 | सिरोही | 1 |
| 12 | चित्तौड़गढ़ | 6 |
| 13 | हनुमानगढ़ | 48 |
| 14 | भीलवाड़ा | 7 |
| 15 | पाली | 23 |
| 16 | श्रीगंगानगर | 32 |
| 17 | राजसमन्द | 2 |
| 18 | सीकर | 33 |
| 19 | सवाई माधोपुर | 17 |
| 20 | उदयपुर | 9 |
| 21 | डूंगरपुर | 0 |
| 22 | दौसा | 5 |
| 23 | चूरू | 350 |
| 24 | जोधपुर | 58 |
| 25 | जयपुर | 253 |
| 26 | जालौर | 4 |
| 27 | जैसलमेर | 0 |
| 28 | नागौर | 21 |
| 29 | टोंक | 14 |
| 30 | अजमेर | 67 |
| 31 | अलवर | 29 |
| 32 | बांसवाड़ा | 2 |
| 33 | प्रतापगढ़ | 1 |
| | **योग** | **1475** |

सहायक निदेशक (संस्था-एफ)

## मण्डावा के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

**656. श्री नरेन्द्र कुमार** (मण्डावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापकों, अध्यापकों एवं लिपिक वर्ग के कितने-कितने पद रिक्त हैं? विद्यालय-वार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संवर्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापकों, अध्यापकों एवं लिपिक वर्ग के स्वीकृत व रिक्त पदों का विद्यालयवार एवं संवर्गवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा ।

परिशिष्ट-क

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झुंझुनूं

| क्र. सं. | नाम विद्यालय | प्रधानाचार्य | | प्र.अ. | | व्याख्याता | | | व.अ. | | शा.शि. | | अध्यापक | | लिपिक I | | लिपिक II | | स. कर्मचारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त |
| 1 | राउमावि अलसीसर | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | राउमावि बाडेट | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | राउमावि बिरमी | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | राउमावि बिसाउ | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | राउमावि चन्दवा | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | राउमावि चुडैला | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | राउमावि डाबडीधीर सिंह | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | राउमावि गांगियासर | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | राउमावि हंसासर | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | राउमावि जाबासर | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | राउमावि कोलिण्डा | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | राउमावि लादूसर | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |

| क्र. सं. | नाम विद्यालय | प्रधानाचार्य | | प्र.अ. | | व्याख्याता | | | व.अ. | | शा.शि. | | अध्यापक | | लिपिक I | | लिपिक II | | स. कर्मचारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त |
| 13 | राउमावि मलसीसर | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | राउमावि निराधनूं | 1 | 1 | 0 | | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | राउमावि सोनासर | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | राउमावि टाई | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | राउमावि टमकोर | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 18 | राबाउमावि बिसाउ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 19 | राउमावि भारू | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 20 | राउमावि भीमसर | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 21 | राउमावि चुडी अजीतगढ़ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | राउमावि हनुमानपुरा | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 23 | राउमावि मण्डावा | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | राउमावि नूआ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | राउमावि सींगडा | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | राउमावि शेखसर | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 27 | राउमावि सिरियासर कलां | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |

| क्र. सं. | नाम विद्यालय | प्रधानाचार्य | | प्र.अ. | | व्याख्यता | | | व.अ. | | शा.शि. | | अध्यापक | | लिपिक I | | लिपिक II | | स. कर्मचारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त |
| 28 | राउमावि वाहिदपुरा | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | राबाउमावि हेतमसर | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | राबाउमावि मण्डावा | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | रामावि बाजला | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | रामावि भिखनसर | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | रामावि भूदे का बास | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | रामावि दिलोइ दक्षिण | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | रामावि ढाणी चारण | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | रामावि धनूरी | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 37 | रामावि ढीलसर | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | रामावि हमीरी कलां | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | रामावि हंसासरी | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | रामावि हरिपुरा | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| क्र. सं. | नाम विद्यालय | प्रधानाचार्य | | प्र.अ. | | व्याख्याता | | | व.अ. | | शा.शि. | | अध्यापक | | लिपिक I | | लिपिक II | | स. कर्मचारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त |
| 41 | रामावि इटावा कलां | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | रामावि इटावा खुर्द | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | रामावि कंकडेउ कलां | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | रामावि कालियासर | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | रामावि कमालसर | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | रामावि कांट | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | रामावि ख्याली | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | रामावि कोदेसर | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | रामावि कुल्हारिया की ढाणी | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | रामावि लूणा | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | रामावि महनसर | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | रामावि नांद | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | रामावि पाटोदा | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | रामावि पीथूसर | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| क्र. सं. | नाम विद्यालय | प्रधानाचार्य | | प्र.अ. | | व्याख्याता | | | व.अ. | | शा.शि. | | अध्यापक | | लिपिक I | | लिपिक II | | स. कर्मचारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त |
| 55 | रामावि पिलानी खुर्द | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | रामावि रामपुरा | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | रामावि रिजाणी | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | रामावि शेशू | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | रामावि शिवपुरा | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | रामावि सिरियासर खुर्द | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | राबामावि अलसीसर | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 62 | राबामावि टमकोर | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | रामावि बहादुरवास | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | रामावि भोजासर | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 65 | रामावि दुराना | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | रामावि हेतमसर | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 67 | रामावि कुमास पूनिया | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | रामावि मेहरादासी | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 69 | रामावि मौजास | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| क्र. सं. | नाम विद्यालय | प्रधानाचार्य | | प्र.अ. | | व्याख्याता | | | व.अ. | | शा.शि. | | अध्यापक | | लिपिक I | | लिपिक II | | स. कर्मचारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त |
| 70 | रामावि फूसखानी | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | रामावि तेतरा | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | राबामावि चुडी अजीतगढ़ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | राबमावि नूआं | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | **योग** | **30** | **9** | **43** | **3** | **190** | **79** | **359** | **434** | **30** | **30** | **5** | **70** | **23** | **43** | **12** | **74** | **26** | **137** | **48** |

नोट : मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में विषयवार वरिष्ठ अध्यापक स्वीकृत पदों से 75 वरिष्ठ अध्यापक अधिक कार्यरत हैं जबकि विषयवार 30 पद रिक्त हैं।

## जयपुर व सीकर जिले के विद्यालयों में वाणिज्य व्याख्याताओं के रिक्त पद

657. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर एवं सीकर जिले में वाणिज्य विषय के स्कूल व्याख्याताओं के कितने पद कहां-कहां पर कब से स्वीकृत हैं और उनमें से कहां-कहां पर कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर एवं सीकर जिले में वाणिज्य विषय के स्कूल व्याख्याताओं के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा ।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## दूदू के विद्यालयों में रिक्त पद

658. **श्री प्रेम चन्द बैरवा** (दूदू) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू के कौन-कौन से गांवों में वर्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं? ग्रामवार संचालित विद्यालयों की सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में किस-किस संवर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में किस-किस विद्यालय में कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं? विद्यालयवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) उक्त विद्यालयों में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? विद्यालयवार संख्या सूची सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा

(शिक्षा राज्य मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र दूदू में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-"क'' पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा

विधान सभा क्षेत्र दूदू में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित रा.मा.वि. व रा.उ.मा.वि. का विवरण इस प्रकार से है-

| क्र.स. | मा.वि. | उ.मा.वि. | योग |
|---|---|---|---|
| 01 | 24 | 46 | 70 |

ग्राम वार संचालित विद्यालयों की नामवार सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा

उक्त विद्यालयों में संवर्गवार स्वीकृत, रिक्त पद तथा कब से रिक्त हैं, का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-"क'' में सम्मिलित है।

माध्यमिक शिक्षा

उक्त विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण संलग्न परिशिष्ट ''ख'' में सम्मिलित है।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा

उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का विद्यालयवार संख्या विवरण परिशिष्ट-"क'' में सम्मिलित है।

माध्यमिक शिक्षा

उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का विद्यालयवार संख्या विवरण परिशिष्ट ''ख'' में सम्मिलित है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## शिक्षण संस्थाओं में छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति

**659. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला** (झुंझुनूं) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं? यदि हां, तो किन-किन शिक्षण संस्थाओं में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं व उनमें से कौन-कौनसे पद भरे हुए हैं व कौन-कौन से पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा? कौन-कौनसी

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

शिक्षण संस्थाओं की किस-किस कक्षाओं में कितने-कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त समस्त शिक्षण संस्थाओं के भवन बने हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी संस्थाओं के भवन बने हुए हैं व जिनके पास भवन नहीं हैं, क्या सरकार उन शिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त संस्थाओं को प्रयोगार्थ कम्प्यूटरीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन संस्थाओं को व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार 'आपकी बेटी योजना' लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में किन-किन शिक्षण संस्थाओं में यह योजना कब तक प्रारम्भ कर दी जाएगी?

(5) क्या उक्त संस्थाओं हेतु साफ-सफाई के प्रयोगार्थ कोई प्रावधान किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस स्तर की संस्थाओं को कितना-कितना धन कब तक उपलब्ध करवा दिया जावेगा?

(6) क्या उक्त संस्थाओं की छात्राओं हेतु ट्रेनिंग फोर सेल्फ डिफेन्स का प्रावधान है? यदि हां, तो प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा

जी हां। विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद, भरे हुए पद एवं रिक्त पदों सहित अध्ययनरत विद्यार्थियों का कक्षावार, विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में संचालित उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, इनमें स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है। उक्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का विवरण परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग से, विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने तथा पंचायती राज विभाग से तृतीय श्रेणी अध्यापक उपलब्ध होने पर ही रिक्त पदों को भरा जा सकेगा ।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

(2) प्रारम्भिक शिक्षा

विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं के 01 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का स्वयं का भवन नहीं है। शेष 74 विद्यालय राजकीय विद्यालयों के भवनों में संचालित हैं, जिनका विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-"1'' में सम्मिलित है।

माध्यमिक शिक्षा

उक्त विधान सभा क्षेत्र में समस्त शिक्षण संस्थाएं सरकारी भवनों में संचालित हैं। विवरण सूची परिशिष्ट ''4'' संलग्न है।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा

भारत सरकार की परियोजना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कल्प (कम्प्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम) के तहत विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में चिह्नित 32 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे कठिन विषय वस्तुओं का अध्ययन कम्प्यूटर के माध्यम से करवाया जाता है, जिनका विवरण परिशिष्ट-"5'' पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा

परिशिष्ट ''6'' पर संलग्न सूची में वर्णित कम्प्यूटरीकरण से शेष विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2015-16 के लिये बजट प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

(4) माध्यमिक शिक्षा

'आपकी बेटी योजना' वर्ष 2004-05 से राज्य में लागू है। विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं के समस्त राजकीय विद्यालयों में यह योजना सत्र 2004-05 से ही प्रारम्भ है।

(5) प्रारम्भिक शिक्षा

जी हां। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को वर्ष 2014-15 में साफ-सफाई हेतु प्रति माह 500/- की दर से 10 माह के लिए कुल 5,000 रुपये की राशि उपलब्ध करवायी गयी।

माध्यमिक शिक्षा

सफाई हेतु उपलब्ध करवाई गई राशि का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट ''7'' पर संलग्न है।

(6) प्रारम्भिक शिक्षा

जी हां। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को सेल्फ डिफेन्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आदेशों की प्रति परिशिष्ट ''8 '' संलग्न है।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

माध्यमिक शिक्षा

इन संस्थाओं में छात्राओं को ट्रेनिंग फोर सेल्फ डिफेन्स का प्रावधान है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-"9'' पर संलग्न है।

**(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)**

**प्रश्न संख्या-660**

**(स्थगित)**

## बारां-अटरू में सर्व शिक्षा अभियान के तहत भवनों का निर्माण

**661. श्री रामपाल** (बारां-अटरू) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में सर्व शिक्षा अभियान के तहत पांच वर्षों में किस-किस विद्यालय में कितनी-कितनी लागत से भवनों का निर्माण करवाया गया? वर्षवार व विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपरोक्त कार्यों में से अब तक कितने कार्य पूर्ण हो गये तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करवा लिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में सर्व शिक्षा अभियान के तहत पांच वर्षों में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कराये गये भवनों के निर्माण का वर्षवार एवं विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न हैं।

(2) उपरोक्त कार्यों में से 137 कार्य पूर्ण हो गये हैं एवं शेष 5 कार्य प्रगतिरत हैं। इन 5 अपूर्ण कार्यों को 31 मई, 2015 तक पूर्ण करा लिया जावेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## पदोन्नति के पश्चात् प्रतिबन्धित जिलों के अध्यापकों का अन्य जिलों में पदस्थापन

**662. श्री श्रीराम भींचर** (मकराना) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री श्रीराम भींचर)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2013 में स्थानान्तरण से प्रतिबंधित जिलों में पदस्थापित तृतीय श्रेणी अध्यापकों की द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति की गई है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि पदोन्नति पर उन्हें प्रतिबंधित जिले में पदस्थापित न कर नियम विरुद्ध अप्रतिबन्धित जिलों में पदस्थापित कर दिया गया? यदि हां, तो किन-किन को कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त नियम विरुद्ध किये गये पदस्थापनों को निरस्त कर पुनः प्रतिबंधित क्षेत्र में ही पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) जी हां। वर्ष 2013 में विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों को द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर पदोन्नतियां आदेश दिनांक 27.7.2013 द्वारा प्रदान की गई हैं।

(2) जी नहीं । वरिष्ठ अध्यापक पदों का पदोन्नति हेतु निर्धारण मण्डल स्तर पर किया जाता है। अतः वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति होने पर वरिष्ठ अध्यापकों को मण्डल के जिलों में रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा सकता है। पदोन्नति पर प्रतिबन्धित जिले से अप्रतिबन्धित जिलों में किये गये पदस्थापनों का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं ।

**परिशिष्ट-क**

**पदोन्नति पर प्रतिबंधित जिले से अप्रतिबंधित जिले में पदस्थापित शिक्षकों की सूची जिनको कहां-कहां लगाया गया है उनके नाम निम्नानुसार हैं:**

| क्र. सं. | नाम कार्मिक | विषय | पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान |
|---|---|---|---|
| 1 | उदयवीर सिंह राउप्रावि भरकुण्डी प्रतापगढ़ | हिन्दी | राउमावि कालीभीत उदयपुर |
| 2 | रामेश्वरलाल मेघलाल उप्रावि माता मगरी प्रतापगढ़ | हिन्दी | रामावि केवलपुरा चित्तौड़गढ़ |
| 3 | चन्द्रशेखर परमार उप्रावि डोलवर डूंगरपुर | अंग्रेजी | राउमावि कोल्यारी खैरवाडा उदयपुर |

| क्र. सं. | नाम कार्मिक | विषय | पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान |
|---|---|---|---|
| 4 | रतनलाल कलाल रामावि दांतलिया प्रतापगढ़ | अंग्रेजी | मावि आरणिया लसाडिया उदयपुर |
| 5 | राजेशकुमार वर्मा प्रावि पातली डूंगरपुर | अंग्रेजी | डैया खैरवाडा उदयपुर |
| 6 | सपना शाह बांसवाड़ा | अंग्रेजी | राबाउमावि बेदला उदयपुर |
| 7 | मारूतीनन्दन उप्रावि छोगाघाटी प्रतापगढ़ | विज्ञान | मावि नया बोरिया सलूम्बर उदयपुर |
| 8 | फरेबीलाल मावि केसरपुरा पीपलखूंट प्रतापगढ़ | विज्ञान | मावि बोलो का सांवता चित्तौड़गढ़ |
| 9 | बुटीराम बीईईओ सागवाड़ा डूंगरपुर | गणित | राउमावि बरार भीम राजसमन्द |
| 10 | पवन कुमार रामावि चाडोली डूंगरपुर | गणित | रामावि घोडी खैरवाड़ा उदयपुर |
| 11 | मदनलाल मावि बोरी पीपलखूंट प्रतापगढ़ | गणित | राउमावि बोरदा चित्तौड़गढ़ |
| 12 | अनिता कोठारी बामावि साबला डूंगरपुर | सा. ज्ञान | मावि धोलगिरीका खेड़ा सलूम्बर उदयपुर |
| 13 | रजनीलता आमेटा बीईईओ डूंगरपुर | संस्कृत | बामावि कस्तूरबा उदयपुर |
| 14 | आशा जैन उपावि वडापाल डूंगरपुर | संस्कृत | रामावि रेलवे ट्रेनिंग उदयपुर |
| 15 | हेमलता बाउप्रावि कूणी प्रतापगढ़ | संस्कृत | राउमावि कानोड उदयपुर |
| राज्य सरकार से सम्बन्धित | | | |

**शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)**

**उदयपुर मण्डल उदयपुर**

## बस्सी तहसील (जयपुर) में अवैध खनन की शिकायतें

**663. श्रीमती अंजू देवी धानका** (बस्सी) : क्या खान राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

(1) क्या यह सही है कि तहसील बस्सी जिला जयपुर में अवैध खनन हो रहा है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में अवैध खनन की कितनी शिकायतें किस-किस के विरुद्ध कब-कब प्राप्त हुईं? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) तहसील बस्सी जिला जयपुर में अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कर अवैध खनन की रोकथाम हेतु कार्यवाही की गई है । अवैध खनन संगठित रूप से न होकर छुट-पुट रूप से होना पाया गया । गत दो वर्षों में तहसील बस्सी में अवैध खनन की खनि अभियंता, जयपुर कार्यालय में 6 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(2) प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जयपुर

गत 2 वर्षों में तहसील बस्सी जिला जयपुर में अवैध खनन की प्राप्त शिकायतों का विवरण

| क्र. सं. | शिकायत दिनांक | शिकायत का विवरण | नाम जहां से शिकायत प्राप्त हुई | नाम जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई | क्षेत्र व तहसील जहां की शिकायत प्राप्त हुई | कर्यवाही विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.02.2013 | राजकीय फार्म ढिढोंल बस्सी के समीप अवैध खनन कार्य बन्द कराने के क्रम में। | राजस्थान आलाईव क्लटीवेशन लि. श्री अजय कुमार पचौरी चीफ आपरेशन आफिसर | अज्ञात | ग्राम ढिढोंल बस्सी, जिला जयपुर | क्षेत्र की जांच दिनांक 08.04.2013 को सर्वेयर के द्वारा की गई, जिसके अनुसार फार्म के पूर्वी दिशा की तरफ एक छोटी सी लम्बी पहाड़ी में अवैध खनन के ताजा निशानात पाये गये। मौके पर अवैध खनन बन्द पाया गया। मौके पर हुई जानकारी के अनुसार आसपास के गांव के लोग घरेलू उपयोग हेतु अवैध खनन करके खनिज चेजा पत्थर ले जाते हैं। |

| क्र. सं. | शिकायत दिनांक | शिकायत का विवरण | नाम जहां से शिकायत प्राप्त हुई | नाम जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई | क्षेत्र व तहसील जहां की शिकायत प्राप्त हुई | कर्यवाही विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.04.2013 | अवैध खनन को रोकने बाबत। एम.एल. 352/96 | श्री बद्रीनारायण मीणा का शिकायत प्रतिवेदन। | अज्ञात | ग्राम तुंगा तहसील बस्सी | दिनांक 14.06.2013 को सहायक खनि अभियन्ता के द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण अवैध खनन होता हुआ नहीं पाया गया। क्षेत्र में अवैध खनन के पिट पाये गये। मौके पर हुई जानकारी के अनुसार क्षेत्र में अवैध खनन आसपास के ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। |
| 3 | 29.04.2013 21.06.2013 | ग्राम घाटा तहसील बस्सी में अवैध खान ब्लास्टिंग को रोकने बाबत। | जिला कलक्टर, जयपुर का पत्र क्रमांक 2206 दिनांक 15.04.2013 के साथ प्राप्त शिकायत प्रतिवेदन। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक-खान (सतर्कता, पर्यावरण एवं विकास) निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर के पत्र क्रमांक 1087-1094 दिनांक 21.06.2013 से प्राप्त विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त ज्ञापनों के सम्बन्ध में। | श्री प्रभूदयाल | ग्राम घाटा तहसील बस्सी | प्रकरण मूल रूप से अवैध ब्लास्टिंग का होने के कारण पत्र थानाधिकारी पुलिस थाना, बस्सी को शिकायत की प्रति भिजवाते हुये आवश्यक कार्यवाही करने बाबत लिखा गया। क्षेत्र की जांच सहायक खनि अभियन्ता द्वारा दिनांक 14.06.2013 को की गई है, जिसके अनुसार क्षेत्र में लगभग 1 माह से ब्लास्टिंग होना नहीं पाया गया। आसपास जानकारी करने पर बताया गया कि पुलिस विभाग के द्वारा हरडी, हरध्नपुरा, दशरामपुरा, घाटा, बैनाड़ा क्षेत्र में ब्लास्टिंग को बन्द करवाया गया है। |

| क्र. सं. | शिकायत दिनांक | शिकायत का विवरण | नाम जहां से शिकायत प्राप्त हुई | नाम जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई | क्षेत्र व तहसील जहां की शिकायत प्राप्त हुई | कर्यवाही विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13.05.2013 27.06.2013 | ग्राम घाटा, हरडी, कुथाड़ा, एवं हरध्यानपुरा में अरावली की पहाड़ियों में हो रहे अवैध खनन को रुकवाने बाबत। | सरपंच ग्राम पंचायत बैनाड़ा का प्राप्त शिकायत प्रतिवेदन। अतिरिक्त कलक्टर प्रथम, जयपुर का पत्र क्रमांक 6354-55 दिनांक 03.06.2013 के साथ प्राप्त शिकायत प्रतिवेदन। | अज्ञात | ग्राम घाटा, हरडी, कथौड़ी एवं हरध्यानपुरा तहसील बस्सी | उक्त क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में ही नियम 65 के अन्तर्गत छूट प्राप्त होने के कारण क्षेत्र से निकलने वाले खनिज चेजा पत्थर/मिट्टी पर विभाग/आर.सी.सी./ई.आर.सी.सी. ठेकेदारों द्वारा खनिज की रायल्टी एवं एस.वी.पी. फीस की वसूली की जाती है। राज्य सरकार के द्वारा नियम 65 की छूट भविष्य में दिये जाने का प्रावधान समाप्त किया गया है, जबकि इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कई वर्षों पूर्व ही छूट दी हुई है। क्षेत्र में समय-समय पर अवैध खनन/निर्गमन की चैकिंग की जाकर अवैध खनन/निर्गमनकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। |

| क्र. सं. | शिकायत दिनांक | शिकायत का विवरण | नाम जहां से शिकायत प्राप्त हुई | नाम जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई | क्षेत्र व तहसील जहां की शिकायत प्राप्त हुई | कर्यवाही विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06.01.2014 | राजाधोक टोल पुलिया आगरा रोड पर अवैध खनन के सम्बन्ध में। | सुपान सिंह गुर्जर | अज्ञात | चैनपुरा गांव व आसपास तहसील बस्सी | दिनांक 22.04.2014 को शिकायत में वर्णित क्षेत्र राजाधोक टोल के पास ग्राम चैनपुरा की पहाड़ी का मौका देखा गया। मौके पर अवैध खनन होता नहीं पाया गया। मौके पर जानकारी के अनुसार स्थानीय व्यक्ति कभी-कभार व्यक्तिगत उपयोग हेतु खनिज पत्थर ले जाते हैं। |
| 6 | 06.06.2014 | ग्राम घाटा हरड़ी व हरध्यानपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में चल रहा अवैध खनन | श्री रामकिशन गुर्जर एवं ग्राम घाटा के निवासियों द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रतिवेदन। | अज्ञात | ग्राम घाटा हरडी व हरध्यानपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर | शिकायत की जांच दिनांक 26.08.2014 को कराई गई। जिसके अनुसार ग्राम घाटा, हरडी व हरध्यानपुरा आदि तहसील बस्सी की पहाड़िया है। जिसमें राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 65 के तहत शिथिलता दी हुई है। जिसके तहत उक्त क्षेत्र से निकलने वाले खनिज पर रायल्टी |

| क्र. सं. | शिकायत दिनांक | शिकायत का विवरण | नाम जहां से शिकायत प्राप्त हुई | नाम जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई | क्षेत्र व तहसील जहां की शिकायत प्राप्त हुई | कर्यवाही विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एवं ब्लास्टिंग को रोकने बाबत। | | | | एवं परमिट फीस की वसूली का कार्य नाके स्थापित किये जाकर किया जाता है। क्षेत्र में ब्लास्टिंग के सम्बन्ध में कार्यवाही करने बाबत पुलिस थाना कानोता को पत्र लिखा गया है। ब्लास्टिंग के सम्बन्ध में पुलिस थाना कानोता द्वारा दिनांक 01.08.2014 को विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 409/14 दर्ज की गई है। |

अविनाश कुलदीप
खनि अभियन्ता, जयपुर

## रीको पर्यावरण फ्लाई ऐश एरिया नांता जिला कोटा में अतिक्रमण

**664. श्री घनश्याम** (टोडाभीम): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रीको पर्यावरण फ्लाई ऐश एरिया नांता जिला-कोटा में भूखण्ड संख्या ए-74 से ए-75(ए) एवं एफ 60 से एफ-73 के पीछे स्थित वन भूमि पर भू-माफियाओं/उद्यमियों द्वारा कब्जा किया हुआ है? यदि हां, तो कितनी भूमि पर तथा किन-किन भू-माफियाओं/उद्यमियों द्वारा व कब-कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्थान पर आबंटित भूमि से अधिक भूमि पर भू-माफियाओं/उद्यमियों द्वारा किये गये कब्जे के समय की अवधि में वन विभाग के कौन-कौन अधिकारी पद-स्थापित थे? नाम व पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त अतिक्रमित भूमि को भू-माफियाओं/उद्यमियों से मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार ऐसी अतिक्रमित वन भूमि पर जहां पुन: अतिक्रमण नहीं हो सके, इसके लिये चारदीवारी या तार फेंसिंग कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार अवैध कब्जे में लिप्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) रीको पर्यावरण फ्लाई ऐश एरिया नांता जिला-कोटा में भूखण्ड संख्या ए-74 से ए-75(ए) एवं एफ 60 से एफ-73 के पीछे स्थित वन भूमि कोटा थर्मल पावर स्टेशन के.टी.पी.एस. कोटा को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति 8-53/88-पीसी दिनांक 09.12.1988 अनुसार प्रत्यावर्तित 44.55 हेक्टेयर वन भूमि है। उक्त भूमि कोटा थर्मल पावर स्टेशन को प्रत्यावर्तन होने से वर्ष 1988-89 में सम्भला दी गयी थी। तत्समय इस भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं था। यह भूमि अब वन विभाग के नियंत्रण में नहीं होकर कोटा

(वन राज्य मंत्री)

थर्मल पावर स्टेशन, कोटा के नियंत्रण में है। वन विभाग को उक्त भूमि पर भूमाफियाओं/उद्यमियों द्वारा कब्जा करने की जानकारी नहीं है।

(2) प्रश्न के भाग 1 के परिप्रेक्ष्य में वन विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है।

(3) उक्त भूमि वर्ष 1988-89 में के.टी.पी.एस. को प्रत्यावर्तन होने से वन विभाग को उक्त भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी नहीं है। वर्तमान में उक्त भूमि कोटा थर्मल पावर स्टेशन, कोटा के नियंत्रण में है।

(4) उक्त भूमि का नियंत्रण के.टी.पी.एस. के पास है।

(5) उक्त प्रत्यावर्तित वन भूमि के.टी.पी.एस. कोटा के नियंत्रण में है। वन विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं बनती है।

## वन्य क्षेत्र की भूमि का निजी खातेदारों को आबंटन

**665. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'** (चित्तौड़गढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वन्य क्षेत्र की भूमि को निजी खातेदारों को आबंटित करने के क्या नियम एवं मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) गत पांच वर्षों में प्रदेश में वन्य क्षेत्र की कितनी-कितनी भूमि कहां-कहां पर किस-किस निजी खातेदार को आबंटित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

**उत्तर**

(1) राज्य सरकार द्वारा वन भूमि निजी खातेदारों को आबंटित नहीं की जाती है ।

(2) वन विभाग द्वारा निजी खातेदारों को कोई भूमि आबंटित नहीं की गई है।

## प्रदेश में सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ लगाने की योजना

**666. डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में रिजर्व फोरेस्ट/प्रोडक्शन फोरेस्ट/अनकम्पाउण्ड फोरेस्ट की कुल कितनी भूमि है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(2) क्या सरकार प्रदेश को हरा-भरा रखने हेतु सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ लगाने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फोरेस्ट/अनक्लासीफाइड फोरेस्ट की भूमि निम्नानुसार है:-

| | |
|---|---|
| आरक्षित वन (Reserve Forest) | : 1006.8676 वर्ग कि.मी. |
| रक्षित वन (Protected Forest) | : 638.9269 वर्ग कि.मी. |
| अवर्गीकृत वन (Unclassified Forest) | : 138.6744 वर्ग कि.मी. |
| कुल वन भूमि | : 1784.4689 वर्ग कि.मी. |

(2) वर्तमान में 'मनरेगा योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क मार्ग पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है। वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सड़क मार्ग वृक्षारोपण के पेड़ों के पातन के पश्चात् भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के अधीन सड़क मार्ग पर वृक्षारोपण कराया जाता है। उक्त के अतिरिक्त सड़क मार्ग वृक्षारोपण हेतु कोई नवीन कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

## कोटपूतली क्षेत्र में अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग पर रोक की कार्य योजना

**667. श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार कोटपूतली क्षेत्र में अवैध खनन व खनन सामग्री की ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। कोटपूतली क्षेत्र में अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली एवं अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता), जयपुर द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की गई है । अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली द्वारा 62 एफ.आई.आर. दर्ज कराई गईं एवं 31.6 लाख की शास्ति राशि वसूल की गयी, तथा अधीक्षण

(खान राज्य मंत्री)

खनि अभियन्ता (सतर्कता), जयपुर द्वारा 9 एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई व 38.56 लाख की शास्ति इस वित्तीय वर्ष में वसूल की गयी । अवैध खनन की रोकथाम हेतु बार्डर होम गार्ड के जवानों को भी तैनात किया गया है । ओवरलोडिंग के विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है एवं इस विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के संयुक्त तत्वावधान में अभियान के दौरान भी ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

## केयर्न इण्डिया लिमिटेड द्वारा भूमि का मुआवजा

**668. श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार केयर्न इण्डिया लिमिटेड द्वारा हिटिंग स्टेशन (ए.जी.आई.) हेतु अवाप्त की गई जमीन का मुआवजा कृषि दर के स्थान पर व्यवसायिक दर पर दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त किसानों की भूमि अवाप्ति के मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को रोजगार भी दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर के राजेश्वरी गैस टर्मिनल से अत्यधिक प्रदूषण फैल रहा है? यदि हां, तो उक्त प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। कैयर्न इण्डिया/ओ एन जी सी के लिये हिटिंग स्टेशन (ए जी आई) हेतु भूमि अवाप्त न की जाकर भूमिकी खरीद भूमि मालिक की सहमति एवं आपसी बातचीत द्वारा तय दरों पर की गई

(2) जी नहीं। प्रश्न के खण्ड 1 के उत्तर क्रम में लागू नहीं है।

(3) रागेश्वरी गैस टर्मिनल से गैस के दोहन के साथ बहुत ही न्यून मात्रा में गैस Flare-off होती है जो कि वन एवं पर्यावरण के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाता है। रागेश्वरी गैस टर्मिनल, बाड़मेर से प्रदूषण फैलने के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल दवारा कोई वैज्ञानिक अध्ययन नही करवाया गया है। उक्त गैस टर्मिनल से उत्पन्न

(खान राज्य मंत्री)

प्रदूषित जल के निस्तारण हेतु उद्योग दवारा पर्याप्त व्यवस्था स्थापित कर रखी गयी है एवं घरेलू मल-जल के उपचार हेतु मल-जल उपचार संयंत्र (40 किलोमीटर प्रतिदिन क्षमता का) स्थापित कर रखा है इसके अतिरिक्त, उद्योग में 3 गैस जनरेटर (1.3 मेगावाट प्रत्येक) लगा रखे हैं जिनमें ईंधन के रूप में गैस का उपयोग किया जाता है जिससे उत्सर्जित गैसों में प्रदूषण पदार्थों के संभावना न्यूनतम रहती है। रागेश्वरी गैस टर्मिनल के संचालन हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जल (जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सशर्त संचालन सम्मति दिनांक 17.10.2014 को जारी की गई थी जो दिनांक 30.11.2016 तक वैध है। उक्त सम्मति में टर्मिनल से किसी तरह के प्रदूषित जल को परिसर के बाहर नि:स्त्राव नहीं करने एवं शून्य नि:स्त्राव की स्थिति बनाये रखने की शर्त भी अधिरोपित की गयी है। उल्लेखनीय है कि रागेश्वरी गैस टर्मिनल से प्रदूषण फैलने की कोई शिकायत भी राज्य मंडल को प्राप्त नहीं हुई है।

---